लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(आठवां सत्र)



(खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 5 अप्रैल, 1982/15 चैत्र, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 146, पंक्ति 22, सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0स0 "6599" पढ़िये।

पृष्ठ 328, नीचे से पंक्ति 8 में सदस्य केनाम से पूर्व अ0प्र0स0 "6858" के स्थान पर "6852" पढ़िये।

पृष्ठ 404, नीचे से पंक्ति 9 में सदस्य का नाम "श्री राम बिहारी बहेटा" के स्थान पर "श्री रास बिहारी बहेरा" पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 32, सोमवार, 5 अप्रैल, 1982, 15 चैत्र, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-20
*तारांकित प्रश्न संख्या 603 से 605,607 और 608	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21-387
तारांकित प्रश्न संख्या : 580 से 584,586 से 601,609 से 614,616,617,619 से 624; 294 और 302	21-48
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6466 से 6538,6540 से 6552 6554 से 6561,6563 से 6602, 6604 से 6633, 6635 से 6705, 6707 से 6725,6727 से 6839, 6841 से 6874, 6876, 6878 से 6909 और 6911 से 6938	48-387
पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस के बारे में घोषणा	387
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	387-391
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	391-395
लोक लेखा समिति—	395
80वां तथा 81वां प्रतिवेदन	395
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	396
37वां प्रतिवेदन	396
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	396
भारत पैट्रोलियम निगम के बम्बई स्थित तेलशोधक कारखाने में उसकी एक फारनेस ट्यूब से तेल बहने के कारण उस कारखाने के बन्द किये जाने का समाचार	396
श्री बी० वी० देसाई	396
श्री पी० शिवशंकर	397
श्री कमल मिश्र मधुकर	399
श्री रेणुपद दास	400
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	402
नियम 377 के अधीन मामले	403

* किसी नाम पर अंकित *चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(एक) चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल की समस्याएं तथा ऐसे स्कूलों को केन्द्रीय विद्यालयों की तरह चलाने की आवश्यकता	
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	403
(दो) पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक पृथक रेल डिवीजन बनाना	
श्री राम बिहारी बहेरा	404
(तीन) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में कथित कुप्रबन्ध और अपव्यय	
श्री हरिकेश बहादुर	405
(चार) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की आवश्यकता	
श्री हरीश रावत	405
(पांच) भाखड़ा बांध के कारण वहां से हटाये गये लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें आवंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में मालिकाना अधिकार तथा अन्य सुविधायें देने की आवश्यकता	
प्रो० नारायण चन्द पराशर	406
(छः) सलकिया एण्ड पोर्ट यूनिट आफ दि हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री अजित बाग	407
(सात) कटनी, मुजफ्फरपुर (बिहार) में ताप बिजली घर को शीघ्र पूरा करने के लिये उपाय	
श्रीमती किशोरी सिन्हा	407
(आठ) तमिलनाडु के ग्रामीण लोगों को आभूषणों पर ऋण देने की सुविधा पुनः शुरू करने की आवश्यकता	
श्री कुमबुम० एन० नटराजन	408
(नौ) राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में पुराने दैनिक कार्य के घंटे बहाल करने की आवश्यकता	
श्रीमती गीता मुखर्जी	409
अनुदानों की मांगें, 1982-83,	409-487
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय	409
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	410
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	415
श्रीमती गीता मुखर्जी	418
श्री पी० के० थुंगन	424
श्री हरीश कुमार गंगवार	426
श्री काजी सलीम	429
श्री पीयूष तिरकी	433
श्री राम सिंह यादव	436

विषय	पृष्ठ
श्री सैफुद्दीन चौधरी	440
श्री गुफरान आजम	447
प्रो॰ अजित कुमार मेहता	449
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	452
श्री मनीराम बागड़ी	455
श्री मूल चन्द डागा	456
श्रीमती शीला कौल	460
सभा के अवसान के बारे में प्रस्ताव—	472
अनुदानों की माँगें, 1982-83	473
श्रम मंत्रालय	473
श्री बिन्देश्वरी दुबे	474

लोक सभा

सोमवार, 5 अप्रैल, 1982/15 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तमिलनाडु तथा उसके साथ लगे राज्यों में नदी जल का उपयोग किया जाना

*603 **श्री एन० डेनिस** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु तथा उसके साथ लगे हुए राज्यों में नदियों के जल का सार्वजनिक हित में तथा सिंचाई कार्यों में उपयोग करने के लिए उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है; और

(ख) भारत सरकार द्वारा इस संबंध में उन राज्यों को आपस में मिलकर काम करने के लिए सहमत करने के लिए उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : तमिलनाडु तथा इसके निकटवर्ती राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सिंचाई सहित, विभिन्न उपयोगों के लिए अपनी नदियों के जल के विकास हेतु अपनी नदियों के जल के विकास हेतु अपनी वर्तमान स्कीमें तथा भविष्य की योजनाएं है और एक राज्य में विकास से अन्य राज्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अथवा पड़ने की संभावना होती है, वहाँ संबंधित राज्य आपसी विचार-विमर्श द्वारा मतभेदों को हल कर लेते हैं और केन्द्रीय सरकार भी विवादों को हल करने के लिए सहायता करती है। कावेरी के बारे में एक महत्वपूर्ण जल-विवाद है, जिसको संबंधित राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अविछिन्न और लगातार प्रयासों के बावजूद भी हल नहीं किया जा सका है। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक 3 अप्रैल 1982 को बुलाई गई थी, परन्तु तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उसमें भाग लेने में व्यक्त की गई असमर्थता के कारण नहीं की जा सकी। जहां तक कृष्णा नदी के जल का संबंध है, केन्द्रीय सरकार की सहायता से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की सरकारों के बीच श्री सैलम जलाशय से मद्रास शहर के लिए जल की आपूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के प्रत्येक राज्य द्वारा 5 टी० एम० सी० की दर से, 15 टी० एम० सी० जल देने के लिए 1977 में एक अन्तर्राज्यिक करार हो गया था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यहाँ पर श्री सोमनाथ चटर्जी आ गये हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में पश्चिम बंगाल का मामला जीता है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : प्रश्न काल के दौरान यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में सदन के लिये चुनाव भी सम्बद्ध है।

श्री एन० डेनिस : महोदय, कावेरी जल विवाद देश में एक प्रमुख अन्तर्राज्यीय विवाद है। मैसूर और मद्रास के बीच 1924 में हुए समझौते की वर्ष 1974 में समाप्ति के बाद तमिलनाडु कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के विवादी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कई बैठकें बिना किसी समाधान के केन्द्रीय मंत्रियों की मध्यस्थता के अधीन हुई हैं और इन विवादों को न्यायाधिकरणों को सौंप दिया गया है अथवा बिना समाधान के केन्द्रीय मंत्रियों की मध्यस्थता के अधीन आयोग को सौंप दिया गया है। इन विवादों को न्यायाधिकरणों अथवा आयोगों को सौंपने में भी बहुत समय लगता है। अन्तर्राज्यीय नदी विवाद के समाधान में विलम्ब से बहुत सी समस्यायें उत्पन्न होती है। लगभग 85 बड़ी और छोटी बहुद्देश्यीय परियोजनाओं को स्थगित रखा गया है। सुविधाओं के स्थगित होने के अतिरिक्त लागत में वृद्धि की समस्या है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 362 के अन्तर्गत एक केन्द्रीय विधान बनाया जायेगा जिसमें अन्तर्राज्यीय विवादों के शीघ्र न्याय निर्णय के लिए पर्याप्त शक्तियां होंगी।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 1924 में किये जा चुके समझौते के आधार पर कावेरी जल विवाद का शीघ्र हल करने के लिए प्रभावी कदम उठायेगी और क्या कावेरी जल विवाद का हल करने पर तमिलनाडु की वर्तमान 28 लाख एकड़ आयकर भूमि के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जायेगी और बचाव किया जायेगा।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं माननीय सदस्य की चिंता से अवगत हूं। यह सच है कि अनुच्छेद 362 के उपबंधों के अन्तर्गत हम मामले को किसी न्यायाधिकरण के पास भेज सकते हैं। यदि राज्य परस्पर सहमत नहीं होते हैं और इसलिए हम इन राज्यों की पारस्परिक सूझबूझ और पारस्परिक सहयोग से विवाद को हल कराने के सभी आवश्यक कदम उठा रहे है।

जहां तक विधान का संबंध है अनुच्छेद 362 का संशोधन करने के लिए कोई तत्कालिक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री एन० डेनिस : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु के सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का फालतू जल भेजने संबंधी प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पानी को भेजने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ने के बारे में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं। क्या गंगा और कावेरी नदी के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल को तमिलनाडु में सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में भेजने का संबंध है यह एक ऐसा मामला है जो तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार के बीच हल किया जाना है। हमने तमिलनाडु सरकार को कहा है कि वह इस मामले पर केरल सरकार के साथ विचार विमर्श करें और इस पर बात-चीत करें। यदि उनमें समझौता हो जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक नदियों को परस्पर जोड़ने का संबंध है, जैसा कि सदन भली भाँति अवगत है, हमारी इस बारे में एक अत्यंत बड़ी राष्ट्रीय भावी योजना है। लेकिन इस प्रकार की भावी योजना पर जाँच-पड़ताल करने और बाद में उस पर कार्यवाही करने में कुछ समय लगेगा।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि

वर्ष 1975 में भारत सरकार ने केरल और कर्नाटक में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयोग करने लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है अथवा नहीं ? यदि समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तो आप इसे कब कार्यान्वित करेंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, सिंचाई आयोग···

श्री के० टी० कोसलराम : यह एक तकनीकी समिति है ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : सिंचाई आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कुछ फालतू जल है। इसलिए हमने तमिलनाडु और केरल को पत्र लिखे हैं । केरल सरकार इस प्रस्ताव को नहीं मान रहा है । उनका मत है कि जहां तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का संबंध है, उनमें फालतू पानी नहीं है और यह केवल उनकी वर्तमान और भावी जरूरतों के लिए ही काफी है अतः हमने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा है कि तमिलनाडु सरकार केरल के साथ-साथ इस मामले पर विचार करे और जहां तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का संबंध है, वह कोई समझौता करे ।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : महोदय, हमारे वर्तमान संविधान के अनुसार सिंचाई एक राज्य का विषय है । हमने पूरे देश में नदियों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई है । प्रायद्वीप नदियां दक्षिण की हैं । हमें उन्हें जोड़ना है । इस पर चर्चा की जा रही है । गत राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है । प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया जायेगा ।

श्री के० टी० कोसलराम : यह एक सांविधिक समिति है ?

श्री केदार पांडे : यह एक सांविधिक समिति नहीं है अपितु यह एक नया कदम है जो लागू किया जा रहा है, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक जल संसाधन परिषद का गठन किया जायेगा और विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री और संबंधित केन्द्रीय मंत्रीगण सदस्य हैं । जहां तक कावेरी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का संबंध है, ये सभी नदियां विवादाधीन हैं और हम वार्ता करने जा रहे हैं । पिछली बैठक इस महीने की तीन तारीख के लिए निर्धारित की गई थी लेकिन तमिलनाडु के मुख्य मत्री ने इस बैठक में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की थी । अतः यह बैठक स्थगित की गई थी । मैं बहुत उत्सुक हूं कि बैठक को आयोजित किया जाये और यह मामला हल किया जाये । **(व्यवधान)**

श्री जियाउर्रहमान : शायद माननीय सदस्य उस तकनीकी समिति का उल्लेख कर रहे थे जो यह जांच-पड़ताल करने के लिए गठित की गई थी कि क्या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कुछ फालतू पानी है । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1981 में प्रस्तुत किया था और इसने अपना मत दिया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में फालतू पानी है । लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं जब तक राज्य सरकारें सहमत न हों···

श्री के० टी० कोसलराम : आप संविधान में संशोधन क्यों नहीं करते और जल को राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में क्यों नहीं मानते ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : वह एक बड़ा मामला है। यहां पर मैं केवल तथ्य देने का प्रयास कर रहा हूँ। समिति ने सिफारिश की है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में फालतू पानी उपलब्ध है जिसे सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में भेजा जा सकता है संविधान के वर्तमान उपबंधों के अन्तर्गत इन दो राज्यों तमिलनाडु और केरल के बीच यह मामला हल किया जाना है।

श्री वी० वी० देसाई : मेरे द्वारा पूछे जाने वाले आधे प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। अतः मैं दूसरा आधा प्रश्न पूछ रहा हूं। महोदय, क्या यह सच नहीं है··· (व्यवधान)

कावेरी जल विवाद 1924 और शायद इससे पहले का है। 1924 में पुराने मैसूर राज्य के बीच अनियमित समझौता हुआ था। और वह समाप्त हो गया है। इस समझौते के समाप्त होने के बाद बातचीत चल रही है। इस महीने की तीन तारीख को एक बैठक बुलाई गई थी। किन्हीं कारणों से तमिलनाडु के मुख्य मंत्री इस बैठक में नहीं आये थे जबकि कर्नाटक के मुख्य मंत्री यहां पर आये हुए थे। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या अनुच्छेद 362 के अन्तर्गत इस विवाद को पंच निर्णय के लिए भेजना जल्दी नहीं है जबकि बैठकें चल रही हैं और एक पक्ष किन्हीं कारणों से जिन्हें, वह ही जानते हैं अनुपस्थिति रहने का प्रयास कर रहा है है···

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं आपको ठीक प्रकार से समझ नहीं सका हूं···

श्री केदार पांडे : मैंने समझ लिया है। माननीय सदस्य ने वर्तमान विद्यमान संविधान के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण की स्थापना करने का उल्लेख किया है। मेरे विचार से यह फिलहाल आवश्यक नहीं है जब तक हम इन राज्य सरकारों के साथ पूरी चर्चा न कर लें। अब तक हमने न्यायाधिकरण के जरिए इस मामले को हल करने के लिए अपना इरादा नहीं किया है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे जिसके असफल होने पर हम सोचेंगे कि क्या किया जाये·····

राष्ट्रीय जल योजनाएं

* 604 **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू उत्पादकता वर्ष में राष्ट्रीय जल योजनाएं बनाने का है;

(ख) क्या अधिक परिव्यय की व्यवस्था करने, धनराशि का पूरी तरह उपयोग करने और नलकूप चलाने के लिए पर्याप्त बिजली और डीजल उपलब्ध कराने तथा पारिस्थितिकीय तत्वों के अनुरक्षण का भी विचार है; और

(ग) भारत में वर्तमान जल संसाधनों के विकास में अकुशलता दूर करने के लिये सरकार का विचार अन्य क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) से (ग) : जहां तक सिंचाई मंत्रालय का संबंध है चालू उत्पादकता वर्ष के दौरान, निम्नलिखित कार्यवाही करके अतिरिक्त कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं :—

(1) अन्तिम खेत तक खेत नालियों के निर्माण द्वारा सिंचाई क्षमता का त्वरित तथा और अधिक कार्यक्षम उपयोग सुनिश्चित करना;

(2) वारबन्दी (जल की बारी-बारी से आपूर्ति) आरंभ करना; और

(3) 1982-83 के दौरान, लगभग 2,100 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें कमान क्षेत्र विकास शामिल है किन्तु संस्थागत वित्त जिसमें शामिल नहीं है। 1981-82 के संगत आंकड़े 1830 करोड़ रुपये हैं। वृहद सिंचाई परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति राज्य में तथा साथ ही, केन्द्रीय सरकार द्वारा मानीटर की जा रही है जिससे धनराशि का न केवल पूर्ण उपयोग, बल्कि और अधिक कार्यक्षम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, ताकि लाभ शीघ्रतापूर्वक प्राप्त किए जा सकें। विद्युत की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक पम्पसेटों का संबंध है, डीजल की आपूर्ति सामान्यत: संतोषप्रद रही है। पम्पसेटों के ऊर्जन के कार्यक्रम की गति को भी तेज किया जा रहा है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशियों की व्यवस्था की जा रही है जिससे उन्हें यथासंभव शीघ्र पूरा किया जा सके। जल-जमाव की स्थितियों को प्रभावहीन करने के लिए जल निकास की व्यवस्था करने और भूमिगत तथा भूतल जल का संयुक्त रूप से उपयोग करने का प्रस्ताव है।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस समय जो हालात जल-योजना के हैं या जो उन कामों का स्वरूप है, उनसे हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हमने बीस सूत्री कार्यक्रम में भी इस प्रोग्राम को काफी महत्व दिया है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि हमारे देश में जो जल के प्राकृतिक साधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं—ऊंचे पर्वतों में या बड़ी नदियां हैं, उनके सहारे या अन्य मार्गों से देश के पानी का पूरा उपयोग करने के लिए आप कौन सी विशेष योजनायें बनाने जा रहे हैं? क्या इसके लिये कोई निश्चित प्लान आपके विचाराधीन हैं?

मैं यह भी जानना चाहती हूं—साइंस तथा टैकनालाजी डिपार्टमेंट की ओर से एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था और उन्होंने जो राय दी है उसके मुताबिक हम लोगों को लांग ड्यूरेशन के प्लान बनाने चाहिये तभी इस देश में जल-पूर्ति कर सकते हैं। इसके बारे में शासन क्या विचार कर रहा है?

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान कैनाल बनाइये।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक प्रोडक्टिविटी इयर के अन्दर इर्रीगेशन पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए और उसके यूटीलाईजेशन के लिए इर्रीगेशन मिनिस्ट्री को जो स्टेप्स लेने चाहिए, उनका सवाल है, उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस हद तक हम उसको पूरा कर सकते हैं और उसके लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, वे हमने इस जवाब में पूरे तौर पर आइडेंटीफाई कर दिये हैं।

अब जहां तक साइंस एण्ड टैक्नोलोजी की किसी कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, जिसका

हवाला माननीय सदस्या ने दिया है, मेरी इस वक्त उसके बारे में वाकफियत नहीं है, जिससे मैं उसके सिलसिले में जवाब दे सकूं।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जवाब में बताया है कि 1982-83 के लिए 2100 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है लेकिन उसकी परिपूर्ति के लिए आपने कोई निश्चित रूप-रेखा सामने नहीं रखी। मैं यह पूछना चाहती थी कि नई व्यवस्था का फायदा कितने हैक्टेयर को मिल सकता है और इसमें से स्टेटवाइज अन्दाजन कितना रुपया आप स्टेटवाइज खर्च करेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि एक बैलेंस इसमें रखना चाहिए। मैं यह जानना चाहती हूं कि 1980-81 और 1981-82 का जो प्लान आपने बनाया था, उसमें जो धनराशि खर्च हुई है, उसका एचीवमैंट क्या है ? हमने क्या पाया और हम क्या करने जा रहे हैं और नये प्लान में क्या इसका ध्यान रखा जाएगा।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है, उसके मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि 1982-83 में हम 3 मिलियन हैक्टेयर में इर्रीगेशन पोटेंशियल क्रीयेट करना चाहते हैं और छठी पंचसाला प्लान के खत्म होते वक्त, 14 मिलियन हेक्टेयर का मेरा लक्ष्य है। इतना इर्रीगेशन पोटेंशियल मैं इस देश में क्रीयेट करूंगा और ये जो तीन साल बाकी हैं छठी पंचसाला प्लान के, हर साल हम 3 मिलियन हेक्टेयर इर्रीगेशन पोटेंशियल क्रीयेट करना चाहते हैं और अभी तक जो इर्रीगेशन पोटेंशियल सारे देश में है, टोटल, वह करीब 60 मिलियन हैक्टेयर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 14 नहीं हुआ।

श्री केदार पांडे : 14 में से 5 हो गया और 9 में से 3,3 करेंगे हर साल, इसमें आप संदेह न कीजिए। यह पहली बात है। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 1981 82 में अभी तक जो इर्रीगेशन पोटेंशियल सारे देश में पैदा हुआ है, वह मेजर इर्रीगेशन, मीडियम इर्रीगेशन और माइनर इर्रीगेशन सब मिला कर करीब-करीब 60 मिलियन हैक्टेयर हो चुका है और उसमें से 54 मिलियन हैक्टेयर युटीलाइज हो गया है। इसलिए 6 मिलियन हैक्टेयर यह रहा और 3 मिलियन हैक्टेयर 1982-83 में, जो प्रोडक्टिविटी इयर है, हम क्रीयेट करना चाहते हैं। यही मेरा नक्शा है और इस नक्शे के मुताबिक हम चाहते हैं कि 1982-83 का जो हमारा प्रोडक्टिविटी इयर है, उसमें कम से कम 4 मिलियन टन अनाज ज्यादा पैदा करें। आज जो पैदा होता है, उससे इतना ज्यादा पैदा करें। अब जितनी पैदावार हिन्दुस्तान में होती है, वह 60 मिलियन टन के करीब है और उसका 60 परसेन्ट इर्रीगेटेड एरियाज में अनाज पैदा होता है। इसलिए इर्रीगेशन को अगर हम बढ़ायेंगे और 1982-83, जो प्रोडक्टिविटी इयर का एलान हुआ है, में अगर हम एफेर्ट करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमारे नये बीस-सूत्री प्रोग्राम में यह पहला प्वाइंट है और इस देश में हमें इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। इससे देश आगे बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगी।

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय सिंचाई मंत्री ने जो अभी सदन में घोषणा की है, इसी प्रकार की घोषणा सन् 1951 में, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी, उस समय की गई थी और उस घोषणा के अनुसार इन पिछले 30 वर्षों में मेजर और मीडियम इर्रीगेशन का जो लक्ष्य

रखा गया था, वह 30 मिलियन हैक्टेयर का था और उसमें से उपलब्धि हुई है, 18 मिलियन हैक्टेयर और उसमें से जो वास्तविक उपयोग हो रहा है, वह है 12 मिलियन हैक्टेयर। जितने टार्गेट थे 30 वर्षों में, उसके लिए आपने 10009 करोड़ रुपये खर्च किये और उपलब्धि हुई 60 परसेन्ट और यूटीलाइजेशन है 40 परसेन्ट। अब 6 मिलियन हैक्टेयर की आप बात कह रहे हैं। ये गलत आंकड़े हैं, मैं इसमें से माइनर इर्रीगेशन को हटा कर बात कर रहा हूँ। माइनर इर्रीगेशन में तो छोटे छोटे तालाब राजस्थान में बन जाते हैं। समस्या है तो नागार्जुनसागर की।

समस्या कोशी की, समस्या है राजस्थान नहर की। अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि इन सारी 8 सिंचाई योजनाओं को पिछले तीस वर्षों में पूरा नहीं किया जा सका है। इन सारी योजनाओं पर 10 हजार 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 1951 से 1981 तक तीस वर्षों में 30 मिलियन हैक्टेयर का हमारा लक्ष्य था, 18 मिलियन हैक्टेयर हमने अचीव किया और 12 मीलियन हैक्टेयर की आपकी उपलब्धि है। इस प्रकार की घोषणाएं करके आप सदन को और जनता को धोखे में न रखें। सिंचाई ऐसी चीज है जो कि किसानों और पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न के ऊपर गभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हमारा इम्प्लीमेंटेशन बहुत फाल्टी है। इसका कारण यह है कि हमारे प्रोजेक्ट्स की कास्ट रनओवर और टाइम रनओवर बहुत ज्यादा है। आप इन आंकड़ों के संबध बताइये और जो मैंने बात की है उसके सम्बन्ध में बताइये।

श्री केदार पाँडे : इस देश में मेजर, मीडियम, माइनर इर्रीगेशन और ग्राउंड वाटर सब मिला कर 113 मीलियन हैक्टर आता है। जो आपने पहली कहानी कही है, उससे ऐसा लगता है कि आप उदास हैं। आपको आज की कहानी सुन कर खुशी होगी। आप पहली कहानी की बात करते हैं। उस वक्त मुमेन्टम नहीं आया था। जो मुमेन्टम आज आया है, उसके फैक्ट्स एण्ड फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूं। ये बनावटी फिगर्स नहीं हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : जो कहानी आपके अधिकारियों ने मुझे बतायी है, वही मैं कह रहा हूं।

श्री केदार पाँडे : आज की कहानी से आप फ्रस्ट्रेटिड नहीं बनेंगे, उससे आप ओपटीमिस्टिक हो जायेंगे। आप पहले की बात नहीं रखें। हमारा अल्टीमेट इर्रीगेशन पोटेंशयल इन्क्लुडिंग ग्राउंड वाटर 113 मीलियन हैक्टेअर इर्रीगेशन पोटेंशयल है। उसको हमको अचीव करना है, क्रियेट करना है। अभी तक हम 60 मीलियन हैक्टेयर क्रियेट कर सके हैं इन्क्लुडिंग आल दिस। उसमें से 54 मीलियन हैक्टेअर यूटिलाइज्ड है। आई एम टाकिंग आफ फिगर्स। आप देख लीजिए। अगर आप मेरे फिगर्स को चेलेंज करते हैं तो आप दूसरे फिगर्स दीजिए। ये जो मैं फिगर्स दे रहा हूँ ये चारों तरफ से जांच करके दे रहा हूं। 60 मीलियन हैक्टेअर देश में क्रियेटिड है जिसमें से 6 मीलियन हेक्टेअर कम यूटिलाइज्ड है। हमने 54 मीलियन हेक्टेअर यूटिलाइज किया है। इसी वजह से अनाज की पैदावार बढ़ी है। इर्रीगेटिड एरियाज में पैदावार ज्यादा बढ़ जाता है। आई एम नाट टाकिंग इन द एअर, आई एम टाकिंग आन द ग्राउण्ड। हमारी मेजर इर्रीगेशन पोटेंशयल 28.5 मीलियन हेक्टेअर का क्रियेट हुआ है जिसमें से चार मीलियन हेक्टेअर अनयूटिलाइज्ड है। उसको हम इस साल में करना चाहते हैं। हम तीन मीलियन

हेक्टेअर का आगे बढ़ा देंगे। इस तरह हम तीस मीलियन हेक्टेअर कुल मिला कर कर देंगे। हम आगे बढ़ेंगे। यह है आज की हमारी तस्वीर।

जो मैं घोषणा करता हूँ उसका बेसिस है, उसका आधार है। निराधार बात में नहीं करता। जो बात आप करें वह फेक्ट्स एण्ड फिगर्स के साथ बात करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं मेथेमेटिक्स का विद्यार्थी हूं। आप हैं या नहीं हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं तो फेक्ट्स एण्ड फिगर्स के साथ बातें करता हूं। आप अगर ये न मानें तो दूसरे फिगर्स इनके खिलाफ दीजिए। आप फ्रस्ट्रेटिड हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने प्रमाणित किया है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : कहानी तो कहानी ही रह जाएगी, पूरी बात नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है—

"चालू उत्पादिकता वर्ष के दौरान, निम्नलिखित कदम उठा करके अतिरिक्त कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं···"

इसमें एक-दो-तीन करके कहा है—

इन्होंने कहा है कि—

फील्ड चैनल्स का निर्माण करके सिंचाई क्षमता का शीघ्र और अधिक दक्षता में उपयोग को सुनिश्चित करना।

मैं खासकर बिहार के कोसी क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, जहाँ से मैं आता हूं। वहाँ पूर्वी तटबंध पूरा हो गया है, जिससे सिंचाई होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोसी से आते हैं, मैं पंचकोसी से आता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पूर्वी तटबन्ध पूरा होने के बावजूद पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा आदि इलाकों में फील्ड चेनल्स के बिना सिंचाई नहीं हो पा रही है। दूसरी बात क्या मंत्री महोदय को इसकी भी जानकारी है कि पश्चिमी तटबन्ध अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह कब तक पूरा हो जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इसके अन्तर्गत नहीं आएगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : तीसरी बात भारत सरकार कमाण्ड एरिया पर भी कुछ पैसा खर्च करना चाहती है। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि कोसी कमाण्ड एरिया में कोसी से सिंचाई नहीं हो सकती साथ ही दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो सकती। इस एनामली को दूर करने का क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री केदार पांडे : वाकई यह सवाल सम्बन्धित नहीं है, लेकिन मैं इसको इवेड नहीं करना चाहता, क्योंकि बिहार की बात है और मैं बिहार का रहने वाला हूं।

वेस्टर्न कोसी केनाल 1987 में पूरी होगी, ईस्टर्न कोसी केनाल बहुत कुछ पूरी हो चुकी

है और 1983 तक इसका पूरा काम हो जाएगा। वेस्टर्न कोसी केनाल अभी हिन्दुस्तान में पूरी नहीं बनी है, ज्यादा नेपाल टेरिटरी में बनी है।

श्री रामविलास पासवान : हिन्दुस्तान में क्यों नहीं बनी ?

श्री केदार पाण्डे : पहले नेपाल से आएगी तभी तो हिन्दुस्तान में बनेगी।

श्री रामविलास पासवान : एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ—अगेंस्ट ललित नारायण मिश्र ?

(व्यवधान)

श्री केदार पाण्डे : आप लोग इसमें कोई शंका न करें, 1987 तक काम कंपलीट हो जाएगा। काम लगा हुआ है।

तीसरी बात कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट के बारे में है। अभी भी बहुत जगह इरीगेशन पोटेशियल क्रिएट करते हैं। पानी यूटीलाइज करने के लिए नहर से खेत तक ले जाना होता है और उसके मुताबिक फील्ड चेनल्स बनाने हैं। कुछ बनाए हैं, कुछ काम बाकी है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से भी सहमत हूं कि काम में कुछ सुस्ती हुई है। मैं स्वभाव के मुताबिक कोई बात छुपाता नहीं हूं।

श्री रामविलास पासवान : आप छिपा रहे हैं—एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री केदार पाण्डे : फील्ड चैनल्स बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपीडाइट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कदम उठा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास पैसा भी काफी है। 2100 करोड़ इस साल इरीगेशन के लिए है। इस कार्य पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। कोसी केनाल के बारे में मैं भी सीरियस हूं और चाहता हूं कि काम ठीक होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप डण्डा घुमाकर काम भी जल्दी करवा दीजिए।

श्री पेरावदन के० गधावी : महोदय, आप सहमत होंगे कि जब से हम स्वाधीन हुए हैं, हमारी सरकार कृषि के प्रति विशेष ध्यान दे रही है। अभी तक इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कृषि वर्षा पर निर्भर बनी हुई है। वास्तव में हमेशा सभी प्रधान मंत्रियों ने बल दिया है कि कृषि और सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिये। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। लेकिन जैसा कि श्री सतीश जी ने कहा है कुछ प्रमुख परियोजनाओं में कुछ खामियां है जिसका कारण अन्तर्राज्यीय विवादों और अन्य बाधाओं तथा अड़चनों को हल नहीं करना अथवा उन्हें शीघ्रता से दूर नहीं करना है। और इसलिये हमारे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी, द्वारा एक वक्तव्य भी दिया गया था कि सिंचाई केन्द्रीय सूची के अधीन लाया जाना चाहिये ताकि उत्पन्न होने वाले इन सभी अन्तर्राज्यीय विवादों और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में होने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। क्योंकि इस परिषद का गठन किया गया है, अतः मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार नीति के मामले के रूप में सिंचाई को पूरी तरह से केन्द्रीय

सूची में रखने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं ताकि सिंचाई परियोजनाओं के रास्ते में आने वाले इन सभी विवादों को अत्यन्त शीघ्रता से हल किया जा सके।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इस समय सिंचाई को केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत लाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश का विदेशी सहयोग के साथ मत्स्य पालन विकास का प्रस्ताव

*605. **श्री केयूर भूषण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने डेनमार्क सरकार के सहयोग से मत्स्य पालन विकास के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के कौन-कौन से जिले लिए जावेंगे;

(ग) क्या डेनमार्क सरकार ने योजना को अपनी मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक हाथ में ली जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी, हां।

(ख) 1. ग्वालियर
2. दतिया
3. मोरेना
4. भिण्ड
5. शिवपुरी
6. गुना
7. टीकमगढ़
8. सागर
9. छतरपुर
10. होसंगाबाद
11. रायसीन
12. भोपाल
13. सेहोर
14. मंदसौर

(ग) और (घ) : डेनमार्क सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री केयूर भूषण : कब इस योजना को आप ले रहे हैं और कब यह पूरी होगी ? मत्स्य पालन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार की दृष्टि से सर्व साधारण तक पहुंचने के लिए यह अनाज से भी ज्यादा महत्व की है। जहाँ पर काम यह चल रहा है वहाँ अर्न्तप्रदेशीय मत्स्य परियोजना ल अन्तर्गत प्रदेश के सात जिले क्रमश: शिवपुरी, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर,

रायपुर तथा राजनन्दा गाँव लिए गए हैं। वहाँ जो मछली पालन का काम हो रहा है उसका लाभ नीचे के लोगों को मिल नहीं पाता, बीच के बिचौलिये उसको ले जाते हैं। बिचौलिये यह लाभ न कमा पाएं और सीधे नीचे के लोगों को, आदिवासियों, हरिजनों और गरीबों को ही लाभ मिल सके, इसके वास्ते आपके पास कोई योजना है ? ऐसी कोई योजना है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं वे भी इसको लागू कर सकें, जिनके पास पाँच सात एकड़ जमीन है और उसमें से एक या आधा एकड़ में तालाब बना सकें और मत्स्य पालन कर सकें, उसके वास्ते कुछ विशेष सुविधा देने की आपके पास कोई योजना है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : यह प्रश्न योजना के लिये डेनमार्क की सहायता के बारे में है। यह डेनमार्क सरकार से सम्बन्धित है। लेकिन अन्य बातों के बारे में, जिसे माननीय सदस्य ने उठाया है, मत्स्य पालन में छोटे किसानों, सीमान्त किसानों आदि की सहायता करने के लिये सरकार का एक प्रस्ताव है।

श्री केयूर भूषण : ठेकेदारों से और बिचौलियों से गरीब लोगों को बचाने के आपके पास इस योजना के अन्दर कोई योजना है ताकि किसानों को सीधे इस योजना का लाभ मिल सके। अभी जो तालाब हैं ठेके से दे दिए जाते हैं और किसानों को उससे—कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ठेकेदारों को खत्म करने की कोई योजना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : इस योजना के तहत छोटे किसानों को, गांवों की पंचायतों को और फिशरीज डिवलपमेंट कारपोरेशन जो मध्य प्रदेश का है उसको लाभ पहुंचाना उद्देश्य है। कारपोरेशन के जरिये से काम किया जाएगा मछली पालन को बढ़ाने का। जो बड़े रिजरवायर हैं उन में कोऑपरेटिव्ज को ठेका देकर उनकी आमदनी बढ़ाने की बात है। पंचायतों या इंडिविजुअल्ज के तो छोटे-छोटे टैंक या तालाब हैं गाँवों में उनको मदद देना भी उद्देश्य है। बिचौलिये अगर मछलियाँ खरीद कर ले जाए और उसमें से लाभ कमा लें तो उसका इलाज तो एक ही है कि हम कारपोरेशन के जरिये मछलियाँ बेचने का, मार्किटिंग का इंतजाम अच्छा करें और वह भी इसके अन्दर शामिल है। कोल्ड स्टोरेज बनाने की भी स्कीम इस में शामिल है। यह प्रोजेक्ट हमारे पास 6 जनवरी को एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री में मौसूल हुआ था। 18 जनवरी को हमने इसको एप्रूव कर दिया। इससे ज्यादा जल्दी कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं होता। एक फरवरी को यह डिपार्टमेंट आफ़ इकोनोमिक एफेयर्ज से भी निकलकर डेनिश गवर्नमेंट को सौंप दिया गया।

एक महीने के अन्दर-अन्दर यह प्रोजेक्ट मंजूर करके, एप्रूव करके डेनिश गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया गया। हम इंतजार कर रहे हैं इसका क्या फैसला होता है। 14 जिले इसमें कवर्ड हैं। 6 जिले मध्य प्रदेश के वर्ल्ड बैंक का मछलियों का प्रोजेक्ट है उसमें कवर्ड हैं जिसमें रायपुर जिला शामिल है उसमें पहले का जिस प्रकार का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मिडिलमैन से बचाने के लिये और मछलियों की पैदावार बढ़ाने, मारकेटिंग का बन्दोबस्त करना, गरीब आदमियों को फायदा पहुंचाना यही इसका मकसद है। अगर इसमें कोई कमी है और माननीय सदस्य खासतौर से हमें बतायें और क्या बेहतर इन्तजाम हो सकता है तो हम तैयार हैं।

वन्य प्राणियों की सुरक्षा

*607. प्रो. नारायण चन्द पराशर : श्री राजेश कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या इस काल में कोई शरण स्थल भी बनाये गये हैं, और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम (राज्य-वार) क्या हैं जहां ऐसे शरण स्थल हैं अथवा निकट भविष्य में बनाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में 32 आश्रय स्थलों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 18 राष्ट्रीय पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन आश्रय स्थलों और राष्ट्रीय पार्कों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3860/82]

विवरण

1. वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अब सारे देश में लागू है। जम्मू तथा कश्मीर में ऐसा ही एक कानून 10 जनवरी, 1979 से लागू किया गया है।

2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) मुख्यत: देश में विद्यमान वनों, जो कि भारत में वन्य प्राणियों के वास्तविक वास स्थल हैं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी वन क्षेत्र का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता।

3. पूरे देश में राष्ट्रीय पार्कों और आश्रय स्थल का एक जाल बिछाया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में 32 आश्रय स्थलों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 18 राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की जा रही है।

4. भारतीय वन्य प्राणि मण्डल, जो कि वन्य प्राणि संरक्षण के विषय में सरकार का मुख्य परामर्शदात्री निकाय है, को पुनर्गठित किया गया है, प्रधान मंत्री इसकी अध्यक्ष और केन्द्रीय कृषि मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। मण्डल ने एक स्थायी समिति और तीन विशेषज्ञ समितियों, क्रमशः पक्षी, चिड़ियाघर और वनस्पति से संबंधित समिति की स्थापना की है।

5, राज्य सरकारों को समय समय पर सलाह दी गई है कि वे वन्य प्राणि संरक्षण विशेषकर वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम के उपयुक्त प्रवर्तन करने, वन्य प्राणि

संकंधों/यूनिटों के सुदृढ़ीकरण और वन्य प्राणि संरक्षण के लिए जनता की सहायता और समर्थन प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दें।

6. वन्य प्राणियों और उनसे बने उत्पादों/वस्तुओं की निर्यात नीति को और अधिक कठोर बनाया गया है।

7, वन्य प्राणि संरक्षण की केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए पांचवीं योजना (1974-79) के 664.00 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से बढ़ाकर छठी योजना में (1980-85) 1210.00 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें निम्नलिखित तीन नई योजनाएं शामिल हैं।—

1, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय पार्कों के विकास के विकास के लिए सहायता (100.00 लाख रुपए)

2. चुने हुए चिड़ियाघरों के विकास के लिए सहायता (50.00 लाख रुपए)

3. भारतीय वन्य प्राणि संस्थान की स्थापना (100.00 लाख रुपए)

8. "बाघ परियोजना" को व्यापक कार्यक्रम और परिव्यय से जारी रखा गया है। प्रधान मंत्री अब इस परियोजना की कर्णधार समिति की अध्यक्ष हैं। छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान परियोजना के लिए छठी योजना परिव्यय (केन्द्रीय सहायता) 500.00 लाख रुपए है। देश के बाघों की कुल संख्या 1972 की 1827 संख्या से बढ़कर 1979 80 में 3015 हो गई।

9. घड़ियाल परियोजना का विस्तार नौ राज्यों में किया गया है तथा इनके प्रजनन और इन्हें प्राकृतिक अवस्था में पुनर्स्थापित करने के कार्य पर बल दिया जा रहा है।

10. ठोस वैज्ञानिक आधार पर वन्य प्राणि संसाधनों के प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है और क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के लिए वन्य प्राणि उन्मुखी पाठ्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है। भारतीय परि-स्थितियों के लिए उपयुक्त वन्य प्राणि प्रबन्ध और अनुसंधान तकनीक विकसित करने और इस विषय पर फील्ड मैनुअल तैयार करने के लिए हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त वन्य पशुओं के लिए पशु चिकित्सा प्रक्रियाओं, रसायनिक स्थिरीकरण, जीव टेली मीट्री पर विशेषी-कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय वन्य प्राणि संस्थान को शीघ्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

11. खतरे में पड़ी प्रजातियों जैसे भारतीय हाथी, भारतीय शेर, भारतीय गैंडा, भार-तीय बस्टर्ड, मणिपुर का थामिन हिरण और मगरमच्छों की प्रजातियों पर विशेष स्थिति सम्बन्धी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

12. वन्य प्राणि संरक्षण के लिए जनता में जागरुकता लाने तथा लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रेस, रेडियो और टेलीविजन के जन सम्पर्क माध्यमों का

प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष अक्तूबर में वन्य प्राणि सप्ताह के दौरान विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

13. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कन्वेंशनों का सदस्य बन गया है :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों विशेषकर जलपक्षी वास स्थल विषयक कन्वेंशन।

2. वन्य पशुओं की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण सम्बन्धी कन्वेंशन।

3. ह्वेल मछली के शिकार का विनियमन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन।

इसके अतिरिक्त भारत में खतरे में पड़ी वन्य जीव तथा वनस्पति की प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विषयक कन्वेंशन में एक सदस्य के नाते प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस कन्वेंशन के सदस्यों की तीसरी कॉफ्रेंस फरवरी/मार्च, 1981 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस समय भारत कन्वेंशन की स्थायी समिति का अध्यक्ष है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि भारतीय वन्य प्राणि संस्थान की स्थापना का कार्य सरकार के विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संस्थान का स्थान निर्धारित किया जा चुका है, यदि हां तो कहां ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : स्थान निर्धारित किया गया है और 32 आश्रय स्थल चुने गए हैं तथा 18 राष्ट्रीय पार्क भी चुने गए हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : वे कहां पर है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं आपको बताऊंगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : आप कहते हैं "भारतीय वन्य प्राणि संस्थान की स्थापना।" केवल एक नाम की आवश्यकता है। में जानना चाहता हूं कि क्या उसका स्थान निश्चित किया गया है अथवा नहीं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : उसका क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश है—प्रानहिता आश्रय स्थल, सैंडल पीक नेशनल पार्क; नार्थ बटोन आइलैण्ड पार्क; मिडिल बटोन आइलेण्ड पार्क; साउथ बटोन आइलेण्ड पार्क। वे अन्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में हैं। इनकी एक लम्बी सूची है। यदि आप चाहें तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे किसी बात के लिए कह रहे हैं और आप उन्हें कोई और बात का उत्तर दे रहे हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में यह कहा गया है कि एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। कृपया उस विवरण के पृष्ठ 2 में पैरा (7), उपखण्ड (तीन) को देखें। उसमें यह उल्लिखित है, "भारतीय वन्य प्राणि संस्थान की स्थापना (100.00 लाख रु०)" इस संस्थान को कहां बनाया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : यह देहरादून में आरम्भ होगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : विवरण के पैरा (5) में यह उल्लेख है, "राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे वन्य प्राणि संरक्षण विशेषकर वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम के उपयुक्त प्रवर्तन करने में विशेष ध्यान दें। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस अधिनियम के उल्लंघन के कोई मामले इस सरकार के ध्यान में लाए गए हैं, यदि हाँ, तो वे मामले क्या हैं, वे किस राज्य से सम्बन्धित हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मेरी सूचना में कोई उल्लंघन का मामला नहीं आया है।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : समय-समय पर उल्लंघन के कई सौ मामलों का पता चला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहाँ एक कमी है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने भी समाचार पत्र पढ़े हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहाँ एक कमी है। वे कहते हैं, "कुछ भी ध्यान में नहीं आया है।" उन्होंने इसका पता लगाया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यहाँ वे कहते, कोई मामले नहीं (नो केसेज), जब वे 'नो केसेज' कहते हैं तो वे सही सही हैं, 'नो' का मतलब है 'नम्बर' (संख्या)।

अध्यक्ष महोदय : जब आप इन मामलों का पता करते हैं तब आप उन पर क्या कार्यवाही करते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह राज्य का विषय हैं। अधिनियम का उल्लंघन···(व्यवधान) प्रो० दण्डवते, अधिनियय का प्रवर्त्तन राज्य का विषय है। जब कभी अधिनियम का उल्लंघन होता है, लोगों पर मुकदमा लगाया जाता है और मुकदमा चलाने का प्रश्न राज्य का विषय है। जैसाकि आप अच्छी तरह जानते है कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है कई सौ मामलों का पता चलता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री जी पर किसे नियंत्रण करना होता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम राज्यों द्वारा मामलों की प्रक्रिया पर नजर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और जब कभी हमारे ध्यान में यह बात आती है कि राज्य सरकार के प्राधिकारियों की तरफ से कोई अकर्मण्यता हो रही है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं और मामले को सुधारते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश कुमार सिंह।

श्री राजेश कुमार सिंह : अभी बात आई, मंत्री जी से पूछा कि कितने वायोलेशन के केसेज हुए हैं तो उन्होंने स्टेट की बात कही। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि—

वन्य प्राणि संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत, राज्यों को शूटिंग लाइसेंस और परमिट जारी करने तथा स्थान निश्चित करने की शक्ति प्राप्त है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपने स्टेट्स को शूटिंग्स रूल्स की पावर दे दी, तो मैंने पूछा है कि प्रोटैक्शन के लिए पिछले 3 वर्ष में क्या कार्यवाही की गई ?

मैं आपकी जानकारी के लिये यह कहना चाहूंगा कि आगरा और मेरठ फारेस्ट रेंज में पिछली बार 800 परमिट शूटिंग के लिए इश्यू किये गये हैं। यह छोटे से इलाके की बात है, पूरे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इसमें बड़े प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक लोग तो होते हैं, सरकारी अफसर भी होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मुरादाबाद में कमिश्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिन्टेंडेंट बिजनौर वगैरह थे। मैं कोई राग-द्वेष से नहीं कह रहा हूं। अभी हमारे इलाहाबाद के जो जज साहब मारे गये हैं, वह भी शिकार खेलने गये। एक बड़ी शंका पैदा होती है। मैं जानना चाहता हूं कि इन परमिटों के इश्यू करने का कोई क्राइटेरिया है या आप इस रूल में परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

आपने एलोकेशन आफ फंडज की बात कही है, कि 554 लाख रुपया 1974-79 के लिये था अब आपने 1980-85 मे छठी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उसे 1210 लाख रुपये कर दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इतने से फंड से यह सारी व्यवस्था हो सकेगी ?

जलपाई गुड़ी, सुन्दरवन और वाँकुरा के तमसाचारी डेड़पा के लिये एलोकेशन आफ फंड क्या किया है और इसमें कितना बढ़ाना चाह रहे हैं ?

सुन्दरवन में जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में तो मेरे पास इस वक्त इन्फार्मेशन नहीं है कि कितना-कितना पैसा दिया, लेकिन नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज के लिये सब्सीडी की स्कीम भारत सरकार की तरफ से 1978-79 तक तो 100 परसेंट है। 1978-79 में जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान यह स्कीम स्टेट्स को सौंपी गई और 50-50 के आधार पर इसमें सब्सीडी मिलती है। 50 परसेंट सैन्ट्रल गवर्नमेंट देती है और 50 परसेंट स्टेट्स को पूरा करना पड़ता है। 1973 से 1981 तक 2 करोड़ 34 लाख रुपये के करीब स्टेट्स को सब्सीडी दी गई, इन सारे नेशनल पार्क्स के लिये जिसमें 3 साल में नये बनाये गये का ब्यौरा मेरे साथी ने दे दिया।

इस साल 1981 के बाद 27 लाख रुपये और इस स्कीम में सब्सीडी के तौर पर दिये गये हैं। शूटिंग लाइसेंस देने के लिये रूल्स स्टेट गवर्नमेंट ने अपने-अपने बनाये हैं।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : क्यों बनाये हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उनका अख्त्यार है।

बहुत सी स्टेट्स ने कतन पाबन्दी लगा दी है कि कहीं भी शूटिंग नहीं होगी। 11 स्टेट्स

हैं जिन्होंने शूटिंग पर पाबन्दी लगाई है। उनमें आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, मेघालय, तमिलनाडु, सिक्किम, चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी, दादरा और नागरहवेली।

बाकी स्टेट्स में जो जानवर शिड्यूल-I में आते हैं, वह फुली प्रोटेक्टेड हैं, उनके लिये इजाजत नहीं है। बाकी शिड्यूल-II से लेकर शिड्यूल-4 तक जो जानवर हैं, उनके लिये स्टेट गवर्नमेंट अपना हाथ देखकर लाइसेंस देती है कि किस-किस चीज का शिकार कराया जा सकता सकता है, कहां कहां स्पैशीज की कितनी तादाद घटी है या बढ़ी है, उसके मुताबिक लाइसेंस इश्यू करती हैं। उसमें सैंट्रल गवर्नमेंट मना नहीं करती।

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या सरकार कानून में संशोधन करने पर विचार करेगी?

राव वीरेन्द्र सिंह : कानून पूरा बना हुआ है। इसमें खराबी क्या है, यह तो आप बताइए।

श्री राजेश कुमार सिंह : इसमें स्टेट गवर्नमेंटस को शूटिंग सम्बन्धी रूल बनाने का अधिकार दिया गया है। परमिट वगैरह गलत तरीके से इश्यू हो रहे हैं और पोचिंग बढ़ रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उसमें कानून की कमी नहीं है।

श्री जगदीश टाइटलर : मंत्री महोदय ने इस दलील को इस प्रकार लिया है यह राज्य का विषय है। किन्तु जहाँ तक राष्ट्रीय वन्य प्राणी, पक्षियों और जीव-जन्तुओं का सम्बन्ध है, वह राष्ट्रीत विषय है। जबकि मैं समझता हूं मंत्री महोदय ने कहा है कि शिकार चोरी अधिक नहीं की गई थी। उन्हें ठीक से सूचित किया गया था क्योंकि हम समाचार पत्रों और पुलिस रिपोर्टों से तस्करों के, जानवरों की खाल के साथ पकड़े जाने की बात सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि अधिक संख्या में शिकार-चोरी हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ, कि क्या अब तक सुस्थापित सभी आश्रय स्थलों पर मानव जीवन द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और उसके बाद हमारे कीमती वन्य प्राणियों के अस्तित्व में कमी आ रही है? यह भी सच है कि बहुमूल्य खाल, हाथी दांत और अन्य ऐसी वस्तुओं का तस्करों और शिकार-चोरों द्वारा शिकार-चोरी तस्करी करना भारत में स्थापित आश्रय स्थलों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसा न हो?

हाल ही में बिजनौर का एक मामला था, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सरकार और पुलिस अधिकारियों को जानवरों की शूटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जो कि रक्षात्मक है। जब आम स्थलों में जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कि सभी तरीकों से शूटिंग बिल्कुल रोक देनी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : शूटिंग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए यह एक सुझाव है। जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हम यह देखने के लिए सभी उपाय अपनाने की कोशिश करेंगे कि खतरे में पड़े जीवों की जातियों का कम से कम शिकार हो। हमने जो कदम उठाए हैं, उनमें से एक यह है कि हम खतरे में पड़े वन्य जीवों की जातियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

सम्मेलन में भाग लिया है। उस सम्मेलन के अंतर्गत, खतरे में पड़े जीवों की जातियों को मारने से उत्पन्न उत्पादों के निर्यात को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। करोड़ों रुपए मूल्य का सामान अभी भी पड़ा हुआ है। हमने उसके निर्यात के लिए अनुमति नहीं दी है। उस सम्बन्ध में हम बहुत दृढ़ है। (व्यवधान)

मैंने कभी इंकार नहीं किया कि शिकार चोरी नहीं होती है। हम अपने कार्य तंत्र को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमने राज्यों को अलग वन्य प्राणि विभाग खोलने के लिए कहा है। कुछ राज्य सरकारों ने उस पर पहले ही कार्यवाही कर दी है। हम अन्य राज्यों को यह सुझाव दे रहे है कि वे उस विषय पर अधिक ध्यान दें।

(व्यवधान)
(समाप्त)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रश्न संख्या 608।

श्री चित्त बसु : प्रश्न संख्या 616 संकेतात्मक है। कृपया उसे इस प्रश्न के साथ लीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या मुझे दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है या एक प्रश्न का ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने प्रश्न को रखा है, वे मेरी मदद कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : कृपया इसके साथ प्रश्न संख्या 616 को भी लीजिए क्योंकि वह प्रश्न संख्या 608 के समान है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या वह इसके समान है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह प्रश्न सदन में कई बार आया है। महोदय मैं पुनः इसका उत्तर दूंगा।

पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल

*608. **श्री सत्यसाधन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने एक उच्च अधिकार प्राप्त अध्ययन दल द्वारा पश्चिम बंगाल का दौरा कराने जाने और भारतीय खाद्य निगम की नीतियों से उत्पन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करने हेतु उनका ध्यान आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : पश्चिमी बंगाल के खाद्य मंत्री ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 1982 के पत्र में यह शिकायत की थी कि उनके अनुसार सितम्बर और अक्टूबर के दौरान वर्षा का अभाव होने, कुछ जिलों में कीट-आक्रमण तथा तूफानों से बर्बादी होने से उत्पादन में हानि होने के कारण पैदा हुई नाजुक

स्थिति की अवधि में भी भारतीय खाद्य निगम राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न सप्लाई करने में असफल रहा था।

(ग) केन्द्रीय खाद्य सचिव फरवरी, 1982 के दूसरे सप्ताह में कलकत्ता गए थे और उन्होंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री और पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव और भारतीय खाद्य निगम के स्थानीय अधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। पश्चिमी बंगाल राज्य में सार्वजनिक वितरण के सुचारू रूप से कार्य करने से संबंधित विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस तरह का प्रश्न चर्चा के लिए पहले आया है। मूल समस्या आबंटन की है। तब किस्म और वितरण का प्रश्न है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उनसे एक उच्च-शक्ति प्राप्त दल भेजने का अनुरोध किया है और उन्होंने अपना सचिव भेजा जिन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से चर्चा की थी। लेकिन उन्होंने उठाए गए कदमों का ठीक-ठीक उल्लेख नहीं किया, यद्यपि खाद्यान्न कमी अभी विद्यमान है। जैसा कि देखा गया बहुत कटौती की है। खाद्यान्नों की सप्लाई जुलाई में 3,55,000 टन की अपेक्षा जनवरी, 1982 में 2,20,000 टन के लगभग हुई। चावल और गेहूं दोनों में काफी कटौती हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी तरफ कोई कमी नहीं देखता।

एक माननीय सदस्य : वे दिल्ली में रह रहे है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह समस्या का एक भाग है। दूसरी बात यह है कि भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों को खाद्यान्न सप्लाई करने में समर्थ नहीं है, यद्यपि 355 ब्लाक उसमें शामिल हैं। हमारे पास सांविधिक राशन और संशोधित राशन है। अब खाद्यान्नों की सप्लाई में काफी कटौती होने से समस्या बढ़ गई हैं। दूसरी समस्या वितरण है। तीसरी समस्या है चावल के किस्म की, जिसे आपने सप्लाई किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 42 प्रतिशत सप्लाई किया गया चावल घटिया किस्म का हैं जिसकी खपत नहीं की जा सकती। यह बात आपके अधिकारियों और पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त निरीक्षण से पता चली है, किन्तु फिर भी यह राशन की दुकानों को सप्लाई किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल सरकार की जनता को उसके उपयोग करने हेतु बाध्य किया जाता है क्योंकि उनके पास संशोधित और सांविधिक राशन पर निर्भर रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आपने अपने उत्तर में कहा है कि कदम उठाए जा रहे हैं। आपने कौन से ठोस उपाय किए हैं ? इसका वितरण सुनिश्चित करने और उसकी किस्म में सुधार लाने के लिए सप्लाई में वृद्धि करने हेतु आपने क्या किया है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : इस वर्ष के आरम्भ में मैं कलकत्ता से गुजर रहा था, तो मुझे पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री मिले और उन्होंने मुझे उन कतिपय कठिनाइयों और समस्याओं की ओर संकेत दिया जिनका वे सामना कर रहे हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए एक केन्द्रीय दल की मांग नहीं की। मैंने स्वयं खाद्य सचिव को कलकत्ता का दौरा

करने, वहां दो दिन रुकने और समस्याओं का निदान करने के लिए कहा। यह हमारे द्वारा शुरुआत थी। खाद्य सचिव के दौरे के बाद सभी समस्याएं समाप्त हो गईं··· (व्यवधान)

पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य कभी-कभी यह प्रशंसा करते हैं कि हम पश्चिम बंगाल के लिए क्या कर रहे हैं। वे मात्र कुछ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं और इससे पूर्व वे हमेशा इसमें असफल हुए हैं। हर समय उन्होंने इसकी कोशिश की है···(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप इतने नाराज क्यों हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पश्चिम बंगाल में हमारे पास गेहूं का तीन महीना का भण्डार है। उन्हें पश्चिम बंगाल में चावल और गेहूं की दो महीने की सप्लाई भी मिली है। पिछली अवधियों की तुलना में पश्चिम बंगाल को गत कुछ महीनों में खाद्यान्नों का लदान एक रिकार्ड है। जनवरी में भी हमने 2,82,000 टन खाद्यान्न वहां भेजा है और फरवरी में 2,45,000 टन खाद्यान्न भेजा है।

श्री चित्त बसु : उनकी आवश्यकता कितनी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं उसकी सूचना भी दूंगा। महोदय, उनको प्रति माह 1,30,000 टन चावल का आबंटन किया जाता है और गेहूं का आबंटन·····

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पहले यह 1,75,000 टन था। हर समय मंत्री जी यही कह रहे हैं। यह रिकार्ड है। क्या आप इसे चुनौती दे रहे हैं ? ···(व्यवधान)

महोदय, मैंने आपको·····दिया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, वह स्पष्ट कर रहे हैं। उन्हें स्पष्ट करने दीजिये।···

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, गत वर्ष नवम्बर के अंत तक पश्चिम बंगाल की प्रति माह 1,75,000 टन चावल की मांग थी और हमने गत नवम्बर तक उतनी मात्रा का आबंटन किया था।

श्री चित्त बसु : गेहूं के बारे में क्या स्थिति है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आप गेहूं के लिए प्रतीक्षा करें। लेकिन पश्चिम बंगाल द्वारा गत वर्ष नवम्बर तक आबंटित की गई मात्रा में से अपने उपयोग के लिए उठाई गई मात्रा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। आप व्यवधान नहीं कर सकते हैं।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिंचाई की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

* 580 **श्री माधव राव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या मि० क्लासन की अध्यक्षता में विश्व बैंक के एक दल ने, जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था, उन अनेक सिंचाई योजनाओं का पुनरीक्षण किया जिनके लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है;

(ख) : यदि हाँ, तो दल ने किन योजनाओं का पुनरीक्षण किया; और

(ग) : क्या इसने राजस्थान नहर परियोजना का भी पुनरीक्षण किया था और यदि हाँ, तो उसको पूरा करने के लिए बैंक से और कितनी सहायता माँगी गई थी और दल की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया थी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुकर्जी) : (क) से (ग) : विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री ए० डब्ल्यू० क्लासन की हाल की यात्रा के दौरान, सिंचाई के विकास से संबंधित व्यापक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था, लेकिन किसी विशिष्ट सिंचाई परियोजना की समीक्षा नहीं की गई थी।

कोलावय लेक, तमिलनाडु में नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र

* 581. **श्री ईरा अन्नाबारासू : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में जिला चेंगलपुर में कोलावय लेक स्थान पर नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): (क)और (ख) सरकार नौसेना अकादमी को अपने वर्तमान स्थान कोचीन से किसी और अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने के बारे में विचार कर रही है। अनेक स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है जिनमें तमिलनाडु का चेंगलपुर नामक स्थान भी शामिल है। मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है और नौसेना अकादमी के लिए नए स्थान का निर्णय यथा समय कर लिया जाएगा।

महंगाई भत्ता रोकने सम्बन्धी प्रस्ताव का कर्मचारी संगठनों द्वारा विरोध

* 582. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री दयाराम शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कर्मचारी संगठनों ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1983 तक रोकने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों की आपत्तियां क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बड़ी संख्या में संगठनों ने 1-8-1981, 1-10-1981, 1-11-1981 और 1-1-1982 से देय महंगाई भत्ते की किश्तों की फरवरी, 1982 तक की बकाया राशि की अदायगी कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में किये जाने से संबंधित सरकार के निर्णय को स्वीकार कर लिया है। किन्तु कुछ कर्मचारी सगठनों ने इस आधार पर इसका विरोध किया है कि गत समय में की गई ऐसी कार्रवाई से आर्थिक स्थिति में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है बल्कि इससे कम आय वाले कर्मचारियों को कठिनाई ही हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विदेशों के पूंजी बाजार से ऋण लिया जाना

* 583. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विदेशों के पूंजी बाजारों से ऋण लिए जाने में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन सालों में कितना ऋण लिया गया और वर्ष 1982-83 में कितना ऋण लेने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) और (ख)—अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

त्रिवेन्द्रम और डोहा के बीच एयर इंडिया का सीधी उड़ान का प्रस्ताव

* 584. **श्री के0 ए० राजन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने त्रिवेंद्रम और डोहा के बीच सीधी उड़ान के लिये कातार उड्डयन अधिकारियों की अनुमति मांगी हैं;

(ख) : यदि हां, तो इस बारे में कातार उड्डयन अधिकारियों की सविस्तार प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या मंजूरी मिलने के तुरन्त बाद उड़ान सेवायें शीघ्र चालू की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित उड़ानों को कातार नगर विमानन प्राधिकारियों द्वारा इस शर्त पर क्लीयरेंस दी गयी थी कि उनके राष्ट्रीय वाहक, गल्फ एयर, को भी त्रिवेन्द्रम् तथा दोहा के बीच पारस्परिक आधार पर परिचालन अधिकार दिए जाएं। कातार के साथ मौजूदा अन्तर-सरकारी समझौते के अनुसार कातार की नामित एयरलाइन केवल बम्बई अथवा दिल्ली के लिये परिचालन कर सकती है, त्रिवेन्द्रम् के लिये नहीं।

(ग) चूंकि वर्तमान अन्तर सरकारी समझौते की शर्तों में एयर इंडिया को भारत में किसी भी प्वाइंट से दोहा से लिये परिचालन करने के अधिकार हैं इसलिये कातार नागर विमानन प्राधिकारियों द्वारा लगायी गयी शर्त उक्त समझौते के विपरीत है। इस मामले को कातार

सरकार के साथ उठाया गया है। जैसे ही कातार नगर विमानन प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित क्लीयरेंस दे दी जाएगी, एयर इण्डिया त्रिवेन्द्रम् तथा दोहा के बीच परिचालन करने पर विचार करेगी।

बरेली में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे का इण्डियन एयरलाइन्स/वायुदूत सेवाओं के लिए उपयोग किया जाना

*586. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली नगर के महत्व को देखते हुए कोई ऐसा प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है कि वहां पर भारतीय वायु सेना का हवाई अड्डा इंडियन एयरलाइन्स की नियमित उड़ानों के लिए उपलब्ध किया जाये;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बरेली को निकट भविष्य में वायुदूत सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्द प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स का बरेली के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम और कर्मचारियों/यूनियनों के बीच औद्योगिक विवादों का निपटान

*587 **श्री जगपाल सिंह** :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम और इसके कर्मचारियों/यूनियनों के बीच कितने औद्योगिक विवाद विभिन्न श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों में अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) कितने मामले तीन वर्षों से अधिक पुराने हैं;

(ग) क्या पर्यटन मन्त्रालय/भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों का विचार है कि जो मामले तीन वर्षों से अधिक पुराने हैं उनका परस्पर बातचीत करके निपटारा किया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) आई टी डी सी मैनेजमेंट की ऐसे मामलों में तब तक मुकदमा लड़ने की स्वाभावत: इच्छा नहीं होती जब तक कि उन्हें परस्पर बातचीत द्वारा निपटाने की संभावनाएं समाप्त न हो जाएं ।

वायु सेना को जगुआर लड़ाकू विमान का सौंपा जाना

*588. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पूरी तरह से 'असेम्बल' किया गया भारत का पहला जगुआर लड़ाकू विमान मार्च, 1982 के दौरान भारतीय वायु सेना को सौंपा जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई परीक्षण पहले ही कर लिया गया है और यह विमान हर पहलू से ठीक पाया गया है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारतीय वायु सेना को ऐसे कितने विमान सौंपे जायेंगे; और

(घ) प्रत्येक विमान पर कुल कितनी लागत आई है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) भारत में बने प्रथम जगुआर विमान का भारतीय वायु सेना को सौंपने से पूर्व उड़ान परीक्षण किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) इस समय 1985-86 तक 45 विमान देने का कार्यक्रम है । इस बारे में अधिक सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाया जाना

*589. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की दिशा में पांच अवस्थाओं में से दो अवस्थाएं पहले पार कर चुका है;

(ख) क्या आई० ए० ई० ए० के सूत्रों ने इस बात की भी पुष्टि की कि कराची के समीप "केनप्प" न्युक्लीय रियेक्टर प्लूटोनियम का उत्पादन कर सकता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का युद्ध के प्रयोजनों हेतु परमाणु का उपयोग न करने की नीति पर पुन: विचार करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान समृद्ध यूरेनियम और प्रयोग में लाये गए ईंधन को पुन: उपयोगी बनाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए बहुत जोरदार ढंग से कोशिश कर रहा है ।

(ख) कराँची के पास स्थित एक न्यूक्लीय रीयएक्टर वाई प्रोडेक्ट (उत्पादन) के रूप में प्लूटोनियम का उत्पादन कर रहा है जिसे प्रयोग में लाए गए ईंधन को पुन: उपयोगी बनाने से प्राप्त किया जा सकता है ।

(ग) सरकार परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के पालम माल कार्यालय में कथित गबन

* 590. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पालम माल कार्यालय में जनवरी, 1981 से जुलाई, 1981 की अवधि में भारी धनराशि का गबन किया गया है जैसा कि 27 नवम्बर 1981 के "इकानामिक टाइम्स" में "एम्बैजलमेंट एलीज्ड" (कथित गबन) शीर्षक समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त गबन कितनी धनराशि का था जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई है;

(ग) क्या 25 जनवरी, 1982 को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद में सरकार द्वारा नाम-निर्देशित सरकारी अधिकारी पूरे समय तक उपस्थित थे जबकि कथित गबन की राशि दर्शाने वाले सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श हो रहा था; और

(घ) क्या सरकार लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन तथा उपरोक्त कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही सभा पटल पर रखेगी, यदि हां, तो कब तक ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) पालम एयरपोर्ट के कार्गो कम्पलैक्स में ए ई पी सी कार्यालय के लेखाओं की अगस्त-सितम्बर, 1981 में ए ई पी सी के लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई जांच से पता चला कि 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक नकद रूपमें प्राप्त परिषद प्रभारों में से बैंक में 59,419 रु० की राशि कम जमा कराई गई। उक्त राशि में से 2180 रु० की राशि वसूल की गई और उसे बैंक में जमा कराया गया।

(ग) ए. ई. पी. सी. की कार्यकारिणी समिति की 25 जनवरी, 1982 को हुई बैठक में सरकार का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था जब कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया।

(घ) मैसर्स एस० पी० पुरी एण्ड कं० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 2 सितम्बर, 1981 तथा 23 जनवरी, 1982 की प्रतियां, 25.1.82 को हुई ए० ई० पी० सी० की कार्यकारिणी समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सहित संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

पर्यटन के विकास के लिये खाड़ी के देशों द्वारा भुगतान किया जाना

* 591. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारत सरकार की चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास के लिये खाड़ी देशों से कुछ धनराशि प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में राज्य सरकार के सहयोग से अथवा अन्य किसी गैर-सरकारी एजेंसी के सहयोग से कुछ और होटलों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये होटल किन-किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी कोई स्कीम नहीं है ।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम का उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से निम्नलिखित के निर्माण का प्रस्ताव है :—

(i) 134 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पुरी में 50 कमरे वाला 3-स्टार होटल ।

(ii) कोणार्क में बीच काम्पलेक्स-स्कीम तैयार की जा रही है ।

नये पर्यटक कार्यालय खोलना

* 592. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने ऐसे नये स्थानों में जहां अब तक पर्यटक कार्यालय नहीं खोले गये हैं, नये पर्यटक कार्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे कार्यालय किन-स्थानों में खोले जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र—असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के राज्यों की राजधानियों में भारत सरकार के नए पर्यटक कार्यालय खोले गए हैं ।

(ख) प्रस्ताव का मुख्य प्रयोजन पर्यटन के विकास और भारत तथा विदेशों में उनके संवर्धन और प्रचार हेतु आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना है ।

(ग) यह प्रस्ताव है कि हांग-कांग, कुआलालामपुर, काठमांडु, कोलम्बो और केराकस में तथा भारत के अन्तर्गत राज्यों की राजधानियों में जहां फिलहाल कोई कार्यालय नहीं है, नए कार्यालय खोले जाएं ।

चीनी उद्योग को ऋण की सुविधाएं

* 593 **श्री डी० एम० पुत्ते गोडा :**

श्री एम० एस० कृष्ण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि चीनी

के उत्पादन के उच्चतर स्तर को बनाये रखने और गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की अदायगी करने हेतु इस उद्योग के लिए अतिरिक्त वित्त साधनों का पता लगाने हेतु तेजी से कार्यवाही की जाये; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय चीनी मिल संघ ने चीनी का मौसम शुरू होने के समय यह सुझाव दिया था कि चीनी मिलों की बढ़ी हुई ऋण आवश्यकताओं की सामान्य जांच-पड़ताल तथा उनका मूल्यांकन किए बिना उनकी ऋण सम्बन्धी सीमाओं को उनके द्वारा पिछले वर्ष में की गई सबसे अधिक निकासियों के 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी जाय। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी थी कि वे चीनी मिलों की कार्यकारी पूंजी को रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकृति लिए बिना पिछले मौसम में अधिकतम उपयोग के 100 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाने की अनुमति दे दें और अलग-अलग मिलों के संबंध में उच्चतर सीमाओं के लिए उपयुक्त समय पर रिजर्व बैंक के साथ सम्पर्क करें। लेकिन मौसम के दौरान जिन बैंकों के पास अत्यधिक संख्या में विचाराधीन आवेदनपत्र पड़े थे, उन्हें रिजर्व बैंक ने तदर्थ उपाय के तौर पर आवेदन मिलों की ऋण सीमाओं को उनके द्वारा पिछले वर्ष में की गई सबसे अधिक निकासियों के 125 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावों की जांच-पड़ताल होने तक चीनी के उत्पादन में कोई रुकावट न आये।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सीमाओं के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में इस तारीख तक उनके पास जितने प्रस्ताव आए थे उन सबका उसने निपटान कर दिया है। चीनी मिलों की ऋण सीमाओं के बढ़ाये जाने के प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए रिजर्व बैंक ने ऋण प्राधिकरण योजना तंत्र के कार्य की रफ्तार तेज कर दी है। उन्होंने उन बैंकों को, जिन्हें नकदी निधि सम्बन्धी कठिनाई का अनुभव हो रहा था, विवेकाधीन वित्त प्रदान किया है ताकि वे चीनी उद्योग समेत, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उत्पादन संबधी ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सरकार और रिजर्व बैंक ने सदैव चीनी मिलों द्वारा गन्ने के सम्बन्ध में देय रकमों का शीघ्र भुगतान का सुनिश्चय करने के प्रयास किये हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया रकमों की अदायगियों की बेबाकी पर नजर रखें और यह सुनिश्चय करें कि वे न केवल उत्पादकों को अदायगी करने के लिए वे मिलों को ऋण दें बल्कि ऐसा प्रबन्ध करें जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सके कि गन्ना उत्पादकों को समुचित रकमें प्राप्त हों।

गुजरात में बैंकों द्वारा ऋण पर रोक लगाये जाने का औद्योगिक एककों पर प्रभाव

* 594. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बैंकों द्वारा लगाई गई सख्त ऋण रोक से बहुत से छोटे, मध्यम और बड़े औद्योगिक एकक संकट की स्थिति में पहुँच गये थे और इसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और वस्तुओं की आमद में बाधा पड़ी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंकों द्वारा वित्तीय सीमा में की गई कटौती से उद्योगों में कार्यशील पूंजी की जटिल समस्या पैदा हो गई और उनमें से कुछ उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं :

(ग) क्या सरकार का विचार ऋण नीति में रियायत बरतने और उद्योग तथा व्यापार के लिये धनराशि उपलब्ध कराने का है ताकि उत्पादन जारी रहे; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(ग) और (घ) मुद्रास्फीति के दबावों को रोकने और उत्पादन की वृद्धि को सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नियंत्रण के उपायों की बराबर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार नकदी भंडार अनुपात को बढ़ा कर 7.75 से 8 प्रतिशत करने का अंतिम चरण रोक दिया गया है और संबंधित बैंकों के समग्र संसाधनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मौसमी ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा विवेकाधार पर, पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है।

दक्षिण अमरीका के कैराकस में पर्यटन कार्यालय का खोला जाना

*595. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने नये क्षेत्रों से पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास में विदेशों में नए स्थानों पर पर्यटन कार्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण अमरीका में कैराकस भी उन नगरों में से एक है, जहां ऐसा कार्यालय खोला जाना है; और

(ग) यदि हाँ, तो अन्य और किन-किन स्थानों पर ऐसे कार्यालय खोले जाएंगे।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत और विदेशों में नए पर्यटक कार्यालय खोलने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) कैराकस के अलावा, हांग कांग, कुआला लामपुर, कोलम्बो और काठमांडु में कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

जूट उद्योग का अधिग्रहण

श्री नीरेन घोष :

*596. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के समूचे जूट उद्योग का अधिग्रहण करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो कब और तत्ससम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पटसन उद्योग मांग में मन्दी सम्बन्धी मूल समस्या का सामना कर रहा है। अतः देश तथा विदेश, दोनों में मांग को बढ़ाना है ताकि पटसन उद्योग के उत्पादन के लिए पर्याप्त विपणन निर्मम हो सके। इस अवस्था में समस्त उद्योग का अधिग्रहण करने पर विचार की अपेक्षा इसी प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा पटसन उद्योग के कार्यों और एन० जे० एम० सी० मिलों की संचालनात्मक कुशलता में समग्र सुधार करने हेतु अनेक उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि उससे पटसन उद्योग की मूल समस्याओं का समाधान नहीं हो पायेगा। इसके अलावा एक समय पर निवेश प्रयास में निरावृत्ति को रोकना भी आवश्यक है जबकि देश की विकासात्मक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पूंजी की कमी है और औद्योगिक नीति में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार सुव्यवस्थित आबंटन की आवश्यकता है।

दोहरे कराधान से बचने और कर अपवंचन को रोकने के लिए भारत और सीरिया के बीच करार

*597. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सीरिया ने दोहरे कराधान से बचने और कर अपवंचन को रोकने के लिए हाल ही में कोई करार किया था;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह करार कब से लागू होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : जी, हाँ। दोहरे कराधान के परिहार और आय पर करों के सम्बन्ध में वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत और सीरिया के बीच एक करार पर 5 मार्च 1982 को नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) यह करार तभी लागू होगा जब इस पर सरकारी स्तर पर हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे और दोनों देशों में कार्यविधि—संबंधी अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली जायेंगी। तब तक करार की विषय वस्तु को गोपनीय समझा जाता है।

निर्यात को प्रोत्साहन देने की नीति तथा संरक्षण दिए जाने की नीति को हतोत्साहित करने की नीति

*598. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अलुरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में मन्दी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने द्विपक्षीय समझौते द्वारा

निर्यात को प्रोत्साहन देने और धनी देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षण की नीति को हतोत्साहित करने की नीति अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार इस बात को पूर्ण मान्यता देती है कि विकसित देशों द्वारा किए गए संरक्षण वादी उपायों से हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । पिछले अनेक वर्षों में सरकार ने सुनियोजित नीतियों के जरिए निर्यातों को प्रोत्साहित करने की एक सतत नीति अपनाई है । हमारे निर्यातकों के सामने आ रहे अवरोधों पर काबू पाने के लिए हमारे निर्यातों को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ किए गये कुछ उपाय हैं, निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी आयात नीति का उदारीकरण 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख योजनाओं का चलाया जाना, निर्यात आयत बैंक का सृजन, निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर स्टील की सप्लाई, निर्यात उत्पादन को लाईसैंसशुदा क्षमता से बाहर समझना तथा क्षमता का स्वतः विस्तार । निर्यात अभियान के समर्थन के लिए यथा संभव रूप में कच्चे माल की सप्लाई, बिजली सप्लाई का विस्तार, आन्तरिक परिवहन तथा नौवहन सुविधाओं आदि जैसे अनुसंगी उपाय भी किए गये हैं । हमारे व्यापारिक साझीदारों के साथ वाणिज्यिक तथा आर्थिक सम्बन्ध संयुक्त आयोगों की स्थापना करके तथा द्विपक्षीय करार सम्पन्न करके सुदृढ़ किए गये हैं । भारत भी निर्यातों के संवर्धन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है और विकसित तथा विकासशील देशों के संभाव्य बाजारों का सर्वेक्षण करने के लिए विभिन्न अध्ययन दल भेजे जाते हैं । हाल के वर्षों में, हमारे इंजीनियरी, वस्त्र तथा चमड़े से बने सामान के लिए बाजार ढूंढने के लिए ऐसे अनेक सर्वेक्षणों तथा प्रदर्शनियों का संचालन किया गया है । भारतीय निर्यातकों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए संरक्षणवादी उपाय अपनाने वाली सरकारों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं निरन्तर की जाती हैं ।

2. भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में संरक्षणवादी उपायों को सुकर बनाने के लिए गाट तथा अंकटाट जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भूमिका अदा करता रहा है । बहु-रेशा प्रबंध पर वार्ताओं के दौरान भारत ने विकासशील देशों के बीच एक सहमति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और नवम्बर, 1981 में नई दिल्ली में महत्वपूर्ण वस्त्र निर्यातक विकासशील देशों की एक बैठक आयोजित की गई । बहु-रेशा प्रबंध के तत्वावधान में भारत इस वर्ष महत्वपूर्ण वस्त्र आयातक देशों के साथ द्विपक्षीय करारों पर वार्ताएं कर रहा है ।

3. विकासशील देशों से आयात रोकने के लिए कुछ विकसित देशों ने प्रतिकारी तथा डम्पिंग-रोधी शुल्कों का प्रयोग शुरू कर दिया है । हालांकि कुछ मामलों में शुल्क लगाये गए हैं, फिर भी जांच के आरम्भ का तथ्य स्वयं व्यापार विरोधी परिणाम रखता है । भारत के मामले में विकसित देश, जिन्होंने या तो प्रतिकारी या डम्पिंग-रोधी शुल्क लगाए हैं, अथवा इस प्रकार की जांचे कर रहे है, सं० रा० अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा है और जिन उत्पादों पर

प्रभाव पड़ा है उनमें कुछ इंजीनियरिंग, चमड़ा तथा रसायन मदें शामिल हैं। इन समस्याओं को कूटनीतिक माध्यमों द्वारा द्विपक्षीय रूप से और जहाँ उचित हो, वहाँ गाट के बहुपक्षीय मंच द्वारा हल किया जा रहा है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि प्रतिकारी तथा डम्पिंग-रोधी शुल्कों के क्षेत्र में बहुपक्षीय तौर पर सहमति प्राप्त गाट प्रक्रियाओं तथा नियमों को हमारे निर्यातों पर एक औचित्यपूर्ण शुल्कों के रूप में लगाये जाने से पूर्व सम्बन्धित विकसित देशों द्वारा अपनाया जाए।

4. पिछले वर्ष सं० रा० अमरीका की सरकार ने भारत के खिलाफ उपदान तथा प्रतिकारी शुल्क सम्बन्धी गाट करार के अप्रयोजनीय खण्ड शामिल किया जिसके परिणामस्वरूप भारत उस देश को भारत से शुल्क योग्य उत्पादों के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाये जाने से पूर्व सं० रा० अमरीका में क्षति परीक्षण के लिए पात्र नहीं था। द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद इस समस्या का समाधान सितम्बर 1981 में किया गया।

रुई की खरीद

599. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा रुई की फसल (1981-82) के दौरान कितनी रुई खरीदी गई; और

(ख) यह रुई किस दर पर और किस राज्य से खरीदी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) चालू रुई सीजन 1981-82 के दौरान, काटन कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने महाराष्ट्र के सिवाय विभिन्न रुई उत्पादक राज्यों से 28.3.82 की स्थिति के अनुसार रुई की लगभग 7.28 लाख गाँठों की खरीद की है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

चालू रुई सीजन 1981-82 के दौरान काटन कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा 28.3.1982 की स्थिति के अनुसार अदा की गई राज्य-वार कीमतें निम्नलिखि हैं।—

राज्य	किस्म	(कीमत रु० प्रतिक्विंटल) कीमतें
पंजाब	देशी	481/444
	जे-34	522/464
	एफ-414	532/480
हरियाणा	देशी	475/434
	जे-34	513/455

राजस्थान	देशी	485/456
	जे-34	520/460
	इग्गती	542/528
	सीओ 2	433/428
	30-एफ	577/538
	दिग्विजय	526/495
मध्य प्रदेश	ए1/9	562/508
	वाइ-1	560/493
	एच-4	577/506
	1007	568/494
	वी. लक्ष्मी	546/416
	सी टीआई	519/421
	7/3	537/304
उत्तर प्रदेश	जे-34	511/487
गुजरात	एस।4	605/453
	दिग्विजय	563/405
	सीओ 2	473/432
	सीजे-73	615/602
आन्ध्र प्रदेश	एमसीयू-5	529/475
	एच-4	616/527
	1007	569/487
	वी. लक्ष्मी	515/475
कर्नाटक	विनीर	609
	एच-420	643/637
	वी. लक्ष्मी	541/477
	जयधर	497/366
	हम्पी	400/390
	लक्ष्मी	390/334
तमिलनाडु	एमसीयू-5	608/497
	एमसीयू-7	551
	वी. लक्ष्मी	511/461

राज्यों की ओवरड्राफ्ट की स्थिति

*600. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1982 को प्रत्येक राज्य को ओवरड्राफ्ट की प्रद्यतन स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : 25 मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार, जो कि सबसे बाद की वह तारीख है जिसके बारे में 31 मार्च, 1982 को सूचना उपलब्ध थी, राज्यों के ओवर-ड्राफ्टों की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

25-3-1982 की स्थिति के अनुसार राज्यों के ओवरड्राफ्टों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।

	(करोड़ रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	4.04
2. असम	69.98
3. बिहार	11.79
4, गुजरात	71.79
5. हरियाणा	55.04
6. हिमाचल प्रदेश	30.37
7. कर्नाटक	23.42
8. केरल	91.18
9. मध्य प्रदेश	108.73
10. महाराष्ट्र	77.40
11. मणिपुर	52.39
12. मेघालय	5.74
13. नागालैण्ड	9.88
14. उड़ीसा	21.08
19. पंजाब	133.92
16. राजस्थान	334.05
17. त्रिपुरा	26.07
18. पश्चिम बंगाल	321.55
जोड़ :—	1448.12

कम्पनियों की सावधि जमा योजनाओं पर पूंजी निवेश बन्धपत्र योजना का प्रभाव

* 601. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की आसंका है कि हाल ही में घोषित की गई पूंजी निवेश बंध-पत्र योजना से गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में सावधि जमा योजना से धनराशि निकाल ली जाएगी और इसका स्टाक बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो गैर-सरकारी क्षेत्र के उचित विकास और इसके संसाधनों में कमी न आने देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रस्तावित निवेश बंध पत्रों की परिपक्वता और उनसे प्राप्त होने वाले प्रतिफल के स्वरूप में काफी अधिक अन्तर होता है इनसे दूसरे प्रकार के निवेशों जैसे कि सावधि जमा धनराशियों और कम्पनियों के शेयरों में किये गये निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। इस प्रकार उदाहरण के लिए, पूंजी निवेश बन्धपत्रों की परिपक्वता अवधि दस वर्ष होगी जबकि कम्पनियों के पास रखी सावधि जमा धनराशियों की अवधि छः महीने से तीन वर्ष तक होती है। इसी प्रकार, शेयरों के पूंजी मूल्यों में मूल्य वृद्धि की संभावना होती है जबकि पूंजी निवेश बन्धपत्रों में मूल्यवृद्धि नहीं होती। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि निजी बचतों का निवेश शेयरों और जमा धनराशियों से भिन्न परिसंपत्तियों (अर्थात् वास्तविक सम्पदा) में किया जाता है और अर्थव्यवस्था में बचतों की कुल धनराशि बढ़ रही है। बजट में बचतों और निवेश को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रस्ताव हैं, और इस समय यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पूंजी निवेश बन्धपत्रों के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध अवश्यंभावी रूप में कमी होगी।

तिस्ता बांध परियोजना के लिए अतिरिक्त राशि हेतु अनुरोध

* 609. **श्री सुबोध सेन** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल में तिस्ता बाँध परियोजना के संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें कार्य स्थिति को आगामी बाढ़ से पूर्व सुरक्षित स्तर तक ले जाने के लिये योजनागत बजट उपबन्ध के अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) जी, हाँ। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने वर्ष 1981-82 के लिए 10 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता देने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल के अलावा, कई अन्य राज्यों ने भी सिंचाई परियोजनाओं के लिए अग्रिम योजना सहायता देने का अनुरोध किया था। परन्तु संसाधनों की तंगी के कारण, इस वर्ष के दौरान किसी भी राज्य को मांगी गई सहायता देना संभव नहीं था।

पान का उत्पादन

*610. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पान उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में पान का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) पान का उत्पादन असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात व संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में किया जाता है।

(ख) से (घ) जी, हाँ।

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्न छः विश्वविद्यालयों में पान रोग सम्बन्धी एक समन्वित अनुसंधान परियोजना मंजूर की है :—

1. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ परिसर, कर्नाटक।
3. उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।
4. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर।
5. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय।
6. महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी, महाराष्ट्र।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सस्यविज्ञान सम्बन्धी पद्धतियों का स्तर निर्धारित करके पान की खेती में सुधार करने के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तैयार की है।

(3) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् भी पान बेल के पौदारोपण के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहा है।

मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और डेरी फार्मिंग के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता

*611. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और डेरी फार्मिंग के लिए कितने प्रतिशत छूट दी गई है और उन जिलों के क्या नाम हैं जहां इस तरह की छूट दी गई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक मामले में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि की सहायता दी गई;

(ग) क्या एक निजी फार्म स्थापित करने के लिए भी इसकी छूट दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं तो यह छूट किन शर्तों पर दी जाती है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे/सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को दी जाने वाली राज सहायता की दरें निम्नलिखित हैं :—

घटक	छोटे कृषक	सीमांत कृषक	भूमिहीन कृषक
1. कुक्कुट उत्पादन 2. सूअर उत्पादन	25 प्रतिशत	$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत	$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत
3. संकर प्रजनित	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	$66\frac{2}{3}$ प्रतिशत

बछड़ा पालन

तालाबों को सुधारने तथा उनको नया रूप देने के लिए 25 प्रतिशत राज सहायता जिसकी अधिकतम सीमा प्रति हेक्टार 2500 रुपये है, और मत्स्य पालन के लिए प्रथम वर्ष के निवेश के लिए 25 प्रतिशत की राज-सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति हेक्टार 312.50 रुपये है, दी जाती है ।

उत्तर प्रदेश में विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम और मत्स्य पालन विकास के क्रियान्वयन के लिए चुने गए जिलों के नामों का विवरण सभा-पटल पर रख दिए गए हैं ।

(ख) 1. वर्ष 1979-81 के दौरान विशेष पशुधन का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मुक्त की गई केन्द्रीय धनराशि ।

(लाख रुपये)

1. सुअर पालन 2. कुक्कुट पालन 3. भेड़ पालन	197.61
4. संकर प्रजनित ओसर बछड़ों का पालन	17.50
2. मत्स्य पालन (विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत)	27.067

(ग) और (घ)

1. विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम

संकर प्रजनित बछड़ा पालन और कुक्कुट, सुअर पालन और भेड़ उत्पादक एककों के लिए छोटे/सीमाँत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को राज-सहायता दी जाती है ।

2. मत्स्य पालन कार्यक्रम

राज-सहायता उन मछली पालकों को दी जाती है, जिन्होंने ग्राम सभा के तालाब दस या अधिक वर्षों के लिए पट्टे पर लिए हैं ।

विवरण

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और मत्स्य पालन के विकास के लिए चुने गए जिलों के नाम।

1. विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम :

(क) कुक्कुट पालन

1. मुरादाबाद	2. गोरखपुर	3. इलाहाबाद	4. वाराणसी
5. मिर्जापुर	6. लखनऊ	7. मेरठ, और	8. कानपुर

(ख) सुअर पालन

1. मेरठ 2. प्रतापगढ़ 3. बदायूं

(ग) बछड़ा पालन :

1. लखनऊ	2. कानपुर	3. राय बरेली	4. मथुरा
5. मुजफ्फर नगर	6. प्रतापगढ़	7. मेरठ।	

2. मत्स्य पालन

1. बदायूं	2. मेरठ	3. लखनऊ	4. उन्नाव
5. राय बरेली	6. फैजाबाद	7. गोंडा	8. बाराबंकी
9. प्रतापगढ़	10. सुल्तानपुर	11. गोरखपुर	12. बस्ती
13. देवरिया	14. आजमगढ़	15. वाराणसी	16. गाजीपुर
17. बलिया	18. जौनपुर	19. इलाहाबाद	

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

* 612. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर सप्लाई हेतु चुनी गई आवश्यक वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ख) जनता द्वारा आम उपयोग में लाई जाने वाली ऐसी अन्य वस्तुएं कौन-कौन सी हैं, जिनकी सप्लाई कम है और जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित मूल्यों पर सप्लाई करने पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल तथा सॉफ्ट कोक वे वस्तुयें हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से नियत मूल्यों पर बिक्री

हेतु निर्धारित की गई हैं । इसके अलावा सहकारी समितियों और राज्य सरकारों द्वारा मंजूर-शुदा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से नियंत्रत कपड़ा भी पूर्व निर्धारित मूल्यों पर बेचा जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नियत मूल्यों पर बिक्री के लिए आम खपत की किसी अन्य वस्तु को शामिल करने की छूट है, जिनकी अधिप्राप्ति की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होती है ।

किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

* 613. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान किराया नियंत्रण अधिनियम में कमियां होने के कारण निजी मकान निर्माण गतिविधियों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और किरायेदार अधिनियम के अनुचित उपबन्धों का लाभ उठा रहे हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिनियम में जीवन निर्वाह व्यय के बढ़ते हुए सूचकांक को देखते हुए किरायों में उपयुक्ति वृद्धि करने और उसका आवधिक समायोजन करने का उपबन्ध नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का है जिससे मकानों के निर्माण पर लगाए गए धन पर पर्याप्त लाभ मिल सके और वास्तविक मामलों में शीघ्र बेदखली कराई जा सके; और

(घ) यदि, हाँ; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के कतिपय प्रस्ताव सरकार के बिचाराधीन हैं ।

महाराष्ट्र में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

* 614. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का पुनरीक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त कृतिक दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो कृतिक दल के मुख्य सुझाव क्या हैं; और

(ग) उन पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) अकेले

महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का पुनरीक्षण करने हेतु किसी कार्यदल की नियुक्ति नहीं की गई थी। तथापि, देशभर में अन्य बातों के साथ-साथ, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र का पुनरीक्षण करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया था। इस कार्य दल ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

कार्य दल की मुख्य सिफारिशें

1. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जिनके व्यापक रूप में एक जैसे उद्देश्य हैं, के बीच वर्तमान परस्पर व्यापन को समाप्त किया जाए। मरुभूमि विकास कार्यक्रम को ऐसे मामलों में (कच्छ को छोड़कर, जहां सूखाग्रस्त कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना चाहिए) एकमात्र कार्यक्रम के रूप में चलाया जाना चाहिए।

2. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार होने चाहिए :

(क) क्षेत्र के भू-जल-जलवायु, स्रोत के आधार पर शुल्क भूमि पर अधिक उत्पादी खेती को विकसित करना;

(ख) क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास और उनका उत्पादी उपयोग;

(ग) भूमि तथा नमी संरक्षण जिसमें भूमि के उचित उपयोग की पद्धतियों का विकास शामिल है;

(घ) वनरोपण जिसमें फार्म-वानिकी शामिल हैं; और

(ङ) पशुधन विकास जिसमें चरागाह विकास और चारे के स्रोत शामिल हैं।

3. प्रत्येक क्षेत्र के लिए जल बजट सुनिश्चित करने हेतु नियमित अन्तक्षेत्रीय अध्ययन किए जाने चाहिए तथा अधिक उत्पादी फसल पद्धति के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्येक कार्य में अनुसंधान और विस्तार प्रयत्नों का आपस में समन्वय किया जाना चाहिए।

4. चरागाह क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने तथा चरागाह के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी को रोकने पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है।

5. सार्वजनिक भूमि पर वनरोपण के अलावा, लोगों की सीमान्त तथा उप-सीमान्त भूमि पर वनरोपण के विकास पर अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता है। ठण्डे रेगिस्तानों में वानिकी अनुसन्धान तेज किये जाने चाहिए।

6. रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीलों को जमाने की आवश्यकता है जहाँ रेतीले क्षेत्र निजी स्वामित्व के अधीन है, वहाँ भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर ली जानी चाहिए।

7. डेरी विकास के लिए सहायता अधिमानत निम्न स्तर की गतिविधियों से सम्बन्धित

होनी चाहिए तथा प्रोसेसिंग, परिवहन तथा विपणन के लिए सहायता कम की जानी चाहिए।

8. वर्षा के जल का संचयन करने तथा उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु उपयोग करने के कार्य को अग्रता दी जानी चाहिए। खुदे कुओं के लिए दिया जाने वाला उपदान जारी रहना चाहिए।

9. सिंचाई संभाव्यता का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

10. भूमि संरक्षण एक अग्रता वाला कार्यक्रम ही रहे परन्तु परियोजना निधियों का प्रयोग ऋण देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भूमि के उपयोग हेतु एक उपयुक्त नीति तैयार की जानी चाहिए।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में निकट का सम्पर्क होना चाहिए।

12. विभिन्न जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अलग से प्रबन्ध होने चाहिए।

13. राज्य सरकारों द्वारा (क) विभिन्न परियोजनाओं में विशिष्ट कार्यक्रम गतिविधियों और (ख) एक परियोजना में सम्पूर्ण कार्यक्रम का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर, कार्यान्वयन का नियमित प्रबोधन किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का निर्धारण करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों को विभिन्न परियोजना क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन के ब्यौरे निश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में अनुभवी व्यक्तियों के दल गठित करने चाहिए।

14. मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होने चाहिए। तथापि, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन प्रति खण्ड 15 लाख रुपये की दर से दिये जाते रहने चाहिए। व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर आधार पर बांटा जाता रहना चाहिए।

15. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को 13 राज्यों में 69 जिलों के 511 खण्डों में चलाया जाना चाहिए। मरुभूमि विकास कार्यक्रम को 5 राज्यों में 21 जिलों के 126 खण्डो में चलाया जाना चाहिए।

केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न की सप्लाई

* 616. **प्रो० रूप चन्द पाल :**

श्री रेणुपद दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई विगत मास 3,55,000 टन से घट कर केवल 2,20,000 टन रह गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उसे प्रति मास वस्तुतः कितनी सप्लाई की गई है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल को समय पर खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल को जुलाई, 1980 तक 3,56,000 मीटरी टन गेहूं और चावल का आवंटन किया जाता था। इसमें संशोधन कर अगस्त, 1980 से नवम्बर, 1981 तक 2,61,000 मीटरी टन और दिसम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 तक 2,20,000 मीटरी टन कर दिया गया था। इसे मार्च, 1982 में बढ़कर 2,25,000 मीटरी टन कर दिया गया था। उपलब्ध स्टाक का सूझ-बूझ के साथ प्रबन्ध करने की आवश्यकता और अतीत में उठान की प्रवृत्तियों को ध्यान में रख कर गेहूं के आवंटन का युक्तियुक्तकरण करने के कारण अधिकांशत: ये अन्तर आए थे।

(ग) राज्य सरकार इस समय प्रति मास कुल 3,30,000 मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन करने की मांग कर रही है।

(घ) एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट), जिसमें 1980 और 1981 के वर्षों के दौरान गेहूं और चावल के मासवार आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3842/82]

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के राज्य में स्थित गोदामों में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक रखा जाता है ताकि केन्द्रीय पूल से राज्य सरकार को आवंटित किए गए खाद्यान्न सुलभ किए जा सकें। स्टाक की भरपाई करने के लिए राज्य को प्रत्येक मास नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजे जाते हैं।

वृक्ष काटे जाने के बारे में गठित समिति की रिपोर्ट

*617. **श्री मवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृक्षों के काटे जाने के प्रश्न की जाँच करने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या सरकार वन प्रबन्ध नीति में कतिपय परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने वृक्षों के काटे जाने के प्रश्न की जांच करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार राष्ट्रीय वन नीति का संशोधन करने पर विचार कर रही है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में भूमिहीन लोगों में वितरित फालतू भूमि

*619. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री रशीद मसूद : क्या ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध फालतू भूमि में से कितनी भूमि भूमिहीनों में वितरण के लिये अब तक (राज्यवार) अधिगृहीत की गई है और शेष भूमि अधिगृहीत करने में क्या कठिनाइयां हैं;

(ख) अधिगृहीत भूमि में से कितनी भूमि अब तक भूमिहीनों में वितरित की गई है और शेष भूमि वितरित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) अधिगृहीत भूमि में से कितनी भूमि खेती करने योग्य नहीं पाई गई है और सरकार का विचार इस भूमि का किस प्रकार निपटान करने का है; और

(घ) शेष भूमि कब तक अधिगृहीत किये जाने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों के अन्तर्गत बिहार में लगभग 2.33 लाख एकड़ और उत्तर प्रदेश में लगभग 2.83 लाख एकड़ फालतू घोषित की गई भूमि में से क्रमश: 1.44 लाख एकड़ तथा 2.60 लाख एकड़ भूमि को कब्जे में ले लिया गया है। शेष भूमि को कब्जे में लेने हेतु आने वाली मुख्य कठिनाई अदालतों में लम्बित पड़े मामले हैं।

(ख) कब्जे में ली गई फालतू भूमि के वितरण में प्रगति को दोनों में से किसी भी राज्य में असंतोषजनक नहीं समझा जा सकता है। बिहार में, कब्जे में ली गई लगभग 1.44 लाख एकड़ भूमि में से लगभग 1.38 लाख एकड़ भूमि वितरित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी कब्जे में ली गई लगभग 2.60 लाख एकड़ भूमि में से 2.32 लाख एकड़ भूमि वितरित कर दी गई है। इन राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को अभी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) उत्तर प्रदेश में लगभग 4,700 एकड़। इसमें से कुछ भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग रखा जाएगा और शेष भूमि को इस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार अधिक उपयुक्त समझे।

(घ) चूंकि अधिग्रहण न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटाए जाने पर समाश्रित है अत: कोई समयावधि बताना कठिन है।

मरुस्थल में विकास कार्यक्रम

*620. **श्री पी० नामग्याल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मरुस्थलों में विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों के नाम क्या हैं तथा वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिये जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विशेष संदर्भ में इन कार्यक्रमों के

अन्तर्गत कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा प्रत्येक राज्य के लिये वास्तव में कितनी-कितनी राशि दी गई है;

(ख) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लेह और कारगिल जिलों के लिये वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए पृथक-पृथक कुल कितनी राशि निर्धारित की गई और कितनी खर्च की गयी;

(ग) लेह और कारगिल जिलों के लिये, पृथक-पृथक चालू वित्त वर्ष के लिए कुल कितनी राशि देने का प्रस्ताव है;

(घ) उपरोक्त दोनों जिलों में इसके वितरण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार लद्दाख क्षेत्र में योजनाओं के सम्बन्ध में हुई प्रगति से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (विवरण-1)।

(ख) व (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (विवरण-2)।

(घ) दोनों जिलों में से प्रत्येक जिले में 5 खण्ड हैं। हर जिले को प्रति वर्ष 15.00 लाख रुपये प्रति खण्ड के आधार पर निधियां आवंटित की जाती है।

(ङ) यह कार्यक्रम लगभग 4 वर्षों से कारगर ढंग से चल रहा है। मूल्यांकन करने से पहले इस प्रकार के कार्यक्रम को काफी समय तक चलाना पड़ेगा।

विवरण-1

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का बंटन।

(लाख रुपये में)

राज्य	1980-81		1981-82	
	अधिकतम पात्रता†	वास्तविक रूप में गठित धनराशि	अधिकतम पात्रता	वास्तविक रूप में बंटित धनराशि
1. गुजरात	82.50	74.135	82.50	81.720
2. जम्मू तथा कश्मीर	75.00	47.36	75.00	24.275
3. हिमाचल प्रदेश	25.00	50.00††	25.00	25.00† ††
4. हरियाणा	195.00	129.895	195.00	152.500
5. राजस्थान	630.00	496.945	630.00	507.650
योग	1007.50	798.335	1007.50	791.145

† राज्य में कार्यक्रम के अधिकतम आकार को दर्शाता है।

†† इसमें वर्ष 1981-82 के लिए 25.00 लाख रुपये का अग्रिम बंटन शामिल है।

††† वर्ष 1982-83 के लिए 25.00 लारू रुपये के अग्रिम बंटन को दर्शाता है।

विवरण-2

लेह तथा कारगिल जिलों में कार्यक्रम का आकार तथा व्यय

(लाख रुपये में)

जिला	1980-81		1981-82	
	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5
लेह	85.00	40.44	68.72	38.23()
कारगिल	85.00	39.89	56.05	21.47())
योग	170.00	80.33	124.77	60.70

() 31 दिसम्बर, 1981 तक

)() 30 सितम्बर, 1981 तक

नगरीय कार्य संस्थान का प्रतिवेदन

*621. **श्री चित्त बसु** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर निगमों और नगरपालिकाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई नागरिक सेवाओं के स्तर के बारे में नगरीय कार्य संस्थान के हाल ही के प्रतिवेदन का इस बीच अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किये गए हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) : भारत में स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों की तुलना में नागरिक सेवाओं के स्तर का अध्ययन निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा गया है। संस्थान ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरकों का वितरण

*622. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी समितियों के माध्यम से कितने प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि उर्वरकों के वितरण पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए

केन्द्रीय सरकार सहकारी समितियों को उर्वरक वितरण पर जो लाभ लेने की अनुमति देती है वह अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी समितियों को काफी हानि उठानी पड़ती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्यप्रदेश के "स्टेट मार्केटिंग एसोसियेशन" और "कोआपरेटिव मार्केटिंग आर्गनाइजेशन" को उर्वरकों के लिए मिलने वाले अपर्याप्त लाभ के कारण उर्वरकों के वितरण में भारी हानि उठानी पड़ी थी और क्या इससे उर्वरक बितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश ने उर्वरक वितरण पर लाभ बढ़ाने हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) 1980-81 के दौरान देश में लगभग 46 प्रतिशत उर्वरकों के वितरण सहकारी समितियों तथा अन्य संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से किया गया था ।

(ख) जून, 1981 में सरकार ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के परामर्शदाता को उर्वरकों के वितरण मार्जिन के बारे में गहन अध्ययन करने का कार्य सौंपा था । उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । इस बीच, 1975 में सहकारी समितियों के लिए निर्धारित मार्जिन राशि को अगस्त, 1981 में तदार्थ आधार पर लगभग 22 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था । वर्तमान मार्जिन की पर्याप्तता अथवा अन्यथा का मूल्यांकन परामर्श दाता की रिपोर्ट मिलने पर ही किया जाएगा ।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से पता चलता है कि उन्हें उर्वरकों के वितरण में कुछ नुकसान उठाना पड़ा । तथापि, उनके द्वारा वितरित की गई उर्वरकों की मात्रा में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। किसी बाणिज्य संगठन का लाभ अथवा नुकसान कई घटकों पर निर्भर करता है और यह केवल एक जिन्स के वितरण मार्जिन पर ही निर्भर नहीं करता ।

(घ) तथा (ङ) : प्रत्येक उर्वरक के लिए वितरण मार्जिन की मात्रा अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित की जाती है और यह भिन्न भिन्न नहीं होती है । मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने अपनी वितरण लागत से सम्बन्धित आंकड़े परामर्शदाता को भेज दिए हैं । परामर्शदाता की रिपोर्ट मिलने पर सरकार इस मामले की जाँच करेगी ।

कपास की खेती

*623. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कपास की खेती बढ़ाने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने उड़ीसा में राज्य की कताई मिलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रुई का अधिक उत्पादन करने हेतु क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) :उड़ीसा में एक केन्द्रीय प्रायोजित सघन कपास विकास कार्यक्रम 1974-75 से चल रहा है, जिसके अन्तर्गत स्टाफ, आनुषंगिक व्यय प्रदर्शनों पर राजसहायता तथा प्रजनक एवं आधारी बीजों के उत्पादन के व्यय की व्यवस्था की जाती है। राज्य में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, छः वर्षों (1974-75 से 1979-80 तक) के दौरान औसत वार्षिक उत्पादन 5230 गांठों तक पहुंच गया, जबकि इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले के छः वर्षों (1968-69 से 1973-74 तक) के दौरान औसत वार्षिक उत्पादन 560 गांठें था।

दालों के मूल्यों में वृद्धि

*624 **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दालों के खुदरा मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या यह सच है कि दालों के थोक मूल्यों और खुदरा मूल्यों में काफी अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि जन साधारण को निर्धारित मूल्य पर दालें उपलब्ध हो, सरकार का क्या प्रबंध करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :(क) जी नहीं। दलहन के फुटकर मूल्यों में गिरावट आ रही है।

(ख) दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य की योजनाओं तथा केन्द्रीय एवं केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में ये बातें शामिल हैं : उन्नत पद्धतियों का प्रदर्शन, अच्छे बीजों का प्रसार, समेकित कीट प्रबन्ध, दलहन के तहत सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना, उड़द, मूंग आदि की अल्पावधिक किस्मों के तहत आने वाले क्षेत्र में विस्तार तथा सिंचित एवं असिंचित दोनों परिस्थितियों के अन्तर्गत सोयाबीन, बाजरा, कपास, मूंगफली में अरहर की अन्त: फसल।

1981-82 के दौरान पहली बार दलहन का मिनिकिट कार्यक्रम आरम्भ किया गया था और 63,444 मिनिकिट वितरित किए गए थे। उत्पादकता वर्ष 1982 तथा नए 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कार्यकारी कार्यक्रम के तहत अभी हाल में तैयार किए गए उत्पादन सम्बन्धी नीति में कार्यों की व्यवस्था है :—(1) सिंचित फसल चक्र में दलहन उत्पादन, (2) बेहतर नयी संरक्षण, अधिक वैज्ञानिक पौध सघनता, वनस्पति रक्षण तथा कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी जैसे उपाय करके वर्षा सिंचित परिस्थितियों में पैदा किए जाने वाले दलहन की उत्पादकता में वृद्धि करना; और (3) मिश्रित सस्य पद्धतियों में पैदा किए जाने वाले दलहन के प्रबन्ध में सुधार करना।

चूंकि दलहन के तहत का केवल लगभग 8 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है और इन फसलों

को मुख्यतया बारानी खेती की परिस्थिति के अन्तर्गत ही पैदा किया जाता है, अतः इसकी उपज कम होती है। तथापि, ग्रीष्म मूंग की खेती की प्रगति तथा अरहर की नई किस्मों का पता लगने से उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होने की आशा है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों तथा सामान्यतः अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण दलहन का उत्पादन 1979-80 के 85 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1980-81 में 112 लाख मीटरी टन हो गया तथा 1981-82 में बढ़कर लगभग 120 लाख मीटरी टन होने की संभावना है।

(ग) सामान्यता थोक मूल्यों में गिरावट आने से फुटकर मूल्यों में भी कमी होती है, जिसमें कुछ समय लग जाता है। हाल के महीनों में इस अन्तराल में कमी आई है।

(घ) सामान्यता दलहन उचित मूल्यों पर उपलब्ध होते हैं, परन्तु कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें सहकारी समितियां भी शामिल हैं, के माध्यम से दलहन की सीमित मात्रा की बिक्री की जाती है।

फसल कटाई के बाद खाद्यान्न की हानि

*294. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष अरबों रुपये मूल्य का 120 लाख टन खाद्यान्न कीड़ों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है अथवा फसल कटाई के बाद खाद्यान्न के खेतों से उपभोक्ता तक पहुँचने की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की भारी बर्बादी को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाएंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कटाई करने के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की हानि होती ही है। तथापि ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कटाई के बाद हानि को कम करने के लिए दोनों फार्म स्तर पर और भण्डारण के अन्य स्थानों पर सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. अन्न सुरक्षा अभियान— किसानों को आधुनिक भण्डारण विधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित और शिक्षित करना।
2. वैज्ञानिक भण्डारण के तरीकों के बारे में किसानों और विस्तार कामगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. भण्डारण बिन तैयार करना और उनका वितरण करना।
4. भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों ने वैज्ञानिक भण्डारण गोदामों का निर्माण कर और उनके द्वारा भण्डारित खाद्यान्नों के बारे में वैज्ञानिक भण्डारण के लिए उपाय करने विषयक काय शुरू किए हैं।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

*302. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** 8 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3400 और 12 जनवरी, 1976, के अतारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच से यह बात उजागर हुई है कि तुलनपत्र में स्पष्ट न किये गये अन्तरों से सम्बन्धित मात्रा में से 755 मीट्रिक टन तेल खुले बाजार में बेचा गया था, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या 32812 मीट्रिक टन तेल को वनस्पति का उत्पादन न करने के लिये साबुन का निर्माण करने हेतु परिष्कृत ट्राइग्लेसिराउड हार्ड आयल में परिवर्तित कर दिया गया था;

(ग) क्या उपर्युक्त तेलों को परिवर्तित करने से पूर्व अथवा बाद में कम्पनी द्वारा लम्बे समय तक कच्चे माल के रूप में जमा करके रखा गया था;

(घ) क्या वनस्पति और साबुन और डिटर्जेंटस के निर्माण के लिये कम्पनी द्वारा लिए गए लाइसेंस देश के विभिन्न भागों में स्थित कंपनी के विभिन्न एककों से संबंधित हैं; और

(ङ) क्या उपरोक्त लाइसेंस केवल साबुन और वनस्पति का उत्पादन ही करने के लिये है; यदि हां, तो उक्त लाइसेंस का ब्यौरा क्या है ?

कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ)

मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा ट्राइग्लेसराइड्स/हार्ड आंयलस के उत्पादन तथा उपभोग से सम्बन्धित मामलों की सरकार ने जाँच की थी। यह पता चला था कि यह कम्पनी इसका प्रयोग केवल अपनी ही खपत के लिए कर रही है और इसे वनस्पति घी के रूप में खुले बाजार में बेचना संभव नहीं था। इस कम्पनी के वनस्पति तैयार करने वाले एकको को हाइड्रोजनीकृत तेलों जैसे वनस्पति तथा हाई आयलस, जिनमें ट्राइग्लेसराइड्स, बेकरी शार्टनिंग आदि भी शामिल हैं, का उत्पादन करने का लाइसेन्स मिला हुआ है। ये एकक बम्बई, तिरुचिरापल्ली, गाजियाबाद और शामनगर (कलकत्ता) में स्थित हैं। साबुन तथा अपमार्जक बनाने वाले एकक तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं।

कुछ कम्पनियों के विरुद्ध कर अपवंचन की शिकायतें

6466. **श्री राम सिंह शाक्य : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) निम्नलिखित उद्योगों में एककवार कितनी पूंजी निवेशित हैं;

(1) शाह स्टील इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड; (2) डी० एच० शाह ब्रदर्स (प्राइवेट) लिमिटेड; (3) मरकान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड; (4) वार्टेक्स वायर एण्ड मेटल इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड; (5) दावड़ामेक स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स (नेाइवेट) लिमिटेड; और (6) शाह ट्यूब केन्स कन्टेनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड; सत्यनारायण सदन, चन्देरवार्कर रोड, बोरीविली, (वेस्ट), बम्बई;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक फर्म ने पिछले तीन वर्षों में कुल कितने मूल्य का उत्पादन किया और कुल कितना लाभ कमाया;

(ग) प्रत्येक फर्म ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से तथा राज्य वित्त निगमों से कुल कितनी राशि के ऋण लिये; और

(घ) क्या इन फर्मों के विरुद्ध आयकर अपवंचन की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3843/82]

(घ) कर अपवंचन के संबंध में आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत 5-9-1981 को शाह स्टील इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, डी० एच० शाह, प्रताप डी० शाह तथा श्रीमती अनिता एन० शाह के मामलों में तलाशियां ली गई थीं । लेखा-बहियों तथा दस्तावेजों के अलावा, प्रथम दृष्ट्या 1.87 लाख रु० से अधिक की लेखा-बाह्य नकदी तथा लगभग 3 लाख रु० मूल्य के जवाहिरात पकड़े गए थे । कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है ।

कपास पर राजसहायता

6467. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के भण्डार उत्पादन एवं खपत को देखते हुए इसका निर्यात किया जायेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य को देखते हुए इसके निर्यात के लिये राजसहायता दी जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और क्या यह राजसहायता उन सहकारी समितियों को भी दी जायेगी जो किसानों को पूर्ण सुविधाएं दे रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कपास के निर्यात की अनुमति देश में माँग और पूर्ति की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद ही दी जाती है और तदनुसार समय समय पर निर्यात कोटे रिलीज किए जाते हैं । रुई की विभिन्न किस्मों की न्यूनतम निर्यात कीमतें घरेलू कीमत और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में निरन्तर गिरावट की स्थिति में, निर्यात कीमत में संशोधन करने के लिये समय समय पर समीक्षा की जाती है और इस लिए कपास के निर्यात के लिए उपदान का प्रश्न आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"नेवी बीइंग निगलेक्टिड" शीर्षक से समाचार

6468. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 7 फरवरी, 1982 में "नेवी बीइंग निगलेक्टिड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले के पूरे ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में भविष्य में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) प्रश्न में वर्णित समाचार को सरकार ने नोट किया है लेकिन सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि हमारे सीमित साधनों के अनुसार भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं पर समुचित विचार किया जाता है । नौसेना योजना को भविष्य में आने वाले उन खतरों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिनका नौसेना को सामना करना पड़ेगा । नौसेना की क्षमता में वृद्धि करने के लिए जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों को शामिल करने के बारे में विभिन्न योजनाओं को हाथ में लिया गया है ।

"गार्मेंट ग्रेबर्स" शीर्षक से समाचार

6469. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "प्रोब" के दिसम्बर, 1981 के अंक में "दी गार्मेंट ग्रेबर्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को देखा है;

(ख) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के भूतपूर्व चेयरमैन, इसकी कार्यकारी समिति के कुछ सदस्यों तथा इसके वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध दिल्ली के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में शिकायतें दर्ज की है; और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ पठित धारा 120 ख और भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 5 (1) (घ) और 5 (2) के अधीन वाणिज्य मंत्रालय की शिकायतों की प्रतियां भेजी हैं;

(ग) शिकायतों के ब्यौरे क्या हैं और उनमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार का दोषी व्यक्तियों को सजा देने और भविष्य में इस प्रकार के घोटाले को रोकने तथा छोटे निर्यातकों के लिए निष्कपट व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनियों द्वारा डिवेंचर जारी करने संबंधी नियम

6470. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में कंपनियों द्वारा डिबेंचर जारी करने के बारे में कोई नियम बनाए हैं;

(ख) क्या नियमों में यह उपबन्ध है कि डिवेंचरों के अति पूर्व क्रय किए जाने की स्थिति में धनराशि वापस की जानी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत में ऐसी कोई कंपनी है जिसने 1981-82 के दौरान अति पूर्व क्रय का स्थिति आने पर उक्त राशि वापस नहीं की है; और

(घ) यदि कोई ऐसी कंपनी है तो सरकार ने उस कंपनी के बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा ऋण-पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रतिपादित मार्ग-निर्देशों की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या ऐल० टी० 3844/82]

(ख) ऋण-पत्रों के सम्बन्ध में अधिक अभिदान प्राप्त होने के मामलों में आवेदन-पत्रों के साथ प्राप्त होने वाली अधिक धन-राशि की वापसी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 73 द्वारा शासित होती है। इस धारा के अनुसार, किसी भी कम्पनी को, जो विवरण पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) द्वारा जनता के समक्ष ऋण-पत्र प्रस्तुत कर रही हो और उनको प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज या स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कराना चाहती हो सम्बद्ध स्टाक एक्सचेंज या स्टाक एक्सचेंजो से जैसी भी स्थिति हो, अभिदान-सूची के बन्द होने की तारीख से 10 सप्ताह की अवधि के अन्दर-अन्दर उन ऋण-पत्रों के संबंध में उसी स्टाक एक्सचेंज या उन्हीं स्टाक एक्सचेंजों में निष्पादन कार्रवाई कराने के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि ऋण-पत्रों के आवेदकों से प्राप्त धनराशि, उन ऋणपत्रों के सम्बन्ध में दिए गए आवेदनपत्रों के साथ प्रेषित कुल धनराशि से अधिक हो जाए जिनके सम्बन्ध में आवंटन कर दिए हैं, तो कम्पनी को धनराशि के ऐसे अधिक्य के बराबर की धनराशि बिना ब्याज तुरन्त लौटानी पड़ती है और यदि ऐसी धनराशि उस तारीख से, जिससे कम्पनी इसे वापस लौटाने के लिए देनदार हो जाए, आठ दिनों की अवधि के अन्दर-अन्दर न लौटाई जाए, तो कम्पनी के डायरेक्टर, उपर्युक्त आठवें दिन की समाप्ति के बाद, 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित उस रकम की वापसी के लिए सयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से जिम्मेदार होंगे।

(ग) ऐसी कोई कम्पनी नहीं है जिसने 1981-82 के दौरान अभिदान से अधिक प्राप्त धनराशि को लौटाया न हो।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आई० डी० ए० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिये अवधि

6471. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई. डी. ए. एस. अधिकारियों के स्थानान्तरण की अवधि क्या है।

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा लेखा नियन्त्रण के पटना कार्यालय में कुछ आई. डी. ए. एस. अधिकारियों को पटना कमान में काफी समय तक ठहरने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) इन अधिकारियों का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न कार्यालयों/स्थानों में इनका तबादला किया जा सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अच्छी किस्म की इलायची के देश में उचित मूल्य पर विपणन का प्रस्ताव

6472. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड का प्रस्ताव देश में इलायची की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु देश में उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की इलायची का विपणन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) इलायची बोर्ड ने कम दरों पर सुविधाजनक उपभोक्ता पैकों में अच्छी क्वालिटी की इलायची उपलब्ध करके देश के भीतर इलायची की संवर्धनात्मक बिक्री के लिये एक कार्यक्रम बनाया है और उसके द्वारा इलायची के लिये घरेलू मांग को बढ़ा रहा है। इस कार्यक्रम में गन्ने के रस, फल के रस आदि जैसे आफ पेय पदार्थों में इलायची के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रचार भी शामिल है।

भारतीय लोह अयस्क मूल्यों का मुआवजा करने के लिये जापानी इस्पात मिलों की नई नीति

6473. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की इस्पात मिलों ने भारतीय लोह अयस्क के मूल्यों का मुकाबला करने के लिये नई नीतियाँ अपनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उसके पीछे के कारणों को समझ लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस बारे में उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और जापानी स्टील मिलों के बीच इस वर्ष की मूल्य वार्ताएं अभी शुरू नहीं की गई हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विमान ईंधन के साथ पानी मिलाया जाना

6474. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये विमानों के ईंधन के साथ पानी मिलाये जाने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या तन्त्र बनाया गया है कि इन कदमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) ईंधन के नमूनों की और अधिक विस्तत जांच शुरू कर दी गयी है। हिदायतें जारी कर दी गयी हैं कि

ईंधन के नमूनों की जाँच अत्यन्त सावधानी से की जाएं। नागर विमानन के महानिदेशक तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई किए गए ईंधन की क्वालिटी नियंत्रण तथा प्रमाणीकरण के मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए आकस्मिक जांच की जा रही हैं।

भारतीय कमीजों का निर्यात

6475. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में देश से कुल कितनी भारतीय कमीजों का निर्यात किया गया;

(ख) आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) उन कमीजों का भारतीय मुद्रा में मूल्य क्या है;

(घ) क्या कुछ और देशों ने भारतीय कमीजों का आयात करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा उन देशों को कमीजों का निर्यात करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ग) 1980 तथा 1981 के दौरान भारत से कमीजों के निर्यात जिन्हें कलैण्डर वर्ष आधार पर मोनीटर किया जाता है, निम्नांकित प्रकार रहे :

वर्ष	मात्रा हजार अदद में	मूल्य हजार रु० में
1980	18,248+	513051+
1981	26,469	692631

(+ गैर कोटा देशों को होने वाले निर्यातों को छोड़कर जिन्हें 1980 के दौरान संकलित नहीं किया गया)।

(ख) भारतीय कमीजें मुख्य रूप से सं० रा० अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों, स्कैन्डीनियाई देशों, सोवियत संघ तथा जापान द्वारा आयात की जाती हैं।

(घ) तथा (ङ) सरकार को, भारत से कमीजें आयात करने के लिये किसी विदेशी सरकार से कोई आफर प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) मर्दाना कमीजों का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्नांकित ठोस कदम उठाए गए हैं :

(1) बहुत से देशोंमें बाजार अध्ययन किये गये है और उनके परिणामों को व्यापक रूप से भावी निर्यातकों को वितरित किया गया।

(2) मर्दाना कमीजें बनाने के लिये आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपबन्धों को उदार किया गया है।

(3) पूर्णत: मर्दानी कमीजों के लिये परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित एक बिक्री दल ने फरवरी, 1982 में ब्रिटेन तथा पश्चिम जर्मनी का दौरा किया।

(4) कमीजों की पैकिंग का अध्ययन करने के लिये आई टी सी/एस आई डी ए की सहायता से 1982-83 में एक कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

सिले-सिलाये वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा अर्थदंड के रूप में धनराशि एकत्र करना

6476. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले-सिलाये वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा जमानत राशियों, बैंक कार्य निष्पादन बांडों, नौभरण के प्रमाण प्रस्तुत करने में विलम्ब आदि के लिये अर्थदंड के रूप में भारी धनराशि एकत्र की जाती है और 1979 से आज तक कितना पैसा एकत्र हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को लिखा है कि उक्त धनराशि को उपयोग में न लाया जाए क्योंकि वह सरकार का धन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात के लिए कोटे के आबंटन की शर्तों को पूरा न किये जाने पर बैंक गारंटियों/जमा किए गए बयाने को जब्त करके पिछले तीन वर्षों (कलैण्डर वर्ष 1979-81) के दौरान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जब्त की गई कुल राशि 76.41 लाख रु० (अनन्तिम) है।

(ख) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को सलाह दी गई है कि वे निर्यात संवर्धन प्रयोजनों के लिये अलग धन रखें।

औद्योगिक गृहों के समन्वय अधिकारियों की अभिलेखों तथा अनुभागों तक कथित पहुंच

6477. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि औद्योगिक गृहों के दिल्ली स्थित समन्वय अधिकारियों को उनके मंत्रालय के अभिलेखों तथा अनुभागों एवं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों तक निर्बाध पहुँच है और वे बेरोकटोक उच्च अधिकारियों एवं यहाँ तक कि यात्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के कमरों तक आ जा सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका गतिविधियों पर नजर रखने और उनके द्वारा अपने पैसे एवं प्रभाव की शक्ति का उपयोग करके अपने प्रमुखों के हित की गुप्त जानकारी प्राप्त करने के उनके प्रयासों पर नजर रखने के लिये क्या किया जा रहा है; और

(ग) इस वर्ग के लोगों द्वारा किये जा रहे उक्त सभी कदाचारों को दूर करने तथा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिये उनका क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) राजधानी में स्थित औद्योगिक घरानों के सम्पर्क अधिकारियों की पहुँच वित्त मंत्रालय के अभिलेखों और शाखाओं तथा मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों तक नहीं होती है। जिन भवनों, में वित्त मंत्रालय स्थित है, वे गृह मंत्रालय के अधीन सचिवालय सुरक्षा संगठन द्वारा नियंत्रित सुरक्षा जोन में आते हैं, इसलिए गैर-सरकारी व्यक्तियों को निर्धारित कार्य-विधि के अनुसार केवल मंत्रियों और अधिकारियों से ही मिलने की अनुमति दी जाती है लेकिन उन्हें स्टाफ के सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है। कार्यविधियों के उल्लंघन का अथवा औद्योगिक घरानों के संपर्क अधिकारियों द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त करने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कुछ हवाई अड्डों पर विश्राम-कक्ष सुविधाएं

6478. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ हवाई अड्डों पर विश्राम-कक्ष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं और वहाँ पर कितने व्यक्तियों को स्थान दिया जा सकता है और यात्रियों से क्या किराया लिया जाता है; और

(ग) छठी योजनावधि में इन हवाई अड्डों पर सुविधाओं का विस्तार करने और अन्य हवाई अड्डों पर विश्राम-कक्ष सुविधाएं देने के लिये सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। विश्राम कक्ष मुख्यत: पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन विभाग तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के दौरा करने वाले अधिकारियों के लिए बनाए गए हैं। उपलब्ध होने पर ये कमरे वास्तविक पारगामी विमान यात्रियों को भी रात भर ठहरने के लिए अलॉट किये जाते है।

(ख) हवाई अड्डे का नाम	बिस्तरों की संख्या
अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे	
(1) दिल्ली	22 (वातानुकूलित)
(2) बम्बई	18 (वातानुकूलित)
(3) कलकत्ता	
(i) रैस्ट हाऊस नं० 3	16 (वातानुकूलित)
(ii) रैस्ट हाऊस नं० 1	17 (गैर-वातानुकूलित)
(iii) रैस्ट हाऊस नं० 2	12 (गैर-वातानुकूलित)
(4) मद्रास	10 (वातानुकूलित)
अंतर्देशीय हवाई अड्डे :	
(5) अहमदाबाद	4

(6) बंगलौर	4
(7) भोपाल	3
(8) हैदराबाद	4
(9) जयपुर	2
(10) जम्मू	2
(11) कुल्लू	2
(12) नागपुर	8
(13) सफदरजंग, नई दिल्ली	3
(14) श्रीनगर	4
(15) वाराणसी	4
(16) त्रिवेन्द्रम	2

विश्राम कक्षों के लिए वसूल की जाने वाली दरें निम्न प्रकार हैं :—

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

वातानुकूलित

सिंगल बैड	50 रुपये प्रतिदिन
डबल बैड	75 रुपये प्रतिदिन

गैर-वातानुकूलित

(केवल कलकत्ता हवाई अड्डे पर)	रैस्ट हाऊस न० 1.	रैस्ट हाऊस न० 2.
सिंगल बैड	20 रुपये प्रतिदिन	10 रुपये प्रतिदिन
डबल बैड	30 रुपये प्रतिदिन	15 रुपये प्रतिदिन

अंतर्देशीय हवाई अड्डे :

8/रुपये प्रति बिस्तर प्रतिदिन

(ग) दिल्ली हवाई अड्डे पर 20 तथा अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर 12 और विश्राम-कक्ष-अमृतसर, लखनऊ, राजकोट, भावनगर में से प्रत्येक पर दो-दो तथा गोहाटी में 4 विश्राम-कक्ष बनाने के भी प्रस्ताव हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लायड्स बैंक से मांगा गया ऋण

6479. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक ने लायड्स बैंक और लायड्स बैंक इन्टरनेशनल से कितना ऋण मांगा है;

(ख) उपरोक्त बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को कितना ऋण मंजूर किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार ने हाल ही में, भारतीय स्टेट बैंक द्वरा लायड्स बैंक से 75 लाख डालर तथा लायड्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड से 75 लाख डालर के ऋण की दो श्रृंखलाओं को प्राप्त करने के सम्बन्धित में अनुमोदन दिया है। यूनाइटेड किंगडम से पूंजीगत सामान तथा सम्बन्धित सेवाओं के भारत में आयात को वित्त व्यवस्था करने के लिए ऋण की इन श्रृंखलाओं को यूनाइटेड किंगडम के ई० सी० जी० डी० का समर्थन प्राप्त है।

(ग) ऋण की श्रृंखलाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

एक) संविदा मूल्य की 85 प्रतिशत वित्त व्यवस्था।

दो) 15 मई, 1982 से पूर्व पंजीकृत संविदाओं के लिए 7.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज और उस तारीख के बाद पंजीकृत संविदाओ के लिए ब्याज की दर उस समय प्रचलित दरों के अनुरूप होगी।

तीन) संविदा की राशि पर निर्भर करते हुए वापसी अदायगी की अवधि 2 से 5 वर्ष तक होगी।

चार) शुल्क-संविदा मूल्य के 1/8 प्रतिशत के बराबर एक बारगी शुल्क

पांच) निर्यात बीमा प्रीमियमों की अदायगी राशि, उपस्कर की किस्म और ऋण की अवधि पर निर्भर करेगी और आशा है कि यह 1/2 प्रतिशत वार्षिक के लगभग होगी।

गैर सरकारी कंपनियों द्वारा परिवर्तनीय डिवेन्चर जारी करना

6480. **श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी** : **क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में गैर-सरकारी कंपनियों ने 1981 के दौरान परिवर्तनीय डिबेन्चर जारी किए थे जिनके प्रति जनता की प्रतिक्रिया असाधारण रूप से अनुकूल रही है;

(ख) क्या सच है कि इसका उन कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो गैर परिवर्तनीय डिबेन्चर जारी करती है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया था कि गैर परिवर्तनीय डिबेन्चरों पर ब्याज की दर को बढ़ाकर उनको परिवर्तनीय डिबेन्चरों की तुलना में पूंजी निदेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और यदि हाँ, तो इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1981 के दौरान, ग्यारह कंपनियों ने जनता को 42 करोड़ रुपए के मूल्य के

अ-परिवर्तनीय ऋण-पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से जनता ने 24.08 करोड़ रुपए के ऋणपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्याह्वान दिया।

(ग) तथा (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यकारी दल ने सार्वजनिक ऋणपत्रों के सम्बन्ध में एक माध्यमिक बाजार को सक्रिय बनाने के लिए कतिपय: सिफारिशे की हैं और सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के अभाव में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रक्षा सेनाओं के पद न भर पाना

6481. **श्री निहाल सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण रक्षा सेवाओं में किन्हीं पदों पर नियुक्तियां कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पदों की संख्या एवं नाम क्या हैं जिनके लिये अर्हता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं और उन पदों के लिए अपेक्षित अर्हताओं का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और **(ख)** सूचना एकत्र की जा रही है।

विमान सेवाओं में अति आधुनिक सुधार

6482. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में विमान सेवाओं में अति आधुनिक सुधार करने की योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेन्शन

6483. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने 30 सितम्बर, 1977 से अपने कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 मार्च, 1978 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह लाभ दिया जायेगा; और

(ग) 30 सितम्बर, 1977 और 28 फरवरी, 1978 के बीच सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह लाभ न देने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार ने 31 मार्च, 1979 को अथवा उसके बाद (न कि 30 सितम्बर, 1977 से जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है) सेवानिवृत्त होने वाले अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों पर पेंशन देने का निर्णय किया :—

	माशिक पेंशन की राशि
(I) पेंशन के लिए गिनी जाने योग्य औसत परिलब्धियों के पहले 1000/- रुपये तक	औसत परिलब्धियों का 50%
(II) पेंशन के लिए गिनी जाने योग्य औसत परिलब्धियों के अगले 500/-रु०	औसत परिलब्धियों का 45%
(III) पेंशन के लिए गिनी जाने योग्य औसत परिलब्धियों की शेष राशि	औसत परिलब्धियों का 40% (कुल मिलाकर 1500/- रु० प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए)

(ग) नीति के मामले के रूप में सेवा-निवृत्ति लाभों में उदारीकरण भावी तारीख से दिया जाता है। इसलिए, पेंशन की बढ़ी हुई दरें उन पेंशनभोगियों को नहीं दी गई जो 31.3.1979 से पहले सेवा-निवृत्त हो गए थे।

त्रिपुरा और आसाम के चाय बागानों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से आर्थिक सहायता का आविधान

6484. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई, सरकार द्वारा चाय उद्योग को आर्थिक सहायता देने के लिए गठित समिति को चाय उत्पादकों/चाय बागानों में या त्रिपुरा और आसाम की कम्पनियों से वर्ष 1981 के दौरान कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिनके साथ उनके आर्थिक प्रबन्ध हैं, अपर्याप्त आर्थिक सहायता के प्रश्न पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा और आसाम राज्यों में स्थित बागानों/कम्पनियों के नामों सहित कुल कितने ऐसे अभ्यावेदन मिले है;

(ग) सम्बन्धित बैंक के नाम सहित प्रत्येक मामले के तथ्यों का ब्योरा क्या है; और

(घ) उत्पादकों की सही रूप से सहायता करने के लिए ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों को उपयुक्त आदेश देने के लिए और बैंकों और उसके ग्राहकों के बीच स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित चाय उद्योग के वित्त पोषण विषयक समिति ने, बैंकों की कार्यशील पूंजी की

आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए बैंकों द्वारा अपनाये गये मानदण्ड बागानों/कम्पनियों के कार्य-कलाप के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में असम और त्रिपुरा समेत चाय उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संघों के उनके विचारों/सुझावों को मंगाने के वास्ते विस्तृत प्रश्नावली जारी की थी। इस समिति ने चाय उद्योग और गोहाटी तथा जोरहाट स्थित वित्त पोषक बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। चाय उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं निम्न-लिखित थीं :—

गोहाटी :—

(1) टी आकशन कमेटी

(2) असम टी कारपोरेशन लिमिटेड

(3) नाहरजन टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

(4) निर्मला टी कम्पनी

जोरहाट :—

(5) असम टी प्लांटर्स एसोसिएशन

(6) असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टी रिसर्च एसोसिएशन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समिति की सिफारिशों की जांच की गई तथा इसके द्वारा बैंकों को शीघ्र ही व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाने का प्रस्ताव है।

भुवनेश्वर में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की शाखा खोलना।

6485. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की राज्य सरकार ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि उड़ीसा के वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण काम में बहुत रुकावट होती है इसलिए राज्य की राजधानी में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की एक शाखा खोली जानी चाहिए; यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में एक बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड का कार्यालय या एक शाखा खोलने के बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ख) केन्द्र सरकार उड़ीसा के वाणिज्य बैंकों में अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए और क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) यह सही है कि उड़ीसा की राज्य सरकार ने उड़ीसा राज्य के लिए भुवनेश्वर में अलग से एक बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (बी० एस० आर० बी०) की स्थापना करने का सुझाव दिया है। बैंकों में अधिकारी संवर्ग की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। क्लेरिकल भर्ती के प्रयोजनों के लिए उड़ीसा राज्य, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, पूर्वी समूह, कलकत्ता के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आता है, इसके अतिरिक्त इसके अधिकार-क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुछ समय पहले तक यह बोर्ड संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी भर्ती करता था। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गोहाटी में एक अलग बोर्ड है। ऐसी आशा है कि उत्तरदायित्व का क्षेत्र

छोटा हो जाने के बाद अब बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, कलकत्ता अपने सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र के भीतर बैंकों की आवश्यकताओं की समुचित और अधिक शीघ्रता से पूरा करने में समर्थ होगा। प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग बोर्ड स्थापित करना संभव नहीं है।

विशाखापतनम बन्दरगाह से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लोह अयस्क का निर्यात

6486. **श्री अनन्त रामलू मल्लू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापतनम बाह्य बन्दरगाह से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान निर्यात किये गये लोह अयस्क की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त बन्दरगाह से और अधिक सूक्ष्म लोह अयस्क (आयरन और फाइंस) निर्यात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के दौरान सूक्ष्म लोह अयस्क के निर्यात से कुल कितनी धनराशि की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1980-81 के दौरान विशाखापतनम बाह्य बन्दरगाह से लोह अयस्क की 56.61 लाख मै० टन की मात्रा निर्यात की गई थी।

(ख) विभाग बाह्य बन्दरगाह से लोह अयस्क फाइन्स के निर्यात बढ़ाने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) 1980-81 के दौरान विशाखापतनम बन्दरगाह से लोह अयस्क फाइन्स के निर्यात से 9.06 करोड़ रु0 की राशि अर्जित की गई थी।

होशियारपुर (पंजाब) में छावनी स्थापित करना

6487. **प्रो नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियार पुर (पंजाब) में एक छावनी स्थापित करने के बारे में निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह छावनी कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) होशियारपुर में छावनी स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस समय यह बताना सम्भव: नहीं है कि छावनी कब तक स्थापित हो जाएगी।

सेना सुरक्षा सिपाहियों के वेतनमान बढ़ाना

6488. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना सुरक्षा सिपाहियों के वेतनमान बढ़ाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके पूर्ववर्ती वेतनमान क्या थे;

(ग) उनके बढ़ाये गए वेतनमान कब से प्रभावी होंगे;

(घ) बढ़ाये गए वेतन की तिथि से उनका कुल वेतन कितना हो जाएगा;

(ङ) उपर्युक्त बढ़ते हुए वेतनमान से सेना सुरक्षा के कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) हां।

(ख) उनके वेतन मान पहले इस प्रकार थे :—

रैंक	वेतनमान
सिपाही	180-4-200
नायक	190-4-210
हवलदार	205-5-230
नायब सूबेदार	315-10-365
सूबेदार	400-20-520
सूबेदार मेजर	525-25-625

(ग) बढ़े हुए वेतनमान पहले ही 1.10.1981 से लागू हो गए हैं।

(घ) ग्रुपों के विभिन्न ग्रेडों में वेतन इस प्रकार होगा :—

रैंक	वेतनमान
सिपाही	190-5-250
नायक	205-6-265-8-281
हवलदार	240-8-320
नायब सूबेदार	345-15-435
सूबेदार	445-20-565
सूबेदार मेजर	600-25-700
	(इसके अलावा सामान्य भत्ते भी मिलेंगे)

(ङ) और (च) 33746, इसका विवरण इस प्रकार है :—

सूबेदार मेजर	44
सूबेदार	258
नायब सूबेदार	969
हवलदार	701
नायक	2115
लांस नायक	5917
सिपाही	23742
योग	33746

तस्करी और कर अपवंचन के सम्बन्ध में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में उपबन्ध

6489. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में तस्करी रोकने और आसूचना व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा पड़ोसी देशों के साथ तस्करी विरोधी कार्यवाही के लिए द्विपक्षीय प्रबन्ध करने और कर अपवंचन विरोधी उपायों को तेज करने के बारे में उपबन्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने उपर्युक्त उपबन्धों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 14.1.82 को घोषित नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 19 में, अन्य बातों के साथ-साथ, तस्करों, कर अपवचकों के विरुद्ध और काले धन पर नियंत्रण रखने के लिए कड़ी कार्यवाही करते रहने की व्यवस्था है।

(ख) तथा (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की रूपरेखा दी गयी है।

तस्करी की रोक थाम के लिए सरकार ने 1980 में एक कार्य-योजना बनाई थी। अपनाये गए उपायों में, विशेष रूप से तस्करी की दृष्टि से सुगमता से पार किए जा सकने योग्य क्षेत्रों में और तस्करी के लिए आकर्षक वस्तुओं के संदर्भ में आसूचना और निवारक तंत्र को सुदृढ़ करना शामिल था। आधुनिकतम किस्म के अतिरिक्त अवरोधक जलयान प्राप्त करके सीमा शुल्क के वर्तमान बेड़े में वृद्धि की गई थी और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में, भारत नेपाल सीमा के साथ-साथ तस्करी की दृष्टि से सुगम्य क्षेत्रों में बेतार संचार तंत्र की व्यवस्था की गई।

तस्करी निवारक उपाय

तस्करी करवाने वालों और उसके वित्त पोषकों और विदेशी मुद्रा छल साधकों की निवारक बन्दी के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के उपबन्धों को और भी अधिक तेजी से लागू किया गया।

भारत और नेपाल तथा श्रीलंका के बीच होने वाली तस्करी को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए इन देशों की सरकारों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई। समग्र समग्र तस्करी निवारक अभियान में अन्य प्रवर्तन एजेंसियों तथा राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय भी स्थापित किया गया।

नये 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में तस्करी निवारक उपायों को उपयुक्त कार्य-योजना की व्यापक रूप रेखा के अनुसार और तेज किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए कार्यवाही

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने लिए पहले किए गए उपायों को जारी रखा

गया है। अपवंचन निवारक उपायों को और तेज कर दिया गया है। और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने तथा उत्पादन शुल्क अपवंचन को और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए 1982 में और अधिक उपाय किए जा रहे हैं। अपवंचकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है जिसमें उन पर मुकदमा चलाये जाने की कार्यवाही शामिल है।

आयकर विभाग के आसूचना-तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यवाही

आयकर विभाग के आसूचना पक्ष को मजबूत बताया गया है। एक निरीक्षण निदेशक (आसूचना) ने हाल ही में कार्य भार संभाल लिया है। आसूचना पक्षों को अतिरिक्त वाहन दिए गए हैं और बेतार संचार प्रणाली को भी स्थापित किया जा रहा है। सतत आधार पर सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। हाल ही में देश के 8 आयकर आयुक्तों को मुख्यत: सर्वेक्षण का दायित्व ही सौंपा गया है। प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पिछले दिनों दिल्ली में अनन्य रूप से सर्वेक्षण कार्य के लिए ही एक निरीक्षण निदेशक को तैनात किया गया है।

श्रीलंका के साथ हुए वर्तमान करार में अब संशोधन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ आयकर अपवंचन को रोकने के लिए सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है।

इण्डियन एयरलाइन्स में अनुवाद शाखा

6490. **श्री केशव राव पारथी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलान्स में एक हिन्दी अनुवाद शाखा की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब स्थापित की गई और उस समय कितने हिन्दी अनुवादकों अधिकारियों को भर्ती किया गया;

(ग) इस शाखा में इस समय कितने हिन्दी अनुवादक/अधिकारी हैं; और

(घ) क्या इनकी वर्तमान संख्या संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी भाषा अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स के मुख्यालय में तथा इसके बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली व मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा सैल स्थापित की गई हैं।

(ख) और (ग) : ये सैल वर्ष 1975 में स्थापित की गई थीं। मुख्यालय में इस यूनिट का प्रमुख एक सहायक कार्मिक प्रबन्धक था। अब इसके अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर दो कर दिया गया है। इसके अलावा इस यूनिट में एक अनुवादक तथा एक हिन्दी टाइपिस्ट है। प्रत्येक क्षेत्रीय यूनिट में एक-एक हिन्दी टाइपिस्ट है तथा राजभाषा से संबधित कार्य की देख-रेख हिन्दी में सक्षमता-प्राप्त अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जो यह कार्य अपने सामान्य कार्यों के अलावा करते है।

(ब) जी, हां।

बोरेक्स का आयात

6491. **श्री एस० डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बोरेक्स का आयात किया जा रहा है;

(ख) उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां से इसका आयात किया जाता है;

(ग) क्या भारत में बोरेक्स मिलने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई शोध कार्य किया गया; और

(घ) क्या इस मद के स्थान पर किसी स्थानापन्न वस्तु का पता लगाया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० पी० ए० संगमा) : (क) इस मद के लिए आयात आंकड़े अलग से संकलित नहीं किए जाते। तथापि, यह मद 1981-82 की आयात नीति की रोक लगी सूची में है। इसलिए वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा इसका आयात, आटोमेटिक लाइसेंस के आधार पर लाइसेंस के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के अन्दर, 50,000 रु० मूल्य तक किया जा सकता है। वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा प्रतिपूरक लाइसेंसों के आधार पर भी आयात किया जा सकता है। निर्यातों की प्रतिपूर्ति के रूप में बोरेक्स के आयात की भी अनुमति है। 1982-83 के लिए नीति अभी घोषित नहीं की गई है।

(ख) इस मद के लिए जानकारी अलग से संकलित नहीं की जाती।

(ग) देश में इस मद के घरेलू उत्पादक हैं। वर्ष 1981 में वास्तविक उत्पादन लगभग 13,000 मै० टन था।

(घ) जी नहीं।

रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता

6492. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने रक्षा की आवश्यकताओं में वर्ष 1990 तक आत्मनिर्भर हो जाने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो यातायात, टैंकों, फाइटरों इत्यादि का विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए रक्षा की उन आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रमुख प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार के पास विदेशी सहयोग से रक्षा पर आधारित उद्योग की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या रूस की सरकार से इस बारे में अनुरोध किया गया है, यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) रक्षा योजना में जिन बातों पर खास जोर दिया जाता है उनमें से एक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। लेकिन इसके लिए कोई तारीख

निर्धारित नहीं की जा सकती कि रक्षा सम्बन्धी मामलों में पूर्ण आत्मनिर्भरता कब प्राप्त कर ली जायेगी।

(ख) वाहनों, टैंकों, लड़ाकू विमानों आदि सहित सभी महत्वपूर्ण मदों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) और (घ) सरकार तकनालोजी को सतत, आधुनिक बनाने में लगी है और जहाँ आवश्यक होता है वहाँ उपयुक्त विदेशी सहयोग भी करती है। ब्यौरे देना लोकहित में नहीं है।

धनबाद में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

6493. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद में वर्ष 1981 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों के नाम सहित बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का ब्लाक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्लाकवार इससे कितने आदिवासी लाभान्वित हुए;

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि ब्लाक डेवलपमेंट आफ़ीसर, निरक्षा द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्माल फार्मर्स डिवलपमेंट ऐजेंसीज के लिए विशेष तौर से मंजूर बेनागोरिया पंचायत के लिए मंजूर किए गए अनेक ऋण सम्बन्धित बैंकों में लम्बित पड़े हैं; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निरसा ब्लाक के प्रमुख ने इस बारे में अनेक शिकायतें की हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अब से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सूचना प्रणाली से उस रूप में सूचना नहीं प्राप्त होती थी जिस रूप में वह माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई है। परन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1981 में वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे प्रति मास समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृतियों, अस्वीकृतियों तथा आर्थिक सहायता के भुगतानों के आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण प्रखंड विकास अधिकारी के पास भेजा करें। आशा है कि भविष्य में प्रखंड स्तर पर बैंकों के माध्यम से ऋण पर नजर रखने के लिए आवश्यक आँकड़े उपलब्ध होने लगेंगे।

(ग) से (ङ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, छोटे किसान विकास एजेंसी के संदर्भ में, विशेषकर बेनागोड़िया पंचायत के सम्बन्ध में तथा सिरसा प्रखंड के प्रमुख द्वारा इस सम्बन्ध में की गई शिकायत के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

जे० सी० बी० फोटो लिथो प्रेस के लिए भर्ती नियम

6494. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रक्षा मंत्री** जे० सी० बी० फोटो लिथो प्रस के लिए भर्ती नियम के बारे में 25 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर ली है;

(ख) सरकार का इस मामले में निर्णय करने में कितना और समय लगने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार ने कबसे भारत सरकार मुद्रणालय पद्धति पर जे० सी० बी० फोटो लिथो प्रेस के लिए भर्ती नियम लागू किए, जे० सी० बी० फोटो लिथो कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाने में सरकार की हिचकिचाहट के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) मामले के विभिन्न पहलुओं की सरकार जांच कर रही है। मामले पर यथा शीघ्र निर्णय लेने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

केनरा बैंक में हिन्दी का प्रयोग

6495. **श्री मोखा भाई** : क्या वित्त मंत्री केनरा बैंक में हिन्दी के प्रयोग के बारे में 28 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1836 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने पैरा (क) में उल्लिखित शिकायत के उत्तर की जांच कर ली है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) क्या बैंक का कोई कर्मचारी सरकारी भाषा नियमों का पालन न करने या जन-साधारण को परेशान करने के कारण दण्डित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत को जांच के लिए बैंक के पास भेज दिया गया था। जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विशेष वेतन के मामले में एग्जीक्यूटिव और अनुसचिवीय केडर के लेखा परीक्षकों में असमानता

6496. **श्री बी. एस. गाडगिल** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षकों के दल का गठन क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि एक्जीक्यूटिव केडर के लेखा परीक्षकों को विशेष वेतन दिया जाता है और अनुसचिवीय केडर के लेखा परीक्षकों को विशेष वेतन नहीं मिलता;

(ग) क्या एग्जीक्यूटिव अधिकारियों और अनुसचिवीय अधिकारियों के लेखा परीक्षकों के पदों को सौंपे गए कर्त्तव्यों और दायित्वों में कोई अन्तर है;

(घ) यदि नहीं, तो विशेष वेतन देने के मामले में इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या फेडरेशन आफ सेन्ट्रल इक्साइज मिनिस्टीरियल आफिसर्स ने इस भेदभाव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया है, यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय उत्पादन

शुल्क समाहर्त्तालयों में आन्तरिक लेखा परीक्षा दलों का गठन कार्यकारी और लिपिकीय दोनों संवर्गों से अधिकारियों को लेकर किया जाता है। लेखा परीक्षक (समूह 'ग') के पदों को 50 : 50 के अनुपात में निरीक्षकों और उप-कार्यालय अधीक्षकों द्वारा भरा जाता है। समूह 'ख' स्तर के पदों को 3 : 1 के अनुपात में अधीक्षकों और लेखा जांचकर्ताओं द्वारा भरा जाता है।

(ख) जी हां। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षकों को लेखा परीक्षकों के रूप में तैनात किए जाने पर 55 रु० प्रति माह की दर से विशेष वेतन दिया जाता है। लेखा परीक्षकों के रूप में तैनात किए जाने वाले उप-कार्यालय अधीक्षकों को ऐसा कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता है।

(ग) लेखा परीक्षकों के पदों के कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों में कोई अन्तर नहीं है चाहे उन पदों पर कार्यकारी अधिकारी अर्थात् केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षक और (लिपिक वर्गीय) उप कार्यालय अधीक्षक तैनात हों।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लिपिक वर्गीय अधिकारी फेडरेशन ने लेखा परीक्षक के रूप में तैनात उप कार्यालय अधीक्षकों (लिपिकवर्गीय) की विशेष वेतन मंजूर किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय (सयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) की विभागीय परिषद में माँग उठाई है। यह माँग विचाराधीन है।

सशस्त्र सेना के जूनियर कमीशन्ड आफीसरों का राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन लेना

6497. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आनरेरी कमीशन प्राप्त करने वाले जूनियर कमीशन आफीसर और 1970 में सेवा निवृत्त होने वालों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन लेने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और विशेष तौर से उनकी बुढ़ापे की आयु को ध्यान में रखते हुए उनको यह सुविधा देने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं क्योंकि अपनी अल्प पेंशन प्राप्त करने के लिए हर मास पोस्ट आफिस जाना उन्हें कठिन पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार ने असैनिक राजपत्रित अधिकारियों को दी जा रही इस प्रकार की सुविधा का विस्तार उनके लिए भी करने के औचित्य पर विचार किया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) आनरेरी कमीशन वाले जूनियर कमीशन अफसरों सहित रक्षा पेंशनरों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान रखे बगैर पहले ही यह विकल्प है कि वे उन स्थानों पर अपनी पेंशन राष्ट्रीयकृत बैंकों से ले सकते हैं जिन स्थानों पर पेंशन खजानों और पेंशन पे मास्टरों के जरिये ली जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां पेंशन डाकघरों के जरिये ली जाती है वहाँ पर बैंकों से पेंशन लेने की सुविधा का विस्तार नहीं किया गया है।

(ख) बैंक योजना के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट कार्य उन एजेन्सियों को करने हैं जो पहले रक्षा पेंशन के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। जबकि पेंशन पे मास्टरों/खजानों द्वारा दी जा रही इन सुविधाओं के देने के लिए डाकतार विभाग ने अपनी असमर्थता प्रकट की है।

(ग) सरकार इस समस्या को समझती है इसलिए उसने अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा पेंशनरों की पेंशन का वितरण करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दो समितियों का गठन किया है।

काण्डला 'फ्री ट्रेड जोन' में कार्यकरण हेतु लाइसेंस दिये गये यूनिट

6498. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी यूनिटों की संख्या और नाम क्या हैं, जिन्हें काण्डला 'फ्री ट्रेड जोन' में कार्य करने हेतु लाइसेंस दिये गए हैं;

(ख) इन यूनिटों के स्वामित्व का स्वरूप क्या है, क्या ये 100 प्रतिशत पूर्णतः भारतीय हैं अथवा 100 प्रतिशत पूर्णतः विदेशी हैं अथवा भारतीयों और विदेशियों के बीच एक संयुक्त उपक्रम है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक यूनिट द्वारा (यूनिटवार और वर्षवार) कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां माल का निर्यात किया जाता है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार और देशवार) कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ङ) उनके द्वारा पिछले पांच वर्षों में (यूनिटवार और वर्षवार) कितने मूल्य के औद्योगिक आदानों का आयात किया गया; और

(च) पिछले पाँच वर्षों में (वर्षवार, देशवार और यूनिटवार) किन-किन देशों से माल का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रथम पांच बड़े औद्योगिक घरानों के निदेशकों/कार्यकारी अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों को जारी की गई विदेशी मुद्रा

6499. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** प्रथम पांच बड़े औद्योगिक घरानों के निदेशकों/कार्यकारी अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों को जारी की गई विदेशी मुद्रा के बारे में 4 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय/रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने तदर्थ ब्लैंकेट परमिटों पर प्रथम पांच बड़े औद्योगिक घरानों को जारी की गयी विदेशी मुद्रा का सही उपयोग करने के लिए कोई रोक लगाई गई है;

(ख) क्या इन घरानों को इनके कार्यकारी अधिकारियों को व्यापार बढ़ाने इत्यादि के तक पर विदेश भ्रमण के लिए विदेशी मुद्रा जारी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने वर्ष 1981-82 के दौरान इन घरानों को

कुल कितनी धन राशि जारी की और मांगी गई विदेशी मुद्रा को जारी करते समय हर बार क्या मानदण्ड अपनाए गए; और

(घ) इन औद्योगिक घरानों के बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करने पर कड़ा नियंत्रण रखने और उनके द्वारा इसमें की जा रही हेरा-फेरी को दूर करने हेतु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को निदेश देने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8 (3) के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए जिसने किसी प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा ली हो यह आवश्यक है कि वह उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करे जिसके लिए उसने विदेशी मुद्रा ली थी और जिन मामलों में इस तरह ली गई विदेशी मुद्रा का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सके अथवा तत्सम्बन्धी शर्तों का पालन नहीं किया जा सके तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वह विदेशी/मुद्रा किसी प्राधिकृत डीलर।करेंसी बदलने वाले को प्रत्यर्पित देनी होती है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय उपलब्ध प्रमाण के आधार पर उपर्युक्त मामलों में आवश्यक कार्रवाई करता है ।

(ख) इन मामलों में जिनमें विदेशी मुद्रा ब्लैंकिट परमिटों का पूरा उपयोग कर लिया गया हो या उनकी अवधि समाप्त हो गई हो और अतिरिक्त परमिट जारी करने अथवा परमिटों का नवीकरण करने के आवेदन-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हो तो ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विदेश यात्रा के लिए तदर्थ आधार पर विदेशी मुद्रा जारी किए जाने पर विचार किया जाता है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के बम्बई और नई दिल्ली स्थित कार्यालयों द्वारा पहले पाँच बड़े औद्योगिक घरानों के कार्मिकों को वर्ष 1981-82 (31-10-1981 तक) में विदेशी यात्रा के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में तुरन्त उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) देश के विदेशी मुद्रा साधनों के संरक्षण की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही जुलाई, 1981 से विदेश यात्रा के सम्बन्ध में सभी आवेदन-पत्रों की पहले से अधिक कड़ाई से छानबीन कर रहा है जिसमें विदेशी मुद्रा ब्लैंकिट परमिटों का जारी किया जाना भी शामिल है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के बम्बई और नई दिल्ली स्थित कार्यालयों द्वारा प्रथम पाँच बड़े औद्योगिक घरानों के कार्मिकों को 1981-82 के दौरान (31 अक्तूबर, 1981 तक) उनको विदेश-यात्रा के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा का विवरण ।

समूह			(रकम रुपयों में) 1981-82 (31. 10.1981 तक)
1. टाटा	भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई	तदर्थ	42,45,298
		ब्लैंकिट परमिट	50,00,000
	भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली	तदर्थ	शून्य
		ब्लकिट	शून्य

1	2	3	4	5
2.	बिड़ला	भारतीय रिजर्व बैंक	तदर्थ	9.84 576
		बम्बई	ब्लेंकिट परमिट	1,00,000
		भारतीय रिजर्व बैंक	तदर्थ	2,84,911
		नई दिल्ली	ब्लेंकिट परमिट	शून्य
3.	मफतलाल	भारतीय रिजर्व बैंक	तदर्थ	6,16,474
		बम्बई	ब्लेंकिट परमिट	23,55,000
		भारतीय रिजर्व बैंक	तदर्थ	शून्य
		नई दिल्ली	ब्लेंकिट परमिट	शुन्य
4.	जे. के. सिंधानिया	भारतीय रिजर्व बैंक	तदर्थ	2,34,644
		बम्बई	ब्लेंकिट परमिट	3,50,000
		भारतीय रिजर्व बैंक	तदर्थ	8,29,609
		नई दिल्ली	ब्लेंकिट परमिट	2,00,000
5.	थापर	भारतीय रिजर्व बैंक	तदर्थ	8,70.836
		बम्बई	ब्लेंकिट परमिट	21,67,000
		भारतीय रिजर्व बैंक	तदर्थ	2,81,000
		नई दिल्ली	ब्लेंकिट परमिट	3,00,000

न्यासों की ओर बकाया आयकर की राशि

6500. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े न्यासों की ओर आय कर का एक लाख रु० (1,00,000 रु०) से अधिक कितनी राशि बकाया है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक न्यास का नाम, पता क्या है तथा उसकी ओर बकाया राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) में, परिभाषित व्यक्ति में अन्य के साथ-साथ, व्यक्तियों का संगम तथा कृत्रिम विधिक व्यक्ति भी शामिल है। किसी न्यास के न्यासियों का, उनकी प्रतिनिधि कर-निर्धारितियों की क्षमता में, कर-निर्धारण आमतौर पर व्यक्तियों के संगम की हैसियत में किया जाएगा। वार्षिक वित्त अधिनियम में न्यासों के लिए लागू होने वाली आयकर की कोई अलग दरें निर्धारित नहीं की जातीं तथा न्यासों के बकाया करों के बारे में विभाग द्वारा कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। में 10 लाख रुपये से अधिक की आयकर की मांगों के बारे में विभाग द्वारा समय-समय पर सूचना एकत्र की जाती है और इस प्रकार की सूचना फिलहाल 30-9-1981 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध है। इस प्रकार उपलब्ध आंकड़ों से न्यासों के रूप में अभिनिर्धारित

ऐसे मामलों के बारे में, जिनमें 30-9-1981 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रु० से अधिक की कर की बकाया थी, अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

30-9-1981 की स्थिति के अनुसार जिन न्यासों की ओर 10 लाख रुपये से अधिक की बकाया मांग और जहां 1 लाख रुपये से अधिक की आयकर की राशि बकाया पड़ी है, उनके सम्बन्ध में ब्यौरे दर्शाने वाली सूची।

क्र० संख्या	न्यास का नाम तथा पता	30-9-1981 की स्थिति के अनुसार बकाया मांग (लाख रुपये में) बकाया कर	देय नहीं बनी/बसूली योग्य नहीं बनी मांग
1	2	3	4
1.	धर्मार्थ ट्रस्ट, जम्मू	40.52	—
2.	भारत सेवक समाज, 22, सरदार पटेल रोड, नई दिल्ली	38.51	—
3.	ट्रक आपरेटर्स यूनियन, 4650, रोशनारा रोड, दिल्ली	11.11	—
4.	अनुपम चैरिटेबल ट्रस्ट, कोटा	111·40	—
5.	रजनीश फांउडेशन, कोरागांव पार्क, पुणे-1	34.46	79.63
6.	मैनेजिंग ट्रस्टी, नागी रेड्डी चैरिटीज, 213 आर्काट रोड, मद्रास-26	12.14	—
7.	पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोपेगण्डा इंस्टीट्यूशन, 2, रनडोत्स रोड, मद्रास-7	11.36	—
8.	थाँथी ट्रस्ट, 46, ई० वी० के सम्पत रोड, मद्रास-7	22.65	113.00
9.	आन्ध्र प्रदेश वैलफेयर फण्ड, वैस्ट गोदावरी, जिला एलूरू	64.78	0.13
10.	मेडिकल एजूकेशन सोसाइटी, मेडीकल कालेज, काकीनाडा	74.81	—
11.	मेकिंलयाड कं० लि० इण्डस्ट्रीज, पेन्शन फण्ड, 3 अलीपुर रोड, कलकत्ता-1	22.57	—

सदर बाजार, दिल्ली छावनी में छावनी की भूमि पर अवैध कब्जा

6501. **श्री शिबुसोरन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी के निवासियों ने छावनी भूमि, विशेषकर सदर बाजार, दिल्ली कैण्ट की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों की कुल संख्या क्या है तथा ऐसे लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है और उनके द्वारा कितनी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है; और

(ग) सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं, संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3845/82]

(ग) छावनी बोर्ड द्वारा सार्वजनिक भवन (अनाधिकृत कब्जाधारियों को निष्कासित करना) अधिनियम, 1971 और छावनी अधिनियम, 1924 के संगत प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त भाग (ख) के विवरण में दिए गए ब्यौरों पर कार्रवाई की जा रही है ।

आल इण्डिया एक्स-सर्विसमैन बैंक एम्पालाइज फैडरेशन द्वारा अभ्यावेदन

6502. **श्री चतुर्भुज :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री के० प्रधानी :

श्री रामविलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिपिकीय/अधीनस्थ स्टाफ में सेवारत भूतपूर्व सैनिकों के साथ किए गए अन्याय के बारे में आल इण्डिया एक्स-सर्विसमैन बैंक एम्पलाइज फैडरेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उनकी मांगों के समर्थन में कुछ संसद् सदस्यों से भी सरकार को पत्र लिखे हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा आल इण्डिया एक्स-सर्विसमैन बैंक एम्पलाइज फैडरेशन द्वारा उठाई गई मांगों का स्वरूप क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (घ) का उत्तर नकारात्मक है तो निर्णय लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी फैडरेशन यह मांग करता रहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनर्नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को उनके वेतन के निर्धारण तथा पदोन्नतियों में उनकी सैनिक सेवा के लाभ भी प्राप्त होने चाहिए और बैंकों की पदोन्नति नीति एक समान होनी चाहिए ।

(घ) से (च) फैडरेशन के अभ्यावेदन की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनर्नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारित करते समय सैनिक सेवा में उनको प्राप्त होने वाले अन्तिम मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते को सुरक्षित रखा जाएगा । इस

रूप में भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारित करते समय उनको 125 रुपये प्रति माह तक की पेंशन को नजर अन्दाज कर दिया जायगा ।

अलबत्ता, भूतपूर्व सैनिकों को, नागरिक पदों में स्थायीकरण, पदोन्नति आदि के प्रयोजन के लिये वरिष्ठता के वास्ते, सशस्त्र सेनाओं में उनकी सेवा की गणना का लाभ नहीं मिलता है । इसके अलावा, बैंकों में पदोन्नतियाँ सामान्यत: प्रत्येक बैंक के प्रबन्धों और उनके कर्मचारियों की बहुमत वाली यूनियन के बीच हुए करार द्वारा शासित होती है । क्योंकि प्रत्येक बैंक में विद्यमान ऐतिहासिक और व्यावहारिक स्थितियों के संदर्भ में अलग-अलग करार किये जाते हैं इसलिए इनमें कोई एकरुपता नहीं होती । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत ये करार प्रबन्धकों के लिए बाध्यकारी होते हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के वेतन/वरिष्ठता आदि का निर्धारण

6503. **श्री सुन्दर सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रक्षा सेवाओं में भी आपातकाल सैनिक अधिकारियों/अल्प सेवा कमीशन संवर्ग में की गई सेवाओं का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनके वेतन/वरिष्ठता आदि के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या ये आदेश अन्य रैंक वाले भूतपूर्व सैनिकों को भी लागू किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन्ड अधिकारियों/अल्पसेवा कमीशन अधिकारियों, जिन्होंने कि कमीशन-पूर्व के प्रशिक्षण में भाग लिया था अथवा और जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 और 10-11-1968 के बीच सशस्त्र सेवाओं में कमीशन आफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उनकी पुनर्नियुक्ति होने पर उन्हें, उनके वेतन के निर्धारण में उनकी सैनिक सेवा का लाभ दिया गया है । अलबत्ता, उन्हें उनकी वरिष्ठता में इस प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनर्नियुक्त अन्य भूतपूर्व सैनिकों के मामले को अलग आधार पर तय किया जाता है और उनके वेतन का निर्धारण पृथक आदेशो द्वारा किया जाता है ।

कालाबाजारियों द्वारा बेनामी नामों में घोड़े रखा जाना

6504. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कालाबाजारियों ने बेनामी नामों से घोड़े रखे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे कदाचारों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) विभाग की

जानकारी में ऐसे विशिष्ट दृष्टान्त नहीं आये हैं कि चोरबाजारियों द्वारा बेनामी नामों से घोड़े रखे गये हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

चमड़े के निर्मित उत्पादकों के लिये नकद राज सहायता

6505. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चमड़े के निर्मित उत्पादों को उत्पादकों को और अधिक नकद सहायता देने के लिए योजना बना रही है;

(ख) क्या चमड़े के माल के भेजते समय भाड़े के स्थान पर राज सहायता दिया जाना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का चमड़ा के निर्मित उत्पाद के उत्पादकों को कहेगी कि वे चमड़े के निर्मित माल बनाने वाले उद्योग में लगे श्रमिकों को इसके लाभ का एक अंश दें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) चूंकि चमड़ा उत्पादकों के निर्यात के लिये नकद मुआबजा सहायता और वायु भाड़ा उपदान भारतीय निर्यातकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कतिपय बाधाओं को निष्प्रभावित करने के लिये है अतः अन्यों को उपदान अंश देने का प्रश्न नहीं उठता।

राज औद्योगिक तथा निवेश निगम महाराष्ट्र द्वारा मांगी केन्द्रीय सहायता

6506. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को आकर्षित करने तथा आधारभूत ढाँचों की कमियों को दूर करने पर्याप्त आदान सुविधाएं देने तथा औद्योगिक निवेश को तेज करने के प्रयास के लिए राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम, महाराष्ट्र ने केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग की है;

(ख) क्या केन्द्र का विचार महाराष्ट्र सरकार के साथ तालमेल करके गैर-निवासी भारतीय तथा अन्य बाहरी स्रोतों से औद्योगिक निवेश हेतु राशि प्राप्त करने के लिए राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम, महाराष्ट्र की सहायता करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : न तो राज्य सरकार ने और न ही महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम ने नए उद्योग धन्धों की स्थापना के लिए अनिवासी निवेशकों का पता लगाने के संबंध में केन्द्र से सहायता मांगी है। किन्तु राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि उनके आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए केन्द्र एक विशेष कक्ष खोल सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि वर्तमान कार्यभार को देखते हुए कक्ष

की स्थापना उचित नहीं ठहरती और यदि भविष्य में प्रस्तावों की संख्या बढ़ गई तो कक्ष की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

कानपुर डिविजन से ए० एन० 32 विमान के निर्माण की योजना को रद्द किया जाना

6507. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर डिवीजन में ए. एन. 32 विमान के निर्माण की योजना रद्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस विमान का देश में निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) ए एन-32 विमान के निर्माण की योजना छोड़ दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा के तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

6508. **श्री राम प्यारे पन्निका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा के तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनके गिरोह के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इन गिरोहों को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनका पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : सीमशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बना दिया गया है जिससे तस्करों के बड़े गिरोहों का पता लगाया जा सके तन्हें निष्क्रिय बनाया जा सके। वर्ष 1981 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा की तस्करी में ग्रस्त 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

विदेशी मुद्रा की तस्करी में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार उप-

युक्त कार्यवाही शुरू कर दी गई थी जिसमें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को लागू करना भी शामिल है।

सिंगापुर द्वारा भारत से सर्जीकल ड्रेसिंग का आयात करने पर प्रतिबन्ध

6509. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर सरकार ने भारत में 'सर्जीकल ड्रेसिंग' के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस देश को सर्जीकल ड्रेसिंग का निर्यात करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मूल रसायन, भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, जो कि भारत से सर्जीकल ड्रेसिंग के निर्यातों की देखरेख करती है, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सिंगापुर को सर्जीकल ड्रेसिंग के नियमित निर्यातक निम्नलिखित हैं :

(1) मैं० जैयर एण्ड कं०, कलकत्ता।

(2) मैं० बी० एन० सरदार एण्ड संस, कलकत्ता और

(3) मैं० सरकार सर्जीकल्स, कलकत्ता।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

6510. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार, गृह-मंत्रालय के दिनांक 20 सितम्बर, 1979 के का० ज्ञा० संख्या 14014/11/79 प्रतिस्थापना (डी) के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त प्राप्त हुए हैं;

(ख) उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत कितने लोगों को नियुक्ति दी गई है और नियुक्ति हेतु कितने मामले विचाराधीन हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अनुकम्पा के आधार पर उन्हें नियुक्ति देने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

सशस्त्र सेना पेंशनरों की शिकायतें

6511. **श्री ए० लीला लोहिथादसन नाडार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सशस्त्र सेना पेंशनरों की शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या नार्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट आर्मड फोर्सेज पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध में ज्ञापन भेजा है; और

(घ) यदि हाँ, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार को भूतपूर्व सैनिकों और उनके संघों से उनके पेंशन से सम्बन्धित मामलों पर समय-समय पर अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त होते रहते हैं। अभी हाल में 3 मार्च, 1982 को श्री सी० पलानीअप्पन, संसद सदस्य ने रक्षा मंत्री को नार्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट आर्मड फोर्सेज पेंशनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का एक अभ्यावेदन भेजा है। एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों की स्थिति इस प्रकार है :—

(एक) पेंशन अधिनियम 1971 में परिवर्तन और पेंशनर सलाहकार समिति का गठन

पेंशन अधिनियम 1971 का किसी भी तरह से पेंशनरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बल्कि यह उनके हितों की रक्षा करने वाला कानून है। उदाहरणार्थ अधिनियम की धारा 11 पेंशन को सम्बद्ध किए जाने से बचाती है। पेंशन अधिनियम पेंशन की दरों को विनियमित नहीं करता है। इस तरह उसको बदल देने से कोई अन्तर नहीं आएगा। पेंशन के दरें और उसकी मंजूरी तीनों सेनाओं के पेंशन विनियमों और समय-समय पर जारी किए गए अनेक अनुदेशों द्वारा विनियमित की जाती है। इन विनियमों में संशोधन करके या प्रशासकीय अनुदेश जारी करके पेंशन नियमों को उदार बनाया जा सकता है न कि पेंशन अधिनियम, 1971 को रद्द करके। इस प्रकार नया कानून बनाकर पेंशन अधिनियम में परिवर्तन करने या पेंशनरों के लिए सलाहकार समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार ने पेंशन संशोधन विधेयक 1981 पहले ही लागू कर दिया है ताकि पेंशनर किसी व्यक्ति को नामित कर सके जो पेंशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु के समय पेंशन की जो राशि बकाया रह जाए उसे ले सके।

(दो) न्यूनतम पेंशन

वित्त मंत्री ने अभी हाल के अपने बजट भाषण में राहत सहित न्यूनतम सेवा-निवृत्ति पेंशन और परिवार पेंशन बढ़ाकर क्रमशः 150/-रुपये प्रतिमाह और 140/-रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव किया है।

(तीन) पेंशनरों और सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की समान दर पर मंजूरी।

तृतीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सेवारत कर्मचारियों को 12 महीने

के औसत मूल्य सूचकांक में आठ पाइंट की हर वृद्धि पर महंगाई भत्ते की एक किश्त मंजूर की जानी चाहिए। पेंशनरों के मामले में कमीशन ने 12 महीने के औसत मूल्य सूचकांक में 16 प्वाइंट की वृद्धि पर पेंशन राहत के रूप में एक किश्त देने की सिफारिश की थी जो पेंशन का 5% होगा परन्तु इसकी कम से कम राशि 5/-रुपये और अधिक से अधिक 25/-रुपये होगी। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और इसी के अनुसार सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मंजूर की जा रही थी। सरकार ने अब इस संबंध में आगे और भी सुधार किया है। अब पेंशनरों को राहत मूल्य सूचकांक में 8 प्वाइंट की वृद्धि पर पेंशन का 2½% दिया जा रहा है जो कम से कम 2.50 रुपये और अधिक से अधिक 12.50 रुपये प्रति माह होगी।

(चार) 1.1.64 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की विधवाओं को परिवार पेंशन की मंजूरी

सिविल क्षेत्र में लागू इसी प्रकार की योजना के आधार पर सेवारत कार्मिकों के लिए वर्तमान सामान्य परिवार पेंशन योजना 1.1.64 से लागू की गई थी और यह योजना पेंशन नियमों में वर्णित रियायतें आगामी तारीख से प्रभावी करने की सरकार की सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए केवल उस तारीख (1.1.64) को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सेना के कार्मिकों पर ही लागू होती है।

(पांच) पेंशन में असमानता

सिविलियन और सैनिक दोनों ही प्रकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के लाभ सेवानिवृत्त होने के समय लागू नियमों के अनुसार दिए जाते हैं और एक सामान्य नीति के अनुसार पेंशन नियमों में रियायत केवल आगामी तारीख से प्रभावी की जाती है। इस नीति को ध्यान में रखते हुए पेंशन निर्धारण के नए फार्मूले को लागू करने के परिणामस्वरूप संशोधित दरें 1.4.1979 से लागू की गई थी और इन्हें पूर्वव्यापी तिथि से लागू नहीं किया गया जिससे इस तिथि से पहले सेवानिवृत्त कार्मिक भी इसके अन्तर्गत आ जाते है जहां तक पेंशनरों की क्रय शक्ति बनाए रखने का सम्बन्ध है उन्हें जीवन निर्वाह में बढ़ती हुई मूल्यवृद्धि को पूरा करने के लिए समय-समय पर राहत मंजूर की जाती है। इसके अलावा वित्त मंत्री की अभी हाल की घोषणा के अनुसार राहत सहित सेवानिवृत्ति पेंशन और परिवार पेंशन क्रमश: 150/- रुपये और 140/-रुपये प्रतिमाह होगा।

(छह) पेंशन संराशिकरण को पुन: मंजूर किया जाना

सिविल पेंशनरों के समान ही सैनिक पेंशनरों को भी यह विकल्प है कि वे (1) अपनी पेंशन की पूरी रकम प्रतिमाह जीवन भर लेते रहें या (11) उसके एक भाग को संराशिकृत करवा दें और उसे प्रति माह प्राप्त करने के स्थान पर एकमुश्त प्राप्त कर लें। दूसरा विकल्प देते समय उन्हें संराशिकृत किए गए पेंशन के भाग को आजीवन छोड़ने और प्रति माह शेष बची पेंशन ही प्राप्त करने का वचन देना होता है। यदि वे उस अवधि के बाद भी जीवित रहते हैं जिसके लिए संराशिकरण निर्धारित किया गया

था तो संराशिकृत की गई पेंशन पुनः चालू नहीं की जाती है। इसी प्रकार यदि पेंशनर की मृत्यु पहले हो जाती है तो उससे कोई वसूली नहीं की जाती है। बहरहाल यह नियम केवल सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों के लिए ही लागू नहीं है बल्कि सिविलियन पेंशनरों पर भी समान रूप से लागू होता है। इसलिए पेंशन के संराशिकृत भाग को पुनः चालू करने के प्रश्न पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। इस योजना को सभी सेवानिवृत्त पेंशनरों के जीवन की दीर्घकालिता पर आधारित पैकेज को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए ताकि यह एक जीवन बीमा की तरह हो जिसमें वित्तीय क्षमता, हानियों और लाभों के संतुलन पर आधारित होती है। अतः यह मामला वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण में से आयात किया गया माल

6512. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋणों में से आयात किए जाने वाले माल की विशिष्ट मदें तथा श्रेणी क्या है और कुल आयात में उनका अनुपात क्या है;

(ख) क्या भारत सरकार देश में अनुपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा पूंजीगत माल का ही आयात करने में सक्षम हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विकल्प का उपयोग करने जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित व्यवस्था का उद्देश्य मध्यम दर्जे के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की सहायता करना है जो छठी पंचवर्षीय आयोजना का अनिवार्य अंग है, और इसका आयात की विशिष्ट मदों से सम्बन्ध नहीं है।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

6513. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राइवेट आयातकर्ताओं द्वारा आयात किये जाने वाले खाद्य तेलों पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्राइवेट आयातकर्ताओं द्वारा खाद्य आयात किये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस अत्यधिक शुल्क से बाजार के रुख पर प्रभाव पड़ रहा है और इससे मूल्यों की मात्रा की गणना हेतु सट्टेबाजों को प्रोत्साहन मिल रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क की वर्तमान दरें निम्नोक्त प्रकार हैं :

	मूल शुल्क	उप शुल्क
1) जमा हुआ वनस्पति तेल, द्रव अथवा ठोस, कच्चा, परिष्कृत अथवा शोधित परन्तु इसमें रेपशीड तेल तथा सोयाबीन तेल शामिल नहीं है ।	125 प्र० श०	30 प्र० श०
2) रेपशीड तेल तथा सोयाबीन तेल ।	45 प्र० श०	15 प्र० श०

(ख) 1981-82 के लिये आयात नीति में निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में ताड़ तेल तथा नारियल के तेल के आयात के लिये सीमित व्यवस्था थी ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण के लिये विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ बातचीत

6514. **श्री अजय विश्वास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने 4 बिलियन डालर के अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण हेतु विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री क्लोसेन्स के साथ बातचीत की है; और

(ख) बातचीत के क्या परिणाम निकले और इस ऋण के लिए विश्व बैंक द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री ए० डब्ल्यू क्लासन के नेतृत्व में एक दल ने 18 से 23 जनवरी, 1982 तक भारत की यात्रा की थी । दल के साथ हुई बातचीत अगले दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की वचनबद्धताओं की स्थिति, विशेष रूप से विश्व बैंक के आबंटन के मापदण्ड के आधार पर भारत के हिस्से से सम्बन्धित थी । लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के 4 अरब अमेरिकी डालर के ऋण के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई थी ।

रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग

6515. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा फ्रांस ने रक्षा उपकरण तथा भारत में उनके निर्माण के क्षेत्र में किसी विविध मुखी "मेमोरेण्डम आफ अंडरस्टैंडिंग" पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ग) इस करार के अन्तर्गत कौन-कौन सी रक्षा मदें सम्मिलित होंगी; और

(घ) क्या दसमें "फलाई अवे" स्थिति में भावी 40 मिराज-2000 विमान की खरीद का अन्तिम सौदा शामिल होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) भारत और फ्रांस की सरकारों ने भारत सरकार के उपयोग के रक्षा उपकरण खरीदने और उनका भारत में निर्माण करने के

लिए एक (सहमति ज्ञापन) "मैमोरेण्डम आफ अन्डरस्टेंडिंग" पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यौरों को प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा। मिराज 2000 विमान को खरीदने के संबंध में फ्रांस की सम्बन्धित कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है।

कृषि विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कोष द्वारा कृषि परियोजनाएं

6516. **श्री के० टी० कोशलराम : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सर्वाधिक गरीब भाग में कृषि विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कोष द्वारा सहायता देने हेतु हाल ही में कौन कौन सी कृषि परियोजनाओं का चयन किया गया है;

(ख) उक्त कोष द्वारा किन-किन परियोजनाओं को पहले ही सहायता दी जा रही है; और

(ग) कोष द्वारा कितनी और सहायता बढ़ाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) इस समय अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा निम्न परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है :—

1. भौम कमान क्षेत्र विकास परियोजना	385 लाख एस० डी० आर (500 लाख अमेरिकी डालर)
2. राजस्थान कमान क्षेत्र विकास परियोजना	427 लाख एस० डी० आर (550 लाख अमेरिकी डालर)
3. सुन्दरबन विकास परियोजना	1335 लाख एस० डी० आर (175 लाख अमेरिकी डालर)

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 219 लाख एस० डी० आर० (250.66 लाख अमेरिकी डालर) की सहायता के लिए बातचीत पूरी हो चुकी है।

भविष्य में संभाव्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि बिकास कोष को परियोजनाएं प्रस्तुत की गई है। वस्तुत: जिन परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी यह अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के साथ आगे की बातचीत और परियोजना की प्रगति की स्थिति पर निर्भर करेगा।

व्यवसायों आदि पर कर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन

6517. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यवसाय, व्यापार, पेंशों तथा रोजगार पर कर के सम्बन्ध में सविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन करने का है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इसमें संशोधन के लिए स्थानीय अधिकारियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ और इसे संशोधित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) हाल ही में इस मंत्रालय को गुजरात सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 276 में विनिर्दिष्ठ व्यवसायों पर कर लगाने के लिए 250/- रुपये की अधिकतम सीमा में संशोधन किया जाए और उसे बढ़ा कर 2500/- रुपये प्रति वर्ष किया जाए। इस मामले पर विचार किया गया और यह महसूस किया गया कि व्यवसाय कर की दर में वृद्धि करने से वेतनभोगी वर्गों पर, विशेषकर निम्नतर वेतन स्तरों वाले वर्गों पर, कठिनाइयों का इस कारण से और भी अधिक बोझ पड़ेगा, कि इस व्यय की आयकर के प्रयोजन के लिए कटौती करने की अनुमति नहीं होती है। यह देखा गया था कि कुछ राज्यों में व्यवसाय की उच्चतम दर वर्तमान में उन व्यक्तियों पर लगाई जाती है जो प्रतिवर्ष 18,000/- रुपये और उससे अधिक का वेतन प्राप्त करते हैं, जिससे यह देखने में आया कि व्यवसाय कर की बढ़ी हुई दरों का बोझ निम्नतर आय खण्डों वाले व्यक्तियों पर पड़ेगा। यह महसूस किया गया था कि यह सब निम्नतर आय-कर खंडों में कराधान की दरों के उदारीकरण की नीति के विरुद्ध होगा। इसे ध्यान में रखते हुए इस बारे में गुजरात सरकार के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों द्वारा भरे जाने वाले वरिष्ठ निजी सहायकों के पदों को विभागीय उम्मीदवारों से भरा जाना

6518. **श्री हरीश कुमार मंगवार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों से भरे जाने वाले वरिष्ठ निजी सहायकों के अनेक पदों पर विभागीय अभ्यार्थियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति कर दी जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो जिस वर्ष वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायकों के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी, तो उस समय पेनल तैयार करते समय ऐसे आशुलिपिक, जो उसमें रिक्त पदों की कमी के कारण मेरिट सूची में आने से छूट गए थे ऐसी रिक्तियों पर पहले से ही उपलब्ध संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को किन कारणों से पदोन्नति नहीं किया गया है।

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के 50% रिक्त पदों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ग्रेड सी आशुलिपिकों से उनकी योग्यता क्रम सूची के अनुसार भरा जाता है, शेष 50% रिक्त पदों ग्रेड सी के पात्र आशुलिपकों में से उनके वरिष्ठता क्रम से भरा जाता है। परन्तु जिन्हें उपयुक्त नहीं समझा जाता उन्हें छोड़ दिया जाता है। अल्प कालिक रिक्तियों को, जो बिना भरी रह जाती हैं, उन्हें अस्थाई (तदर्थ) आधार पर, पात्र ग्रेड सी आशुलिपिकों में से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। परन्तु जिन्हें उपयुक्त नहीं पाया जाता उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसी अस्थाई (तदर्थ) पदोन्नतियों को उस समय समाप्त कर दिया जाता है जब रिक्त पदों को भरने के लिए चयन सूची में शामिल किए गए व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं।

चूँकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गई चयन सूची, तुलनात्मक योग्यता के आधार

पर तैयार की जाती हैं, इसलिए उन व्यक्तियों को, जिन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है, अस्थाई रिक्तियों पर पदोन्नति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

नारियल की जटा से बने सामानों के लिए राजसहायता

6519. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी बाजार में आई मंदी को देखते हुए और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यात किये जाने वाले नारियल की जटा से बने सामानों पर राजसहायता या नकदी प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : कयर और कयर माल की कतिपय किस्मों पर नकद मुआवजा सहायता 31-3-1982 तक उपलब्ध थी । 31-3-82 के बाद नकद मुआवजा सम्बन्धी सरकार की सामान्य नीति को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

तनजानिया को एल्यूमिनियम सल्फेट की सप्लाई के लिए भुगतान

6520. **श्री तारिक अनवर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तंजानिया जल तथा ऊर्जा मंत्रालय ने अनुमानतः लगभग 3,75,000 डालर मूल्य का एल्यूमिनियम सल्फेट की भारतीय खेप को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या इसकी सप्लाई सरकार द्वारा अथवा किसी गैर सरकारी पार्टी द्वारा की गई थी; यदि गैर सरकारी पार्टी द्वारा की गई थी तो उस पार्टी का नाम क्या है; और

(ग) क्या सप्लाई कर्त्ता को भुगतान कर दिया गया था अथवा रोक लिया गया था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हाँ, तंजानिया जल तथा ऊर्जा मंत्रालय ने एल्यूमिनियम सल्फेट की भारतीय खेप स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ।

(ख) एल्यूमिनियम सल्फेट मैसर्स सवजी जे० एन० जेठवा एण्ड संस, बम्बई नामक एक गैर-सरकारी पार्टी द्वारा सप्लाई की गई है ।

(ग) एल्यूमिनियम सल्फेट के भारतीय सप्लायर को पूरा भुगतान मिल गया है ।

स्टैनलेस स्टील स्क्रैप आदि के आयात पर प्रतिबन्ध

6521. **श्री एस० टी० कादरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी भी प्रकार के लाइसेंस के अन्तर्गत स्क्रैप दोषपूर्ण और सर्किल स्टैनलैस स्टील का आयात करने पर प्रतिबन्ध लगाने का है जिससे कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा की व्यर्थ की हानि को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इसके आयात को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : 1982-83 के लिए आयात नीति अभी घोषित नहीं है। इस स्तर पर कोई ब्यौरे देना सभव नहीं है।

सरकार के पास अनिर्णीत पड़ रबड़ बोर्ड के पेंशन मामले

6522. **श्री जार्ज जोसफ मुंडावल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ बोर्ड के कितने पेंशन भोक्ताओं के पेंशन के दावे निम्नलिखित अवधि से मंत्रालय के पास निर्णय के लिए लबित हैं :

(1) सेवा निवृत्ति से दो वर्ष तक

(2) सेवानिवृत्ति से पाँच साल तक

(3) सेवानिवृत्ति से तेरह साल तक

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय ने कितने मामलों में निर्णय लिया है; और

(ग) इन मामलों में शीघ्र निर्णय लेने के प्रति क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : वाणिज्य मंत्रालय के पास रबड़ बोर्ड के पेंशनरों के कोई दावे लम्बित नहीं हैं। नियमों के अनुसार, पेंशन के दावे निपटाने के लिए रबड़ बोर्ड सक्षम है।

पालम हवाई हड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधायें

6523. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर जितनी भीड़ रहती है उसके अनुपात में वहाँ यात्रियों के लिए सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो अन्य बातों के साथ-साथ वहाँ कम से कम स्वच्छता का स्तर बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : यह सच है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर वर्तमान सुविधाएं व्यस्ततम समय में या उड़ानों का जमघट होने के कारण भीड़ होने के समय यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तथापि, सफाई के स्तर में सुधार करने के लिए, 6 शौचालयों का पहले ही नवीकरण किया जा चुका है और सात अन्य का नवीकरण किया जा रहा है।

दीर्घकालीन उपाय के रुप में, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, अक्तूबर, 1982 तक पूरा होने वाले एक नये अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थान भवन का निर्माण आरम्भ कर दिया है।

दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा उपमार्गों पर प्लेटफार्मों का निर्माण किया जाना

6524. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा उप-

मार्गों पर प्लेट फार्मों का निर्माण किये जाने के बारे में 5 मार्च 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में मिट्टी के तेल का भंडार खुले स्थान में करने के लिए प्लेटफार्मों का निर्माण कराये जाने की क्या आवश्यकता थी;

(ख) मिट्टी के तेल के दो विक्रेताओं के लिए न कि अन्य विक्रेताओं के लिए इन प्लेटफार्मों का निर्माण करने के क्या कारण थे;

(ग) अन्य व्यापारिक माल से प्रज्वलनशील वस्तुओं को अलग करने के पीछे प्राधिकारियों का क्या उद्देश्य है; यदि हां, तो क्या सभी प्रकार की अन्य प्रज्वलनशील वस्तुओं के लिए पृथक-पृथक स्थानों की व्यवस्था की जाएगी; और

(घ) क्या इन प्लेटफार्मों को हटाया/तोड़ा जाएगा, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सरकार प्रश्न में वर्णित विषय से सीधे संबंधित नहीं है। छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 के अनुसार छावनी बोर्ड लाईसेंस देने के लिए प्राधिकृत है। और इस प्राधिकार के अन्तर्गत यह ज्वलनशील मदों की बिक्री के लिए लागू विनियमों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के तेल की बिक्री के लिए प्लेटफार्म इत्यादि के लिए लाईसेंस दे सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

6525. **श्री चित्त महाडा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों आदि को किस आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है;

(ख) यह प्रणाली किस आधार पर बनाई गई थी और उस समय किन कारणों से इस प्रणाली को अपनाया गया था; और

(ग) इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिए जाने की प्रणाली के बारे में सरकार ने हाल में क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : अक्तूबर 1970 में इस्पात उद्यमों में मजूरी समझौते के लिए सयुक्त रूप से तय किए गए मजूरी करार में 1960—100 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, में प्रत्येक अंक की बढ़ोतरी के लिए 1.30 रुपए की दर से महंगाई भत्ते की घटाबढ़ी की व्यवस्था की गई है। इस करार के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्यम एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में टाटा आइरन एण्ड स्टील कं० लि० नामक कारखाना आता है। तदोपरांत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने भी अपने मजूरी समझौते के लिए महंगाई भत्ते की वही दर स्वीकार की है। जब तीसरे वेतन आयोग ने रिपोर्ट दी तो केन्द्रीय सरकार के न्यूनतम वेतनभोगी कर्मचारी के लिऐ प्रत्येक अंक की बढ़ोतरी पर निर्धारित महंगाई भत्ते की दर 1.30 रु० से कम थी। किन्तु सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में महंगाई

भत्ते की वही दर लागू रखने और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के न्यूनतम वेतनभोगी कामगार को निर्वाह खर्च सूचकांक में वृद्धि से मुक्त रखने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए न्यूनतम मजूरी को युक्तिसंगत बनाने का निश्चय किया है। महंगाई भत्ते की दर में तबदीली करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गणतंत्र दिवस समारोह पर व्यय की गई राशि

6526. **श्री सी० पलानीअप्पन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 में नयी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह पर कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) 26.1.1982 को नई दिल्ली में गणतंत्र परेड देखने के लिए कितने व्यक्ति आये थे;

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का प्रबन्ध विभिन्न एजेंसियां करती हैं अर्थात केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां। इस संबंध में प्रक्रियों के अनुसार विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय को वे एजेंसियां ही वहन करती हैं जो उन मदों/कामों से संबंधित होती हैं। गणतंत्र दिवस के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय का पूरा लेखा एकत्रित करके गणतंत्र दिवस से संबंधित व्यय के अलग शीर्ष में नहीं दिखाया आता है। इसलिए कुल व्यय के आँकड़े बनाना सम्भव नहीं है।

(ख) नई दिल्ली में गणतन्त्र दिवस परेड विजय चौक से प्रारम्भ होती है और लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करके लालकिले पर समाप्त होती है। सम्पूर्ण मार्ग में लोग इसे देखते हैं। बैठने के एन्कलोजरों की व्यवस्था राज पथ पर रफी मार्ग और मान सिंह मार्ग के बीच छोटे से हिस्से में की जाती है। कितने लोगों ने परेड देखी है उसका कोई हिसाब नहीं लगाया गया है।

अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाना

6527. **श्री नरसिंह मकवाना** :

श्री आर० पी० गायकवाड : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किये जाने से सम्बन्धित गुजरात सरकार के आवेदन पत्र पर क्या निर्णय लिया गया है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब तक बना दिया जाएगा;

(ख) अमृतसर और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों की तरह बाहर से आने तथा यहाँ से बाहर जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, अहमदाबाद हवाई अड्डे में स्टाप बनाने का प्रबन्ध करने में क्या कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं; और

(ग) विदेशों से आने-जाने वाले गुजरात के यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए अमृतसर और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों की तरह अहमदाबाद हवाई अड्डे में व्यवस्था करने में क्या कठिनाइयाँ महसूस की जा रही हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) : एयर इंडिया देश के किसी भी विमान क्षेत्र से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें परिचालित कर सकती है। यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है तथापि इस यातायात से अहमदाबाद से उड़ानों का परिचालन करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। अहमदाबाद विमान क्षेत्र पर परिचालनात्मक सुविधाएं सीमित है। वर्तमान धावन पथ पर केवल छोटी दूरी वाले सैक्टरों पर बोइंग 707 विमानों के सीमित परिचालन किये जा सकेंगे। बोइंग-707 तथा बोइंग-747 विमानों के परिचालन के लिये यह विमान क्षेत्र उपयुक्त नहीं है।

प्रत्यक्ष करों को कम करने के बारे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष (श्री महेन्द्र पाल पुरी) द्वारा दिया गया वक्तव्य

6528. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब, हरियाणा, और दिल्ली वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के हाल में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सरकार के राजस्व में वृद्धि करने और कर अपवंचन तथा काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिये प्रत्यक्ष करों की दरें कम करनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में सरकार का विचार वित्त विधेयक, 1982 में परिलक्षित है।

जीवन बीमा निगम द्वारा भारत सरकार के नियमों का पालन किया जाना

6529. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों में नियमों में समुचित उपबंध किया गया है जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष को सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को रोजगार देने की शक्ति प्रदान की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम में ऐसा कोई नियम नहीं है और सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को निगम में रोजगार नहीं दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो 1981 के दौरान कितने मामलों में दिल्ली में जीवन बीमा निगम की विभिन्न शाखाओं में सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी और रोजगार पाने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और आवेदन-कर्ताओं के नाम क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) में यथा उल्लिखित उपबंध न किए जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार 1981 में मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों में से एक को रोजगार देने का तथा उपरोक्त नियम सभी शाखाओं में लागू करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है गृह मत्रालय के जिन कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है उनके संबंधियों को रोजगार देने की एक योजना बनाई है। लेकिन राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में स्वतंत्र है फिर भी इन मामलों में वे सामान्यत: केन्द्र के मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों को अपनाती हैं।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी कुछ शर्तों के अधीन मृत कर्मचारी के संबंधियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में नियम बनाए हैं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नारियल अम्ल तेल और औद्योगिक तेल के नाम से नारियल के तेल का आयात

6530. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल अम्ल तेल के नामों से तथा औद्योगिक तेल के लेबल से नारियल के तेल का आयात किये जाने से नारियल के तेल के मूल्य में भारी गिरावट आई थी; जिससे देश में विकट समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि शुल्क बचाने के उद्देश्य से विभिन्न नामों से नारियल के खाद्य तेल का आयात किया जा रहा है; और

(ग) देशी बाजार में नारियल के तेल जो लाखों किसानों विशेषकर केरल के किसानों की आजीविका का साधन है के मूल्य में और आधक गिरावट को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 321 मै० टन नारियल अम्ल तेल (अखाद्य के रूप में घोषित) का कोचीन सीमाशुल्क पत्तन पर आयात किया गया है।

(ग) नारियल के तेल का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० की मार्फत सरणीबद्ध है। राज्य व्यापार निगम ने अभी तक कोई आयात नहीं किया है। 1981-82 की पूंजीकृत निर्यातकों संबंधी आयात नीति में निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में केवल नारियल के तेल/खोपड़ा के सीमित आयात की व्यवस्था है। 1982-83 के लिये नीति अभी घोषित नहीं की गई है।

कृषि भूमि से वसूल की गई सम्पदा शुल्क की कुल धन राशि

6531. **श्री सूरज भान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष कृषि भूमि से सम्पदा शुल्क की अलग-अलग कुल कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान कृषि भूमि से सम्पदा शुल्क वसूल करने पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ; और

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में कृषि भूमि से सम्पदा शुल्क हटाने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष, कृषि भूमि से वसूल की की गयी सम्पदा शुल्क की कुल रकम निम्नानुसार है :—

वर्ष	रकम (हजार रुपयों में)
1978-79	8116
1979-80	6545
1980-81	7751

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि-भूमि से सम्पदा शुल्क वसूल करने पर हुआ कुल व्यय निम्नानुसार है :—

वर्ष	रकम (हजार रुपयों में)
1978-79	611
1979-80	485
1980-81	586

(ग) जी, नहीं ।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य-सूची की प्रविष्टि 48 के अन्तर्गत, कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क, राज्य का विषय है । अतः, किसी राज्य में कृषि-भूमि पर सम्पदा शुल्क के उदग्रहण को समाप्त करने की पहल, उपयुक्ततः, सम्बन्धित राज्य सरकार की ओर से ही की जानी चाहिए ।

किसी भी राज्य में कृषि-भूमि पर सम्पदा शुल्क के उदग्रहण को समाप्त करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 में संशोधन करना होगा, जबकि इस प्रकार का कोई भी संशोधन संसद द्वारा केवल तभी पारित किया जा सकता है जब दो अथवा अधिक राज्यों की विधान सभायें इस आशय का संकल्प पारित कर दें और इस प्रकार पारित कोई भी संशोधन ऐसे राज्यों पर लागू होगा । इस प्रकार का संशोधन किसी भी ऐसे अन्य राज्य पर भी लागू होगा, जिसने उक्त संशोधन को, उस राज्य की विधान सभा, अथवा विधान सभाओं द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, इस विषय में संकल्प पारित करके बाद में अपनाया हो।

जिला केन्द्रों को हवाई उड़ानों से जोड़ने का प्रस्ताव

6532. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला केन्द्रों को हवाई उड़ानों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के लिये अनिर्णीत पड़े कम्पनी के मामले

6533. **श्री मूलचन्द डांगा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आयकर अधिनियम के अधीन 1 जनवरी, 1981 को कर निर्धारण के लिए कम्पनी के कितने मामले अनिर्णीत थे और 1 मार्च, 1982 तक कितने मामले निपटाये गये और शेष कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा कितने प्रतिशत मामले निपटाये जा चुके हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : 30-11-1981 को उपलब्ध सूचना के अनुसार विचाराधीन पड़े मामलों के निपटान (पेन्डिंग डिसपोजल) और क्रमिक निपटान (प्रोग्रैसिव डिसपोजल) के आँकड़े निम्नानुसार हैं :

1.	वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान निपटान के लिए विचाराधीन पड़े कम्पनी कर निर्धारणों की संख्या	95,303
2.	उनका 1-4-1981 से 30-11-1981 तक क्रमिक निपटान	23,194
3.	30-11-1981 की स्थिति के अनुसार इतिशेष	72,109
4.	(1) के प्रति (2) का प्रतिशत अनुपात	32,16

1-1-1981 से 31-3-1981 तक की अवधि में निपटाये गए कम्पनी कर निर्धारणों की संख्या 7706 है।

प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिये निर्धारित लक्ष्य

6534. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से प्राथमिक और गैर प्राथमिक वाले क्षेत्रों में पूंजी निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था और यदि हाँ, तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक स्व-निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सकी थीं और यदि हाँ, तो प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में कितनी सीमा तक;

(ग) यदि कोई निर्धारित लक्ष्य पूरा न किया जा सका तो उसके क्या कारण हैं, और और क्या सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से औद्योगिक मांग पूर्णतः पूरी हो गई थी; और यदि नहीं तो उद्योगों की मांग और सरकार द्वारा निर्धारित बैंक ऋण के लक्ष्य के बीच कितना अन्तर था; और

(घ) क्या वर्ष 1982 के लिए प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों में बैंक निवेश का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उत्पादकता का एक वर्ष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्योग की बढ़ी हुई मांग कितनी पूरी हो सकेगी।

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख): सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण वितरण के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट क्षेत्रवार लक्ष्य नहीं निर्धारित किये थे। रिजर्व बैंक ने जो सलाह बैंकों को दी थी वह यह थी कि 1981-82 के दौरान ऋण का समग्र विस्तार, 1981-82 के दौरान हुए ऋण-विस्तार के स्तर के भीतर ही बनाये रखा जाय। मार्च, 1985 तक, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के भीतर, ऋण विस्तार के सम्बन्ध में पूरे करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। इस प्रकार बैंकों से कहा गया है कि मार्च, 1985 तक वे कुल ऋणों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के हिस्से को बढ़ा कर 40 प्रतिशत तक और कृषि ऋण के भाग को बढ़ाकर 16 प्रतिशत तक पहुंचा दें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि नये बीस-सूत्री कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय अंतर्ग्रस्तता द्वारा वे समाज के कमजोर वर्गों को ऋण के प्रवाह की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करें।

12 मार्च, 1982 तक उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1981-82 के दौरान बैंक ऋण में 4418 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में, गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3587 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। गैर-उद्यान्न ऋण में शुद्ध वृद्धि क्रमश: 3825 करोड़ रुपये और 3637 करोड़ रुपये की हुई। नवम्बव, 1981 तक उपलब्ध बैंक ऋण के क्षेत्रवार संवितरण के त्वरित प्राक्कलनों से पता चलता है कि कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण का हिस्सा 37.6 प्रतिशत बैठता है जबकि, इसकी तुलना में, इससे पिछले 12 महीनों में यह 35.0 प्रतिशत था। 1981-82 (नवम्बर तक) के दौरान वृद्धिशील समग्र ऋण में प्राथमिकता वाले क्षेत्र का भाग 58.5 प्रतिशत बैठता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1982-83 के लिए ऋण-नीति अभी घोषित नहीं की है। अलबत्ता, बढ़े हुए उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताएं शामिल करते हुए समग्र अर्थ-व्यवस्था की स्थिति, आवश्यकता और निधियों का अधिक कुशल प्रबन्ध लागू करके ऋण की सुधरी हुई उत्पादकता के सुनिश्चय और लम्बी अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति करके अल्पावधि ऋणों पर बड़े ऋणकर्ताओं की अभिरता को कम करने की दु जाइश को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा ऋण के विस्तार को विनियमित किया जाता है।

वरिष्ठ सिविलियन सुपरिंटेंडेंड ई/एम और बी/आर ग्रेड I तथा II के लिए पदोन्नति के अवसर

6535. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वरिष्ठ सिविलियन सुपरिंटेंडेंड ई/एम० तथा बी/आर ग्रेड-*I* और *II* के पास किसी विशेष ग्रेड में 15 वर्ष से भी अधिक सेवा करने के बावजूद पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ अपना वार्षिक वेतन में वृद्धि नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे अपने वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुँच गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे अधिकारियों को समान संगठनों अर्थात् सी० पी०

डब्ल्यू० डी० पी० एण्ड टी० आदि में काम कर रहे अधिकारियों के समरूप लाने के लिए उनके पदोन्नति की संभावना में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) जी, नहीं।

(ख) उच्च ग्रेडों में पदोन्नति रिक्तियों पर मुन्नसर करती है इसलिए ग्रेड-I के कुछ अधीक्षकों को वार्षिक वेतन-वृद्धियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि वे अपने वेतन मान में अधिकतम वेतन पर पहुँच गए हैं।

(ग) मामला विचाराधीन है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण

6536. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यवार स्वीकृत ऋण की राशि, और उन प्रार्थना-पत्रों की संख्या जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया है, क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी समितियों के माध्यम से 1980-81 के दौरान राज्यवार कुल जमा सग्रहों तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन सहायता-प्राप्त परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त लाभान्वितों के सम्बन्ध में ताजा आंकड़े अलग से उपलब्ध हैं।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980-81 के दौरान प्रगति

(लाख रुपये)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल संवितरित सावधि ऋण	सहकारी बैंकों के माध्यम से	वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से	सहायता किए गए परिवारों की सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. आंध्र प्रदेश	2492 63	904.90	1587.15	147962
2. असम	30.36	14.83	15.33	5594
3. बिहार	1356.75	341.69	11015.06	138956
4. गुजरात	620.78	42.09	578.69	74261
5. हरियाणा	577.82	230.92	346.90	52700
6. हिमाचल प्रदेश	125.25	34.06	91.19	48090
7. जम्मू व कश्मीर	117.33	12.13	105.20	9357
8. कर्नाटक	799.35	184.94	614.41	63906

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
9. केरल		354.70	136.45	218.25	33510
10. मध्य प्रदेश		1105.14	382.14	723.00	135598
11. महाराष्ट्र		1437.92	735.24	702.68	25414
12. मणिपुर		—	—	—	2768
13. मेघालय		—	—	—	5267
14. नागालैंड		—	—	—	16721
15. उड़ीसा		1132.22	710.92	421.30	101781
16. पंजाब		920.69	65.71	854.98	102694
17. राजस्थान		1992.69	947.52	1045.09	155232
18. सिक्किम		—	—	—	29
19. तमिलनाडु		2234.89	696.92	1537.97	219688
20. त्रिपुरा		134.79	21.93	112.86	11006
21. उत्तर प्रदेश		4124.37	1894.10	2230.27	1310716
22. पश्चिम बंगाल		256.88	148.11	108.77	37415
संघ शासित क्षेत्र					
23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		—	—	—	*उ० न०
24. अरूणाचल प्रदेश		—	—	—	*उ० न०
25. चंडीगढ़		—	—	—	*उ० न०
26. दादर और नागर हवेली		—	—	—	*उ० न०
27. दिल्ली		22.46	—	22.46	4259
28. गोवा दमन व द्यू		56.62	1.94	54.68	12426
29. लक्षद्वीप		—	—	—	*उ० न०
30. मिजोरम		—	—	—	*उ० न०
31. पांडिचेरी		8.22	0.95	7.29	272
समस्त भारत		19901.78	7507.47	12394.31	2775613

*उपलब्ध नहीं।

बिहार में कमजोर वर्गों के लिये विकास और कल्याण योजनाएं

6537. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार द्वारा बिहार में कमजोर वर्गों के लोगों की दशा सुधारने हेतु उनके विकास तथा कल्याण योजनाओं के लिए बैंकों की सहायता से ग्रामीण और अर्ध-शहरी

क्षेत्रों के लोगों को अधिक ऋण देकर राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ-साथ असंतुलन को कम करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान कितने बैंक बढ़ाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस स्तर से ऊपर ले जाने के उद्देश्य से और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लाभजनक आत्म-नियोजन के अवसर प्रदान करने एवं ग्रामीण विकास की गति को तीव्र करने की सरकार की नीति के संदर्भ में बैंकों से यह कहा गया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अपने ऋण की मात्रा को बढ़ाएं ताकि बैंकों के कुल ऋण में इन क्षेत्रों का हिस्सा बढ़कर 1985 तक 40 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच जाए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे 20-सूत्री कार्यक्रम, विशेष रूप से ग्रामीण निर्धनों के प्रति उन्मुख समन्वित ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपने आप को सक्रिय रूप से अन्तर्ग्रस्त करें। बिहार की बैंक शाखाओं से भी इन लक्ष्यों का सक्रिय रूप से अनुसरण करने की आशा की जाती है।

इन उद्देश्यों के संदर्भ में बैंकों के शाखा-विस्तार कार्यक्रमों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सुधरी हुई स्थानगत व्याप्ति की ओर उन्मुख बनाना पड़ा। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1982-83 से 1984-85 के तीन वर्षों के लिए नई शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है, जिसका लक्ष्य यह है कि सामुदायिक विकास खण्ड को एक इकाई मानकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में औसतन 17,000 की जनसंख्या पर एक बैंक शाखा की व्याप्ति के लक्ष्य को मार्च 1985 तक प्राप्त कर लिया जाए। इस नीति के संदर्भ में उक्त नीति के तीन वर्षों के दौरान बिहार के ग्रामीण/अर्ध-सहरी स्थानों में शाखाएं खोलने के लिए 1106 अतिरिक्त लाइसेंसों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) निम्नलिखित सारणी में बिहार में 1977,1978,1979,1980 के अन्त और 1981 (नवम्बर) के अन्त की स्थिति के अनुसार काम कर रही वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या दिखाई गई है :—

31 दिसम्बर के अन्त की स्थिति के अनुसार	कार्यालयों की संख्या
1977	1306
1978	1498
1979	1775
1980	2233
1981 (नवम्बर तक)	2540

राष्ट्रीय बैंकों, ज्वाइंट स्टाक बैंकों और कोआपरेटिव बैंकों के बीच सम्बन्ध

6538. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों, ज्योइंट स्टाक बैंकों और कोआपरेटिव बैंकों के बीच समुचित समन्वय है; और

(ख) क्या रिजर्व बैंक के परिपत्र के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है जिसमें नये कोआपरेटिव बैंक अथवा विद्यमान कोआपरेटिव बैंकों की शाखाएं खोलने पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों के बीच उचित समय सुनिश्चित करने के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक बराबर विभिन्न उपाय करता रहा है। 1982-85 की अवधि के लिए नई शाखा लाइसेंसिंग नीति इसी बात को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और उसके भीतर के कमजोर वर्गों को ऋण के विस्तार में परिचालनात्मक समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विभिन्न स्तरों पर समन्वय समितियां भी कार्य कर रही हैं।

(ख) नई शाखा लाइसेंसिंग नीति की योजना के साथ ही, सितम्बर और नवम्बर, 1981 में शाखा विस्तार पर लगाया गया अस्थाई प्रतिबन्ध, रिजर्व बैंक द्वारा समाप्त कर दिया गया है। महानगरीय स्थानों पर नए शहरी सहकारी बैंक और/अथवा नई शाखाएं खोलने के आवेदन पत्रों पर, रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को तदर्थ सहायता

6540. **श्री संतोष मोहन देव :**

श्री मीकू राम जैन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को, देश के चीनी, ट्रक्टर, ट्रक और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के लिए उनके दायित्वों को पूरा करने हेतु तदर्थ सहायता देने पर सहमत हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक मामले में चयनात्मक आधार पर, सम्बन्धित बैंकों के समग्र संसाधनों, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मौसमी ऋण आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए, विवेकाधीन पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है।

चाय बागानों द्वारा चाय मशीनरी और सी० टी० सी० मशीनों की खरीद

6541. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या **वाणिज्य मंत्री** चाय बोर्ड की किराया खरीद योजना के बारे में 8 मई, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 1119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त अभ्यर्थी चाय बागान अपने विभिन्न चाय मशीनरी और सी० टी० सी० मशीनों की खरीद के बारे में अभी तक अन्तिम आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ अभ्यर्थी चाय बागान त्रिपुरा राज्य के अधिसूचित पिछड़े हुए जिलों में है और इस तथ्य के बावजूद इस मामले में असामान्य विलम्ब के कारण उन्हें विकास के लिए उचित अवसर से वंचित किया जा रहा है; और

(ग) इन अभ्यर्थी चाय बागानों/कम्पनियों की सहायता हेतु क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मांगी गई मशीनरी 1982 में ही स्थापित होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :—

1. हरीशनगर चाय बागान—आवेदन पत्र मंजूर किया जा चुका है।
2. मनुबाली चाय बागान—ट्रैक्टर आवेदन पत्र मंजूर किया जा चुका है। सी टी सी मशीन के लिए पार्टी से अनुरोध किया गया है कि वे 1980-81 के लेखे तथा 1981 के प्रोफार्मा लेखे प्रस्तुत करें और साथ ही यह बतायें कि वे अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए किराया खरीद पुनर्भुगतान वचनबद्धताएं किस प्रकार पूरा करने का विचार रखते हैं।
3. पीरचेरा चाय बागान—आवेदन पत्र मंजूर किया जा चुका है।
4. कल्याणपुर चाय बागान—आवेदक के अनुरोध पर उनके आवेदन-पत्र को स्थगित रखा गया है :
5. धर्मनगर चाय बागान—पार्टी से अनुरोध किया गया है कि वे अपने आवेदनपत्र पर विचार करने के लिए 1980 के लेखे प्रस्तुत करें।

(ख) बोर्ड हमेशा त्रिपुरा स्थित चाय बागानों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विशेष ध्यान देता है।

(ग) जहां तक चाय बोर्ड का संबंध है, मंजूरी के तत्काल बाद आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे बयाना जमा करें, करार सम्पन्न करें तथा अपेक्षित गारंटियां प्रस्तुत करें। उसके बाद सप्लायर के पक्ष में खरीद आदेश जारी किया जाता है और आवेदक को प्रतिलिपि पृष्ठांकित की जाती है। मशीनरी की वास्तविक स्थापना किराये पर लेने वाले तथा सप्लायर के बीच सहयोग पर निर्भर करती है।

कृषि वस्तुओं का निर्यात

6542. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान निर्यातित कृषि वस्तुओं का ब्योरा क्या है;

(ख) निर्यात की गई वस्तुओं में से किस वस्तु की विदेशी बाजार में अधिकतम मांग है; और

(ग) फरवरी, 1982 तक इन वस्तुओं के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कृषि मदों में, चाय, काफी तथा इलायची जैसी बागान फसलों को छोड़कर, जिसका 1981-82 के दौरान निर्यात किया गया है, तम्बाकू, काजू, साधित खाद्य पदार्थ, मसाले, खली, तिल, तिल्ली, एच पी एस मूंगफली, अरण्डी का तेल, चमड़ा, जौ, चावल तथा चीनी शामिल है।

(ख) कृषि मदों की संभाव्यता अलग अलग बाजार में भिन्न भिन्न है और अत: अधिकतम संभाव्यता वाली किसी भी एक वस्तु के बारे में बताना संभव नहीं है।

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, 1981 की अवधि में उक्त मदों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि 894,24+ करोड़ रु० है।

+ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

सरकारी उपक्रमों के उन अधिकारियों की संख्या जो सरकारी यात्रा के समय स्टार होटलों में ठहरे

6543. **श्री सुभाष यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों के उन अधिकारियों की संख्या क्या है जो वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान अपनी सरकारी यात्रा के समय 3-स्टार, 4-स्टार, और 5-स्टार होटलों में ठहरे;

(ख) उनके खान-पान और आवास पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) क्या यह सच है कि वे सरकारी सेवा के समान स्तर वाले उच्च पदों के अधिकारियों से बहुत अधिक खानपान की सुविधाएं प्राप्त करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिये समुद्री-विमान सेवा

6544. **श्री कृपासिन्धु भोई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए समुद्री-विमान सेवा आरम्भ करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) इस संबंध में किये गये अध्ययन का क्या परिणाम निकला; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इंडियन एयरलाइन्स के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जैसलमेर नगर के नजदीक छावनी की स्थापना करना

6545. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थापित की जाने वाली रक्षा छावनी जैसलमेर नगर से कितनी दूर है और क्या संस्कृति तथा पर्यटन को हानि होने की दृष्टि से पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया किया गया है; और

(ख) यदि छावनी इस शहर के बहुत नजदीक है तो इस छावनी को कुछ दूर स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जैसलमेर में सैनिक स्टेशन के लिए स्थान चयन करने के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । सरकार स्थान का अंतिम रूप से चयन करते समय जैसलमेर के सौंदर्य, पर्यावरण और पर्यटन संबंधी आकर्षण को ध्यान में रखेगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में बिजली से चलने वाले स्लाईडिंग दरवाजे

6546. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बिजली से चलने वाली स्लाईडिंग दरवाजे लगाने पर विचार कर रही है, जो एक या दो दूर स्थानों पर लगे हुए एक बटन के दबाने से स्वयं बंद हो जायेंगे और साथ-साथ बैंक डकैतियों को रोकने के लिए साइरन भी देंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे अपने आंतरिक सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाएं जिनमें अन्य बातों के साथ जहाँ आवश्यक हो अलार्म प्रणाली आदि लगाना भी शामिल है । इन प्रबन्धों के ब्यौरे को बताना बैंकों की सुरक्षा के हित में नहीं होगा ।

मिर्च का निर्यात

6547. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी मात्रा में मिर्च का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मिर्चों के निर्यात की बिना किसी मात्रा संबंधी प्रतिबन्ध के मुक्त रूप से अनुमति है ।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

6548. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में काम करने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक शाखाओं द्वारा कितने लोगों और फर्मों को 2 लाख रुपये से अधिक का ऋण दिया गया है;

(ग) जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रत्येक शाखा को 2 लाख रुपये से अधिक ऋण के लिए आदिवासियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने आदिवासियों को ऋण दिया गया है; और

(घ) इन शाखाओं द्वारा आदिवासियों को 2 लाख रुपये से अधिक का ऋण न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 60 कार्यालय कार्यरत थे। बैंकवार तथा केन्द्रवार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ख), (ग) और (घ) आंकड़े किस रूप में मांगे गए हैं, वर्तमान सूचना प्रणाली से वे उस रूप में उपलब्ध नहीं होते। अलबत्ता, बैंकों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध ऋणकर्त्ताओं को ऋण प्रवाह बढ़ाने की सलाह दी गयी है। कमजोर वर्गों के ऋणकर्त्ताओं की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंकों से कहा गया है कि आवश्यक अनुभव/निपुणता वाले उद्यमकर्त्ताओं द्वारा प्रायोजित अर्थक्षम प्रयासों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करें और किसी अर्थक्षम प्रस्ताव को मात्र प्रतिभूति की अनुपलब्धता के आधार पर रद्द न करें।

विवरण

नवम्बर 1981 के अन्त की स्थिति अनुसार मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या और नामों को दर्शाने वाला विवरण।

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
(1)	(2)
1. भारतीय स्टेट बैंक	1. दांतेवाड़ा
	2. जगदलपुर (3 कार्यालय)
	3. कांकर
	4. कोंडव गांव
	5. नारायणपुर
	6. बीजापुर
	7. सुकमा
	8. भानू परतापुर
	9. किरान्दूल
	10. मोपाल पटनेम

(1)	(2)
	11. कोंटा
	12. केशकाल
	13. गीदम
	14. बचेली
	15. पाखनजेरे
	16. अन्तगढ़
	17. फारसगांव
	18. माकुलकर
	19. बकाबद
	20. बस्तर
	21. दुर्दकोण्डल
	22. सारोना
	23. टोकपाल
	24. भैरमगढ़
	25. अबापल्ली
	26. लोहनदीगुड़
	27. अदावल विलेज
	28. भानपुरी विलेज
	29. वांदे
2. बैंक आफ बड़ौदा	1. जगदलपुर
	2. दोरब्बा
3. केनरा बैंक	1. जगदलपुर
4. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1. जगदलपुर
	2. बेल्लार
5. देना बैंक	1. चरमा
	2. काँकर
6. पंजाब नेशनल बैंक	1. जगदलपुर
7. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1. जगदलपुर
8. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1. चिदगढ़
	2. बोइलाडीला
9. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1. जगदलपुर
	2. बरसूर
	3. कुराँडी
	4. माद्देड़

(1)	(2)
	5. कोरड़
	6. लन्जोरा
	7. टोंगपाल
	8. नांगूर
	9. नरहरपुर
	10. बनियागांव
	11. धनपूंजी
	12. ओरेहा
	13. दोरनापाल
	14. विश्रामपुरी
	15. माकड़ी
	16. कूकानेर
	17. चोरोडोंगर
	18. उसूर

सदर बाजार, दिल्ली कैन्ट में माचिस तथा अगरबत्तियों के थोक व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना

6549. **श्री शिबु सोरन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी अधिकारियों ने माचिसों और अगरबत्तियों के, विशेषकर सदर बाजार छावनी में थोक व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे शुरू किए हैं;

(ख) माचिस के ऐसे थोक व्यापारियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है जो फलेम वर्क के व्यापार में लगे हैं; और

(ग) माचिसों का विशेषकर जनसंख्या बहुल क्षेत्र, जिसमें निर्धन लोग रहते हों, में बड़ी मात्रा में भण्डार करने तथा थोक व्यापार करने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दिल्ली छावनी में ऐसे दो व्यापारी हैं । एक तांगा स्टैंड नं० 1/185/10 का श्री मोतीराम दियासलाई और अगरबत्तियों के थोक व्यापारी हैं । दूसरे दुकान न० 11/40/10, सदर बाजार के श्री काबुल चन्द दियासलाइयों के थोक व्यापारी हैं । दोनों ही व्यापारी दिल्ली छावनी बोर्ड से विहित लाइसेंस प्राप्त किए बिना अपना व्यवसाय चला रहे हैं । बोर्ड द्वारा उनके विरुद्ध अभियोग शुरू कर दिए गए हैं ।

(ग) आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए यह विषय पूरी तरह से छावनी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है । तदनुसार छावनी बोर्ड ने अपने क्षेत्र में ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण करने के बारे में उपविधियाँ तैयार करने के लिए एक उप समिति का गठन किया है ।

बैंकों में कर्मचारियों की कमी

6550. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि बैंकों के कुल मिलाकर 25,000 कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का बैंक कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते को किस प्रकार बन्द करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। यद्यपि जन-शक्ति का सामंजस्य हर समय ही किया जाता रहा है, बैंकों ने स्टाफ की किसी भारी कमी का कोई संकेत नहीं किया है। समयोपरि भत्ते (ओवरटाइम) को भी पूरी तरह से बन्द नहीं कर दिया गया है। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समयोपरि भत्ते की अदायगी में बराबर वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से और कुछ बैंक कर्मचारियों द्वारा समयोपरि भत्ते के दावों के बारे में अपनाई गई तथाकथित अनैतिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी हैं कि कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी केवल तभी की जाए जबकि ऐसा करना नितांत आवश्यक हो जाए और यह केवल कार्यभार से संबंधित मानदंडों के अनुसार, कार्यालय समय के बाहर कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के लिए ही दिया जाना चाहिए। बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे ओवरटाइम बिल को घटाकर पिछले वर्ष की तुलना में पचास प्रतिशत के स्तर तक ले आयें।

बिहार के माधीपुरा तथा सहरसा जिलों में बैंकों की शाखायें खोलना

6551. **श्री आर० पी० यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के माधीपुरा तथा सहरसा जिलों में इस समय ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न बैंकों की शाखाओं की संख्या क्या है तथा मई, 1982 के अन्त तक कितनी शाखायें खोली जायेंगी;

(ख) उन्होंने कितनी राशि के ऋण दिये हैं, उनके पास गत दो वर्ष से अधिक समय तक कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े है तथा अदायगी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) दो महीने से अधिक अवधि तक आवेदन पत्र विचाराधीन रखने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बिहार के सहरसा जिले को मई, 1981 में दो भाग करके दो जिले अर्थात् सहरसा और माधीपुर बना दिये गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सहरसा और माधीपुर के दो नए जिलों में कार्यरत बैंक कार्यालयों के सम्बन्ध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु, नवम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व सहरसा जिला में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न बैंकों की वर्तमान शाखाओं के नाम विवरण-I में दिये गये हैं।

इसी तरह, नवम्बर, 1981 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, भूतपूर्व सहरसा जिला में विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी शाखाएं खोलने के लिए उनके पास विचाराधीन पड़ी हुई प्राधिकृतियों

के उपलब्ध आँकड़े विवरण-2 में दिए गए हैं। बैंकों को कहा गया है कि वे अपने पास पड़ी हुई प्राधिकृतियों का शीघ्र उपयोग करें।

(ख) और (ग) : उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भूतपूर्व सहरसा जिला में दिए गए अग्रिमों की रकम 1,052 लाख रुपए थी।

हालांकि अब नई सूचना प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवेदन पत्रों की प्राप्ति और निपटान के बारे में सूचना इकट्ठी करने तथा उसे सारणीबद्ध करने की व्यवस्था की गई है पर इस प्रणाली का अभी स्थिरीकरण नहीं हुआ है इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास पड़े हुए आवेदनपत्रों का जायजा लेना इस समय संभव नहीं है। फिर भी, विलम्ब को कम से कम करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के बैंकों को यह अनुदेश जारी किये गए हैं कि वे 10,000 रुपए और उससे कम के लिए आवेदनपत्रों को उसे 4 सप्ताहों की अवधि के अन्दर और 10,000 रुपए से अधिक के लिए आवेदनपत्रों को 3 महीनों की अवधि के अन्दर निपटा दें। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनपत्रों को लगभग एक पखवाड़े के अन्दर निपटा दे और इसके बारे में प्रखंड विकास अधिकारियों को भी सूचित कर दें। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि वे इस बात का सुनिश्चित करें कि उनकी एजेंसियां आवेदनपत्रों का सामूहीकरण करके एक साथ भेजने की बजाय उन्हें नियमित रूप से साल भर भेजते रहे हैं।

विवरण-1

नवम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार सहरसा जिला में कार्यरत विभिन्न बैंकों की शाखाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण

बैंकों का नाम	केन्द्र का नाम
(1)	(2)
भारतीय स्टेट बैंक	1. बिहारीगंज
	2. माधीपुरा
	3. -तदेव-
	4. मुरलीगंज
	5. सहरसा
	6. -तदेव-
	7. सुपौल
	8. सिमराही बाजार
	9. सोनवर्षा
	10. सिंघेश्वर
	11. त्रिवेनीगंज

(1)	(2)
	12. निर्मली
	13. सिमरी-बख्तियारपुर
	14. बीरपुर
	15. आलमनगर
	16. किसनगंज
	17. प्रतापगंज
	18. पचगछिया
	19. करजैन बाजार
	20. सुपौल
	21. बिहारी गंज-कृषि बाजार यार्ड
	22. मुरली गंज-जयरनपुर
	23. छतरपुर
बैंक आफ इंडिया	1. सहरसा
सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	1. जयराम राघोपुर
	2. सहरसा
	3. माधीपुरा
	4. निर्मली
	5. वीरपुर
	6. सुपौल
	7. मुरलरगंज
	8. बिहारीगंज
कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1. पिपरा
	2. सौर बाजार
	3. कुमार खंड
	4. चौसा
	5. नौहट्टा
	6. छत्तरपुर
	7. सलखुआ
	8. किसनपूर
	9. महिसी
	10. मरौना
	11. जदियाहाट
	12. बडियाही

(1)	(2)
	13. ग्वाल पाड़ा
	14. बलुआहाट
	15. सहरसा
	16. गनपतगंज
कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	17 तुमहा
	18. बरौरी
	19. मथाई
	20. पथरघाट
	21. भपतियाही
	22. कुनौली
	23. पुरैनी बाजार
	24. रहता
	25. सुखपुर
	16. महेसपुर
	27. वभनगावा
	28. कहरा
	29. रामनगर महेश
	30. महिसरहा
	31. गम्हरिया
	32. बलुआ बाजार
	33. कुलासन
	34. मरखौर-ए-बाजार

विवरण-2

30-1-82 की स्थिति के अनुसार सहरसा जिला में शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न बैंकों के पास पड़ी हुई प्राधिकृतियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
(1)	(2)
1. भारतीय स्टेट बैंक	1. बलूआ बाजार
2. पंजाब नेशनल बैंक	1, सहरसा
3. कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1. बसंत नगर
	2. वडियही बाजार
	3. सतार

(1)	(2)
	4. धवौली
	5. वैजनाथपुर
	6 भपतिया
	7. विराटपुर
	8. काशनगर
	9. साहसोल
	10. पहरपुर
	11. सिपांवदि
	12. तेलियाहाट
	13. मेलवा
	14. रसलपुर
	15. राजहनपुर
	16. चन्द्रयान
	17. वुधमा
	18. चैलाढ़
	19. भौरा रामनगर
	20. शंकरपुर
	21. सिरसिया
	22. भवानीपुर
	23. बिशनपुर
	24. जीतापुर
	25. करौटी बाजार
	26. श्याम
	27. कुजौरी
	28. खुरहाँ
	29. सोनामुखी (गंगापुर)
	30. फुलौट
	31. बकौर हाट
	32. हरदी
	33. कदमपुरा
	34. सरयगढ़
	35. कटैया
	36. लहरनिया

(1)	(2)
	37. परसा गढ़ही
	38. गुड़िया
	39. कुडहरा
	40. गनेउरा
	41. चम्पानगर
	42. रतनपुर (वीरपुर)
	43. परसा
	44. मधुवनी
	45. राजेश्वरी
	46. सोनवस्सा

त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में सैनिक स्कूलों की स्थापना

6552. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों, राज्यवार, में सैनिक स्कूल जिन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में राज्यवार सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए इस समय जो प्रस्ताव हैं, उसका ब्यौरा क्या है तथा देश में, राज्यवार सैनिक स्कूलों की वर्तमान संख्या क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में एक-एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया है। सैनिक स्कूल को खोलने को मंजूरी देने से पूर्व इन सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि उन्हें किन-किन सुविधाओं को मुहैया करना होगा।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमारा एक सैनिक स्कूल असम के गोआलपाड़ा में और दूसरा मणिपुर के इम्फाल में है।

(ग) बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी अपने-अपने राज्य में एक-एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया है। मंजूरी देने से पूर्व इन सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि सैनिक स्कूल खोलने के लिए इन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मुहैया करवानी होगी। इसके बाद राज्य सरकारों ने अपने प्रस्तावों को पुनः नहीं दुहराया है।

इस समय देश में 18 सैनिक स्कूल हैं, जिनमें से आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में एक-एक स्कूल है।

जायदाद के दलालों और ठेकेदारों द्वारा कर अपवंचन

6554. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जायदाद के दलाल और छोटे/मंझोले दर्जे के ठेकेदार करों के बड़े अपवंचक हैं और उन्होंने बिना बड़ी अलेखाबद्ध सम्पत्ति एकत्र कर ली है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बड़े कांड का भंडाफोड़ करने के लिए उन व्यक्तियों की सम्पत्ति और उनके लाकरों/बैंक खातों और उनके बेनामी व्यापार में लेनदेन की राशि की समीक्षा की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : आय-कर अधिकारियों ने, प्रापर्टी डीलरों और ठेकेदारों के ऐसे मामलों में तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाही की थी, जिनमें एकत्रित सूचना पाकर अपवंचन का संकेत मिला था और ऐसी कार्यवाही की आवश्यकता समझी गई थी। इन मामलों में करनिर्धारणों को अन्तिम रूप देने से पूर्व कर-निर्धारण अधिकारियों को, उन सभी कारकों पर विचार करना होता है जिनका कर-निर्धारण योग्य आय/धन के निर्धारण से सम्बन्ध हो।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के संगठनों के लिए प्रबन्ध-काडर

6555. **श्री० मगनभाई बारोट** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के संगठनों के लिए व्यवसायिक लोगों का एक प्रबंध-काडर विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन लोगों को उक्त काडर में होने का है जिन्होंने निजी क्षेत्र में उच्च श्रेणी का सफल कार्य निपटान प्रदर्शित किया है।

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों की न केवल सेवाएं प्राप्त करने हेतु बल्कि लम्बी अवधि तक उनकी सेवायें बनाए रखने हेतु उन्हें काफी लाभकारी वेतन देने पर विचार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय सरकारी उद्यमों में व्यावसायिक प्रबंधकीय संवर्ग तैयार करने से है। वर्तमान शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार सरकारी उद्यमों को निदेशक मण्डल के स्तर के नीचे के पदों के लिए उसके ही कर्मचारियों में से उपयुक्त प्रबंधकीय सँवर्गों को विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके लिए उन्हें संवर्ग बनाने और प्रबंध विकास की समुचित योजनायें शुरू करने का दायित्व सौंपा गया है। निदेशक मण्डल स्तरीय पदाधिकारियों के बारे में इसी प्रकार का दायित्व सरकार का है जोकि दिनांक 31 अगस्त, 1974 के सरकारी संकल्प द्वारा सरकारी उद्यम चयन मण्डल की स्थापना करते हुए निर्धारित किया गया है।

(ख) सरकार की नीति यह है कि सम्बद्ध उद्यमों के भीतर से ही और समग्र सरकारी उद्यमों में से प्रबंधकीय विकास को बढ़ावा दिया जाए। यदि इस स्रोत से उपयुक्त उम्मीदवार

उपलब्ध न हो तो सरकारी सेवाओं और गैर-सरकारी क्षेत्र जैसे अन्य स्रोतों का उपयोग किया जाए।

(ग) सरकार सरकारी उद्यमों के लिए सर्वोत्तम प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए समुचित आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने का महत्त्व समझती है। किन्तु इस नीति पर अलग से या केवल गैर सरकारी क्षेत्र में सुलभ अनुलाभ-स्तर से ही नहीं, बल्कि सरकारी क्षेत्र की सम्पूर्ण प्रणाली के विषय में विचार किया जाना है।

प्राइवेट व्यापारियों द्वारा अरण्डी के तेल का आयात संभाला जाना

6556. **श्री जगदीश टाइटलर : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किए जा रहे अरण्डी के तेल के निर्यात-कार्य को प्राइवेट व्यापारियों द्वारा कराने का है;

(ख) क्या ऐसा इस लिए किया जा रहा है क्योंकि राज्य व्यापार निगम द्वारा किए जा रहे अरण्डी के तेल के निर्यात में गिरावट आई है; और

(ग) इसके क्या कारण है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव पेश किये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में निःशुल्क टिकटें जारी किया जाना

6557. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में निःशुल्क टिकटें जारी किए जाने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इन निःशुल्क टिकटों के जारी किए जाने की क्या प्रणाली है;

(ग) वर्ष 1981 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया द्वारा प्रतिमाह कितनी निःशुल्क टिकटें जारी की गई; और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा नवम्बर और दिसम्बर, 1981 के दौरान निःशुल्क जारी किए गए टिकटों की सूची क्या है तथा ये किन-किन व्यक्यिों को जारी किए गए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इडियन एयरलाइन्स के सेवाओं पर इन्टर-लाइन कर्मचारियों के लिए ड्यूटी/अवकाश यात्रा के लिए तथा टूर आपरेटर्स/प्रोमोटर्स के लिए विक्रय प्रोत्साहन तथा जन सम्पर्क के प्रयोजनों के लिए निःशुल्क टिकटें जारी करने का प्रावधान है। ये टिकटें क्षेत्रीय प्राधिकारियों तथा मुख्यालय में विभागीय प्रबन्धकों द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार जारी की जाती हैं।

जहाँ तक एयर इंडिया का सम्बन्ध है, एयर इण्डिया निम्नलिखित को निःशुल्क/रियायती यात्रा प्रदान करती है :—

(एक) वायु निगम अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए एयर इण्डिया कर्मचारी यात्रा विनियमों के अन्तर्गत कारपोरेशन के कर्मचारी।

(दो) आई० ए० टी० ए० विनियमों के अंतर्गत अन्य विमान कम्पनियों के कर्मचारी।

(तीन) विशेष वर्गों के कर्मचारी, जब वे कारपोरेशन द्वारा विनिर्दिष्ट ड्यूटी करने के लिए यात्रा करते हैं।

(चार) सरकार के अनिवार्य आदेश के अनुसार पर्यटन प्रोत्साहन कर्मचारी, लेखक, पत्रकार, फोटोग्राफर आदि।

जब कभी ऊपर निर्दिष्ट वर्गों के लिए निःशुल्क/रियायती यात्रा हेतु टिकटें जारी करने के अनुरोध प्राप्त होते हैं तथा जब सरकार द्वारा अनिवार्य आदेश जारी किए जाते हैं तो एयर इन्डिया द्वारा निःशुल्क/रियायती टिकटें जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोको के आयात पर रोक

6558. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोको के आयात का ब्यौरा क्या है और उक्त आयात के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि "कैम्पको" मंगलौर की पहल पर किये गए अनुसंधान से सिद्ध हो गया है कि भारतीय कोको विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ कोको में से एक है तथा उसमें अमल-तत्त्वों की अधिकता की बात अलग है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त आधार पर हर प्रकार के कोको के आयात पर रोक लगाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1978-79 से 1980-81 (नवम्बर, 1980 तक) कोको फलियों पाउडर के आयात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोको की उस किस्म के, जो देश में उपलब्ध नहीं है, अपेक्षित सीमा तक आयात की पहले अनुमति दी गई थी। 16 जुलाई, 1980 को राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध किया गया था ताकि घरेलू स्रोतों से उपलब्धता को ध्यान में रख कर आयातों को विनियमित किया जा सके। इसके पश्चात् ब्लैंडिंग के लिए केवल 75 मै० टन के आयात की अनुमति दी गई।

(ख) कैम्पको (सी. ए. एम. पी. सी. ओ.) के अनुसार, स्थानीय सूखी फलियों की क्वालिटी में सुधार हुआ है और इसलिए आयात की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, तकनीकी विकास के महानिदेशक इस मत से पूरी तरह सहमत नहीं हुए।

(ग) 1982-83 के लिए आयात नीति अभी घोषित नहीं की गई है। इस अवस्था में कोई ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

विवरण

1978-79 से 1980-81 के दौरान (नवम्बर, 1980 तक) कोका के आयात दर्शाने वाला विवरण ।

मात्रा हजार कि० ग्रा० में
मूल्य लाख रु० में

क्रमांक	मद का विवरण	आई टी सी रिव-2 कोड नं०	1978-79		1979-80		1980-81 (नवम्बर, 81 तक)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	कोको	072						
(1)	कोको फलियां कच्ची या भुनी हुई	072.1000	613	234.95	402	142.96	160	61.70
(2)	कोका पाउडर बिना मिठा मिलाया हुआ	072.2000	80	36.99	184	66.09	215	45.35
(3)	कोको मक्खन और कोको पेस्ट	072.3	—	—	—	—	—	—
	योग	—	693	271.94	586	209.05	375	107.05

टिप्पणी :

स्रोत : 1978-79 से 1979-80 तक — वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महा निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया वाल्यूम 2 आयात ।

1980-81 (नवम्बर, 1980 तक के लिए) — वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता से वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े ।

नागर विमानन महानिदेशालय में रिक्त पदों का भरा जाना

6559. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागर विमानन महानिदेशालय में तकनीकी तथा सहायक तकनीकी अधिकारियों के बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं, और उन्हें भरने हेतु सरकारी अनुदेशों के बावजूद भी सम्बन्धित अधिकारी उन्हें भरने के लिये कोई कदम नहीं उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों में व्याप्त उदासीनता को दूर करने तथा संगठन के कुशल कार्यकरण के लिए उक्त पदों को भरने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : इस समय तकनीकी अधिकारियों के 51 पद तथा सहायक तकनीकी अधिकारियों के 31 पद रिक्त हैं। तकनीकी अधिकारी ग्रेड में रिक्तियों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भर्ती की जानी है। संघ लोक सेवा आयोग को मांग भेज कर कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है। इस बीच, इन्हें तदर्थ पदोन्नति द्वारा भरा जा रहा है।

जहां तक सहायक तकनीकी अधिकारी ग्रेड में रिक्तियों का सम्बन्ध है, नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा इन पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

"बरामदों" को सार्वजनिक स्ट्रीट के रूप में घोषित किया जाना

6560. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली नगर पालिका तथा इसके किरायेदारों के बीच हाल ही में हुए एक विवाद में "बरामदों" को सरकारी स्ट्रीट के रूप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा बनाये गए बरामदों को खाली न करा कर तथा सार्वजनिक स्ट्रीट के रूप में घोषित न कर किरायेदारों से पृथक बर्ताव किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 में उपयुक्त संशोधन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) निर्णय के बारे में एक प्रेस रिपोर्ट नोटिस में आई है।

(ख) दिल्ली छावनी बोर्ड की सम्पत्तियों के बरामदों को बन्द करने के बारे में किराएदारों को अनुमति देने के प्रश्न को पट्टे की शर्तों और छावनी अधिनियम, 1924 के उपबंधों और

उसके अधीन बने उप नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है । इसलिए दिल्ली छावनी के लिए न तो यह आवश्यक है और न ही संभव है कि वह इस बारे में दिल्ली में किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली उनकी सम्पत्ति के बारे में उनकी नीति का अनुसरण करें ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

मेसर्स एस० डी० एच० शाह, बम्बई द्वारा की गई अनियमितताएं

6561. **श्री राम सिंह शास्त्र** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एस. डी. एच. शाह, सत्यनारायण सदन, चन्दावरकर रोड, बोरीवाली (पश्चिम) बम्बई द्वारा कितनी फर्में चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उन फर्मों के मालिक अपने उत्पादों को ऊंची दरों तथा कम कमीशन पर बेचकर लाखों रुपये कमा रहे हैं;

(ग) क्या ये मालिक दोहरी लेखा पुस्तकें रखते हैं और लाखों रुपये का आयकर बचा रहे हैं;

(घ) क्या ये फर्में कर्मचारियों को कम बोनस देने और इस प्रकार कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, दोहरी लेखा पुस्तकें रखकर घाटा दिखाती आ रही हैं; और

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि ये फर्में क्या-क्या अनियमितताएं करती आ रही हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) शाह समूह द्वारा 12 फर्में चलाई जा रही हैं/थीं । ऐसा प्रतीत होता है कि वे जाली बिक्री और खरीद दिखाने के प्रयोजन के लिए तथा विभिन्न अनियमितताएं करने के लिए 25 अन्य फर्मों के नामों का इस्तेमाल करती हैं ।

(ख) जहां तक ऊंची दरों पर और कम कमीशन पर बिक्री करने का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है । परन्तु विभाग को इस बात की जानकारी है कि सम्भवत: मुख्य फर्मों की बिक्री और खरीद सम्बन्धी आँकड़ों के समायोजन के लिए शाह समूह द्वारा उपर्युक्त कम्पनियों में से कुछ कम्पनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ग) लेखा पुस्तकों के कोई दूसरे सेट प्राप्त नहीं हुए, परन्तु करों के बहुत बड़े पैमाने पर किए गए अपबंचन का पता चला है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) आयकर विभाग को शाह समूह द्वारा किये गए कर अपबंचन की जानकारी है ।

स्पाइसतेलों का संवर्धन करने की परियोजना

6563. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसाला निर्यात संवर्धन परिषद का विचार कई देशों में स्पाइस तेलों का संवर्धन करने की परियोजना आरम्भ करने का है;

(ख) क्या इस समय स्पाइस-तेलों का निर्यात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो आयातकर्ता देशों के नाम क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक देश को कितने मूल्य के स्पाइस तेलों का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) आयातक देश हैं सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, आस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा, बैल्जियम, नीदरलैंड आदि। गत दो वर्षों के दौरान निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे थे :

वर्ष	मात्रा (मै० टन)	मूल्य (लाख रु०)
1980-81	12.93	48.23
1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर)	8.44	29.39

पूर्वोत्तर निधि के माध्यम से विकासशील देशों को अतिरिक्त संसाधनों के अन्तरण हेतु इराक का प्रस्ताव

6564. **श्री मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पूर्वोत्तर निधि के माध्यम से विकास-शील देशों को अतिरिक्त संसाधनों का अन्तरण करने के इराक के प्रस्ताव पर "ग्रुप आफ 77" ने सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो पूर्वोत्तर निधि बनाने की और विकासशील देशों को अतिरिक्त संसाधनों के अन्तरण की कार्यप्रणाली क्या होगी; और

(ग) उक्त नये प्रस्ताव से भारत को क्या लाभ पहुँचने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) : मई 1981 में कैराकुस में हुए "ग्रुप आफ 77" के उच्चस्तरीय सम्मेलन के संकल्प के अनुपालन में 1 से 4 मार्च, 1982 तक बगदाद में हुई "ग्रुप आफ 77" के विशेषज्ञों की बैठक ने इराक की सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी कि एक न्यायपूर्ण और समुचित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संवर्धन करने के साधन के रूप में विकासशील देशों की वास्तविक अतिरिक्त संसाधनों का आवंटन करने के लिए एक विश्व निधि स्थापित की जाए। इस निधि का लक्ष्य विकासशील देशों के वित्तीय बोझ को कम करना है जो तेल की कीमतों में किए गए समायोजनों और औद्योगिकीकृत देशों से ऋणों और वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से उन्हें निर्यातित मुद्रास्फीति के कारण उन पर पड़ता है। प्रस्तावित निधि के संसाधन मुख्य रूप में औद्योगीकृत देशों, केन्द्रों द्वारा आयोजित अर्थव्यवस्था वाले राज्यों, तेल निर्यातक देशों के अंशदानों से प्राप्त होंगे और वे विकासशील देशों को किए जाने वाले निर्यात की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप विकासशील देशों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बराबर होंगे। विशेषज्ञों ने यह सिफारिश की है कि निधि के हिताधिकारियों को निधि के संसाधनों के आवंटन का निश्चय औसत प्रतिव्यक्ति आय, मुद्रास्फीति और तेल की

कीमतों से पड़ने वाले वित्तीय बोझ तथा उपर्युक्त कारणों से होने वाले भुगतान शेष के घाटों के आधार पर किया जाना चाहिए। निधि से रियायती आधार पर पात्रता के लिए विशिष्ट मानदंडों का निश्चय किया जाना बाकी है। भारत को इससे वास्तविक रूप में होने वाला लाभ निधि स्थापित किए जाने के समय विद्यमान स्थीतियों द्वारा निश्चित होगा।

जमानती (बोरोवल) लेखों का अन्तरण

6565. **प्रो० मधु दंडवते**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जूमानती (बोरोवल) लेखों के अन्तरण के बारे में कोई अनुदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन अनुदेशों का ब्योरा क्या है जिनका प्रयोजन वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के बीच तथा स्वयं सहकारी बैंकों के बीच भी अस्वस्थ प्रतियोगिता को रोकना है;

(ग) क्या उक्त अनुदेशों को लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) जी, हाँ। एक ओर वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के बीच और दूसरी ओर स्वयं सहकारी बैंकों के बीच आपस में ऋणकर्त्ता खातों के अन्तरण के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1982 में कुछ हिदायतें जारी की हैं। इन हिदायतों की मुख्य बातें नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(1) ऋणकर्त्ता खातों के सन्तरण के प्रस्तावों पर बैंक के भीतर उच्च अधिकार प्राप्त आंतरिक समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए;

(2) इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करते समय बैंक को इस बात की जांच करनी चाहिए कि ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अथवा वित्त पोषण करने वाले बैंक द्वारा लागू किये गये किसी वित्तीय अनुशासन से बचने के लिए तो खाते को अन्तरित नहीं करा रहा है और साथ ही बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई ग्राहक यह महसूस करे कि वर्तमान बैंक उसकी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा तो बैंक उसके रास्ते में अड़चन न बने।

(3) इस प्रकार के ऋणकर्त्ता खातों का अन्तरण वर्तमान बैंक के परामर्श से किया जाना चाहिए और संभव हो तो इसके लिए काफी ऊंचे स्तर पर चर्चा होनी चाहिए।

(4) यदि दोनों बैंकों के बीच कोई ऐसा मतभेद हो जिसे कि एक महीने के भीतर हल न किया जा सके तो उस मामले को निर्णय के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया जाना चाहिए;

(5) ब्याज दर के अस्वस्थ्य युद्ध से बचने के लिए अन्तरण तारीख से दो वर्ष तक ब्याज की दर में कमी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक की भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति में परिवर्तन के अनुसरण में ऐसा करना न्ययसंगत न हो जाए।

(6) जब कोई ग्राहक पहले ही से किसी बैंक से ऋण सीमाएं प्राप्त किए हुए हो तब किसी दूसरे बैंक को वर्तमान बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऋण सुविधाएं स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

(7) जहां कोई वर्तमान बैंक अपने संसाधनों पर दवाब के कारण ग्राहक की अतिरिक्त वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में न हो और किसी दूसरे बैंक से अतिरिक्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने में भागीदारी का अनुरोध करे वहां उस दूसरे बैंक को इस अवसर का लाभ उस ग्राहक का खाता पूरी तरह से हथिया लेने के लिए नहीं उठाना चाहिए और अपनी वचनबद्धता को केवल वहां तक सीमित रखना चाहिए जिसका कि संकेत वर्तमान बैंक ने किया हो।

जहां तक वाणिज्यिक बैंकों और राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है उपर्युक्त हिदायतें 50 लाख रुपये अथवा इससे ऊपर की ऋण सीमाओं का उपभोग करने वाले खातों पर लागू होती हैं और शहरी सहकारी बैंकों के मामले में 15 लाख रुपये अथवा इससे ऊपर की ऋण सीमाओं के बारे में।

(ग) और (घ) ये हिदायतें सभी सम्बन्धितों की जानकारी में हैं। रिजर्व बैंक को इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं मिली हैं कि सहकारी बैंकों द्वारा इन हिदायतों का अनुपालन नहीं हो रहा है।

विदेशी मुद्रा की चोरी के मामले

6566. **श्री के. मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा की चोरी होने के कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा की चोरी की समस्या का कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार के संबंधित विभाग सतर्क रहते हैं और विदेशी मुद्रा की चोरी का इस प्रकार का कोई मामला जब कभी उनकी जानकारी में आता है तो वे कानून के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करते हैं। जब भी आवश्यक समझा जाता है तो समुचित वैधानिक/प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा इस समस्या पर निरन्तर निगरानी भी रखी जाती है।

बिहार के पटना जिले में कृषि बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

6567. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पटना जिले में कृषि बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोली हैं।

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त जिले में वर्ष 1982-83 के दौरान उक्त बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका स्थानवार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार के पटना जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 184 कार्यालय थे। इनका बैंकवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। पटना जिले में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने 1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के वास्ते एक नई शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है जिसमें मार्च, 1985 तक, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, 17,000 की जनसंख्या के वास्ते, औसतन एक बैंक शाखा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इस उद्देश्य के अनुसरण में, बिहार के पटना जिले में ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाएं खोलने के लिए, बैंकों को 30 अतिरिक्त प्राधिकृतियां/लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से शाखाएं खोलने के वास्ते स्थानों का निर्धारण करे।

विवरण

नवम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक बिहार के पटना जिले में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यालयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

बैंक का नाम	कार्यालयों की संख्या
(1)	(2)
1. भारतीय स्टेट बैंक	54
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	2
3. स्टेट बैंक आफ पटियाला	1
4. इलाहाबाद बैंक	12
5. आन्ध्र बैंक	1
6. बैंक आफ बड़ौदा	4
7. बैंक आफ इंडिया	10
8. बैंक आफ महाराष्ट्र	1
9. केनरा बैंक	7
10. सेण्ट्रल बैंक	17
11. कारपोरेशन बैंक	1
12. देना बैंक	2

13. इण्डियन बैंक	3
14. इंडियन ओवरसीज बैंक	1
15. न्यू बैंक आफ इंडिया	1
16. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
17. पंजाब नेशनल बैंक	51
18. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2
19. सिण्डीकेट बैंक	1
20. यूनियन बैंक आफ इंडिया	3
21. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	5
22. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	3
23. विजया बैंक	1
जोड़	184

गया जिले के स्वर्णकार संघ का अभ्यावेदन

6568. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया जिले के स्वर्णकार (कारीगर) संघ ने प्रधान मंत्री को सम्बोधित करके एक खुला पत्र भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त पत्र में कारीगरों की मांगों का उल्लेख है;

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) (ग) और (घ) : अभ्यावेदन में निम्नलिखित माँगें की गयी हैं :

(क1) आभूषण निर्माण की कला को हस्तशिल्प माना जाय और उसे मान्यता दी जाय तथा कुटीर उद्योग के समान संरक्षण दिया जाय;

(2) आभूषणों का विदेश व्यापार पूर्णत: सरकारी प्रबन्ध अथवा निगम आदि द्वारा किया जाय;

(3) देश में आभूषण व्यापार में कमीशन एजेन्टों की प्रथा को समाप्त किया जाय जिससे स्वर्णकारों और ग्राहकों के बीच सीधा सम्पर्क रहे;

(4) ग्राहकों के पुराने आभूषणों को शुद्ध सोने में बदलने पर मात्रा की पाबन्दी को हटाया जाय, सरकारी अभिकरणों के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर कच्चे माल के रूप में सोना और चाँदी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय;

(5) स्वर्णकारों को पिछड़े वर्ग के रूप में समझा जाय और उन्हें वही सुविधा दी जाय जो पिछड़े वर्ग को उपलब्ध हैं।

(6) आभूषण बनाने वाले स्वर्णकारों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता दी जाए;

(7) आभूषण निर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में कल्याण निधि योजना आरम्भ की जाय;

(8) बिहार राज्य में माप-तौल विभाग द्वारा स्वर्णकारों को परेशान किये जाने से रोका जाय;

(9) सोने और चाँदी में आभूषणों की चोर-बाजारी को यथासंभव शीघ्र रोका जाय;

(10) प्रमाणित स्वर्णकारों के बच्चों के लिए सेवा में आरक्षण किया जाय;

(11) प्रमाणित स्वर्णकारों के बच्चों को छात्र वृत्तियाँ पुनः दी जाय;

(12) ग्राहकों द्वारा आभूषण बनाने के लिए दिये गये सोने को पकड़ा नहीं जाय;

क्रम संख्या (3), (4), (9) और (12) में उल्लिखित मांगों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :—

माँग सं० (3) : स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 में सोने के व्यापारियों, प्रमाणित स्वर्णकारों, स्वर्ण-शिल्पियों आदि से सम्बन्धित उपबन्ध हैं। इसलिए, इस सम्बन्ध में व्यापार व्यवहार और कार्यविधि अनिवार्य रूप से सांबिधिक उपबन्धों के अनुरूप ही होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रमाणित स्वर्णकारों को, ग्राहकों के आर्डर पर मानक स्वर्ण छड़ों से, जिन्हें अपने पास रखने की अनुमति उन्हें प्राप्त है, आभूषणों का निर्माण करने और उन्हें बेचने की इजाजत दी गई है।

माँग सं० (4) : स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 की धारा 42 के अधीन कोई प्रमाणित स्वर्णकार अपने अधिकार अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में : —

(I) एक सौ ग्राम से अधिक की मानक स्वर्ण छड़ें अथवा;

(II) तीन सौ ग्राम से अधिक शुद्ध सोना (जिसमें मानक स्वर्ण छड़े भी शामिल है)

नहीं रख सकता है।

यह एक कानूनी अपेक्षा है।

प्रमाणित स्वर्णकारों को कच्चे माल के रूप में सोना और चाँदी उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

माँग सं० (9) : स्वर्ण आभूषणों का अवैध निर्माण और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के उल्लंघन के अन्य मामलों का पता लगाने के लिए स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सतत और सूक्ष्म निगरानी रखी जाती है और प्रत्येक मामले में उसके गुण-दोषों के आधार पर अधिनियम के अन्तर्गत यथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

मांग सं० (12) : स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाणित स्वर्णकारों आदि को निर्धारित रिकार्ड रखना पड़ता है। ऐसे स्वर्ण आभूषण आदि को, जिन्हें रिकार्ड में नहीं चढ़ाया गया हो, पकड़ा जा सकता है।

चूंकि संघ की अन्य मांगें विभिन्न मंत्रालयों और बिहार राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं इसलिए मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके साथ उठा लिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये सैनिक बलों हेतु अपर्याप्त आवास सुविधायें

6569. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये बने सैनिक बलों के लिए आवास सुविधाएं अत्यन्त अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन बलों के लिये आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : यह ठीक है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नियोजित सेना और वायु सेना के कार्मिकों के लिए देश के अन्य भागों की तरह आवास सुविधाओं की कुछ कमी है। इस कमी को तुरन्त पूरा करने की आवश्यकता की सरकार को जानकारी है इसलिए पारिवारिक आवास के अलावा (ओ टी एम) और पारिवारिक आवास के लिए योजना और परियोजनाओं को अग्रता के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर भारी पूंजी लगेगी इसलिए वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्हें अपेक्षित तेजी के साथ कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

भारत से वैगनों की सप्लाई के लिये करार

6570. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारत से बड़ी संख्या में रेल वैगन खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और इस बारे में इन देशों के साथ किये गये करारों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) बर्मा, उगांडा तथा माली देशों द्वारा हाल ही में भारत से वैगनों को खरीदने की इच्छा प्रकट की गई है। अभी तक उनके साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया जा सका है।

कुटीर तथा ग्राम उद्योगों के लिये ऋण योजना

6571. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई मूल्यांकन किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की

संयुक्त ऋण योजना, जब 1979 में आरम्भ की गई थी तब से लेकर, कुटीर तथा ग्राम-उद्योगों के लिये कैसी रही है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मांगी गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान कितनी राशि दी गई; और

(ग) क्या बैंकों ने सुझाव दिया है कि ऋण चुकता करने की अवधि, जो 7-9 वर्ष रखी गई है, बहुत अधिक लम्बी है और सुझाव दिया है कि लघु ऋणों के लिये यह अवधि कम करके 3-4 वर्ष कर दी जाये तथा यदि हां, तो क्या यह सुझाव मान लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों द्वारा दिये गए संमिश्र ऋणों के बारे में भारतीय बैंक द्वारा जून 1980 में किये गए नमूना सर्वेक्षण से मालूम होता है कि यद्यपि बैंकों की शाखाओं द्वारा शिल्पकारों, ग्राम तथा कुटीर उद्योगों और अति लघु (टाइनी) क्षेत्र में ऋण दिए गए थे, इन में से केवल कुछ ही शाखाओं ने संमिश्र ऋण योजना के अधीन इस प्रकार के अग्रिम दिये थे। रिजर्व बैंक इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार कर रहा है।

(ख) संमिश्र ऋणों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार शिल्पकारों, ग्राम और कुटीर उद्योगों तथा अति लघु क्षेत्र में (जो कि इस प्रकार के ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं) दिये गए बैंक ऋणों की बकाया राशि के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे लिखे अनुसार है :—

दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार बैंक अग्रिमों की बकाया राशि

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य/संघीय क्षेत्र का नाम	शिल्पकार, ग्राम तथा कुटीर उद्योग	अति लघु (टाइनी) क्षेत्र में लघु उद्योग एकक
हरियाणा	288.96	578.94
हिमाचल प्रदेश	89.97	164.21
जम्मू तथा कश्मीर	153.12	520 00
पंजाब	271.13	1056.35
राजस्थान	378.80	249.30
चण्डीगढ़	0.35	—
दिल्ली	34.64	88 25
असम	81.47	126.12
मणिपुर	5.52	18 09
मेघालय	6.61	23.48
त्रिपुरा	11.69	33.88
अरुणाचल प्रदेश	0.25	0.51
मिजोरम	0.81	1.77

1.	2.	3.
सिक्किम	0.49	—
बिहार	638.75	760.11
उड़ीसा	173.19	396.10
पश्चिम बंगाल	478.14	1249.01
अण्डमान तथा निकोबार	1.86	1.70
मध्य प्रदेश	428.96	2153.71
उत्तर प्रदेश	1125.93	1906.66
गुजरात	398.83	872.25
महाराष्ट्र	400.70	1087.69
गोवा, दमन तथा दीव	15.85	161.66
दादर, नगर हवेली	0.26	5.80
आँध्र प्रदेश	695.42	2080.50
कर्नाटक	409.61	1403.39
केरल	271.61	1171.11
तमिलनाडु	554.88	4033.92
पाण्डिचेरी	6.86	136.08
लक्षद्वीप	0.17	—
नागालैंड	13.44	43.06

(ग) एककों के लाभ-हानि बराबर होने अधिशेष उत्पन्न करने की क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए संमिश्र ऋणों के लिए अदायगी की अवधि निर्धारित की जाती है। अपनी उपभोग आवश्यकताएं पूरी करने के बाद ऋण का उपभोग करने वाले शिल्पकारों एवं ग्राम तथा कुटीर उद्योग एककों के पास केवल सीमांतिक अतिरेक ही बचता है। यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक को, संमिश्र ऋणों की अदायगी की अवधि को कम करने के सम्बन्ध में बैंकों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे, इसने इनकी जांच की और अदायगी की अवधि के तर्क-आधार को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा।

बैंकों द्वारा गांवों में दिये गये ऋणों पर निगरानी

6572. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था तैयार नहीं की गई है जो गांव वालों को सही ढंग से और शीघ्र ऋण दिये जाने तथा ऐसे ऋण वसूल करने पर निगरानी रख सकें।

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रयोग किये जाने हेतु एक रूपरेखा तैयार की है परन्तु ऐसी रूपरेखाएं केवल जून, 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त

हुई हैं और बहुत-से राज्यों को अब भी ऐसी रूपरेखाएं प्रस्तुत करनी है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे धीमे क्रियान्वयन या क्रियान्वयन न किये जाने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है और यह इस रूपरेखा को सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक को अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की उक्त योजना के माध्यम से ग्रामीण के वित्तपोषण से लाभ और हानि का क्या चित्र उभरा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विकास कार्यकलापों पर, जिनमें कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना शामिल हैं, उक्त कार्यकलापों पर नजर रखने के उद्देश्य से विनिदिष्ट की गई विभिन्न आवधिक विवरणियों, निरीक्षणों, मुख्य कार्यकलापों के साथ बैठकों, निदेशक मंडलों में नामित निदेशकों आदि के माध्यम से नजर रखता है । क्षेत्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के अलावा क्षेत्रीय राज्य और जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भी उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती हैं ।

जिला ऋण आयोजन तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जिला स्तर पर आँकड़े प्राप्त करने के लिए मार्च, 1980 से एक नई सूचना प्रणाली निर्धारित की गई थी । रिजर्व बैंक यह सूचना वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त करता है न कि राज्य सरकारों से जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया है । यह सही है कि इस समय आंकड़े प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है । रिजर्व बैंक आंकड़े शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए बैंकों से आग्रह करता रहा है । विवरणियों को भरने के लिए रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों की शाखाओं के नाम व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त परिचारित किये हैं और सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए भी एक कार्यक्रम हाथ में लिया है । बैंकों की शाखाओं में लेखा तैयार करने की प्रणाली तथा लीड बैंक योजना के कार्य की समीक्षा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गए दो कार्यकारी दल, अन्य बातों के साथ-साथ लीड बैंक योजना के अन्तर्गत सांख्यकीय आंकड़े प्रस्तुत करने तथा इस प्रणाली में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के संपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिए जाने वाले ऋण जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व उनके कुल अग्रिमों के केवल 5.4 प्रतिशत थे बढ़कर दिसम्बर में 15.6 प्रतिशत हो गए । रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के ढांचे के अन्तर्गत तथा अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में, और खासकर, कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण प्रदान करने की अपनी गति में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं ।

पंजाब से उड़ान भरने वाले भारतीय वायु सेना विमान मिग 21 का दुर्घटनाग्रस्त होना

6573. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में एनोइस फील्ड से वायु सेना के जिस विमान मिग 21 ने उड़ान भरी थी वह 3 मार्च, 1982 को दुर्घटना ग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी हानि हुई तथा विमान को कितनी क्षति पहुँची; और

(घ) क्या सरकार ने कोई जांच आरम्भ की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) भारतीय वायु सेना का एक मिग-21 विमान जिसने पंजाब के एक हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी 3.3.1982 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ख) से (घ) विमान नष्ट हो गया है। इसमें जन जीवन की कोई हानि नहीं हुई है। दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच अदालत का आदेश दे दिया गया है।

चीनी का निर्यात

6574. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की चीनी निर्यात की गयी तथा 1982 में कितना निर्यात (देशवार) करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : गत तीन कलैन्डर वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा लाख मै० टन में	मूल्य करोड़ रु० में	वे देश जिनको निर्यात किया।
1979	6.56	141.00	इंडोनेशिया, श्रीलका, ब्रिटेन, चीन, मिश्र, बगला देश, सीमालिया, कीनिया, पाकिस्तान, सूडान, मालदीव।
1980	0.64	26.05	ब्रिटेन, उत्तरी कोरिया, बंगला देश, सूडान, मिश्र, नेपाल।
1981	0.98	45.18	श्रीलंका और इंडोनेशिया।

1982 के दौरान निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा का विनिश्चय अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा आधारभूत निर्यात टन भार के आबंटन के बाद किया जाएगा।

नकद प्रोत्साहन

6575. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कोई नकद प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो नकद प्रोत्साहनों की सूचा में किन-किन वस्तुओं को शामिल किया गया है;

(ग) प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में नकद प्रोत्साहन किन मूल फार्मूलों पर दिए जाते हैं तथा प्रत्येक वस्तु के लिए कितनी राशि का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है;

(घ) भारत में तथा विदेशों में इन वस्तुओं के बाजारों के नाम क्या हैं; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक वस्तु कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में निर्यात की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता निम्नलिखित उत्पाद समूहों के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए चयनात्मक आधार पर दी जाती है :

(1) इंजीनियरी माल
(2) रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद
(3) प्लास्टिक
(4) चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएं
(5) खेल सामान
(6) समुद्री उत्पाद
(7) सोधित खाद्य पदार्थ
(8) कालीन तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं
(9) ऊनी फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स
(10) प्राकृतिक रेशम फैब्रिक्स तथा परिधान
(11) क्यर उत्पाद
(12) सूती वस्त्र
(13) पटसन उत्पाद
(14) छिलका रहित बिनौला निस्सारण
(15) विविध समूह ।

मोटे तौर पर, नकद मुआवजा सहायता की दरें निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं :

(1) निर्यातकों के सामने (क) अप्रत्यक्ष करों, जिनमें आयातित अथवा स्वदेशी तौर पर खरीदे गए अन्तर्निवेशों पर बिक्री कर शामिल हैं, जो शुल्क वापसी के बाद अप्रतिदेय रहते हैं, (ख) निर्यात उत्पादन पर कार्यशील पूंजी पर भारत में संदेय उच्चतर ब्याजदर, (ग) निर्यात उत्पादन में अपेक्षित पूंजीगत माल की उच्चतर लागत के रूप में आ रहे अवरोधों का निष्प्रभावीकरण ।

(2) मद का उत्पादन करने वाले उद्योग का स्वरूप क्या लघु क्षेत्र तथा कुटीर क्षेत्र आदि हैं ।

(3) श्रम प्रधान उद्योग तथा कृषि-आधारित उत्पाद ।

(4) नये बाजारों में प्रवेश की लागत।

(5) नये उत्पादकों के विकास की लागत।

1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विभिन्न उत्पाद समूहों पर दी गई नकद मुआवजा सहायता की राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (विवरण 1)।

(घ) विभिन्न उत्पाद समूहों में नकद मुआवजा सहायता के लिए अर्ह मदों की विस्तृत श्रंखला को देखते हुए इन मदों के व्यावहारिक तौर पर पूरे विश्व में बाजार हैं। इन मदों की घरेलू बाजार में भी जरूरत है।

(ङ) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान नकद मुआवजा सहायता के लिए अर्ह मदों के विभिन्न समूहों के निर्यातों के मूल्यवार आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण 2) चूँकि, मात्रा की दृष्टि से विभिन्न मदें विभिन्न इकाइयों में दी गई हैं, अतः मात्रा की दृष्टि से आंकड़े दर्शाना सम्भव नहीं है।

विवरण-I

(रुपया लाखों में)

क्र० सं०	उत्पादों/वस्तुओं का नाम	संदत्त सी. सी. एस.	
		1979-80	1980-81 अन्तिम)
1.	इंजीनियरी माल	12,526.86	14,160.51
2.	रसायन आदि	2,589 80	3,307.91
3.	प्लास्टिक माल	262.24	335.25
4.	साधित खाद्य पदार्थ, ताजा फल तथा सब्जियां	1,235.11	1,492.02
5.	खेल सामान	310.89	389.30
6.	इन्सटैंट काफी आदि	40.93	105.90
7.	इन्सटैंट चाय, पैकेट चाय तथा चाय बैग	671.05	791.71
8.	ऊनी कार्लीन, गलीचे तथा दरियाँ	2,934.20	4,205.29
9.	पटसन उत्पादन	1,144.34	489.09
10.	मछली तथा मछली उत्पादन	115.26	190 04
11.	तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएँ	4,460.58	4,004.81
12.	हस्तशिल्प की वस्तुएँ	1,306.19	1,625.83
13.	प्राकृतिक रेशम फैब्रिक्स, परिधान तथा मेड-अप संश्लिष्ट फेब्रिक्स तथा परिधान आदि	1,776.63	1,898.84
14.	सिगार तथा चुरुट	0.90	0.04
15.	सूती हथकरघा वस्तुएँ आदि	382.00	840.91

16.	सूती वस्त्र	4,105.99	3,225.98
17.	क्यर उत्पादन	108.03	11.92
18.	तेल रहित आम की गिरी तथा तेल रहित चावल भूसी निस्सारण	221.67	365.59
19.	मूँगफली निस्सारण	1.35	0.43
20.	बिनौला निस्सारण	204.38	159.98
21.	परिवहन उपदान आदि	16.95	49.39
22.	लौह स्क्रैप	0.08	—
23.	मुक्त व्यापार जोनों से सा० एस० टी० की प्रतिपूर्ति	—	0.60

विवरण—2

(लाख रुपया में)

क्रमांक	उत्पादों/वस्तुओं के नाम	निर्यातों का एफ. ओ. बी. मूल्य जिस पर सी. सी. एस. दी गई	
		1979-80	1980-81 (अनन्तिम)
1.	इंजीनियरी माल	77568.71	99783.85
2.	रसायन आदि	22636.90	32198.95
3.	प्लास्टिक माल	2816.92	3510.95
4.	साधित खाद्य पदार्थ, ताजा फल तथा सब्जियां	12345.27	21415.80
5.	खेल सामान	2129.58	2636.77
6.	इंस्टैंट काफी आदि	409.37	1058.95
7.	इंस्टैंट चाय, पैकेट चाय तथा चाय बैग	5924 41	5918.08
8.	ऊनी कालीन, गलीचे तथा दरियाँ	16914.92	24826.59
9.	पटसन उत्पादन	15407.65	6632.09
10.	मछली तथा मछली उत्पादन	2311.11	2932.05
11.	तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएँ	39780.14	36422.38
12.	हस्तशिल्प की वस्तुएँ	9983.32	23527.99
13.	प्राकृतिक रेशम फैब्रिक्स, परिधान तथा मेड-अप्स, संश्लिष्ट फैब्रिक्स तथा परिधान आदि	13540.69	15329.99
14.	सिगार तथा चुरुट	6.41	0.99
15.	सूती हथकरघा वस्तुएँ आदि	4199.02	10098.44
16.	सूती वस्त्र	50727.58	40539.99
17.	क्यर उत्पाद	2844.82	141.70

18.	मूंगफली निस्सारण	—	12.29
19.	तेल रहित ग्राम की गिरी	3271.88	5754.62
20.	बिनौला निस्सारण	—	2287.83
21.	डी टी ए एण्ड सी से सप्लाइयों पर परिवहन उपदान।	777.10	2192.88

चतुर्थ श्रेणी और केन्द्रीय सचिवालय सुरक्षा कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण

6576. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तीसरे वेतन आयोग ने चतुर्थ श्रेणी तथा केन्द्रीय सचिवालय सुरक्षा कर्मचारियों के लिए 196 रुपये और 200 रुपये के वेतनमानों की सिफारिश की थी और क्या 5 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पुनरीक्षित वेतनमान दिए गए थे और उनका वेतन 'पाइंट-टू-पोइंट' आधार पर निश्चित नहीं किया गया था।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : तीसरे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय सुरक्षा संगठन के सिपाहियों फालोवरों और हवलदारों सहित श्रेणी IV (ग्रुप 'घ') के कर्मचारियों के लिए पाँच वेतनमानों की सिफारिश किए गए वेतनमानों में और आगे सुधार किया है जैसाकि नीचे बताया गया है :

वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश (रुपये)	सरकार द्वारा यथा संशोधित (रुपये)
1. 185-2-193-3-205-द० रो०-3-220	196-2-220-द० रो०-3-232
2. 190-3-208-4-220-द० रो०-4-232	200-3-212-4-232-द० रो०-4-240
3. 190-3-208-4-220-द० रो०-4-240	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250
4. 200-3-212-4-240-द० रो०-5-260	210-4-250-द० रो०-5-270
5. 200-3-212-द० रो०-4-240-द० रो०-5-280	210-4-226-द० रो०-4-250-द० रो०-5-290

तीसरे वेतन आयोग ने कर्मचारियों की किसी श्रेणी के लिए 'पोइन्ट-टू-पाइन्ट' के आधार पर वेतन नियतन की सिफारिश नहीं की थी। ग्रुप 'घ' कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों का प्रारम्भिक वेतन, संशोधित वेतन-मानों में, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 1973 के उपबन्धों के अनुसार नियत किया गया था।

1981-82 (अप्रैल से दिसम्बर, 1981 तक) के दौरान (डाकघरों के माध्यम से लोक भविष्य निधियों की राशियों समेत) निवल अल्प बचतों का संग्रह

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्य	अप्रैल 1980 से दिसम्बर, 1981 के दौरान निवल संग्रह
1.	आन्ध्र प्रदेश	2553
2.	आसाम	2711
3.	बिहार	7935
4.	गुजरात	6754
5.	हरियाणा	(—)2036
6.	हिमाचल प्रदेश	1105
7.	जम्मू और कश्मीर	670
8.	कर्नाटक	2668
9.	केरल	417
10.	मध्य प्रदेश	1609
11.	महाराष्ट्र	13991
12.	मणिपुर	9
13.	मेघालय	129
14.	नागालैंड	14
15.	उड़ीसा	1310
16.	पंजाब	2075
17.	राजस्थान	1782
18.	सिक्किम	5
19.	तमिलनाडु	2534
20.	त्रिपुरा	136
21.	उत्तर प्रदेश	8872
22.	पश्चिम बंगाल	14915

टिप्पणी : ये आँकड़े अनन्तिम है ।

वर्ष 1981-82 के दौरान लघु बचतों की राशि

6577. **श्री सुभाष चन्द्र बास अल्लूरी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समूचे देश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्ष 1981-82 के दौरान (राज्यवार) कितनी राशि की लघु बचतें की गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 1981-82 के दौरान डाकघरों में लोक भविष्य निधि की जमा राशियों समेत अल्प बचत संग्रहों की निवल राशियों के राज्यवार आंकड़े दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के ही उपलब्ध हैं। एक विवरण संलग्न है, जिसमें ये आंकड़े दिए गए हैं।

गुजरात में सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा

6578. **श्री नवीन रवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक की प्राधिकृत पूँजी कितनी-कितनी है;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) उन उपक्रमों को वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान (अनुमानतः) कितना लाभ और हानि हुई; और

(घ) क्या गुजरात में कोई नया सरकारी उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के जिन उद्यमों के मुख्यालय गुजरात में स्थित हैं, उनके नामों, अधिकृत पूँजी, चुकता पूँजी, कर्मचारियों की संख्या और 1979-80 तथा 1980-81 में अर्जित लाभ अथवा उठाई गई हानि का विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	उद्यमों के नाम	31.3.81 को अधिकृत पूँजी	31.3.81 को चुकता पूँजी	31.3.81 को कर्मचारियों की संख्या	अर्जित लाभ या उठाई गई हानि	
					1979-80 में	1980-81 में
1.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो. लि.	200.00	186.00	5,218	5.69	34.08
2.	इण्डियन डेरी कारपो. लि.	1.00	1.00	210	7.90	9.89
3.	नेशनल टेक्सटाइल कारपो. (गुजरात) लि.	15.00	13.40	19,880	6.12	1.16
4.	पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव	20.00	14.83	1,150	5.34	7.34

(घ) नये सरकारी उपक्रमों में पूंजीनिवेश का निर्णय भौगोलिक स्थिति की बजाय विभिन्न तकनीकी-आर्थिक विचारों के आधार पर किया जाता है। हाजिरा (गुजरात) में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत अमोनिया की 2700 टन दैनिक उत्पादन क्षमता का गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र सम्भवतः शीघ्र ही स्थापित किया जाने वाला है।

निजी रूप से विमान चलाने वाले व्यक्ति/फर्में

6579. **श्री नवीन रवाणी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्ति/फर्में निजी रूप से विमान चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनको किस प्रयोजन के लिए ये विमान चलाने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या व्यक्तियों/फर्मों द्वारा विमानों के संचालन को नियमित करने हेतु कोई नियम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ व्यक्ति/फर्में अपने प्राइवेट तथा निजी व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए विमान परिचालित कर रही हैं।

(ग) और (घ) विमानों का संचलन, वायुयान नियम 1937 के अन्तर्गत "रूल्स ऑफ दि एयर" से सम्बन्धित नियम 16 में किये गये प्रावधानों द्वारा अधिशासित होता है।

रत्नाभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के शिष्टमंडल की आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा

6580. **श्री भीकूराम जैन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रत्नाभूषण निर्यात सम्वर्धन परिषद् द्वारा आयोजित शिष्टमण्डल ने हाल ही में आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की यात्रा की थी; और

(ख) तराशे हुए तथा पालिश किये गए हीरों और अन्य बहुमूल्य रत्नों के निर्यात की संभावनाओं के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित एक प्रतिनिधिमंडल 14 मार्च, 1982 को आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया। प्रतिनिधिमण्डल के प्रमुख उद्देश्य हैं: इन बाज़ारों में तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों और मूल्यवान/अद्यमूल्यवान रत्नों की विद्यमान और भावी संभाव्यताओं का मूल्यांकन करना, उपभोक्ता अधिमानों और इन देशों में स्थानीय उत्पादन का अध्ययन, आदि। प्रतिनिधिमंडल की विस्तृत रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

करों की समीक्षा के लिए रेफ्रिजेरेशन उद्योग का अभ्यावेदन

6581. **श्री भीकूराम जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेफ्रिजरेशन उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि वह करों की समीक्षा करें और रेफ्रिजरेटर आम आदमी की पहुँच के भीतर लाने के लिए, मूल्य कम करने हेतु राहत दें;

(ख) क्या एसोशियेशन ने सरकार को आश्वासन भी दिया है कि उद्योग के लिए कर राहत उपायों से उत्पादन, निर्यात, राजस्व आय और रोजगार बढ़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी हां। ऐसोसियेशन ने बताया था कि इस उद्योग के भी शुल्क राहत देने से उत्पादन, निर्यात राजस्व आय और रोजगार में वृद्धि होगी।

(ग) सरकार ने उन दरख्वास्तों की जांच कर ली है जो उसे रेफ्रीजरेशन उद्योग को विविध राहतें देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है। एक दरख्वास्त स्वीकार कर ली गई थी अर्थात वर्ष 1982 के प्रस्तावों के अंग रूप में वाटर कूलरों को उत्पादन शुल्क से छूट की मंजूरी दी दी गई थी।

स्विटजरलैंड तथा चैकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों की सीप्ज के लिए यात्रा

6582. **श्री एस० बी० सिदना:** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सान्ताक्रुज इलेक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ने गत दो वर्षों के दौरान कितने मूल्य के निर्यात किए गए;

(ख) क्या यह सच है कि स्विटजरलैंड तथा चैकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों ने उक्त जोन की यात्रा की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : **(क) सान्ताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से निर्यात**

वर्ष	निर्यात करोड़ रु० में
1979-80	11.14
1980-81	18.85
1981-82	28.75
(23.2.82 तक)	

(ख) जी हां। स्विटजरलैंड के महावाणिज्यिक दूत ने बम्बई में स्विस दूतावास के दो अन्य अधिकरियों के साथ 3.2.1982 को सीप्ज का दौरा किया। चैकोस्लोवाकिया के इलैक्ट्रो-टेक्नीकल इन्डुस्ट्री के मन्त्री प्रो० एम० कुसात ने 29-2-1982 को सीप्ज का दौरा किया।

(ग) दौरे सीप्ज के प्रत्यक्ष मूल्यांकन के लिए थे।

चीनी का निर्यात

6583. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी का निर्यात के लिए वर्ष 1981-82 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कुल कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1981-82 के लिए निर्धारित चीनी का निर्यात लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चीनी के निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) चूंकि 21 फरवरी, 1981 से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी इसलिए 1981-82 के दौरान चीनी केनिर्यात के लिए कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं रखा गया है। 2 नवम्बर, 1981 से रोक हटा ली गई थी।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 22 मार्च, 1982 तक चीनी की 1.425 लाख मे. टन की मात्रा निर्यात की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा तांबे के तारों की छड़ों की निकासी

6584. श्री के० ए० राजन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क प्राधिकारियों को जब सन्देह होता है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे खेपों के आयात सम्बन्धी मामले की राय जानने हेतु मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक को सौंपें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि लगभग 1000 टन तांबे के तारों की छड़ों की, जो खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से सारणीबद्ध की जाने वाली मद है, दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 1982 के दौरान बम्बई में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री .सबाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) यह निर्धारित करना सीमाशुल्क अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में है कि आयातित माल लाइसेंस में दिए गये विवरण के अनुरूप है या नहीं। यद्यपि, माल का जो विवरण लाइसेंस में दिया गया है, उसकी प्रामाणिकता अथवा आयात से सम्बन्धित किसी अन्य बात के बारे में शंका होने पर, सीमाशुल्क अधिकारी आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकरणों से सलाह मशविरा कर सकते हैं, फिर भी मामले में अन्तिम निर्णय सीमाशुल्क प्राधिकारी ही करेंगे।

(ग) और (घ) बम्बई सीमाशुल्क गृह ने इस अवधि में लगभग 2,20,27,524 रु० मूल्य की 1191 मीट्रिक टन तांबे की तार की छड़ों की लच्छियों की ग्यारह खेपों की निकासी किये जाने की इजाजत दी थी। सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई ने इस बात को आधार बनाया है कि वर्ष 1981-82 से सम्बन्धित आयात नीति की पाद टिप्पणी (2) के साथ पठित परिशिष्ट 8 की क्रम सं० 16 के अनुसार केवल अनगढ़ तांबा ही सारणीबद्ध मद है। उक्त खेपों के माल को गढ़ा हुआ ठहराया गया था और तदनुसार सीमाशुल्क द्वारा उसकी निकासी की इजाजत दे दी गयी।

वार्धक्य आयु पार करने के बाद सेवा निवृत होने वालेआर० बी० एच० एम० जूट मिल, कटिहार के श्रमिक।

6585. **श्री रामविलास पासवान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० बी० एच० एम० जूट मिल, कटिहार (बिहार) के सैकड़ों श्रमिक, जो वार्धक्य आयु पार कर चुके हैं, उनको देय राशियां अदा न किए जाने के कारण सेवा-निवृत नहीं किए जा सके;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने सेवा-निवृत होने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति सेवा-निवृत किये जायेंगे और कितनी देयराशि अदा की जाएगी तथा उनको आवश्यक भुगतान करने के बाद कब तक सेवा-निवृत कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) आर० बी० एच० एम० जूट मिल के 410 श्रमिक-वार्धक्य आयु में पहुंच चुके हैं। इन श्रमिकों की एक सूची मिल के प्रबन्धकों द्वारा तैयार कर ली गई है।

(ग) तथा (घ) इन श्रमिकों को देय कुल राशि लगभग 39.5 लाख रुपये है। इन श्रमिकों को उनकी देय राशि, जब वे सेवा निवृत होंगे भुगतान कर दी जाएगी। राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वार्धक्य आयु पार करने वाले श्रमिकों को भुगतान के लिए धन की आन्तरिक स्रोतों से तथा भुगतान आयुक्त (पटसन) प्राप्त करके व्यवस्था की जानी चाहिए। निगम ने इस मामले को पहले ही समझ लिया है और उनको उनकी सेवान्त देय राशि भुगतान करने के बाद इन श्रमिकों को सेवा निवृत करने के लिए आगे कार्यवाही की जा रही है।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता द्वारा चाय बागानों का निरीक्षण

6586. **श्री के० लकप्पा**

श्री टी० एम० पुत्ते गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 के दौरान यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता ने ऐसे कुछ चाय बागानों, जो वित्तीय प्रबन्ध अथवा चाय दृष्टिबंधक लेखे में है, का निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से चाय बागान हैं और वे कहां पर हैं और ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रतिवेदनों से उपरोक्त बैंक द्वारा दिये जा रहे कम राशि के वित्त के कारण उद्योग के अनुसूचित विकास सम्बन्धी कारणों का पता चला है और,

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आवश्यकताओं के अनुसार जब स्पष्ट रूप से यह उद्योग भारी संकट से गुजर रहा है, विशेषकर ऐसे चाय बागान जिन्हें छोटे बागान माना गया है, तब इस उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक 1970 की धारा 13 (1) के उपबन्धों के अनुसरण में और बैंकरों में प्रचलित रीतियों और प्रथाओं के अनुसरण में भी बागों के नामों और निरीक्षणों के परिणाम समेत, बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। अलबत्ता, छोटे बागों समेत चाय बागानों की संगत ऋण आवश्यकताओं का बराबर मूल्यांकन किया जाता है और उत्पादन के हित में निधियों को संवितरित किया जाता है।

प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड को नई दिल्ली में होटल के लिए विदेशी सहयोग हेतु अनुमति।

6587. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में एक होटल के लिए विदेशी सहयोग हेतु प्योर ड्रिंक्स को किस आधार पर अनुमति दी गई है;

(ख) क्या एशियाई खेलों के कारण प्योर ड्रिंक्स को नई दिल्ली में एक होटल के लिए अनुमति दी गई है;

(ग) क्या यह होटल एशियाई खेलों के लिए तैयार हो जाएगा, यदि नहीं, हो उसके लिए क्या दण्ड रखा गया है; और

(घ) इस परियोजना के लिए सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए गए ऋण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) होटल उद्योग में सहयोग को शासित करने वाली गाइडलाइनों की शर्तों के अनुसार, मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) को मैसर्स सोसाइटी डेस होटल्स मेरिडिएन आफ पेरिस के साथ सहयोग करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। सहयोग की शर्तें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) प्योर ड्रिंक्स की होटल परियोजना एशियाई खेलों के लिए स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित की गई है।

(ग) यदि मैसर्स प्योर ड्रिंक्स होटल चालू करने में असफल रहे तो इसके लिए नई

दिल्ली नगर पालिका के साथ उनके करार में विहित सीमा तक पैनल क्लॉज इन्वोक की जाएगी।

(घ) इस परियोजना के लिए सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभी तक कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है। तथापि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई) को प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० द्वारा प्रवर्तित सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लि० से वित्तीय सहायता के लिए 15.3.1982 को एक आवेदन प्राप्त हुआ है। होटल परियोजना पर खर्चे के एक भाग का वित्तपोषण हेतु क्रेडिट लियोनैस से विदेशी ऋण लेने के लिए उन्हें अलग से अनुमोदन दिया गया है।

विवरण

नई दिल्ली में होटल उद्योग के क्षेत्र में एक 5-स्टार होटल की स्थापना करने के लिए मैसर्स सोसाइटीडेस होटल्स मेरिडिएन आफ पेरिस के साथ सहयोग करने के लिए मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और 20 नवम्बर, 1981 को अनुमोदन जारी कर दिया गया। सहयोग की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(i) भारत से बाहर अर्पित की जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए (आयोजना, डिजाइनिंग, निर्माण साजसज्जा आदि)	—यू० एस० डालर 1,60,000 एक बार भुगतान
(ii) प्रचार, विक्रय और विज्ञापन और ब्रांड नेम के प्रयोग के लिए	—रूम सेल्स से हुई आय का 3%

उपर्युक्त भुगतानों के अलावा, सहयोगकर्त्ता द्वारा किए गए निम्नलिखित वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति भारतीय कम्पनी द्वारा की जा सकती है :—

(i) भारत में तकनीकी सेवाओं के लिए	—अधिकतम यू० एस० डालर 40,000 तक
(ii) प्री-ओपनिंग पीरियड के दौरान भारतीय कम्पनी द्वारा वैकल्पिक सेवाओं के लिए, यथा प्रबंध नियन्त्रण तथा लेखा प्रणाली की स्थापना, चयन तथा एग्जिक्यूटिव स्तरों पर स्टाफ की भर्ती में सहायता, भारत में और भारत के बाहर स्टाफ की ट्रेनिंग, प्राथमिक इनवैंट्री की खरीद आदि।	—अधिकतम यू० एस० डालर 200,000

विदेशी सहयोगकर्त्ताओं को उपर्युक्त सभी अदायगियां लागू करों की शर्त के अधीन होंगी।

मलयेशिया द्वारा लोह अयस्क की खरीद

6588. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मलयेशिया के एक मन्त्री ने भारत की यात्रा की थी

और भारत को "पाम-आईल" बेचने तथा उसके स्थान पर लौह-अयस्क खरीदने के बारे में यहां मन्त्री से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) क्या बातचीत के परिणामस्वरूप कोई समझौता अथवा करार किया जा सका और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मलयेशिया के प्राथमिक उद्योग मन्त्री ने वाणिज्य मन्त्री के साथ बातचीत करने के लिए मार्च, 1982 के पहले सप्ताह में भारत का दौरा किया।

(ख) तथा (ग) इन वार्ताओं में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई कारें

6589. **श्री निहाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के पास कितनी आयातित कारें हैं और इन्हें किन देशों से किस-किस तारीख को खरीदा गया था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कारें बेची गईं थी; और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई; और

(ग) राज्य व्यापार निगम के पास विदेशी कारों की सूची क्या है, इनका मूल्य कितना है और उनके पास गत पांच वर्षों से पड़ी हुई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 18 मार्च, 1982 को राज्य व्यापार निगम के पास 151 आयातित गाड़ियां थीं। निगम अपनी कोई गाड़ी आयात नहीं कर रहा है। ये गाड़ियां दूतावासों/उच्चायोगों/व्यापार आयुक्तों आदि जैसे स्थानों से खरीदी गई हैं क्योंकि राज्य व्यापार निगम को उनकी बिक्री के लिए उन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है। जापान कोन्सलावास, कलकत्ता से 5.7.79 को एक कार की खरीद तथा अमरीकी कोन्सलावास, बम्बई से 21-12-79 को एक अन्य कार की खरीद के अतिरिक्त अन्य सभी कारें 1981 तथा 1982 के दौरान खरीदी गई थीं।

(ख) वर्ष	बेची गई गाड़ियों की संख्या	मूल्य लाख रु०
1979-80	591	789.12
1980-81	565	929.31
1981-82 (18.3.82 को)	541	1239.75

(ग) राज्य व्यापार निगम के स्टाफ में 151 गाडियों का क्रय मूल्य 85 लाख रुपये है। राज्य व्यापार निगम के पास स्टाफ में कोई गाड़ी 5 वर्ष से नहीं पड़ी है।

"करोड़ों रुपये के हीरे बरामद" शीर्षक समाचार

6590. **श्री भीखा भाई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 फरवरी, 1982 को एयर इंडिया के अधिकारी से "करोड़ों के हीरे बरामद" शीर्षक समाचार "नवभारत टाइम्स" में छपा है, यदि हां, तो इनका मूल्य क्या है और ये हीरे कितने हैं;

(ख) क्या वह हवाई अड्डे में उत्पादन-शुल्क अधिकारियों की सांठ-गांठ से हुआ है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां । 20.2.82 को सीमाशुल्क अधिकारियों ने बम्बई हवाई अड्डे पर लगभग 2980 कैरेट के तराशे हुए और पालिश किए हुए लगभग 1-06 करोड़ रुपये के हीरे उस समय पकड़े जब भारत से उनके तस्कर-निर्यात किये जाने का प्रयास किया जा रहा था ।

(ख) अब तक की गई जॉच से यह पता नहीं चलता कि इस मामले में कोई सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी फंसा हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा तट पर विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा चोरी छिपे मछली पकड़ना

6591, **श्री मोहन लाल पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा तट पर विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा चोरी-छिपे मछली पकड़ने के बारे में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस चोरी छिपे मछली पकड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य तटीय क्षेत्रों के बारे में भी कुछ शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हमारे तटीय क्षेत्रों में विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा चोरी छिपे मछली पकड़ने की जांच के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ङ) : हमारी जल सीमाओं में जिनमें उड़ीसा तट भी शामिल हैं, विदेशी ट्रालरों द्वारा चोरी छिपे मछली पकड़ने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इस समय तट रक्षक की सैन्य शक्ति इतनी पर्याप्त नहीं है कि वह हमारे सम्पूर्ण समुद्री आर्थिक क्षेत्र में लगातार गश्त कर सके । तथापि तट रक्षक संगठन में और अधिक गश्ती पोतों तथा विमानों को शामिल करके उसके संसाधनों में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । हमारे क्षेत्र में चोरी छिपे मछली पकड़ने को रोकने के लिए नौसेना भी समुद्र में गश्त लगाती है । इसके अलावा भारत के समुद्री क्षेत्र विदेशी पोतों

द्वारा मछली पकड़ने का अधिनियम 1981 भी अभी हाल में पारित किया गया है जिसमें हमारी जल सीमाओं में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने वाले विदेशी पोतों के विरुद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

"व्हेयर पुलिस टर्न ब्लाइंड आई टू स्मगलिंग" शीर्षक समाचार

6592. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "व्हेयर पुलिस टर्न ब्लाइंड आई टू स्मगलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल और बंगला देश के सीमावर्ती हमारे क्षेत्रों में हाल ही में तस्करी में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या किशनगंज सर्किल के लैंड कस्टम सुपरिंटेंडेंट के अनुसार वर्ष 1980 में 3.5 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 1981 में 6 लाख रुपये से अधिक मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई थीं; और

(घ) (एक) तस्करों की कार्य-विधि क्या है; (दो) हमारे देश से सीमावर्ती देशों और सीमावर्ती देशों से हमारे देश को सामान्यतः कौन सी वस्तुओं की तस्करी की जाती है; और (तीन) सम्बन्धित मशीनरी की ओर से यदि कोई ढील दी जाती है तो यह क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार भारत-नेपाल तथा भारत-बंगलादेश की सीमाएं तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र हैं। किन्तु, इन रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता है कि इन सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर तस्करी होती है।

(ग) सीमाशुल्क अधिकारियों ने किशनगंज में वर्ष 1981 में लगभग 4.44 लाख रु० के मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा जबकि उसकी तुलना में वर्ष 1980 में लगभग 3.39 लाख रु० मूल्य का माल पकड़ा था।

(घ) (एक) से (तीन) इन भू-सीमाओं के पार तस्करी आमतौर पर थोडी-थोड़ी मात्रा में ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं जो सीमा को अनेक स्थानों से अप्राधिकृत रूप से पार करते हैं।

नेपाल से भारत में तस्कर आयात की आने वाली मुख्य आकर्षण की वस्तुएं ये हैं :— संश्लिष्ट वस्त्र, कलाई की घड़ियां, घड़ियों के पुर्जे, बिजली का सामान और श्रंगार-प्रसाधन की वस्तुएं। भारत से नेपाल को तस्कर निर्यात की जाने वाली मुख्य आकर्षण की वस्तुएं ये हैं :— बकरी की खालें, मिट्टी का तेल, गेहूं, चीनी और पटसन।

बंगला देश से भारत में तस्कर-आयात की जाने वाली मुख्य आकर्षण की वस्तुएं ये हैं :—इस्तेमाल की हुई तैयार पोशाकें, दवाइयों का चूर्ण और संश्लिष्ट धागा। भारत से बंगला देश को तस्कर-निर्यात की जाने वाली मुख्य आकर्षण की वस्तुयें ये हैं:—भारतीय वस्त्र, साड़ियां मवेशी और बीड़ियां।

भारत.नेपाल और भारत-बंगलादेश की सीमाओं के साथ-साथ सीमाशुल्क विभाग के निवारक तथा गुप्तचर्या तन्त्र को सुदृढ़ बना दिया गया है। इन सीमाओं के पार होने वाली तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए सम्बन्धित प्रवर्तन एजेंसियों, अर्थात सीमाशुल्क विभाग, राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को सतर्क कर दिया गया है।

अफीम के मूल्यों में परिवर्तन

6593. **श्री निहाल सिंह :**

श्री सत्यनरायण जटिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किसानों से किन दरों पर अफीम खरीदी गई थी;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रति किलोग्राम अफीम के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई थी; और इसके परिणामस्वरूप किसानों को कितना मुनाफा अथवा घाटा हुआ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में अफीम का वार्षिक उत्पादन कितना है और इससे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार ने वर्ष 1976-77 से वर्ष 1980-81 तक की अवधि में किसानों से जिन दरों पर अफीम खरीदी थी, उनसे सम्बन्धित एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) काश्तकारों को अफीम के देय मूल्य में फसल वर्ष 1977-78 में एक बार वृद्धि की गई थी, जिसके परिणामत: काश्तकारों की आय में अनुपातिक वृद्धि हुई।

(ग) उत्तर प्रदेश में फसल वर्ष 1980-81 के दौरान 70° गाढ़ता की अफीम की उत्पादन लगभग 283 मी० टन हुआ अर्थात् 90° गाढ़ता की अफीम का उत्पादन लगभग 220 मी० टन हुआ। उससे अर्जित राजस्व का अलग खाता नहीं रखा जाता है। तथापि, भारत में उत्पादित अफीम की बिक्री से वर्ष 1980-81 में अर्जित कुल लाभ लगभग 183 लाख रु० था।

विवरण

पोस्त के काश्तकारों को अफीम के लिए अदा किया गया मूल्य।

काश्तकारों का वर्ग	70° गाढ़ता के अफीम के प्रति किलोग्राम के लिए अदा किया गया मूल्य (रु० में)	
	1976-77	1977-78 से 1980-81
ऐसे काश्तकार जिन्होंने अफीम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम अथवा इससे अधिक किया है।	200.66	220.00
ऐसे काश्तकार जिन्होंने अफीम का उत्पादन		

प्रति हेक्टेयर 45 किलोग्राम अथवा इससे अधिक किया हैं परन्तु 60 किलोग्राम से कम ।	180.60	200.00
ऐसे काश्तकार जिन्होंने अफीम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 35 किलोग्राम अथवा इससे अधिक किया है किन्तु 35 किलोग्राम से कम ।	160.00	180.00
ऐसे काश्तकार जिन्होंने अफीम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम अथवा इससे अधिक किया है किन्तु 35 किलोग्राम से कम ।	135.00	150.00
ऐसे काश्तकार जिन्होंने अफीम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम अथवा इससे अधिक किया है किन्तु 30 किलोग्राम से कम ।	110.00	130.00
प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम से कम ।	110.00	120.00

कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि

6594. **श्री राघव राव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि द्वारा अपनें कार्यक्रम को 15 लाख डालर के स्थान पर 13.50 डालर करने से भारतीय कृषि कार्यक्रम प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि की इस कार्यवाही के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) : वर्ष 1981 से 1983 तक की अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का पहला पुनर्भरण 1.5 अरब डालर से घटाकर 1.350 अरब डालर कर दिए जाने के परिणामस्वरूप इसके कार्यचालन में कुल मिलाकर कमी करनी होगी । इसी वजह से निम्न आय वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के कृषि विकास के लिए अत्यावश्यक साधनों की उपलब्धि में कमी हो जाएगी । विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा और किस्म में वृद्धि करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

"बिहार रिजेंट आर० बी० आई० स्टेप्स आन क्रेडिट" शीर्षक समाचार

6595. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1981 के अंग्रेजी दैनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बिहार रिजेंट आर० बी० आई० स्टेट्स आन क्रेडिट" शीर्षक से समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : उल्लिखित समाचार को सरकार ने देखा है । किन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसने चीनी मिलों को

ऋण सुविधा मंजूर करने पर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की है। ऋण-प्राधिकरण योजना के अधीन निर्धारित स्तरों से अधिक ऋण-सीमाएं मंजूर करने के सम्बन्ध में बैंकों से आशा की जाती है कि वे रिजर्व बैंक से सम्पर्क करें। किन्तु चीनी का मौसम आरम्भ होते ही रिजर्व बैंक ने सब बैंकों से कह दिया था कि वे इस प्रकार की पूर्व जांच के बिना ही चीनी मिलों को उनके गत वर्ष की उच्चतम निकासी के स्तर पर शतप्रतिशत निकासी करने की अनुमति दे दें। रिजर्व बैंक, चीनी मिलों की ऋण-आवश्यकताओं का निरन्तर मूल्यांकन करता रहा है और, उत्पादन के हित में, बिहार में स्थित मिलों समेत, सब मिलों को ऋण-सहायता सुनिश्चित करने के लिए चीनी उद्योग समेत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों को विवेकाधिकार देने और बड़ी संख्या में बकाया आवेदनों वाले बैंकों को ऋण सीमाओं में 25 प्रतिशत तक की तदर्थ वृद्धि की मंजूरी देने की अनुमति देने जैसे उपाय मौसम के बीच में भी किए गए हैं।

खाड़ी के देशों को भैंसों का निर्यात

6596. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन से जीवित भैंसे खाड़ी के देशों को भेजी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मांस प्रयोजन के लिए कितनी जीवित भैंसे निर्यात की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि भैंसों के निर्यात के लिए बम्बई के कसाइयों ने खाड़ी के देशों के व्यापारियों के साथ दीर्घकालिक करार किए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार बम्बई में पशुओं के चार पाँच निर्यात एजेंटों द्वारा इन निर्यातों की जांच-पड़ताल कराने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) **जीवित भैंसों का निर्यात**

वर्ष	**मात्रा (संख्या)**
1977-78	17704
1978-79	1059
1979-80	5238

स्रोत : "मन्थली स्टैटिस्टिक्स आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया", वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महा निदेशालय।

(ग) तथा (घ) : जीवित भैंसों (केवल निकृष्ट) और भैंसे, जिनका प्रजनन व भार ढोने के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत 3.50 रुपये प्रति किलो जीवित भार की न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन दी जाती है। निर्यातक को इस आशय का एक घोषणा-पत्र देना होता है कि निर्यात के लिए निविदाकृत जीवित भैंसें केवल बेकार भैंसें हैं और वे प्रजनन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। चूंकि

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस पर होता है, अतः सरकार के पास निष्पादित संविदाओं का रिकार्ड नहीं है ।

डेरी विकास और लघु सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने में वाणिज्यिक बैंकों की असफलता

6597. **डा० वसन्त कुमार पंडित** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित और विकास निगम ने डेरी विकास और लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में वाणिज्यिक बैंकों की असफलता पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने डेरी विकास और लघु सिंचाई के लिये कितनी योजनायें प्रायोजित की हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और इसकी राज्यवार सूची क्या है;

(ग) क्या इसका कारण इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में विस्तार कार्य में त्रुटियां और बैंकों द्वारा पूंजी निवेश के कार्यक्रमों में सार्वजनिक रुचि न लेना है; और

(घ) संचालनात्मक स्तर पर पर्यवेक्षी मशीनरी को मजबूत बनाने और अन्तिम मंजूरी और अनुवर्ती कार्यवाही में प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने की योजना बनाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम (कृ० पु० वि० नि०) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कुछ स्कीमों के कार्यान्वयन में छह महीने से अधिक की देरी हुई थी जिनमें डेयरी विकास और लघु सिंचाई से संबंधित स्कीम में शामिल थीं ।

(ख) सूचना संलग्न अनुबंध में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3846/82]

(ग) स्कीमों के कार्यान्वयन में हुई देरी के जो मुख्य कारण अध्ययन में निर्धारित किए गए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कीमों को लोकप्रिय बनाने के के वास्ते बैंकों की ओर से समुचित समर्थन का अभाव शामिल है ।

(घ) समाज के कमजोर वर्गों के वास्ते स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए त्वरित ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के वास्ते बैंक परिचालन स्तरों पर पर्यवेक्षी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं । जिन स्कीमों में कृ० पु० वि० नि० द्वारा पुनर्वित्त सुविधाएं दी जाती हैं, वहां निगम सभी सम्बन्धितों के परामर्श से मामले की जांच कर रहा है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये विश्व बैंक से ऋण

6598. **श्री नबल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि विश्व बैंक ने सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिये विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया है और आगामी वर्ष के दौरान कितनी राशि का ऋण प्राप्त होने संभावना है;

(ग) इस ऋण की शर्तें क्या है;

(घ) विश्व बैंक से प्राप्त इस ऋण की राशि विभिन्न राज्यों में कितनी कितनी वितरित की गई है और कितने गांवों में बिजली लगाई जायगी; और

(ङ) इस ऋण की राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), (ख) और (घ) : विश्व बैंक समूह ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष (1981-82) के दौरान कोई नया ऋण नहीं दिया है। लेकिन, भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच 570 लाख अमरिकी डालर तथा 1750 लाख अमेरिकी डालर के दो ऋण करारों पर क्रमश: 23 जुलाई, 1975 और 21 जून, 1979 को हस्ताक्षर किए गए थे। 570 लाख अमेरिकी डालर का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के पहले ऋण का (572-आई. एन.) पूर्णत: इस्तेमाल कर लिया गया है इसलिए इसे 31 दिसम्बर, 1980 को बन्द कर दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के 1750 डालर के दूसरे ऋण (911 आई. एन.) का इस समय उपयोग किया जा रहा है, इसकी अन्तिम तारीख 31 मार्च 1984 है इस में हिस्सा लेने वाले विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के बीच अस्थाई निर्धारण इस प्रकार किया गया है :

राज्य बिजली बोड	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण की राशि में से अस्थाई रूप से निर्धारित राशि (लाख डालर)
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	131.2
आसाम	28.8
बिहार	153.4
गुजरात	109.
कर्नाटक	81.6
केरल	36.8
मध्य प्रदेश	214.0
महाराष्ट्र	158.1
उड़ीसा	52.3
पंजाब	96.0

1	2
राजस्थान	118.2
तमिलनाडु	123.5
उत्तर प्रदेश	222.5
पश्चिम बंगाल	154.4

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की दूसरी परियोजना का मूल्यांकन करते समय यह परिकल्पना की गई थी कि परियोजना अवधि (1979 से 1983 तक) के दौरान लगभग 15,000 गांवों और लगभग 5 लाख पम्प सैटों के लिए बिजली मुहैया की जाएगी।

विश्व बैंक समूह के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए तीसरे ऋण/उधार के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ऋण/उधार की सम्भावित राशि और उसके सम्बन्ध में अन्य ब्यौरे का पता विश्व बैंक समूह के साथ बातचीत पूरी होने के बाद ही चलेगा।

(ग) दूसरे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ऋण पर, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सामान्य शर्तों के अनुसार कोई ब्याज नहीं लगेगा बल्कि ऋण के मूलधन की निकाली गई और समय समय पर बकाया राशि पर 1 प्रतिशत के तीन चौथाई (1 प्रतिशत का $\frac{3}{4}$) वार्षिक की दर से केवल सेवा प्रभार लगेगा और इसकी वापसी अदायगी 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 रु० वर्षों में की जाएगी।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग और ग्रामीण विद्युतकरण निगम परियोजना के क्रियान्वयन पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं।

खनिजों का निर्यात

श्री जेवियर अराकल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से प्रति वर्ष खनिजों की भारी मात्रा का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए इन खनिजों की मात्रा और इसकी दर क्या है; और

(ग) कौन-कौन से देश इन खनिजों का आयात कर रहे हैं और क्या कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए कोई द्विपक्षीय समझौता है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत खनिजों का निर्यात जापान, दक्षिण कोरिया, कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य, ताइवान, मलयेशिया, रूमानिया, युगोस्लाविया, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, सोवियत

संघ, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, पश्चिम यूरोप, इराक/सं० अ० अमीरात, खाड़ी के देश, पाकिस्तान, बंगला देश, वर्मा, श्रीलंका, सं० रा० अमरीका आदि को करता है। भारत के रुपया व्यापार क्षेत्रों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संतुलित है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे देना देश के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

विवरण

(क) तथा (ख) : गत तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए खनिजों की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

मूल्य करोड़ रु० में

वस्तु	1978-79		1979-80		1980-81	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लोह अयस्क (मिलियन मे. टन)	21.2	232.91	24.8	285.24	26.2	289.41
मैंगनीज अयस्क ('000 मे. टन)	627.7	15.43	626.7	13.15	601.5	13.78
अभ्रक (मिलियन किग्रा.)	15.3	18.94	18.7	20.58	17.8	18.21
अन्य अयस्क तथा खनिज	—	59.39	—	54.06	—	59.39
खनिजों तथा अयस्कों का योग		326.67		373.03		380.79

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा सांकसंलन महानिदेशालय, कलकत्ता।

दक्षिण क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्य निष्पादन

6600. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने दक्षिण क्षेत्रों में गत दो वर्षों के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया है;

(ख) क्या दक्षिण में स्थित इन उपक्रमों के वर्ष 1979-80 की तुलना में वर्ष 1981-82 में कुल बिक्री में 9 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त होने का अनुमान है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के दौरान उन्होंने कुल कितना मुनाफा कमाया था;

(घ) वर्ष 1979-80 की तुलना में इन्होंने किस प्रकार बेहतर कार्य किया था;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन उपक्रमों में पूंजी निवेश में भी भारी वृद्धि हुई थी; और

(च) ऐसे कौन से एकक हैं जहां वास्तव में सुधार हुआ है और इनकी लाभप्रदता क्या है और किन-किन राज्यों में इन एककों को उल्लेखनीय लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (च) सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन ने अपनी संस्था पत्रिका के मार्च, 1982 के अंक में निम्नलिखित विवरण प्रकाशित किया है :

(क) इन दक्षिण स्थित उपक्रमों में 1979-80 की तुलना में 1981-82 में कुल बिक्री में अनुमानत: 49 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ख) इस उद्यम समूह में लाभ 1979-80 में 76 करोड़ रुपये की तुलना में 1981-82 में बढ़कर अनुमानत: 101 करोड़ रुपये हो गई है ।

(3) इन उपक्रमों में लगी पूँजी 1979-80 में 2214 करोड़ रुपये से बढ़कर 1981-82 में 2804 करोड़ रुपये हो गई है ।

(4) इस समूह के अन्तर्गत भारी इंजीनियरी, पेट्रोलियम और रसायन एवं मध्यम और हल्की इंजीनियरी उद्यमों में 1979-80 की तुलना में 1981-82 में प्रत्याशित लाभ में काफी वृद्धि हुई है ।

हालांकि 1981-82 के सम्पूर्ण वर्ष में लगी पूँजी, उत्पादन और निवल लाभ के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तथापि सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन के सर्वेक्षण के अन्तर्गत दक्षिण राज्यों में केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के 1979-80 और 31-12-1981 को समाप्त 9 महीनों के अनन्तिम आँकड़ों का वितरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 3847/82]

मजूरी करारों को उत्पादकता के साथ जोड़ना

6601. **एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एककों में ऐसा कोई निर्णय किया है कि सभी मजूरी करारों को उत्पादकता के साथ जोड़ा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के मध्य में "एस० ए० आई० एल०" सहित अधिकारी मजूरी करार समाप्त हो रहे हैं;

(ग) क्या "सी० आई० टी० यू०" अपना मांग-पत्र प्रस्तुत कर चुका है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धकों को मजूरी उत्पादकता से जोड़ने के विषय में विचार करना चाहिए । विभिन्न उद्यमों के प्रबन्धकों को मजूरी उत्पादकता से जोड़ने सम्बन्धी ब्यौरा अपने कामगारों से मिलकर तय करना पड़ेगा ।

(ख) उपबन्ध जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० सहित 27 उद्यमों में मंजूरी करार 1982 में समाप्त होने वाले हैं ।

(ग) से (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय औद्योगिक मजदूर संघ ने इस्पात उद्योग के लिए मांगपत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० से अभी औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

दमण के तस्करों की गतिविधियां

6602. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली शासन के समय से ही गोवा और दीव सहित दमण तस्करों का अड्डा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दमण में तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम समुद्र तट, जिसमें दमण, दीव और गोवा के समुद्र तट भी शामिल हैं, तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र है ।

पश्चिमी समुद्र तट, जिसमें दमण का समुद्रतट भी शामिल है, के साथ-साथ सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बना दिया गया है । इस क्षेत्र में तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए सीमाशुल्क अधिकारी समुद्र में, तट और सड़क पर नियमित रूप से गश्त लगा रहे हैं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का गहन और निष्पक्ष अध्ययन

6604. **श्री आर० पी० गायकवाड :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों का "गहन और निष्पक्ष" अध्ययन शुरू करने की तात्कालिक आवश्यकता है जिससे पता चल सके कि उनमें खराबियाँ क्या हैं;

(ख) क्या इस प्रमुख क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की स्पष्ट रूप से परिभाषा करना और उत्पादकता के कुछ मानदण्डों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्यांकन करना आवश्यक है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सावई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : जी हाँ । उत्पादकता आदि के साथ-साथ उत्पादन आयोजन और नियंत्रण के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में

सरकारी उद्यमों का परिवीक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा यथावश्यक रूप से सरकारी उद्यम कार्यालय की सहायता से किया जा रहा है। जब कभी आवश्यक होता है तो अलग-अलग उद्यमों का गहन अध्ययन भी किया जाता है। इस कार्य के लिए योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है।

योजना प्रलेखों और राष्ट्रीय औद्योगिक नीति में सरकारी उद्यमों के सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य व्यापक स्तर पर निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद प्रत्येक उद्यम को इन व्यापक उद्देश्यों में से अपने विशिष्ट उद्देश्य छांटने होंगे।

मोतीलाल नेहरू माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा वजीफे की सुविधा

6605. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय मोतीलाल नेहरू माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट उत्तर काशी द्वारा दी जाने वाली वजीफे की सुविधा को और विस्तार करने की किसी योजना पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या यह वजीफा उत्तरकाशी के पड़ोसी जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली और पौड़ी से सम्बन्धित प्रत्याशियों को भी उपलब्ध कराया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० सी० सिंह देव) : (क) उत्तरकाशी का पर्वतारोहण संस्थान "नेहरू पर्वतारोहण संस्थान" है। संस्थान की छात्रवृत्ति प्रदान करने की अपनी कोई योजना नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण शुल्क में भी काफी रियायत दी जाती है। तथापि भारतीय पर्वतारोहण संस्थान, जो देश में पर्वतारोहण को एक खेल (स्पोर्ट) के रूप में लोकप्रिय बनाने वाला एक शीर्ष निकाय है, तो इस तथ्य के बावजूद कि उम्मीदवार किस क्षेत्र का रहने वाला है आर्थिक दृष्टि से कमजोर उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति देता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन जूट मिल्स एसोशिएशन की ओर से ज्ञापन

6606. **श्री वित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने मिलों की रुग्णता समाप्त कर उन्हें पुनः लाभकारी बनाने के कुछ सुझाते हुए हाल में कोई ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) अध्यक्ष, आई. जे. एम. ए. द्वारा सुझाए गए उपायों में शामिल हैं—उत्पादन नियंत्रण, उत्पादन शुल्क की कमी, बी, ट्विल बैग्स के लिए कानूनी न्यूनतम कीमतें, लागत

जमा आधार पर डी. जी. एस. एण्ड डी. अधिप्राप्ति, सीमेंट पैकिंग के लिएनए बैग्स का प्रयोग पटसन माल के निर्यात के लिए नकद सहायता का जारी रखना, पटसन बोरों में उर्वरकों की पैकिंग, निर्यात स्थिरीकरण निधि का सृजन, संस्थागत ऋण रियायतें तथा परिप्रेक्ष्य आयोजन।

(ग) सरकार ने हाल में डी० जी० एस० एंड डी० की मार्फत कतिपय शर्तों के अन्तर्गत लागत कीमत पर पटसन बोरों की 1.98 लाख गांठे खरीदने का विनिश्चय किया है। सरकार ने उद्योगों को आदेश जारी किये हैं जिनमें उन्हें 1.10.82 से शत प्रतिशत नये पटसन बोरों में सीमेंट पैक करने की सलाह दी गई है। विभिन्न अन्तिम प्रयोक्ता विभागों में से खाद्यान्नों, उर्वरक, चीनी, आदि की पैकिंग के लिये बड़े पैमाने पर माल उठाने के लिए पटसन बोरों की मांग बढ़ाने का आग्रह किया गया है। 31-3-81 के बाद पटसन माल के निर्यात के लिए नकद सहायता के जारी रहने सम्बन्धी अन्य प्रस्तावों तथा निर्यात संवर्धन एवं गवेषणा विकास कार्यों लिए "पटसन निधि" को स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना है।

मंजूरी में संशोधन के प्रश्न पर श्रमिकों और नियोक्ताओं की यूनियन के साथ बातचीत

6607. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला और इस्पात सम्बन्धी प्राधिकारियों को तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को यह सलाह दी है कि वे मजूरी के संशोधन के प्रश्न पर श्रमिकों और कर्मचारियों की यूनियन के साथ कोई बातचीत न करें; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

रानीखेत छावनी क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली भूमि के अन्तरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अनुरोध

6608. **श्री हरीश रावत** : रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि रानीखेत छावनी क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली ऐसी भूमि को जो निर्माणाधीन (1) चौबतिया-बमससुअ, (2) लोअर माल, (3) गनियाड्योली टाना-बिशालकोर मोटर-सड़कों की संन्धि में आती है, राज्य को अन्तरित कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) इस संबंध में रक्षा मन्त्रालय को राज्य सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन सार्वजनिक निर्माण बिभाग, रानीखेत के कार्यपालक अभियन्ता से अनुरोध बरेली क्षेत्र के सैनिक सम्पदा अधिकारी को प्राप्त हुआ है। रक्षा मन्त्रालय ने 3 अगस्त, 1981 को इस सड़कों को

16,22,545/-रुपये की कीमत पर राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव किया था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से उसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

बैंकिंग क्षेत्र से सम्बन्धित उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन

6609. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बैंकिंग क्षेत्र से सम्बन्धित वर्तमान उपनियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव उनके मन्त्रालय के समक्ष विचाराधीन है, ताकि मन्त्रालय इस क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में समर्थ हो सके ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : माननीय सदस्य, संभवतः यह जानना चाहते हैं कि क्या बैंकिंग क्षेत्र को शासित करने वाले विभिन्न अधिनियमों में परिवर्तन करने का विचार है। ऐसे अधिनियमों के प्रशासन में हुए पिछले अनुभवों के प्रस्तावों के आधार पर, इन अधिनियमों में कुछ परिवर्तन करने के वास्ते एक विस्तृत बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक लाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश रानीखेत में एम० ई० एस० गैर सैनिक कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

6610. **श्री हरीश रावत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के रानीखेत में एस० ई० एस० गैर सैनिक कर्मचारियों के लिए 20 महत्वपूर्ण कार्मिक क्वार्टरों की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या क्वार्टरों के निर्माण की अनुमति दे दी गई हैं और यदि हां, तो काम कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) यदि अब तक अनुमति नहीं दी गई है; तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस परियोजना की अनुमति पहले धन की कमी तथा शुरू की गई अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कारण नहीं दी जा सकी अब आशा है कि 1982 तक इसकी अनुमति दे दी जाएगी।

अनुभाग अधिकारियों की लेखा अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति

6611. **श्री जगपाल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा लेखा विभाग में ऐसे कितने स्थायी/स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (लेखा) हैं, जिन्हें वर्ष 1981 के दौरान सामान्य श्रेणी में से लेखा अधिकारी के ग्रेड में निम्नलिखित आधारों पर पदोन्नति किया गया था—

(एक) तदर्थ पदोन्नति;

(दो) चयन (द्रुतकारी पदोन्नति)

(तीन) वरीयता एवं उपयुक्तता (नियमित पदोन्नति); और

(ख) क्या उपरोक्त (एक) और (दो) आधारों पर उक्त पदोन्नतियां करते समय आरक्षण सम्बन्धी नीति का अनुपालन किया गया था, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) (एक) 70 (बाद में नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया)

(दो) 60 उक्त (i) के 70 शामिल हैं।

(तीन) 185

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुभाग अधिकारी से सेवा अधिकारी के ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अधिकारियों की पदोन्नति

6612. **श्री जगपाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 के दौरान रक्षा लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित किसी भी अनुभाग अधिकारी (लेखा) को लेखा-अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति नहीं दी गई है, हालांकि पदोन्नति के लिए मात्र अनुभाग अधिकारी (लेखा) उपलब्ध थे; और

(ख) यदि हां, तो महा-नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा पात्र अनुभाग अधिकारी (लेख) को पदोन्नति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) 1981 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के पात्र जिन सभी अनुभाग अधिकारियों (लेखा) को लेखा अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति के लिए सूची में शामिल कर लिया गया था, उन सब को 1981 में पर्याप्त पद खाली न होने के कारण पदोन्नत नहीं किया जा सका। उनकी सेवा की अवधि के अनुसार उनका रैंक उस संयुक्त सूची में नीचा है जो वर्तमान आदेशों के अनुसार बनाई गई है। भविष्य में पद खाली होने पर उनकी पदोन्नति, उनकी बारी आने पर, हो जायेगी।

रक्षा सेवा के सहायक नियंत्रक के रूप में पदोन्नति के लिए आरक्षण सम्बन्धी कोटे का अनुपालन

6613. **श्री जगपाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा लेखा के कितने लेखा अधिकारियों की सहायक नियन्त्रकों के रूप में पदोन्नति हो चुकी है;

(ख) क्या इन पदोन्नतियों को करते समय आरक्षण सम्बन्धी कोटे का अनुपालन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो आरक्षित कोटे से सम्बन्धित कितने लेखा अधिकारियों को रक्षा लेखा के सहायक नियन्त्रक के रूप में पदोन्नत किया गया है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो आरक्षण सम्बन्धी कोटे का अनुपालन न करने के क्या कारण हैं;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पिछले तीन वर्षों में 32 लेखा अधिकारी सहायक लेखा नियंत्रक पदोन्नत किए गए हैं।

(ख) और (ग) रक्षा लेखा विभाग के इस वर्ग में पदोन्नति के वर्तमान आदेशों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। फिर भी, पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति के चार लेखा अधिकारी उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर सहायक रक्षा लेखा नियंत्रक पदोन्नत किये गये हैं।

(घ) उक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अधीनस्थ लेखा सेवा-भाग-एक और भाग-दो परीक्षाओं में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन

6614. **श्री जगपाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधीनस्थ लेखा सेवा, भाग-एक और भाग-दो परीक्षाओं में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षित समुदायों से सम्बन्धित उम्मीदवारों को रियायत देकर रक्षा लेखा विभाग के अनुभाग अधिकारी (लेखा) ग्रेड में अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जन-जातियों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत रिक्त पदों को भरने के लिए सफल घोषित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अधीनस्थ लेखा सेवा की भाग 1 और 2 परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए मापदण्ड में छूट देने सम्बन्धी आदेश कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) 1978, 1979 और 1980 की अधीनस्थ लेखा सेवा की भाग दो परीक्षा में 45 उम्मीदवार मापदण्ड में छूट देने के बाद सफल घोषित किये गये थे। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के 45 उम्मीदवार अधीनस्थ लेखा सेवा की भाग 2 परीक्षा में सामान्य मापदण्ड के अनुसार सफल घोषित किये गये थे। अबतक 93 उम्मीदवारों को अनुभाग अधिकारी पदोन्नत कर दिया गया है। सभी आरक्षित पदों को भरने तक छूट देने की व्यवस्था नियमों में नहीं है।

भारत को अमरीकी सहायता

6615. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार भारत को वर्ष 1983 के दौरान 2100 लाख डालर की सहायता देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका के ऐसे किसी निर्णय के बारे में भारत को सूचित किया गया है;

(ग) वर्ष 1981 और 82 के दौरान भारत को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई थी; और

(घ) अब तक भारत ने सहायता की कितनी धनराशि का उपयोग किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत को संयुक्त राज्य अमेरिकी सहायता उनके राजकोषीय वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर) के आधार पर दी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिकी राजकोषीय वर्ष 1983 (अक्तूबर' 82 से सितम्बर' 83 तक) के लिए अबतक कोई करार नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) : संयुक्त राज्य अमेरिकी राजकोषीय वर्ष 1981 और 1982 में प्राधिकृत तथा प्रयुक्त सहायता की राशि इस प्रकार थी :—

करोड़ डालर

	प्राधिकृत	जिसमें से प्रयुक्त सहायता की राशि
संयुक्त राज्य अमेरिकी राजकोषीय वर्ष, 81 (अक्तूबर 80 से सितम्बर 81 तक)	10.462	3.444
संयुक्त राज्य अमेरिकी राजकोषीय वर्ष, 82 (अक्तूबर 81-सितम्बर 82 तक)	1.00	शून्य

संयुक्त राज्य अमेरिकी राजकोषीय वर्ष 1982 के लिए और अधिक सहायता के संबंध में बातचीत जारी है।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बचनबद्धता को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तदर्थ सहायता दिया जाना

6616. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों को तदर्थ सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है, कि वे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की वचनबद्धता को पूरा कर सके, जो इससे वित्तीय कठिनाइयों से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक कतिपय शर्तों पर बैंकों को तदर्थ सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों को वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त हो सकेगा और किन-किन शर्तों तथा ऋण के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक, प्रत्येक मामले में चयनात्मक आधार पर, संबंधित बैंकों के समग्र संसाधनों, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मौसमी ऋण आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए, विवेकाधीन पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीनी, ट्रैक्टर, ट्रक, निर्यात आदि शामिल हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय लघु बचत योजनाएं

6617. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में देश के आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय लघु बचत योजनाएं प्रायोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का तथा उन क्षेत्रों का तथा उन क्षेत्रों का जिनमें इन योजनाओं को आदिवासी लोगों के लाभ हेतु लागू किया गया है, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के लिए बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सक्रिय प्रयास किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न अल्प बचत योजनाएं शुरू की गई हैं और ये देश के सभी राज्यों और क्षेत्रों में लागू हैं जिनमें जनजाति क्षेत्र भी शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार ने केवल जनजाति क्षेत्रों के लिए ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है।

(ग) वित्त मन्त्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संगठन के फील्ड अधिकारियों का जाल जिला स्तर तक बिछा हुआ है। ये अधिकारी और राज्य सरकारों के इनके समरूप अधिकारी जनजाति क्षेत्रों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्मों, श्रृव्य-दृश्य साधनों और पेम्फलटों के जरिए अल्प योजनाओं के प्रसार के लिए विभिन्न प्रचार-अभियान चलाते हैं।

वर्ष 1985 तक आने वाले पर्यटकों के लक्ष्य

6618. **श्री गुलाम रसूल कोचक** :
श्रीमती माधुरी सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 तक 1.7 मिलियन यात्रियों के आने के लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि इसके विकास में 6.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है, किन्तु 15 प्रतिशत विकास की अनुमानित प्रतिशतता में कमी हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1985 तक 1.7 मिलियन पर्यटक आगमन के लक्ष्य की प्राप्ति विश्व और भारत में आस-पास की टूरिस्ट जैनरेटिंग मार्केटों में विद्यमान स्थिति, हवाई किराए का स्वरूप और ऐसे अन्य कारणों पर निर्भर है।

(ख) 1981 के दौरान दर्ज की गई 6.6%की अल्प अभिवृद्धि दर के मुख्य कारण ये थे—ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हवाई किरायों में ठोस वृद्धि, कुछ पड़ोसी देशों में गड़बड़ी के हालात, पर्यटन भेजने वाली परम्परागत मार्केटों में मुद्रा-स्फीति और मंदी की प्रवृत्तियां। अभिवृद्धि दर के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विभाग यू० एस० ए०, यूरोप, आस्ट्रेलेशिया, मिडिल ईस्ट और जापान में लाभप्रद केन्द्रों पर अवस्थित अपने 18 पर्यटक कार्यालयों और 7 पर्यटक संवर्धन प्रबन्धकों के माध्यम से विदेशों में भारत पर्यटक का व्यापक प्रचार और संवर्धन कर रहा है।

(ग) जी, हां। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि विश्व पर्यटन संगठन के आकड़ों के अनुसार 1981 में विश्व की औसतन अभिवृद्धि दर केवल 4.1% है।

बंगलौर हवाई अड्डे पर वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क

6619. **श्री के० मालन्ना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर सभी वाहनों से प्रवेश-शुल्क की वसूली की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इससे अर्जित की जाने वाली वार्षिक औसत आमदनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस शुल्क को समाप्त करने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। पार्किंग शुल्क केवल उन गाड़ियों से वसूल किया किया जाता है जिन्हे पार्किंग क्षेत्र में पार्क किया जाता है। जो गाड़ियाँ यात्रियों/आगंतुकों को लेकर हवाई अड्डे पर आती हैं तथा यात्रियों को छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं उन्हें हवाई अड्डा क्षेत्र में पार्क किया नहीं माना जाना चाहिये और इस प्रकार वे पार्किंग शुल्क की जद में नहीं आतीं।

(ख) कार पार्किंग लाइसैंस शुल्क के रूप में प्रति वर्ष 200,783.88 रुपये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जगुआर विमान के पुर्जों की जाँच करने के लिए हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की लखनऊ डिवीजन द्वारा परीक्षण रिगों का विकास

6620. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की लखनऊ डिवीजन ने जगुआर विमान के पुर्जों की जाँच के लिए परीक्षण रिगों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि मलेशिया की वायु सेना ने इन रिगों के प्रति अपनी दिलचस्पी दर्शायी है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हाँ ।

(ख) इसके अन्तर्गत रिगों की 90 किस्में आती है ।

(ग) इससे 3.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है ।

(घ) जी हाँ।

नई दिल्ली में हुई भारत ब्रिटेन व्यापार और औद्योगिक सहयोग वर्कशाप ।

6621. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 6 मार्च, 1982 को नई दिल्ली में भारत-ब्रिटेन व्यापार और औद्योगिक सहयोग वर्कशाप हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस वर्कशाप के क्या-क्या लक्ष्य और उद्देश्य थे;

(ग) क्या वर्कशाप में व्यापार को बढ़ाने हेतु भारत और ब्रिटेन के सहयोग के बारे में चर्चा हुई थी;

(घ) यदि हाँ, तो अन्य और किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी;

(ङ) उसमें क्या निर्णय लिए गए; और

(च) क्या यह भी सच है कि इन दोनों देशों के बीच इस समय बहुत कम व्यापार हो रहा है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) : भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ द्वारा 6 मार्च, 1982 को नई दिल्ली में भारत-ब्रिटेन व्यापार और औद्योगिक सहयोग के बारे में एक वर्कशाप आयोजित की गई थी । इसमें तीसरे देश के सहयोग के अलावा व्यापार एवं औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी अन्तरण में वृद्धि करने सम्बन्धी विषय पर विचार-विमर्श किया गया ।

(ङ) इस वर्कशाप ने आमतौर पर भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार तथा औद्योगिक

सहयोग को बढ़ाने और ब्रिटेन को निर्यातों की वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भारत के प्रतिकूल व्यापार संतुलन को कम किया जा सके।

(च) जी नहीं। ब्रिटेन भारत का एक प्रमुख साझीदार रहा है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय को बम्बई से बंगलौर ले आया जाना

6622. **श्री बी० वी देसाई :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

प्रो० रूप चन्द पाल :

श्री ई० बालानन्दन :

श्री अजित बाग :

श्री रेणुपद दास :क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय का बम्बई से बंगलौर अन्तरित करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय के कारण गत तीन महीनों से उक्त बोर्ड का काम वस्तुत: बन्द पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड के कर्मचारी बंगलौर नहीं जाना चाहते;

(ग) यदि हाँ, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है कि रेशम बोर्ड कार्यालय का कार्य सामान्य रूप से चले; और

(ङ) क्या बोर्ड के नए कार्यालय ने बंगलौर में काम करना शुरू कर दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : जब बोर्ड का मुख्य कार्यालय बम्बई में था, उसमें कार्य कर रहे 122 कर्मचारियों में से 52 कर्मचारियों ने पहले ही बंगलौर कार्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। शेष स्टाफ का, उनके अलावा जिन्हें बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में रखा जाएगा, अप्रैल, 1982 के बाद तबादला कर दिया जाएगा ताकि उनके बच्चों की शिक्षा शैक्षिक सत्र 1981-82 के लिए पूरी हो सके।

(ङ) जी हां।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल) बैरकपुर के नैमित्तिक कर्मचारियों की समस्या

6623. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल) के नैमित्तिक कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) : इस मामले पर हिन्दुस्तान

एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विचार किया गया था लेकिन इन कर्मचारियों द्वारा अस्थायी किस्म का काम किए जाने के कारण इन लोगों को कम्पनी में खपाना संभव नहीं समझा गया ।

पोलियस्टर धागे के आयात के सम्बन्ध में बम्बई सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा अधिसूचना का पालन करना

6624. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सीमाशुल्क कार्यालय ने उनके मंत्रालय के आयात व्यापार नियंत्रण विभाग की अधिसूचना का पालन करने से इन्कार कर दिया है कि काटन मिलें पोलियस्टर धागे का आयात करने के उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बम्बई सीमाशुल्क कार्यालय के उपरोक्त रवैये के परिणामस्वरूप कितनी मात्रा में और कितने रुपये मूल्य का पोलियस्टर धागा निकासी के लिए रुका पड़ा है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निकासी न होने के कारण धागा पूरी तरह बर्बाद हो सकता है क्योंकि इसके प्रयोग में लाने की अवधि सीमित होती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) बम्बई सीमाशुल्क ग्रह ने पोलियस्टर धागे के आयात के सम्बन्ध में सूती मिलों की पात्रता पर शंका व्यक्त की थी।

मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक ने तभी एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया था। निस्संदेह सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई, संगत मामलों में निर्णय करते समय उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखेगा ।

(ग) सीमाशुल्क समाहर्ता ने, अन्तरिम कार्यवाही के रूप में, बैंक की प्रत्याभूतियों पर जोर दिए बिना, बन्ध-पत्रों पर ही धागे की उक्त खेपों की निकासी की इजाजत दे दी थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सीमाशुल्क गृह ने निकासी में कोई अड़चन डाली है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

छठी योजना के दौरान विकसित किये जाने वाले नये पर्यटक केन्द्र

6625. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में छठी योजना अवधि के दौरान विकसित किए जाने की संभावना वाले प्रस्तावित नये पर्यटक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से विचार विमर्श करके यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर जिसमें केन्द्र, राज्य तथा प्राइवेट सैक्टरों में संसाधनों का एकत्रीकरण करते हुए 61 यात्रा परिपथों, जिनमें 441 पर्यटक केन्द्र आते हैं, के एकीकृत विकास की संकल्पना की गई है, पर्यटन विकास की एक व्यापक स्कीम तैयार की गई है। योजना का वास्तविक कार्यान्वयन धनराशि की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए प्रारम्भ किया जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले केन्द्रों के साथ साथ आवास तथा परिवहन जैसी पर्यटक आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) केन्द्रीय सेक्टर में उपलब्ध धनराशियां राज्यवार आधार पर आवंटित नहीं की जाती हैं। पर्यटन के विकास की योजनाएं विविध केन्द्रों पर उनके द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता के आधार पर प्रारम्भ की जाती है तथा तदनुसार स्कीमवार रूप से राशियां आबंटित की जाती हैं।

हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को सहायता

6626. **श्री गदाधर सहा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने उनके मंत्रालय को इस आशय के कई स्मरण पत्र भेजे हैं कि हुगली डाकिंग गेज एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को सहायता देने के लिए सरकारी अनुमति दी जाये ताकि वह संकट से उबर सके;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने बुक किये गये क्रयादेशों तथा उत्पादन के वर्तमान प्रोत्साहनजनक रुख को देखते हुए और एक बड़े क्रयादेश को पूरा करने एवं वहां कुशल कार्य-बल की व्यवस्था करने की दृष्टि से इस मामले पर विचार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को इस कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन तथा मजूरी उपलब्ध कराने में वित्तीय सहायता देना जारी रखने हेतु तत्सम्बन्धी मजूरी देने के लिए कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई० आर० सी० आई०), मेसर्स हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को निधियाँ (फंड्स) देने के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है।

(ख) 19.47 करोड़ रुपये की राशि के क्रयादेश कम्पनी के हाथ में हैं। 1979, 1980 तथा 1981 कैलेण्डर वर्षों के लिए उत्पादन की बिक्री-कीमत और कम्पनी द्वारा उठाई गई हानियों के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

(लाख रुपये)

	1979	1980	1981 (अनन्तिम)
उत्पादन की बिक्री-कीमत	454.65	642.60	742.61
ब्याज और मूल्यह्रास के बाद हुई हानियां	119.31	111.58	94.23

कम्पनी द्वारा इस समय 2500 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

(ग) और (घ) : आई० आर० सी० आई० द्वारा कम्पनी को संवितरित किये गये और ऋण अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी की भावी स्थिति, कम्पनी के उपक्रमों की अर्थक्षमता आदि पर निर्भर हैं।

प्रत्येक राज्य में पर्यटक ग्रामों के लिये नियत की गई धनराशि

6627. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक राज्य में पर्यटक गांव स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1982-83 में पर्यटक ग्राम स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि निश्चित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हाँ, संसाधनों की उपलब्धता और उपयुक्तता पर निर्भर रहते हुए अवस्थानुसार ढंग से ऐसा करने का प्रस्ताव है।

(ख) शुरूआत के तौर पर यह प्रस्ताव है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके शिवपुरी (मध्य प्रदेश) और बक्सर (बिहार) में एक-एक पर्यटक गाँव का निर्माण किया जाए। संबंधित राज्य सरकारों से भूमि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है। शिवपुरी में पर्यटक गाँव के बारे में योजनाएं और अनुमान भी तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1982-83 में पर्यटक गांव स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए की धन-राशि निर्धारित की गयी है।

एशियाई खेलों के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय

6628. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एशियाई खेलों के समय भारत में कितने पर्यटकों के आने की संभावना है;

(ख) उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी; और

(ग) देश के उन पर्यटन स्थलों की दशा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनकी विदेशी पर्यटकों द्वारा उस समय अपने भारत निवास के दौरान यात्रा किए जाने की संभावना है और साथ ही भविष्य में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) एशियाड के लिए लगभग 5,000 खिलाड़ी तथा खेल आधिकारिक और लगभग 3,000 अतिथि आएंगे। दिल्ली में एशियाई खेलों के समय भारत आने वाले संभावित पर्यटकों की संख्या और इसके फलस्वरूप होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) पर्यटक अभिरुचि के स्थानों का समुचित रख-रखाव और उनका सुधार एक सतत प्रक्रिया है। यात्रा परिपथ संकल्पना, जिसमें 441 केन्द्रों को कवर करते हुए 61 यात्रा परिपथों के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है, के आधार पर राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से पर्यटन के विकास की एक विस्तृत स्कीम तैयार की गई है। एशियाई खेलों के दौरान होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 9 होटलों का निर्माण किया जा रहा है और एक होटल का विस्तार किया जा रहा है। परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। 1982 के दौरान यात्रियों को लाने ले जाने की इंडियन एयरलाइंस की क्षमता में 2 अतिरिक्त एयर बसों और 4 अतिरिक्त बोइंग 737 एअरक्राफ्टों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। जो पर्यटक आधारिक संरचना तैयार की जा रही है उससे एशियाई खेलों के बाद भी पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक से छोटे नोटों की अदला-बदली

6629. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न काउन्टरों पर, कम मूल्य के नोटों की अदला-बदली के लिए लगने वाली लम्बी लाइनों की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि धन विनिमय के व्यापार में लगे लोग भारी संख्या में भारतीय रिजर्व बैंक आते हैं और आम आदमी को कम मूल्य के करैंसी नोट प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए, छोटे मुद्रा मूल्य के नोट प्राप्त करने हेतु एक काउन्डर (संख्या 73) निश्चित किया हुआ है; और

(घ) उन सरकार कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है जो धन की अदला-बदली करने वालों के साथ लाइन में खड़े होने में घंटों बर्बाद नहीं कर सकते ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकारी वेतन की अदायगी, त्योहारों और विवाह के मौसम जैसे अवसरों को छोड़कर, भारतीय रिजर्व बैंक के काउन्टरों पर कम मूल्य वर्ग के नोटों की अदला-बदली के लिए कोई असाधारण लाइनें नहीं लगतीं।

(ख) यह सच है कि धन विनिमय के व्यापार में लगे लोग भारी संख्या में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय में आते हैं। तथापि, कार्यालय के आकार पर निर्भर करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में पर्याप्त संख्या (3 से लेकर 23 के बीच) में काउन्टर हैं, ताकि लोगों को नोटों की अदली-बदली में कठिनाई न हो। एक रुपए के नोटों का उत्पादन धीरे-धीरे कम कर दिया गया है और दो रुपए के नोटों और एक रुपये के सिक्कों की उपलब्धता में काफी अधिक बढ़ोतरी कर दी गई है। इसलिए, जनता से एक रुपये के सिक्के और दो रुपये के नोट अधिक प्रयोग में लाए जाने की आशा की जाती है। पांच रुपए के नोटों के उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी गई है ताकि इस मूल्य वर्ग के नोटों की उपलब्धता में भी वृद्धि की जा सके। इस प्रकार कम मूल्य वर्गों के नोटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) काउन्टर संख्या 73 का उल्लेख स्पष्टतया भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में खुले हुए काउन्टर से है। किन्तु, यह काउन्टर एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लाभ के लिए नहीं है। यही काउन्टर एक रुपए के नोटों की अदला-बदली के लिए निर्धारित कियागया है और यह सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सरकारी मन्त्रालयों/विभागों आदि को उपलब्ध है। जनता और कर्मचारियों, जिन्हें विशेष अवसरों जैसे कि विवाह, त्यौहारों आदि पर एक रुपए के नोटों की आवश्यकता होती है, उनकी जरूरत भी इसी काउन्टर से पूरी की जाती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नोटों के अदला-बदली की सुविधाओं के संबंध में आम-जनता और सरकारी कर्मचारियों के बीच भेद करना संभव नहीं है। तथापि जिन दिनों में भारी अदायगियां जैसे कि वेतनों की अदायगियां होती हैं उन दिनों में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी विभागों/कर्मचारियों के अनन्य प्रयोग और सुविधा के लिए विशेष काउन्टर खोले जाते हैं।

सिंडीकेट बैंक, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में लम्बित पड़े ऋण आवेदन

6630. **श्री केशवराव पारथी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के शाखावार क्या नाम हैं जिन्होंने उन व्यक्तियों को ऋण दिए जिनको अपना व्यापार शुरू करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा खुदरा व्यापार हेतु लाइसेंस दिए गए और इस तरह के व्यक्तियों को इन बैंकों ने कितने रुपए के ऋण दिए;

(ख) क्या यह सच है कि सिंडीकेट बैंक (पंजाबी बाग, नई दिल्ली) में गत कुछ महीनों से कई आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऋण न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अपना स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए विशेष छूट भी देती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए और इस प्रकार छूट

देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जून 1980 के अंत की स्थिति के मुताबिक दिल्ली के खुदरा व्यापार को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की बकाया राशि 17,236 ऋणकर्त्ता खातों को व्याप्त करते हुए 32.23 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) सिंडीकेट बैंक की पंजाबी बाग की शाखा में इस प्रकार का केवल एक आवेदन कुछ अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण बकाया पड़े होने की सूचना मिली है।

(घ) बैंकों से कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई विशेष योजनाएं विकसित करें ताकि आत्म-नियोजन के लिए उन्हें मिलने वाले ऋण की मात्रा बढ़ सके और उनके ऋण-प्रस्तावों पर अधिक सहानुभूति और सहृदयता से विचार किया जाए। विभेदी ब्याज-दर योजना के अधीन 40 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मिलने की अपेक्षा की गई है।

(ङ) दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों की कुल बकाया राशि 339.32 करोड़ रुपये थी, जो कि 20.7 लाख ऋणकर्त्ता खातों को व्याप्त करती थी। इनमें से खुदरा व्यापार और छोटे व्यवसाय क्षेत्र के ऋणकर्त्ताओं की संख्या 2.37 लाख थी जिनके पास ऋणों की बकाया रकम 24.76 करोड़ रुपये थी।

मन्दी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्रय शक्ति पैदा किया जाना

6631. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के बजट के संबन्ध में एक पैनल चर्चा में उद्योगपतियों, प्रबन्धकों और कराधान विशेषज्ञों ने उद्योग में बढ़ती मन्दी की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए क्रयशक्ति पैदा करने हेतु सरकार से अपील की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि मन्दी की प्रवृत्तियां मौजूद हैं जैसा कि उद्योगपतियों द्वारा दावा किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाने के प्रति जो कि वृद्धिगत आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ आधार है, उनके सुझावों पर उनकी (मन्त्री महोदय) क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य दिल्ली प्रबन्ध संस्था (दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन) द्वारा बजट के सम्बन्ध में आयोजित पैनल में की गई चर्चा का उल्लेख कर रहे हैं जिसका समाचार 5 मार्च, 1982 के इकोनोमिक टाइम्स में छपा था। विचाराधीन समाचार में उद्योग में मन्दी की प्रवृत्ति का कोई उल्लेख नहीं था। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विमान सेवा से सम्बद्ध नए केन्द्र

6632. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : यह

यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के दौरान भारत में विमान सेवा से सम्बद्ध किए गए (राज्यवार) नए केंद्रों के क्या नाम हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : इण्डियन एयरलाइंस ने 1981-82 के दौरान किसी नये स्टेशन के लिए परिचालन आरम्भ नहीं किये हैं। परन्तु, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के लिए, दिल्ली तथा चंडीगढ़ से एच० एस०-748 विमान द्वारा 27 अप्रैल, 1981 से परिचालन पुनः प्रारम्भ किये गये।

वर्ष 1981-82 के दौरान निम्नलिखित स्टेशन वायुदूत सेवा द्वारा जोड़े गये हैं :—

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश :	स्टेशन
मेघालय	बारापानी
त्रिपुरा	कैलाशहर, कमालपुर
आसाम	रूपसी
अरुणाचल प्रदेश	तूजू
पंजाब	लुधियाना

उत्पादन शुल्क में विषमता के विरुद्ध उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

6633. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन उद्योग, अपने उत्पादों और सूत तथा कृत्रिम रेशम उद्योग के ऐसे ही उत्पादों के बीच उत्पादन शुल्क में विषमता के विरुद्ध अभ्यावेदन देता रहा है;

(ख) क्या 1977-76 के बजट के दौरान वित्त मन्त्री ने समूचे वस्त्र उद्योग के लिए धागे पर शुल्क के ढांचे को तर्कसंगत बनाने की दृष्टि से पोलिस्टर ऊन पर उत्पादन शुल्क को बढ़ाकर 24 रुपए प्रतिकिलो कर दिया था;

(ग) यदि हाँ, तो किन कारणों से वित्त विधेयक, 1982 के दौरान शुल्क यदि 18 ई० के अन्तर्गत केवल हस्तनिर्मित सूत के साथ मिश्रित पोलिस्टर धागे पर यार्न शुल्क लगाया गया है और सैल्यूलोजिक पर शुल्क घटाकर 16 रुपया प्रतिकिलो किया गया है;

(घ) क्या सरकार को उस प्रतिक्रिया की जानकारी है कि उस में विसंगति से उस पोलीबुल उद्योग पर हो रही है जो पहले से ही बुरे दौर से गुजर रहा है;

(ङ) हजारों लोगों के बेरोजगार होने से बचाने के लिए यथापूर्व स्थिति को बहाल करने के लिए सरकार का क्या छूट देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1977 के बजट में किए गये परिवर्तनों के परिणामतः पोलियेस्टर/ऊन मिश्रित धागों पर, जिनमें तौल के हिसाब से पोलियेस्टर की मात्रा सर्वाधिक हो, लागू उत्पादन शुल्क की दर 24 रुपये प्रति किलो ग्राम नियत की गई थी।

(ग) वर्ष 1982 के बजट में, मिश्रित/धागों (जिनमें सूती/सैलुलोजिक तन्तु भी शामिल हैं) पर उत्पादन शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है ताकि टैक्सटाइल उद्योग फैब्रिक के वांछित मिश्रणों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सके और पोलियेस्टर तन्तु का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके ।

(घ) तथा (ङ) पोलियेस्टर/ऊन मिश्रित धागों अथवा फैब्रिक पर वर्तमान में कोई रियायत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बैंकों से ऋण

6635. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र और 20 सूत्री कार्यक्रम बैंकों से ऋण प्राप्त करने के मामले में परस्पर व्याप्त हैं;

(ख) क्या प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा बदलने और ऋण ढांचे का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है;

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की और अधिक शिरकत कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) 20-सूत्री कार्यक्रम के बैंक ऋण से सम्बद्ध विभिन्न सूत्रों के अधीन लाभ प्राप्तकर्त्ताओं, सामान्यत: वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों की एक श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं । पहले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर उक्त कार्यक्रम के लाभान्वितों का निर्धारण, इन श्रेणियों को बैंक ऋण प्रदान करने में एकरूपता को सुनिश्चित करने, इस क्षेत्र के लाभ प्राप्त कर्ताओं को वित्त प्रदान करने में प्राथमिकता सुनिश्चित कराने एवं इस क्षेत्र को विभिन्न रियायतें प्रदान करने के लिए किया गया था ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की आवश्यकताओं के साथ-साथ नये 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्य सम्बद्ध मामलों और आवश्यकताओं की जाँच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है । कार्यकारी दल के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषाओं में संशोधन के लिए गुंजाइश की जांच के साथ-साथ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के वास्ते बैंकिंग प्रणाली के कार्यों का निर्धारण भी शामिल है । इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान प्रबन्धों और प्रक्रियाओं में और सुधार किया जाएगा ।

आयकर अधिनियम की धारा 131 के तहत अंधाधुंध व्यय के मामले

6636. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 131 के अन्तर्गत, इसके संशोधित उपबन्धों को

महानगरों में लागू किये जाने के बाद से, खासतौर पर दिल्ली के अब तक अन्धाधुन्ध व्यय के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) इन मामलों का विस्तृत ब्योरा क्या है और अनुवर्ती कार्यवाही क्या की गई है;

(ग) राजधानी में शादियों पर अत्यधिक खर्च के मामलों का पता लगाने के लिए जैसा कि 18 जनवरी, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में समाचार दिया गया था क्या प्रशासनतन्त्र सोचा गया है; और

(घ) उसमें उल्लिखित मामलों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) आयकर प्राधिकारियों ने अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में जांच-पड़ताल की है और उत्सवों अथवा समारोहों के सम्बन्ध में किए गए व्यय के बारे में, आयकर अधिनियम की धारा 133 क (5) के अन्तर्गत लगभग दो मामलों में सूचना एकत्र की है। एकत्र किए गए ब्योरे कर-निर्धारण अधिकारी को, संगत कर-निर्धारण तैयार करते समय इस्तेमाल किए जाने हेतु भेज दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) आयकर आयुक्तों से, ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 133 (5) के उपबन्धों का और अधिक कारगर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया।

विदेशों में पर्यटन कार्यालयों के साथ और उनका कार्यकरण

6637. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्य कर रहे पर्यटन कार्यालयों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर हैं; और

(ख) क्या सरकार नेपाल, कुआलालाम्पुर और हांगकांग जैसे गैर परम्परागत क्षेत्रों से पर्यटकों को आकर्षित करने में असफल रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) विदेश के अन्तर्गत विविध देशों में निम्नलिखित 18 पर्यटक कार्यालय कार्य कर रहे हैं :—

क्रम सं०	पर्यटक कार्यालय
	अमरीका
1.	न्यूयार्क (क्षेत्रीय कार्यालय)
2.	लॉस एंजेल्स
3.	शिकागो
4.	टोरैंटो
	यूरोप
5.	जनेवा (क्षेत्रीय कार्यालय)

6.	पेरिस
7.	फ्रैंकफर्ट
8.	ब्रेशेल्स
9.	स्टाकहोम
10.	वीयाना
11.	मिलान
	यू० के०
12.	लन्दन
	आस्ट्रेलेशिया
13.	सिडनी (क्षेत्रीय कार्यालय)
14.	सिंगापुर
15.	पर्थ
	पूर्व एशिया
16.	टोकियो (क्षेत्रीय कार्यालय)
17.	बैंकाक
	पश्चिम एशिया
18.	कुवैत (क्षेत्रीय कार्यालय)

ऊपर उल्लिखित पर्यटक कार्यालयों के अलावा मियामी, डैलास, सान-फ्रांसिस्को और मेलबोर्न में पर्यटक संवर्धन अधिकारी तैनात किए गए हैं। इन पर्यटक संवर्धन अधिकारियों के अलावा (जापान) में भी एक सूचना सहायक तैनात किया गया है।

(ख) नेपाल, मलेशिया और हांग-कांग से पिछले 3 वर्षों के दौरान आने वाले पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है :—

	1979	1980	1981
नेपाल	6,744	7,008	11,851
मलेशिया	23,877	26,405	26,458
हांग-कांग	2,249	1,858	1,723

वास्तव में, एक दशक से भी अधिक समय से भारत के लिए मलेशिया का स्थान ऐसी दस टूरिस्ट जनरेटिंग मार्केटों, के अन्तर्गत आता है, जहाँ से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। नेपाल के बारे में यह कहा जा सकता है कि विदेशी पर्यटक आगमनों के आंकड़ों में, स्थल मार्गों द्वारा भारत में प्रवेश करने वाले नेपाल के राष्ट्रिक शामिल नहीं है।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक ऋण

6638. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण की योजनाओं, शाखाओं के विस्तार और ऋण देने में ज्यादा रुचि प्रदर्शित नहीं की जिससे बिहार और अन्य राज्यों के बीच असंतुलन पैदा हो रहा है;

(ख) राज्य में औसतन कितनी जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय है;

(ग) क्या बिहार में कृषि, परिवहन, लघु व्यापार और स्वरोजगार के लिए दिसम्बर, 1981 के अन्त तक बैंकों द्वारा कितने रुपए के ऋण दिए गए; और

(घ) 20-सूत्री कार्यक्रम में घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। कुल ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के ऋणों और शाखा-विस्तार के सन्दर्भ में वृद्धिशील विस्तार में, अन्श के रूप में, जून, 1969 में बैंकिंग प्रणाली में बिहार राज्य के अंश की तुलना में राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में बैंकों ने बिहार पर काफी अधिक ध्यान दिया है। इस प्रकार जुलाई, 1969 में कुल शाखाजाल में इस राज्म का अन्श 3.3 प्रतिशत था जो अब दुगने से भी अधिक बढ़ कर 6.8 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, समग्र ऋण के सम्बन्धं में भी बिहार का अंश दिसम्बर, 1969 के 1.4 प्रतिशत से सुधरकर दिसम्बर, 1980 में 2.5 प्रतिशत हो गया।

(ख) बिहार में 1969 में (1961 की जनगणना के अनुसार) 2,007,000 व्यक्तियों के पीछे एक बैंक कार्यालय था जबकि नवम्बर, 1981 के अन्त में (1981 की जनगणना के अनुसार) औसतन 27,000 व्यक्तियों के पीछे एक बैंक हो गया।

(ग) बिहार में कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों से संबंधित दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक उपलब्ध आँकड़े नीचे दिये गये हैं:

(बकाया राशि लाख रुपये)

1. कृषि	
प्रत्यक्ष	11159·61
अप्रत्यक्ष	6231·01
2. लघु उद्योग	8045·77
3. परिवहन	4191·66
4. खुदरा व्यापार और छोटे कारबार	3563·63
5. व्यवसायिक और आत्म-नियोजित व्यक्ति	681·72
6. शिक्षा	30.96
जोड़	33.904·36

(घ) बैंकों से कहा गया है कि वे नए 20-सूत्री कार्यक्रम और विशेष रूप से ग्रामीण निर्धनोन्मुख, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बास्ते राज्य सरकार के

अभिकरणों को सहायता पहुँचाने के कार्य में स्वयं को अधिक सक्रियता से अन्तर्ग्रस्त करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी हाल ही में गठित एक कार्यकारी दल, नए 20-सूत्री कार्यक्रम और अन्य सम्बन्धित मामलों के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकिंग तंत्र के कार्यों के ब्यौरे का निर्धारण करने का प्रयास कर रहा है। आशा है कि यह दल कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर वर्तमान लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की भी समीक्षा करेगा। इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा प्रबन्धों और प्रक्रियाओं को और सुचारू बनाया जाएगा।

पर्यटक स्थलों का विकास/विस्तार

6639. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकार का विचार देश के पर्यटक स्थलों का विकास और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने पर्यटक स्थलों का विकास करने का विचार है; और

(ग) उसमें कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पर्यटन का विकास एक सतत प्रक्रिया है। चालू स्कीमों के अलावा यात्रा परिपथ संकल्पना पर पर्यटन को विकसित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, केन्द्र, राज्य तथा प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत तथा अवस्थानुसार ढंग से पर्यटक आधारिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों से विचार विमर्श करके 61 यात्रा परिपथों को, जिनमें 441 केन्द्र हैं, अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) केन्द्रीय सेक्टर में व्यवहार्यता अध्ययन के संतोषजनक होने तथा धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए चालू स्कीमों के अलावा निम्नलिखित विकासपरक स्कीमों को शुरू करने का प्रस्ताव है :—

पर्यटन विभाग : विचाराधीन नई स्कीमों के अन्तर्गत गोहाटी शिलांग, इम्फालत था नामची में पर्यटक होस्टल्स का निर्माण और पटना में यूथ होस्टल, सिम्पलीपाल, बेतला, दुब्वा/कार्बेट, बांदीपुर में वन गृह; शिवपुरी और बक्सर में भी पर्यटक ग्रामों की स्थापना; चुनी हुई पहाड़ियों/झीलों पर ट्रेकिंग/जलक्रीड़ा सुविधाएं/अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में मोटर लांच; चुनी हुई झीलों पर नावें (बोटस); सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुशी नगर, श्रावस्ती, बोद्धगया, हम्पी, महाबलीपुरम आदि में पर्यटक सुविधाएं, बक्सर और अन्य चुने हुए केन्द्रों पर प्रकाश और ध्वनि शो की माउंटिग, वन्य जीव शरणास्थलों में परिवहन सुविधाएं तथा मेलों और त्यौहारों का संवर्धन इत्यादि शामिल है। वस्तुत: शुरू की गई स्कीमें औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेंगी, इन औपचारिकताओं में राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करना या जहां जहां अपेक्षित हो अन्य सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है।

आई० टी० डी० सी० : आई० टी० डी० सी० की नई स्कीमों में नई दिल्ली, बम्बई,

चंडीगढ़, पाँडीचेरी, गुलमर्ग, कलकत्ता, आगरा, ग्वालियर में होटलों का निर्माण तथा व्यवहार्यता अध्ययन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के साथ गोहाटी, पुरी, भोपाल, हैदराबाद कोणार्क, इटानगर, रांची, गोवा, मद्रास, नैनीताल, कन्याकुमारी, अहमदाबाद आदि में संयुक्त उद्यम होटलों की व्यवस्था भी शामिल है।

(ग) इन केन्द्रों के विकास पर वास्तविक खर्च योजनाओं तथा अनुमानों पर निर्भर होगा। 1982-83 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर (पर्यटन विभाग और आई० टी० डी० सी०) में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए 12.94 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

पर्यटन से राजस्व में वृद्धि

6640. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पर्यटन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और क्या इस राजस्व में और आगे वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) : जी, हाँ। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1981 के लिए पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा आय वर्तमान कीमतों के आधार पर अनन्तिम रूप से 564 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि 1980 में यह आय 482 करोड़ रुपए थी।

पर्यटन से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा जिन उपायों की परिकल्पना की गयी है उनका ब्यौरा इस प्रकार है—होटलों और स्थल परिवहन जैसी पर्यटक आधारिक संरचना के लेज विकास के द्वारा निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों पर सघन विकास; राष्ट्रीय एयर कैरियर्स के फ्लीट में वृद्धि; फिल्मों, श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरणों, पर्यटक साहित्य का प्रकाशन, विज्ञापनों, आदि जैसे विविध प्रचार मीडिया के द्वारा विदेशों में पर्यटन संवर्धन में तेजी लाना, यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, पत्रकारों आदि को विभाग के अतिथियों के रूप में परिचायक दौरे पर आमंत्रित करते हुए मीडिया सम्बन्धों को बढ़ाना ताकि वे बदले में भारत सम्बन्धी पर्यटन का संवर्धन कर सकें।

दिल्ली तथा राज्यों की राजधानियों में और अधिक होटलों का निर्माण

6641. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली तथा राज्यों की राजधानियों में और अधिक होटलों के निर्माण का निर्णय लिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में तथा राज्यों की राजधानियों में कितने होटलों के निर्माण प्रस्ताव है; और

(ग) किन कारणों से इतने अधिक होटलों के निर्माण की आवश्यकता पड़ी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : सरकार किन्हीं होटलों का निर्माण नहीं करती है । होटल या तो सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा अथवा प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित किए जाते हैं । भारत पर्यटन विकास निगम दिल्ली में 3 होटलों का निर्माण कर रहा है, यथा होटल कनिष्क अशोक, अशोक यात्री निवास और होटल कौटिल्य । छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने विभिन्न राज्यों की राजधानियों में, जैसे गोहाटी, चण्डीगढ़, भोपाल, मद्रास, बम्बई, श्रीनगर, हैदराबाद तथा इलाहाबाद और अन्य स्थानों में 8 होटलों का निर्माण करने की परिकल्पना भी की है ।

इसके अतिरिक्त, भारतीय होटल निगम भी दिल्ली, बम्बई और श्रीनगर में एक-एक होटल का निर्माण कर रहा है ।

(ग) विभिन्न राज्यों की राजधानियों में इन होटलों के निर्माण का निर्णय किया गया है ताकि संसाधनों को एकत्र करते हुए देश के सभी क्षेत्रों में पर्यटन आधारित संरचना की सतुलित अभिवृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार 1985 तक पर्यटक आगमन के 1.7 मिलियन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके ।

सम्भावित पर्यटक आगमन

6642. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष भारत में कुल कितने पर्यटक आए थे और इस वर्ष कितने पर्यटकों के भारत आने की सम्भावना है ।

(ख) गत वर्ष इन पर्यटकों से कितनी आय हुई और इस वर्ष उसके कितने होने का अनुमान है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं के क्या नाम हैं तथा उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) 1981 के दौरान कुल 853,148 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के भारत की यात्रा की और इस वर्ष लगभग 9.80 लाख पर्यटकों के भारत आने की संभावना है । इन आँकड़ों में पाकिस्तान और बगला देश के राष्ट्रिक शामिल नहीं है ।

(ख) वर्ष 1981 के लिए पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा आय वर्तमान कीमतों के आधार पर 564 करोड़ रुपए होने का अनन्तिम रूप से अनुमान लगाया गया था । वर्ष 1982 के लिए यह आय लगभग 650 करोड़ रुपए होने की संभावना है ।

(ग) और (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत की और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा जिन उपायों की परिकल्पना की गयी है उनका ब्यौरा इस प्रकार है—होटलों और स्थल परिवहन जैसी पर्यटक आधारिक संरचना के तेज विकास के द्वारा निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों का सघन विकास; राष्ट्रीय एयर कैरियर्स के फ्लीट में वृद्धि; फिल्मों, श्रव्य दृश्य प्रस्तुतीकरणों, पर्यटक साहित्य का प्रकाशन, विज्ञापनों, आदि जैसे विविध प्रचार मीडिया के द्वारा विदेशों में पर्यटन संवर्धन में तेजी लाना; यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, पत्रकारों, आदि को विभाग के अतिथियों के रूप में परिचायक दौरे पर आमंत्रित करते हुए मीडिया सम्बन्धों को बढ़ाना ताकि वे बदले में भारत सम्बन्धी पर्यटन का संवर्धन कर सकें।

पर्यटकों के लिए जुटायी जा रही सुविधाओं की खास-खास बातें ये हैं :—

(एक) केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करके देश में निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक आधारिक संरचना का विकास करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।

(दो) यात्री निवासों/यूथ होटलों आदि का निर्माण करके मितव्ययी पर्यटकों को सस्ता, साफ सुथरा और आरामदेह आवास जुटाया जा रहा है।

(तीन) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए जिसकी वजह से पर्यटकों के जल्दी क्लियरेंस में देर होती है, हाल ही में बम्बई में इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए एक नयी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार दिल्ली में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।

(चार) मनोरंजन सम्बन्धी कार्यकलापों में अभिरुचि रखने वाले पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीइंग, जल क्रीड़ाए, ट्रैकिंग आदि की अतिरिक्त सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

(पांच) पर्यटकों की वातानुकूलित कारों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यटक व्यवसाय को पुरानी आयातित कारें रिजर्वड कीमतों पर उपलब्ध कराने की पर्यटन विभाग की एक स्कीम है।

(छह) इंडियन एयरलाइंस पर्यटकों को कुछ रियायतें अर्पित करता है :—

(क) "डिस्कवर इंडिया" टिकट जिसके अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रकों और भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में 375 यू० एस० डालर के भुगतान पर भारत में इंडियन एयरलाइंस के स्वदेशी सेक्टरों में 15 दिन तक के लिए सीमित यात्रा की जा सकती है।

(ख) "यूथ फेयर्स" जिसके अन्तर्गत 12-30 वर्ष की आयु के व्यक्ति इंडियन एयरलाइंस के स्वदेशी सेक्टरों में सामान्य यू० एस० डालर किरायों पर 25 प्रतिशत रियायत के हकदार होते हैं बशर्ते भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाए।

(सात) भारतीय रेलवे विदेशी राष्ट्रिकों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने पर उन्हें इंडरेल पास टिकट अर्पित करती है जो 7 से 90 दिन तक की अवधि के लिए वैध होता है और जिससे भारतीय रेलों द्वारा असीमित यात्रा की जा सकती है।

(आठ) भारतीय रेलवे ने राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से "पैलेस आन वील्स" नाम से एक नयी परियोजना प्रारम्भ की है ताकि रेल द्वारा पर्यटन का संवर्धन किया जा सके। इस रेलगाड़ी से पुराने राजसी राज्यों के 12 सैलूनों में 96 बर्थ स हैं और प्रथम श्रेणी की दो परिवर्तित बोगियों में 28 बर्थ्स हैं।

(नौ) पर्यटकों के लिए और अधिक सुख-सुविधाओं का निर्माण करने के लिए, भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

(दस) विभाग के अनुरोध पर जल्दी से कस्टम क्लियरेंस के लिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों पर दो चैनल प्रणालियाँ प्रारम्भ करके पर्यटकों के बैगेज के कस्टम क्लियरेंस में भी कुछ छूटें प्रदान की गयी हैं।

ताम्बे और पीतल स्क्रेप के आयात से अलौह धातु व्यापार को होने वाली कठिनाई

6643. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताम्बे और पीतल स्क्रेप के विनियमन से देश में अलौह धातु व्यापार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वास्तविक उपभोक्ताओं को या तो निर्यात गृहों अथवा लघु उद्योग निगम से सम्पर्क करना होता है जिससे विलम्ब कदाचार और कठिनाइयां बढ़ती हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को स्क्रेप के आयात की अनुमति देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : 1981-82 के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यात गृहों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के लघु उद्योग नियमों को वास्तविक प्रयोक्ताओं को बिक्री के लिए पीतल स्क्रैप तथा तांबा स्क्रैप के आयातकी अनुमति दी जाती है। अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वास्तविक प्रयोक्ताओं को सीधे आयात की अनुमति दी जाए। 1982-83 के लिए निर्यात नीति बदलने के सम्बन्ध में इन पर विचार किया गया है जो कि अभी घोषित होनी है।

विदेशों में भारतीय बैंक

6644. **श्री एम०बी० सिदनाल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों के क्या नाम है तथा वे कहाँ पर स्थित हैं;

(ख) क्या विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि बैंकों के कार्यकरण में जानकारी देने के तरीकों के आधुनिकी-

करण के अभाव तथा पुरानी टेक्नोलाजी के कारण विदेशों में बैंकिंग आपरेशन के विस्तार में बाधा पहुंची है; और

(घ) इन देशों में बैंकिंग कार्यकरण को कुशल तथा अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबंध में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3848/82]**

(ख) विदेशी शाखाओं के कार्यकरण की संबंधित बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय बैंक की विदेशी शाखाओं ने, अपने कारबार और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप, यथासंभव आवश्यक सीमा तक आधुनिक तकनीक और प्रणाली को अपनाया है। इन शाखाओं द्वारा किया गया कारबार अधिकांशतः लाभप्रद है और उन्नति की ओर अग्रसर है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों द्वारा अर्जित लाभ

6645. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक होटल ने गत वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार वित्तीय लाभ के लिए नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों की संस्था में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम ने निगम की प्रापर्टीज की तेज मार्केटिंग करने की दृष्टि से 4.10.1981 से "अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स" नामक अपनी ट्रेवल एजेंसी खोली है;

(दो) एकमुश्त दौरों का प्रारम्भ;

(तीन) टैरिफ में आफ-सीजन डिस्काउंट और मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों के लिए सस्ते एकमुश्त दौरे शुरू करना।

(चार) अन्य सार्वजनिक सेक्टरों को रूम सेल पर 10% से 20% तक छूट;

(पांच) भारत पर्यटन विकास निगम की प्रापर्टीज का भारत में व्यवस्थित तथा दीर्घ-कालीन विज्ञापन और प्रचार अभियान; और

(छह) श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण, यात्रा व्यवसाय की बैठकों में सहभागिता, हार्डसेल मिशनों, आदि के माध्यम से विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम की प्रापर्टीज का संवर्धन ।

क्रम सं०	होटल का नाम	विवरण परिचालन संबंधी लाभ/हानि		निवल लाभ/हानि	
		1980-81	1981-82 जनवरी 1982 तक	1980-81	81-82 जनवरी 1982 तक
		(लाख रुपयों में)			
1.	अशोक, नई दिल्ली	273.57	205.27	171.02	105.66
2.	अकबर, नई दिल्ली	92.80	98.89	50.33	57.84
3.	कुतब, नई दिल्ली	(—) 2.95	15.65	(—) 17.45	2.92
4.	जनपथ, नई दिल्ली	59.70	52.12	30.15	27.84
5.	लोधी, नई दिल्ली	42.65	41.27	16.30	18.27
6.	रणजीत, नई दिल्ली	17.10	21.40	(—) 0.67	5.71
7.	अशोक, बंगलोर	46.56	51.88	7.46	16.11
8.	हसन अशोक, हसन	3.28	3.25	1.55	1.27
9.	लक्ष्मी विलास पैलेस उदयपुर	3.22	6.09	(—) 0.55	2.37
10.	एअरपोर्ट अशोक कलकत्ता	22.32	31.55	(—) 17.41	(—) 3.97
11.	वाराणसी अशोक, वाराणसी	11.07	5.19	1.71	(—) 4.70
12.	पाटलीपुत्र अशोक, पटना	(—) 1.14	1.32	(—) 9.06	(—) 5.95
13.	खजुराहो अशोक, खजुराहो	2.40	0.50	(—) 2.76	(—) 4.03
14.	औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	(—) 2.58	(—) 0.83	(—) 12.83	(—) 9.04
15.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	1.42	6.46	(—) 10.00	(—) 2.70
16.	जम्मू अशोक, जम्मू	(—) 0.66	(—) 0.19	(—) 4.36	(—) 3.38
17.	जयपुर अशोक, जयपुर	0.67	3.50	(—) 10.65	(—) 6.34
18.	अशोक बीच रिसार्ट, कोवलम	10.92	5.23	(—) 14.10	(—) 17.20
19.	अशोक बीच रिसार्ट टैम्पल जे, महाबलीपुरम	(—) 2.14	1.06	(—) 5.15	(—) 1.62
20.	कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	4.46	5.64	(—) 2.25	(—) 0.96
21.	मदुरै अशोक मदुरै	(—) 4.29	(—) 0.81	(—) 10.02	(—) 6.34
	जोड़	578.78	554.44	161.26	171.76

कुवैत सरकार द्वारा एक भारतीय फर्म को काली सूची में डालना

6646. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवैत सरकार ने एक भारतीय फर्म को काली सूची में दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम तथा पता क्या है और इसके द्वारा की गई उन अनियमितताओं का ब्योरा क्या है जिसके कारण इसे काली सूची में दर्ज किया गया है; और

(ग) इस फर्म के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार द्वारा विगत हाल ही में किसी भारतीय फर्म को काली सूची में नहीं रखा गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रंगीन टेलीविजन के पुर्जों पर से अतिरिक्त शुल्क हटाना

6647. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने रंगीन टेलीविजन के पुर्जों पर देय अतिरिक्त शुल्क हटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप मंत्रालय को राजस्व की कितनी हानि होने की सम्भावना है और यह अतिरिक्त शुल्क किन कारणों से हटाया गया है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं। रंगीन दूरदर्शन के संघटक पुर्जों पर देय अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट नहीं दी गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स के प्रतिनिधि मण्डल की अरब देशों की यात्रा

6648. **श्री भीकूराम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा अरब देशों के बीच पूंजी निवेश और व्यापार के विस्तार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स के प्रतिनिधि मण्डल ने इस वर्ष मार्च के द्वितीय सप्ताह में अरब देशों का दौरा किया;

(ख) प्रतिनिधि मण्डल ने किन-किन देशों का दौरा किया और उनके साथ हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस से कोई अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं और इनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक 9 सदस्यीय फिक्की प्रतिनिधिमडल ने 11 से 18 मार्च, 1982 तक बहरीन, सऊदी अरब, तथा दुबई (संयुक्त अरब अमिरात) का दौरा किया। इस दौरे के दौरान फिक्की प्रतिनिधिमंडल ने इन देशों के

व्यापारिक प्रतिनिधियों तथा उच्चाधिकारियों से व्यापक विचार विमर्श किये और पाया कि कृषि तथा कृषि-आधारित उद्योगों, साबुन तथा डिटरजेंट्स, उर्वरकों, मांस प्रोसेसिंग एककों आदि के क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों के लिए काफी गुंजाइश है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी महसूस किया कि इन देशों को पर्याप्त रूप से भारत के निर्यात बढ़ाने की काफी संभावना है। इस दौरे से, जो अन्वेषण संबंधी था, भविष्य में भारत तथा इन देशों के बीच व्यापार बढाने की आशा है।

सीमा शुल्क वाले सामान पर लगान योग्य मूल्य के निर्धारण के बारे में विवाद

6649. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क वाले सामान को दी गई कम ड्यूटी मूल्य से कर योग्य मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में अभी हाल ही में कितने विवाद हुए हैं जिनके कारण वित्त विधेयक, 1982 (1982 का 14 वां) की धारा 47 के द्वारा केन्द्रीय उत्पादन और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 में संशोधन करना पड़ा है; और

(ख) इन विवादों में कितनी राशि का राजस्व विहित है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) अनेक निर्माताओं ने अपने माल के शुल्क निर्धारणीय मूल्य के नियतन हेतु अपने द्वारा वास्तविक रूप में प्रदत्त शुल्क की तुलना में अपने शुल्क सहित मूल्य में से अपेक्षाकृत अधिक शुल्क की कटौती का दावा किया था। उन्होंने इस मामले को अदालतों में भी उठाया था। कुछ निर्माताओं के हक में फैसला हुआ जबकि अन्यों को सरकार के खिलाफ अन्तरिम स्थगन प्राप्त हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन शुल्क सम्बन्धी पर्याप्त राजस्व फँस गया। इसलिए, वित्त विधेयक 1982 के खण्ड 47 के द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की धारा 4 में संशोधन किया गया।

तथापि, विगत कुछ समय में उत्पन्न हुए ऐसे विवादों की सही संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राजस्व की सही रकम के बारे में सूचना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ताओं से इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम की उपभोक्ताओं की और बकाया राशि

6650. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1981 को उपभोक्ताओं की और भारतीय पर्यटन विकास निगम की 505.75 लाख रुपये की राशि बकाया थी और यदि हाँ, तो यह राशि कब से बकाया है और किस उपभोक्ता की तरफ बकाया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त राशि में से 69.47 लाख रुपये की राशि तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया पड़ी है और इस राशि की वसूली के लिए निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम नगद ऋण नहीं देता परन्तु ग्राहकों द्वारा अपनी

सेवाओं और सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए व्यवसाय प्रथा के अनुसार बिननेस की सामान्य अवधि के दौरान क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता है। 31 मार्च, 1981 को विवध कर्जदारों की ओर 505.75 लाख रुपए बकाया थे। विविध कर्जदारों का अवधिवार ब्रेक-अप नीचे दिया गया है।

	(लाख रुपयों में)
1. एक वर्ष से कम समय से बकाया कर्ज	367.43
2. एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्षों से कम समय से बकाया कर्ज	38.03
3. दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्षों से कम समय से बकाया ऋण	30.82
4. तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया ऋण	69.47
जोड़ :	505.75

कर्जों की वसूली करने के लिए, पत्र-व्यवहार द्वारा और निजी मुलाकातों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही को तेज कर दिया गया है; जहां कहीं जरूरी होता है कानूनी कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में, सिविल कोर्टों से डिग्रियां प्राप्त कर ली जाती हैं और उनका निष्पादन किया गया है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन

6651. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण दिए जाने और 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के स्वरूप पर कार्य दल ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र और कमजोर वर्गों की उत्पादन तथा आवश्यकताओं के लिए वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों के वाणिज्यिक बैंकों को संक्षेप में क्या निदेश जारी किए गए;

(ग) यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि बैंकों द्वारा इन अनुदेशों का किस सीमा तक क्रियान्वयन किया गया है तथा 1980 और 1981 के वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों को वास्तव में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) क्या समीक्षा से निदेशों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कमी का पता चला है और यदि हाँ, तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिए क्रियान्वियन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या परिवर्तन सुझाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : जी, हाँ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपर्युक्त कार्यकारी दल को मार्च 1980 में गठित किया गया था। कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह

सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले उनके अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा, वर्ष 1985 तक, कृषि तथा इसकी सहायक गतिविधियों को मिलने लगना चाहिए। इस क्षेत्र में कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले प्रत्यक्ष अग्रिम 1983 तक कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले कुल प्रत्यक्ष अग्रिम के कम से कम 50 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच जाने चाहिए। इसी प्रकार, बैंकों को सलाह दी गई थी कि लघु उद्योगों को दिए जाने वाले इनके अग्रिमों का कम से कम 12.5 प्रतिशत भाग वर्ष 1985 तक केवल इस क्षेत्र के कमजोर वर्गों को मिलने लगना चाहिए।

(ग) उपर्युक्त लक्ष्य/उप-लक्ष्यों का पूरा करने में बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से समीक्षाएं की जाती है। वर्ष 1981 के लिए बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं। दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए इस प्रकार के अग्रिम निम्नलिखित थे : —

	(करोड़ रुपये)
1. कृषि	
(क) प्रत्यक्ष वित्त	2695.75
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	764.25
2. लघु उद्योग	2962.03
3. सड़क तथा जल परिवहन चालक	610.63
4. खुदरा व्यापार तथा लघु व्यवसाय	633.26
5. व्यवसायिक तथा स्व-नियोजित व्यक्ति	175.41
6. शिक्षा	10.90
	7862.23

(घ) इस वर्ष के शुरू में घोषित नये 20-सूत्री कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक अन्य कार्यकारी दल का गठन किया है जोकि अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी समीक्षा करेगा कि क्या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के भीतर और कमजोर वर्गों के लिए वर्तमान लक्ष्यों तथा उप-लक्ष्यों में किन्हीं संशोधनों आदि की आवश्यकता है इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के वास्ते वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं में और सुधार किया जाएगा।

जीवन बीमा निगम में विचाराधीन दावे

6652. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे भारत में जीवन बीमा निगम में (1) मृत्यु (2) पालिसी की अवधि पूरी होने के कारण 31.3.82 को राज्यवार, कुल कितने विचाराधीन दावे पड़े थे:

(ख) उक्त दावों में से कितने दावे (1) 3 वर्षों तथा उससे अधिक समय से, (2) 2 वर्षों तथा उससे अधिक समय से तथा (3) एक वर्ष और उससे अधिक समय से विचाराधीन पड़े थे; और

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता सेवा के हितों में प्रशासनिक तंत्र को सुचारू बनाने और जीवन बीमा निगम के अधिकारियों में अनुशासन लाने के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 मार्च, 1982 को विचाराधीन पड़े दावों के सम्बन्ध में इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है। 31 मार्च, 1981 को विचाराधीन पड़े दावों की क्षेत्र-वार संख्या इस प्रकार थी :—

क्षेत्र	मृत्यु दावे	परिपक्वता दावे
उत्तरी	3057	18744
केन्द्रीय	5316	18562
पूर्वी	8479	35067
दक्षिणी	8423	21962
पश्चिमी	8489	37324
विदेशी विभाग	532	3953
केन्द्रीय कार्यालय	224	1311
पूरे निगम का जोड़ :	34520	137013

राज्य-वार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) 31 मार्च, 1981 को विचाराधीन पड़े दावों में से उन दावों की संख्या जो एक वर्ष से भी अधिक समय से विचाराधीन थे, इस प्रकार है :—

अवधि जब से दावे विचाराधीन पड़े हैं	मृत्यु दावे	परिपक्वता दावे
दो वर्ष से अधिक	4264	6744
एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम	5276	11478

दो वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम अवधि वाले विचाराधीन पड़े दावों के संबंध में अलग से आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जीवन बीमा निगम दावों के निपटान के संबंध में कार्यालयों के कार्य-निष्पादन पर बराबर निगरानी रखता है। सरकार भी इस सम्बन्ध में की गई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है। दावों को तेजी से निपटाने के सम्बन्ध में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(एक) सेवा प्रदायी कार्यालयों के कार्य-निष्पादन का परिवीक्षण करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय में एक कक्ष की स्थापना की गई है। अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा समय-समय पर कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

(दो) जिन सेवा-प्रदायी कार्यालयों का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है उनके संबंध में व्यक्तिगत विचार-विमर्श किए जाते हैं ताकि समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और मौके पर उनका मार्ग-दर्शन किया जा सके।

(तीन) परिपक्वता दावों के मामले में परिपक्वता तारीखों से काफी पहले विमुक्ति प्रपत्र जारी कर दिए जाते हैं।

(चार) प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है। 5,000 रुपए की राशि तक के अकाल मृत्यु के दावों के मामलों के सम्बन्ध में जब तक बेइमानी करने का प्रमाण न मिले, कोई जाँच नहीं की जाती है। इसके अलावा यदि पालिसी की रकम के लिए कोई स्पष्ट हकदारी नहीं दी गई है तो 1,50,000 रुपए की राशि तक के बीमों के मामले में क्षति पूर्ति बांड प्रस्तुत करने पर हकदारी सबूत प्रस्तुत करने की शर्त समाप्त कर दी जाती है।

लन्दन के लिए जिन यात्रियों की बुकिंग की एयर इंडिया द्वारा पुष्टि कर दी गई थी उन यात्रियों को यात्रा करने से वंचित करना

6653. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22/23 जनवरी, 1982 को एयर इंडिया की लन्दन के लिए उड़ान संख्या 151 के 40 पुष्टिकृत बुकिंग यात्रियों को हवाई अड्डे पर अन्तिम क्षणों पर उनकी बुकिंग रद्द कर दिए जाने के कारण यात्रा से वंचित रहना पड़ा;

(ख) पुष्टिकृत यात्रियों को उनकी बुकिंग रद्द किए जाने की सूचना किस समय दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि अन्तिम क्षणों में बुकिंग रद्द किये जाने का कारण दोषपूर्ण कम्प्यूटर कार्यक्रम था; और

(घ) एयर इंडिया ट्रेवल बुकिंग की इस प्रकार की परिहार्य बहानों से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) दिनाँक 23.1.82 की उड़ान संख्या ए. आई-151 पर केवल 27 यात्रियों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

(ख) यात्रियों को सूचित नहीं किया गया था क्योंकि उड़ान रद्द नहीं की गयी थी तथा यात्रियों को उक्त उड़ान पर ही स्थान देने के प्रयत्न किये जा रहे थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह घटना गणतंत्र दिवस की उड़ान के पूर्वाभ्यास की वजह से "स्नो वॉर्निंग" के

प्रभाव के परिणामस्वरूप उड़ान के समय का पुनः निर्धारण करने तथा उड़ानों को रद्द करने सम्बन्धी एयर इंडिया की प्रत्याशाओं को कार्यरूप न दिए जाने के कारण घटी। तथापि, उन यात्रियों को, जिन्हें उक्त उड़ान पर स्थान नहीं दिया जा सका था, 24.1.1982 की उड़ान संख्या ए. आई-115 पर स्थान दिया गया। एयर इंडिया इस प्रकार की घटनाओं का निवारण करने के लिए सभी प्रयास करती है।

मिल्ट्री इंजीनियरी सेवा में सेना के मेजरों, लेफ्टि. कर्नलों तथा ब्रिगेडियरों की सीधी नियुक्ति

6654. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिल्ट्री इंजीनियरिंग सेवाओं में कार्यकारी इंजीनियरों, सुपरिटेंडिंग इंजीनियरों और चीफ इंजीनियर द्वारा धार्य पदों पर कार्य के लिए क्रमशः सेना के मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नलों और ब्रिगेडियरों को सीधे नियुक्त किया जाता हैं जबकि उन्होंने विभाग में सहायक कार्यकारी इंजीनियर, कार्यकारी इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के निचले पदों पर कार्य नहीं किया हुआ होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सीधी नियुक्ति से पूर्व मेजर/लेफ्टिनेंट कर्नल को केवल 90 दिनों का अटेचमेंट प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ग) क्या कार्यकारी इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए ग्राह्य होने से पूर्व सहायक कार्यकारी इंजीनियर को कम से कम 5 वर्ष का सेवा अनुभव प्राप्त करना होता है तथा कार्यकारी इंजीनियर को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के लिए विचाराधीन होने से पूर्व अतिरिक्त 7 वर्ष (अर्थात् कुल 5+7=12 वर्ष) की सेवा करनी होती है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इससे उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों में, जो तकनीकी दृष्टि से अधिक योग्यता प्राप्त हैं तथा कार्यपद्धति को भली भांति समझते हैं, रोष व्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो मामले को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सैनिक अफसरों को विभिन्न स्तरों पर उनके लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है। उसके लिए निम्न ग्रेडों में काम करना आवश्यक नहीं है क्योंकि सेना में सेवा करते समय वे अपेक्षित व्यावसायिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं।

(ख) यद्यपि यह अनिवार्य आवश्यकता नहीं है फिर भी, सैनिक अफसरों को सामान्य रूप में कार्य प्रणाली की जानकारी हासिल करने के लिए तीन से छः महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) जी हाँ।

(घ) चूंकि सेना और सिविलियन अफसरों के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित होता है; इसलिए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जाम्बिया को ऋण

6655. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जाम्बिया को हाल ही में 5 करोड़ रुपये का और पहले भी 10 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) क्या ऋण को नवगठित भारतीय निर्यात और आयात बैंक जिसने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से निर्यात ऋण सम्बन्धी कार्य को 8 मार्च, 1982 से अपने हाथ में ले लिया है, द्वारा संचालित किया जाएगा; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1980-81 और 1981-82 के दौरान अन्य देशों को भी ऋण (लाइन आफ क्रेडिट) की मंजूरी दी थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 27 फरवरी, 1982 को, 5 करोड़ रुपए के ऋण के लिए, जाम्बिया गणतंत्र सरकार के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे पूर्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 6 मार्च, 1979 को 10 करोड़ रुपये के ऋण के लिए इसी प्रकार के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये थे।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त दोनों ऋण पहली मार्च 1982 से निर्यात-आयात बैंक द्वारा अपने हाथ में ले लिये गये थे। ये दोनों ऋण भारत से जाम्बिया को निर्यात के किये जाने वाले इंजीनियरी माल के संबंध में पात्र संविदाओं के नौतल पर्यन्त निशुल्क (एफ० ओ० बी०) मूल्यों के 90 प्रतिशत वित्त पोषण के लिए थे।

(ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अन्य देशों को स्वीकृत ऋण का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	करार की तारीख	ऋणकर्त्ता का नाम	देश	रकम (करोड़ रुपये)
1.	5-8 80	बैंक आफ फारेन ट्रेड	वियतनाम	15.00
2.	17-12-80	वित्त मंत्रालय	सूडान	12.00
3.	9-1-82	वित्त मंत्रालय	मलावी	5.00
4.	23-4-82	बैंकों डी मोजाम्बिक	मोजाम्बिक	8.00
5.	24-4-81	सेशेल्स नेशनल	सेशेल्स	5.00
6.	11-9-81	इंडस्ट्रियल डेवलमैंट	केनिया	10.00
7.	12-10-81	वित्त मंत्रालय तथा आर्थिक आयोजना	घना	5.00

ब्याज की कम दर की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि

6656. **श्री आर० प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1980-81 के वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज की कम दरों पर कुल कितनी राशि के ऋण दिए और ये ऋण प्रत्येक राज्य में कितने-कितने व्यक्तियों को दिए गए; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत 1981-82 और चालू योजना अवधि के शेष वर्षों में कितनी राशि के ऋण दिए जाने की संभावना है और इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ मिलेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विभेदी ब्याज दर योजना के सम्बन्ध में सबसे हाल के उपलब्ध आँकड़े दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार हैं और विवरण में दिए गए हैं।

(ख) व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अन्त की स्थिति के मुताबिक इस योजना के अधीन बकाया अग्रिम, पिछले कैलेंडर वर्ष की स्थिति के मुताबिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों के लगभग एक प्रतिशत होने की संभावना है।

विवरण

दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, विभेदी ब्याज दर योजना के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राज्यवार अग्रिम

(लाभ रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य	ऋण तथा खातों की संख्या	बकाया राशि
हरियाणा	63153	874.52
हिमाचल प्रदेश	42941	409.10
जम्मू तथा कश्मीर	31505	276.01
पंजाब	100148	1193.41
राजस्थान	64680	650.26
चंडीगढ़	6203	373.65
दिल्ली	7132	88.42
जोड़ उत्तरी क्षेत्र	315842	3865.37
असम	30919	175 383
मणिपुर	2116	19.92
मेघालय	4028	21.92
नागालैंड	1119	8.63

1	2	3
सिक्किम	89	1.36
त्रिपुरा	6648	51.60
अरुणाचल	426	5.45
मिजोरम	572	4.04
जोड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्र	45917	288.75
बिहार	241133	1396.42
उड़ीसा	118968	551.59
पश्चिमी बंगाल	124490	563.68
अण्डमान तथा निकोवार द्वीप समूह	461	3.09
जोड़ पूर्वी क्षेत्र	485052	2514.78
मध्य प्रदेश	153345	1009.68
उत्तर प्रदेश	290719	2478.22
जोड़ मध्य क्षेत्र	144064	3487.90
आंध्र	193151	1298.72
कर्नाटक	206806	1414.32
केरल	185387	1279.99
तमिलनाडु	202827	1303.47
लक्षद्वीप	170	1.50
पांडिचेरी	9507	51.98
जोड़ पश्चिमी क्षेत्र	798174	5349.98
गुजरात	205756	2081.05
महाराष्ट्र	200464	1520.04
दादरा और नागर हवेली	252	1.00
गोवा दमन दीव	14750	140.00
जोड़ पश्चिमी क्षेत्र	421222	3742.09
समस्त भारत	2510271	19248.87

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० और सरकारी क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के उत्पादन लागत और विक्रय लागत का निर्धारण

6657. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०, इलैक्ट्रानिक्स लि० और सरकारी क्षेत्र की अन्य

रक्षा परियोजनाओं में किस तरह से उत्पादन लागत और विक्रय लागत का निर्धारण किया जाता है; और

(ख) क्या वैज्ञानिक लागत लेखे पद्धति के आधार पर फैक्ट्री लागत और विक्रय लागत के निर्धारण के लिए वाणिज्यक पद्धति अपनाएं जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) और (ख) : सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में निर्मित उपकरणों की लागत निर्धारित करने के लिए सामान्य वाणिज्यक लेखा पद्धति अपनायी जाती है। विक्रय मूल्य सम्बन्धित विभाग और उत्पादन यूनिट के बीच बातचीत द्वारा निर्धारित किया जाता है। जिन थोड़े से मामलों में विकास सम्बन्धी प्रयास करने होते हैं। उनमें मूल्य लागत तथा लाभ के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

विभिन्न देशों में ओवरसीज बैंकों की शाखायें

6658. **श्री भीखा भाई : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों में ओवरसीज बैंक की कई शाखाएं हैं;

(ख) किन देशों में ये शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या यह सच है कि गबन और धोखाधड़ी के कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : संभवत: माननीय सदस्य का तात्पर्य इंडियन ओवरसीज बैंक से है जिसकी शाखाएं इस समय हाँगकांग, सिंगापुर, श्री लंका और दक्षिण कोरिया में कार्यरत हैं।

(ग) से (ङ) : इन शाखाओं में से कुछेक में जालसाजियों तथा अन्य अनियमितताओं के कुछ मामले हुए थे। इस प्रकार के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक और सम्बन्धित बैंक के परामर्श से उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय बैंकों की विभिन्न देशों में कार्य कर रही शाखाएं

6659. **श्री भीखा भाई : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के विभिन्न देशों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें किन-किन स्थानों में कार्य कर रही हैं; और इनके कार्यालय कहां-कहां पर हैं;

(ख) इनमें से कितनी शाखाओं का अच्छा कारोबार है;

(ग) क्या इनमें से कोई शाखा घाटे में चल रही है; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनके नोटिस में गबन अथवा धोखाधड़ी के कोई मामले आए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गयी है।

[प्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3849/82]

(ख) और (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं द्वारा किया गया कारबार अधिकांशत: प्रशंसा योग्य है। कुछ इने गिने मामलों में कुछ शाखाओं को कुछ हानि भी हुई है। यह हानि मुख्यत: कुछ प्रशासनिक कमियों अथवा ऐसे कारणों की वजह से हुई जो सम्बन्धित शाखा के नियंत्रण से बाहर थे।

(घ) जी, हाँ। भारतीय बैंकों की कुछ विदेशी शाखाओं द्वारा की गयी धोखाधड़ियों के कुछ मामलों की जानकारी मिली है।

यूरोमनी और येन मनी बाजार से ऋण

6660. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों को, जो यूरोमनी बाजार से ऋण के लिए बातचीत हेतु यूरोप गए थे, कोई ऋण नहीं मिला है;

(ख) क्या जापानी येन बाजार से निजी तौर पर उधार लेने के प्रार्थनापत्रों की भी यही दशा हुई है;

(ग) इस घटना का विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और अन्य के लिए जिन्होंने ऋण माँगे थे, पर क्या जटिलताएं हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष ने लायड्स बैंक इंटरनेशनल के साथ हुए एक यूरो डालर ऋण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए लंदन का दौरा किया था। अलबत्ता, ऋण के लिए बातचीत बम्बई हुई थी। उपर्युक्त करार के परिणामस्वरूप 250 लाख अमरीकी डालर की राशि प्राप्त हुई है।

(ख) निजी निवेश द्वारा जापानी पूंजी बाजार में 10 अरब (बिलियन) येन जुटाने के वास्ते भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक आवेदन पत्र भरा है। इस निर्गम के बहुत शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों के वाणिज्यिक स्कन्ध के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

6661. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों/उच्चयोगों के वाणिज्यिक स्कन्ध के कारण के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें हुई हैं;

(ख) क्या सरकार प्रति उच्चायोग/दूतावास के ऐसे वाणिज्यिक स्कन्धों में कम से कम

एक अधिकारी की दर से ट्रेड सर्विस अधिकारियों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) क्या विदेश व्यापार के हित में इस मामले को उच्च प्राथमिकता देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल ट्रेड सर्विस के अधिकारियों के अभ्यावेदन

6662. **श्री संतोष प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल ट्रेड सर्विस के अधिकारियों से इस सेवा को इंडियन ट्रेड सर्विस के नाम से बदलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जैसे कि अन्य संवर्गीय सेवाओं में है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या सरकार का सेन्ट्रल ट्रेड सर्विस के अधिकारियों को सेवा की सही नामावली सहित उचित दर्जा देने के लिये तत्काल कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : चूंकि यह सेवा वाणिज्य मंत्रालय के आयात व निर्यात व्यापार नियंत्रण सगठन की आवश्यकताओं को अनिवार्य रूप से पूरा करेगी और इसलिए अखिल भारतीय सेवा नहीं होगी, इसका नाम केन्द्रीय व्यापार सेवा रखने का निर्णय किया गया था। दोबारा से इसका नाम भारतीय व्यापार सेवा रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फर्मों द्वारा जनता से प्राप्त सावधि जमा राशियों के ब्यौरे

6663. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार ऐसी कितनी फर्में हैं जो आज के दिन जनता से सावधिक राशियां जमा कर रही हैं;

(ख) ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अनुज्ञेय सीमा तक पैसा जमा कर लिया है; और

(ग) ऐसी कम्पनियां कितनी हैं जिन्होंने इस प्रकार का पैसा जमा नहीं किया और उनको कितना पैसा जमा करने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

फूड पोईजनिंग शीर्षक समाचार

6664. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1982 के "हिन्द" में फूड फोईज्निग (विषाक्त भोजन) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 4 मार्च, 1982 को इन्दौर के निकट मिलिट्री कालेज आफ टेलिकम्यूनिकेशन के आफिसर्स मैस में आयोजित एक भोज के बाद विषाक्त भोजन से कम से कम 70 सैनिक कर्मचारी प्रभावित हुए थे;

(ग) क्या 20 सैनिक अधिकारियों को जिनमें चार की हालत गम्भीर थी, संभवतः विषैला भोजन खा जाने के उपचार के लिए सैनिक अस्ताल में भर्ती कराया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो भोजन के विषाक्त हो जाने के क्या कारण थे और यदि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन विषाक्त होने की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जाये यदि कोई रोधक उपाय किए गये हैं, तो वे क्या हैं ?

रक्षामन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हाँ।

(ख) इस संस्थान के अफसर मैस में 4-3-1982 की शाम को मिल बैठकर खाना खाने के बाद कुछ सैनिक अफसरों और उनके परिवार के सदस्यों ने तबियत खराब होने की शिकायत की थी। मैडिकल जांच से किसी खास बात का पता नहीं चला और जिन लोगों के बीमार होने की सूचना मिली थी वे सब स्वस्थ हो गए हैं।

(ग) जी नहीं। अस्पताल में भर्ती किए गए प्रभावित व्यक्तियों में से किसी को भी खतरे की अवस्था या गम्भीर रूप से बीमार की सूची में नहीं रखा गया था।

(घ) यद्यपि इस मामले में किसी साजिश का संदेह नहीं है फिर भी तथ्यों की जाँच करने के लिए एक स्टाफ जांच अदालत का आदेश दे दिया गया है। सेना के मैसों के लिए स्वच्छता और सफाई के सम्बन्ध में व्यापक अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं। इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए फिर से निर्देश दे दिए गए हैं।

जगुआर लड़ाकू विमानों के सभी कलपुर्जों का उत्पादन

6665. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की लखनऊ स्थित एक्सेसरीज डिवीजन में निरन्तर अनेक उपलब्धियाँ रिकार्ड की गई है और कुछ उपकरणों का निर्यात ब्रिटेन को भी हो सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो वे उपलब्धियाँ क्या क्या है और किन किन उपकरणों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या जगुआर लड़ाकू विमानों के सभी कलपुर्जों का देश में ही उत्पादन तथा उनका संकलन करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस में क्या क्या कठिनाइयाँ है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का लखनऊ स्थित एक्सेसरीज डिवीजन भारत में विभिन्न प्रकार के निर्माणाधीन विमानों के पुर्जे बना रहा है। यह यूनिट कुछ पुर्जों तथा प्रशिक्षण उपकरणों का डिजाइन बनाने विकास करने और निर्माण का कार्य कर रही है और इस समय यू० के० के कुछ आर्डरों का निष्पादन कर रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अगुआर विमान के सभी संघटकों को लागत की दृष्टि से देश में बनाना सम्भव नहीं है।

विभिन्न उद्योग गृहों तथा व्यक्तियों की ओर आय कर की बकाया राशियां

6666. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या विभिन्न उद्योग गृहों तथा व्यक्तियों की ओर आयकर की करोड़ों रुपयों की राशि बकाया है;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर बचाने के लिए वे लोग बड़े पैमाने पर न्यायालयों का आश्रय लेते हैं;

(ग) यदि हाँ तो ऐसे कितने मामले न्यायालयों के विचाराधीन हैं तथा उनमें कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है तथा ये मामले कब से विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार कानून में कोई परिवर्तन करने का है ताकि कर दाताओं को अनावश्यक रूप से न्यायालयों में जाने से रोका जा सके और उन से कर वसूल किया जा सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन पंजीकृत कम्पनियों को, इस प्रश्न के प्रयोजन के निमित औद्योगिक घरानों की कम्पनियाँ माना जा सकता है। ऐसी 19 कम्पनियों और 8 व्यष्टियों की ओर 30 सितम्बर 1981 में एक करोड़ रुपये से अधिक के आयकर की माँगे बकाया पड़ी थीं उस तारीख की स्थिति के अनुसार, इन 27 मामलों में कर की बकाया की रकम, जो प्रश्न में उल्लिखित अन्य कर की बकाया होगी, 36.77 करोड़ रुपये की बैठती है; इस रकम में 51.19 करोड़ रुपये की माँगें शामिल नहीं हैं जो उस तारीख को प्रवर्तनीय नहीं थीं।

(ख), से (घ) यह भी नहीं कहा जा सकता कि जब कभी कोई कर निर्धारिती कर कानूनों के अधीन उपलब्ध नियमित उपायों का अथवा संविधान के अंतर्गत उपलब्ध असाधारण उपाय का लाभ उठाता है, तो वे उपाय आयकर उपवंचन के लिए होंगे। कर संबंधी विवादास्पद मामलों का हल निकालने के लिए निर्धारितियों को अधिनियम में दिये गये बिभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आयकर अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर-निर्धारण को रद्द करने अथवा उनमें संशोधन करने के लिए दीवानी अदालतों में मुकदमें

दायर करने पर आयकर अधिनियम की धारा 293 रोक लगाती है। इसी प्रकार आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 9 में केवल उन मामलों को छोड़कर, दिवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार पर एक सामान्य रोक की व्यवस्था है, जिनमें करदाता कर वसूली अधिकारी के आदेश को, धोखाबाजी के आधार पर चुनौती देता है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि कर सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करने पर न्यायालयों पर सामान्यतया रोक लगी है।

तथापि, उपर्युक्त उपबन्ध उच्च न्यायालयों के पुनः कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाहियां, वसूली तथा आयात सम्बन्धी कार्यवाहियों तथा आयकर अधिनियम की धारा 132 (5) के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों को भी स्थगित करने के उनके रिट सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर रोक नहीं लगाते। लेकिन कराधान सम्बन्धी मामलों में रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिबन्ध के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभिन्न प्रकार के बीमा जोखिमों के लिए प्रीमियम की दर में वृद्धि

6667. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल इन्श्योरेन्श कारपोरेशन ने मनमाने ढंग से विभिन्न बीमा जोखिमों के लिए प्रीमियम की दर में 100% की वृद्धि की है, यदि हां, तो बढ़ी हुई दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'नो क्लेम' बोनस को समाप्त किया गया है;

(ग) क्या इन बढ़ी हुई दरों की पुनरीक्षा के लिए कोई मांग की जा रही है; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जानर्दन पुजारी) : (क) से (घ) मोटर बीमे के सम्बन्ध में प्रीमियम की दरों में 1958 के बाद कोई संशोधन नहीं किया गया था। समय गुजरने के साथ साथ प्रीमियम की दरें अव्यवहारिक हो गई जिसके परिणामस्वरूप दावों का अनुपात प्रतिकूल हो गया। कारबार के इस वर्ग से हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए टैरिफ सलाहकार समिति जो बीमा अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है, टैरिफ की दरों में वृद्धि करने की सिफारिश की और तदनुसार साधारण बीमा उद्योग ने मोटर टैरिफ की दरों में वृद्धि कर दी। 'व्यापक जोखिमों' (कम्प्रिहेन्सिव रिस्क्स) के संबंध में कुल मिलाकर की गई वृद्धि अनुमानतः लगभग 33 प्रतिशत बैठती है।

31 जनवरी, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 'नो क्लेम' बोनस को समाप्त नहीं किया गया है। कुछ अभ्यावेदन, खासतौर से वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों से प्राप्त हुए हैं और उन्हें इस वृद्धि, जो ध्यानपूर्वक विचार करने बाद की गई है, का औचित्य बताते हुए उपयुक्त उत्तर भेज दिये गए हैं।

पटसन उद्योग में संकट

6668. **श्री के० टी० कौशलराम** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के सामने भारी संकट व्याप्त है तथा जनवरी, 1982 में उनके पास 1,23,400 टन का मिल स्टाक बिना बिका पड़ा हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि पटसन मिल उत्पादन कम करना न शुरू कर दें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० संगमा) : (क) यह सही है कि अभूतपूर्व मन्दी के कारण पटसन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से मिलों के पास पटसन माल के बिना बिके भण्डार जमा हो गए हैं और बाजार कीमतें आर्थिक स्तरों तक पहुँच गई हैं। जनवरी, 1982 के अन्त में सभी पटसन मिलों के पास पटसन माल के संचित भंडार 1,37,700 मे० टन थे।

(ख) आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों में पटसन माल की मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(एक) सितम्बर, 1981 से पटसन माल के निर्यात के लिए नगद मुआवजा सहायता प्रदान करना;

(दो) सीमेंट की पैकिंग में इस समय 90 प्रतिशत तक 1.10.1982 से शत-प्रतिशत तक नए बोरों का अनिवार्य प्रयोग।

(तीन) अप्रैल/जून 1982 के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की मार्फत बी-ट्विल बोरों की 1.98 लाख गाठों की खरीद जिसको भारतीय पटसन निगम से खरीदी गई कच्ची पटसन की 8 लाख गांठों के साथ जोड़ने के बाद लागत कीमत के आधार पर डिलिवर किया जाए। यह नवम्बर/दिसम्बर, 1981 के दौरान पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा बी-ट्विल बोरों की 1 लाख गांठों की आयात खरीद के अलावा है।

(चार) उर्वरकों, चीनी व खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए संश्लिष्ट एवजी वस्तुओं के स्थान पर अधिक पटसन बोरों का प्रयोग करने के लिए अन्य प्रयोक्ता विभागों से अनुरोध करना।

(पांच) पटसन विनिर्माता विकास परिषद के माध्यम से गैर-परम्परागत उत्पादों का विकास और अधिक बाजार संवर्धन करके पटसन माल के निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

कुडानकुलम, तमिलनाडु में रक्षा परियोजना

6669. **श्री के० टी० कौसलराम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के तिरुनेलबेली के कूडानकुलम स्थान पर स्वीकृत रक्षा परियोजना के बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ख) यह परियोजना सम्भवत: कब तक पूरी हो जायेंगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) नौसेना परियोजना के लिए

पता लगाते समय तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडानकुलम के बारे में भी विचार किया गया था परन्तु बाद में इस विचार को छोड़ दिया गया क्योंकि इस स्थान को उपयुक्त नहीं पाया गया।

रक्षा सुरक्षा कोर में न भरे गये रिक्त पद

6670. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सुरक्षा कोर के विभिन्न ओहदों में 4000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इतने पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रक्षा सुरक्षा कोर में भर्ती होने के प्रति कम रुचि दिखाने की वजह से कुछ स्थान, जो केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए थे, रिक्त रह गए हैं। सरकार ने हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं ताकि इस कोर में अधिक संख्या में आने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को आकर्षित किया जा सके।

डोगरा रेजिमेन्टल सेन्टर मेरठ से हटाया जाना

6671. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में डोगरा रेजिमेंटल सेन्टर को मेरठ से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सेन्टर किस तारीख को और किस स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है और क्या जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों के लोगों की सुविधा के लिये उसे पुनः मेरठ स्थानान्तरित किये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) इस माँग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और सेन्टर को मेरठ से हटाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में किस तिथि तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है और इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री क० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) डोगरा रेजिमेंटल सेंटर 1 जून, 1976 को मेरठ से फैजाबाद स्थानान्तरित किया गया था। इस डोगरा रेजिमेंटल सेंटर को फिर से मेरठ स्थानान्तरित करने के बारे में एक अभ्यावेदन सितम्बर 1981 में प्राप्त हुआ था।

(ग) चूंकि डोगरा रेजिमेंटल सेंटर को मेरठ से फैजाबाद सक्रियात्मक कारणों से स्थानान्तरित किया गया था अतः इसे फिर मेरठ स्थानान्तरित करना उचित नहीं समझा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायमूर्ति के० सी० पुरी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति की रिपोर्ट

6672. **आर. एन. राकेश** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में कार्य का मूल्यांकन करने और समता पर आधारित उपयुक्त वेतन मानों की सिफारिश करने के लिए क्या वर्ष 1974 में न्यायमूर्ति के० सी० पुरी की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति ने मई 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केवल औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में सिफारिशों के आंशिक रूप से 16-10-81 से कार्यान्वित करने का आदेश जारी कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि गैर औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हाँ ।

(ख) से (ग) विशेषज्ञ समिति की रक्षा स्थापनाओं में औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में सरकारी आदेश 16.10.1981 से लागू कर दिए गए हैं । जहाँ तक गैर-औद्योगिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है समिति की सिफारिशें विचाराधीन है ।

चाय बागानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से पर्याप्त ऋण का न दिया जाना

6673. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1.5 लाख कि० ग्रा० का वार्षिक उत्पादन करने वाले त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के अनेक चाय बागानों के मालिकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से पर्याप्त धन न मिलने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के बैंक कार्य संचालन एवं विकास विभाग को अभ्यावेदन दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य और ऐसे चाय बागानों के नाम क्या हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि राष्ट्रीय-कृत बैंक इन बागानों को विशेषकर उन बागानों को जो इन राज्यों के अधिसूचित पिछड़े जिलों में स्थित हैं, समुचित तथा समयानुकूल धन प्रदान करें, जिससे इस उद्योग को और अधिक हानि न हो ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय चाय बागान मालिकों की सेसासिएशन तथा सिलीगुड़ी टी आक्शन कमेटी ने सामान्यत: चाय कम्पनियों को उच्चतर ऋण सीमा मंजूर किये जाने की माँग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्यावेदन किया है । इन अभ्यावेदनों में कुछ चाय कम्पनियों के नामों का भी उल्लेख किगा गया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंद्ध बैंकों से परामर्श करके इस मामले की जांच की जा रही है और कुछ मामलों में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को पहले ही हलकर लिया गया है। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अधीन, बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के नामों तथा कार्यकलापों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

इस उद्योग का वित्त पोषण पिछले दो वर्षों के दौरान की औसतन सकल बिक्री के 60 प्रतिशत अथवा उत्पादन लागत के 75 प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। जहां कोई बागान मौसम की समाप्ति पर भी अपने खातों को अधिशेष (क्रेडिट) अवस्था तक नहीं ला पाते तो बैंकों के पास संचयी घाटों के पृथक्करण और उनको कार्यशील पूंजी के सावधि ऋण में बदलने का विकल्प रहता है। बैंक इस संबंध में सामान्तय: प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर निर्णय करते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये कृषि ऋण का विलम्बित देय राशि

6674. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये कृषि ऋण और उद्योगों को दिये गये ऋण की विलम्बित देय राशि 30 जून, 1981 को कितनी थी;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों को और अधिक ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रतिबन्ध लगाये हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी ऋण समितियों पर क्या प्रतिबन्ध लगाया है और सरकारी कृषि ऋण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार ताजा उपलब्ध सूचना के मुताबिक, कृषि को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त के अधीन सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अतिदेय 605 करोड़ रुपये की राशि के थे। इस तारीख को उद्योगों को दिए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों की बकाया राशि 10,236 करोड़ रुपये थी। जून, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक यह बढ़कर 13,388 करोड़ रुपये हो गई।

(ख) ऋण-वितरण के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्त उनके कुल ऋण परिचालन से सम्बन्धित हैं और रिजर्व बैंक की ओर से उन पर क्षेत्र-वार कोई अलग-अलग प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं।

(ग) देयताओं की वसूली की स्थिति से सम्बन्धित कुछ प्रतिबन्धों के अलावा, सरकारी समितिसरों द्वारा ऋण के मामले में कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं। वसूलियों के सम्बन्ध में शर्तों के निर्धारण का उद्देश्य उपलब्ध निधियों के कारगर ढंग से पुन: उपयोग की सुनिश्चित व्यवस्था करके सहकारी समितियों की अन्तर्निहित शक्ति में वृद्धि करना है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज

6675. **श्री सुभाष यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा जमा राशि पर दिये जाने वाले ब्याज की दर क्या है और स्थानीय निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में जमाराशि की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा पहली मार्च, 1982 से जमा रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दरें विवरण में दी गयी हैं। लेकिन स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ब्याज की अदायगी के आधार पर, बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति नहीं है ।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों द्वारा जमा रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज की दरें

	1.3.1982 से लागू
क. चालू खाते	शून्य
ख. बचत बैंक जमा रकमें	5.0
ग. स्थिर जमा रकमें	
1. 15 दिनों से 45 दिनों तक	3.0
2. 46 दिनों से 90 दिनों तक	4.0
3. 91 दिनों और उससे ऊपर लेकिन 6 महीनों से कम	5.0
4. 6 महीनों और उससे ऊपर लेकिन 9 महीनों से कम	6.0
5. 9 महीनों और उससे ऊपर लेकिन एक वर्ष से कम	7.0
6. एक वर्ष और उससे ऊपर लेकिन 2 वर्षों से कम की जमा रकमों के लिए	8.0
7. 2 वर्षों और उससे ऊपर लेकिन 3 वर्षों से कम की जमा रकमों के लिए	9.0
8. 3 वर्षों और उससे ऊपर की जमा रकमों के लिए	10.0

उपर्युक्त उपबन्धों के बावजूद :

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने विवेकानुसार 3 वर्षों से कम की जमा सावधिक राशियों पर बचत खातों में जमा की जाने वाली राशियों पर 1/2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकते हैं और (2) अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिनकी कुल मांग और सामयिक देयताएं 25 करोड़ रुपये से कम हों, अपने विवेकानुसार 3 वर्षों से कम की सभी सावधिक जमा रकमों

पर तथा बचत खातों में जमा की जाने वाली रकमों पर 1/4 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकते हैं ।

(3) सहकारी बैंक चालू (करेंट) खातों की जमा रकमों तथा 14 दिनों अथवा इससे कम की अवधि की नोटिस देकर निकासी की जा सकने वाली जमा राशियों पर 1/2 प्रतिशत से अनधिक वार्षिक दर पर ब्याज की अदायगी कर सकते हैं ।

(4) राज्य, केन्द्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक अपने विवेकानुसार सभी सावधिक जमा रकमों और बचत खातों की जमा रकमों पर नीचे विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकते हैं ।

सहकारी बैंक की श्रेणी	विनिर्दिष्ट दरों से ऊपर अनुमत अतिरिक्त दर
(क) राज्य सहकारी बैंक, नीचे (ख) में विनिर्दिष्ट बैंकों को छोड़कर	1/4 प्रतिशत
(ख) संघ शासित क्षेत्रों तथा मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक	1/2 प्रतिशत
(ग) केन्द्रीय सहकारी बैंक	1/2 प्रतिशत
(घ) प्राथमिक सहकारी बैंक	1 प्रतिशत

रिंग फ्रेम तथा मुख्य मशीनें मंगाने और उनकी खरीद के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम का किया गया निवेश

6676. **श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा :**

डा० ए० यू० आजमी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कपड़ा निगम द्वारा कम्पनी विभिन्न कपड़ा मिलों चाहे वे उनके सीधे प्रबन्ध के अन्तर्गत काम कर रहे हैं अथवा इसकी विभिन्न सहायक कम्पनियों के प्रबन्ध के अधीन है, के लिए रिंग फ्रेम तथा अन्य मुख्य मशीनें मगाने और खरीद के लिए अब तक कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय कपड़ा निगम को दो लाख रु० से अधिक मूल्य के ऐसे उपकरणों की सप्लाई करने वाली फर्मों और अथवा कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा इनकी सप्लाई राष्ट्रीय कपड़ा निगम की किन-किन मिलों के लिए की गई है और प्रतिवर्ष ऐसी खरीदों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन सौदों में लगी विभिन्न फर्मों अथवा कम्पनियों द्वारा घटिया स्तर की मशीनों की सप्लाई कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं तथा फर्मों का पूर्ण ब्यौरा क्या है, खरीद तथा भुगतान का तरीका क्या था तथा ऐसे सौदों के लिए उत्तरदायी पाये गये सभी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियों ने 1979-80 से 1981-82 के दौरान लगभग 43 करोड़ रु० मूल्य के रिंगफ्रेम और अन्य प्रमुख कताई मशीनरी खरीदी । जिन फर्मों से ऐसी खरीदारियां की गई थीं, उनके नाम एवं प्रत्येक से वर्षवार खरीदी गई मशीनरी का मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

फर्म का नाम	खरीदी गई मशीनरी का मूल्य (करोड़ रु० में)		
	1979-80	1980-81	1981-82 (अनन्तिम)
1. मै० टेक्समाको लि०, कलकत्ता ।	1.26	2.70	3.07
2. मै० टैक्सटूल कं० लि०, कोयमबटूर	0.81	0.92	1.14
3. मै० मफतलाल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई ।	0.34	0.42	1.06
4. मै० राम कृष्ण इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, कोयमबटूर ।	0.14	0.82	0.72
5. मै० इंडेक्विप इंजीनियरिय लि०, अहमदाबाद ।	0.43	4.30	3.84
6. मै० न्यू स्टैन्डर्ड इंजीनियरिंग कं० लि०, बम्बई ।	1.08	1.85	—
7. मै० मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन लि०, कलकत्ता ।	2.08	5.74	4.17
8. मै० लक्ष्मी मशीन वर्क्स, कोयमबटूर ।	1.86	2.48	2.00
योग	8.00	19.23	16.00

समुद्री उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाली सहकारी समितियां

6677. **श्री सुभाष यादव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्री उत्पादों का निर्यात हाथ में लेने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के बारे में समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने क्या भूमिका निभाई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : 1.3.1982 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के पास निर्यातकों के रूप में मछुआरों की छः सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं। मछुआरों की यदि कोई सहकारी समिति उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए प्राधिकरण के पास आती है तो एम्पीडा की विद्यमान योजनाओं के अन्तर्गत सभी संभव प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

कपड़ा मिलों के पास बड़े स्टाकों का इकट्ठा होना

6678. **डा० कृपा सिंधु रोई** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात माल के न उठाए जाने तथा हाल में वर्षा के कारण देश में कपड़ा मिलों के पास बड़े स्टाकों के जमा होने के फलस्वरूप 600 से अधिक कपड़ा मिलों को विकट संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि कच्चे माल की लागत बिजली तथा कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण संकट बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस मन्दी को ध्यान में रखते हुए नये कपड़ा मिलों की स्थापना के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : अन्तर्निविष्ट साधनों की लागतों में वृद्धि और माँग में कमी की वजह से सूती वस्त्र मिलें कठिनाई का सामना कर रही हैं। ऐसी आशंका का, कि स्थिति गम्भीर होगी, कोई कारण नहीं है। रुई की कीमतों में स्थिरता से, ये वस्त्र मिलें सामान्यतः बेहतर निष्पादन करेंगी।

(घ) 50,000 तकुओं की क्षमता वाली कताई मिलें स्थापित करने को गैर-लाइसेंसीकृत रखा जा रहा है। निर्यातों के विशिष्ट प्रयोजनार्थ के अलावा वस्त्र उद्योग के बुनाई क्षेत्र में किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती।

हवाई अड्डे पर जांच को अल्पावधि का बनाया जाना

6679. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डे पर जांच को अल्पावधि का बनाने तथा तलाशों को सरल बनाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) : हवाई अड्डे पर की जाने वाली जाँचों में कम समय लगे इस उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(एक) उत्प्रवासी संरक्षक (Protectorate of Emigrants) द्वारा हवाई अड्डे पर चालू की गई जांचों को एक वर्ष से अधिक हुआ समाप्त कर दिया गया है। अब इन्हें नगर में पासपोर्ट कार्यालयों पर ही पूरा कर लिया जाता है।

(दो) स्वास्थ्य जांच को अब "यैलो फीवर" की महामारी से ग्रस्त क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों तक सीमित कर दिया गया है।

(तीन) जिन यात्रियों के पास शुल्क देने वाली वस्तुएं नहीं होतीं, उनकी असुविधा समाप्त करने के उद्देश्य से "वाक-थ्रू चैनल" (ग्रीन चैनल) प्रणाली आरम्भ कर दी गयी है।

(चार) आप्रवासन प्राधिकारियों (Immigration Authorities) के साथ साथ स्वास्थ्य निरीक्षण कर्मचारियों को भी और बढ़ाने व तैनात करने का प्रस्ताव है।

(पांच) बम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर (क) भारतीय नागरिकों (ख) राष्ट्रमंडल के नागरिकों तथा (ग) अन्य देशों के नागरिकों की शीघ्र क्लीयरेंस के लिए अलग अलग "इम्मिग्रेशन काउंटरों" की व्यवस्था कर दी गई है।

(छह) स्टॉफ निरीक्षण यूनिट द्वारा मूल्यांकन कर लेने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर अतिरिक्त स्टॉफ स्वीकृत व तैनात किया जा चुका है।

(सात) वर्तमान सुरक्षा जांचें, नगर विमानन के साथ गैर कानूनी हस्तक्षेप को रोकने के लिये अन्तरर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब

6680. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में कितनी बार विलम्ब हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : 1980 तथा 1981 में कुल 85781 तथा 89063 उड़ानों में से क्रमश: 18504 (21.577) तथा 17977 (20.18) उड़ानें देर से हुई।

उड़ीसा में काम कर रहे राष्ट्रीयकृत वाणिज्यक बैंक

6681. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने किसानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण दे रहे हैं;

(ग) उडीसा में स्थापित कितने मध्यम, बड़े तथा लघु उद्योगों को पिछले 2 वर्षों में इन बैंकों ने धन दिया;

(घ) उन उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता/ऋण दिये गये;

(ङ) क्या इनमें से कुछ बैंक लाभ पर काम कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और पिछले 2 वर्षों में उनसे कितना लाभ हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) नवम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों के 1039 कार्यालय कार्यरत थे। बैंक समूहवार ब्यौरा अनुबंध I में दिया गया है।

(ख) कृषि विकास शाखाओं आदि जैसी विशिष्ट शाखाओं को छोड़कर वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं अपने परिचालन क्षेत्र के सभी प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(ग) और (घ) : जून, 1979 और जून, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में ऋणकर्ता खातों की संख्या के क्षेत्रवार वितरण तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण की बकाया रकम के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध-II में दिए गए है।

(ङ) और (च) : सरकारी क्षेत्र के सभी 20 बैंकों की उड़ीसा राज्य में स्थित शाखाओं को, जिनके खातों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, वर्ष 1979 और 1980 में लाभ हुआ था। इन बैंकों के अपने कुल परिचालनों से जो लाभ प्राप्त हुए उनका ब्यौरा अनुबन्ध-III में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3850/82]

सन्तरों के निर्यात के लिये एक केन्द्रीय विपणन संस्था की स्थापना करना

6682. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय का सन्तरों के निर्यात के लिए केन्द्रीय विपणन संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो सन्तरों के फालतू उत्पादन के विपणन के लिये उनके मंत्रालय द्वारा किसी अन्य दक्ष एजुन्सी का गठन किया जा रहा है; और

(ग) इस बारे में सरकार के कार्यक्रम के ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन कार्य

6683. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वित्तीय सस्थाओं द्वारा मूल्यांकन कार्य पूर्णतया असफल रहा है;

(ख) कालातीत अवधि के अनुसार बकाया ऋणों का ब्यौरा क्या हैं और प्रत्येक वर्ग की कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता से स्थापित हुए एककों में से बीमार होने वाले एककों का वार्षिक ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्तीय संस्थाएं परियोजनाओं के बारे में व्यापक रूप से मूल्यांकन करती हैं जिससे कि उनकी तकनीकी संभाव्यता और वाणिज्यिक तथा वित्तीय अर्थक्षमता स्थापित हो सके। क्योंकि वित्तीय संस्थाएं वस्तुपरक मानदंडों तथा मानकों एवं आदर्श तकनीक पर भरोसा करती हैं; उनका मूल्यांकन सामान्यतः संतोषजनक होता है।

(ख) सरकारी क्षेत्र की सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. वी. आई.) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) की देयताओं के अवधि वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

आई. डी. वी. आई.

(30-6-81 की स्थिति के अनुसार)

अवधि	एककों की सं०	मूलधन में व्यतिक्रम	ब्याज की बकाया	जोड़
एक वर्ष से कम के लिए	379	26.56	32.55	59.11
1 से 2 वर्ष के लिए	174	14.32	12.55	26.87
2 वर्ष से अधिक के लिए	100*	19.52	19.63	39.15
सकल जोड़	396	60.40	64.73	125.13

*एक से अधिक श्रेणी में शामिल सामान्य कंपनियों के लिए समायोजित।

(करोड़ रुपए)

(31.12.81 की स्थिति के अनुसार)

आई. एफ. सी. आई.

अवधि	एककों की सं०	मूलधन में व्यतिक्रम	ब्याज की बकाया	जोड़
एक वर्ष से कम के लिए	116	3.06	3.39	6.45
1 से 3 वर्ष तक के लिए	53	5.13	4.42	9 55
3 वर्ष से अधिक के लिए	74	17.61	18.42	36.03
जोड़	243	25.80	26.23	52.03

(ग) आई० एफ० सी० आई० के सहायता क्षेत्र (पार्टफोलियो) में रुग्ण एककों की सूचा में पिछले 5 वर्षों के दौरान जोड़े गए रुग्ण एककों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष (जुलाई से जून तक)	एककों की संख्या
1976-77	15
1977-78	15
1978-79	7
1979-80	14
1980-81	6

होटल विकास निधि

6684. **श्री तारिक अनवर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल विकास निधि की उत्पति का प्रयोजन क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस निधि का संचालन इस समय कौन करता है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इस निधि से कुल कितने ऋण दिये गये;

(ग) इस निधि का स्रोत क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस निधि को कितनी राशि अन्तरित की गई है और राशि में से होटल उद्योग को कितना ऋण दिया गया है और कितना अन्य उद्योगों को दिया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) अप्रैल 1968 से जनवरी 1974 तक पर्यटन विभाग द्वारा होटल विकास ऋण निधि का संचालन किया गया था। इस निधि का उद्देश्य यह था कि देश में होटल उद्योग को वित्तीय सहायता के लिए एक विशिष्ट स्रोत उपलब्ध कराया जाए। इसे जनवरी 1974 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक एजेंसी के आधार पर शुरू में दो वर्षों की अवधि के लिए हस्तांरित किया गया था और इस अवधि को रिन्यू किया जा रहा है। 14 होटल परियोजनाओं से, जिनके लिए भूतपूर्व होटल विकास ऋण निधि द्वारा कुल 607.59 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए थे, बकाया ऋणों पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 0.5% प्रति वर्ष की एजेंसी कमीशन मिलनी थी। उपर्युक्त करार के समय संवितरित राशि की मात्रा 555.54 लाख रुपए थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम संवितरण और बकाया ऋणों की वसूली की अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करने के लिए सहमत हो गया था। पर्यटन विभाग ने भी 1973 74 से 1977-78 की अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को कुल 741.60 लाख रुपए की मंजूरी दी थी ताकि धनराशि की जरूरतों को पूरा किया जा सके। 1978 के बाद भारतीय औद्योगिक वित्त निगम होटल उद्योग को अन्य उद्योगों को स्वीकार्य शर्तों पर अपनी धनराशि में से ऋण दे रहा है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के समक्ष विचाराधीन ऋण आवेदन पत्र

6685. **श्री तारिक अनवर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के समक्ष विचाराधीन ऋण आवेदन-पत्रों का ब्योरा क्या है;

(ख) आवेदन पत्र-वार तारीखें क्या-क्या हैं और ये आवेदन-पत्र कुल कितनी अवधि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के विचाराधीन है;

(ग) इन आवेदन पत्रों को विचाराधीन रखने के मामले-वार कारण क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके विचाराधीन रहने सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के लिये निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 28-2-1982 की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भा० औ० वि० नि०) के पास ऐसे 13 ऋण आवेदन-पत्र बकाया थे जो सभी रूप में पूर्ण थे और जिनके सम्बन्ध में भा० औ० वि० नि० शीर्ष (लीड) संस्था थी। इन आवेदनों में अन्तर्ग्रस्त सहायता राशि 35.42 करोड़ रुपए थी।

(ख) और (ग) इन आवेदनों की तारीख, वह संपूर्ण अवधि जिसके दौरान ये आवेदन भा० औ० वि० नि० के पास विचाराधीन रहे और जिन कारणों से ये आवेदन पत्र निगम के पास पड़े रहे उनका मामलावार ब्योरा अनुबंध में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3851/82]

(घ) बकाया आवेदनों की समीक्षा निगम के विभिन्न स्तरों पर आवधिक रूप से की जाती है और वित्तीय सहायता के वास्ते इन आवेदनों के निर्णयों को अन्तिम रूप देने के वास्ते कार्यवाही की जाती है। ऐसे आवेदनपत्रों के मामले में जहां भा० औ० वि० नि० के अलावा अन्य संस्थाओं से सहायता मांगी गई होती है, वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठक में, उन पर त्वरित निर्णय करने के वास्ते सामूहिक रूप से विचार किये जाते हैं।

रंगीन टेलीविजन और उत्पादन शुल्क से जोड़ना

6686. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रंगीन टेलीविजन (फैक्ट्री पर) का मूल्य और इस पर देय उत्पादन शुल्क को जोड़ने का है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि (ब्लैक एण्ड ह्वाईट) टेलीविजन के फैक्ट्री पर मूल्यों को जोड़ने के कारण इसके पुटकर दाम 3,000 रुपये घटकर 2,000 रुपये हो गये; और

(घ) क्या यह भी सच है कि टेलीविजन का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि उत्पादन शुल्क में कटौती होने वाली राजस्व की हानि से कुल राजस्व में हुई वृद्धि कहीं अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सादे अथवा रंगीन दूरदर्शन सैट पर देय उत्पादन शुल्क की दर का संबंध अभी भी इसके शुल्क निर्धारणीय मूल्य के साथ रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : शुल्क की मूल्य से जुड़ी हुई दर मार्च, 1976 से अस्तित्व में है। वर्ष 1977-78 से 1981-82 (अगस्त 1981 तक) तक की अवधि में निकासी किये गये सैटों की संख्या का विवरण-पत्र संलग्न है। इनमें से अधिकांश सादे सैटों का निम्नतर शुल्क निर्धारणीय मूल्य पर लागू शुल्क की निम्नतर दर पर शुल्क निर्धारण किया गया था। सैटों का उत्पादन और उनके मूल्य अनेक पहलूओं पर निर्भर करते हैं। इसलिए किसी ऐसे ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि क्या उत्पादन शुल्क में कटौती के कारण राजस्व में आई गिरावट की क्षतिपूर्ति कुल राजस्व में वृद्धि करके की गयी। इन्हीं कारणों से खुदरा मूल्य में किसी भी परिवर्तन को मात्र टैरिफ संरचना से भी नहीं जोड़ा जा सकता।

विवरण

1977-78 से 1981-82 (अगस्त 1981 तक) की अवधि में निकासी किए गए टी०वी० सैटों की संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम सं०	वर्ष	सैटों की संख्या
1.	1977-78	2,36,861
2.	1978-79	2,32,441
3.	1979-80	उपलब्ध नहीं हैं।
4.	1980-81	2,69,596
5.	1981-82 (अगस्त 1981 तक)	1,58,533 (अनन्तिम)

हवाई अड्डे पर पकड़े गये तस्करी के मामले

6687. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के विभिन्न हवाई अड्डों में पिछले पाँच कलेण्डर वर्षों के दौरान पकड़े गये तस्करी के कुल मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) निषिद्धि वस्तुएं कुल कितने मूल्य की थीं;

(ग) कुल कितने आदमी, महिलाएं और बच्चे पकड़े गए जो इन मामलों में शामिल थे; और

(घ) देश-वार (एक) शामिल भारतीय (दो) विदेशियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन मदों की संख्या

6688. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 में कुल कितनी मदों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लागू था और वर्ष 1980 में लागू किये गये केन्द्रीय उत्पाद की सूची में कितने मद थे;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में तदनुसार वृद्धि की गई है; यदि हां, तो तुलनात्मक आंकड़ों के तौर पर वर्ष 1975-80 में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) वर्ष 1975-80 में वर्षवार उत्पाद शुल्क अदा न करने के कितने मामले पकड़े गए और उसमें कितना राजस्व अन्तर्ग्रस्त था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की कुल मदें जिनके अन्तर्गत 1975 और 1980 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उद्ग्रहणीय था, नीचे दिए अनुसार थीं :

(i)	1975 (दिनांक 1-3-1975 की स्थिति के अनुसार)	130
(ii)	1980 (दिनांक 19-6-80 की स्थिति के अनुसार)	139
(iii)	1980 में लागू की गई नई मदें	1

(ख) वर्ष 1975-76 से 1980-81 के दौरान वसूल किया गया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और संगत वृद्धियां नीचे दिए अनुसार थीं :—

वित्तीय वर्ष	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (करोड़ रुपए में)	वृद्धि (करोड़ रुपए में)
1984-75	3230.52	—
1975-76	3844.78	614.26
1976-77	4221.45	376.67
1977-78	4447.51	226.06
1978-79	5941·95	894.44
1979-80	6011.09	669.14
1980-81	6500.02	488.93

उपर्युक्त आँकड़े लेखा सम्बन्धी आंकड़े हैं और इनमें सभी उपकर शामिल हैं ।

(ग) वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक (वित्तीय वर्ष वार) पता लगाये गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

1975-76	30096
1976-77	29839
1977-78	25143
1978-79	19791
1979-80	15482

शुल्क अदा नहीं करने के मामलों के अलग से आंकड़े और अन्तर्ग्रस्त राजस्व के संबंध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

यूरोप और अमेरिका को जेन्ट्स शर्टस निर्यात करने के कोटे का पूरा उपयोग न करना

6689. **श्री अजित कुमार मेहता :**

श्री बी० डी० सिंह :

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत, यूरोप और अमेरिका में कोटा देशों को जेन्ट्स शर्टस निर्यात करने के पूरे कोटे का उपयोग नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो जेन्ट्स शर्टों के निर्यात के पूरे कोटे के उपयोग न करने के कारण विदेशी मुद्रा की आय में कितनी गिरावट आयी है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) ई ई सी सदस्य राज्यों और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए पुरुषों की कमीजों के सम्बन्ध में 1980 तथा 1981 के दौरान कोटा उपयोग की प्रतिशतताएं नीचे दी गई है :—

देश	1980	1981
ई ई सी सदस्य राज्य	51.8	41.7
सं० रा० अमरीका	41.9	49.7

कोटा उपयोग में कमी मुख्य रूप से उपभोक्ता की बदलती हुई मांग तथा देश में उत्पादन बाधाओं के कारण हुई है। विदेशी मुद्रा आय के रूप में कमी का परिणाम बताना संभव नहीं है।

(ग) पुरुषों की कमीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित ठोस कदम उठाए गए हैं;

(1) अनेक देशों में बाजार अध्ययन किए गये और उनके परिणामों का भावी निर्यातकों में व्यापक रूप से प्रसार किया गया।

(2) पुरुषों की कमीजें बनाने के लिए आयात आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उदार व्यवस्थाएं की गई हैं।

(3) ए ई पी सी द्वारा प्रायोजित किए गये एक बिक्री दल ने, जो विशेष रूप से पुरुषों की कमीजों से सम्बन्धित था, फरवरी, 1982 में ब्रिटेन तथा पश्चिम जर्मनी का दौरा किया।

(4) आई टी सी/एस आई डी ए की सहायता से कमीजों की पैकेजिंग के अध्ययन के लिए एक कार्यक्रम 1982-83 में आरम्भ किया जा रहा है।

यात्री यायायात के लिए माँग पूर्वानुमान अध्ययन

6690. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सांग्रामिक अनुसंधान दल ने इंडियन एयरलाइन्स के 17 मुख्य मार्गों के संबन्ध में यात्री यातायात के लिए मांग पूर्वानुमान अध्ययन किया था;

(ख) क्या यह अध्ययन क्षमता का उपयोग और ईंधन की बचत करने में लाभकारी रहा है;

(ग) क्या उक्त अध्ययन करते समय पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों पर भी ध्यान दिया गया था; और

(घ) यदि अध्ययन इण्डियन एयरलाइन्स के मामले में उपयोगी रहा है, तो एयर/रूटों के लिए भी तथा एशिया में ऐसे नये रूटों के लिए, जो केवल एयर इंडिया के व्यापारिक अवसरों को ही बढ़ावा दे सकेंगे, बल्कि उन विकासशील देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में भी सहायक होंगे, ऐसे अध्ययन शुरू किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ। यह अध्ययन चुने हुए मार्गों के लिए किया गया था।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में प्राप्त की गई जमाराशियों तथा दिए गए/ऋण की राशि

6691. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मन्त्री** बिहार के जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं तथा बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में बैंकों की शाखाओं के बारे में 12 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 3225 और 3226 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य बैंकों द्वारा बिहार में क्रमश: कुल कितनी जमा राशियाँ प्राप्त की गई और कुल कितने ऋण दिये गये;

(ख) क्या बैंकों की अधिकांश शाखाओं द्वारा दो महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर ऋण के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों को नही निपटाया गया है विशेषकर उन लोगों के आवेदन-पत्रों को जो मधुबनी और दरभंगा जिलों में उत्पादिता प्रयास के माध्यम से स्वरोजगार करना चाहते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे आवेदनपत्रों की सही संख्या क्या है और इन पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1981 के अन्त की

स्थिति के अनुसार, बिहार में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 1765 करोड़ रुपए की जमा राशियाँ जुटाई जिलों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई राशि 38 करोड़ रुपए थी। इन बैंकों ने कुल 704 करोड़ रुपये के अग्रिम दिए जिनमें से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 32 करोड़ रुपए था। सबसे हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, बिहार में 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 43 करोड़ रुपये की जमा राशियाँ जुटाई और 37 करोड़ रुपये के ऋण दिए।

(ख) और (ग) ऋणों की स्वीकृति में देरी को न्यूनतम करने के वास्ते, सभी बैंकों को अनुदेश जारी दिए गए हैं कि 10,000 रुपये और उससे कम राशि के आवेदन पत्रों को उसे 4 सप्ताह और 10,000 रुपये से अधिक के आवेदन पत्रों को तीन महीने के भीतर निपटा दिया जाए।

मधुबनी जिले में कार्यरत मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सूचना दी है कि उत्पादक प्रयासों के माध्यम से स्वनियोजन के संबंध में उनके पास कोई ऋण आवेदन पत्र बकाया नहीं है। अलवत्ता, दरभंगा जिले में कार्यरत मिथिला ग्रामीण बैंक के पास ऐसे 52 आवेदनपत्र बकाया हैं और बैंक इनको शीघ्र निपटाने के लिए प्रयास कर रहा है।

एयर इण्डिया की उड़ानों में विलम्ब के कारण

6692. **श्री जेवियर अराकल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षता, विनम्रता, समय-निष्ठता आदि के मामले में "एयर इंडिया" को सबसे नीचे गिना जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो अन्य विमान कम्पनियों की तुलना में एयर इण्डिया की स्थिति क्या है; और

(ग) वर्ष 1980-81 में कितनी उड़ानों में विलम्ब हुआ और उसके क्या कारण थे तथा यात्रियों और अन्य एजेन्सियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व भर की विमान कम्पनियों के आँकड़ों के अनुसार, 1980 में एयरइण्डिया का तेरहवाँ स्थान था।

(ग) 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान 30 मिनट तथा उससे अधिक की देरी से की गयी उड़ानों की कुल संख्या 14,256 उड़ानों में से 2,281 है। देरी के मुख्य कारण हैं; मौसम, इंजीनियरिंग, खराबियों का निराकरण, संयोजी उड़ानों का देरी से आना इत्यादि। 1980-81 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 4617 थी।

वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान एयर इण्डिया की उड़ानों और यात्रियो की कुल संख्या

6693. **श्री जेवियर अराकल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान "एयर इण्डिया" ने कुल कितनी-कितनी उड़ाने भरी और उनमें कुल कितने-कितने यात्रियों ने यात्रा की;

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान कुल कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ कितना-कितना खर्च किया गया; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से रूट थे, जिन पर अधितकम राजस्व प्राप्त हुआ अधिकतम हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) परिचालित उड़ानों की संख्या, वाहित यात्रियों, अर्जित किए गए राजस्व, किये गये व्यय तथा उन मार्गों, जिन पर अधिकतम आय एवं हानि हुई, के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :—

	1979-80	1980-81
परिचालित उड़ानों की संख्या	6404	6908
वाहित यात्रियों की संख्या	11,80,000	14,17.817
कुल आय (करोड़ रुपयों में)	402,06	514.93
कुल आय (करोड़ रुपयों में)	417.02	536.23
अधिकतम परिचालनात्मक आय वाले स्थान	भारत/यू०एस०ए० भारत/खाड़ी के देश	
अधिकतम पारिचालनात्मक हानि वाले मार्ग	भारत/यू०एस०ए० मार्ग/जापान	

लघु तथा कुटीर माचिस निर्माताओं द्वारा रियायत का दुरुपयोग

6694. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लघु तथा कुटीर माचिस निर्माता एकक 160 रुपये की दर पर उत्पादन-शुल्क की रियायत का, अपने शुल्क प्रदत्त बांड रोलों को 350 रुपये की दर से मध्यम क्षेत्र के एककों, जिनका उत्पादन-शुल्क 450 रुपये हैं, को बेच कर दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को अदा किये जाने वाले विभिन्न उत्पादन शुल्कों के लिए विभिन्न रंगों के बांडरोल जारी करके इस प्रकार के दुरुपयोग की रोकथाम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्बित किया जायेगा ?

(व) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) लघु और कुटीर एककों पर लागू शुल्क की रियायती दर पर प्राप्त किए गए बैंड रोलों के (जिन्हें अब केन्द्रीय उत्पादन शुल्क स्टाम्प कहा जाता है) दुरुपयोग किये जाने के कुछेक मामले जानकारी में आए हैं जिनमें उन्हें अवैध रूप से बेचा गया है ।

(ख) और (ग) 1 अप्रैल 1982 से भिन्न-भिन्न वर्गों के माचिस निर्माताओं के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की भिन्न-भिन्न रंगों की स्टाम्पें लागू की गई हैं ।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा बी टिव्ल बैगों की बड़ी मात्रा में खरीद

6695. **श्री प्रदाधर साहा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन राष्ट्रीय पटसन निर्माता संघ द्वारा चलाई जा रही मिलों से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा बी टिव्ल बैगों के भारी मात्रा में खरीद की योजना सरकार ने मंजूर कर ली है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही का कार्यक्रम तथा योजना के अन्तर्गत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सरकार ने यह निश्चय किया है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को चाहिए कि वे निम्नोक्त शर्तों के अधीन पालेकर फार्मूले के आधार पर निर्धारित कीमतों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एफ० सी० आई० तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों की ओर से बी० ट्विल बोरों की खरीददारी करें :

(एक) अधिकतर खरीदारियां सरकारी क्षेत्र की मिलों से की जाएं; और

(दो) जब गैर सरकारी मिलों की क्रयादेश दिये जाएं तब इन्हे जे० सी० आई० से कच्चे पटसन की खरीद के साथ सम्बद्ध किया जाए ।

(ग) पालेकर फार्मूले के आधार पर अप्रैल/जून, 1982 के दौरान डिलिवरी हेतु निर्धारित कीमतों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन एफ० सी० आई० व हरियाणा तथा पंजाब की राज्य सरकारों की ओर से पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय की मार्फत अप्रैल 1-जून, 1982 डिलिवरी के लिए बी ट्विल के लगभग 1.98 लाख बोरों की खरीद करने का विनिश्चय किया गया है । आशा है कि सरकार द्वारा बी-ट्विल बोरों की इस आपातकालीन खरीद कार्य के फल-स्वरूप पटसन मिलों के तैयार माल की वस्तुसूचियों में कमी आ जाएगी और उससे उनकी नकदी स्थिति और पटसन माल बाजार में उठाने में सुधार आएगा । चूँकि अधिकतम खरीदारियाँ सरकारी क्षेत्रों की मिलों से की जा रही हैं, अतः इससे उनकी ढुलाई लागत और नकदी हानि की स्थिति में काफी सुधार आएगा । इस योजना के अधीन जे० सी० आई० अगले पटसन मौसम (1982-83) में पटसन के अपने भारी स्टाकों को कम करने और पटसन उपजकर्ताओं के लाभ के लिए और अधिक कारगर कीमत समर्थन देने में भी समर्थ होगा ।

रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक से ऋण

6696. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने रेल लाइनों का आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण करने के लिए विश्व बैंक से कुल कितनी धन राशि मांगी है;

(ख) विश्व बैंक से कितनी धन राशि मिलने की संभावना है;

(ग) उनके मत्रालय को यह धनराशि कब तक मिल जाने की संभावना है; और

(घ) विभिन्न राज्यों की उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं जिन्हें विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) विश्व बैंक के एक शिष्टमंडल ने जनवरी फरवरी 1982 में (i) दूसरी रेलवे आधुनिकीकरण और अनुरक्षण परियोजना; और (ii) रेलवे विद्युतीकरण परियोजना का मूल्यांकन किया। सहायता की राशि का अभी निर्धारण किया जाना है। परियोजनाओं पर आगे कार्यवाही की जा रही है और अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।

सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बैंक कर्मचारियों के समान वृद्धि करना

6697. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'समान कार्य के लिए समान वेतन' देने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय को देखते हुए सरकार का विचार बैंकों के कर्मचारियों के वेतन-मानों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों जिन्हें 'समान कार्य के लिए समान वेतन' नहीं दिया जा रहा है, के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कब तक लागू करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 2 फरवरी, 1982 के उक्त निर्णय की समीक्षा करने के लिए पहले ही एक याचिका दायर कर दी है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मान तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। आयोग ने अपनी सिफारिसें तैयार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा था कि सरकार के विभिन्न विभागों में एक समान कार्य पर लगे व्यक्तियों को, कुल मिलाकर, एक जैसा पारिश्रमिक प्राप्त हो। बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कार्य के स्वरूप से कड़ाई से तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए बैंकिंग प्रणाली जिसका विकास वर्षों से होता गया है, की विशेषताओं के कारण बैंक कर्मचारियों के वेतन-मान, अन्य परिलब्धियाँ तथा लाभ भिन्न हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतन-मान पिल्ले समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर जुलाई, 1979 में संशोधित और मानकीकृत किए गए थे। उसी पद्धति के आधार पर अक्तूबर, 1979 में भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों के अधिकारियों के वेतन-मानों का संशोधन तथा मानकीकरण किया गया। 1980 में राष्ट्रीयकृत किए गए शेष 6 बैंकों के अधिकारियों के वेतन-मानों का युक्ति-युक्तकरण अभी किया जाना है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिक वर्गीय तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन-मान तथा अन्य सेवा शर्तों द्विपक्षीय समझौतों, अधिनिर्णयों आदि के माध्यम से तय किए जाते हैं।

काजू उद्योग में संकट

6698. **श्री जगदीश टाईटलर** :

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू उद्योग को निर्यात मंडियों में निरन्तर अभाव के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार उपरोक्त वर्तमान संकट पर काबू पाने के लिए उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योग के पास काजू गिरियों के भंडार बिना बिके पड़े हुए हैं।

(ख) स्थिति सुधर रही है और निर्यात के लिए हाल ही में पुख्ता संविदाएं की गई हैं।

अदरक का निर्यात

6699. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदरक बाजार में चीन मुख्य प्रतिस्पर्धा के रूप में सामने आया है जहां भारत के लिए अच्छी गुंजाइश थी; और

(ख) स्थिति में सुधार, लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि हमारे निर्यात को धक्का न लगे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) अदरक के निर्यात की मुक्त रूप में अनुमति है और इकाई मूल्य प्राप्ति में सुधार हुआ है।

18 कम्पनियों की पूंजी में वृद्धि

6700. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 18 कम्पनियों को अपनी पूँजी में वृद्धि करने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उन कम्पनियों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और कितनी पूँजी बढ़ी है; और

(ग) इन कम्पनियों को ऐसी अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) 5 फरवरी, 1982 को सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 18 कंपनियों को निम्न प्रकार से अपनी पूँजी में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	पूँजी की राशि जिस सीमा तक बढ़ाई जाने की अनुमति दी गई हो
(1)	(2)	(3)
1.	मिनरल एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	1400.00
2.	तोशनीवाल इन्स्ट्रूमेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग प्रा० लि०	0.50
3.	महेन्द्रा मिल्स लि०	57.94
4.	एशियन पेंट्स (इण्डिया) लि०	100.00
5.	विजय फर्नीचर मैन्यूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०	5.00
6.	गेडोर टूल्स (इंडिया) प्रा० लि०	235.30
7.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	500.00
8.	लक्ष्मी स्टार्च लि०	100.00
9.	हिन्दुस्तान डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	50.00
10.	परफेक्ट थ्रेड मिल्स लि०	55.00
11.	एन्फील्ड इण्डिया लि०	78.00
12.	हरकुलिस इन्वेस्टमेंट लि०	90.00
13.	कनखल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग कं० लि०	16.00
14.	केदारेश्वर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग कं० लि०	27.00
15.	रायल इन्वेस्टमेंट्स कं० लि०	90.00
16.	जगदानन्द इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग कं० लि०	28.00
17.	जगदीश्वर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कं० लि0	42.00
18.	निखिल इन्वेस्टमेंट्स कं० लि०	90.00
	जोड़	2964.74

(ग) इन कम्पनियों को अनुमति प्रदान कर दी गई थी क्योंकि उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव उन सभी प्रशासनिक मार्ग निर्देशों के अनुरूप थे, जिनको सरकार द्वारा पूँजी निर्गम के लिए जारी किए गए हैं।

मानव सहित अन्तरिक्ष मिशन

6701. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तरिक्ष में मानव भेजने की संभावना का पता लगाने तथा तत्सम्बन्धी योजना बनाने का है;

(ख) यदि भूमि की कक्षा में कोई अन्तरिक्ष मिशन है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी अन्य देश का सहयोग लिया जाना विचाराधीन है; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्तरिक्ष विकास के लिए बजट में क्या उपबन्ध किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) से (ग) सोवियत अन्तरिक्ष यात्रियों के साथ संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान करने के बारे में सैद्धान्तिक रूप में निर्णय ले लिया गया है। इसके ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग के लिए (योजना और गैर-योजना क्षेत्रों के लिए) छठी पंचवर्षीय योजना में 496.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मजूरी आय और मूल्यों पर अध्ययन ग्रुप की रिपोर्ट

6702. **श्री चित्त महाता** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मजूरी लाभ और मूल्यों पर अध्ययन ग्रुप की रिपोर्ट को, जिसे 17 जुलाई, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी नहीं। मजदूरी, आय तथा कीमत विषय में अध्ययन दल की जो रिपोर्ट 17 जुलाई, 1978 को सभा-पटल पर रखी गई थी उस पर अनुवर्ती कार्यवाही रोक दी गई है क्योंकि वर्तमान सरकार मजदूरी और आय के सम्बन्ध में अपनी नीतियों के लिए इस रिपोर्ट को आधार नहीं मानती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी उद्योग के लिए ऋण सुविधाएं

6703. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी :**
श्री एम० वी० वी० देसाई :
श्री गुलाम मोहम्मद खां :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेजीडेन्ट ने कहा है कि इस वर्ष गन्ने की बकाया राशि 200 करोड़ रु० से अधिक होने की सम्भावना है और जब तक चीनी उद्योग को अतिरिक्त ऋण सुविधाएं नहीं दी जातीं जब तक वह धन की कमी के कारण अभूतपूर्वक संकटों से गुजरता रहेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप अगले वर्ष चीनी के उत्पादन में भारी कमी आयेगी जिससे देश में चीनी की नितांत कमी होगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय चीनी मिल संघ ने चीनी का मौसम शुरू होने के साथ यह सुझाव दिया था कि चीनी मिलों की बढ़ी हुई ऋण आवश्यकताओं की सामान्य जांच-पड़ताल तथा उनका मूल्यांकन किए बिना उनकी ऋण सम्बन्धी सीमाओं को उनके द्वारा पिछले वर्ष में की गई सबसे अधिक निकासियों के 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी जाय। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी थी कि वे चीनी मिलों की कार्यकारी पूंजी को रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकृति लिए बिना पिछले मौसम में अधिकतम उपयोग के 100 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाने की अनुमति दे दें और अलग-अलग मिलों के सम्बन्ध में उच्चतर सीमाओं के लिए उपयुक्त आधार पर रिजर्व बैंक के साथ संपर्क करें। लेकिन मौसम के दौरान जिन बैंकों के पास अत्यधिक संख्या में विचाराधीन आवेदन पत्र पड़े थे, उन्हें रिजर्व बैंक ने तदर्थ उपाय के तौर पर आवेदक मिलों की ऋण सीमाओं को उनके द्वारा पिछले वर्ष में की गई सबसे अधिक निकासियों के 125 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी थी ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि प्रस्तावों की जांच-पड़ताल होने तक चीनी के उत्पादन में कोई रुकावट न आए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सीमाओं के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में इस तारीख तक उनके पास जितने प्रस्ताव आए थे उन सबका उसने निपटान कर दिया है। चीनी मिलों की ऋण सीमाओं के बढ़ाये जाने के प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए रिजर्व बैंक ने ऋण प्राधिकरण योजना तन्त्र के कार्य की रफ्तार तेज कर दी है। उन्होंने उन बैंकों को जिन्हें नकदी निधि सम्बन्धी कठिनाई का अनुभव हो रहा था, विवेकाधीन वित्त प्रदान किया है ताकि वे चीनी उद्योग समेत, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उत्पादन सम्बन्धी ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सरकार और रिजर्व बैंक ने सदैव चीनी मिलों द्वारा गन्ने के सम्बन्ध में देय रकमों का शीघ्र भुगतान का सुनिश्चय करने के प्रयास किए हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया रकमों की अदायगीयों की बेबाकी पर नजर रखें और यह सुनिश्चय करें कि वे न केवल उत्पादकों को अदायगी करने के लिए वे मिलों को ऋण दें बल्कि ऐसा प्रबन्ध करें जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सके कि गन्ना उत्पादकों को समुचित रकमें प्राप्त हों।

नाफेड के चेयरमेन के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

6704. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :
श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री नाफेड के चेयरमैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोप के बारे में 14 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3542 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाफेड के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करने के लिये नेफेड के निदेशक मंडल की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो बैठक न करने के कारण क्या है; और

(घ) क्या सरकार यथाशीघ्र शिकायतों की जांच करायेंगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) नाफेड के निदेशक मण्डल ने दिनांक 3 मार्च, 1982 को हुई अपनी बैठक में, नाफेड के अधिकारी संघ और कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रस्तुत किए संयुक्त ज्ञापन में उल्लिखित कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में नाफेड के अध्यक्ष पर लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच करने तथा तत्सम्बन्धी तथ्य एकत्रित करने के लिए अपने सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है। इस समिति को गवाही लेनें और यदि आवश्यकता हो तो, अध्यक्ष व अन्य व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगने का भी अधिकार दिया गया है और इसे अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच पूरी कर लेने और तथ्य एकत्रित कर लेने के बाद निदेशक मण्डल द्वारा इस मामले पर निर्णय लेने के बारे में विचार किया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) सरकार इस मामले पर बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है।

बिहार के गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा हड़ताल

6705. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के गन्ना उत्पादक किसान गन्ने का मूल्य 35 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित करने और गन्ना उत्पादकों को देय एक करोड़ रु० की बकाया धनराशि का तुरन्त भुगतान करने की मांग करते हुए 21 दिसम्बर, 1981 से हड़ताल पर चले गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार सरकार से प्राप्त सूचनानुसार गन्ना उत्पादकों ने अपने गन्ने की 35.00 रुपये प्रति क्विन्टल की कीमत और गन्ने के मूल्य के बकायों को भुगतान करने की मांग को लेकर 21.12.1981 को आन्दोलन शुरू किया था। राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर गन्ने का 20.50 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया था जबकि 8.5 प्रतिशत से सम्बद्ध 13.00 प्रति क्विंटल का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था। क्योंकि राज्य सरकार ने गन्ने की खेती तथा उस समय के चीनी उद्योग को शासित करने वाली सभी बातों को ध्यान में रखकर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया

था इसलिए उन्होंने 20.50 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक मूल्य निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा था।

2. 28.2.1982 को गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि 81.02 लाख रुपये थी जिसमें से 13.03 लाख रुपये प्राइवेट चीनी मिलों के प्रति बकाया थे, 15.04 लाख रुपये की राशि बिहार राज्य चीनी निगम के यूनिटों के प्रति बकाया थी और 52.95 लाख रुपये की शेष राशि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अपने अधिकार में ली गई मोतीपुर चीनी फैक्ट्री के प्रति उसे अपने अधिकार में लेने से पूर्व उसके दायित्व के प्रति बकाया थी। राज्य सरकार गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने के बारे में प्रयास कर रही है।

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा मात्स्यिकी कम्पनियों को मंजूर किये गये ऋण

6707. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि समिति ने वर्ष 1976 से किन किन मात्स्यिकी कम्पनियों को कितने ऋण दिये,

(ख) क्या नौवहन विकास निधि समिति द्वारा 1976 के बाद वित्त पोषित कोई ट्रालर भारत पहुँचा है;

(ग) उक्त कम्पनियों के पूर्ण ब्यौरे क्या हैं और कितने एवं किस वित्त देश से ट्रालर प्राप्त हुए हैं; और

(घ) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा उक्त कम्पनियों के लिये कितनी राशि "रिलीज" की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विवरण-I संलग्न है,

(ख) से (घ) तक

विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा 1976 से मात्स्यिकी कम्पनियों का नाम तथा उनके दिए गए ऋणों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

रुपए

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	दिया गया ऋण
1.	फोनिक्स इंडिया मेराइन प्रा० लि०	30,07,303.70
2.	श्रीनिवासा सी फूड्स प्रा० लि०	30,07,303.70
3.	वाणी मेराइन प्रा० लि०	30.07,303.70
4.	एक्वा फूड प्रोडक्टस प्रा० लि०	30,07,303.70

1	2	3
5.	ग्रोन मैगनटस प्रा० लि०	30,07,303.70
6,	मेराइन मात्स्यिकी प्रा० लि०	30,07,303.70
7.	ए० पी० मात्स्यिकी निगम	30,99,000.00
8.	केरल मात्स्यिकी निगम	30,88,000.00
9.	तमिलनाडु मात्स्यिकी निगम	29,90,000.00
10.	वेस्ट कोस्ट मेराइन	60,68,700.00
11.	मारशल सी फूड प्रा० लि०	121,37,400.00
12.	यमुना सी फूड (पी) लि०	121,37,400.00
13.	उनी मराइन प्रा० लि०	121,37,400.00
14.	सूरज मात्स्यिकी प्रा० लि०	121,37,400.00
15.	राज अन्तर्राष्ट्रीय	122,30,000.00
16.	प्रकास मेराइन प्रा० लि०	85,00,000.00
17.	सफिर मात्स्यिकी प्रा० लि०	30,00,000.00
18.	दक्षिणी शीतागार प्रा० लि०	85,00,000.00
19.	सांचेटी सी फूड प्रोडक्ट लि०	89,24,000.00
20.	सिरकार सी फूड प्रोडक्ट लि०	40 50,000.00
21.	कोरामण्डल एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट (प्रा०) लि०	40,50,000.00
22.	सत्यसाइ मेराइन प्रा० लि०	120,00,000.00
23.	रोचेस्टर मत्स्यिकी (प्रा०) लि०	41,50,000.00
24.	पोडी सी फूड (प्रा०) लि०	40,50,000.00
25.	कोशल्या फिसिंग कम्पनी (प्रा०) लि०	45,00,000.00
26·	आर्या मात्स्यिकी प्रा० लि०	42,50,000.00
27.	सी गार्डन प्रा० लि०	85,00,000.00
28.	कोस्टल ट्रालर प्रा० लि०	128,59,600.00
29.	ताज वजिना फूड प्रोसेसर लि०	450,00,000.00
30.	कोरोमंडल सी फूड प्रा० लि०	85,00,000.00
31.	खेम्का एक्सपोर्ट प्रा० लि०	115,00,000.00
32	एस. बी. एस. मेराइन एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०	120,00,000,00
33.	श्री विजय सागर फूड (प्रा०) लि०	60,00 000,00
34.	ब्ल्यू डाइमंड मेराइन प्रोडक्टस लि०	42,76,000.00
35.	अटिना फिसिंग कम्पनी (प्रा०) लि०	45,00 000.00
36.	ओसनिक उद्यमी तथा विकास (प्रा०) लि०	42-76,000.00
37.	संतोख सन्स मराईन उद्यमी (प्रा०) लि०	42,76,000.00
38.	कोरोमंडल मराइन प्रा० लि०	42,76,000.00

1	2	3
39.	विक्रम मात्स्यिकी प्रा० लि०	30,70,000.00
40.	काठियावाड इंडस्ट्रीज लि०	27,54,000.00
41.	वेस्टर्न क्राफ्ट मात्स्यिकी प्रा० लि०	27,54,000.00
42.	मेराइन सिनर्जेटिक्स प्रा० लि०	60,51,000.00
43.	ब्लू ओसन मेराइन प्रा० लि०	81,00,000 00
44.	जलपुष्प सी फूड प्रा० लि०	120,00,000.00
45.	ग्रेड एशिएटिक लाइन लि०	150,00,000.00
46.	उड़ीसा मेराइनस प्रा० लि०	121,37,400.00

विवरण-2

उन कम्पनियों के नामों को प्रदर्शित करने वाला विवरण जिनके ट्रालरों को नौवहन विकास निधि समिति ने वित्तीय सहायता दी है, 1976 से नौवहन विकास निधि समिति द्वारा किए गए ट्रालर तथा धन राशि के स्रोत

(लाख रुपए)

कम्पनी का नाम	1976 तथा भारत पहुंचने के बाद नौवहन विकास निधि समिति द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त		28.2.1982 को इस प्रकार की कम्पनियों के लिए नौवहन विकास निधि समिति द्वारा दी गई धन राशि
	सं०	ट्रालरों का स्रोत	
1	2	3	4
1. फोनिक्स इंडिया मेराइन प्रा० लि०	2	मैक्सिको	24.90
2. श्रीनिवासा सी फूड (प्रा०) लि०	2	,,	27.64
3. वाणी मेराइन प्रा० लि०	2	,,	25.68
4. प्रोन मेगनेट प्रा० लि०	2	,,	28.80
5. मेराइन मात्स्यिकी प्रा० लि०	2	,,	28.05
6. ए. पी. मात्स्यिकी निगम लि०	2	,,	28.53
7. केरल मात्स्यिकी निगम लि०	2	,,	28.63
8. तमिलनाडु मात्स्यिकी विकास निकम लि०	2	,,	25.79
9. वेस्ट कोस्ट मेराइन प्रा० लि०	1	हालैंड	नौवहन विकास निधि
10. यमुना सी फूड प्रा० लि०	2	,,	समिति ने कोई ऋण
11. सुरज मात्स्यिकी प्रा० लि०	2	,,	नहीं दिया है।

बिहार के लिए फल-डिब्बा बन्दी कारखाना

6708. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर बिहार में एक फल-डिब्बा बन्दी कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार और बलगारिया की सरकार के सहयोग से बिहार में एक कृषि-औद्योगिक काम्पलैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस परियोजना में सब्जियों की उपयुक्त किस्मों का विकास करने, समीपस्थ विशाल क्षेत्र में फलों और सब्जियों की पैदावार करने के लिए अनुसंधान करने और संबंधित क्षेत्र में विधायन तथा विपणन से सम्बन्धित सुविधाएं सुलभ करने, ताकि पैदावार को विधायन तथा विपणन के साथ समाकसित किया जा सके, की परिकल्पना की गई है।

आशा है कि इस परियोजना के अधीन पटना के उपभार्ग में 5,000 हैक्टर क्षेत्र में और उत्तरी बिहार के हाजीपुर में 5,000 हैक्टर क्षेत्र में कार्य शुरू किया जाएगा।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर ने विधायन यूनिट के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और वह विचाराधीन है । इस रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष 5141.5 मीटरी टन तैयार माल का उत्पादन करने के लिए प्रतिदिन 185 मीटरी टन कच्चे माल को हैंडल करने की क्षमता की परिकल्पना की गई है और 313.61 लाख रुपये की परियोजना लागत का अनुमान लगाया गया है । इस उत्पाद-मिश्रण में आम की लुगदी, टमाटर का पेस्ट, अनन्नास के स्लाइस, टिट-बिट्स और जूस, डिब्बाबन्द लीची और तैयार शुदा पेय शामिल हैं ।

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए विश्व बैंक से सहायता

6709. **श्री चिन्तमणि जैना :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में गन्दी बस्तियों के निवासियों के हेतु योजनाओं के लिये अपना सहयोग दिया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ी में निर्धनता रेखा को देखते हुए इनमें से कितनी राशि इस राज्य को दी जानी है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की जाने वाली वाली प्रस्तावित योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) विश्व बैंक ने भारत में नगरीय विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है जिसमें गंदी-बस्ती सुधार एक घटक है ।

(ख) उड़ीसा में नगरीय विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कोई सहायता नहीं दी है।

(ग) गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए 1980-85 की राज्य योजना में एक करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। वर्ष 1981-82 के लिए राज्य योजना में इस योजना के लिये 0.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। क्योंकि यह योजना राज्य क्षेत्र में है, इसलिए, योजनाएं राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती हैं।

दिल्ली के किसानों को फसलों की क्षति के लिये मुआवजा

6710. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1982 के पहले सप्ताह की वर्षा एवं ओला वृष्टि के कारण दिल्ली में यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ गया जिसके परिणाम-स्वरूप यमुना के किनारे की सब्जियों की सारी फसल पानी में बह गई क्योंकि जनता को उस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और लाखों रुपयों की हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यमुना के किनारे रहने वाले दिल्ली के किसानों को उन्हें हुई हानि के लिए मुआवजा देने पर विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार मार्च, 1982 के प्रथम सप्ताह में स्रवण क्षेत्र में व्यापक वर्षा होने के फलस्वरूप यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया था पर लेकिन जल तटों के बाहर नहीं बहा। ग्रामों को जल स्तर बढ़ने की संभावना के बारे में अग्रिम सूचना दे दी गई थी। जल स्तर के बढ़ने से, नदी के किनारे उगायी गई कुछ सब्जी फसलों को छोड़कर, किसी अन्य फसल को नुकसान नहीं पहुँचा।

(ख) किसान अपने जोखिम पर नदी तट पर सब्जी की फसलें उगाते हैं। अतः ऐसे किसानों को उनके द्वारा इस प्रकार से उठायी गयी हानि, यदि कोई हो, के लिये किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा के लिए प्रशीतागार

6711. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ अतिरिक्त संख्या में प्रशीतागारों का निर्माण करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को धन देने का है;

(ख) यदि हां, तो 1982-87 में उड़ीसा राज्य में प्रशीतागारों के निर्माण करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में उपरोक्त वित्तीय वर्ष में कितने प्रशीतागारों का निर्माण किया जा रहा है अथवा किया जाना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : जी हां। सहकारी क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा राज्य सरकारों की सहायता से प्रशीतन भण्डारों की स्थापना की जा रही है तथा इसके साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी बिकास निगम सहकारी प्रशासन भण्डार एककों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त विशेष सक्षम प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने उड़ीसा में सहकारी प्रशीतन भण्डारों की सहायता के लिए 40 लाख रुपए की अस्थाई व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में 13670 मोटरी टन की क्षमता वाले 14 सहकारी प्रशीतन भण्डार पहले ही कार्य कर रहे हैं। 8 और सहकारी प्रशीतन भण्डार (इसमें विद्यमान एककों का विस्तार करना भी शामिल है) निर्माणाधीन हैं। स्थापित किये जाने वाले नये प्रशीतन भण्डारों के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार निर्णय करेगी।

भरतपुर पक्षी शरणास्थल में पशुओं का घास चरना

6712. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भरतपुर स्थित पक्षी शरणास्थल को राष्ट्रीय पार्क घोषित किये जाने के बाद भी इसमें पशुओं का घास चरना अभी भी जारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थान पर, जो विश्व के पर्यटकों का आकर्षण स्थल है, पशुओं द्वारा घास चरने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) पशु चराने को बिलकुल बन्द करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार ने इस मामले के अध्ययन और इस बारे में कोई दूसरा प्रबन्ध करने की सिफारिशें करने के लिए एक समिति बनाई थी। समिति ने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को दे दी हैं। इस बारे में अन्तिम निर्णय की शीघ्र आशा है।

परिसरों के दुरुपयोग के लिए अर्थ दंड लगाना

6713. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में रिहायशी परिसरों का काबिज-दुरुपयोग करने वालों के द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग करने पर मकान मालिकों पर कोई अर्थदण्ड लगाया जाता है अथवा नहीं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण काबिज दुरुपयोग करने वाले के द्वारा दुरुपयोग के कारण लिये जाने वाले अर्थदण्ड के अतिरिक्त उसी दुरुपयोग के लिए मकान मालिक पर भी समय समय पर अर्थदंड लगता है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में वाणिज्यिक जमीन के निरन्तर बढ़ते मूल्य के आधार पर मकान मालिक पर 12 मास की अवधि के लिए लगाया गया इस प्रकार का अर्थदण्ड 12 मास के लिए प्राप्य किराये से अधिक हो सकता है अथवा उसी 12 मास की अवधि के लिये मालिक की कुल आय से भी अधिक हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनरायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण रिहायशी परिसरों का वाणिज्यि प्रयोजनों में दुरुपयोग करने के लिये पट्टाधारी से जुर्माना लेता है। यह इस बात का ध्यान किए बिना किया जाता है चाहे यह दुरुपयोग पट्टाधारी ने किया हो या उसके किरायेदार (किरायेदारों) ने किया है।

(ख) तथा (ग) : यह दुरुपयोग के लिये यह जुर्माना बाजार दरों के आधार पर निकाला जाता है। चूंकि विभिन्न क्षेत्रों की बाजार दरें वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं इसलिए जुर्माना प्रतिवर्ष स्वयं ही बढ़ जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पट्टाधारी अपने किरायेदारों से क्या किराये ले रहे हैं।

(घ) जब तक कि दुरुपयोग समाप्त नहीं कर दिया जाता है।

(ङ) तब तक रिहायशी परिसरों वाणिज्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग करने पर जुर्माना लगाने के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

दिल्ली में समस्या मूलक गांव

6714. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने 245 गाँवों में से 148 गाँवों को समस्या मूलक गाँवों के रूप में चुना है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में समस्यामूलक गाँवों के नाम क्या हैं और इन गाँवों में पेय जल सप्लाई देने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है तथा आज तक उसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) व्यय की गई राशि का ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में (नाम सहित) कितने गाँवों को लाभ पहुंचा;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी।

लेवी चीनी को रंगना

6715. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य सरकार ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित

किया था कि लेवी चीनी की काला बाजारी में सप्लाई को रोकने के लिए इस चीनी को रंगा जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा उसने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से हाल ही में प्राप्त एक सुझाव विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

6716. **श्री अनन्त रामुल मुल्लू** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक देश में गन्दी बस्तियों के लिए योजनाएं हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गन्दी बस्तियों की आबादी के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा भेजे गये प्रस्तावों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिए गए उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको चालू वर्ष में और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किया जाना है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) विश्व बैंक ने भारत में नगरीय विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है जिनमें गन्दी बस्ती सुधार एक घटक है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में नगरीय विकास परियोजना के लिये विश्व बैंक ने कोई सहायता नहीं दी है।

(ग) गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए 1980-85 की राज्य योजना में 8 00 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। वर्ष 1981-82 के लिये राज्य क्षेत्र में इस योजना के लिए 2.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जाती है।

दिल्ली के नागरिकों के लिए बोतलों में फलों का रस

6717. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के निवासियों को सस्ती दर पर बोतलों में फलों का रस उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और

(ख) सरकार ने दिल्ली में एक फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट स्थापित किया है, जिसके शीघ्र ही शुरू होने की आशा है। इस प्लांट की पूँजी लागत लगभग एक करोड़ रुपये है और इसकी क्षमता 100 बोतल प्रति मिनट है (प्रत्येक 200 मि० लि०) बोतलों में फलों के रस/पेय का खुदरा मूल्य अभी निर्धारित किया जाना है। तथापि, यह प्लांट छः वितरण मशीनों और चार चलती-फिरती गाड़ियों के माध्यम से एक रुपये प्रति 200 मि० लि० के खुदरा मूल्य पर फलों के रस के पेय की बिक्री कर रहा है।

मोती बाग—1 नई दिल्ली में पेय जल की कमी

6718 **श्री केशवराव पारधी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मोती बाग—I कालोनी में, विशेषरूप से रिंगरोड के साथ लगने वाले डी-2 फ्लैटों में पेय जल की अत्यधिक कमी है, और जो भी सप्लाई उपलब्ध है वह बहुत अनियमित है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि गर्मियों में यह कमी और भी गंभीर हो जाती है और उससे वहां के निवासियों को बहुत दिक्कतें होती हैं; और

(ग) उस क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि मोती बाग क्षेत्र में स्वच्छ पेय जल की सप्लाई में कुछ कमी है और मोती बाग-1 में डी-11 फ्लैटों में सुबह तथा शाम को सप्लाई का समय लगभग 6 घंटे हैं।

गर्मियों के महीनों में यही स्थिति है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने इस क्षेत्र के लिये 5 नलकूपों सहित एक भूमिगत टैंक चालू किया है। पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए दूसरे नलकूप के शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है।

भेड़ पालन फार्मों को सहायता

6719. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने कुल कितने भेड़ पालन फार्मों को आर्थिक सहायता दी है;

(ख) इन भेड़ पालन फार्मों की स्थापना कौन-कौन से राज्यों में की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजनावधि में कुछ राज्यों में कुछ और भेड़ पालन फार्मों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन भेड़ पालन फार्मों को किन राज्यों में स्थापित करने का प्रस्ताव और

(ङ) उनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता आवंटित की जानी है अथवा की जा चुकी है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) भारत सरकार का हरियाणा राज्य के हिसार में एक भेड़ प्रजनन फार्म है।

(ग) से (ङ) इस समय वहाँ अधिक भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसानों को उर्वरकों का वितरण

6720. **श्री के० मालन्ना** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान 25 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत राज सहायता के आधार पर क्रमशः लघु और सीमान्त किसानों को वितरित किये गए उर्वरकों की मात्रा एवं मूल्य संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त किसानों को दी गई राज सहायता से वस्तुतः कितने प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसान लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को घोटाशिक तथा फासफेटिक उर्वरकों के लिए सामान्य दरों पर अर्थात छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों के लिए 33 1/3 प्रतिशत तथा आदिवासी भागीदारों के लिए 50 प्रतिशत उपदान उपलब्ध है। चूंकि यह कार्यक्रम का एक बहुत छोटा-घटक है अतः उर्वरक के लिए आर्थिक सहायता की मात्रा तथा मूल्य जैसे ब्यौरे संकलित नहीं किए गए। इस घटक को भी चरणबद्ध करने की प्रत्याशा है।

(ख) 1980-81 के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 27.75 लाख परिवारों, जिनमें लघु किसान, सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण कारीगर भी शामिल हैं, को सहायता पहुँचाई गई थी। तथापि, लाभ भोगियों का श्रेणी-वार कोई ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता है।

वर्ष 1981-82 के लिए चीनी उत्पादन का लक्ष्य

6721. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिए चीनी उत्पादन के (राज्यवार) क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) उपर्युक्त वर्ष में राज्यवार उपलब्धि क्या रही;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1982-83 में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही करने पर विचार किया है;

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष 1982-83 के लिए राज्य-वार चीनी उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ङ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क)

और (ख) चीनी वर्ष 1981-82 के लिए राज्यवार अथवा समूचे देश के लिए चीनी के उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। 1.10.81 से चीनी वर्ष के प्रारम्भ होने से और 22.3.82 तक राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) चीनी वर्ष 1982-83 के लिए चीनी के उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों के फलस्वरूप चीनी का उत्पादन 1979-80 के 38.59 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1980-81 में 51.43 लाख मीटरी टन हो गया था और आशा है कि वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादन 68 लाख मीटरी टन के आस-पास होगा।

चीनी वर्ष 1981-82 के दौरान 22 मार्च, 1982 तक राज्यवार चीनी के उत्पादन को बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1981-82 में चीनी उत्पादन 22.3.82 तक (हजार मीटरी टन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	392
2.	असम	10
3.	बिहार	250
4.	गुजरात	340
5.	हरियाणा	110
6.	केरल	15
7.	कर्नाटक	455
8.	मध्य प्रदेश	42
9.	महाराष्ट्र	2099
10.	नागालैंड	4
11.	उड़ीसा	17
12.	पंजाब	94
13.	राजस्थान	20
14.	तमिल नाडु	397
15.	उत्तर प्रदेश	1312
16.	पश्चिमी बंगाल	10
17.	गोआ, दमन और दीव	11
18.	पांडिचेरी	13
	जोड़	5591

चीनी उद्योग

6722. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1250 टी० सी० डी० या उससे कम क्षमता वाले उन पुराने चीनी एककों (राज्य-वार नवीनतम स्थिति) के नाम क्या हैं जिन्हें बढ़े हुए लेवी चीनी मूल्यों के कारण 26 रु० प्रति क्विंटल की दर से लाभ हो रहा है;

(ख) इनमें से कितने सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारिता क्षेत्र (राज्य-वार) में अलग-अलग हैं;

(ग) पिछले तीन सालों में उनमें कितना उत्पादन हुआ;

(घ) पिछले तीन सालों के दौरान प्रत्येक पेराई मौसम के अन्त में क्षेत्रवार प्रत्येक एकक मे कितनी बकाया धनराशि का किसानों को भुगतान करना था;

(ङ) सरकार ने यह देखने के लिए कि इन एककों द्वारा किसानों को उनकी बकाया धनराशि का भुगतान किया जाये, क्या कार्यवाही की है; और

(च) पिछले तीन सालों के दौरान इन एककों को (क्षेत्र वार) कितना लाभ या हानि हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) परिशिष्ट-1 पर संलग्न विवरण में (i) जो फैक्ट्रियाँ 1.10.1955 से पूर्व स्थापित की गई थीं और जिनकी गन्ना पेरने की दैनिक लाइसेंस क्षमता 1250 मीटरी टन से कम थी और जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 1250 मीटरी टन अथवा उससे अधिक गन्ना नहीं पेरा था और जिन्हें 1981-82 मौसम के उत्पादन के लिए 26/- रुपये प्रति क्विंटल के अधिक लेवी मूल्य का लाभ प्राप्त हो रहा है, उनके नाम, (ii) सेक्टर-वार अलग-अलग विवरण (iii) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके चीनी के उत्पादन, और (iv) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन फैक्ट्रियों के गन्ने के मूल्य के बकायों का ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०3852/82]**

(ङ) गन्ने के मूल्य के बकायों का भुगतान करवाना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तथापि, गन्ने के मूल्य के बकायों की स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और राज्य सरकारों को इन बकायों का भुगतान करवाने के लिए परामर्श दिया जाता है। गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के अधीन यदि गन्ने के मूल्य का भुगतान करने में 14 दिनों से अधिक विलम्ब किया जाता है उस दशा में भुगतान की राशि पर 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा करना अनिवार्य होता है। विशेष और अपवाद के मामलों में जो चीनी फैक्ट्रियाँ गन्ना उत्पादकों को उनके बकायों का समय पर भुगतान नहीं करती हैं उनके प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने के बारे में चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 में व्यवस्था है।

(च) जिन यूनिटों से वार्षिक खाते प्राप्त हो गए हैं उनके बारे में 1978-79 और 1979-

80 के वर्षों के लिए लाभ-हानि का ब्यौरा परिशिष्ट-II में दिया गया है। जहां तक वर्ष 1980-81 का सम्बन्ध है, केवल कुछेक फैक्ट्रियों ने ही अपेक्षित सूचना सुलभ की है और उसे उक्त विवरण के "कैफिगत" स्तम्भ के अन्तर्गत दिखाया गया है।

उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए केंद्रीय अनुदान

6723. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े इलाकों की गन्दी बस्तियों को हटाने और उनमें रहने वालों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय अनुदान बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकारों को गन्दी बस्ती उन्मूलन के लिए प्रत्यक्ष केन्द्रीय अनुदान देने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोधी कालोनी, नई दिल्ली में पानी का दाबाव

6724. **श्री के० राममूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोधी कालोनी, नई दिल्ली के ब्लाक 23-ए में पानी का दबाव बहुत कम रहता है जिससे वहां के निवासियों विशेष रूप से पहली और दूसरी मंजिल में रहने वालों को असुविधा और परेशानी होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले कई वर्षों से ओवर हेड वाटर टैंक उचित ढंग से काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उस ब्लाक में फ्लश प्रणाली उचित ढंग से काम नहीं करती और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि लोधी रोड में ब्लाक 23 ए, अन्य ब्लाकों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस ब्लाक में पानी का दबाव अपेक्षाकृत कम है।

(ख) जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि पानी के कम दबाव के कारण इस ब्लाक के ऊपरी टंकियों में पानी नहीं पहुँचता है और इसके फलस्वरूप फ्लश भी ठीक ढंग से कार्य नहीं करता।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने बूस्टिंग व्यवस्था सहित एक भूमिगत टैंक (7.5 लाख गैलन क्षमता) का निर्माण किया है। पम्प परीक्षण तौर पर चलाए गये हैं और शीघ्र ही उनके चालू किये जाने की सम्भावना है। यह लोधी रोड क्षेत्र में पानी की पूर्ति को बढ़ायेगा।

केंद्रीय सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी मकान देने के लिये अन्तर पूल व्यवस्था

6725. **श्री रीति लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री 13.82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1206 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्ति कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों को तदर्थ आधार पर सरकारी आवास के आबंटन के लिए अन्तरपूल व्यवस्था के बारे में अब अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा उक्त आवास रखे जाने के कारण उनसे बाजार दर से तिगुना किराया लिया जा रहा है यहां तक कि अत्यधिक दण्ड के रूप में किराया लिया जा रहा है और अनेक मामलों में मकान खाली कराने के आदेश जारी करने की कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस समय तक जब तक कि अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, ऐसे आवासों की बाजार भाव पर रखे जाने के बारे में अन्तरिम आदेश जारी करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किए जाने का प्रस्ताव है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) चूंकि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत ये कर्मचारी सरकारी वास के पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें अनधिकृत दखलकार समझा जा जाता है और इन्हें निमाधीन लाइसेंस फीस देना अपेक्षित है नामत: मकान को खाली करवाने के आदेश पारित करने तक बाजार दर पर लाइसेंस फीस, इसके बाद खाली करवाने के आदेशों के जारी होने के 16 वें दिन से बाजार किराये की तीन गुना लाइसेंस फीस।

(ङ) सरकार इस समस्या से अवगत है और इससे सम्बन्धित सभी मामले इसके विचाराधीन हैं।

डेरी यूनिट योजना के अन्तर्गत विधवाओं को मवेशी देना

6727. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से वर्ष 1081-82 के लिए डेरी यूनिट योजना के अन्तर्गत विधवाओं को मवेशी देने के लिए कितनी मांग की गई है और कितनी मांग मंजूर की गई है तथा शेष मांग कब तक पूरी की जाएगी;

(ख) क्या वित्तीय साधनों की कमी होने पर बजट में इस लाभकारी योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जायेगा; और

(ग) क्या जिन राज्यों में इस लाभकारी योजना के लिए फण्ड की मांग कम है परन्तु उनके पास इस हेड के अन्तर्गत अतिरिक्त फण्ड हैं वहां से इस फण्ड को अधिक मांग वाले राज्यों की ओर मोड़ने के लिए कार्यवाही की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) विधवाओं को भत्ता देने के लिए कृषि मन्त्रालय की कोई योजना नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित गेहूं के बीज की नई अधिक उत्पादन वाली किस्म

6728. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होने वाले सोनालिका बीज के स्थान पर गेहूँ के एक नए बीज का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोनालिका का रोग ग्रस्त होना बढ़ रहा है जिससे आने वाले वर्षों में गम्भीर समस्याएं पैदा हो सकती है;

(ग) क्या नया बीज सोनालिका से बेहतर फसल देगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी हाँ, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विज्ञानियों ने सोनालिका की जगह उगाने के लिए गेहूं की एक नई किस्म अर्थात् एच डी 2285 विकसित की है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। सोनालिका अधिक रोगग्रस्त होती जा रही है जिससे आने वाले वर्षों में गम्भीर समस्याएं पैदा हो सकती है।

(ग) जी हां, श्रीमान्। पिछले तीन मौसम-परीक्षणों के दौरान गेहूं की नई किस्म ने सोनालिका से अधिक उपज दी है।

(घ) सन् 1981 में हुई अखिल भारतीय गेहूं कार्यकर्त्ताओं की कार्यशाला में गेहूं की नई किस्म एच डी 2285 का पता लगाया गया जो पिछली सिंचित बुआई, अच्छी उर्वरता स्थितियों के अन्तर्गत उत्तरी मैदानों के गेहूँ उगाई जाने वाली पट्टी में व्यापारिक खेती के लिए आशाजनक पाई गई है। सन् 1982-83 के दौरान जिले के अनुकूल परीक्षणों में इस किस्म का मूल्यांकन किया जाना है। बेहतर उपज देने की क्षमता, अधिक रतुआ तथा करनाल बंट रोग रोधी तथा अच्छे दाने की गुणवत्ता के आधार पर यह आशा की जाती है कि यह किसानों में सोनालिका से ज्यादा लोकप्रिय होगी।

मदनपुर खादर और जोसाला गांवों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खुदाई करना

6729. **श्री जैनल बशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मदनपुर खादर और जोसाता गांवों में खुदाई के लिए रेतीले स्थानों को चुना है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली प्रशासन से परमिट जारी करने के लिए आवेदन किया था;

(ग) यदि हां, तो आवेदन कब पेश किया गया;

(घ) क्या परमिट जारी किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) प्रश्नगत रेतीले स्थानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस आधार पर खुदाई के लिए दे दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) 5 सितम्बर, 1981 को।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं हैं। इस पर रोकादेश भी थे। रोकादेश अब समाप्त कर दिए गए हैं परन्तु एक रिट याचिका अभी भी अनिर्णित पड़ी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को परमिट देने के लिए आवेदन अभी लम्बित पड़ा है।

कच्छ के रण का अभारण्य

6730. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ के रण के छोटे अभ्यारण्य का क्षेत्र कितना है और क्या यह देश में सबसे बड़ा है;

(ख) क्या अभ्यारण्य के यात्रियों के रहने के लिए आवास निर्माण करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना के लिए बजट प्रावधान क्यों नहीं रखा गया; और

(घ) राज्य सरकार से बजट में इसके लिए व्यवस्था करने के बारे में किस प्रकार का सम्पर्क स्थापित किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कच्छ के लिटल रन के अभ्यारण्य का कुल क्षेत्र लगभग 4,900 वर्ग किलो मीटर है। यह देश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है।

(ख) आवास निर्माण करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के ध्यान में है।

(ग) तथा (घ) राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों का विकास करने के लिए राज्यों की सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत आवास का निर्माण करने जैसी पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने हेतु कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है। अतः राज्य सरकार को अपने निजी स्रोतों से या अन्य स्रोतों से मांगी गई सहायता से इस व्यय को पूरा करना होगा।

रोहतक रोड और आजाद मार्किट को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण

6731. **श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग की ओल्ड रोहतक रोड और आजाद रोड को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण करने और सराय रोहिला की पदम नगर कालोनी में गली सं० 6 के साथ एक पार्क बनाने की एक योजना थी;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 में वहाँ पर एक सर्वेक्षण भी किया गया था और क्या वहाँ पर कुछ अवैध कब्जा भी किया था और इस अवैध कब्जे को खाली करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इनका निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है और विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन मकानों की संख्या जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया था जो प्रस्तावित सड़क की सीध में बने थे। यद्यपि सीध में पड़ने वाली भूमि पर इस प्रकार की कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, फिर भी थोड़े से निजी मकान हैं जो प्रस्तावित सड़क को चौड़ा करने से प्रभावित होते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सड़क चौड़ी करने से प्रभावित निजी सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

(ग) अर्जन की कार्यवाही न्यायिककल्प और अपील करने योग्य आदेशों के होने के कारण कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है और इस प्रकार विलम्ब के किसी उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी आवास में परिवर्तन करना

6732. **श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरक नियम 314 में ऐसी कुछ शर्तें हैं जिनसे सरकारी कर्मचारी को आबंटित आवास आगे किराए पर दिया जा सकता है जबकि 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2438 और 31 अगस्त 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 2032 को दिए गए उत्तर में ऐसा नहीं है;

(ख) क्या पूरक नियम 323 में दर उपबंध है कि सरकार आवासों में छोटे-मोटे परिवर्तन

करने/निर्माण कराने के लिए बाध्य है जबकि दिनांक 9 मार्च 1981 के अतारांतिक प्रश्न संख्या 2759 के उत्तर में वित्तीय बाधाओं को बाधक बताया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा सही-सही वस्तुस्थिति क्या है और स्थिति को ठीक कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या पूरक नियम 328 में यह उपबन्ध है कि कम्पाउंड दीवार ऊंची करने, बाडी तथा गेट लगाने जल के बड़े नालों तथा कम्पाउंड के भीतर सम्पर्क सड़कों और कार्यों के निर्माण को स्थल तैयार करते समय व्यय के रूप में माना गया है; यदि हां, तो उन सुविधाओं को उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं जबकि इन सभी व्ययों पर विचार करने के बाद किराया निर्धारित किया जाता है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अनुपूरक नियम 314 में उन सामान्य परिस्थितियों की व्यवस्था है जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी को आबंटित आवास को उप किरायेदारी पर दिया जा सकता है परन्तु नियम 317-बी मात्र सम्पदा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आवासों से सम्बन्धित है जो कि उन अधिकारियों को आबंटित किए जाते हैं जिनसे उनके ड्यूटी स्थान पर सरकारी वास में रहने की अपेक्षा की जाती है। अत: 317-बी के अन्तर्गत नियम सामान्य पूल वास के पात्र सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता के विशिष्ट संदर्भ में बनाए गए हैं और चूँकि इस पूल में वास की कमी है इसलिए इन आवासों के सम्बन्ध में कतिपय प्रतिबन्ध रखे गए हैं जैसा कि 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 2438 तथा 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 2032 के उत्तर में सूचित किया गया था।

(ख) तथा (ग) अनुपूरक नियम 323 के अन्तर्गत किसी सरकारी आवास में छोटे-छोटे परिवर्धन तथा परिवर्तन करने का प्रावधान अनिवार्य नहीं है। इस नियम में वित्तीय एवं समय सीमा की व्यवस्था है जिसके भीतर छोटे-मोटे परिवर्धन तथा परिवर्तन, जहां कहीं आवश्यक समझे गए हों, किसी आवास की मानक लाइसेंस फ़ीस के संगणन के बाद किए जा सकते हैं।

(घ) अनुपूरक नियम-328 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित निर्माणकार्यों पर किया व्यय :

(i) स्थलों को ऊंचा करना, समतल बनाना, तथा दरेसी करना।

(ii) पलस्तर लगाना, पुश्ता दीवार बनाना, बाढ़ तथा गेट बनाना;

(iii) बरसाती पानी की नालियां, तथा

(iv) परिसर के भीतर पहुंच मार्ग/रास्ते बनाने को स्थल की तैयारी के व्यय के रूप में समझा जाता है।

तथापि, उपर्युक्त निर्माण कार्य वहीं किए जाते हैं जहां आवश्यक समझे जाते हैं और यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भावनगर बेजीटेबुल प्रोडक्ट्स में आग लगना

6733. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री रसीद मसूद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 दिसम्बर, 1981 को "भावनगर बेजीटेबुल प्रोडक्ट्स" में लगी भयंकर आग पिछले दो सालों के दौरान इस मिल में हुई छठी आग की दुर्घटना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुजरात कोआपरेटिव आयल सीड्स ग्रोवर फेडरेशन के अध्यक्ष और अधिकारियों ने केन्द्र सरकार को अवगत कराया था कि फेडरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों के जीवन पर आक्रमण है और काण्डला पत्तन के जीवन से आयातित सोयाबीन के तेल की चोरी तथा संयंत्र में घटी आग की अनेक घटनाएं सहकारी क्षेत्र को समाप्त करने के अंग हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गुजरात में गुजरात कोआपरेटिव आयल सीड्स ग्रोवर फेडरेशन को बचाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है क्या करने का विचार है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) 6 दिसम्बर, 1981 को भावनगर बेजीटेबुल प्रोडकट्स में जो आग लगी थी, वह इस संयंत्र में आग की सातवीं घटना थी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारियों ने भावनगर बेजीटेबुल प्रोडक्ट्स यूनिट की घटना, गुजरात सहकारी तिलहन उत्पादन संघ और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अधिकारियों की दुर्घटना ग्रस्त होने की घटना और कांडला बंदरगाह से सोयाबीन के तेल से भरे हुए ड्रमों की हानि के बारे में कृषि मंत्रालय को सूचित किया है।

इन घटनाओं की सूचना राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम द्वारा पुलिस/पत्तन प्राधिकारियों और गुजरात सरकार को दी जा चुकी है। गुजरात सरकार ने इन घटनाओं की जांच के आदेश जारी किए हैं।

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना पर कार्य

6734. **श्री बिरदा राम फूलवारिया :** क्या सिंचाई मंत्री राजस्थान में नर्मदा नहर पर कार्य के बारे में दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2396 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब शुरू हुआ था और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना में कितनी भूमि की सिंचाई होगी और इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना पर निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। तथापि,

राजस्थान में नर्मदा नहर के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने तथा संरेखणों को निर्धारित करने के प्रारम्भिक निर्माण-कार्यों को राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिया गया है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि यदि धनराशि उपलब्ध होती रही, तो उनके क्षेत्र में लगभग 8 वर्ष की अवधि में नहर के पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ग) अब राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 1.48 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र को लाभ पहुंचने की संभावना है। गुजरात में साभ्री नहर के लिए राजस्थान द्वारा वहन की जाने वाली लागत के भाग सहित, इस योजना की लागत लगभग 179 करोड़ रुपये है।

प्रत्येक राज्य में गिरफ्तार किए गए जमाखोर

6735. **श्री छीतुभाई गामित** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में जनवरी, 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान राज्य-वार कितने काला बाजारी और जमाखोर गिरफ्तार किए गए; और

(ख) उनसे कितने मूल्य का माल पकड़ा गया और उन्हें दिए गए दण्ड का ब्योरा क्या है?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

6736. **श्री राम लाल राही** : निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत दिल्ली पटपड़गंज, हनूमान नगर, बलराम गार्डन और खिचड़ीपुर के कुछ निजी लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ऐसे लोगों की जनसंख्या क्या है जिन्हें अभी तक उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है; और

(ग) उन्हें मुआवजे का भुगतान दिया पात्र सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 5963 बीघा और 15 बिस्वा भूमि का अर्जन कर लिया है जो इस प्रकार है :—

गांव का नाम तथा एवार्ड संख्या	बीघा	बिस्वा
खिचड़ीपुर		
ए डब्लू 28/70-71	36	16
ए डब्लू 28ए/70-71	126	5
ए डब्लू 28-बी/70-71	2177	07

ए डब्लू 29/70-71	21	18
ए डब्लू 30/70-71	11	19
ए डब्लू 30-ए/70-71	823	17
ए डब्लू 30-बी/70-71	36	4
पटपड़गंज		
बरौला—नीमका		
बगांव		
ए डब्लू 6-ए/71-72	59	11
ए डब्लू 6-बी/71-72	20	1
ए डब्लू 6-सी/71-72	1219	7
कोटला		
ए डब्लू 19/76-77	1430	10

क्योंकि कुछ क्षेत्र में निर्माण कार्य हुआ है और इस संदर्भ में मामले अतिरिक्त जिला जज के पास अधिनिर्णय के लिए भेजे गए हैं, इसलिए 1009 व्यक्तियों को अभी मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है ।

दिल्ली में भूतपूर्व सनिकों को सरकारी आवास

6737. **श्री ए० नीलालोहीथादसन नाडार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अनुसार दिल्ली में काम कर रहे ऐसे भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की कुल संख्या क्या है जिनके पास अपने परिवार के लिए रिहायशी मकान नहीं हैं; और

(ख) क्या सरकार सरकारी परिवारिक क्वार्टरों के आवंटन में उन्हें कोई प्राथमिकता देगी जिससे कि वे सब अपने परिवार के साथ रह सकें ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) उन भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जो सिविल पदों पर नियुक्त किये हैं और सामान्य पूल वास के पात्र हो गये हैं । भूतपूर्व सैनिकों सहित (जो सरकारी सेवा में भर्ती किये गये हैं) और जो सामान्य पूल के पात्र हैं सभी कर्मचारियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाता है ।

(ख) सामान्य पूल के वास के आवंटन, सरकारी मकानों के आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) अधिनियम, 1963 में यथा परिभाषित अग्रता तिथियों के आधार पर किया जाता है जिसमें इन कर्मचारियों को कोई विशेष प्राथमिकता (अग्रता) देने की अनुमति नहीं है ।

मिलावटी उर्वरक

6738. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था कि अपमिश्रण जिससे राज्यों में उर्वरकों का कम उठान हो रहा है, की रोकथाम हेतु उर्वरक नियंत्रण आदेश में संशोधन किया जाए;

(ख) क्या इस समय कोई प्राइवेट उर्वरक कम्पनी किसी राज्य में किस्म और मूल्य पर किसी नियंत्रण के और अपने उत्पाद की बिक्री कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी तथा सरकारी संस्थाओं की, जिन्हें कदाचार का दोषी पाया गया है उर्वरकों की किस्म तथा मूल्य के नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार ने विद्यमान उर्वरक नियंत्रण आदेश की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस बात का कोई प्रमाप नहीं है कि मिलावट के परिणाम स्वरूप राज्यों में उर्वरकों की कुल खरीद कम हुई है। उर्वरकों में मिलावट को रोकने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं।

(ख) तथा (ग) : कोई भी व्यक्ति पूर्व-निर्धारित विशिष्टियों को पूरा न करने वाले उर्वरक को नहीं बेच सकता है। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियमनाईट्रेट, अमोनियम क्लोराईड तथा सिंगल सुपरफास्फेट को छोड़कर, सभी प्रमुख उर्वरकों के मूल्य भी सावधिक रूप से नियंत्रण किए जाते हैं। सांवधिक रूप से नियंत्रित मूल्यों से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने वाले व्यक्ति को उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत दण्ड दिया जा सकता है। तथापि, भौतिक मिश्रण/विशेष मिश्रण के उन मामलों में, जिनकी विशिष्टियां उर्वरक नियंत्रण आदेश की अनुसूची में शामिल नहीं की गई है, सांवधिक मूल्य नियंत्रण नहीं है।

भाखड़ा और रामगंगा परियोजनाओं में गाद भरने का खतरा

6739. **डा० कृपा सिन्धु थोई** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा तथा रामगंगा जैसी हिमालय परियोजनाओं में अनुमान की अपेक्षा अधिक तेजी से गाद भरने का खतरा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिमालय की पारिस्थितक स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इन जलाशयों में गाद-जमाव प्रत्याशा से अधिक हो रहा है।

(ख) वनों की कटाई, अनियंत्रित चराई और खेती की अवैज्ञानिक पद्धतियों के परिणामस्वरूप जल संचयन जलाशयों में प्रविष्ट होने वाले तलछट भार में वृद्धि होती है।

(ग) नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण उपायों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम तटबंधों की सुरक्षा करने के लिए पहले ही कार्यान्वित की जा रही है, ताकि जल-संचयन जलाशयों में प्रविष्ट होने वाले तलछट-भार को कम किया जा सके।

भारतीय बनाम बाग्रो गैस संयंत्र

6740. **श्री आर. वाई. घोरपाडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बाग्रो गैस संयंत्रों की तुलना में चीनी बाग्रो गैस संयंत्रों की क्षमता, लागत आदि की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन एक दशक में 7 मिलियन बाग्रो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने में सफल हो गया है जबकि पर्याप्त प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के बाद भी भारत लगभग दो दशकों में केवल 75,000 बाग्रो गैस संयंत्र स्थापित कर पाया है जिसमें आधे से अधिक संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ऐसे बाग्रो गैस संयंत्र से कितने ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो सकते हैं; और

(घ) इसकी तकनीकी जानकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने का उत्तरादायित्व किन सरकारी एजेंसियों पर है और क्या इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए है और इस दिशा में क्या सफलता मिली है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आ० वी० स्वामीनाथन) : (क) समान संचालन परिस्थितियों के अन्तर्गत अन्तर्ग्रहण सामग्री की प्रति इकाई भार गैस उत्पादन के सम्बन्ध में प्रकाशित जानकारी के अनुसार भारतीय बायो गैस संयंत्र चीन के बायो गैस संयंत्रों की बराबरी पर बताये गये हैं। लागतवार, चीनी बायो गैस संयंत्र कुछ सस्ते हैं।

(ख) खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित साहित्य के अनुसार चीन ने कई लाख बायो गैस संयंत्र स्थापित किये हैं। यद्यपि उनकी सही संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। भारत में देशव्यापी स्तर पर बायो गैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कार्यक्रम पांचवीं पंच वर्षीय योजना में शुरू किया गया था और तब से 1,00,000 से अधिक बायो गैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं। कार्य न कर रहे बायो गैस संयंत्रों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई देश-व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सम्भावना है कि कुछ संयंत्र दोषपूर्ण निर्माण या कुप्रबन्ध की बजह से कार्य नहीं कर रहे होंगे। संयंत्रों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए संस्थापना पूर्व रखरखाव तथा मरम्मत की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) : छठी योजना के दौरान बायो गैस विकास योजना की राष्ट्रीय परि-योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए 4,00,000 परिवार आकार की बायो गैस एककों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार, राज्य सरकारें, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, राज्य खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड तथा राज्य कृषि उद्योग निगम, आदि ग्रामीण क्षेत्रों में बायो गैस विकास के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये उत्तरदायी हैं।

देश में गन्ने के उत्पादन का क्षेत्र

6741. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कुल कितनी एकड़ भूमि पर गन्ने का उत्पादन होता है और इस उत्पादन का पृथक-पृथक कितना भाग चीनी और गुड़ बनाने के काम में लिया जाता है और इस वर्ष गुड़ का अनुमानित कितना उत्पादन होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : 1980-81 में गन्ना के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 26.48 लाख हैक्टार था। पैदा किये जाने वाले गन्ने का एक भाग कृषकों द्वारा चीनी मिलो या खंडशारी के विनिर्माणकर्ताओं को बेचा जाता है तथा इसका एक भाग गुड़ के विनिर्माण के लिए बेचा या उपयोग किया जाता है। उस मौसम (सितम्बर 1981 से अगस्त 1982) के दौरान गुड़ और खन्डसारी का उत्पादन 86 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के प्रांगण में विवादग्रस्त संरचनाओं में चारों ओर बाड लगाना

6742. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** ; क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मेडिकल कालेज परिसर, नई दिल्ली और भूमि तथा विकास अधिकारी तथा वक्फ बोर्ड के बीच जीर्णशीर्ण भवनों के बारे में विवाद तथा तनाव खड़ा हो गया है तथा डाक्टरों की सुरक्षा तथा एकान्तता (प्राइवेसी) सुनिश्चित करने में सरकार की असमर्थता से डाक्टर चिन्तित तथा परेशान हैं और उन्होंने अनेक लिखित अभ्यावेदन भी भेजे हैं तथा उन्होंने विवादग्रस्त संरचनाओं के चारों ओर बाड़ लगाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : भूमि तथा विकास कार्यालय को टाइप VI तथा टाइप V रेजीडैन्ट डाक्टर कल्याण संघ, मौलाना आजाद मेडिकल कालिज से परिसर के भीतर विद्यमान एक प्राचीन स्मारक की मरम्मत करने के वेश में उनके रिहायशी क्षेत्र में आवांछित तत्वों द्वारा अवैध घुसपैठ के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। प्रश्नगत भूमि तथा भवन के स्वामित्वाधिकारी जिसके बारे में भारत सरकार के भूमि तथा विकास अधिकारी तथा दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच तथा परिसर के मस्जिद के रूप में उपयोग के बारे में दिल्ली वक्फ बोर्ड तथा श्री सेवक संकीर्तन दुर्गा भजन मण्डली के बीच दोनों ही के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद निलम्बित हैं तथा सम्पूर्ण मामला न्यायाधीन है।

राष्ट्रीय खाद्य रक्षित भण्डार

6743. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्य रक्षित भण्डार बनाये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजनाओं के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) रक्षित भण्डार के रख-रखाव संबंधी संचालन, प्रशासनिक तथा लागत सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) : सरकार ने जनवरी, 1978 से वर्ष की विभिन्न अवधियों में 35 से 88 लाख मीटरी टन

के रेंज के बीच परिचालन स्टाक रखने के अलावा 120 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनाने और उसे बनाए रखने का निर्णय किया था। तथापि, सरकार ने अप्रैल, 1981 में छठी योजनावधि में खाद्यान्नों की राष्ट्रीय बफर नीति तैयार करने के लिए एक तकनीकी ग्रुप का गठन किया था और यह मामला इस समय इस ग्रुप के विचाराधीन है।

(ग) 1981-82 के संशोधित अनुमानों और 1982-83 के बजट अनुमानों में अनुमानित खाद्यान्नों के बफर स्टाक को रखने की लागत का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(दर : रुपये प्रति क्विंटल)

लागत का तत्व	संशोधित अनुमान 1981-82	बजट अनुमान 1982-83
मार्गस्थ हानियां	—	0.73
भण्डारण सम्बन्धी हानियां	2.48	0.08
भाड़ा	—	0.91
हैंडलिंग प्रभार	2.57	2.06
गोदाक-प्रभार	10.04	7.83
ब्याज-प्रभार	20 57	20.22
प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	2.01	1.82
	जोड़ 37.67	35.65

हरियाणा मे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा क्षेत्रीय भैंस केन्द्र की स्थापना किया जाना

6744. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्षेत्रीय भैंस केन्द्र की स्थापना के लिए किस स्थान को चुना गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के मुख्य परिसर के लिए स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए, जिसमें स्थान का चयन भी सम्मिलित है, विभिन्न विषयों में परिषद को सलाह देने के लिए हाल ही में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। स्थान के चयन के बारे में अन्तिम निर्णय लेते समय हरियाणा राज्य के दावे को भी ध्यान में रखा जाएगा।

बाण सागर परियोजना पर कार्य

6745. **श्री कुंवर राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाण सागर परियोजना पर किए जा रहे निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या इस कार्य की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है, और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बाणसागर सिंचाई बांध तथा दोनों पार्श्वों पर शिला (राकफिल) बांधों के लिए खुदाई का कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने क्षेत्र में नहरों का कार्य भी आरम्भ कर दिया है।

(ख) अब तक अनुसूची के अनुसार प्रगति हो रही है।

मध्य प्रदेश को सप्लाई किया गया खाद्य तेल

6746. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 में उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण हेतु मध्य प्रदेश को महीना वार खाद्य तेल की कितनी सप्लाई की गई और उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उसका वास्तव में कितना वितरण किया था तथा कितना खाद्य तेल वितरण के लिए शेष पड़ा है;

(ख) क्या अवतरित खाद्य तेल का स्टाक राज्य सरकार के पास है और यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है और यदि नहीं, तो यह कहां पड़ा हुआ है; और

(ग) वर्ष 1981-82 के प्रत्येक माह की पहली तारीख को राज्यों की राजधानी तथा दिल्ली में विभिन्न खाद्य तेलों का खुले बाजार में प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य क्या था ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) : वित्तीय वर्ष 1981-82 में हर महीने मध्य प्रदेश राज्य को आयातित खाद्य तेलों की आवंटित की गई तथा उनके द्वारा इनकी उठाई गई मात्रा अनुबंध-I के रूप में संलग्न विवरण में दी गई है। कुल मिलाकर, उठाई जाने वाली सम्पूर्ण मात्रा का वितरण एक समयाबधि के दौरान हो जाता है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान हर माह के आरम्भ में विभिन्न खाद्य तेलों के खुले बाजार के खुदरा भाव अनुबंध-II के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3853/82]

काम न कर रही पंजीकृत सहकारी चीनी फैक्टरियां

6747. **श्री सुभाष यादव** : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी पंजीकृत सहकारी चीनी फैक्टरियों की संख्या क्या है जो सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण काम नहीं कर रही हैं;

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ग) सहकारी क्षेत्र में चीनी उद्योग की कार्यकरण क्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) सहकारी चीनी उद्योग को समय पर धन तथा कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा इनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है जिसमें सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण सहकारी चीनी मिलें कार्य न कर रही हों।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये, प्रश्न ही नहीं होता फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जरिये क्रियान्वित की गयी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजनावधि से सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की शेयर पूंजी में योगदान करने की दिशा में राज्य सरकारों के संसाधनों की सहायता के लिए शुरू की गयी थी ताकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से हो सके।

(ग) तथा (घ) : चालू मौसम के दौरान सहकारी चीनी फैक्ट्रियों द्वारा कच्ची सामग्री की कमी महसूस नहीं की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार ने पहले ही एक योजना प्रायोजित की है जिसके अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहकारी चीनी फैक्ट्रियों सहित चीनी फैक्ट्रियों को आसान शर्तों पर ऋण देकर सहायता प्रदान करता है ताकि उन्हें अपने संयंत्रों और मशीनों को आधुनिक बनाने के लिये प्रोत्साहन मिल सके। चीनी विकास निधि अधिनियम 1982, जिसे संसद ने हाल ही में पास किया है, में चीनी कारखानों की पुनःस्थापना तथा आधुनिकीकरण और चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना विकास व चीनी उद्योग के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चीनी मिलों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के मामले में वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक सलाह दी है।

नव वर्ष, 1982 और गणतंत्र दिवस 1982 के अवसर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये फ्लैट

6748. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न श्रेणी के आवेदकों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नव वर्ष, 1982 और गणतन्त्र दिवस, 1982 के अवसर पर बड़ी संख्या में फ्लैट जारी किए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या आवंटितियों की सूची जारी कर दी गई, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दीवाली 81 तथा गणतन्त्र दिवस 82 पर रिलीज किये गये फ्लैटों की सख्या और ब्योरे इस प्रकार हैं :—

रिलीज किए गए	सामान्य पंजीकरण योजना सेवा-निवृत/सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना	नई पद्धति योजना	स्वबित्त पोषित योजना
दीवाली. 81	14.195 (8563 निर्माणाधीन)	4368	2569
गणतन्त्र दिवस, 82	— सहित	6000	5000

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया हैं कि नई पद्धति योजना 1979 के अन्तर्गत जो आवंटन दिल्ली उच्च न्यायालय के रोकादेश के अन्तर्गत थे उनको शीघ्र ही किए जाने की आशा है । इसने यह भी बताया है कि अन्य योजनाओं के अन्तर्गज रिलीज किए गए अधिकतर फ्लैटों की लाटरी 31.3.1982 को निकाली गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गों के लगभग 9000 फ्लैट आवंटित किए गए थे । इसने आगे यह भी सूचित किया है कि सूचियों को बाद में प्रकाशित किए जाने की आशा है ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जल सप्लाई व्रत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जल

6749. **चिंगवांग कोनयक** : : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे गांवों की संख्या क्या है, जिन्हें केन्द्र द्वारा ग्रामीणजल सप्लाई व्रत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जल उपलब्ध कराया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के शुरू होने के समय से इसके अन्तर्गत राज्यों और सघ शासित क्षेत्रों को कितना सहायता अनुदान दिया गया है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान बजट में कितना प्रावधान किया गया है; और

(घ) सभी गांवों को कब तक इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के 1977-78 में इसके आरम्भ होने से 1981-82 (30 सितम्बर, 1981) तक इसके अन्तर्गत पेय जल मुहैया किए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 28002 है।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977-78 से 1981-82 तक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निर्माण और प्रवोधम तथा अन्वेषण एककों को दिया गया कुल अनुदान 35,064.02 लाख रुपये है । इसके अतिरिक्त 1980-81 के दौरान सूखा ग्रस्त राज्यों के लिए प्राप्त किए गए ड्रिलिंग रिगों की लागत तथा सम्बन्धित व्यय पर 15 करोड़ रुपये का व्यय किया गया और 1981-82 के लिये राजस्थान के लिये मंगाये गये आस्ट्रेलियाई रिगों के शुल्क पर 71 लाख रुपये खर्च किये गये ।

(ग) निर्माण और आवास मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगें अभी संसद द्वारा पारित

की जानी हैं । 1982-83 के लिए 127.50 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है ।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य तथा केन्द्रीय निधियों से चुने गये सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को जल का कम से कम एक स्रोत जिसमें वर्ष भर पानी उपलब्ध हो, उपलब्ध पेय जल मुहैया कराने के प्रयास किए जायेंगे ।

पश्चिमी कोसी परियोजना से माल की चोरी

6750. **श्री गोविन्द झा :** क्या सिंचाई मंत्री पश्चिम कोसी नहर के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 207 और नेपाली क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के बारे में दिनांक 8 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुराई गई तथा छिपाई गई सामग्री का पता लगाने, उन्हें जब्त करने हेतु तत्काल कार्यवाही करने तथा दोषी लोगों को कानून के हवाले करने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के लिए कोई उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

पश्चिमी कोसी परियोजना का क्रियान्वन बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है और ऐसे मामलों की जांच करना और आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्नाटक में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराया जाना

6751. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई मंत्रालय की जानकारी में यह बात आई है कि कर्नाटक की अनेक बड़ी सिंचाई परियोजनाएं वितरण चैनल के शुरू नहीं किये जाने अथवा समय पर पूरी न किये जाने से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने में असमर्थ है; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सिंचाई निर्माण कार्य पूरी तरह से उत्पादक हो, शीघ्र क्या कदम उठायेंगे ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सिंचाई एक राज्य विषय है और वितरण नालियों का निर्माण तथा रख-रखाव राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । तथापि, कमान क्षेत्र विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रोयोजित एक स्कीम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देश में 76 सिंचाई परियोजनाओं के तकमान-क्षेत्रों में खेत नालियों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत के बराबर सहायता (25 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत ऋण के रूप मे) दे रही है । इनमें से, कर्नाटक में 5 सिंचाई परियोजनाएं, अर्थात तुंगभद्रा, मालाप्रभा, कावेरी बेसिन, घटाप्रभा तथा अपर कृष्णा इस स्कीम में शामिल हैं। राज्य सरकारों को प्रति वर्ष वास्तविक कार्य-निष्पादन के आधार पर सहायदा दी जा रही है।

वर्ष 1982-83 के लिए पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए सिंचाई योजना

6752. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्र, दोनों के लिए सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में कितनी एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाना है;

(ख) प्रत्येक ऐसी योजना के लिए कितना वित्तीय उपबंध किया गया है; और

(ग) इन योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है और इसके जरिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा केवल असम राज्य द्वारा अलग से दिखाया जाता है । राज्य की 1982-83 क वार्षिक योजना में केवल सतत मध्यम स्कीमें, नामशः धिकारी तथा कोलोंगा और एक नई स्कीम, नामशः हवाईपुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम का प्रस्ताव किया गया है । लघु सिंचाई के लिए पृथक-पृथक स्कीमों का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता । 1982-83 के दौरान प्रत्येक राज्य में सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता के लक्ष्यों को दिखाने वाला एक विवरण (विवरण-एक) संलग्न है ।

(ख) बृहद, मध्यम और लघु स्कीमों के लिए 1982-83 के वास्ते योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा अनुशंसित वित्तीय व्यवस्था की सूचना (विवरण-दो) में संलग्न है ।

(ग) इन स्कीमों के जरिए कृषि उत्पादन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

विवरण

वार्षिक योजना पर हुए विचार-विमर्श के अनुसार, 82-83 के दौरान सृजित की जाने वाली क्षमता के लक्ष्य

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य	क्षमता का लक्ष्य		
		बृहद तथा मध्यम	लघु	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	81	55	136
2.	असम	9	19	28
3.	बिहार	95	161	225
4.	गुजरात	52	41.6	93.6
5.	हरियाणा	36	42	78
6.	हिमाचल प्रदेश	—	4	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	जम्मू और कश्मीर	4	3.8	6.8
8.	कर्नाटक	117	26	143
9.	केरल	30	18	48
10.	मध्य प्रदेश	90	90	180
11.	महाराष्ट्र	119	46	165
12.	मणिपुर	9	2	11
13.	मेघालय	—	2	2
14.	नागालैण्ड	—	1	11
15.	उड़ीसा	25	93	118
16.	पंजाब	35	40	75
17.	राजस्थान	79	28	107
18.	सिक्किम	—	1.5	1.5
19.	तमिलनाडु	9	25	34
20.	त्रिपुरा	—	1.3	1.3
21.	उत्तर प्रदेश	195	693	888
22.	पश्चिम बंगाल	19	104.5	123.5
	संघ शासित क्षेत्र	—	2.3	2.3
	कुल जोड़	1003	1500.0	2503.0

विवरण

1982-83 के दौरान बृहद, मध्यम और लघु स्कीमों के लिए योजना आयोग के कार्यकारी बल द्वारा अनुशंसित वित्तीय व्यवस्था।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	82-83 के दौरान वित्तीय व्यवस्था			
		बृहद	मध्यम	लघु	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	128.84	21.25	10.00	160.09
2.	असम	5.60	5.14	13.50	24.24
3.	बिहार	127.93	24.49	34.05	186.47
4.	गुजरात	109.25	47.18	17.50	173.93
5.	हरियाणा	42.34	1.33	3.35	47.02
6.	हिमाचल प्रदेश	1.90	—	4.30	6.20
7.	जम्मू और कश्मीर	7.10	5.00	7.00	19.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	कर्नाटक	75.52	3.73	18.51	79.76
9.	केरल	51.12	1.25	6.65	59.02
10.	मध्य प्रदेश	110.80	34.08	46.00	190.00
11.	महाराष्ट्र	200.79	33.80	33.00	267.59
12.	मणिपुर	6.70	1.74	1.25	9.69
13.	मेघालय	—	—	1.25	1.25
14.	नागालैंड	—	—	1.25	1.25
15.	उड़ीसा	46.00	29.62	16.65	92.27
16.	पंजाब	22.58	—	1.20	23.78
17.	राजस्थान	72.46	13.98	6.45	92.89
18.	सिक्किम	—	—	0.90	0.90
19.	तमिल नाडु	30.29	0.66	5.03	35.98
20.	त्रिपुरा	1.40	2.00	2.55	5.95
21.	उत्तर प्रदेश	168.54	7.93	55.04	231.51
22.	पश्चिम बंगाल	35.63	3.05	19.87*	58.55
	जोड़ राज्य	1244.79	236.23	205.91	1786.93
	जोड़ संघ शासित राज्य	—	—	6.38	6.38
	अखिल भारत जोड़	1244.79	236.23	312.29	6.38

*अनन्तिम पहाड़ी क्षेत्रों में असम के विशिष्ट मध्यम स्कीमों के लिए अनुशंसित परिव्यय ।

क्रम सं०	परियोजना	परिव्यय (लाख रुपये)
1.	धिकारी	0.50
2.	कोल्लोंगो	28.00
3.	हवाईपुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	23.00

अमृतसर में रावी नदी द्वारा भूमि का कटाव

6753. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि रावी नदी से अमृतसर की अजनाला तहसील के गांवों में भूमि का कटाव हुआ है और पठारी क्षेत्रों का भी कटाव हुआ है;

(ख) क्या उनकी जानकारी में यह बात आई है कि रावी नदी के मार्ग में बदल जाने से अनेक गांवों को खतरा पैदा हो गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गाँव पहाड़पुर में करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि, नलकूप तथा अन्य कृषि मशीनों को भी क्षति पहुँची है; और

(घ) रावी नदी पर नियंत्रण करने तथा इसके शिकार लोगों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिनाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि अमृतसर के कुछ क्षेत्रों में रावी नदी द्वारा कटाव होता देखने में आया है। राज्य सरकार ने भूमि और गाँवों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए रावी नदी का प्रवाह नियंत्रित करने हेतु ठोकरों (स्पर्स) की एक शृंखला पहले ही निर्मित कर ली थी। राज्य सरकार द्वारा हाल में प्रभावित हुए क्षेत्रों की सुरक्षा की तुरंत व्यवस्था करने की स्कीमें तैयार की गई हैं। फसलों/भूमि की हुई क्षति का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा अभी किया जाना है।

फलों की खेती, उत्पादन और निर्यात

6754. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978, 1979, 1980 और 1981 में फलों का यदि कोई निर्यात किया गया है तो उसकी मात्रा तथा किस्म क्या थी और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में भूमि अधिग्रहीत करके फलों की खेती करने के लिए परियोजनायें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) देश में अन्नानास की बड़े पैमाने पर पैदावार की वाणिज्यिक सम्भावनाएं क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार फलों के उत्पादन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयो में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) निर्यात किए गए फलों की किस्म, उनकी मात्रा तथा मूल्य को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण दिया गया है। सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अन्नानास की खेती वाणिज्यिक स्तर पर करने की काफी सम्भावना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाई गई पौधों की उच्च सघनता की नवीनतम प्राद्योगिकी के माध्यम से प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ा कर लगभग 50 मीटरी टन से 60 टन तक किया जा सकता है। अन्नानास के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए भी काफी गुंजाइश है।

(घ) अन्नानास के विकास से सम्बन्धित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अरूणाचल प्रदेश तथा अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्रों में चल रही है। केला विकास से सम्बन्धित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना गोआ में भी चल रही है।

विवरण

भारत से फलों का निर्यात

(मूल्य हजार रुपये में)

	मद	मात्रा की इकाई	1978-79		1979-80		अप्रैल, दिसम्बर 1981 (अनंतिम)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	सन्तरा	हजार कि० ग्रा०	9524	13513	1355	16727	3647	5736
2.	नींबू और खट्टा नीबू	,,	207	1340	156	902	27	191
3.	अंगूर	,,	22	228	25	2249	नगण्य	नगण्य
4.	केला	,,	105	530	166	904	10	67
5.	ताजा सेब	,,	2085	5962	2959	8683	2680	7891
6.	ताजा अगूर	,,	329	2614	291	2133	120	758
7.	ताजा नाशपाती किवंस	,,	313	332	892	586	353	320
8.	खुबानी	,,	221	2265	28	340	9	94
9.	आडू	,,	159	578	नगण्य	नगण्य	9	97
10.	आलूबुखारा	,,	45	104	8	41	30	47
11.	मैपोटा	,,	253	1275	197	1078	48	253
13.	सूखी खजूर	,,	517	2471	325	1700	224	907
14.	ताजा आम	,,	4507	37193	4294	46791	6207	60573
15.	सूखा आम स्लाड़ा	,,	308	2170	739	4471	521	4421
16.	ताजी इमली	,,	3315	7805	4735	17064	2424	9873
17.	सूखी इमली	,,	3187	14161	4415	22457	2490	13386
18.	अमरूद	,,	97	473	107	503	12	63
19.	अनार	,,	—	—	52	215	17	65

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

6755. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन जिलों का नाम क्या हैं जिनमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया है तथा इस सम्बन्ध में उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ख) इस कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया और उन्हें प्रतिदिन कितना अनाज दिया गया;

(ग) इस कार्यक्रम को अन्य जिलों में लागू करने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के लिए पिछले वर्ष राज्यों को कितना अतिरिक्त अनाज दिया गया और इस कार्य के लिए सरकार के पास इस समय कितना अनाज उपलब्ध है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ही अब केन्द्रशासित क्षेत्र गोवा, दमन व दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली और दिल्ली, जिन्होंने अभी तक कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया है, को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार को श्रमदिवसों के रूप में रखा जाता है तथा उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा का लेखा-जोखा भी मासिक/वार्षिक आधार पर रखा है। अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है। वर्षवार वितरित किए गए खाद्यान्नों को दर्शाने वाला एक अन्य विवरण-2 भी संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 382/82]**

(ग) वर्ष 1982-83 से इस कार्यक्रम का विस्तार गोवा, दमन तथा दीव, दादरा तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप और चण्डीगढ़ के केन्द्रशासित क्षेत्रों के सभी जिलों तक किए जाने का प्रस्ताव है। केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसका सम्पूर्ण क्षेत्र नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत आता है।

(घ) कार्यक्रम के अन्तर्गत काम कर रहे मजदूरों को प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिये जाने वाले 1 किलो ग्राम खाद्यान्नों के आधार पर, वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों की 34,065 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा, जिसे गत वर्ष के उठाये न गए अधिशेष खाद्यान्नों के मुकाबले में पुनर्वंधिकृत किया गया था, के अलावा 3,00,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की कुल मात्रा आबंटित की गई थी। वर्ष 1982-83 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग के लिए आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल सुविधायें

6756. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उनमें ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 9 करोड़ रुपये की मांग की है;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) बिहार सरकार ने वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 करोड़ रुपये से अधिक, केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां सीमित हैं और चुने गए समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने हेतु राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए अभिप्रेत हैं। यह सीमित निधियां विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित की जानी हैं और तदनुसार सभी राज्य सरकारों की पूरी मांगों को पूरा करना सम्भव नहीं है। वर्ष 1981-82 के दौरान बिहार को 862.50 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

उचित दर दुकानों के माध्यम से दिया जाने वाला खाद्य तेल, घी और चीनी

6757. **श्री परीश रावत** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में नवम्बर-दिसम्बर, 1981 और जनवरी-फरवरी, 1682 में उचित दर की दुकानों के माध्यम से कितना खाद्य तेल, घी और चीनी मासवार दिया गया ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : नवम्बर, 81—फरवरी, 82 की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गई तथा उठाई गई :

मीटरी टनों में

मास	आवंटित की गई मात्रा	उठाई गई मात्रा
नवम्बर, 81	32,030	18,165
दिसम्बर, 81	27,608	27,753
जनवरी, 82	27,350	23,599
फरवरी, 82	26,529	24,167

घी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। तथापि, कुछ राज्य अपनी ओर से वनस्पति प्राप्त करके उचित दर की दुकानों के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में दे रहे हैं।

जहाँ तक चीनी का सम्बन्ध है, नवम्बर, 81 से फरवरी, 82 की अवधि के दौरान उचित दर की दुकानों के माध्यम से देने के लिए हर महीने इसकी 2.72 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्मुक्त की गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए धन राशि का वापस दिया जाना

6758. **श्री तारिक अनवर :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन लोगों ने 1976 में या इससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास एम० आई० जी० फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन के लिए धनराशि जमा कराई थी, जिसे वे अब वापस लेना चाहते हैं उन्हें दिल्ली विकास प्राधिककरण यह धनराशि वापस नहीं कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे बहुत से अनुरोध दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित पड़े हैं और यदि हां, तो लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इन आवेदनों को धनराशि वापस न करने के क्या कारण है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन लोगों को अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण इन लोगों को यह धनराशि ब्याज सहित, कब तक लौटायेगा;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पंजीकरण राशि को वापस करने के 10 अनुरोध पत्र लम्बित पड़े हैं और निम्नलिखित एक या अधिक प्रलेखनों की कमी के कारण इनको निपटाया नहीं जा सका :—

(एक) चालान की चौथी प्रति।

(दो) पंजीकरण कार्ड, और

(तीन) सावधिक जमा रसीद

(ग) जी, हां।

(घ) आवेदकों द्वारा सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद उचित समय में।

देश में आवास वित्त पोषण संस्थान

6759. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण संगठन ने देश में आवास वित्त पोषण संस्थानों के लिए एक निर्देशिका तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह संसद सदस्यों और जनता को उपलब्ध कराई जाएगी;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने "भारत मानवीय बस्तियों के लिए वित्त पोषण संस्थानों की एक निर्देशिका" तैयार की है।

(ख) निर्देशिका के छप जाने पर उसकी प्रतियां संसद सदस्यों के प्रयोगार्थ संसद पुस्तकालय को सप्लाई की जायेगी। सार्वजनिक उपयोग हेतु यह राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के प्रदर्शन केन्द्र में भी उपलब्ध होगी।

गुड़ के निर्यात, गन्ने के पेराई पर उत्पादन शुल्क में छूट और नकद भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध

6760. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि गुड़ का निर्यात करने की अनुमति तथा गन्ने की पेराई करने पर उत्पादन शुल्क में छूट और नकद भुगतान दिया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या उत्पादन कम हो रहा है और चीनी, गुड़ और खांडसारी के मूल्य गिर रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) चीनी फैक्ट्रियों की नकद ऋण की आवश्यकताओं के विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि चीनी की पैदावार में भारी वृद्धि होने के कारण जिससे चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा में स्टाक रखना अनिवार्य हो गया है और वित्तीय संकट, जिसका चीनी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, से बचाने के लिए व्यक्तिगत मिलों की ऋण की सीमा को पिछले वर्ष की सीमा से कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए।

(ग) व्यक्तिगत आवेदन पत्रों के गुण-दोष के आधार पर और यथावश्यक सीमा तक मिलों की नकद ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने से सम्बन्धित मामले के बारे में भारत के रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है।

(घ) 1800 लाख मीटरी टन गन्ने का रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान होने के कारण, आशा है कि स्वीटनिंग तत्वों के मूल्यों में कुछ गिरावट आ सकती है। आशा है कि चीनी का उत्पादन लगभग 68 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर तक पहुँच जाएगा और सूझ-बूझ के साथ मासिक निर्मुक्तियां कर मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखा जाएगा। इससे गुड़ और खण्ड-सारी के मूल्यों को भी परोक्ष रूप से मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, गुड़ का निर्यात करने की भी अनुमति दे दी गई है और इस जिन्स में वायदा बाजार सम्बन्धी प्रतिबन्ध को भी हटा लिया गया है।

मत्स्यपालन के लिए पूर्वानुमति

6761. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें मत्स्यपालन के लिए पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, और

(ख) इन राज्यों में ऐसी पाबन्दी लगाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उपलब्ध जानकारी के आधार पर गैर सरकारी जलाशयों तथा तालाबों में मत्स्यपालन के लिए राज्य सरकारों से कोई पूर्व अनुमति उपलब्ध करने की जरूरत नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

राजस्थान को अनाज

6762. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सभी जिलों में भंयकर अकाल की स्थिति बिशेषकर पश्चिम राजस्थान के जिलों में बदतर स्थिति, को ध्यान में रखकर राजस्थान को बिशेष मामले के रूप में अतिरिक्त अनाज दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1981 में और जनवरी, फरवरी और मार्च, 1982 में पृथक-पृथक कितना गेहूँ और चावल दिया है और इस राज्य ने कितना गेहूं और चावल माँगा था, और यदि इतना नहीं दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को केंद्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, बाजार में ऊपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर खाद्यान्नों के आवटन किये जाते हैं । 1979 से राज्य के कई एक जिले भिन्न-भिन्न परिमाण में सूखे से प्रभावित हुए हैं । राज्य सरकार को जनवरी, 1981 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 6,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया था । राज्य में चल रही स्थिति को देखते हुए, बाद के महीनों में आवंटन में वृद्धि कर दी गई थी और नवम्बर, 1981 तक 10,000 मीटरी टन से 20,000 मीटरी टन प्रतिमास के रेंज में गेहूं का आवटन किया गया था । गेहूँ के मासिक आवंटन को बढ़ाकर दिसम्बर, 1981 में 22,000 मीटरी टन कर दिया गया था और अप्रैल, 1982 से इसे और बढ़ाकर 24,000 मीटरी टन कर दिया गया है । खाद्यान्नों का जिलावार आन्तरिक वितरण राज्य सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा 1981 और 1982 (अप्रेल तक) में केंद्रीय भण्डार से माँगी गई और उन्हें सप्लाई की गई गेहूं और चावल की मासिक मात्रा का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

राजस्थान को 1981 और 1982 (अप्रैल, 82 तक) के दौरान केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की मांग, आवंटन और उठाव को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	चावल	गेहूं मांग		चावल	गेहूं आवंटन		चावल	गेहूं उठाव	
		सा० वि० प्र०	मिलें		सा० वि० प्र०	मिलें		सा० वि० प्र०	मिलें
1981									
जनवरी	5	60	15	35	6	2	0.5	5.1	1.3
फरवरी	5	60	15	5	10	2	0.7	5.8	1.5
मार्च	5	60	15	5	20	2	1.7	16.2	2.2
अप्रैल	5	60	15	5	20	2	0.5	4.8	1.3
मई	5	60	15	5	20	2	0.4	12.1	1.5
जून	5	60	15	5	15	2	0.6	15.6	1.4
जुलाई	5	60	15	5	15	2	1.1	18.6	1.3
अगस्त	8	60	15	8	18	2	1.8	17.0	2.5
सितम्बर	5	60	15	5	20	3	1.7	13.3	1.8
अक्तूबर	5	60	15	5	20	2	0.8	13.2	1.7
नवम्बर	5	60	15	5	20	2	1.5	17.8	2.4
दिसम्बर	5	60	15	5	22	2	1.1	26.8	1.7
जोड़	63	720	180	93	206	25	12.4	166.3	20.5

1982									
जनवरी	5	60	15	5	22	2	1.2	18.5	1.1
फरवरी	5	60	15	5	22	2	1.6	21.7	1.7
मार्च	5	60	15	5	22	5	उ० न०	उ० न०	उ० न०
अप्रैल	2	60	15	2	24	2	उ० न०	उ० न०	उ० न०

सा० वि० प्रा०—सार्वजनिक वितरण प्रणाली उ० न०—उपलब्ध नहीं ।

राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को आवास स्थल

6763. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों को, राज्य-वार, 1981 तक दिए गये आवास स्थलों की संख्या का मूल्यांकन किया है ;

(ख) कमजोर वर्गों के लिए वास्तव में कितने मकान बने हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों के लिए मकान बनाने के कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकारों को आबंटित आवास स्थलों पर उनके लिए 15.50 लाख मकान/झोपड़ियाँ बनाई गई थी।

(ग) ग्रामीण भूमिहीनों को आवास-स्थल तथा निर्माण सहायता के प्रावधान को योजना का कार्यान्वयन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किया जा रहा है। प्रभाव शाली एवं समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए इसे नए 20-सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पर्याप्त बजट प्रावधान सुनिश्चित करें और आवास तथा नगर विकास निगम, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, तथा अन्य संस्थानों से उपलब्ध संसाधनों का पूरा पूरा लाभ उठाएं। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि निधियों, सामग्रियों, कार्मिकों की उपलब्धता तथा कानूनी समस्याओं के सन्दर्भ में समन्वित कार्यान्वयन एवं सतत प्रबोधन के लिए विशेष कक्ष स्थापित करें।

सहायकों की संख्या का पुनरीक्षण

6764. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विकेन्द्रीकरण के पश्चात् कृषि विभाग सहायक संवर्ग की स्थायी संख्या का उचित समय पर वार्षिक पुनरीक्षण करने में असफल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो किए गए पुनरीक्षणों की अधिसूचना की तारीख क्या है; और

(ग) क्या अधिकृत स्थायी संख्या के इन पुनरीक्षणों के परिणामस्वरूप बने अतिरिक्त पदों की अधिसूचना की तारीख से या भूतलक्षी प्रयास से उन्हें भरने पर ध्यान दिया गया है ;

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों के नियम 6 (2) के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर संवीक्षा की गई थी।

(ख) 8-4-1968
23-7-1971
27-7-1976
6-2-1979
19-10-1979

(ग) जी, हाँ ।

समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान

6765. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने विभिन्न राज्यों में कितने समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान खोले हैं;

(ख) क्या कोई मात्स्यिकी अनुसंधान उड़ीसा में भी खोला गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उड़ीसा में ये संस्थान कहाँ-कहाँ खोले गये हैं;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय ने उस संस्थान को किसी अन्य समुद्र तटीय राज्य में स्थानांतरित करने का प्रयास किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसे उड़ीसा से स्थानांतरित करने के कारण तथा इसका औचित्य क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कृषि मन्त्रालय ने केवल समुद्र मात्स्यिकी से सम्बन्धित कार्य की देख रेख के लिए केवल एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। इसका नाम केंद्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसधान संस्थान है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कार्य करता है और इसका मुख्यालय कोचीन (केरल) में हैं। केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्थान भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत है जो कोचीन में स्थित है तथा समुद्री तथा अन्तस्थलीय मत्स्यपालन दोनों के विभिन्न प्रौद्योगिकीय पहलुओं से संबंधित कार्य की देख रेख करता है।

(ख) से (ङ) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थान के दो केन्द्र हैं जो पुरी और गोपालपुर में हैं। ये केवल छोटे केन्द्र हैं जिनकी देखरेख क्षेत्र सहायक द्वारा की जाती है और जिनका काम समुद्री मछलियों को जमीन पर उतारने से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना है। बुरला स्थित केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्थान यूनिट का संबंध अन्तस्थलीय फिसिंग गीयर के विकास और ताजा जल के संसाधन विधियों से है। इन केन्द्रों को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उड़ीसा सरकार इस यूनिट को जारी रखने के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकार के अन्तर्गत खारे जल में मछली पालन से सम्बन्धित एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। यह केन्द्र केशपुर फार्म पर है।

विकास सम्बन्धी क्रिया-कलापों के संबंध में, कृषि विभाग ने पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले के इंचुरी नामक स्थान में 50 हैक्टर के एक पाइलट ब्रैकीश वाटर फीश फार्म के निर्माण के लिए 12.33 लाख रु० स्वीकृत किया है। इस फार्म का कार्य खारे जल में मछली और झींगा पालन की आर्थिक क्षमता का पता लगाना है। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस फार्म की स्थापना नहीं की है।

दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण

6766. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र में कितने अनधिकृत मकान बन रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक उनमें कितनी सीमेंट लग चुकी है और यह सीमेंट कहाँ से प्राप्त हुई है और क्या उनके पास इस सीमेंट की खरीद के लिखित प्रमाण है या यह सीमेंट रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि से चोरी किया गया है; और

(ग) क्या जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम है या बेनामी है या खरीद धनराशि कम की दिखायी गयी गई है अर्थात् क्या इसमें अद्योषित धन लगाया गया है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जल प्रदूषण निवारण

6767. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी के प्रत्याशित भरपूर उत्पादन से पर्यावरणविज्ञों के मन में शंका पैदा हो गई है कि जल प्रदूषण विशेषकर वर्षाकाल में बहुत अधिक बढ जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यदि शीरे के उचित भण्डार और निकासी के पर्याप्त उपाय नहीं किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड ने मार्च में हुई अपनी बैठक में निर्णय किया है कि शीरे के वैज्ञानिक तरीके से भण्डार के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध कराने तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा शीरे को समय पर उठाने के मामले को वाणिज्य मंत्रालय के पास भेजा जाए;

(घ) यदि हां, तो यदि कोई उपाय नहीं दिए गए तो गोआ जैसे कुछ अन्य राज्यों जैसी स्थिति उत्पन हो जायेगी; और

(ङ) इस स्थिति से बचने के लिए संबंधित प्राधिकारियों ने क्या उपाय किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयो में उप मन्त्री (श्री कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) आशा है कि वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी के प्रत्याशित भरपूर उत्पादन से पर्यावरण

सम्बन्धी कोई समस्या पैदा नहीं होगी क्योंकि चीनी फैक्ट्रियों के पास शीरे का भण्डारण करने के लिए उपयुक्त पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और मौसम के दौरान उत्पादित शीरे के एक भाग को इथिल एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए डिस्टिलिरियों को आवंटित किया जाता है।

(ग), (घ) और (ङ) केन्द्रीय बोर्ड ने 4.3.82 को हुई अपनी बैठक में अनुपयुक्त भण्डारण और शीरे के दोषपूर्ण उठान के कारण मानसून के दौरान पानी के प्रदूषण की जो सम्भावनाएं पैदा हो सकती हैं, उन पर विचार-विमर्श किया है और उन्होंने इस मामले के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारियों को पत्र लिखने का निर्णय किया है।

बारानी खेती

6768. **श्री बी० बी. देसाई : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान कर्त्ताओं ने बारानी खेती करने का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तरीका खोज निकाला है जिससे भारत के अर्ध-शुष्क उष्ण क्षेत्रों में अत्यधिक कम लागत पर फसलों का दुगना और तिगुना उत्पादन किया जा सकता है और इससे देश का खाद्यान्न उत्पादन 20 प्रतिशत तक या इससे अधिक बढ़ सकता है;

(ख) क्या नए प्रौद्योगिकी तरीके के, जिसकी आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में आजकल जांच चल रही है यह परिणाम सामने आए हैं कि इससे फसल का उत्पादन 300 से 400 प्रतिशत तक बढ़ सकता है; तथा 1200 रुपये प्रति हैक्टर के वार्षिक पूंजी निवेश से किसानों का सकल लाभ 600 प्रतिशत बढ़ जाना सम्भव है; और

(ग) यदि हां, तो इन उपलब्धियों को सरकार ने कहां तक आंका है तथा वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए शुष्क भूमि पर खेती सम्बन्धी लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान उन्नत बारानी प्रौद्योगिकी को अपनाकर फसल उत्पादन को 200 से 300 प्रतिशत तक बढ़ाना सम्भव है, इसके लिए बीज, उर्वरकों, कीटनाशियों आदि पर 400-500 रु० अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत होती है। वर्षा पर आश्रित बारानी कृषि क्षेत्रों के 15-20% क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन द्वारा प्रस्तावित खाद्य उत्पादन में 20% की वृद्धि की जा सकती है।

(ख) जी हां, श्रीमान। हैदराबाद के गाँव तादनपल्ली (मेडक जिला) में अर्ध शुष्क उष्णकटिबन्ध से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी०) द्वारा जल विभाजक के आधार पर गहरी काली मिट्टी में बड़े प्लाट में किये गये प्रदर्शनों के बारे में हमें जानकारी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी फासलवाड़ी, सुल्तान-पुर तथा मुगल गाँवों की लाल मिट्टी में प्रदर्शन कर रहा है। दोनों कार्यक्रम राज्य कृषि विभाग के सहयोग से हाथ में लिये गये हैं। इससे उपज की प्रतिशत में वृद्धि हुई तथा तादनपल्ली गाँव से सम्बन्धित किसानों ने समग्र लाभ प्राप्त किया। प्रति हैक्टर 450 रु० की अतिरिक्त लागत से लाल मिट्टी पर किये गये परीक्षण से ज्वार के दाने में 10 क्विंटल प्रति हैक्टर या मक्के की

8 क्विंटल प्रति हैक्टर अतिरिक्त उपज प्राप्त हुई। समीपवर्ती किसानों की जोतों पर इन फसलों के करीब 5.6 क्विंटल प्रति हैक्टर के मूल पैदावार से यह पैदावार काफी अधिक है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के मेडक तथा अन्य जिलों में प्राप्त पिछले वर्ष के अनुभवों के आधार पर, राज्य सरकार, कृषि विभाग करीब 200 हैक्टर के सघन प्रखण्ड पर न्यूनतम उपज गारण्टी कार्यक्रम के माध्यम से अब बारानी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिसकी राज्य के प्रत्येक कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा देख रेख की जाती है। हैदराबाद स्थित बारानी कृषि प्रायोजना उन्हें अपने फील्ड कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने में सहायता दे रही है।

अधिकतम भूमि सीमा नियम

6769. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है विभिन्न राज्यों में अधिकतम भूमि सीमा संबंधी नियमों में काफी असमानता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस असमानता को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन मार्गनिदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) 23 जुलाई, 1972 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलनमें निकाले गये निष्कर्षों पर आधारित कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा से सम्बन्धित राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे। विभिन्न राज्यों के अधिकतम सीमा कानूनों में मोटे तौर पर इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाया गया है।

(ग) मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्तम किस्म की भूमि अर्थात वह भूमि जिसमें सुनिश्चित सिंचाई हो सकती है और वर्ष में दो फसलें देने की क्षमता हो, की कृषि जोतों से सम्बन्धित अधिकतम सीमा 10 से 18 एकड़ के बीच होनी चाहिए;

(2) निम्न श्रेणी की भूमि के लिए अधिकतम सीमा अधिक होगी लेकिन किसी भी मामले में 54 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) भूमि की अधिकतम सीमा 5 सदस्यों की एक पारिवारिक इकाई के लिए लागू होनी चाहिए और जहाँ परिवार का आकार बड़ा है, प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए अतिरिक्त भूमि की अनुमति इस तरह दी जा सकती है कि उस परिवार के पास कुल क्षेत्र अधिकतम सीमा के दुगुने से अधिक न हो।

(4) भूमि की अधिकतम सीमा चाय, काफी, रबड़, छोटी इलायची तथा नारियल के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर लागू नहीं होनी चाहिए।

(5) निजी न्यासों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

(6) फालतू भूमि के वितरण में भूमिहीन कृषि श्रमिकों विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कांजीरा पूझा सिंचाई परियोजना, केरल

6770. **श्री ए० के० बालान :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांजीरा पूझा सिंचाई परियोजना (केरल, पालाघाट जिला) कब पूरी होगी ; और

(ख) कांजीरा पूझा सिंचाई परियोजना के द्वितीय चरण को शुरू करने वाली थुंपरानाड परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) माननीय सदस्य संभवत: कन्हीरा पूझा सिंचाई परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं जिसे प्रारम्भ में 1987 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी। तथापि, अब राज्य सरकार इसे 1985 तक पूरा करने की योजना बना रही है।

(ख) कन्हीरापुझा परियोजना के दूसरे चरण का राज्य सरकार द्वारा अभी भी विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सामूहिक आवास समितियाँ

6771. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कितनी सामूहिक आवास समितियाँ पंजीकृत हैं;

(ख) क्या इन समितियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि दे दी गई है;

(ग) क्या सामान्य श्रेणी की समितयों की तुलना में इन समितियों को भूमि देने में कुछ रियायतें दी जा रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इन रियायतों का स्वरूप क्या हैं;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समितियों को भूमि दी जा रही है या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसके लिए मकान बनाकर आबंटित किए जायेंगे; और

(च) क्या अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के लोगों जी समितियों को ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज में कुछ छूठ दी जाती है और यदि नहीं, तो क्या यह केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नीति के विरुद्ध नहीं है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री.भीष्म नारायण सिंह) : (क) सहकारी समिति नई दिल्ली के पजीकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई सहकारी सामूहिक आवास

समिति पंजीकृत नहीं है जिसके उप नियमों में यह व्यवस्था हो कि केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग ही इसके सदस्य बन सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सरकारी कर्मचारी सहकारी सामूहिक आवास समिति के मामले में इनमें अब तक बनाए गए सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्ग के हैं।

(ख) (घ) जी, नहीं।

(ङ.) दिल्ली विकास प्राधिकरण सामूहिक आवास समितियों को भूमि आबंटित करेगा और समितियों द्वारा स्वयं ही फ्लैटों का निर्माण करना होगा।

(च) दिल्ली कोआपरेटिव हाऊसिंग फाइनेन्स सोसाइटी लिC सामूहिक आवास समितियों को ऋण सहायता दे रही है। इस सोसाइटी ने इस वर्ष अपना पहला ऋण देना शुरू किया। उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में स्पष्ट की एई स्थिति को देखते हुए, उसके सम्मुख यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण

6772. **श्री जेवियर अराकल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नौकाएं तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण पैदा कर रही हैं, और इसके फलस्वरूप मछली विकास में क्षति होती है, और

(ख) भारत में कितनी यंत्रीकृत नौकाएं हैं और तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी से यह प्रतीत नहीं होता कि यत्रीकृत मत्स्य नावों से तटीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण होता है और इससे मीन उत्पादन में क्षति होती है।

(ख) भारत में लगभग 16,970 यत्रीकृत मत्स्यन नावें है। उपरोक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए तटीय क्षेत्रों में यंत्रीकृत नावों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने का प्रश्न नहीं होता।

हिन्दी अधिकारियों के लिये संयुक्त परीक्षा

6773. **श्री आर० पी० यादव : क्या सिचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भाग लेने वाले आयोग के मुख्य कार्यालय में तथा जी० बी० डब्ल्यू० आर० ओ० अधीनस्थ कार्यालय में हिन्दी अधिकारियों के पदों को भरने के लिए एक संयुक्त परीक्षा ली गई थी तथा एक संयुक्त चयन सूचि बनाई गई थी जिसे बाद में दो हिस्सों में कर दिया गया;

(ख) दो विभिन्न संवर्गों के लिए एक संयुक्त परीक्षा लेने तथा एक संयुक्त चयन सूची बनाने के क्या कारण हैं तथा क्या इस मामले में गृह मंत्रालय से परामर्श किया गया था; और

(ग) इस प्रकार की प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रमान अंसारी) : (क) और (ख) : चूंकि पदों की पात्रता के लिए अर्हताएं और उनके वेतनमान समान हैं और चूंकि पदों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व भी लगभग समान हैं, इसलिए केन्द्रीय जल आयोग और गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में हिन्दी अधिकारियों के दो पदों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में किए गए मूल्यांकन के आधार पर, चयन समिति ने दो पृथक सूचियां तैयार की थीं। गृह मंत्रालय के साथ परामर्श अपेक्षित नहीं था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

देश में पशु ऊर्जा

6774. **श्री चतुर्भुज** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उपलब्ध कुल पशु-ऊर्जा कुल विद्युत प्रबन्ध से उपलब्ध ऊर्जा के समान है;

(ख) क्या इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट के निदेशक के अनुसार देश की अर्थ-व्यवस्था में पशु ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा जितना ही सहयोग है; और

(ग) यदि हां, तो कुल ऊर्जा विद्युत की तुलना में कुल पशु ऊर्जा की लागत क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पशु ऊर्जा की वास्तविक लागत उपलब्ध नहीं है।

तमिलनाडु के पक्षारई में मछली पत्तन की स्थापना करना

6775. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र के विचाराधीन तमिलनाडु के तंजूर जिले में पक्षारई में जहां मछली उद्योग के विकास की बृहद: संभावनाएं और सुअवसर हैं; मछली पत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित मत्स्यन बन्दरगाह के मुख्य घटक हैं (क) तलकर्षण तथा सुधार (ख) जहाजघाट (ग) नीलामघर (ग) सहायक सुविधाएं।

मछली पकड़ने की विदेशी नौकाएं किराये पर लेने के लिये शुल्क

6776. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि मंत्री** मछली पकड़ने की विदेशी नौकाएं

किराये पर लेने के बारे में 15 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3448 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कम्पनियों, जिन्होंने नवम्बर, 1981 और जनवरी, 1982 के बीच सरकार की सहमति प्राप्त की थी को दिये जाने वाले किराये के वित्तीय आंकड़े क्या हैं ?

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक भारतीय कम्पनी द्वारा, जिन्होंने मछली पकड़ने की विदेशी नौकाएं किराये पर लेने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर ली है, भुगतान किये जाने वाले शुल्क का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सम्बन्धित विदेशी कम्पनियों द्वारा वित्त के रूप में दी गई गारन्टी क्या है;

(घ) भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रत्येक कम्पनी को पकड़ी गई मछलियां कितने प्रतिशत देना होगा तथा प्रत्येक भारतीय कम्पनी के लिए निर्धारित प्रतिशत क्या है; और

(ङ) क्या मछली पकड़ने का शुल्क विदेशी मछली पकड़ने वाली कम्पनियों द्वारा पकड़ी जाने वाली मछली के समानुपात में हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रत्येक लदान के आरम्भ होने से पूर्व विदेशी सहयोगी भारतीय कम्पनी के पक्ष में ऋण का परिक्रामी तथा पुष्टीकरण पत्र प्रस्तुत करेगा या प्रत्येक समुद्री यात्रा के लिए आनुपातिक चार्टर शुल्क को घटाने के बाद पकड़ी गयी मछली के मूल्य के लिए भारतीय कम्पनी को अग्रिम भुगतान करेगा।

(ङ) चूंकि, निर्धारित चार्टर शुल्क या पकड़ी गयी मछली के मूल्य का कुछ प्रतिशत जो भी कम हो चार्टर किराये के रूप में देय होता है अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि चार्टर शुल्क पकड़ी जाने वाली मछली के समानुपात में है।

विवरण

भारतीय कम्पनी का नाम	चार्टर शुल्क/वित्तीय व्यवस्थायें/चार्टर मामलों में पकड़ी गयी मछली का प्रतिशत भाग
1. मेट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई	प्रति जलयान प्रति वर्ष अमरीकी डालर 525,000 या पकड़ी गयी मछली के कुल बिक्री मूल्य का 85 प्रतिशत जो भी कम हो।
2. ट्रोपपीकल शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टनम	प्रति जलयान प्रतिवर्ष अमरीकी डालर 300,000 या पकड़ी गयी मछली के कुल बिक्री मूल्य का 85 प्रतिशत जो भी कम हो।
3. बौटलग्लास कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	प्रति जलयान प्रतिवर्ष अमरीकी डालर 300,000 या पकड़ी गयी मछली के कुल बिक्री मूल्य का 85 प्रतिशत जो भी कम हो।

4. वरुण मैरिन प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।	प्रति जलयान प्रतिवर्ष अमरीकी डालर 505,000 या पकड़ी गयी मछली के कुल बिक्री मूल्य का 85 प्रतिशत जो भी कम हो।

सिंचाई मंत्रालय में अधिकारियों का तबादला

6777. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय में 15 से 20 वर्षों से कई अनुयाग अधिकारी और अवर सचिव काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जल आयोग सिंचाई मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है और यह इन पदों के लिए संयुक्त संवर्ग में आता है;

(ग) क्या अधिकारियों को मत्रालय से केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल आयोग को मंत्रालय में भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रमान अंसारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग में, जो सिंचाई मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा, जिसमें अनुभाग अधिकारी का पद भी शामिल है परन्तु अवर सचिव का पद शामिल नहीं है, की तीन विकेन्द्रीकृत सेवाओं का एक संयुक्त संवर्ग है।

(ग) और (घ) : मंत्रालय से केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल आयोग से मंत्रालय में पहले स्थानान्तरण होते रहे हैं, परन्तु इस समय इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है :

कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत आँकड़े प्रस्तुत करना

6778. **श्री बनाबारी लाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत पार्टियों द्वारा अनुबन्ध-तीन के अनुसार आँकड़े फरवरी, 1980 से पूर्व प्रस्तुत किये जाने थे;

(ख) क्या वीटावेक्स 750; डब्ल्यू प्रतिशत पी० कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है और पजीकृत पार्टियों ने निर्धारित आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं अथवा पंजीकरण पत्र में दी गयी शर्तें पूरी कर ली हैं और

(ग) यदि नहीं, तो विटावैक्स (कारबोक्विं) के फैलने के कारण गुरदे का कार्य रुक जाने के कारण कनाडा में किसानों की हुई मृत्यु को ध्यान में रखते हुए उक्त पंजीकरणों को रद्द न किये जाने के क्या कारण है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रोलयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वायीथानन) : (क) और (ख) : कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत सभी पजीकृत होने वालों को 28-2-1981 तक सुरक्षा और क्षमता के विभिन्न पहलुओं विषयक पूरे आंकड़े प्रस्तुत करने थे। तथापि,

अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित पंजीयन समिति ने, इन उत्पादों का जिनके बारे में अभी तक अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं, पंजीकरण समाप्त करने के लिए चयनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय किया है। जो फर्म वीटावैक्स 75 प्रतिशत डबल्यू पी के लिए पंजीकृत की गई थी, उन्होंने भी अपेक्षित पूरे आँकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं।

विकलांग कर्मचारियों को बिना पारी सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

6779. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के टूटी हड्डी वाले विकलाँग कर्मचारियों को सवारी भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनको दिल्ली में बिना पारी क्वार्टर आवंटित करने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार के विकलांक कर्मचारियों को बिना पारी के क्वार्टर आवंटित करने के लिए सरकार का क्या विशेष व्यवस्था करने का बिचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ऊपरी और निचले अंगों में 40 प्रतिशत स्थाई आंशिक अपंगता या ऊपरी तथा निचले दोनों ही अंगों में साथ-साथ 50 प्रतिशत तक स्थाई आंशिक अपगता वाले शारीरिक रूप से विकलांग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सवारी भत्ता लेने के पात्र हैं।

(ख) शारीरिकरूप से विकलाँक/अंगहीन पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिल में सामान्य पूल रिहायशी वास से बिना बारी के आवंटन किया जाता है बशर्ते कि अपंगता की प्रकृति और सीमा ऐसे आवंटन को उचित ठहराती हो। प्रत्येक मामले पर गुणावगुणके आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न हीं नहीं उठता।

पेय जल

6780. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम आँकड़ों में दर्शाया गया है कि देश में 1 अप्रैल 1980 को 2.31 लांख गाँव ऐसे थे, जिन्हें प्राथमिकता आधार पर पेय जल सुविधा की आवश्यकता थी;

(ख) यदि हाँ, तो अगले तीन वर्षों में भारत सरकार का इस कार्य को "स्टाक फोर्स बेसिस" पर किस प्रकार शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में ड्रिलिंग रिगें हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई ड्रिलिंग रिगों के राज्यवार आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समस्याग्रस्त ग्रामों की जलपूर्ति को नये बीस सूत्री कार्यक्रम में शासित किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चुने गये सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को वर्षभर पानी रहने वाला कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराकर जल मुहैया कराने के प्रयत्न किये जायेंगे। छठी योजना में इस प्रयोजनार्थ 2007.11 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) में है जिसको कि केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 600.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से बढ़ाया जायेगा। 2007.11 करोड़ रुपये का यह परिव्यय पांचवी योजना (1974-79) में दिये गये 429.27 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में काफी अधिक है। पेय जल पूर्ति राज्य का विषय होने के कारण योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जानी हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 14 मार्च, 1982 को हुई अपनी बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने का अपना निश्चय अभिव्यक्त किया है।

(ग) तथा (घ) : चूंकि पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है इसलिए रिगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा ही प्राप्त किया जाना है। जहां भी आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता करती है। उदाहरण के लिए सख्त चट्टानी क्षेत्रों में लगाने के लिए परिष्कृत ड्रिलिंग रिग यूनिसेफ के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।

पी० ए० डी० आई० द्वारा अवार्ड (ए० बी० ए० आर० डी०) को भुगतान की गई धनराशि

6781. **श्री बी० आर० नाहटा :**

श्री बाबूलाल सोलंकी : क्या **ग्रामीण आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० ए० डी० आई० ने अपने सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए अवार्ड को कितनी धनराशि का भुगतान किया तथा क्या इसने इस बारे में कोई वार्षिक प्रतिवेदन दिया और क्या लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कोई आपत्ति थी;

(ख) आवर्ड की कितनी परियोजनायें अधूरी है; और

(ग) क्या पी० ए० डी० आई० ने अवार्ड से सम्बन्धित परियोजनओं को कोई नोटिस दिया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा निर्माण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) : गृह मंत्रालय द्वारा उनकी अधिसूचना सं० एस. ओ-85 (ई) दिनांक 17-2-1982 के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के संघ (अवार्ड) की, अन्य बातों के साथ-साथ, गतिविधियों आदि की जांच करने के लिए गठित जांच आयोग के बारे में सम्बन्धित अभिलेख

मांगा गया है तथा यह इस समय उपलब्ध नहीं है ; अभिलेख के प्राप्त होते ही सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मेडिकल आधार पर सरकारी आवास का आवंटन

6782. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल आधार पर टाईप सी और डी आवासों में बदलने के लिए कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं और संसद सदस्यों द्वारा ऐसे कितने मामलों की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) अप्रैल, 1981 के बाद से, माहवार, प्रार्थनापत्र और संदर्भ कब प्राप्त हुए तथा कब उनकी प्राप्ति भेजी गई; और

(ग) ऐसे प्रार्थनापत्रों/संदर्भों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

महीना	प्राप्त आवेदनों और भेजी गई पावतियों की संख्या	
	टाइप सी	टाइप डी
अप्रैल, 1981	6	शून्य
मई, 1981	4	1
जून, 1981	2	शून्य
जुलाई, 1981	5	शून्य
अगस्त, 1981	14	शून्य
सितम्बर, 1981	4	1
अक्तूबर, 1981	16	1
नवम्बर, 1981	2	शून्य
दिसम्बर, 1981	9	2
जनवरी, 1982	9	शून्य
फरवरी, 1982	6	1
योग	77	6

(ग) 28 फरवरी, 1982 को केवल 13 मामले निलम्बित पड़े हुए थे।

आर० के० पूरम क्वार्टरो के पिछवाड़े में पेड़ो की कांट छांट

6783. **डा० ए० यू० आजगो** : क्या **निर्माण और आवस मंत्री** राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली

में क्वार्टरों में पिछवाड़े में उगाए गए पेड़ों के बारे में 30 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीने की अवधि के दौरान क्वार्टरों के पिछवाड़े कितने पेड़ों की काट-छांट हुई/काटे गए तथा कितने अनुरोध प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : उद्यान निदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पिछले छः महीने के दौरान पेड़ों की काट-छांट/काटने के 25 अनुरोध प्राप्त किए थे। 5 मामलों में अनुरोध को प्रामाणिक नहीं पाया गया था तथा तदनुसार उद्यान निदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवेदकों को सूचित कर दिया गया था। शेष 20 मामलों में आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार पेड़ों की काट-छांट कर दी गई थी।

छोटा नागपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

6784. **श्री ए० के० राय** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्यतः छोटा नागपुर में और विशेषकर धनबाद में राहत सपाय के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में "काम के बदले अनाज" अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार कार्यक्रम के लिए कितनीनकद धनराशि और गेहूं खर्च किया गया, विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि छोटा नागपुर के पहाड़ी जंगली क्षेत्र में सूखे के कारण लगभग अकाल की स्थिति विद्यमान है और भूखों मर रहे आदिवासी समूह बनाकर शहरों की ओर जा रहे हैं और खाद्यान्नों के अभाव के कारण गांवों में कोई राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाच गए है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और समा रटल पर रख दी जाएगी।

पहले से अधिगृहीत वैस्टड कृषि भूमि के वितरण के माध्यम से लाभार्थी

6785. **श्री शुकुन्द मंडल** : क्या **ग्रामीण तिकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में 30 जून, 1981 तक कुल 12,84,856 लाभार्थियों ने पहले से अधिग्रहीत कृषि भूमि प्राप्त की है; और

(ख) इस भूमि के वितरण के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कहां तक लाभ मिला है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 तथा पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 दोनों दोनों के अन्तर्गत राज्य में निहित भूमि का आवंटन 30-6-1981 तक कुल 12,84,856 परिवारों को किया गया था।

(ख) 4,81,155 लाभभोगी अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखते हैं तथा 2,46,340 लाभभोगी अनुसूचित जनजातियों के है ।

काली मिट्टी के लिए नई प्राद्योगिकी

6786. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद रिसर्च इंस्टिट्यूट ने कहा कि काली मिट्टी के लिए नई प्रौद्योगिकी द्वारा खाद्यान्न पैदावार में वृहत् वृद्धि करके विशाल लाभ होने की संभावना है;

(ख) क्या नई काली मिट्टी प्रौद्योगिकी से अधिक रोजगार, कृषि पशुओं के उपयोग और भूमि क्षरण में कमी की संभावना है; और

(ग) सरकार का नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमान् । क्षेत्र परीक्षणों से पता चला है कि सामान्य अच्छी जल निकास वाली गहरी काली किट्टियों पर उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपना कर ज्वार, कपास और गेहूँ का उत्पादन 50 से 100 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है । नई प्रौद्योगिकी में ये बातें शामिल हैं । (i) पानी के बहाव और भूमि कटाव को कम करने और उन्नत सतह जल निकास की व्यवस्था के लिए भूमि प्रबन्ध प्रक्रिया, (ii) सस्य पद्धति और फसल प्रबन्ध प्रक्रिया जो वर्षा और वर्षा के बाद वाले मौसम के दौरान नमी का कारगर ढंग से उपयोग करती है और पौधों के ठहराव को सुनिश्चित करती है, (iii) बीज के उचित क्यारियों की तैयारी, बुआई, उर्वरक प्रयोग के लिए औजारों को अपनाना (iv) पौध संरक्षण तकनीकों का उपयोग और (v) फसल को बचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था हेतु पानी के बहाव का पुनरावर्तन ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् । इंदौर की गहरी काली मिट्टियों पर भारत-ब्रिटेन बारानी कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत करीब 2000 हैक्टर क्षेत्र पर किए गए अध्ययनों से मालूम हुआ है कि मानव श्रम और बैल की शक्ति के उपयोग में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त 1974-75 और 1978-79 के दौरान उपर्युक्त उन्नत प्रौद्योगिकी के अपनाने से करीब 24,000 मानव-दिवस और करीब 6,000 एक जोड़े बैल-दिवस का सृजन किया गया । उन्नत भूमि और वर्षा-जल की प्रबन्ध प्रक्रियाओं को अपनाने से भूमि का कटाव कम हो गया ।

(ग) कृषि मंत्रालय (भारत सरकार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबन्ध से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई. सी. आर. आई. एस. ए. टी.) ने मई, 1981 में भारत की गहरी काली मिट्टियों के प्रबन्ध को सुधारने के लिए एक सेमीनार का आयोजन किया था । इस वर्कशाप में इन मिट्टियों पर कृषि उत्पादन को स्थिर बनाने के लिए काली पट्टियों की कारगर व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार किया गया है । तदनुसार, अनुसंधान कार्यक्रमों को उपयुक्त ढंग से सुदृढ़ किया जा रहा है ।

(II) 'वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में जल संरक्षण/कटाई प्राद्योगिकी का फैलाव' शीर्षक की एक प्रायोजना भी कृषि विभाग द्वारा विचाराधीन है । इस कार्यक्रम में, उन बारानी क्षेत्रों को

लिया जायेगा जो परम्परागत सिंचाई प्रायोजनाओं से बाहर हैं और मध्यम वर्षा और नमी की कमी वाले अंचलों में स्थित है और जहां बार-बार सूखा पड़ता है। चूंकि काली मिट्टियों में वर्षा जल के प्रबन्ध की समस्या बहुत नाजुक है, इसलिए बारानी क्षेत्रों में काली मिट्टियों पर उत्पादन को स्थिर बनाने में यह कार्यक्रम सहायक होगा।

(III) बारानी कृषि से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत विशेषरूप से काली मिट्टियों के लिए स्थापित किए गए 8 केन्द्रों अर्थात्—बेल्लरी, बीजापुर सोलापुर, उदयपुर, अकोला, कोविलपट्टी, इंदौर और रीवा में किए जा रहे अनुसंधान कार्य में प्रगति जारी है। विशिष्ट काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में क्षेत्र प्रदर्शन भी किया जा रहा है।

(IV) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ए० पी० सेस फन्ड योजना के अन्तर्गत काली मिट्टियों में कार्यान्वयन के लिए कुछ अतिरिक्त प्रचालन अनुसंधान प्रयोजनाएं विकसित की गई हैं।

(V) राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत, काली मिट्टियों के प्रबन्ध से सम्बन्धित प्रमाणित प्रौद्योगिकी का देश के विभिन्न भागों में प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कृषि विश्व-विद्यालयों के सम्बन्धित विस्तार विभाग और राज्य के कृषि विभाग भी देश के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन को स्थिर बनाने के लिए प्रमाणित फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु कार्यक्रम को हाथ में ले रहे हैं।

मध्य प्रदेश में गाँवों को मुख्य सड़कों को जोड़ने के लिए धन का आवंटन

6787. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गांवों को मुख्य सड़कों से जोडने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या इस योजना में इटावा और फरूखाबाद जैसे अविकसित जिलों को भी शामिल किया गया है;

(ग) इस क्षेत्र में ऐसे कुल कितने गांव हैं जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में जोड़ने के लिए प्रावधान रखा गया है;

(घ) क्या इटावा जिले के महू, रामनगर, दुबाहा जैसे गांवों को भी इस सूची में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों हेतु उत्तर प्रदेश के लिए 315 करोड़ रुपये तथा मध्य प्रदेश के लिए 30 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया है।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का ग्रामीण सड़क चटक इटावा तथा फरुखाबाद जिलों सहित सभी जिलों में लागू है।

(ग), (घ) व (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, छठी योजना अवधि

के दौरान ईटावा जिले के 17 गांवों तथा फरुखाबाद जिले के गांवों, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 1000 से अधिक है, को अब तक ग्रामीण सड़कों रे जोड़ा जाने की प्रस्ताव किया गया है। बेला को महू (डुवाहा डेरिया सहित) से जोड़ने वाली सड़क के 3 किलोमीटर के भाग पर निर्माण कार्य पहले ही चल रहा है। 1971 की जनगणना के अनुसार, रामनगर (महू) की जनसंख्या 633 सूचित की गई है और इसलिए इसे छठी योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए प्रतिमान के अनुसार सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े जाने के लिए अग्रता दिए जाने की संभावना नहीं है।

देश के लिए पानी की सप्लाई योजना

6788. **श्री एम० बी० चन्द्र शेखर मूर्ति : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार देश के लिए एक पानी सप्लाई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस वर्षीय जल योजना पर पहले ही निर्णय किया जा चुका है;

(ग) इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या होंगी; और

(घ) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भिष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता दशक के सन्दर्भ में।

(ख) पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता पर एक राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार करने के प्रश्न पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मार्च 1981 में जारी किए गए मार्ग निर्देशनों के अनुसार बनाये जाने वाले राज्य दशक बृहत योजना दस्तावेज के प्राप्त हो जाने पर ही विचार किया जायेगा।

(ग) तथा (घ) इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रमुख वितरण केन्द्र के रूप में दिल्ली

6789. **श्री एच० के० एल० भगत : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली एक प्रमुख वितरण व्यापार केन्द्र है; और

(ख) सरकार का विचार दिल्ली के इस स्वरूप की सुरक्षा तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली की स्थिति को एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के रूप में सुरक्षित रखने तथा इसे मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में परिवहन, संचार तथा बैंकिंग जैसी बिभिन्न आधार ढाँचे की सुविधाओं का विस्तार करना, नये बाजारों की स्थापना

करना और दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत और बाजारों का विनियमन करना शामिल हैं। इस बात को रोकने के लिए कि व्यापार दिल्ली से हट कर अन्य स्थानों पर न चला जाए, दिल्ली के बाहर भेजे जाने वाले माल पर प्रथम स्थान का स्थानीय बिक्री कर नहीं लगाया जाता है। दिल्ली में स्थिति छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को सहायता दी जा रही है और दिल्ली से निर्यात को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खुले गोदामों में बिल्डिंग कार्य में भारतीय खाद्य निगम को हानि

6790. **श्री सूरज भान :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले गोदामों में बिल्डिंग कार्य में भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों में कितनी हानि हुई है;

(ख) हानि के क्या कारण है; और

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहाँ अन्य स्थानों की तुलना में हानि अधिक हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) खुले भण्डारण के परिचालन को बन्द करने के कारण हानि के अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसका रिकार्ड नहीं रखा जाता है। खुले (कैप) भण्डारण में हानि सामान्यतया कीट आक्रमण, तौल के विभिन्न तरीकों, अनाज के सूख जाने और वर्षा के पानी से स्टाक को क्षति पहुँचने आदि के कारण होती है।

दक्षिण कन्नड जिले के तट पर चल रही मत्स्य नौकाएं

6791. **श्री ओस्कर फर्नांडीज :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगेकि:

(क) दक्षिण कन्नड़ जिले के तट पर कितनी यंत्रीकृत एवं देशी मत्स्य नौकाएं चल रही हैं,

(ख) क्या उनके लिए पर्याप्त पत्तन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का मात्स्यिकी को प्रोत्साहन देने के लिए इस कठिनाई को किस प्रकार दूर करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) दक्षिण कन्नड़ जिले के तट पर लगभग 1300 यंत्रीकृत मछली पकड़ने की नौकाएं और लगभग 3600 देशी मछली पकड़ने के जलयान कार्य कर रहे हैं।

(ख) मंगलौर का पुराना बन्दरगाह, मूलकी, गंगोली, माल्पे पत्तन पर मछली पकड़ने की छोटी नौकाओं के परिचालन के लिए सुविधाएं उपउब्ध हैं। फिर भी इन सुविधाओं के अपर्याप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) माल्पे में हर मौसम में कार्य करने वाला मत्स्यन बन्दरगाह पूरा होने को है। वर्ष 1978 में सरकार ने मंगलौर में एक अन्य मत्स्यन बन्दरगाह की स्वीकृति दी है। इन दो बन्दरगाहों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने माप उतारने की सुएिधाओं की व्यवस्था करने के लिए तीन नये स्थान छाँटे हैं।

विदेशी मुद्रा का देश में आना

6892. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराये पर ली गई प्रत्येक विदेशी मत्स्य नौका से प्रतिवर्ष देश में आने वाली अनुमानत: विदेशी मुद्रा का वित्तीय संदर्भ में, पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1982 में भारत को प्राप्त होने वाली किराये की मत्स्य नौकाओं की संख्या और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष के दौरान 100 विदेशी मत्स्यन जलयानों को वार्टर के आधार पर लेने का प्रस्ताव है।

विवरण

वार्टर किए गए जलयानों में भारतीय कम्पनियों के लिए सम्भावित विदेशी मुद्रा को दर्शाने वाला विवरण

1. मेट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी बम्बई।	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
2. ट्रोपिकल शिपिंग कम्पनी प्रा० लि० विशाखापट्टनम।	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
3. केरल फिशरीज कारपोरशन लि० कोचीन	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 11 प्रतिशत।
4. आन्ध्र प्रदेश फिशरीज कारपोरेशन लि० विशाखापट्टनम।	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत
5. विजाग बाटलिंग कम्पनी प्रा० लि० विशाखापट्टनम	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
6. बाटल ग्लास प्रा० लि० नई दिल्ली।	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
7. अरुणा मेरीन प्रोडक्टस, प्रा० लि० नई दिल्ली।	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत।

भारतीय खाद्य निगम को अनुदान और उसकी हानियां

6793. **श्री नवीन रवाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को कोई अनुदान दिया जाता है; यदि हाँ, तो गत 3 वर्षों के दौरान उसे कुल कितना अनुदान दिया गया;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुएं क्या हैं गत प्रत्येक 3 वर्षों के दौरान खाद्य वस्तु की खरीद दर क्या थी और इन खाद्य वस्तुओं को व्यापारियों को किस दर पर बेचा गया तथा जनता को किस दर पर उपलब्ध कराया गया;

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों में क्षति के कारण कितनी हानि हुई; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम को गत 3 वर्षों के दौरान कुल कितना लाभ या हानि हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) निगम केन्द्रीय भण्डार के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वसूली मूल्यों पर खाद्यान्नों अर्थात् गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की खरीदारी करता है और उसे सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए निर्गम मूल्यों पर सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी करता है। दो वितरण संलग्न हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों के समर्थन/वसूली और केन्द्रीय निर्गम मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को देने के लिए खाद्यान्नों के खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की क्षति और बर्बादी के कारण हुई कुल हानि इस प्रकार थी :—

वर्ष	रुपये/करोड़
1978-79	9.10
1970-80	4.79
1980-81	4.40

(घ) भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार की ओर से लागत के आधार पर अपने प्रमुख कार्य करता है। वसूली, भण्डारण और वितरण परिचालनों की इकनामिक लागत और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्गम मूल्यों पर आधारित मूल्यन के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति निगम को की जाती है। तथापि, निगम राज्य सरकारों की तरफ से खाद्यान्नों की कुछ वाणिज्यिक खरीदारी और बिक्री भी करता है और उसके कुछेक विधायक यूनिट भी हैं जिनको वह वाणिज्यिक आधार पर चलता है। निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने वाणिज्यिक/राज्य परिचालकों द्वारा कमाये गये लाभ (कर से पूर्व) का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1978-79	1.63
1979.80	0.78
1980-81	0.47

विवरण

केन्द्रीय पूल के लिए 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान धान, चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के समर्थन/वसूली मूल्यों को बताने वाला विवरण ।

(रु० क्विंटल)

खाद्यान्न	1989-80	1980-81	1981-82
धान			
साधारण	95,00	105.00	115.00
साधारण	99.00	109.00	119.00
बहुत बढ़िया	103.00	113.00	123.00
चावल			
साधारण	149.50 से 159.50 तक	164.50 से 175.25 तक	176.00 से 194.70 तक
बढ़िया	155.50 से 170.75 तक	170.25 से 187.25 तक	182.50 से 207.15 तक
बहुत बढ़िया	162.50 से 180·00 तक	177.50 से 195.20 तक	188.50 से 215.35 तक
गेहूं	115.00	117.00	130 00
मोटे अनाज	95.00	105.00	116.00

विवरण

1979-80, 1980-81 और 1981-82 के लिए खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य विवरण

(रु०/क्विंटल)

खाद्यान्न	कच्चा	1979 25.10.79 से सेला	1981 1.1.81 से	1981 1.10.81 से
1. चावल				
साधारण	150.00	152.00	165.00	175.00
बढ़िया	162.00	164.00	177.00	387.00
बहुत बढ़िया	172.00	174.00	192.00	202.00
2. मोटे अनाज				
मक्का		96.00	106.00	117.00
बाजार		96.00	106·00	117.00

ज्वार	96.00	106.00	117.00
रागी	96.00	106.00	117.00
3. गेहूं	1978	1981	
	1.12.78 से	1.4.81	
	130.00	145.00	
	सा० वि० प्र० और मिलों के लिए	155.00 (सा० वि० प्र० के लिए) (मिलें)	

सा० वि० प्र०-सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिलें-रोलर फ्लोर मिलें

राष्ट्रीय पशु प्रजनन केन्द्र के लिए कन्या कुमारी जिले में संभावना

6794. **श्री एन० डैनिस** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पशु प्रजनन केण्द्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के कन्या कुमारी जिले में संभावना का पता लगाया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ख) कन्याकुमारी जिले में एक राष्ट्रीय पशु प्रजनन केन्द्र को विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कन्याकुमारी जिले सहित तमिलनाडु राज्य के लिए हिमित वीर्य प्रोद्योगिकी के प्रयोग/भैंस सुधार के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना स्वीकृति की गई है। यह परियोजना राज्य सरकार को हिमित वीर्य उत्पादन, भण्डारण और क्षेत्र कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को इसकी वितरण व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय डेरी विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त तमिलनाडु डेरी विकास निगम

6795. **श्री एन० डैनिस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम ने मद्रास शहर में दूध के अनेक बूथ चलाने के लिए तमिलनाडु डेयरी विकास निगम को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि सप्लाई किए गए दूध को काला बाजार में न बेचा जाए और उसमें मिलावट न हो ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) भारतीय डेरी निगम तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को वित्तीय सहायता दे रही है ताकि वह मद्रास शहर में दुग्ध वितरण हेतु दुग्ध देने वाले बूथों की स्थापना कर सके। इस समय

तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा 21 बूथ चलाए जा रहे हैं तथा 4 निर्माणाधीन हैं। आपरेशन फ्लड.2 कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 बूथ बनाने का विचार है।

(ग) यह जिम्मेदारी तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की है, जो कि इन बूथों से किए जाने वाले दुग्ध वितरण पर सतर्कता दल तथा विपणन स्टाफ के जरिए लगातार निगरानी रखता है। कदाचार के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

नारियल बागान का विस्तार

6796. **श्री एन. डेंनिस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन कलेंडर वर्षों के दौरान इस देश में नारियल बागान विस्तारों का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : गत तीन उत्पादन वर्षों के दौरान नारियल के बागान विस्तार का राज्यवार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(क्षेत्र हजार हैक्टर में)

राज्य	1978-79	1979-80	1980-84
आंध्र प्रदेश	39·8	41.3	43.4
असम	5.1	5.4	5.4
कर्नाटक	163.9	168.0	170.7
केरल	660·9	664.5	666.2
महाराष्ट्र	9.1	10.2	10.2
उड़ीसा	16.7	20.7	22.5
तमिलनाडु	109.5	115.3	116.0
त्रिपुरा	1.1	1.1	1.1
पश्चिम बंगाल	6.7	6.7	3.3
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	19.4	19.5	20.7
गोवा, दमन और दीव	18.7	18.7	18.7
लक्ष द्वीप	2.8	2.8	2 8
पाण्डिचेरी	1.6	1.6	1.6
अखिल भारत	1055.0	1075.8	1081.6

अधिसूचित क्षेत्र समितियों का कार्यकरण

6797. **प्रो. नारायण चंद पराशर** : क्या निर्माण और आवास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र समितियों के कार्यकरण के लिये एक आदर्श कानून बनाने की आवश्यकता की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में किस प्रकार का आदर्श कानून बनाने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन समितियों के सक्षम कार्यकरण हेतु सरकार क्या कदम शुरू कर रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) स्थानीय शासन राज्य का विषय है और अधिसूचित क्षेत्र समितियों के कार्यकरण के लिए कानून सम्बन्धित राज्य सरकारों को बनाने होते हैं। तथापि, एक आदर्श अधिनियम पहले ही राज्य सरकारों को विचारार्थ एवं अपनाने के लिए भेज दिया गया है।

(ग) भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित एक समान नियमों तथा विनियमनों को लागू करने की सम्भावना सहित शहरी स्थानीय निकायों की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा नगर निगमों के संविधान, शक्तियों और नियमों पर एक अध्ययन दल का गठन किया है। अभी इस दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मालिकों के पट्टे रद्द करना

6798. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले मालिक द्वारा दशकों पूर्व अधिभोक्ता-दुरुपयोगजक को वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग की अनुमति दिए जाने के बावजूद भी दिल्ली बिकास प्राधिकरण वर्तमान मालिकों के पट्टे रद्द करता है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, उन वर्तमान मालिकों के पट्टे भी रद्द करता है जिन्होंने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 (ट) के अन्तर्गत अधिभोक्ता-दुरुपयोजक के विरुद्ध मुकदमा दायर किया हुआ है वह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टे रद्द करने के मामले में एक समान नीति का पालन करे और अधिभोक्ता-दुरुपयोजक द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग के लिए मकान मालिक का पट्टा बार-बार रद्द न करना पड़े ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वे ऐसे मामलों में मूकदमें में काफी समय समाप्त हो जाने के बाद ही तथा पट्टाधारी द्वारा दुरुपयोग को समाप्त कराने अथवा वर्तमान पद्धति के अनुसार "दुरुपयोग" हेतु लगाए गए दुरुपयोग जुर्माने को अदा करने में असफल होने पर ही पट्टा निरस्त करते हैं।

(ग) जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है दिल्ली विकास प्राधिकरण के पट्टे निरस्त

करने, जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जब तक कि पट्टाधारी दुरुपयोग को समाप्त नहीं कराता। उचित मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण उसे दुरुपयोग समाप्त कराने के लिए उचित समय की अनुमति देने पर विचार कर सकता है बशर्ते पट्टाधारी दुरुपयोग हेतु लगाए गए जुर्माने को अदा कर देता है।

(क) डी० डी० ए० में ऐसे कितने मामले हैं जहाँ पूर्व मालिक ने स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण कब्जाधार दुरुपयोगकर्ता को वाणिज्यिक प्रयोग की मंजूरी दी और जो पहले के और वर्तमान मालिक से मुकद्दमेबाजी के बावजूद दिल्ली की पहली बृहद्योजना लागू होने के पूर्व से अब तक वाणिज्यिक दुरुपयोग करता आ रहा है;

आवासीय अहातों का वाणिज्यिक प्रयोग

6799. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० ए० में ऐसे कितने मामले हैं जहाँ पूर्व मालिक ने स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण कब्जाधार दुरुपयोगकर्ता को वाणिज्यिक प्रयोग की की मंजूरी दी और जो पहले के और वर्तमान मालिक से मुकद्दमेबाजी के बावजूद दिल्ली की पहली बृहद्योजना लागू होने के पूर्व से अब तक वाणिज्यिक दुरुपयोग करता आ रहा है;

(ख) क्या ऐसे मामलों में डी० डी० ए० वाणिज्यिक दुरुपयोग के लिए वर्तमान मालिक, जिसने न स्वयं ऐसा किया और न दुरुपयोग किया, उसे दण्डित करता है और पट्टे को रद्द करता है जबकि डी० डी० ए० ने कब्जाधारी दुरुपयोग कर्ता के विरुद्ध दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की; और

(ग) यदि हाँ तो ऐसे दशकों पुराने मामलों को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार ऐसे अधिकांश मामलों में उन्हें यह पता नहीं है कि क्या पट्टाधारी ने स्वय ही अज्ञानवश अथवा जानबूझ कर दिल्ली की वृहद योजना के लागू होने से पहले दुरुपयोगकर्ता कब्जेदार को वाणिज्यिक दुरुपयोग की अनुमति दी। यहाँ तक कि ऐसे मामलों में भी जहाँ पहले अथवा वर्तमान स्वामी के साथ वाद है।

(ख) पट्टाविलेख की शर्तों के अनुसार पट्टाधारी पट्टाकर्ता की लिखित अनुमति के बिना रिहायशी एकक का उपयोग अथवा उपयोग की अनुमति गैर रिहायशी प्रयोजन के लिए नहीं दे सकता है। अत: दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टाधारी से दुरुपयोग जुर्माना वसूल करता है तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाणिज्यिक दुरुपयोग के लिए पट्टे को निरस्त करता है।

(ग) यदि क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना में निर्धारित भू उपयोग स्वरूप द्वारा वाणि-

ज्यिक उपयोग अनुमेय होता है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण इसके नियमितीकरण पर वाणिज्यिक प्रभार अदा कर देने के बाद विचार करता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय जल सप्लाई और सफाई दशाब्दी

6800. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1981 को शुरू की गई अन्तर्राष्ट्रीय जल सप्लाई और सफाई दशाब्दी के दौरान प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और राज्यों को, राज्यवार, कितना आवंटन किया गया है;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम से प्राप्त हुए परिणाम का ब्यौरा क्या है और अब तक कौन से क्षेत्र राज्यवार लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इस बारे में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता दशक (1-4-1981 से 31-3-91 तक) के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की सिफारिश की गई है :—

(1) नगर जल पूर्ति	मार्च, 1991 तक लाभान्वित की जाने वाली जनसंख्या का शतप्रतिशत,
(2) ग्रामीण जल पूर्ति	मार्च, 1991 तक लाभान्वित की जाने वाली जनसंख्या का शतप्रतिशत,
(3) नगर मल-निर्यास एवं स्वच्छता	प्रथम श्रेणी के शहरों के बारे में लाभान्वित की जाने वाली जनसंख्या का शतप्रतिशत और द्वितीय श्रेणी एवं अन्य शहरों के बारे में 50 प्रतिशत मल निर्यास के जरिए या मल-व्ययन के साधारण सफाई प्रणाली के जरिए प्रत्येक राज्य में कुल कवरेज शहरी जनसंख्या का 80 प्रतिशत होना चाहिए ।
(4) ग्रामीण स्वच्छता	स्वच्छ शौचालयों सहित लाभान्वित की जाने वाली जनसंख्या का 25 प्रतिशत ।

इस समय, छठी योजना के दौरान नियतन करने का निर्णय ले लिया गया । पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में 1030 करोड़ रुपये की तुलना में जलपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र में 3900 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । छठी योजना (1980-85) के लिए राज्यवार परिव्यय विवरण संलग्न है ।

(ख) 1981-82 के दौरान प्राप्त हुए परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

(ग) क्योंकि पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता राज्य का विषय है । इसलिए इस दशक के

लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता को राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में लाया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय संसधानों का मूल्यांकन कर दिया गया है और 1980 के मूल्यों के आधार पर यह लगभग 15,000 करोड़ रुपये आँका गया है। इस समय, छठी योजना के दौरान नियतन करने का निर्णय ले लिया गया है। सातवीं योजना और आठवीं योजना के प्रथम वर्ष में अतिरिक्त नियतनों पर उपर्युक्त समय पर विचार किया जाएगा। दशक के लिए सामग्री और उपस्कर की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया है।

विवरण

जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र-परिव्यय

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	1980-85 के लिए परिव्यय
1. आन्ध्र प्रदेश	20300 00
2. असम	4655.00
3. बिहार	10014.00
4. गुजरात	15075.00
5. हरियाणा	10750.00
6. हिमाचल प्रदेश	5000.00
7. जम्मू तथा कश्मीर	9800.00
8. कर्नाटक	13200 00
9. केरल	9050.00
10. मध्य प्रदेश	14650.00
11. महाराष्ट्र	65400.00
12. मणिपुर	2735.00
13. मेघालय	4439.00
14. नागालैण्ड	1675.00
15. उड़ीसा	4500.00
16. पंजाब	13794.00
17. राजस्थान	19829.00
18. सिक्किम	950.00
19. तमिलनाडु	49575.00
20. त्रिपुरा	1727.00
21. उत्तर प्रदेश	24947.00
22. पश्चिम बंगाल	10300.00
23- अण्डमान तथा निकोबार	500.00

24. अरुणाचल प्रदेश	1277.00
25. चण्डीगढ़	821.00
26. दिल्ली	11925.00
27. दादर तथा नागर हवेली	70.00
28. गोआ, दमण तथा दीव	2200.00
29. लक्ष द्वीप	22.00
30. मिजोरम	1100.00
31. पांडिचेरी	500.00
	330780.00

नोट :—इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना में 600 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि के राज्यवार नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय गिड

6801. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न, दालों आदि का भण्डार करने के लिये ग्रामीण गोदामों के एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या योजना बनाई गई है तथा इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) योजना के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) प्रत्येक गोदाम की क्षमता 200 मीटरी टन से 1000 मीटरी टन तक हो सकती है।

(2) जहां कहीं अनिवार्य हो, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए गोदाम में एक शीत भण्डारण खण्ड की व्यवस्था हो सकती है।

(3) इस योजना के अधीन निर्मित गोदामों को राज्य मालगोदाम निगमों को स्वीकार्य मानदण्डों तथा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। ये गोदाम राज्य मालगोदाम निगमों से सम्बद्ध होने चाहिए।

(4) इन गोदामों की देखभाल प्रबन्धकों द्वारा की जानी है जिन्हें निकट के राज्य/केन्द्रीय मालगोदाम निगम के मालगोदाम के साथ लगाकर प्रशिक्षित किया जाना है।

(5) राज्य सरकारों द्वारा जमीन निःशुल्क सुलभ की जावेगी।

(6) गोदाम द्वारा जारी की गई रसीद एक विक्रय प्रलेख होगी।

(7) गोदाम के निर्माण की लागत को 50 प्रतिशत उपदान तथा 50 प्रतिशत ऋणों के

द्वारा वहन किया जायेगा। उपदान की धनराशि को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाना है। ऋण के भाग को बैंकों द्वारा वहन किया जाना है।

(8) कार्यान्यवन एजेंसियाँ राज्य माल गोदाम निगम, बाजार समितियाँ अथवा सहकारी सोसायटियाँ होती हैं, जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाए।

(9) कार्यक्रम के कार्यान्वयन को देखने के लिए राज्य सरकारों राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया जाना है।

(10) केन्द्रीय स्तर पर, राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को परियोजना निधिदायी समिति, जिसमें सचिव (ग्रामीण विकास), सचिव (व्यय) तथा सचित (योजना आयोग) शामिल हैं, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। परियोजना निधिदायी समिति को योजनाओं की स्वीकृति देने, वित्त सम्बन्धी सीमा निर्धारित करने और योजना को चलाने के लिए विशिष्ट शर्तें निश्चित करने की शक्तियाँ दी गई हैं।

इस योजना को 1979-80 के मध्य में अन्तिम रूप दिया गया था और तब से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

रुग्ण चीनी मिलें तथा उन्हें पुनः चालू करने की कार्यवाही

6802. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण पड़ी चीनी मिलों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है तथा उन्हें पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) क्या देश में अधिक चीनी मिलें स्थापित करने के लिये 1981 के दौरान कोई लाइसेंस जारी किये गये हैं, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) देश में 325 चीनी फैक्ट्रियों में से केवल निम्नलिखित पाँच फैक्ट्रियाँ बन्द पड़ी हैं :—

(1) बिहार शुगर वर्क्स, पचरुखी, जिला सिवान (बिहार)

(2) रोहतास इंडस्ट्रीज लि०, डालमियानगर, जिला सिवान (बिहार)

(3) श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि० असुरले, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

(4) शिवकाशी शुगर्ज लि०, तनुक, जिला बेस्ट गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)

(5) पलार शुगर प्राइवेट लि०, मेलपट्टी, जिला नार्थ अरकाट (तमिलनाडु) केन्द्रीय सरकार के पास इन पाँच बन्द यूनिटों को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1981 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिये 1981 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों/आशय पत्रों के ब्यौरे को बताने वाला विवरण ।

क्रम सं०	प्रस्तावित स्थान सहित फैक्ट्री का नाम	क्षेत्र	क्षमता	लाइसेंस/आशय पत्र जारी करने की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.
1.	यू० पी० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फडरेशन लि० लखनऊ तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल (उ० प्र०)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	16.1.1981
2.	मैसर्स नानपाड़ा शुगर फैक्ट्री तहसील नानपाड़ा जिला वहाराइच (उ० प्र०)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	23.3.1981
3.	मैसर्स नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना लि० तहसील बुरहापुर जिला फास्ट निमार खांडवा (म० प्र०)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	26.3.1981
4.	मैसर्स विघनेहर सहकारी शक्कर कारखाना, धलेवाड़ी तहसील जून्नार जिला पूना (महाराष्ट्र)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	26.3.1981
5.	मैसर्स हुतात्मा किसान अहीर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, वालवा, जिला सांगली (महाराष्ट्र)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	26.3.1981
6.	श्री ज्ञानदेव तुकाराम देवरे विठेवाड़ी (लोहोनेर तहसील कलवां, जिला नासिक(महाराष्ट्र)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	26.3.1981
7.	श्री रुस्तम राव चित्राजीराव देशमुख, अटपाड़ी, जिला सांगली (महाराष्ट्र)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	30.3.1981
8.	यू०पी० कोआप० शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि०, लखनऊ, क्षेमीखेड़ा, तह० आंवर जिला बरेली (उ० प्र०)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	28.3.1981

क्रम सं०	प्रस्तावित स्थान सहित फैक्ट्री का नाम	क्षेत्र	क्षमता	लाइसेंस/आशय-पत्र जारी करने की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.
9.	मैसर्स मणिपुर शुगर मिल एण्ड डिस्टिलेरी प्लांट, कबोवाकचिंग, नामबुल, तहसील विशनपुर, जिला सैन्ट्रल (मणिपुर स्टेट)	सहकारी क्षेत्र	1250 टी० सी० डी०	4.6.1981
10.	श्री पंडित राव नारायण जाधव, महेनकाली सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट कवाठे, महानकोल जिला सांगली (महाराष्ट्र)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	6.7.1981
11.	श्री अभय सिंह राजे भोंसले, अदालत वाड़ा, सतारा, ग्राम शेन्दरे तह० और जिला सतारा (महाराष्ट्र)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	6.7.1981
12.	मैसर्स दि जींद कोआप० शुगर मिल्स लि०, तह० और जिला जींद (हरियाणा)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	7.7.1981
13.	दि पलवल कोआप० शुगर मिल्स लि० तह० पलवल, जिला गुड़गावां (हरियाणा)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	7.7.1981
14.	नियाजीत संजय एस०एस० के० लि०, बिलाड़ी, तह० और जिला धूले (महाराष्ट्र)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	9.7.1981
15.	मैसर्स दि पटियाला कोआ० शुगर मिल्स लि०, ग्राम डबलान, तह० और जिला पटियाला (पंजाब)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	14.7 1981
16.	शाहबाद कोआप० शुगर मिल्स लि०, शाहबाद मारकंडे, तह० थानेश्वर जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	14.7.1981

क्रम सं०	प्रस्तावित स्थान सहित फैक्ट्री का नाम	क्षेत्र	क्षमता	लाइसेंस/आशय पत्र जारी करने की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.
17.	यशवंत सहकारी शक्कर कारखाना लि०, खानापुर, तह० खानापुर जिला सांगली (महाराष्ट्र)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	31.12.1981
18.	श्री अंकुशराव रावसाहिव टोटो खोकादपुरा, तीर्थपुरी, तालुक अम्बाद, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	सहकारी	1250 टी० सी० डी०	31.12.1981
19.	इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० तहसील नयागढ़, जिला पुरी (उड़ीसा)	सरकारी क्षेत्र	1250 टी० सी० डी०	31.12.1981
20.	इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, तहसील बाँकी, जिला कटक (उड़ीसा)	सरकारी क्षेत्र	1250 टी० सी० डी०	31.12.1981

उड़ीसा के हीराकुंड तथा महानदी डेल्टा क्षेत्रों के जल संसाधनों का प्रबन्ध

6803. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के हीराकुंड तथा महानदी डेल्टा क्षेत्रों के जल संसाधनों के प्रबन्ध के लिये इस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि हीराकुंड और महानदी डेल्टा क्षेत्रों के आउटलैटों के द्वारा पानी को विनियमित की जाने की वर्तमान व्यवस्था पुरानी पड़ गयी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या पानी के वितरण तथा विनियमित किए जाने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जाएंगे; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इस समय हीराकुंड तथा महानदी डेल्टा प्रणालियों में खेत से खेत सिंचाई का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) जी, हाँ। इन परियोजनाओं की वितरण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) : वितरण प्रणाली के प्रबन्ध तथा सुधार सहित, सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होती है। तथापि, इन दो परियोजनाओं को केन्द्र से सहायता-प्राप्त कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खेत पर (ऑन-फार्म) विकास कार्यों के कार्यान्वयन से इन दोनों परियोजनाओं में जल आय उपयोगी सम्बन्धी कार्यक्षमता में सुधार होगा। जल उपयोग की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए महानदी डेल्टा प्रणाली में वारबन्दी का भी प्रयोगात्मक आधार पर परीक्षण किया जा रहा है।

उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता

6804. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की उपभोक्ता सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) : केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम सहकारी समितियों को ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता व्यापार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस बारे में सहायता नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार बढ़ाई जा रही है :—

(करोड़ रुपयों में)

सहायता का स्रोत	जनवरी, 76 से मार्च, 80 (5 वर्ष) (वास्तविक व्यय)	छठी योजना (प्रावधान) (1980-85)
(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता	11.00	26 00
(ख) केन्द्रीय सरकार से (1978 से)	6 82	30.00

कृषि मन्त्रालय के अधीन सरकारी उद्यमों की आर्थिक स्थिति

6805. **श्री अर्जुन सेठी** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्रों की इकाइयों का गत तीन वर्षों के दौरान लाभवार तथा उत्पादनवार प्रगति से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत वर्षों के परिणामों की तुलना में यह प्रगति कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3855/82**]।

1982-93 में बाढ़ नियन्त्रण के लिए राशि

6806. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करने के लिए 1982-83 में कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 1982-83 के दौरान बाढ़ नियंत्रण सेक्टर लिए सेक्टर-वार परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृषि यन्त्रों का निर्माण और आयात

6807. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत में निर्मित तथा विदेशों से आयात किये गये विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों और मशीनरी से सम्बन्धित ब्योरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देशवार अर्जित की गई विदेशी मुद्रा और उपरोक्त वस्तुओं पर व्यय की गई राशि का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) कृषि मशीनरी के आयात और निर्यात का अद्यतन और देश-वार ब्योरा निर्मुक्त नहीं किया गया है । वर्ष 1978-79 से नवम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान कृषि मशीनरी के आयात और निर्यात का ब्योरा विवरण-2 में दिया गया है ।

विवरण-1

1. भारत में विनिर्मित मशीनरी और कृषि उपस्करों की विभिन्न किस्में

1. हस्त औजार :

हेन्ड हो, सीड ड्रिल, रोटेरी पेंडी वडिर, सिकिल, स्पेड श्वेले पिकेक्सी, गार्डेन रेक, विबोवर, सीड क्लीनर-ग्रेडर, डिटेक्टर चीफ कटर, पिस्टन पम्प, चेनवाशर पम्प, बर्डिंग और ग्राडीन नाइफ जैसे बागबानी उपस्कर पूनिंग नाइफ, स्पेकाटोयूरस, शिपयर सएक्स, ट्रीपूसर लेडर आदि ।

2. पशुओं से चलने वाले उपस्कर :

मोल्ड बोर्ड/मूदा, स्ट्रिगप्लो, कल्टीवेटर, लैंड लेक्सर, स्पेल स्कूप, बाड फोरमर स्पाइक/

डिस्क/बाडे हारो, सीड ड्रिल, प्लन्टर, रिगर आर और मूंगफली उखाड़ने वाले, गन्ना क्रशर, चीफ कटर, रीपर आदि।

3. ट्रैक्टर/पावर टिलर उपस्कर :

प्लो (मोल्ड बोर्ड/डिस्क), डिस्क/स्पाइक हारो, कल्टीवेटर, बहु उद्देशीय ब्लेड ट्रेसर, रिजर, लेवलर्स, लेण्डप्लेन, स्कैपर्स, सीड ड्रिल्स और प्लण्टर्स बण्ड फोरमर, आलू प्लान्टर, आलू/मूंगफली उखाड़ने वाला रीपर आदि।

4. बिजली चालित मशीनें :

प्रेशर, मक्का शैलर, चावल देहुस्कर, चाफ कटर, सीड क्लीनर-ग्रेडर डीकोर्टीकेटर, ड्राइर आदि।

5. सिंचाई उपकरण :

विद्युत/इंजिन चालित पम्पसेट, छिड़काव करने वाला, हाईड्रालिक रैम, परसैन व्हील पिस्टन पम्प, चेन वाशर पम्प आदि।

6. वनस्पति रक्षण उपस्कर।

मानव और विद्युत चालित स्प्रेयर्स और डस्टर्स, बर्डसकेयरर, फलेम गन आदि।

7. कृषि मशीनरी (सामान्य) :

ह्वीलड और क्रालर ट्रैक्टर्स, पावर टिलर, हारवेस्टर कम्बाइन

2. गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों के आयात किये गये कृषि उपस्करों और मशीनों की विभिन्न किस्में :

1. ट्रैक्टर से खीचने वाले उपस्कर :

प्लो, रोटेरी टिलर, कल्टीवेटर, लेवलर्स, सीड ड्रिल प्लान्टर और ट्रांसप्लान्टर।

2. विद्युत मशीनें :

हार्वेस्टर, थ्रैसर, विनोग्रर-एवं-ग्रेडर और भूसा प्रेस

3. कृषि मशीनरी :

व्हीलड/क्रालर ट्रैक्टर और सार्वेस्टर कम्बाइन

गत दो वर्षों के दौरान कृषि मशीनरी और उनके हिस्से और विद्युत उत्पत चालित या पुले के साथ अथवा इनके वगैर ट्रैक्टर आयात किये गये थे।

विवरण-2

(करोड़ रुपये)

	निर्यात			आयात		
	1978-79	1979-80	अप्रैल-नवम्बर 1980	1978-79	1989-80	अप्रैल-नवम्बर 1980
1. कृषि मशीनरी (ट्रैक्टरों को छोड़कर) और उनके हिस्से	4.81	2.71	2.89	13.62	2.72	1.31
2. ट्रैक्टर, विद्युत उत्पतन विन्विस अथवा पुलेज के साथ अथवा इनके बगैर	0.99	0.07	0.15	0.95	6.77	1.84

राशन कार्डों पर जनता को खराब किस्म के गेहूं की सप्लाई

6808. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन कार्डधारियों को बहुत घराब किस्म के गेहूं की सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या इसका कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब किस्म के गेहूं की खरीद है; और

(ग) खराब किस्म का गेहूं खरीदने के लिए उत्तरदायी भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं। राशन के कार्डधारियों को केवल उचित औसत किस्म का गेहूं ही दिया जाता है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित की गई समान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप ही गेहूँ की वसूली करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश एप्पल ग्रोअर्स एसोसियेशन

6809. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेबों के लिए समर्थन मूल्य, अधिक सेब "प्रोसेसिंग" प्लांट स्थापित करने, सेब उत्पादकों के लिए बीमा योजना, कीमतों में कमी होने तथा प्रोसेसिंग के लिए खरीदे गये सेबों की कीमतों में वृद्धि होने की स्थिति में सेब उत्पादकों को क्षतिपूर्ति देने के बारे में कोई कार्यवाही की है, और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कावेरी नदी के जल का बटवारा

6810. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी नदी के जल को तीन राज्यों के बीच बाँटे जाने के प्रश्न पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच 3 अप्रैल, 1982 को हुई बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था; और

(ख) क्या उनमें से किसी चर्चित मुद्दे पर कोई समझौता हो सका; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) कावेरी जल के बारे में सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक जो 3 अप्रैल, 1982 को होनी नियत थी, तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा अप्रत्याशित स्थितियों के कारण उसमें भाग लेने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण नहीं हो सकी है। यह बैठक कावेरी बेसिन वाले राज्यों के सभी मुख्य मन्त्रियों के लिए सुविधाजनक किसी तारीख को शीघ्र ही पुनः आयोजित की जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश में भू-जल का पता लगाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाएं

6811. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान भू-जल का पता लगाने के लिए जिलेवार किन योजनाओं पर कार्य हो रहा है । जांच की जा रही है;

(ख) किन योजनाओं पर इस बीच कार्य पूरा हो चुका है, प्रत्येक पर कितनी लागत आई है और प्रत्येक से कितने क्षेत्र की सिंचाई सम्भव हो सकेगी; और

(ग) जिन अन्य योजनाओं पर अभी कार्य हो रहा है/जाँच की जा रही है, उनके किस तिथि तक पूरा होने की संभावना है तथा प्रत्येक पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और प्रत्येक मामले में कितने प्रस्तावित क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सविधान के अन्तर्गत जल एक राज्य-विषय हैं । इसलिये भूमिगत जल के विकास सहित, सभी लघु सिंचाई स्कीमों का अन्वेषण, आयोजन, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है । केन्द्र की भूमिका एक सलाहकारी प्रकृति की है । हिमाचल प्रदेश राज्य में भूमिगत जल का विकास राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी नलकुपों के निर्माण द्वारा हो रहा है । 1979-80 तक 94 नलकूप प्रतिष्ठापित किए गए थे। 1980-81 के दौरान 16 नलकूप प्रतिष्ठापित किए गए थे । 1981-82 और 1982-83 के लिए नलकूपों का लक्ष्य क्रमशः 26 और

30 नलकूप हैं। नलकूपों का जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। सरकारी नलकूपों के अलावा, ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ खुदाई कुएं और पम्पसेट भी प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं। छठी योजना (1980-85) के दौरान नलकूपों के लिए वित्तीय परिव्यय एवं भौतिक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

वित्तीय (लाख रुपयों में)

स्कीम का नाम	छठी योजना 1980-85 के लिए स्वीकृत परिव्यय	1980-81 का वास्तविक व्यय	1981-82 स्वीकृति परिव्यय	1981-82 प्रत्याशित	1982-83 राज्य योजना प्रस्तावित	1982-83 आयोग द्वारा अनुमोदित
सरकारी नलकूपों का निर्माण	102.00	50.59	21.86	21.86	20.35	20.35

भौतिक (हैक्टेयर में)

मद	1979-80 का आधार स्तर	84-85 पर लक्ष्य स्तर	80-81 के अन्त में स्तर	81-82 में संभावित स्तर	82-83 के अन्त में लक्ष्य स्तर
भूमिगत जल संसाधनों से सृजित सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर में)	6500	10500	7140	8140	9140

1978-79 के दौरान 21.24 लाख रुपये की कुल लागत पर कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में, राज्य में भूमिगत जल संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए, जिनमें वे इस समय कमजोर स्थिति में हैं, एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम भी स्वीकृत की गई है, जिसमें से 50 प्रतिशत की बराबर की राशि केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में होगी। मार्च, 1982 के अन्त तक कुल 8.77 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। अब स्कीम को बन्द कर दिया गया है।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड बृहत् (मैक्रो) स्तर तक भूमिगत जल सम्बन्धी सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित, पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा बिलासपुर, सोलन तथा कुल्लू जिलों में योजनाबद्ध ढग से जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए थे। ऊना, मण्डी तथा सोलन जिलों में पुनर्मूल्यांकन जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए थे और ऊना जिले में समन्वेषी खुदाई कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। योजनाबद्ध जल-भू-वैज्ञानिक एवं पुनर्मूल्यांकन जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों की स्कीमें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान 2,34,968 रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। ऊना जिले में समन्वेषी खुदाई का कार्यक्रम जारी है जहाँ पर लगभग 29,78,839 रुपये के व्यय द्वारा 16 समन्वेषी तथा दो प्रेक्षण वेधन छिद्रों (बोर होलों) को पहले

ही ड्रिलिंग की जा चुकी है। भूमिगत जल संसाधनों के विकास के लिए अब तक लगभग 300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उपयुक्त पाया गया है।

ऊना जिले में समन्वेषी ड्रिलिंग कार्यक्रम का छठी योजना अवधि के दौरान पूर्ण होना अनुसूचित है। शेष आठ वेधन छिद्र जिनकी ड्रिलिंग करना प्रस्तावित है, भूमिगत जल संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से 250 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र का परीक्षण होगा। इन शेष आठ वेधन छिद्रों के निर्माण की अनुमानित लागत 30 लाख रुपये है।

सफल वेधन छिद्र सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य के प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए राज्य सरकार को सौंप दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सफल वेधन छिद्रों को और आगे अन्वेषण के लिए पहले ही अधिकार में ले लिया है।

वन्य जीवन संरक्षण कार्यक्रमों का विस्तार

6812. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने और उनका विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वन्य प्राणि-संरक्षण की केन्द्रीय सैक्टर तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए 664 लाख रु० के परिव्यय की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर इसे 1210 लाख रु० कर दिया गया है। यह चालू स्कीमों का प्रावधान बढ़ाकर तथा निम्नलिखित नई स्कीमें शुरू करके किया गया है :

(i) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय पार्कों के विकास के लिए सहायता।

(ii) चुनींदा चिड़ियाघरों के विकास के लिए सहायता।

(iii) भारतीय वन्य प्राणि संस्थान की स्थापना।

राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय-स्थलों का जाल का जो इस समय क्रमश: 23 तथा 205 है, भी विस्तार किया जाना है। वन्यप्राणी संसाधनों का बेहतर प्रबन्ध करने के लिए प्रत्येक राज्य में पृथक वन्यप्राणि स्कंधों की स्थापना की जा रही है। क्षेत्र में वन्यप्राणि संगठनों की सहायता के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में मानद वन्यप्राणि वार्डनों को भी नियुक्त किया जा रहा है। कई खतरे में पड़ी प्रजातियों जैसे कि हाथी, बस्टर्ड इत्यादि का स्थिति सम्बन्धी सर्वेक्षण भी शुरू किए जा रहे हैं।

जल आपूर्ति विभाग, दिल्ली

6813. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण व आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल आपूर्ति विभाग, दिल्ली ने गत पांच वर्षों के दौरान अनुबन्ध

करारों के मामले में मध्यस्थता के लिए बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस भुगतान का ब्योरा है तथा (एक) कार्य की मात्रा (दो) मध्यस्थ को भुगतान की गई शुल्क की राशि क्या है (तीन) क्या करार की शर्तों की अस्पष्टता के कारण मध्यस्थता कमी पड़ी (चार) क्या इसके लिए और अधिकारी उत्तरदाई था और (पांच) इस पर कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पशुओं का वध करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना

6814. **श्री भीकू राम जैन** :

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इस योजना की जानकारी है जिसके अन्तर्गत भालू, लोमड़ी, गिलहरी, भेड़िया और खरगोश जैसे जानवरों को बंद करके पाला जाता है तथा फिर उनका वध कर दिया जाता है और निर्यात के लिए उनके रोएंदार खाल और बालों को उतार लिया जाता है; और

(ख) क्या सरकार इन असंख्य और निर्दोष जीवों की हत्या, जो देश की प्राचीन संस्कृति और "अहिंसा" के प्रतिकूल है, पर तुरन्त रोक लगायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मांस, लोम और ऊन उत्पादन के लिए खरगोशों के प्रजनन पर अनुसंधान कर रही है। खरगोशों को पाला जाता है और ब्राइलर नस्ल के खरगोशों को मानवोचित ढंग से वध किया जाता है। लोम उत्पादन से सम्बन्धित अनुसंधान केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए है। फिर भी, इस समय लोम और बाल उत्पादन के लिए भालुओं, लोमड़ियों, गिलहरियों और भेड़ियों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कोई अनुसंधान प्रयोजना नहीं है।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मांस और लोम-चर्म उत्पादन के लिए खरगोशों का वध मानवोचित रीति से किया जाता है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत इसमें कोई क्रूरता नहीं है। अतः अनुसंधान से संबधित कार्यों के लिए उनके वध को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तमिलनाडु से चंदन की लकड़ी की तस्करी

6815. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु से चंदन की लकड़ी की तस्करी अन्य राज्यों और देशों को की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाओं का पता चला है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हाँ । तमिलनाडु से अन्य राज्यों को चंदन की लकड़ी की तस्करी के मामले हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित मामलों का पता लगा था :

वर्ष	मामलों की संख्या	मात्रा मीटरी टन	मूल्य लाख रुपए
78-79	333	35.298	20.82
79-80	463	69.292	36.43
80-81	473	82.12	39.86

ये मामले अन्य राज्यों को तस्करी से संबंधित हैं । अन्य देशों को तस्करी के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

6816. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में कोई संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का और उसका क्षेत्र क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी संशोधन/रूपान्तर पर विचार किया जा रहा है और उसका स्वरूप और क्षेत्र क्या है; और

(घ) संशोधन/रूपान्तर किस तारीख तक किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में कतिपय संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं । इस अवस्था में यह नहीं बतलाया जा सकता कि किस तारीख तक इन्हें संशोधित किया जायेगा ।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में संशोधन

6817. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में केन्द्र सरकार के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों/गैर सरकारी मालिकों से भूमि अधिग्रहण करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या इस अधिनियम में कोई संशोधन करने तथा इसके परिणाम स्वरूप इसकी प्रक्रिया में कोई रूपान्तर करने का प्रस्ताव है जिससे विकास प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण शीघ्रतापूर्वक किया जाना सुनिश्चित हो सके; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में केन्द्र सरकार के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण करने हेतु व्यवस्था नहीं है। जहां तक गैर सरकारी मालिकों से भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, वह सारांश में निम्न प्रकार है :

(1) एक प्रारम्भिक अधिसूचना प्रकाशित की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता है।

(2) प्रस्तावित अधिग्रहण में आपत्तियों, यदि कोई हों, की जांच की जाती है।

(3) यदि यह निर्णय किया जाता है कि अधिग्रहण प्रभावित होना चाहिए, इस संबंध में एक घोषणा प्रकाशित की जाती है।

(4) इसके पश्चात्, भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से मुआवजे के लिए दावे मांगे जाते हैं।

(5) आवश्यक जांच-पड़ताल करने के पश्चात् मुआवजे का अधिनिर्णय लिया जाता है। प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख को भूमि के बाजार मूल्य के अलावा ऐसे मूल्य का 15 प्रतिशत का मुआवजा दिया भी जाता है।

(6) भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति जो अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करता है, मामले को न्यायालय में ले जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी दशा में निर्देश अनिवार्य होता है।

(7) अधिनिर्णय लिए जाने के पश्चात भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूर्णतया सरकार में निहित होगी।

(ख) व (ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन करने हेतु कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

पश्चिम बंगाल को पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध

6818. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**
श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पश्चिम बंगाल में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा क्या मुख्य मुद्दे उठाये गए है;

(ग) इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाया गया तो उसके क्या कारण हैं

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हाँ श्रीमान्।

पश्चिमी बंगाल में पान की लता अनुसंधान केन्द्र की स्थापना से संबधित सचिव कृषि

विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार का एक अनुरोध भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्राप्त हुआ है ।

(ख) सचिव, कृषि विभाग, बंगाल सरकार ने अपने अनुरोध में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे है:-

(1) पान की खेती पश्चिमी बंगाल में एक महत्वपूर्ण कृषि व्यवसाय है। भारत में पान के पत्तियों के कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग इस राज्य में पैदा होता है इसमें सबसे अधिक पसन्द की जाने वाली किस्में -जैसे मिथा और मघई भी है जिसका उत्पादन निर्यात किया जाता है।

(2) राज्य कृषि विश्वविद्यालय और राज्य के कृषि विभाग में पान की लता की खेती से संबधित का मात्रा में वैज्ञानिक सूचना पहले से ही एकत्र की गयी है।

(3) 1676 से ही, कृषि विभाग पान की खेती से संबंधित कार्य का अनुसरण करती रही है, और खासतौर पर मिदनापुर जिले में इसकी वृद्धि को प्रोत्साहित किया है।

(4) लता के बाड़ों में (वाइन-वार्ड्स) कृषिकों के लिए उन्नत कृषि-क्रियाओं के प्रदर्शन हेतु अधिकारियों के दल के अधीन एक पान की लता विकास योजना आरंभ की नयी है।

(5) मिदनापुर जिले के मेचादा क्षेत्र में एक सरकारी पान की लता फार्म की स्थापना का फैसला किया गया है।

(6) हाल के वर्षों में पान की लता की खेती इतना अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई है कि विभिन्न क्षेत्रों से राज्य सरकार पर निरन्तर दबाव पड़ता आ रहा है कि वह इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यो को आगे बढ़ाये उन्होंने पान की पत्तियों की बेहत्तर खेती तथा विपणन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक संगठन की स्थापना की है।

(ग) चूकि पान की लता पश्चिमी बंगाल की एक महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गयी अखिल भारतीय समन्वित पान की लता सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में एक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है हाल ही में वित्त प्रभाग द्वारा इस प्रायोजना की जांच की गई है और प्रायोजना कार्यान्वयन समिति में इस पर विचार-विमर्श किया गया है प्रायोजना कार्यान्वयन समिति ने कुछ संशोधन का सुझाव दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(घ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्यों कि इस मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पहले ही कदम उठाया जा चुका है।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें

6819. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरज भान : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ नियन्त्रण के बारे में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों में क्या सुधार और संशोधन किए गए हैं;

(ख) सिफारिशों को लागू करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने हेतु राज्यों को जारी किए गए मार्ग निर्देशों और आदेशों में राज्यवार क्या प्रगति हुई है; और

(ग) सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रदान की जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग रिपोर्ट में किन्ही आशोधनों और संशोधनों के सुझाव नहीं दिए गए है।

(ख) राज्य सरकार और संबंधित केन्द्रीय सरकार की एजेसियों को सितम्बर, 1981 में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों और अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का और इस मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) बाढ़-नियंत्रण एक राज्य-विषय है और स्कीमों अन्वेषण और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। अतः राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्यों द्वारा बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के अधीन राज्य योजना में की गई परिव्ययों की व्यवस्था के अंतर्गत किया जाना होता है।

महाराष्ट्र में पाइपों से पानी की पूर्ति

6820. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य को भेजे गये पत्र के अनुसरण में राज्य सरकार ने पाइपों से पानी की पूर्ति की योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये छठी योजना अवधि के दौरान राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) (क) इस मन्त्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार को राज्य में नल द्वारा जलपूर्ति योजना को कार्यान्वित करने हेतु कोई पत्र जारी नहीं किया गया। आरम्भ की जाने वाला योजना का स्वरूप विशिष्ट क्षेत्र में स्थिति पर निर्भर करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनायें

6821. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिन ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू किया जा रहा है उनका राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इन योजनाओं की भौतिक दृष्टि से तथा वित्तीय रूप से अब तक राज्यवार क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बाबेश्वर राम) : (क) व (ख) देश में कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

छठी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपदानों और संस्थागत ऋण का प्रावधान करके प्रत्येक खण्ड में लघु । सीमांत किसानों, ऋण श्रमिकों ग्रामीण कारीगरों आदि के लक्षित वर्ग से सम्बन्धित परिवारों के कम से कम 3,000 परिवारों को सहायता पहुँचाने का लक्ष्य है जिससे वे सक्षम आर्थिक गतिविधियां आरम्भ कर सकेंगे । छोटे किसानों के लिए उपदान की दर परियोजना की पूंजी लागत की 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों आदि के लिए 33/1/3 प्रतिशत है जो अधिक से अधिक 3000 रुपये तक किया जा सकता है । आदिवासियों के लिए उपदान की दर 50 प्रतिशत है जो कि अधिकतम 5,000 रुपये होगी । कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से लिये जाने हैं और इन वर्गों को कुल लाभों का कम से कम 30 प्रतिशत भाग ऋण और उपदान के रूप में दिया जाना है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है ।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने अक्तूबर, 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम, का स्थान ले लिया है । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजित करना और उसके द्वारा स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समाजार्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत होगा । परिव्यय का 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों । जनजातियों के समाजार्थिक जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली परि-सम्पत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है । राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को आवंटन सम्बन्धित राज्य में कृषि श्रमिकों और सीमांत किसानों की जनसंख्या पर 75 प्रतिशत बल तथा गरीबी के प्रभाव पर बल देते हुए किया जाता है । 1 4-1981 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर व्यय केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है ।

(3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :—

1. सिंचाई संसाधनों का विकास और प्रबन्ध;
2. भूमि तथा जल संरक्षण और वनरोपण;

3. फसल पद्धति की पुनर्संरचना तथा चरागाह विकास;

4. शुष्क भूमि पर खेती की तकनीकों को लोकप्रिय बनना;

5. पशुधन विकास; और

6. छोटे तथा सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों आदि का विकास।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को देश के 73 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस योजना पर व्यय केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

(4) मरुभूमि विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्म तथा ठंडे, दोनों तरह के रेगिस्तानी क्षेत्रों का भौतिक, मानवीय तथा पशुधन संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने के माध्यम से उत्पादकता, आय स्तर तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके समन्वित विकास करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित मुख्य गतिविधियां वनरोपण, चरागाह विकास, भू-जल विकास, जल-संचयन हेतु ढाँचों का निर्माण, पम्प सैटों के लिए ग्रामीण विद्युतिकरण, कृषि बागवानी और पशुपालन के विकास से सम्बंधित हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के 21 जिले आते हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम पर व्यय केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जो चुने हुए क्षेत्रों में लागू हैं, को छोड़कर अन्य कार्यक्रम सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में चल रहे हैं तथा उनको लाभ पहुँचाते हैं।

(ग) विवरण से 11संलग्न हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3852/82]

मात्स्यिकी नियमों का अनुसमर्थन

6822. **श्री बिस्व बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट के आधार पर निर्मित फिसरीज नियमों का कई राज्यों द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि समुद्र में 5 कि० मी० के रक्षित जोन का उल्लघंन किया जाना जारी है और निगरानी बोटों के चलाये जाने के बावजूद भी गोवा, महाराष्ट्र तथा अन्य तटवर्ती राज्यों में गैर मशीनीकृत नौकाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र में मछली पकड़ने के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो सम्बद्ध अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत उपाय न करने के क्या कारण है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को एक आदर्श समुद्री मत्स्यन

विनियमन विधेयक परिचारित किया है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे समुद्र तटीय जल में मछली पकड़ने के कार्य को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने पर विचार करें। अतः मत्स्यकी नियमों में संशोधन करने का प्रश्न नहीं होता।

(ख) तथा (ग) इस सम्बन्ध में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए आदर्श विधेयक में उल्लिखित किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था है। राज्यों द्वारा जैसे ही उपयुक्त कानून बनाया जाएगा और उसके तहत नियम बना लिए जाएंगे तभी से ही अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर दंड देने की कार्रवाई की जा सकती है। इस समय केरल, महाराष्ट्र तथा गोवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने आवश्यक कानून बना लिए हैं और जहां कहीं भी जरूरी होता है अधिनियम के उपबन्ध का उल्लंघन करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल की क्षति

6823. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा में बेमौसम वर्षा और मार्च, 1982 में भयंकर ओला-वृष्टि के कारण रबी की खड़ी फसल को हुई क्षति के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्षति किस सीमा तक हुई है; और

(ग) इस प्रकार विभिन्न रबी की फसलों को हुई भारी क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए केन्द्र स्तर पर क्या उपचारात्मक उपाय उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) हरियाणा और पंजाब सरकार ने मार्च, 1982 में बेमौसमी वर्षा और ओलों से खड़ी फसल को हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। फिर भी अस्थाई अनुमान के अनुसार इन दोनों राज्यों में हुई क्षति निम्न प्रकार बताई गई है :—

पंजाब

खड़ी फसल को ओलों और भारी वर्षा के कारण कोई भारी क्षति नहीं पहुँची है। वर्षा से समग्रता पहुँचे काम की तुलना में सम्भवतः हानि नगण्य होगी।

हरियाणा

12 जिलों के 814 गांवों में 2.73 लाख हैक्टेयर फसल-क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है।

(ग) क्षति के स्वरूप और सीमा को देखकर जहां आवश्यक होगा भारत सरकार सहायता देगी। पंजाब और हरियाणा सरकारों के पास मार्जिन के रूप में क्रमशः 268 लाख और 147 लाख रु० है जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तुरन्त राहत दे सकेंगे हरियाणा सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने 22 मार्च, 1982 को 300 लाख रु० साधन सम्बन्धी पेशगी के रूप में मंजूर किये हैं ताकि वे राहत कार्य कर सकें। पंजाब सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की है।

1982-83 के लिए खाद्यान्न उत्पादन, मछली पालन और मुर्गी पालन के लिए राशि

6824. श्री अनाविचरण दास ।

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न, दालों, नकद फसलों, मछली तथा मुर्गीपालन के उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न राज्यों में योजनाओं कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1982-83 के लिए कुल कितनी राशि रखी गई है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य के लिए कितनी धनराशि रखी गई है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा कोई कार्यवाही योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो 1982-83 वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में कार्यवाही योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार के कार्यक्रम के संबंध में ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विकास के विभिन्न शीर्षों के लिए वर्ष 1982-83 हेतु राज्य योजना परिव्ययों के ठोस आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ राज्यों के बजट अभी प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक योजना के चर्चा के समय, योजना आयोग, अनुसंधान एवं शिक्षा फसलों की खेती (खाद्यान्नों, दलहनों, नकदी फसलों के उत्पादन के लिए कार्यक्रमों सहित) मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन एवं डेरी विकास (कुक्कुट पालन सहित), मत्स्यकी, वनों आदि जैसे कृषि क्षेत्र में विकास के विभिन्न शीर्षों के लिए परिव्ययों को मंजूर करता है । कृषि क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए परिव्यय राज्य सरकारों द्वारा आवंटित किये जाते हैं। वर्ष 1982-83 के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत अनन्तिम परिव्यय नीचे दिए गए हैं :—

विकास का शीर्ष	1982-83 के लिए परिव्यय (अस्थाई) (करोड़ रुपए)
फसलों की खेती	218.36
पशुपालन एवं डेरी विकास	94.16
मात्स्यकी	38.51

(ङ) विकास के उपर्युक्त शीर्षों के लिए उड़ीसा के लिए वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित परिव्यय नीचे दिये गए हैं :—

विकास का शीर्ष	1982-83 के लिए परिव्यय (अस्थाई) (करोड़ रुपए)
फसलों की खेती	8.45
पशुपालन एवं डेरी विकास	2.10
मात्स्यकी	1.80

(ग) और (घ) उत्पादकता वर्ष तथा नए 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए कार्यकारी कार्यक्रम में, जिसे हाल ही में फरवरी, 1982 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में स्वीकृत किया गया है, विकास कार्यक्रमों तथा विभिन्न फसलों, मछली पशु उत्पाद आदि के उत्पादन के लक्ष्यों की व्यवस्था है। 1982-83 के लिए विभिन्न मदों के संबंध में लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1982-83 के लिए लक्ष्य

मद	इकाई	अखिल भारत	उड़ीसा
1. उत्पादन			
खाद्यान्न (दलहनों सहित)	दस लाख मी० टन	141.5	6.7
दलहन	लाख मी० टन	135.00	10.04
तिलहन	लाख मी० टन	120.00	8.08
गन्ना	दस लाख मी० टन	190.0	4.1
कपास	लाख गाठें	86.00	0.14
जूट एवं मेस्ता	लाख गाठें	95.00	9.25
दूध	लाख मी० टन	346.00	2.68
अण्डे	दस लाख की संख्या में	13500	370
मछली	लाख मी० टन	29.33	0.92
2. विकास कार्यक्रम			
धान की सामुदायिक नर्सरी	हजार हैक्टार	22.00	3.00
मिनीकिट	लाख संख्या		
(1) धान्य		6.56	राज्यवार
(2)		0.70	ब्यौरा उपलब्ध
(3) तिलहन		0.31	नहीं
प्रमाणीकृत बीज की मांग	लाख क्विंटल	40	0.8

मद	ईइक	अखिल भारत	उड़ीसा
अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र	दस लाख हैक्टर	51.0	1.8
उर्वरक खपत	लाख मी० टन	72.00	0.99
उर्वरक के बिक्री केन्द्र (अतिरिक्त)	संख्या	19303	515
उर्वरक संवर्धन अभियान के लिए चुने गए जिले	संख्या	100	7
जैव गैस संयंत्र	संख्या	75000	3000
कृमिनाशी खपत	मी० टन	72000	1600
सहकारी ऋण	करोड़ रु०	2754.66	112.0
कृषि उपस्करों को लोकप्रिय बनाना	लाख में	7.22	0.88

वनस्पति में काला बाजारी के मामले

6825. **श्री अनादिचरण दास:** क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन महीनों में कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वनस्पति की काला बाजारी किए जाने के मामलों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों से वनस्पति की काला बाजारी किए जाने के इस प्रकार के कुल कितने मामलों की उनके मंत्रालय को रिपोर्ट दी गई है ; और

(ग) उक्त आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी रोकने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ): (क) (ख) से (ग) :

राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री किये जाने के लिये अनुमति

6826. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे कुछ शाखा स्टोरों, जिनमें राशन की वस्तुयें भी बेची जाती हैं,

को दिल्ली के नागरिक पूर्ति आयुक्त द्वारा खुली बिक्री की चीनी, बासमति चावल, भरे हुए पैकटों में आटा और खुदरा मात्रा से वनस्पति की बिक्री किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(ग) क्या समिति को ये वस्तुयें अपने शाखा स्टोरों, जो लोगों के व्यापक हित में उचित दर दुकानों का भी कार्य करते हैं, में बेचने के लिए अनुमति दी जाएगी यदि हां, तो कब ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) (क) और (ख) जी हां। दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 1981, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किया गया एक नियत्रण आशदेा है, में उचित दर की दुकान के दुकानदार को खुले बाजार की ऐसी किसी भी वस्तु का व्यापार करने की मनाही है, जो विनिर्दष्ट वस्तु घोषित की गयी है। चीनी, चावल तथा आटा विनिर्दिष्ट वस्तुयें घोषित की गयी हैं और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाती हैं। इन वस्तुओं को ऐसी दुकानों पर खुले बाजार के ऊँचे भावों पर इस सम्भावित बहाने पर बेचने से रोका जाता है कि उचित दर की दुकानो के दुकानदारों ने इन्हें खुले बाजार से खरीदा है। यद्यपि वनस्पति को विनिर्दिष्ट वस्तु घोषित नहीं किया गया है, तो भी उचित दर की दुकान के दुकानदारों को इसे खुले रुप में बेचने की अनुमति नहीं है। यह प्रतिबन्ध इस इरादे से लगाया गया है कि उचित दर की दुकान का दुकानदार आयातित आर० बी० डी० ताड़ के तेल के स्टाक को वनस्पति के रुप में न बेच सके, क्योंकि ये दोनों देखने में लगभग एक जैसे होते हैं।

(ग): आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गये उपर्युक्त कानूनी आदेश को देखते हुये, ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के जिन शाखा भंडारों के पास उचित दर की दुकान का प्राधिकार-पत्र नहीं है, वे खुले बाजार की सभी वस्तुओं को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

सहकारी आन्दोलन की राजनीति से अलग रखा जाना

6827. **श्री सुभाष यादव:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारी आन्दोलन को राजनीति से अलग रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने राजनीतिकरण की समस्या की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है ; यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक भेजे जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस समिति में सहकारी विशेषज्ञों को कोई प्रतिनिधित्व है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) "राजनैतिक और धार्मिक तटस्थता" सहकारी समितियों का मूल सिद्धान्त है। तथापि, सह-

कारिता आन्दोलन एक स्वैच्छिक और लोकतंत्रिक आन्दोलन है, अत: यह उस सामाजिक आर्थिक वातावरण से पूरी तरह से अछूता नहीं रह सकता, जिसमें इसका संचालन होता है ।

अन्य बातों के साथ-साथ सहकारी समितियों में राजनीतिज्ञों का वर्चस्व समाप्त करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए हाल ही में, एक अनौपचारिक दल का गठन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किये हैं :-

(1) प्रोफेसर वी० एस० व्यास,
निदेशाक भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ।

(2) डा० एस० के० राव महानिदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ।

(3) सदस्य सचिव के रुप में कृषि और सहकारिता विभाग का एक अधिकारी ।

भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी प्रोफेसर व्यास और डा० एस० के० राव द्वारा सदस्यों के रुप में बने रहने में अपनी असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण अनौपचारिक दल कार्य न कर सका ।

आदिवासी क्षेत्रों में उद्यानिकी का विकास

6828. **श्री के० प्रधानी:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कुछ राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में उद्यानिकी के विकास के लिए कदम उठाए गए है,

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें उद्यानिकी के विकास के लिए उपाय किए गए हैं,

(ग) उड़ीसा के आदिवासी जिले के क्या नाम हैं जिनमें उद्यानिकी के बिकास के लिए उपाय किए गए हैं,

(घ) क्या उड़ीसा का कोरापुट जिला उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उस जिले के आदिवासियों को फलों का उत्पादन करने के लिए क्या सुविधायें बपलब्ध कराई गई हैं, और

(च) उपलब्ध तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) बागवानी विकास योजनायें आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा, दमन और दीव में चल रही हैं ।

(ग) और (घ) उड़ीसा के कोरापुट जिला सहित राज्य के सब आदिवासी क्षेत्र भारत सरकार गृह मन्त्रालय से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन आदिवासी विकास कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं।

(ङ) और (च) राज्य सरकार ने फलदार वृक्षों के सुसंहत क्षेत्र पौद रोपण को एक मुख्य बागवानी कार्यक्रम के रूप में शुरू किया है। आवश्यक तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था की गई है और आदिवासी लोगों को पौदरोपण के प्रथम वर्ष में 350/- रु० प्रति हैक्टार राज सहायता दी जाती है और अगले 3 वर्ष में उनके रख-रखाव के लिए 125-रु० प्रति हैक्टर प्रति वर्ष राज सहायता दी जाती है। आम, नीबू जातीय फल, अमरूद और कटहल की किस्में आदि इस कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं।

काजू की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन छोटे काजू उत्पादकों को 900/- रु० की राज सहायया दी जाती है। जिस में आदिवासी लोग भी आते हैं।

दिल्ली की झुग्गी झौंपड़ियों के निवासियों का पुनर्वास

6829. **श्री राम लाल राही** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में झुग्गी झौंपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को राजधानी तथा अन्य महानगरों में स्थाई रूप से बसाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कितने झुग्गी-झौंपड़ी निवासियों को उनके स्थाई आवास के लिए दिल्ली अथवा नई दिल्ली में प्लाट अथवा फ्लेट आबंटित किए गए ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मार्च, 1977 में दिल्ली की अशिष्ट क्षेत्रों में शेष बचे झुग्गी-झौंपड़ी निवासियों को पुनर्वास सुविधायें उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय किया है। जहां तक अन्य महानगरीय शहरों का सम्बन्ध है वहां ऐसी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचारधीन नहीं है और यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पुनर्वास कालोनियों में झुग्गी झौंपड़ी निवासियों को पिछले दो वर्षों के दौरान 5961 प्लाट आबंटित किये गये।

गेहूं के वसूली मूल्य के सम्बन्ध में निर्णय

6830. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष के लिए गेहूँ के वसूली मूल्य के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय लिया गया है तथा वसूली मूल्य क्या निर्धारित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) तथा (ख) जी, नहीं। 1981-82 के फसल वर्ष के लिए गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

उचित दर की दुकानें खोलने के लिये योजना

6831. **चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए (राज्यवार) उचित दर दुकानें खोले जाने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : देश में एक व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही कार्य कर रही है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे और उचित दर दुकानें खोलकर इस प्रणाली का विस्तार करने और इसे मजबूत बनाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें और उम्मीद है कि वर्ष 1982-83 के दौरान देश में, 50,000 अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोली जायेंगी। विभिन्न राज्यों के बीच इनकी अलग-अलग संख्या उन राज्यों की अपनी-अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, दूरस्थ इलाकों के लिए चलती फिरती दुकानें तथा औद्योगिक मजदूरों, छात्रावासों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकानें खोलने पर भी बल दिया जा रहा है।

बिहार में कार्यरत केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के सिविल डिविजन

6832. **श्री कुंवर राम** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की तीन डिवीजनें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या उनका सर्किल कार्यालय कलकत्ता में स्थित हैं; और

(ग) क्या बिहार में सर्किल कार्यालय स्थापित किये जाने से उनकी कुशलता बढ़ेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

विश्व बैंक की सहायता से गेहूं के भण्डारण के लिये खत्तियों का निर्माण

6833. **डा० वसन्त कुमार पंडित** :

श्री के० टी० कोसलराम : : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश की गेहूँ की मण्डियों वाले क्षेत्र में अत्याधुनिक पूर्णतया मशीनीकृत गेहूँ की खत्तियों के निर्माण की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 के दौरान प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की कितनी आधुनिक मशीनीकृत खत्तियों का निर्माण किया जायेगा;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष द्वारा विश्व बैंक की सहायता से बनायी गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) किसानों को अपना गेहूं उत्पादन इन केन्द्रों में देने के लिये आकर्षित करने के लिए तथा इन केन्द्रों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या योजना बनायी गयी है; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस प्रकार की अत्याधुनिक खत्तियों में आगामी तीन वर्षों में राज्यवार गेहूँ की कितनी भण्डारण क्षमता बनाई गयी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क), (ख), (ग) और (ङ) : भारतीय खाद्य निगम ने विश्व बैंक की सहायता से गेहूं का भण्डारण करने के लिए प्रत्येक 20,000 मी० टन की क्षमता के पाँच साइलो तीन पंजाब में और दो उत्तर प्रदेश में पहले ही स्थापित कर दिए हैं। देश के मण्डी क्षेत्रों में कोई और साइलो स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन साइलों की गेहूँ के लिए क्रय केन्द्रों के रूप में घोषणा करें।

देश में तथा मध्य प्रदेश में वानिकी कार्यक्रम

6834. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम के देश में चलायी जा रही 21 वानिकी विकास योजनाओं पर जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल 80 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है, के लिए 63 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो वास्तव में कितने करोड़ रुपए की राशि कितनी योजनाओं के लिए निकाली गयी, ये योजनाएं किन स्थानों पर चलायी जा रही है तथा उनमें क्या प्रगति हुई है;

(ग) वानिकी कार्यक्रमों के लिए इस समय किये जा रहे कार्य की ओर अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश के लिए 31 मार्च, 1982 तक तथा छठी पंचवर्षीय योजना के शेष प्रत्येक वर्ष के लिए वानिकी के लिए कितने चालू तथा कितने नये कार्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : कृषि पुनर्वित्त विकास निगम से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक वानिकी और उत्पादन वानिकी के अधीन वन रोपण शुरू करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 452.20 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के रोपण सहित तथा सामाजिक वानिकी सामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में दिए गये 50 करोड़ रु० भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। ऐसी 5 परि-

योजनाएं पहले ही क्रियान्वित की जा रही हैं और 7 परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं । इन सभी परियोजनाओं पर कुल व्यय लगभग 484 करोड़ रु० का होगा ।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गत तीन वर्षों के दौरान सोयाबीन का उत्पादन

6835. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश में वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के मौसम में (प्रत्येक राज्य में) सोयाबीन का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान (प्रत्येक राज्य में) कितनी भूमि पर सोयाबीन की खेती की गई;

(ग) सोयाबीन का (1) खाद्य प्रतिस्थापन (2) दूध के प्रतिस्थापन (3) तिलहनों (4) एन्टीबायटिक्स के औद्योगिक उत्पादन तथा (5) शिशु आहार के रूप में उपयोग किए जाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है;

(घ) क्या प्रतिदिन 125 टन सोयाबीन प्रतिशोधित करने वाले संयंत्र के निर्माण के लिए "यूनिसेफ" ने भारतीय खाद्य निगम को सहायता देने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो योजना का पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा; और

(च) क्या सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष राज सहायता दी है; यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश को गत दो वर्षों के दौरान कितनी राज सहायता दी गई तथा 1982-83 के मौसम में कितनी राज सहायता दी जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सोयाबीन उत्पादक दो प्रमुख राज्य हैं । गुजरात, राजस्थान तथा कुछ अन्य राज्यों में भी सोयाबीन की खेती में वृद्धि हो रही है । राज्य सांख्यिकी अधिकारियों ने मौसम दर मौसम पर आंकड़ों के नियमित संचयन के लिए फसल सूची में सोयाबीन शामिल कर लिया है । इस समय, क्षेत्र तथा उत्पादन के मूल्यांकन राज्य कृषि विभागों द्वारा भेजे जाते हैं । इस प्रकार प्राप्त हुए आँकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	1979-80		1980-81		1981-82	
	क्षेत्र (लाख है०)	उत्पादन (लाख मी० टन)	क्षेत्र (लाख है०)	उत्पादन (लाख मी० टन)	क्षेत्र (लाख है०)	उत्पादन (लाख मी० टन)
मध्य प्रदेश	4.14	2.40	4.50	3.50	—उपलब्ध नहीं—	
उत्तर प्रदेश	0.77	0.40	1.35	0 84	—उपलब्ध नहीं—	
अखिल भारत	4.97	2.82	6.06	4.40	—उपलब्ध नहीं—	

(ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय ने सोयाबीन का आटा, टैक्सचर्ड सोया प्रोटीन, प्रोटीन आइसलेट तथा सांद्रित, रिफाइंड आयल और सोया आहार जैसे सोया पर आधारित विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के लिए आशय पत्र जारी कर दिए हैं। ब्यौरा (संगठन वार) संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(घ) और (ङ) : इस समय संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बात आपात निधि से भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन परिसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(च) मध्य प्रदेश में सोयाबीन सम्बन्धी विशेष परियोजना के लिए जो 1981-82 में शुरू हुई थी, राज्य सरकार को 113 लाख रुपए निर्मुक्त किए थे ताकि सोयाबीन का विकास हो सके। वर्ष 1982-83 के लिए परियोजना के अन्तर्गत 215 लाख रुपए की राशि मंजूर की गयी है। इस परियोजना पर होने वाले व्यय की पूर्ति पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

विवरण

सोयाबीन उत्पादों के विनिर्माण विवरण तथा संस्थापित क्षमता के मद

जारी किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा :—

	खाद्य सोया का आटा	सोया टैक्सचर्ड प्रोटीन (मी० टन)	एकमात्र सोया प्रोटीन तथा सांद्रित	संसाधित सोया का तेल	सोया आहार
1. मैसर्स मोदी पोन (मध्य प्रदेश)	45000 मी० टन)	30,000	3000 मी० टन	16450 (एमटीसी)	—
2. मैसर्स ब्रतानिया (मध्य प्रदेश)	25,000 मी० टन	10,000 मी० टन	6000 एम टी एस	36000 एम टी एस	
3. मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक संघ भोपाल	25,000 एम टी एस		10,000 एम टी एस	17000 एम टी एस	35,000
4. सुजल पिन (मध्य प्रदेश)	25,000 मी० टन			8000 मी० टन	11,000 मी० टन
5. इटारसी (मध्य प्रदेश)	25,000 मी० टन			8000 मी० टन	11,000 मी० टन
6. साहोर (मध्य प्रदेश)	25,000 मी० टन			8000 यी० टन	11,000 मी० टन

7. भोपाल	25,000 मी० टन	5000 मी० टन	10,000 मी० टन	11,000 मी० टन
8. मैसर्स जनरल गुड्स (प्रा०) लि०, इंदौर	सोया आटा की वार्षिक क्षमता 10,000 मी० टन—चालू उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं			
9. सोया उत्पाद एवं अनुसंधान संघ, बरेली	सभी प्रकार के सोया उत्पाद 900 मीट्रिक टन प्रति वर्ष चालू उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं।			
10. पन्तनगर सोया दुग्ध उत्पाद नोएडा कम्प्लेक्स	प्रतिदिन 10,000 लिटर सोया दुग्ध उत्पादन के वर्तमान स्तर की जानकारी नहीं।			
11. एम बी आई माड्र्न बेकरीज (भाँई) लिमिटेड	मध्य प्रदेश में सोयाबीन परिसंस्करण संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।			
	एम. बी. आई. उज्जैन स्थित अपने विलायक निष्कर्षण संयंत्र में सोया तेल, सोया आहार आदि का उत्पादन कर रहा है।			

कृमिनाशी-खर-पतवार नाशी कीटनाशी पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्य

6836. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृमिनाशी, कीटनाशी तथा खर-पतवार नाशी पदार्थों आदि के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों की रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) इसकी किस्म बनाये रखने तथा बाजार में आ रहे अशुद्ध और नकली उत्पादों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारतीय कृमिनाशी पदार्थ संघ ने कृषकों के लाभ हेतु मूल्य स्तर कम करने तथा किस्म का मानक बनाये रखने के लिए सरकार से सहयोग करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) कृमिनाशियों के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कुछ प्रमुख कदम निम्न प्रकार हैं :—

(1) कृमिनाशियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत रखा गया है।

(2) एकाधिकार को तोड़ने तथा बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता लाने के लिये सरकार कृमिनाशियों को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।

(3) कृमिनाशियों से सम्बन्धित आयात नीति को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाकर उदार बनाया गया है,

(4) ग्राम रूप से प्रयोग किये जाने वाले कृमिनाशियों के बफर स्टाक को बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना तथा इनकी समय से उपलब्धि को सुनश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली में सुधार करना,

(5) उपलब्धि की स्थिति को ठीक करने के लिए ग्राम तौर पर प्रयोग की जाने वाली तथा देश में निर्मित कृमिनाशी औषधियों राज्यों को ग्राबंटित किये जा रहे हैं।

(6) वितरण में सुधार करने के लिए वह माध्यम प्रणाली की सहायता से कृमिनाशी दवाएं उपलब्ध कराये जा रहे हैं, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृमिनाशी दवाओं की लागत पर सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) अच्छे कृमिनाशी दवाओं को बनाये रखने तथा बाजार में बेचे जा रहे मिलावटी कृमिनाशी दवाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) इस समय 27 राज्य कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालायें हैं,

(2) फरीदाबाद, हैदराबाद तथा बम्बई स्थित अपने 3 एककों के साथ केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला मुख्य रूप से उन 12 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के कृमिनाशियों के विश्लेषण में सहायता कर रही हैं जहां कृमिनाशी गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाएं नहीं हैं/पूरी तरह कार्य कर रही हैं, और

(3) भारतीय मानक संस्था से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी प्रमाणीकरण चिन्ह लाइसेंसिंग योजनाओं को कड़ाई से लागू करें।

(ग) जी हां।

(घ) किसी भी प्रकार के विशिष्ट निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

विधवाओं, बेरोजगारों तथा अपंगों के बारे में राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य सहकारी संगठनों द्वारा आरम्भ की गई योजनायें

6837. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सहकारी बैंकों और अन्य सहकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विधवाओं, अपंग व्यक्तियों तथा बेरोजगारों के सम्बन्ध में क्या-क्या योजनाएं तैयार/आरम्भ की गई हैं; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) : सहकारी समितियों के कार्यकलापों में उत्तरोत्तर विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे। विद्यमान समितियों के माध्यम से या कुछ कार्यकलापों हेतु उनके लिये पृथक समितियां का आयोजन करके सहकारी विकास में विधवाओं सहित कतजोर वर्ग के लोगों को सहायता देने पर प्रमुख जोर दिया जाता है। भारत सरकार ने विकलांग लोगों की सहकारी समितियों के संवर्धन के बारे में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए थे। यह भी सुझाव दिया गया था कि ऐसी सहकारी समितियों को कच्चा माल तथा अन्य आदानों की सप्लाई करके तथा उनके

उत्पादों के लिये विपणन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करके उनकी सहायता की जानी चाहिये। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह भी दी गई थी कि वे शारीरिक तौर पर अपंग लोगों आदि की सहायता के लिये विशेष योजनाएं तैयार करें तथा छठी योजना व वार्षिक योजनाओं में इनके लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करें।

छठी योजना में सहकारिताओं को शामिल करने के बारे में सम्मेलन

6838. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने छठी पंचवर्षीय योजना में सहकारिताओं को शामिल करने के बारे में सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) सम्मेलन की सिफारिशें क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) : भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने छठी पंचवर्षीय योजना में सहकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नीति के सम्बन्ध में 14 अगस्त 1981 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन की सिफारिशें ग्राम स्तर पर सहकारी तंत्र को मजबूत बनाने, संघीय सहकारी समितियों के कार्यकलापों में विस्तार करना, व्यावसायिक प्रबंध का संवर्धन, कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समितियों का विकास, विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों का प्रबोधन और सहकारी समितियों के विकास में सरकार की भूमिका सम्बन्धित थी। सहकारी समितियों के विकास में सरकार की भूमिका के सम्बन्ध में, सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें, कार्यक्रमों के प्रबोधन, सहकारी विधान में प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रावधानों को हटाने, सहकारी समितियों के लेखा परीक्षा कार्य को मजबूत बनाने, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी संगठनों के बीच समन्वय करने तथा जिन क्षेत्रों में सहकारी समितियों ने अच्छे कार्य किये हैं उन कुछ क्षेत्रों में सहकारी समितियों की प्रभावी भूमिका का निर्धारण करने से सम्बन्धित हैं। ये सिफारिशें सरकार की नीति के अनुरूप हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सम्मेलन में की गयी विशेष सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सोयाबीन और मूंगफली की नई किस्में

6839. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली और सोयाबीन की एक-एक नई किस्म विकसित की है और वह पंजाब में सामान्य खेती के लिए दे दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) ये दो किस्में मूंगफली की एम-197 और सोयाबीन की एस एल-4 हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि मूंगफली की किस्म 123 दिनों में तैयार हो जाती है और प्रति हैक्टर करीब 18 क्विंटल

पैदावार होती है। इसमें तेल की मात्रा 49.5 प्रतिशत तथा छिलका 70 प्रतिशत होता है।

सोयाबीन की किस्म 106 दिनों में तैयार हो जाती है और प्रति हैक्टर करीब 13 क्विंटल पैदावार देती हैं। इसके दाने एकरूप मध्यम आकार के क्रीम जैसे होते हैं। इसमें पीले मोजेक विषाणुओं के प्रति क्षेत्र सहिष्णुता का गुण पाया जाता है।

मानव आवास के लिए राष्ट्र संघ के केन्द्र का संकल्प

6841. **डा० कृपासिंधू भोई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम लागत के बुनियादी ढाँचे वाले मकानों और सामुदायिक सेवाओं के विकास तथा धन जुटाने के लिए मानव आवास के लिए राष्ट्र संघ के केन्द्र के विभिन्न सम्मेलनों में स्वीकृत संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा के बारे में शीघ्र ध्यान देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार मानव बस्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के केन्द्र के अधिवेशनों में सक्रिय भाग लेती आ रही है। भारत सदा ही निर्धनों की रहन-सहन की स्थितियों को सुधारने पर बल देते हुए कार्यक्रम बनाने में सब से आगे रहा है। यह योजना में अनुमोदित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से सुस्पष्ट होगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए आवास स्थल तथा निर्माण सहायता की व्यवस्था करने के लिए छठी योजना में 353.50 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। इस योजना में 500 रुपये प्रति परिवार निर्माण सहायता देने की व्यवस्था है।

आवास के लिए संस्थानिक वित्तीय सहायता जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और आवास तथा नगर विकास निगम से उपलब्ध है।

1. आवास तथा नगर विकास निगम की 55 प्रतिशत वित्तीय सहायता आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों एवं निन आय वर्ग के लिए उद्दिष्ट है। राज्यों से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है कि वे उन योजना अग्रताओं के अनुसार चले जिनका का झुकाव नगरीय एवं ग्रामीण निर्धनों की ओर है और यह सुनिश्चित करें कि योजना के लक्ष्य पूरे हो। नगर विकास तथा स्थानीय स्वायत्त शासन के मन्त्रियों की केन्द्रीय परिषद् की 19वीं बैठक में इस आशय का निर्णय भी लिया गया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक सदस्य के रूप में भारत अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता दशक के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं और यह 1981-91 की अवधि के दौरान देश के अधिकांश लोगों को स्वच्छ पेय जल तथा स्वास्थ्यकर अपशिष्ठ निपटान सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयास करेगा। इस दशक के लक्ष्य की प्राप्ति के सन्दर्भ में, छठी योजना में जल पूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए परिव्यय को पर्याप्त रूप से बढ़ा करके एक शुरूआत की गई है। छठी

योजना में जल पूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए यह परिव्यय पांचवीं योजना (1974-79) में लगभग 1030 करोड़ रुपये की तुलना में 3900 करोड़ रुपये से अधिक है। छठी पंचवर्षीय योजना में समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए पेय जल पूर्ति पर बल दिया गया है उसके लिए उपर्युक्त परिव्यय में 2007.11 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पता लगाए गए उन सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को वर्षभर स्वच्छ पेय जल उपलब्ध रहने वाले कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था कर स्वच्छ पेय जल सप्लाई सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जायेंगे।

नगर विकास के क्षेत्र में शहरी निर्धनों के जीवन स्तर के वास्तविक सुधार के लिए खड्डों वाले मार्गों, स्वच्छ पेय जल पूर्ति एवं उन्नत स्वच्छता एवं नीतियों की व्यवस्था करके गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर बल देना है।

काजीरंगा नेशनल पार्क में पशु प्लेग (रिंडरपेस्ट) के कारण पशुओं की मृत्यु

6842. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीरंगा नेशनल पार्क में गत वर्ष पशु प्लेग के कारण लगभग 300 भारतीय भैंसे और कम से कम चार गैंडे मर गये,

(ख) क्या उक्त रोग पार्क में अवैध रूप से चराने के लिए लाये गये पशुओं के कारण हुआ और पूरे अभयारण्य में फैल गया, और

(ग) यदि हां, तो रोग के फैलने को रोकने तथा अभयारण्य में अवैध रूप से पशु चराने की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गत वर्ष फैले पशु प्लेग के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क में 146 जंगली भैंसे तथा 7 जंगली सूअर मर गये। पशु प्लेग से कोई भी गैंडा नहीं मरा।

(ख) यह पाया गया कि पशु प्लेग संक्रामक रोग आसपास के उन गावों से, जिनमें भारी संख्या में मवेशी हैं, से पार्क में फैला।

(ग) राज्य प्राधिकारियों ने केंद्रीय सरकार तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के मार्गदर्शन एवं सहयोग से महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप, इस महामारी को मई, 1981 के अन्त में नियन्त्रित कर लिया गया था राष्ट्रीय पार्क में मवेशियों के अवैध प्रवेश की रोकथाम करने के उपाय भी किए गए हैं।

नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम

6843. **डा० कृपासिन्धू भोई** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नगरीय आवास समस्या को जटिल बनाने का महत्वपूर्ण कारण नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम, 1976 हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या यह सच है कि भूमि विकास के लिए बहुत से संगठन हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में आवास समस्या मुख्यत: सामान्य स्फीति प्रवृत्तियों, विकसित भूमि एवं भवन निर्माण सामग्री की कमी तथा नगर क्षेत्र में प्रवासियों के बड़ी संख्या में आगमन जैसे घटकों के कारण प्रतीत होती है। नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध भी सहायक घटक हो सकते हैं।

(ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 को संशोधित करने के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

(ग) जी, नहीं। यह अनुमान करके कि प्रश्न दिल्ली से सम्बन्धित है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जोधपुर में अन्तर्राष्ट्रीय प्राइमेट सम्मेलन

6844. **डा० कृपासिन्धू भोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर में 17 से 19 फरवरी, 1982 तक एक त्रि-दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय प्राइमेट सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और निर्णय किये गये; और

(ग) परिस्थिति की, जनसंख्या गति विज्ञान, आकृति विज्ञान, कार्मिकी जैसे प्राइमेट जीव-विज्ञान के क्षेत्र में तथा जैव-चिकित्सा प्रयोगों में प्राइमेट के उपयोग में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राणि विज्ञान विभाग द्वारा 17 से 20 फरवरी, 1982 तक जोधपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्राइमेट सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन की अन्तिम सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) अन्तिम सिफारिशों के प्राप्त होने तथा उनकी जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण

6845. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** ; क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गए

निर्माण का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) इस बारे में व्यय का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ये निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक निर्माण कार्य के ठेकेदारों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैट, वाणिज्यिक भवन, स्कूल, किओस्क जैसे विभिन्न श्रेणी के भवन) और सड़कें भी, विकास कार्य (जिसे कि मल-निर्यास, जलपूर्ति एवं नालियां आदि) बनाए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण पर किया गया कुल खर्च इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

शीर्ष	1978-79	1979-80	1980-81
1. निर्माण कार्य एवं विकास योजनायें	245.19	133.89	271.95
2. मकानों दुकानों का निर्माण	1857.18	2734 97	5637.70
3. भूमि का विकास	885.20	560 61	1154.75
4. विकास योजनाओं में शामिल की गई सड़कों के अलावा अन्य सड़कों का निर्माण	5.48	4.20	8.67
5. झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में विकास सुविधायें	126.48	37.55	1768.13
6. निक्षेप कार्य तथा अन्य प्लान योजनायें	113.53	126.46	1050 65
7. इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण	—	—	495.08
	3233.06	3597.68	10386.93

सामान्यतया निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है किन्तु कुछ छोटे-मोटे तथा अनुरक्षण कार्य भी विभागीय तौर से किये जाते हैं। चूंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान कई हजार ठेकेदार दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों में शामिल थे, इसलिए इस बारे में सूचना एकत्रित और संकलित करने के लिए लगाया गया समय और श्रम लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपेक्षित परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

मत्स्य पालन पर खर्च की गई धनराशि

6846. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में मत्स्य पालन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है,

(ख) पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में मछुओं के कल्याण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) मछुओं के कल्याण के क्या उपाय किए गए हैं, और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मछुओं के कल्याण के लिए क्या उपाय करने का विचार है, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में मात्स्यकी पर खर्च की गई कुल राशि निम्न प्रकार है :—

चौथी योजना	—	54.11 करोड़ रु०
पांचवी योजना	—	134 98 करोड़ रु०

(ख) योजना व्यय में मछुओं के कल्याण हेतु, खर्च की गई राशि के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 5वीं योजना के प्रारम्भ से 1979-80 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विभिन्न मात्स्यकी सहकारी समितियों को लगभग 695 लाख रु० की सहायता दी है।

(ग) राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों में नौकाओं की खरीद, मात्स्यकी सामग्री, मछुओं के प्रशिक्षण हेतु ऋण तथा राज सहायता, मछली तालाबों में सुधार तथा आदानों हेतु राज सहायता' मछली-पालन हेतु विस्तार सहायता आदि जैसे विशेष कार्यक्रम चलाये जाते हैं। मछुओं के आवास के लिए भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने मछुओं की कल्याण योजनाओं के लिये मछुआ राहत कोष की व्यवस्था की है।

(घ) उपर्युक्त, कार्यक्रम योजनाएं छठी योजना अवधि के दौरान आती है।

छठी योजना के अंतर्गत नारियल विकास के लिए राशि

6847. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नारियल विकास के लिए कुल कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें एजेंसियों के माध्यम से तथा राज्य के माध्यम से ऐसी राशि खर्च की जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा 8.06 करोड़ रुपए का परिव्यय खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ख) नारियल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों, नारियल विकास बोर्ड और कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है :

1. केंद्रीय प्रायोजित योजनायें

1. नारियल विकास सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम :

भारत सरकार का हिस्सा	210 लाख रुपये
राज्य सरकारों का हिस्सा	210 लाख रुपए

2. नारियल विकास बोर्ड के प्रस्ताव

1. नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार की परियोजना;
2. उड़ीसा राज्य में नहरों के किनारों पर नारियल पौध रोपण की परियोजना;
3. क्वालिटी नारियल पौधों के उत्पादन की परियोजना;
4. तमिलनाडु में संकर बीज उद्यान तथा मार्गदर्शी संकर जांच केन्द्रों की स्थापना संबंधी परियोजना;
5. नारियल औद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी परियोजना;
6. प्राथमिक परिसंस्करण और विपणन कार्यकलापों के संवर्धन के लिए नारियल उत्पादक सहकारी समितियां संगठनों की स्थापना सम्बन्धी परियोजना;
7. केरल राज्य में नारियल मुरझान रोग से प्रभावित नारियल पेड़ों को हटाने के लिए नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परियोजना।

उपरोक्त योजनाओं के लिए प्रस्तावित परिव्यय निम्नलिखित है :—

नारियल विकास बोर्ड का हिस्सा	496.20 लाख रुपए
संस्थागत वित्त	600.00 लाख रुपए
राज्य सरकार का हिस्सा	185.13 लाख रुपए

नारियल सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल और गोआ में क्रियान्वित की जा रही है।

नारियल विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, गोआ-दमन और दीव, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी और त्रिपुरा में क्रियान्वित कराने का प्रस्ताव है।

कोसी, कमला और बागमती नदियों के कारण उत्पन्न समस्याएं

6848 **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई मन्त्री** पश्चिमी कोसी नहर के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 207 और नेपाली सीमा में पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के बारे में 8 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी, कमला और बागमती जैसी नदियों के कारण एक के बाद एक करके

बाढ़ें आती हैं और सूखा पड़ता है जिससे रेल, सड़क तथा नदी परिवहन के लिए निरन्तर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य बहुद्देश्यीय परियोजनाओं में समय बर्बाद किये बिना केवल बाढ़ की रोकथाम तथा मिट्टी हटाने का कार्य, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार और बर्बादी ही व्याप्त है, करने के लिए ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रमान अंसारी) : (क) इन नदी बेसिनों के क्षेत्रों में बाढ़ें आती रहती हैं। लेकिन, ये क्षेत्र सूखा-प्रवण नहीं हैं।

(ख) और (ग) : इन नदियों पर जल-संचयन बांधों का निर्माण किए जाने की संभावना केवल नेपाल में ही है। नेपाल सरकार से, दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए इन नदियों पर बहु-प्रयोजनी बांधों के निर्माण के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। यदि नेपाल सरकार अपने क्षेत्र में इन नदियों पर जल-संचयन बांधों के निर्माण के लिए सहमत हो जाती है, तो इनका निर्माण आरम्भ किया जा सकता है। तब तक, भारत में बाढ़ों की रोकथाम करने के लिए बाढ़-तटबंधों का निर्माण करना पड़ेगा।

निर्माण सामग्री न मिलने के कारण प्रभावित सिंचाई योजनाएं

6849. **श्री रेणुपद दास** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात से अवगत करा दिया गया है कि निर्माण सामग्री, विशेषकर सीमेंट, की सप्लाई में कमियों के कारण छठी योजना के अन्त तक 7 करोड़ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की कुल क्षमता बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जायेगा;

(ख) पश्चिम बंगाल की कौन सी सिंचाई योजनाएं निर्माण सामग्री, विशेषकर सीमेंट की सप्लाई न होने के कारण प्रभावित हो चुकी है; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सीमेंट की कमी के बारे में केवल आम शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसा होने पर भी, छठी योजना के पहले दो वर्षों में लक्ष्यों को प्राप्त करना लगभग संभव हो सका है। केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को सीमेंट की सप्लाई की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग में एक मानीटरिंग सेल स्थापित किया है। वर्ष 1982-83 के दौरान 6 मिलियन टन सीमेंट की प्रमात्रा सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए पृथक रखी गई है।

सप्लाई में कमी वाली दूसरी मुख्य मद कोयले की थी। तथापि, वास्तविक कठिनाई कोयला खानों से परियोजनाओं तक कोयले की ढुलाई की थी। अब यह व्यवस्था की गई है कि सिंचाई परियोजनाओं को प्रतिमास कोयले के 15 रैक आवंटित किए जाएंगे।

सार्वजनिक वितरण तथा रोलर फ्लोर मिलों के लिये गेहूं का मासिक नियतन

6850. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य के लिए अगस्त, 1980 से फरवरी, 1982 तक सार्वजनिक वितरण, रोलर फ्लोर मिलों को तथा एन० आर० ई० जी०, के लिए गेहूं का प्रतिमास कितना नियतन किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : विवरण संख्या । जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए अगस्त, 1980 से फरवरी, 1982 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के मासिक आवंटन का ब्यौरा दिया गया है और विवरण-11 जिसमें 1980-81 और 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए गेहूं के आवंटन का ब्यौरा किया गया है, संलग्न हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3857/82]

सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण

6851. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** सी०-5 ब्लाक, लारेन्स रोड, दिल्ली-35 के अन्तिम सिरे पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के बारे में 4 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9586 के उत्तर तथा दिनांक 23 नवम्बर, 1981 को कार्यान्वित किए गए आश्वासन के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध निर्माण को हटाने के लिए और आगे क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सरकार उक्त निर्माण में चल रही अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए मामले की आगे जांच करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्रधिकरण ने सूचित किया है कि इस मामले में न्यायालय द्वारा जारी किया गया रोकादेश अभी भी लागू है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखदी जाएगी ।

उड़ीसा में आवास निर्माण के लिये योजनाएं

6858. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा राज्य ने राज्य में निर्माण के लिए कुछ योजनाओं पर अनुमोदन करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार तथा अन्य एजेन्सियों से कितनी वित्तीय सहायता माँगी गई है; और

(ग) इस बारे में चालू वित्त वर्ष तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार की योजना क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास सहित राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता राज्यों को 'समेक्ति ऋणों' और 'समेक्ति अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो उनकी किसी योजना से सम्बद्ध नहीं होती है। योजना प्रावधानों के भीतर, राज्य सरकारें अपनी अपनी आवश्यकताओं और अग्रताओं के अनुसार विभिन्न आवास योजनाएं बनाने एवं उनका कार्यान्वयन करने में स्वतत्र हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, आवास तथा नगर विकास निगम और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भी आवास के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है।

(ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1981-82 के लिए आवास हेतु जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम के ऋण के लिए 4 करोड़ रुपये की मांग बताई थी। वर्ष 1981-82 के दौरान, राज्य सरकार ने आवास तथा नगर विकास निगम को 16 योजनाए भेजी थीं जिसमें 9.6 करोड़ रुपये की ऋण सहायता थी।

(ग) पुलिस आवास सहित आवास के लिए छठी योजना परिव्यय (1980-85) और 1981-82 की वार्षिक योजना परिव्यय क्रमशः 21 करोड़ रुपये और 4.79 करोड़ रुपये है। वर्ष 1982-83 के लिए आवास हेतु पुलिस आवास को छोड़कर वार्षिक योजना परिव्यय, 4.57 करोड़ रुपये है। वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य सरकार को जीवन बीमा निगम ऋण का 219 लाख रुपये और सामान्य बीमा निगम ऋण का 88 लाख रुपयों का भी नियतन किया गया है। इसके अलावा वर्ष 1981-82 के दौरान, हुडको ने 7.70 करोड़ रुपये की ऋण सहायता वाली 13 आवास योजनाओं की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, 5.43 करोड़ रुपये की हुडको की ऋण सहायता वाली 18 योजनाएं चालू थे।

आलू का समर्थन मूल्य

6853. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस स्थिति में आलू के लिए समर्थन मूल्य आपरेशन चलाने के पक्ष में अपनी रुचि दिखाई है यदि राज्य सरकारें भी हानियों में हिस्सा बटाने के लिए तैयार हों;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कुछ राज्यों से भी परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा है।

(ख) से (ग) : केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि भारत सरकार चालू वर्ष में प्रान्तीय सहकारी संघ द्वारा की गई आलू की खरीद में उठाई गई हानि में हिस्सा बंटा सकती है बशर्ते राज्य सरकार 50 प्रतिशत हानि स्वयं वहन करने के लिए तैयार हो।

फारेस्ट रेंज अधिकारियों (आई) को शिक्षा देना

6854. **श्री नरसिंह मकवाना** . क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फारेस्ट रेंज अधिकारियों (आई) को शिक्षा देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गए हैं और किन स्थानों पर ऐसे प्रबन्ध हैं और वहां पर प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी जा सकती है,

(ख) वनरोपण की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए कितने फारेस्ट रेंज अधिकारियों (आई) की आवश्यकता है और क्या इन सभी को शिक्षा देने सम्बन्धी प्रबन्ध करना सम्भव होगा,

(ग) क्या गुजरात सरकार ने फारेस्ट रेंज अधिकारियों (आई) को शिक्षा देने का प्रबन्ध करने का दायित्व स्वयं लेने के लिए कोई आवेदन-पत्र दिया है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वन रेंज अधिकारियों को वन राजिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। ये महाविद्यालय देहरादून, (उत्तर प्रदेश) चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) कोइम्बटूर (तमिलनाडु) कुरसियाग (पश्चिम बंगाल), बालघाट (म० प्रदेश) हल्द्वानी (उ० प्र०), राजपिपला (गुजरात) अंगुल (उड़ीसा), जबलपुर (म० प्रदेश) तथा चिखालड (महाराष्ट्र) में हैं। इन महाविद्यालयों में प्रति वर्ष 800 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान अपेक्षित इन रेंज अधिकारियों की संख्या 4,000 बतायी गयी है। इन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना सम्भव होगा।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार का ऐसा कोई आवेदन नहीं है। तथापि, गुजरात सरकार ने 1979 से राजपिपला में एक वन राजिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किया है।

फसल बीमा योजना

6855. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन किसानों के लिए, जिनके पास 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि है अथवा 10 एकड़ से कम शुष्क भूमि है, फसल बीमा लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्तावित योजना को कब लागू किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) ऐसे किसानों के लिए, जिनके पास 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि या 10 एकड़ से कम शुष्क भूमि है, अलग से कोई फसल बीमा योजना नहीं है। वर्तमान योजना एक मार्गदर्शी फसल बीमा स्कीम है, जोकि भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा चलाई जाती है। यह एक स्वैच्छिक योजना है तथा क्षेत्र के दृष्टिकोण पर आधारित है। योजना चलाने के लिए क्षेत्रों का चयन भारतीय बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके किया जाता है। मार्गदर्शी योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों में चलाई जाती है, जहां गैर-क्षतिपूर्ति सीमा 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है तथा प्रीमियम दर 5 प्रतिशत या इससे कम आंकी जाती है। वास्तविक उपज पर ध्यान न देकर,

चुनींदा क्षेत्र की प्रत्येक मूल यूनिट में सब बीमाकृत किसानों के लिये चुनींदा फसलों के लिए प्रीमियम की दर तथा क्षतिपूर्ति एक समान है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं होता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का निर्यात

6856. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात किए गये चावल की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या चावल निर्यात के बारे में भारतीय खाद्य निगम के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 1981 के दौरान लगभग 332 हजार मीटरी टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया था ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1981 के दौरान निर्यात किए गए चावल की किस्म अथवा मात्रा के बारे में अब तक सरकारी तौर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्षा और हिमपात के कारण फसलों को क्षति

6857. **श्री एच. एन. नन्जे गौड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष असमय पर हुई वर्षा और हिमपात के कारण फसलों की भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्यों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह किसानों को मुआवजा देने के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता दे; और

(ग) किन-किन राज्यों ने अनुरोध किया है और कितनी राशि माँगी गई है और कितनी राशि दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, नहीं । तथापि, कुछ राज्यों ने ओलावृष्टि से फसलों को हुई कुछ क्षति के बारे में रिपोर्ट दी है ।

(ख) तथा (ग) सूचना निम्न प्रकार है ।

मध्य प्रदेश :

सूखे तथा ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने 6,600 लाख रुपये की सहायता माँगी है । एक केन्द्रीय दल ने 26 तथा 27 मार्च, 1982 के बीच मध्य

प्रदेश का किया था। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा :

राज्य के कुछ भागों में ओलावृष्टि हुई थी और विस्तृत ज्ञापन भेजने तक राज्य सरकार ने 1000 लाख रुपए के तदर्थ अनुदान का अनुरोध किया है। तथापि भारत सरकार ने राज्य सरकार को साधन सम्बन्धी अग्रिम के रूप में 300 लाख रुपए की राशि मंजूर की है।

हिमाचल प्रदेश :

राज्य सरकार ने भारी वर्षा तथा हिमपात से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए अपने ज्ञापन, जो 29-3-82 को प्राप्त हुआ था, के अनुसार 1424.64 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता की माँग की है। इस पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान :

राजस्थान सरकार ने ओलावृष्टि से फसलों की हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए, 29-3-82 को प्राप्त हुए अपने ज्ञापन के अनुसार 3220.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

इस पर विचार किया जा रहा है।

नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम

6858. **श्री एच. एन. नंजे गौडा :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नये बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम पर अधिक बल दिये जाने के कारण इस कार्यक्रम को चलाने के लिए खाद्यान्नों के लिए राज्यों की आवश्यकता का पुनः अनुमान लगाने का है;

(ख) क्या राज्यों को कहा गया है कि वे निर्धारित लक्ष्यों को रखें और इन्हें एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अन्दर प्राप्त करें; और

(ग) क्या सभी राज्य वर्ष 1980 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए उन्हें किए गये आवंटन का पूरा उपयोग कर रहे हैं और यदि नहीं, तो ऐसे कौन से कारण हैं, जो ऐसा करने में असफल रहे हैं और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता का प्रमुख भाग अब नकद निधियों के रूप में दिया जाता है। वर्ष 1982-83 के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 190 करोड़ रुपये की धनप्राशि उपलब्ध करने पर सहमति हुई है। राज्य सरकारों द्वारा भी इसके बराबर धनराशि दी जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित

किये जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा वर्ष 1982-83 के लिए किए जाने वाले खाद्यान्नों के सम्पूर्ण आबंटनों पर निर्भर करेगी।

(ख) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य उन्हें उपलब्ध किए गए ससाधनों तथा उनके द्वारा तैयार की गई विभिन्न परियोजनाओं पर निर्भर करते हैं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एक चालू रहने वाला कार्यक्रम है इसलिए निधियों का कुछ भाग हमेशा शेष बचा रहता है। अतः उनका उपयोग किसी भी समय शत प्रतिशत नहीं होता। वर्ष 1981-82 के दौरान निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने कार्यक्रम के अन्तर्गत अच्छी प्रगति नहीं की है;

(1) बिहार

(2) जम्मू तथा काश्मीर

(3) मणिपुर

(4) सिक्किम

(5) मेघालय

(6) अरुणाचल प्रदेश

(7) अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह

(8) पांडिचेरी

"मकानों" के बारे में गोष्ठी

6859. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में "मकानों (शैल्टर्स)" के बारे में एक गोष्ठी आयोजित की थी और इस गोष्ठी में दिल्ली में भूमि अधिग्रहण, विकास और निपटान सम्बन्धी वर्तमान विनियमनों का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है;

(ख) क्या इस गोष्ठी में यह भी सुझाव दिया गया है कि राजधानी में लोगों की मकानों की जरूरतों को हल करने में प्राइवेट उद्यमकर्ताओं को भी सरकार के साथ सम्बद्ध किया जाये; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त सुझावों को मान लिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा "शेल्टर" पर हाल ही में आयोजित किया गया सेमीनार, दिल्ली

1981-2001 की भावी योजना के लिये उनके द्वारा उनके द्वारा आयोजित किये जा रहे सेमीनारों की श्रृंखला में से एक था। भूमि अर्जन नीति विकास और बिक्री (निपटान) का विषय भी गौण विषय के रूप में विचार विमर्श के लिए इस सेमीनार में उठाया गया।

(ग) इस सेमीनार में इस सुझाव के साथ-साथ अन्य कई सुझावों पर भी विचार विमर्श हुआ। इस सेमीनार में इस दिशा में कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू क्षेत्र में भूकम्प

6860. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू क्षेत्र में हाल ही के भूकम्प से कितने व्यक्ति मरे; और

(ख) इस भूकम्प के कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सरकार को 22 फरवरी, 1982 को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में अभी हाल में आए भूचाल की वजह से हुई मानव मौत के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) विगत में इस क्षेत्र में आए अन्य भूचालों की तरह यह भूचाल भी जमीन के भूगर्भ में चट्टानों के खिसकने की वजह से आया था।

सिंचाई क्षमता

6861. **श्री हरीश रावत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय कितनी सिंचाई क्षमता है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : जून, 1981 के अन्त तक बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से सृजित की गई कुल सिंचाई क्षमता 58.95 मिलियन हैक्टेयर थी।

शाहजहांपुर जिले में चीनी का कारखाना

6862. **श्री हरीश रावत** : कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहाँपुर जिले में पुवायन में चीनी के कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी हाँ। शाहजहाँपुर जिले में स्थित पुवायन में चीनी मिल स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव पर लाइसेंसिंग समिति ने 10.3.1981 को विचार किया था और इस प्रस्ताव को प्रत्यक्षत: अस्वीकृत करते हुए एक पत्र 31.3.1981 तक जारी कर दिया गया था। इस प्रत्यक्ष

अस्वीकृति के विरुद्ध फैक्ट्री से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अभिस्तावित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

इस अभ्यावेदन पर अन्य राज्यों से चीनी की परियोजनाओं के बारे में प्राप्त आवेदन-पत्रों के साथ-साथ दिनांक 4 जुलाई, 1980 के प्रैस नोट में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर और अन्तर्राज्यीय/अन्तर-क्षेत्रीय तथा पिछड़े क्षेत्रों को अग्रता देने विषयक बातों को भी ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा।

अंतर्राज्यीय विवादों के कारण अनुमोदन के लिए पड़ी हुई उत्तर प्रदेश सिंचाई योजनायें

6863. **श्री हरीश रावत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण उत्तर प्रदेश की कितनी योजनायें अनुमोदन के लिए पड़ी हुई हैं; और

(ख) यदि ये योजनायें कार्यान्वित की जाती हैं तो इससे उत्तर प्रदेश की वर्तमान सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उत्तर प्रदेश की केवल किशाऊ बाँध परियोजना अन्तर्राज्यिक विवाद के कारण लम्बित पड़ी है।

(ख) इस स्कीम से 2.71 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होगी।

नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम 1976 के कार्यान्वयन के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

6864. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सरकार द्वारा नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम में किये गये संशोधन को कार्यान्वित करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं, ;

(ख) राज्य सरकारों को क्या अधिकार दिये गये हैं और केन्द्रीय सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिन पर दोनों केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र रहेगा ; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास कौन से मामले भेजे जाने की आवश्यकता होगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में पेयजल सप्लाई परियोजनायें

6865. **श्री मोहम्मद असरार अहमद:** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उत्तर प्रदेश में पेयजल सप्लाई की किन-किन परियोजनाओं को घोषित किया गया है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में की गई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) तथा (ख) । सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 1977-78 में केन्द्रीय वित्तीय सहायता कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सितम्बर, 1981 तक उत्तर प्रदेश में पेयजल मुहैया कराए गए गैर समस्याग्रस्त ग्रामों के अतिरिक्त 2600 गांवों के लिये स्वीकृत योजनाओं की तुलना में 840 समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल मुहैया कराया गया ।

विवरण

उत्तर प्रदेश में पेयजल प्रदाय परियोजनाओं के सम्बन्ध में ।

जिले का नाम	गांवों की संख्या जिनके लिये त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें अनुमोदित कर दी गई है ।
इलाहाबाद	373
गाजीपुर	346
जौनपुर	484
राय बरेली	93
वाराणसी	368
आगरा	359
बांदा	27
मणिपुर	30
झांसी	32

(1)	(2)
सहारनपुर	191
पौड़ी	37
नैनीताल	164
अल्मोड़ा	19
पिथौरागढ़	46
जलना	1
मुरादाबाद	9
चमोली	9
उत्तर काशी	10
टिहरी	38
देहरादून	60
उन्नाव	10
जोड़	2600

छोटे, सीमांत तथा भूमिहीन किसान

6866. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने छोटे, सीमांत तथा भूमिहीन किसान और कृषि श्रमिक हैं; और

(ख) छोटे तथा भूमिहीन किसानों के अतिरिक्त किसानों की संख्या कितनी है और उनके पास भूमि का कितना क्षेत्रफल है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संख्या श्रेणी	(संख्या (मिलियन में)	क्षेत्र (मिलियन हैक्ट0 में)
(क) परिचालन जोतों वाले सीमान्त किसान (1 हैक्टेयर तक)	44.53	17.50
(ख) परिचालन जोतों वाले छोटे किसान (1-2 हैक्टेयर के बीच)	14.70	20.86
(ग) अन्य किसान	22.29	124.78
(घ) कृषि श्रमिक	53.37	

विशेष टिप्पणी : (i) (क), (ख), और (ग) 1976-77 कृषि गणना के अनुसार अनुमानित)
(ii) (घ) जनगणना 1981 के अनुसार

पशु चिकित्सा कालेज

6867. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने और किन-किन स्थानों में पशु चिकित्सा कालेज है;

(ख) इनमें से शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण देशों में अलग-अलग कितने और किन स्थानों में पशु चिकित्सा कालेज हैं; और

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग पशु चिकित्सा अस्पताल हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) : 22 महाविद्यालय है ।

देश में स्थानवार पशुचिकित्सा कालेज की संख्या से सम्बधित विवरण संग्लन किया जा रहा है ।

(ग) वर्ष 1980-81 के अन्त तक लगभग 12,993 पशु चिकित्सालय (जिसमें औषधालय सम्मिलित है) ये जिसमें से करीब 7,586 ग्रामीण क्षेत्रों में और करीब 5,407 शहरी क्षेत्रों में थे । इन पशु चिकित्सालयों के अतिरिक्त लगभग 15,000 वेटरिनरी स्टाकमेन सैंटर/वैटरिनरी एड सैंटर भी देश में कार्य करते हैं । ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं ।

विवरण

देश में स्थानवार पशुचिकित्सा कालेज की संख्या से सम्बधित विवरण

	कालेज	शहरी/ग्रामीण
(1)	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कालेज, आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	ग्रामीण
(2)	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन राँची कालेज, काँके राँची (बिहार) ।	ग्रामीण
(3)	केरल पशुचिकित्सा कालेज और अनुसंधान संस्थान, मन्नुथि, त्रिचूर(केरल)	ग्रामीण
(4)	पशुचिकित्सा विज्ञान कालेज और पशुपालन तथा पशुधन अनुसंधान संस्थान, मऊ (मध्य प्रदेश)	ग्रामीण
(5)	वेंसूर पशुचिकित्सा कालेज हेब्बल, बंगलोर (कर्नाटक)	ग्रामीण

(6)	पशुचिकित्सा औषध कालेज, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)	ग्रामीण
(7)	पशुचिकित्सा कालेज बांतीवाडा जिला बनासकांठा, गुजरात ।	ग्रामीण
(8)	बिहार पशुचिकित्सा कालेज, पटना (बिहार) ।	ग्रामीण
(9)	पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन कालेज, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।	ग्रामीण
(10)	पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन उड़ीसा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	ग्रामीण
(11)	आंध्र पशुचिकित्सा कालेज तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) ।	शहरी
(12)	असम पशुचिकित्सा कालेज, खानपाड़ा, गोहाटी (असम)	शहरी
(13)	परभनी पशुचिकित्सा कालेज परभनी (महाराष्ट्र)	शहरी
(14)	बंगाल पशुचिकित्सा कालेज बेलगाछिया, कलकत्ता-37 (पश्चिमी बंगाल)	शहरी
(15)	मद्रास पशुचिकित्सा कालेज वेपेरी, मद्रास-7 (तमिलनाडु)	शहरी
(16)	बम्बई पशुचिकित्सा कालेज, पैपेरी बम्बई (महाराष्ट्र) ।	शहरी
(17)	नागपुर पशुचिकित्सा कालेज, नागपुर (महाराष्ट्र) ।	शहरी
(18)	पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन गुजरात कालेज, आनन्द (गुजरात)	शहरी
(19)	पशुचिकित्सा और पशुपालन कालेज, उदयपुर विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)	शहरी
(20)	पशुचिकित्सा औषध कालेज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	शहरी

(21) पशुचिकित्सा औषध कालेज शहरी
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना (पंजाब)

(22) पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन शहरी
कालेज, मथुरा (उत्तर प्रदेश)

देश में दुधारू पशुओं की संख्या

6868. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने दुधारू पशु हैं ; और

(ख) शहर और गांवों में इनकी संख्या कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) पशुधन-संगणना के माध्यम से दुधारू गोपशुओं सहित पशुधन का ब्यौरा हर पांच वर्ष के बाद एकत्र किया जाता है। पिछली अखिल भारतीय संगणना 1977 में की गई थी। उक्त संगणना के अनुसार देश में कुल दुधारू गोपशुओं की संख्या निम्नलिखित है ।

	अनुमान (हजार में)	
	गाय	भैंस
(1) दुधारू	23212	17,000
(2) अन्य	34630	14,896
	57842	31,896

(ख) उनका ग्रामीण-शहरी ब्यौरा निम्न प्रकार था :—

	गाय	भैंस
ग्रामीण	54949.90	30301.20
शहरी	2892.10	1594.80
योग	57842	31896

चीनी का उत्पादन और खपत

6869 **श्री योगेन्द्र झा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में चीनी का राज्यवार अद्यतन उत्पादन तथा वितरण क्या है और पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : वर्तमान चीनी मौसम 1981-82 के दौरान 22 मार्च तक चीनी के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े और उसी तारीख तक इन उत्पादक राज्यों में फैक्ट्रियों के आन्तरिक खपत के लिये किये गये प्रेषणों के आंकड़े तथा पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान तदनुरुपी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े बताने वाला एक विवरण —परिशिष्ट -I पर संलग्न है ।

वर्तमान मौसम 1981-82 में अक्तूबर से दिसम्बर तक देशी चीनी की खपत के राज्यवार आंकड़े तथा पिछले तीन चीनी मौसमों में तदनुरुपी अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा परिशिष्ट -II में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3858/82]

बिना ग्राम पंचायत वाले राज्य

6870. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें इस समय ग्राम पंचायत-समितियों और जिला-परिषदें नहीं हैं तथा यह स्थिति कब-कब से है और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम): मेघालय तथा नागालैंड राज्यों और लक्षद्वीप तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें नहीं हैं । इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पंचायती राज प्रणाली जिसे पहली बार 1959 में लागू किया गया था, के स्थानीय हालातों को ध्यान में रखते हुए नहीं अपनाया है ।

गन्दी बस्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए धनराशि का आवंटन

6871. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 34 वर्ष बाद भी गन्दी बस्तियों की समस्याओं को हल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) गत पंचवर्षीय योजनाओं तथा छठी पंचवर्षीय योजना में पृथक्-पृथक् रूप से इन समस्याओं को हल करने के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) उपरोक्त आवंटित धनराशि से प्रत्येक योजना के दौरान, राज्यवार कितने-कितने स्लम साफ किए तथा चालू वर्ष में कितने स्लम साफ किए जाएंगे और इस प्रयोजन से प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गन्दी बस्तियों की समस्या शहरी जन संख्या में तेजी से वृद्धि तथा आवास और अन्य सेवाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को शहरों द्वारा पूरा न कर पाना है । भारत सरकार गन्दी बस्तियों की समस्या से परिचित है तथा गन्दी बस्तियों के उन्मूलन तथा सुधार के लिए 19 6 योजनायें चलाती आ रही हैं । अप्रैल, 1972 से मार्च, 1974 तक गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार की योजना केन्द्रीय क्षेत्र में चलाई गई थी । इस योजना को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चलाये जाने के लिए इसको 1-4-1974 से राज्य क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया । इसे अब नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है । गन्दी बस्ती निवासियों के पुनः

स्थापन की अपेक्षा जहां तक सम्भव हो, स्थल पर ही गन्दी बस्तियों का उन्नयन करने का प्रयास है ।

(ख) और (ग) : जब गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना केन्द्रीय क्षेत्र में थी तब विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को 52.10 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता का नियतन किया गया था । 1972-73 तक 1973-74 की अवधि के दौरान गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये दिये गये थे । 1974-79 की अवधि के दौरान 50 करोड़ रुपये का एक योजना परिव्यय किया गया था । छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए राज्य क्षेत्र में 151.45 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का प्रावधान है । यह अनुमान लगाया जाता है कि गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत मार्च, 1980 के अन्त तक लगभग 68 लाख गन्दी बस्ती निवासियों को लाभ पहुंचाया गया है । राज्य-वार ब्योरे उपलब्ध नहीं है । छठी योजना कार्यक्रम से लगभग एक करोड़ गन्दी बस्ती निवासियों को लाभान्वित किये जाने की आशा की जाती है । 1981-82 के दौरान इस योजना के लिए राज्य क्षेत्र में 22.19 करोड़ रुपये का परिव्यय था ।

उच्चतम न्यायालय के भवन में आग

6872. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री उच्चतम न्यायालय के भवन में आग के बारे में 24 अगस्त, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति द्वारा दिए गए सुझावों की जांच कर ली गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया गया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां । समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार से हैं :—

(एक) उच्चतम न्यायालय भवन तथा दूसरे कार्यालय भवनों में अग्नि की चेतावनी । अग्नि शमन के पर्याप्त प्रबन्धों की जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति द्वारा तत्काल इन भवनों का सर्वेक्षण करना ।

(दो) सरकारी भवनों में अग्नि चेतावनी । अग्नि शमन पद्धति के उचित कार्य के करने को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर जांच करना ।

(तीन) उच्चतच न्यायालय के दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए विशेष मेहरावी तथा धातु की कैबनेट सहित स्थायी रिकार्ड रूम का प्रावधान ।

(चार) बातानुकूलित नलिकाओं के लिए अज्वलनशील सामग्री का प्रावधान ।

(पाँच) कृत्रिम छत, विशेषकर पुस्तकालयों, अभिलेखागार इत्यादि जैसे आग के खतरे वाले क्षेत्रों में अग्नि रोधक सामग्री का प्रयोग ।

(छह) सरकारी भवनों के लिए भीतरी इस्पात नाली वाली बिजली की तारें ।

(सात) उच्चतम न्यायालय भवन में सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करना ।

(आठ) न्यायालय के कमरों और उच्चतम न्यायालय के कक्ष में तथा दूसरे सरकारी भवनों में लकड़ी के ऊपर दिलहाबन्दी पर विशेष रोगन के प्रयोग की सम्भावतया पर विचार करना ।

(नौ) सरकारी भवनों में बिजली यांत्रिक तथा वातानुकूलित संस्थापनों के लिए सुनियोजित निधारण मरम्मत और देखभाल ।

(दस) उपर्युक्त संस्थापनों के प्रभारी विद्युत स्टाफ को तकनीकी पर्यवेक्षण निर्देशन तथा नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वर्तमान श्रेणीबद्ध प्रबन्धों की जांच करना ।

(ख) सरकार तथा उच्चतम न्यायालय ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए किए गए उपाय

6873. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए बीस सूत्री कार्यक्रम की कार्यान्वित करने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भूमि सुधार कानूनों को लागू करने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य-सरकारों को कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य-सरकारों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार भूमि सुधार मामलों, जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं करती है, तथापि, बीस सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में उनसे यह अनुरोध किया गया है कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण किया जाए और न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कदम उठाए जाएं ।

(ग) और (घ) : कुछेक राज्य सरकारों से प्राप्त हुए उत्तरों से यह पता चला है कि वे भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गये सुझावों के आधार पर उचित कदम उठा रही हैं ।

बिहार सरकार द्वारा बनाई गई पेय जल योजनाएं

6874. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पेय जल की सप्लाई, नगरों के विकास और अन्य आवश्यक सेवाओं में सुधार करने के लिए कोई योजनाएं बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने ये योजनाएं उनके मन्त्रालय को भेजी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्होंने इनमें से कुछ योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या राज्य सरकार ने इन योजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय निधि की मांग की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : पेय जल पूर्ति शहरों का विकास और आवश्यक सेवाओं में सुधार राज्य के विषय हैं। राज्य योजनाओं में दी गई निधियों से योजनाएं राज्य सरकारी द्वारा बनायी और कार्यान्वितन की जाती है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरि ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम और छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनके संसाधनों को पूरा करने के लिए यह मन्त्रालय सहायता देता है। बिहार राज्य सरकार से प्राप्त और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत योजनाओं का एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

1. छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त योजनाएं और स्वीकृत राशि

शहर का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1. गोपालगंज	5.00
2. हाजीपुर	10.00
3. साहरसा	4.00
4. डेल्टनगंज	10.00
5. छपड़ा	10.00
6. दुमका	5.50
7. चईबासा	10.50
8. बेगुसराय	12.50
9. देवगढ़	26.00
10. आरारह	17.00
11. हजारीबाग	7.50
12. बेतीहा	20.00
	जोड़ 138.00

राज्य सरकार को 3 और शहरों की परियोजना रिपोर्टें भेजना अपेक्षित था। तथापि, उन्होंने सात शहरों नम्रत: धनवाद, सीतामढ़ी, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर और मोतीहारी की परियोजना रिपोर्ट भेजी हैं। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण माँगे जा रहे है कि 3 शहरों में से किस शहर को इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए सम्मिलित किया जाना है।

11. केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981-82 में प्राप्त/स्वीकृत योजनाएं

योजना की किस्म	प्राप्त योजनाओं की संख्या	शामिल किए गए समस्याग्रस्त गावों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	शामिल किए गए समस्याग्रस्त गावों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपयो में)
1. नलों द्वारा जल पूर्ति योजना	19	51	163.136	13	33	103.314
2. —वही—	9	29	85.602	7	24	65.349
3. —वही—	17	55	147.494	—		
4. —वही—	7	24	64.406			
5. हैण्ड पम्प सहित नलकूप (टी. डब्ल्यू. एच. पी) और खोदे गए नल कूप	24,938 टी.डब्ल्यूएचपी और 3 265 खोदे गए जलकूप	लगभग 1800	684.282			
*6. नलों द्वारा जल पूर्ति योजना				3	3	27.673
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम						
1. नलों द्वारा जल पूर्ति	1	3	12.500			
2. योजना -वही-	1	2	36.039			

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वनित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977.78 से इसके आरम्भ होने से 27.45 लाख की कुल जनसंख्या को (1971 की जनगणना के अनुसार) लाभान्वित करते हुए 1925 गाँवों की कुल 1630 ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का अनुमोदन किया गया जिसकी अनुमानित लागत 1610.457 लाख रु० थी।

2. शेष योजनाओं में से जिनकी मंजूरी नहीं दी गई है, कुछ जांचाधीन हैं और अन्यों को स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया गया है।

* 1981 में राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण के पश्चात 1980-81 में प्राप्त योजनाओं की मंजूरी दे दी गई थी।

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाना

6876. **श्री निहालसिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1982 के 'नवभारत टाइम्स' में इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण में अधिकारी लोग बाधा बन रहे हैं; यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) उन मन्त्रालयों के नाम क्या हैं, जिनके कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था और यह निर्णय कब लिया गया था तथा इन कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने में अब तक क्या कठिनाइयां सामने आई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। अभी भी अन्तिम निर्णय लिया जाना है। इस परिस्थिति में, अधिकारी वर्ग की ओर से बाधा डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुओं का निर्माण

6878. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के सूखे और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में सूखे की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार उस राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुओं के निर्माण सम्बन्धी किसी कार्यक्रम को शुरू करने का है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में उपयोगी जल स्रोतों के विकास के लिए विद्यमान कुओं को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना भी शामिल है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) तक कुओं और अन्य दूसरे साधनों द्वारा पेय जल पूर्ति करना राज्य का विषय है। राज्य योजनाओं में दी गई निधियों से योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, चुने गए समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया करने के लिए उनके संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। छठी योजना के दौरान पीने के पानी का कम से कम एक स्रोत जिसमें वर्ष भर जल उपलब्ध हो, की व्यवस्था कर सभी चुने गये समस्या ग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया करने का प्रयास किया जायेगा।

ये स्रोत स्वच्छ कुएं, नलकूपों, नलों द्वारा जलपूर्ति योजना इत्यादि, जैसा उपयुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त, जहाँ अपेक्षित है केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सूखा राहत के लिए अग्रिम योजना सहायता भी मंजूर की जाती है।

बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कृषि परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन

6879. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री रशीद मसूद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अनेक कृषि-परियोजनाओं की प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी विश्व-बैंक-दल ने भी कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) क्रियान्वयन प्राधिकारियों तथा विश्व बैंक द्वारा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सभी कृषि योजनाओं, जिसमें बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की परियोजनाएं भी शामिल हैं, के कार्य-निष्पादनका प्रबोधन परियोजना नियंत्रित आधार पर किया जाता है।

कृषि विस्तार अवसंरचना के सुदृढीकरण से सम्बन्धित परियोजनाए विश्व बैंक की सहायता से बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जा रही है। उड़ीसा विस्तार परियोजना के मामले में हाल ही में आए विश्व बैंक के दल ने क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में सन्तोष व्यक्त किया है। बिहार के मामले में, दल ने विचार व्यक्त किया है कि परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के विस्तार परियोजना के सम्बन्ध में दल ने नोट किया है कि क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा रहा है और उसने परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए पदों को भरने तथा बाहनों को खरीदने जैसी कुछ समस्याओं का पता लगाने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

बिहार तथा उड़ीसा भी राष्ट्रीय बीज परियोजना में भाग ले रहे है और इस परियोजना की समीक्षा करने वाले विश्व बैंक के दल ने कहा है कि परियोजना के क्रियान्वयन की गति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है तथा इसको क्रियान्वित करने वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रशंसनीय प्रयासों की वजह से इसे प्रोत्साहन मिला था।

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए मूल्यांकन रिपोर्ट में मछली उत्पादन एवं रोजगार अवसरों (जिसे इसने दिए हैं) में वृद्धि करने के लिए लोगों को जागरूक करने में तीन राज्यों में अन्तरर्देशीय भात्स्यकी परियोजना के तहत मछुआ विकास एजेंसियों की सफलता पर टिप्पणी की गई है।

प्रबोधन दलों के निष्कर्षों तथा विचारों को परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा है।

दिल्ली में भूमि अधिग्रहण

6880. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनके मन्त्रालय ने दिल्ली और नई दिल्ली में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामलों की समस्याओं की जाँच करने के लिए किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उक्त विशेषज्ञ-दल ने क्या सुझाव दिया है;

(ग) क्या वे भूमि-अधिग्रहण सम्बन्धी मामलों की पुन: जाँच करेंगे; और

(घ) उस विशेषज्ञ दल ने और अन्य क्या-क्या सुझाव दिए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा समुद्र तट पर कछुओं का शिकार

6881. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को उड़ीसा समुद्री तट पर समुद्री कछुओं के शिकार की जानकारी हैं,

(ख) यदि हां, तो उन निस्सहाय समुद्री-कछुओं को समाप्त होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) उड़ीसा के तट पर समुद्री कच्छओं के चोरी-छिपे शिकार किये जाने की समस्या के बारे में सरकार को जानकारी है। राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि वह सभी समुद्री कच्छुओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे और इस प्रयोजन के लिए प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाये। समुद्री जलयानों का प्रयोग करके इस चोरी को रोकने के लिए विशेषकर अण्डे देने के मौसम के दौरान, तट रक्षकों की सहायता भी प्रदान की गई है। तदनुसार उड़ीसा सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

मरथर में अधिक उपज देने वाली दालों और तिलहनों का विकास

6882. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजफगढ़ खण्ड में मरथर गाँव के हरे-भरे खेतों ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निष्ठापूर्ण प्रयासों को प्रमाणित कर दिखाया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या संस्थान ने शुष्क भूमि पर खेती करने के सम्बन्ध में मरथर में अधिक उपज देने वाली दालों और तिलहनों का विकास किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त गाँव में विकसित अधिक उपज देने वाली दालों का यह अनुभव विभिन्न राज्यों के अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभकारी होगा;

(घ) यदि हाँ, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान सस्थान ने यह योजना अन्य राज्यों में भी शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों का इस प्रयोजन के लिए विकास किया जा रहा

है और इस योजना के कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तिलहनों और दालों की अल्प-अवधि में तैयार होने वाली तथा अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का विकास किया है जिनका परीक्षण भरथल और पोचनपुर गांव के कृषकों के खेतों में किया गया है। भरथल गाँव में तिलहनों पर जोर दिया गया है, जबकि पोचनपुर गाँव में गेहूं-अरहर के फसल चक्र में दालों के उगाने पर जोरदिया गया है ।

(ग) पोचनपुर गांव में गेहूं-अरहर के फसल चक्र से प्राप्त यह अनुभव उत्तरी-पश्चिमी भारत में इस फसल चक्र को लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकता है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान राज्यों के सीधे क्षेत्र परीक्षण नहीं करता । फिर भी, अखिल भारतीय दाल और तिलहन समन्वित प्रायोजनाओं के अन्तर्गत इस तरह के परीक्षण किए जाते हैं ।

(ङ) इसका प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजनों और भूमिहीनों को मकान के लिए जमीन वितरित करने हेतु फालतू भूमि

6883. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ऐसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो राजधानी के गांवों में हरिजनों और भूमिहीन लोगों में जमीन बांटने हेतु फालतू भूमि खोजने के लिए शीघ्र सर्वेक्षण करने के बारे में निर्णय लेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है;

(ग) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण करने के बाद ऐसी कितनी भूमि पाई गई और इसमें से कितनी भूमि हरिजनों को वितरित की गई;

(घ) क्या भूमिहीन हरिजनों में जमीन वितरित करने हेतु फालतू भूमि का पता लगाने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इसी प्रकार के अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अब तक मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए उक्त अनुदेशों का पालन किया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) तथा (ङ) ग्रामीण भूमिहीन कामगारों, जिनमें हरिजन तथा अन्य शामिल हैं, को

आवास स्थल उपलब्ध कराने की योजना, समय-समय पर प्रेषित किये गये मार्गनिर्देशनों के अनुसार 1971 से 18 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। विशेष रूप से फालतू भूमि का पता लगाने हेतु अलग से कोई हिदायतें जारी नहीं की गई।

दिल्ली नगर निगम द्वारा पीने के पानी की सप्लाई

6884. **श्री निहाल सिंह : :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई करना दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय विभाग की जिम्मेदारी है;

(ख) दिल्ली में जोन-वार पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए किस गैर-सरकारी फर्म को कितने मूल्य का ठेका दिया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों की योग्यता की तुलना में उक्त फर्म के इंजीनियरों की अतिरिक्त अर्हता का ब्योरा क्या है तथा क्या पानी की पाईप-लाइन दिल्ली नगर निगम ने बिछाई थी अथवा उक्त गैर-सरकारी फर्म ने ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि निजी फर्मों की जलपूर्ति का कोई ठेका नहीं दिया जाता है। यह संस्थान नई दिल्ली नगर पालिका तथा छावनी क्षेत्र के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को एक मुश्त पानी की सप्लाई करता है। नई दिल्ली नगर पालिका तथा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस क्षेत्रों में फुटकर वितरण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में फुटकर वितरण दिल्ली जल प्रदाय तथा व्ययन संस्थान द्वारा किया जाता है।

इस संस्थान ने आगे यह भी बताया है कि जहाँ पाइप इत्यादि बिछाने का कार्य निजी ठेकेदारों को दिया जाता है वहां उसकी देख-रेख दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के अधिकारियों द्वारा की जाती है।

आलू के लिए अनिवार्य आवश्यक बीमा

6885. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि आलू के उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन लागत के बीच भारी अन्तर है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रशीतागारों में रखे आलुओं के लिए प्रशीतागारों के अनुचित कार्यकरण से होने वाली हानि से किसानों की रक्षा करने हेतु, अनिवार्य बीमा शुरू करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उत्तर प्रदेश में एकत्रित किये गए उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार आलू उत्पादन की कुल औसत लागत 40.00 रु० प्रति क्विंटल होने का अनुमान है। कुछ महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों में माह के अन्त में आलू के फुटकर मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कुछ महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों में माह के अन्त में आलू के फुटकर मूल्य

(रु० प्रति कि० ग्रा०)

वर्ष/केन्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
गुजरात												
अहमदाबाद												
1981	1.40	1.25	1.20	1.40	1.60	2.00	1.80	1.80	1.60	1.60	1.50	1.50
1982	1.00	1.00	1.00 (5-3-82)									
महाराष्ट्र												
बम्बई												
1981	2.00	1.50	1.50	1.80	2.00	2.20	1.80	1.80	2.00	2.00	1.60	1.60
1982	1.40	1.50	1.50 (19-3-82)									
नासिक												
1981	2.50	1.20	1.00	1.40	1.40	2.00	2.00	2.00	1.50	1.50	—	1.80
1982	1.25	1.25	1.25 (19-3-82)									
उत्तर प्रदेश												
कानपुर												
1981	0.60	0.90	0.80	1.00	1.20	1.50	1.50	1.40	1.20	1-40	1.00	0.80
1982	6.00	0 60	0.65 (19-3-82)									
दिल्ली												
1981	1.00	1.00	1.00	1.20	1.50	1.50	2.00	2.00	1.60	1.60	1.50	1.50
1982	1.00	1.00	1·00 (19-3-82)									

(ख) कुछ राज्यों द्वारा बनाये गये विभिन्न शीतागार व्यवस्थापनों के अन्तर्गत अनिवार्य बीमा की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में शीतागार उद्योग को क्रमश: उत्तर प्रदेश शीतागार विनियमन अधिनियम, 1976 तथा पश्चिम बंगाल प्रशीतागार (लाइसेंसिंग तथा विनियमन) अधिनियम, 1966 द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। भारत सरकार ने शीतागारों के उपयुक्त कार्यनिष्पादन का सुनिश्चय करने के लिए बिजली की नियमित सप्लाई से सम्बन्धित मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया है।

अमरीकी गेहूं के लदे जहाज को बंगला देश को भेजना

6886. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश में खाद्यान्न की कमी पर काबू पाने में एक लाख टन से अधिक अमरीकी गेहूं से लदे जहाज को भारत ने बंगलादेश भेज दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो गेहूँ का अभिप्रेत, आरक्षित भण्डार बनाने के बारे में भारत की स्थिति क्या होगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) फरवरी, 1982 के दौरान, संयुक्त राष्ट्र-खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत सरकार से 1.61 लाख मीटरी टन गेहूं इस शर्त पर अस्थाई रूप से उधार पर देने के लिए अनुरोध किया था कि उक्त गेहूँ को जून, 1982 के अन्त तक लौटा दिया जाएगा। यह गेहूँ इसलिए माँगा गया था ताकि वे बंगलादेश को उनकी तेजी से बिगड़ती हुई खाद्य स्थिति को सम्भालने में मदद कर सकें। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुरोध को मान लिया है और 1.03 लाख मीटरी टन यू० एस० गेहूं से लदे एक जहाज को बंगलादेश की ओर मोड़ दिया गया है।

(ख) आशा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को अस्थाई रूप से गेहूं उधार पर देने से गेहूं का बफर स्टाक तैयार करने की प्रक्रिया पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

देशी मत्स्य यानों और मशीनीकृत मत्स्य नौकाओं के बीच संघर्ष

6887. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी मत्स्य यानों और मशीनीकृत मत्स्य नौकाओं के बीच बार-बार होने वाले संघर्ष सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) इन दोनों प्रकार से मछली पकड़ने वालों को क्या लाभ दिए जाते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देशी मत्स्य यानों और यन्त्रीकृत मत्स्यन नौकाओं के चालकों के बीच छुटपुट झगड़ों की जानकारी कुछ क्षेत्रों से प्राप्त हुई है।

(ख) देशी मत्स्यन नौकाओं के मछुओं और यन्त्रीकृत मत्स्यन नौकाओं के चालकों को राजसहायता व राजसहायता तथा ऋण सुविधाओं की स्कीमों से सहायता दी जाती है ताकि वे मत्स्यन नौकाओं, गियर तथा अन्य मत्स्यन पुर्जों को प्राप्त कर सकें और देशी मत्स्य यानों व गियरों में सुधार ला सकें। इन मछुओं को माल उतारने व घाट सम्बन्धी सुविधाये, पहुँच सड़कों,

जल सप्लाई, नीलामी हाल, मत्स्य संसाधन यार्ड, सेवा केन्द्र, बर्फ की सप्लाई आदि जैसी अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं भी दी जाती है। मछुओं के लाभ के लिए समुद्र तट पर अनेक बर्फ संयंत्रों, शीतागारों तथा हिमित भण्डागारों की स्थापरा भी की गई है।

नई दिल्ली में नवनिर्मित भवनों में दरारें और रिसाव

6888. **श्री जेवियर अराकल : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि नई दिल्ली क्षेत्र में अनेक नवनिर्मित भवनों में दरारें पड़ गई है और उनमें पानी रिसता है; और

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण सामग्री की किस्म और मात्रा तथा उसके उपयोग की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी कोसी नहर

6889. **श्री योगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मन्त्री** पश्चिमी कोसी नहर के बारे में 8 मार्च, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 207 और अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 और 2482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल के सीमा क्षेत्र में बाकी के 12 ढाँचों और भारतीय भूभाग में भूटानी तालाब तक 53 ढाँचों के लिए नई निविदायें क्यों नहीं आमन्त्रित की गई हैं और इस प्रकार की स्थिति में जून, 1983 तक सिंचाई की शुरूआत सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे है; और

(ख) क्या नवगठित कोसी नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकार में पन बिजली उत्पादन भी है जसा कि 5 सितम्बर, 1980 को लोक सभा में घोषित बोर्ड के मामले में था और नवगठित बोर्ड की कितनी बैठकें अब तक हुई हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जिन शेष संरचनाओं के अभिकल्प को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, उनके लिए निविदाएं शीघ्र ही आमन्त्रित की जा रही हैं। बिहार सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार, सिंचाई लाभों की व्यवस्था करने के लिए नेपाल में नहर और बिहार में भूताही-बालान नदी तक मुख्य नहर जून, 1985 तक पूरी हो जाएगी।

(ख) हालांकि जल-विद्युत उत्पादन की मद, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित कोसी नियंत्रण बोर्ड के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से नहीं आती हैं, लेकिन यह मद अप्रत्यक्ष रूप से कोसी जल के समस्त उपयोग के भावी प्रस्ताव के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। केन्द्र के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोसी नियंत्रण बोर्ड की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

राशन कार्ड धारियों को गेहूं के कोटे में कटौती

6890. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन कार्डधारियों को गेहूं का कोटा कम कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस कटौती के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां। दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचनानुसार गेहूं जारी करने के बारे में 16-3-82 से कुछ समायोजन पुन: किया गया है जिसके फलस्वरूप गेंहूं की निर्गम मात्रा को 12 किलोग्राम प्रति व्यस्क प्रति मास से घटाकर 10 किलोग्राम प्रति व्यस्क प्रतितास कर दिया गया है और इस कमी के स्थान पर एक किलोग्राम परिणामी आटा और एक किलोग्राम चावल सुलभ किया गना है।

(ख) यह पुन: समायोजन खाद्य के सभी कार्डधारियों के लिए गेहूं का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

जल आयोग के लिए हिन्दी अधिकारियों का चयन करने के लिए विभागीय समिति के सदस्य

6891. **श्री आर० पी० यादव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल आयोग के लिए हिन्दी अधिकारियों के चयन के लिए गठित विभागीय समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं और प्रत्येक सदस्य की हिन्दी में योग्यता क्या है; और

(ख) किसी हिन्दी विशेषज्ञ को इस समिति का सदस्य नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :—

चयन समिति का गठन	हिन्दी में योग्यता
अध्यक्ष	
श्री जे० एस० नाफरे मुख्य इन्जीनियर	मैट्रिकुलेशन परीक्षा के विषय में, एक विषय संस्कृत था तथा प्राज्ञ परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की है : वह केन्द्रीय जल आयोग के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं।
सदस्य	
1. श्री एस० के० हलदार, उप मुख्य इंजीनियर	हिन्दी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण की है।
2. श्री एम० एस० हुसैन, निदेशक	प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण की है।

4. श्री एम० सी० नारंग, उप सचिव, राज भाषा विभाग, गृह मन्त्रालय — पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर

सदस्य-सचिव

श्री बी० आर० तलवाड़, निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय जल आयोग — आनर्स इन हिन्दी/पहले राजभाषा संसदीय समिति में अवर सचिव थे और इस समय केन्द्रीय जल आयोग के राजभाषा अधिकारी हैं।

(ख) कुछ सदस्यों की अर्हताओं और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

2000 ईस्वी के अन्त तक बोझा ढोने वाले और दुधारू पशुओं की आवश्यकता का मूल्यांकन

6892. **श्री चतुर्भुज :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, 2000 ईस्वी के अन्त तक बोझा ढोने वाले और दुधारू पशुओं की आवश्यकता का कोई मूल्यांकन किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने फसल उत्पादन, कटाई और कटाई के बाद के कार्यों से सीधे सम्बन्धित भार वाहन शक्ति का मूल्यांकन किया था। सन 2000 में सुधरे पशुओं की अनुमानित जरूरत इस प्रकार होगी :—

(एक) 800 लाख बैल और भैंसा

(दो) 512.5 लाख प्रजनन योग्य गायों और

(तीन) 305.9 लाख प्रजनन योग्य भैंसे।

ईंधन की लकड़ी के संकट को दूर करने की योजना

6893. **श्री चतुर्भुज :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन की लकड़ी का संकट दूर करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है, और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की रूपरेखा और ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ। ईंधन लकड़ी का संकट दूर करने के लिए "ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के रोपण सहित सामाजिक वानिकी" नामक एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना तैयार की गई है और इसे छठी योजनावधि के दौरान, क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) इस योजना के तहत गाँवों के आसपास ग्रामीण ईंधन की लड़की के वृक्षोरोपण का कार्य करने तथा किसानों को उनके खेतों में और उसके आसपास वृक्ष लगाने के लिए एवं "प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेड़" कार्यक्रम के तहत वृक्ष लगाने के लिए बच्चों को भी निःशुल्क

पौधों की सप्लाई करने की व्यवस्था है। यह योजना ईंधन लकड़ी की भारी कमी वाले विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 101 चुनीदा जिलों में क्रियान्वित की जानी है। इस योजना के तहत 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है, जो वृक्षारोपण के लिए अधिकतम 1000 रु० प्रति हैक्टार तथा सप्लाई किए गए पौधों के लिए 250 रु० प्रति हजार पौधे हैं। छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में आवंटित की गई है। छठी योजना के दौरान इस योजना के तहत 2.6 लाख हैक्टार क्षेत्र को ईंधन की लकड़ी के रोपण के अन्तर्गत लाया जाएगा और लगभग 58 करोड़ पौध निःशुल्क सप्लाई की जायेगी।

ट्रैक्टरों से जोती गई भूमि की प्रतिशतता

6894. **श्री चतुर्भुज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में ट्रैक्टरों से कितने प्रतिशत भूमि की काश्त की जाती है;

(ख) कितनी भूमि में बैलों की प्रति जोड़ी से काश्त की जा सकती है और इस समय कुल कितनी प्रतिशत कृषि भूमि पर बैलों की जोड़ी से भूमि जोती जा सकती है और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में बैलों की जोड़ियां कितनी हैं और साथ ही उनकी कुल कितनी आवश्यकता है; और

(घ) यदि बैलों की जोड़ियों की संख्या आवश्यकता से कम रहती है तो अन्तर को पूरा करने के लिए शुरू की गई पशु-संवर्द्धन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और यह कमी कब तक पूरी हो जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1971 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि कार्यकलापों के लिए विद्यमान शक्ति की जांच की थी और उनके अध्ययन से पता चला कि कृषि कार्यकलापों हेतु शक्ति में ट्रैक्टरों का योगदान 3.6 प्रतिशत था।

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बैलों की एक जोड़ी से औसतन तीन हैक्टार भूमि में जुताई की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के अनुसार कृषि कार्यकलापों में भार-वाही पशुओं का योगदान 50.8 प्रतिशत था। शक्ति के अन्य स्रोतों में डीजल/बिजली इन्जिन मोटर (31.6 प्रतिशत) शामिल हैं।

(ग) भारतीय पशुधन संगणना, 1977 के अनुसार बैलों तथा अन्य कार्य करने वाले पशु जोड़ियों की कुल संख्या 403 लाख थी। बैलों की वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष अध्यन नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय कृषि आयोग का मत था कि कार्य करने वाली बैल जोड़ियों की कमी नहीं थी।

(घ) छठी योजना अवधि में पशुपालन तथा डेरी उद्योग कार्यक्रम के लिए 851.30 करोड़ रु० के परिव्यय का आवंटन किया है। छठी योजना में ऐसी परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया

गया है जिनके अन्तर्गत आनुवंशिक सुधार तथा उत्तम स्वास्थ्य रक्षा के जरिए विभिन्न तरह के पशुधन की उत्पादकता बढ़ायी जा सके। संकर-प्रजनन परियोजनाओं में प्रदर्शन तथा विस्तार तरीकों के जरिए कार्य के लिए संकर-प्रजनित बैलों का उपयोग बढ़ाया जाए।

मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं की नई चार्टर नीति

6895. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं की नई चार्टर नीति के बारे में 15 मार्च, 1882 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में उल्लिखित कोई मछली पकड़ने वाली नौकायें भारत में पहुँच गई हैं;

(ख) प्रत्येक उल्लेख की गई कम्पनी चार्टर नौकाओं जिनकी अनुमति दी गई है, से अनुमानतया कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने, यदि वे जानबूझ कर अथवा/अन्यथा इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, कोई दण्ड-खण्ड शामिल किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन दंड-खंडों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनायन) : (क) जी हाँ। पाँच ट्रालर भारत पहुँच चुके हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि प्रत्येक खेप की शुरूआत से पहले विदेशी सहयोगकर्त्ता, प्रत्येक समुद्र यात्रा के लिए अनुपातिक चार्टर फीस घटाने के पश्चात् पकड़ी गई मछलियों के मूल्य के लिए भारतीय कम्पनी के पक्ष में परिक्रामी और पुष्टि किया गया ऋण पत्र प्रस्तुत करेगा या भारतीय पार्टी को अग्रिम भुगतान करेगा।

विवरण

1.	मेट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी बम्बई	प्रतिवर्ष प्रति जलयान से पकडी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत।
2.	ट्रोपिकल शिपिंग कम्पनी प्रा० लि० विशाखापट्टनम	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत।
3.	केरल मात्स्यिकीय निगम लि० कोचीन	प्रतिवर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 11 प्रतिशत।
4.	आन्ध्र प्रदेश फिशरीज कारपोरेशन लि० विशाखापट्टनम।	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत।
5.	विभाग बार्टलिंग कम्पनी प्रा०लि०, विशाखापट्टनम।	प्रतिवर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत।

6. वाटल ग्लास प्रा०लि०नई दिल्ली ।	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत ।
7. वरुणा मेराइन प्रोडक्टस, प्रा० लि० नई दिल्ली ।	प्रति वर्ष प्रति जलयान से पकड़ी गई मछली के कुल विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत ।

गुजरात से चीनी मिलों हेतु लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या

6896. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में चीनी मिलों की स्थापना किए जाने हेतु लाइसेंस दिए जाने के लिए राज्य सरकार के कितने आवेदन उनके मंत्रालय के पास लम्बित पड़े हुए हैं और ये आवेदन कब से लम्बित पड़े हुए हैं और कब तक उन पर मंजूरी दिए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार मेहसाना जिले के खरोल तालुका में, जो कि एक पिछड़ा तालुका है और भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है और जहां धारोई बांध के पूरा होने पर सिंचित क्षेत्र में वृष्टि होने के पश्चात और अधिक गन्ने के उत्पादन होने की संभावना है ; सहकारी चीनी मिल की स्थापना के प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी ; और

(ग) नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं और कितने हैक्टर भूमि में इस प्रयोजना के लिए गन्ने की खेती की जानी चाहिए और इस बारे में पूरा ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) गुजरात राज्य में नयी चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु दो आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं। एक आवेदन पत्र 9. 12.81 को प्राप्त हुआ था जबकि दूसरा 7.1.82 को प्राप्त हुआ था। इन आवेदन पत्रों पर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ नयी चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार और अन्तर्राज्यीय/अन्तर क्षेत्रीय तथा पिछड़े हुए देशों को अग्रता देने विषयक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। आशा है कि इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में निर्णय ले लिया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास अभी तक महसाना जिले के खरोल तालुका में सहकारी चीनी मिल लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) नयी चीनी मिलों लगाने के लिए जो मुख्य-मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं उनका उल्लेख 4 जुलाई 1980 को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त/मापदण्डों का उल्लेख अनुबन्ध में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी 3859/82]

राष्ट्रीय डेरी विकास निगम को ऋण

6897. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास निगम को 1981-82 के दौरान कोई ऋण दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गुजरात में डेरी विकास के लिए कोई ऋण निर्गत किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को कोई ऋण नहीं दिया गया ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

उपरि सकारी जलाशय योजना के अन्तर्गत पूरा किया गया कार्य

6898. **श्री कुंवर राम**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरि सकारी जलाशय योजना के अन्तर्गत 1982-83 के दौरान पूर्ण किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्य और उसके लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): अपर सकरी जलाशय स्कीम योजना आयोग द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है । उनके द्वारा स्वीकृति दे दिए जाने के पश्चात ही इस स्कीम को क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया जाएगा । 1982-83 के दौरान अपर संकरी सहित, 24 नई बृहद स्कीम के लिये 350 लाख रुपये के एक मुश्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इस परिव्यय से, 1982-83 के दौरान अपर सकरी जलाशय परियोजना में कार्य की किसी बड़ी मद के पूर्ण होने की संभावना नहीं है ।

दिल्ली में भूमि हथियाने वाले व्यक्ति

6899. **श्री कुंवर राम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि हथियाने वाले कुछ संगठित गिरोहों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इन गिरोहों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि गन्दी बस्ती सफाई के नाम पर केवल गरीब मजदूरों कीझौंपड़ियों को गिराया जा रहा है ?

संसदीय कार्य तथा ग्रामीण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें दिल्ली में भूमि हथियाने वाले किसी संगठित गिरोह के बारे में कोई सूचना नहीं है तथा ऐसे किसी गिरोह का पता नहीं लगाया गया है । दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि अधिसूचित । अर्जित भूमि के हथियाने की रोकथाम के लिए दिल्ली प्रशासन मई 1980 से एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है तथा 21-2-82 तक पुलिस उपायुक्त (विशेष कक्ष), भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली राजधानी में अवैध विक्री, पंजीकरण अथवा अर्जित अथवा अधिसूचित भूमि के अन्तरण के 229 मामलों का पता लगाया तथा इस सन्दर्भ में 678 व्यक्ति बन्दी बनाए गए ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि एतद् विषयक नीति के अनु-

सात नए अनधिवासियों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है तथा जब कभी ध्यान में आते हैं, हटा दिये जाते हैं।

पटना के लिए मास्टर प्लान

6900. **श्री कुँवर राम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले से ही अधिक जनसंख्या पटना में गंगा के ऊपर, महात्मा गांधी पुल के यातायात के लिए खोले जाने के बाद और अधिक बढ़ जाएगी और आवास समस्या प्रचंड हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार स्थिति का समाधान करने हेतु दिल्ली के मास्टरप्लान की भांति पटना के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए बिहार सरकार को कोई निर्देश जारी करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) महात्मा गांधी सेतु के खुलने से पटना में लोगों के और सामान के आवागमन में परिवर्तन होने की सम्भावना है। तथापि, इस अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि एवं पटना की आवास समस्या पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है।

(ख) नगर विकास तथा शहरी आयोजना का कार्य राज्य क्षेत्र में है राज्य सरकार ने सन् 1967 में पटना बृहद योजना का अनुमोदन किया था। यह बताया जाता है कि बृहद योजना का संशोधन करने के आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।

विकासपुरी, दिल्ली में आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान

6901. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की डी० डी० ए० की एक कालोनी विकासपुरी में कोई बाजार, स्कूल और दूध का डिपो आदि का निर्माण इस तथ्य के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है कि वहां बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण किया गया है और लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में वहां के निवासियों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो वहां उपयुक्त आवश्यक सुविधाओं की कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दो विपणन केन्द्रों का निर्माण कार्य पहले ही प्रगति पर है। दो और विपणन केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 16 दुकाने और 10 स्टालों का निर्माण किया गया है और इनको नीलामी द्वारा शीघ्र ही आंबटित कर दिया जायेगा।

एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन भी निर्माणाधीन है।

मदर डेरी के दूध के अधिक बिक्री वाले दूध का पहले ही निर्माण किया जा चुका है और यह 13-11-81 चालू है ।

(ख) जी, हां । इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) तथा (घ): कालोनी के विन्यास नक्शे में 6 उच्चतर माध्यमिक, 17 प्राथमिक और 56 नर्सरी स्कूलों का प्रावधान है । दूध के डिपों के लिए भी स्थल उद्दिष्ट किये गये हैं और दिल्ली दुग्ध योजना । नेशनल डेरी डेवेल्पमेन्ट बोर्ड की मांग करने पर आवंटित किये जायेंगे ।

गेहूं में "लूज स्मट" के नियंत्रण के लिये वीटावैक्स का उपयोग

6902. श्री मूलचन्द डागा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में गेहूं की फसल में "लूज स्मट" के नियंत्रण के लिए बीज-उपचार हेतु 75 प्रतिशत डब्ल्यु० पी० वाले वीटावैक्स का उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या टेक्नीकल वीटावैक्स का विदेश से आयात किया जाता है ;

(ग) क्या 50 प्रतिशत डब्ल्यु० पी० वाले बाविस्टिन का भी इसी प्रयोजन के लिए और उपरोक्त वीटावैक्स के 100 प्रतिशत प्रतिस्थापक के रुप में उपयोग में लाया जाता है;

(घ) क्या बाविस्टिन टेक्निकल का निर्माण हमारे देश में बी० ए० एस० एफ० द्वारा किया जाता है और यह फार्मूलेटरों के लिये और किसानों के लिये 50 प्रतिशत डब्ल्यु०पी० बाविस्टिन के रुप में निर्बाध, रुप से उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो कनाडा में छपे "गजेट न्यूज", को देखते हुए 75 प्रतिशत डब्ल्यु० पी० वाले वीटावैक्स के उपयोग पर कीटनाशी अधिनियम के अधिन प्रतिबन्ध, न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) वीटावैक्स के प्रतिस्थापक के तौर पर बाविस्टिन का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन बाविस्टिन 100 प्रतिशत विटावैक्स 75 प्र० डब्ल्यु० पी० के बराबर प्रभावकारी नहीं है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) वीटावैक्स के प्रभाव के कारण कनाडा के एक किसान की मौत की घटना, जो कि कनाडा की प्रेस में छपी थी को पंजीयन समिति के नोटिस में लाया गया था जिसने मद के सम्बंध में विभिन्न विषाक्तता आंकड़ों की जांच करने के बाद यह निश्चय किया कि एक खबर के कारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत इसके उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक नहीं है।

उड़ीसा में "साल" तथा "सागवान" के वनों को काटा जाना

6903. **श्री रास बिहारी बहेरा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में "साल" और "सागवान" के वनों के काटे जाने से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है, और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तथा देश के अन्य "सागवान" तथा "साल" उत्पादक क्षेत्रों में "साल" तथा सागवान" के वनों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क)तथा (ख) उड़ीसा सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मास्टर प्लान तथा जोनल विकास योजना दिल्ली में संशोधन

6904. **श्री विजय कुमार यादव:** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अशोक रोड, महादेव रोड क्षेत्र मास्टर प्लान तथा जोनल विकास योजना में संशोधन किया है ताकि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इस क्षेत्र में अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र बना सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख): 2 जनवरी, 1979 तथा 5 जनवरी, 1982 को जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत, इस क्षेत्र की बृहद् योजना। क्षेत्रीय विकास योजना क्रमश: 309 एकड़ तथा 1.74 एकड़ के क्षेत्र का भू-उपयोग 'रिहायशी' से 'सार्वजनिक' तथा अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं में बदलने के लिए संशोधन किए गए हैं। 4.83 एकड़ कुल माप की इस भूमि में से 1.86 एकड़ तथा 0.22 एकड़ का क्षेत्र विश्वायतन योगाश्रम को क्रमश: अगस्त, 1969 तथा सितम्बर, 1970 में आंबटित किया गया था शेष 1.75 एकड़ भूमि फरवरी, 1982 में केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (योग) को एक अनुसन्धान स्कन्ध तथा एक 100 बिस्तर के अस्पताल सहित योग विद्यालय के लिए आबंटित किया गया था। केन्द्रीय अनुसंस्थान (योग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन एक पंजीकृत समिति है।

लोधी रोड़ स्थित सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत

6905. **श्री के० राममूर्ति :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोधी कालोनी सरकारी क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत ब्लाक-वार या क्षेत्र बड़े अलग-अलग क्वार्टर के आधार पर की जाती है;

(ख) क्या सफेदी, दरवाजों पर रोगन आदि के लिये निजी व्यक्तियों को ठेके अलग-अलग क्वार्टर के आधार पर दिये जाते हैं या रिहायशी फ्लैटों के ब्लाकों के आधार पर; और

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा सत्यापन किये जाने के बाद ऐसी मरम्मतों का क्वार्टर -वार कोई रिकार्ड रखा जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं!

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) तथा (ख) वार्षिक मरम्मत टाईपवार तथा ब्लाकवार की जाती है और इसी आधार पर ठेके दिये जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन करने के पश्चात् वार्षिक मरम्मत का यथोचित रिकार्ड रखा जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें

6906. **श्री के० राममूर्ति:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने की कोई योजना बनाई गई है या बनाने का विचार है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई हैं; और

(ग) क्या इस कार्य में राज्य सरकारों का भी कोई योगदान है।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) से (ग) : छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूर्णतया राज्य क्षेत्र में है जिसके लिए निधियां विशिष्ट रुप से राज्य योजनाओं में निर्धारित की जाती है। फिलहाल ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में या केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनायी गई योजनायें

6907. **श्री के राममूर्ति:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) शिक्षित ग्रामीण युवकों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनायें बनायी गयी हैं ;

(ख) गैर सरकारी एजेंसियों को यदि कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है अथवा दिये जाने का विचार है तो वह कितनी है ; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार का विचार स्थानीय संगठनों को किस प्रकार से सहयोजित करने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु ये कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है— (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना तथा (3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के इन ऐसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत शिक्षित तथा अशिक्षित ग्रामीण युवकों को देश में रोजगार/स्वरोजगार हेतु अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। यह मंत्रालय शिक्षित ग्रामीण युवकों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए अन्य कोई विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

(ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

मेरिन नेशनल पार्कों की स्थापना के लिए बजट प्रावधान

6908. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मन्त्री मेरिन नेशनल पार्कों की स्थापना के बारे में 15 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3327 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और तमिलनाडु में दो प्रस्तावित मेरिन नेशनल पार्कों की स्थापना के लिए चालू बजट वर्ष और योजना में क्या प्रावधान किये गये हैं ।

(ख) क्या अण्डमान में मेरिन नेशनल पार्कों के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि लाजों, पैट्रोल नावों और शीशे की पेंदी वाली नावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो नेशनल पार्क घोषित करने का कारण क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय पार्क और आश्रयस्थलों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता इस प्रयोजन के लिए निश्चित किए गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विशेष प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है । छठी योजना अवधि में इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए कुल 400 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । 1982-83 के लिए 60 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता क्योंकि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी तक कोई समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थापित नहीं किया गया है ।

अवैध कब्जे के मामले

6909. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मन्त्री राष्ट्रीय वन नीति की उपलब्धि के बारे में 22 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4516 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध कब्जे के न्यायालयों में दिए गए कितने मामलों में पिछले दो वर्षों में राज्यों ने नाममात्र के जुर्माने की अदायगी करके समझौता किया है, और

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने मामलों में अवैध कब्जे खाली कराए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लगान की वसूली

6911. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओला वृष्टि, बाढ़ और सूखे के कारण फसल को 50 प्रतिशत से अधिक की हानि की स्थिति में लगान, तकावी और बैंक ऋणों की वसूली रोक दी जाती है;

(ख) क्या रोके गए ऋणों पर किसानों को अगले वर्ष दुगना ब्याज देना पड़ता है जिसके कारण उन पर अतिरिक्त भार पड़ता है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन ऋणों की वसूली रोकी जाये उन पर भविष्य में कोई ब्याज न लिया जाये, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदा के स्वरूप और उसकी सीमा को ध्यान में रखते हुए भू-राजस्व तथा तकावी की वसूली के स्थगन के सम्बन्ध में निर्णय लेती हैं।

जहां तक बैंकों का सम्बन्ध ऋणों का फिर से निर्धारित किया जाता है और इसकी वसूली लम्बी अवधि तक कर दी जाती है। सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण लेने वालों की अदायगी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऋणों को फिर से निर्धारित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं।

(ख) व (ग) जहां तक सहकारी ऋणों का संबंध है अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने और दीर्घावधि ऋण की किस्तों को फिर से निर्धारित करने की सुविधाएं उपलब्ध है। तथापि ऋण लेने वालों से यह आशा की जाती है कि वे देय ब्याज की अदायगी करें। छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में जब उनके उत्पादन ऋण को मध्यावधि ऋण में तबदील किया जाता है, ब्याज की अदायगी पर जोर नहीं दिया जाता है।

जहां तक वाणिज्यिक ऋणों का सम्बन्ध है, ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक होगी। तथापि बैंकों द्वारा स्वयं छूट देने के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे ऋण लेने वालों की कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को रियायत दें।

चूक वाली मौजूदा देय राशि के मामले में दण्ड के रूप में कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। बैंक भी उपयुक्त तरीके से ब्याज दर ब्याज लगाना बन्द कर देंगे।

(घ) ऊपर दी गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं होता।

उर्वरक के लदान संबंधी नीति

6612. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक के लदान सम्बन्धी कोई स्थगत नीति है,

(ख) क्या मद्रास और विशाखापट्टनम जैसी बड़ी बन्दरगाहों पर बहुत से जहाजों को अत्यधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जबकि छोटी बन्दरगाहों पर इन जहाजों से कम समय में माल उत्तारा जा सकता है;

(ग) क्या मद्रास बन्दरगाह पर 1981 की अन्तिम तिमाही में एक उर्वरक से भरे जहाज को खाली करने में तीन महीने का समय लगा; और

(घ) इस जहाज से माल उतारने की औसत दर क्या थी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) जहाजों की शीघ्र संभाल के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जाते हैं। फिर भी कुछ मामलों में, जैसे मौसम की परिस्थितियों, भीड़ और बन्दरगाह पर श्रमिक समस्याओं, जो सरकार के नियन्त्रण के बाहर हैं, कुछ विलम्ब हो जाता है। बड़ी बन्दरगाहों पर दबाव कम करने के लिए उर्वरकों की लदान मात्रा के लिए छोटी बन्दरगाहों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस समय 32 प्रतिशत लदान उर्वरक की छोटी बन्दरगाहों पर संभाल की जाती है, जबकि 1976-77 में 0.51 प्रतिशत की संभाल की जाती थी।

(ग) 1981 की अन्तिम तिमाही में मद्रास बन्दरगाह पर एक बड़े जहाज से उर्वरक उतारने के लिए 88 दिन लगे।

(घ) माल उतारने की दैनिक औसत क्षमता लगभग 362 मी० टन थी।

केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन संस्थान द्वारा मछुओं को सहायता

6913. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन संस्थान ने मछुओं को सहायता देने के उपाय किए हैं ताकि वे अधिक मछली पकड़ सकें;

(ख) क्या संस्थान देश के सभी समुद्रीय तटीय क्षेत्रों के साथ केन्द्र स्थापित करने में समर्थ है और यदि नहीं, तो कौन सा क्षेत्र शेष रह जाता है; और

(ग) क्या यन्त्रचालित बोटों पर नियन्त्रण पाने के लिए मछुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान (सी० एम० एफ० आर० आई०) समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए अनुसंधान सहायता देता है तथा तदर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को लोगों तक पहुंचाता है।

(ख) संस्थान के ग्यारह अनुसंधान केन्द्र हैं, एक क्षेत्रीय केन्द्र है जिसका मुख्यालय कोचीन है, परन्तु उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में कोई केन्द्र नहीं है।

(ग) केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान केन्द्र मछुआरों को यंत्रीकृत नौकाओं के संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान नहीं करता, परन्तु कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक अभियान्त्रिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान इस तरह का प्रशिक्षण देता है जिसका मुख्यालय कोचीन में है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक पदार्थों का प्रति व्यक्ति वितरण

6914. **श्री रामप्रसाद अहिरवार :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या नागरिक और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपम करेंगे कि :

(क) आवश्यक पदार्थों के वितरण के लिए प्रति सप्ताह प्रति पखवाड़ा अथवा प्रतिमाह के लिये प्रति व्यक्ति तथा प्रति परिवार का कितना-कितना कोटा निर्धारित है तथा पिछली जनवरी के अनुसार इन पदार्थों के निर्धारित मूल्य क्या थे; और

(ख) मूल्यों का निर्धारण करने के बारे में राज्यों को क्या मार्गदर्शी निर्देश दिये गये हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण सम्बन्धी ब्यौरे की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। इस प्रकार, प्रति व्यक्ति अथवा प्रति परिवार साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कोटा उनके द्वारा नियत किया जाता है, जो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं तथा चावल की सप्लाई केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किये गये केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर की जाती है और राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खुदरा उपभोक्ता मूल्य निर्धारित करने के लिए इन केंद्रीय निर्गम मूल्यों में ढुलाई तथा भण्डार पर होने वाले आनुषंगिक खर्चों को जोड़ने की अनुमति है। राज्य सरकारों को इन खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर ऐसा मार्जिन प्रति क्विंटल 10 रु० तक रखने की सलाह दी गई है।

लेवी चीनी 3.65 रु० प्रति किलोग्राम के समान नियत मूल्य पर बेची जाती है।

मिट्टी के तेल का मूल्य, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किये गए मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य नियतन) आदेश, 1970 के अधीन कानून तौर पर नियन्त्रित किया गया है। उक्त आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सभी स्थानों पर मिट्टी के तेल के खुदरा विक्रय मूल्य नियत करने तथा उन मूल्यों को लागू करने की शक्तियां दी गई हैं।

केन्द्रीय सरकार ने साफ्ट कोक का खदान-मूल्य 150/-रु० प्रति मी० टन नियत किया है और साफ्ट कोक के खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने कोल नियन्त्रण आदेशों के तहत नियत किये जाते हैं।

राज्य सरकारों को जनवरी, 1982 में सार्वजनिक वितरण के लिए सप्लाई किये गये आयातित खाद्य तेलों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य इस प्रकार थे :—

रेपसीड पेल (परिष्कृत) टीनों में	8000 रु० प्रति मी० टन
आर० बी० डी० ताड़ का तेल, थोक में	6400 रु० प्रति मी० टन
आर० बी० डी० पामोलियन, थोक में	6400 रु० प्रति मी० टन

आर० बी० डी० ताड़ का तेल, टीनों में 7750 रु० प्रति मी० टन

आर० बी० डी० पामोलियन, टीनों में 7750 रु० प्रति मी० टन

राज्य सरकारों ने अलग-अलग तेलों के खुदरा मूल्य इन निर्गम मूल्यों के आधार पर बिक्री कर के भार, जहां कहीं लागू है, तथा साज-सम्हाल प्रभार को हिसाब में लेते हुए नियत किए।

छठी योजनावधि में मंजूर की गई तथा निष्पादित होने वाली हरियाणा की परियोजनाएं

6915. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा की मंजूर की गई तथा निष्पादन हेतु बड़ी और बहुद्देश्यीय परियोजनायें कौन-कौन सी हैं और केन्द्र द्वारा छठी योजनावधि के दौरान हाथ में लिया जायेगा;

(ख) उन योजनाओं की अलग-अलग कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) उन योजनाओं को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) छठी योजना की अवधि के दौरान हरियाणा की किसी बृहद अथवा बहुप्रयोजनी परियोजना को केन्द्र द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

6916. **श्री चिरजीलाल शर्मा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि का ऋण अब तक, (राज्य-वार) और परियोजना-वार, दिया गया है; और

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(क) सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण की कुल राशि।

विवरण

(1) वे परियोजनायें, जिन्हें पहले ही विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

क्रम० सं०	परियोजना तथा राज्य का नाम	अधिकरण	ऋण की राशि (मिलियन डालर)
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	पोचमपाद परियोजना	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	39.00
2.	गोदावरी बराज परियोजना	तदेव	45.00

1	2	3	4
बिहार			
	3. सोन बराज परियोजना	तदेव	15.00
गुजरात			
	4. शन्त्रुजी परियोजना	तदेव	3.40
	5. कडाना परियोजना	तदेव	35.00
मध्य प्रदेश			
	6. चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना	तदेव	24.00
महाराष्ट्र			
	7. पुरना परियोजना	तदेव	13.00
उड़ीसा			
	8. सालन्दी परियोजना	तदेव	7.50
पंजाब			
	9. बाढ़ सुरक्षा तथा जल-निकास परियोजना	तदेव	10.00
उत्तर प्रदेश			
	10. उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना	तदेव	6.00

(2) विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त कर रही परियोजनायें

क्रम सं०	परियोजना तथा राज्य का नाम	अधिकरण	ऋण की राशि (मिलियन डालर)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	नागार्जुनसागर परियोजना	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	145.00
गुजरात			
2.	गुजरात मध्य परियोजना	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	85.00
3.	गुजरात संयुक्त परियोजना	तदेव	175.00
हरियाणा			
4.	हरियाणा सिंचाई चरण-एक	तदेव	111.00

1	2	3	4
कर्नाटक			
5.	कर्नाटक (अपर कृष्णा) सिंचाई	तदेव	126.00
6.	कर्नाटक टैंक परियोजना	तदेव	54.00
मध्य प्रदेश			
7.	मध्य प्रदेश मध्यम परियोजना	तदेव	140.00
8.	मध्य प्रदेश वृहद सिंचाई परियोजना	तदेव	220.00
महाराष्ट्र			
9.	महाराष्ट्र सिंचाई (जयकवाड़ी)	तदेव	70.00
10.	महाराष्ट्र सिंचाई-दो	तदेव	210.00
उड़ीसा			
11.	महानदी बराज परियोजना	तदेव	83 00
12.	उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना	तदेव	58.00
पंजाब			
13.	पंजाब सिंचाई परियोजना	तदेव	129.00
राजस्थान			
14.	राजस्थान नहर कमान क्षेत्र विकास परियोजना	तदेव	83.00
15.	चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना	तदेव	52.00
तमिलनाडु			
16.	पेरियार वैगाई परियोजना	तदेव	23.00
उत्तर प्रदेश			
17.	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना	तदेव	18.00

(ख) ऋण के लिए मुख्य निबन्धन

विश्व बैंक से दो प्रकार की ऋण सहायता प्राप्त होती है, एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से, जिसकी शर्तें आसान होती हैं और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण सहायता के लिए निबन्धन तथा शर्तें संक्षेप में निम्न प्रकार हैं .—

(I) भारत सरकार विश्व बैंक को उससे लिए गए ऋण के मूलधन तथा समय-समय पर बकाया राशि पर प्रति वर्ष 3/4 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार का भुगतान करेगी।

(ii) सेवा प्रभार प्रति वर्ष 15 मार्च तथा 15 सितम्बर को अर्धवार्षिक आधार पर देय होगा।

(iii) भारत सरकार करार पर हस्ताक्षर करने से 10 वर्षों के बाद आरम्भ होने वाले निश्चित तिथियों तक अर्धवार्षिक किस्तों में ऋण के मूलधन का भुगतान करेगी और जिसका आगामी चालीस वर्षों में भुगतान किया जाना होगा।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की ऋण सहायता लेने के लिए निबन्धन निम्न प्रकार हैं :-

"भारत सरकार बैंक को समय-समय पर वहां से न लिए गए ऋण के मूलधन पर प्रति-वर्ष एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (1 प्रतिशत का $\frac{3}{4}$) की दर पर वचनबद्धता प्रभार का भुगतान करेगी। भारत सरकार लिए गए ऋण के मूलधन पर तथा समय-समय पर बकाया राशि पर प्रतिवर्ष सवा सात प्रतिशत (7$\frac{1}{4}$ प्रतिशत) की दर पर ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज तथा अन्य प्रभारों का भुगतान प्रति वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को अर्धवार्षिक आधार पर करना होगा।

भारत सरकार प्रत्येक करार में निर्दिष्ट परिशोधन अनुसूची के अनुसार, अनुसूची में उल्लिखित मूल ऋण की राशि की अदायगी करेगी।" किसी परियोजना के पृथक-पृथक संघटकों के लिए विश्व बैंक के साथ सम्मत संवितरण प्रतिशतताओं के अनुसार भारत सरकार को ऋण सहायता प्राप्त होती है, जो सामान्यतः किसी परियोजना की कुल लागत का कुल 50 प्रतिशत होती है। तथापि उड़ीसा की महानदी परियोजना के मामले में, हाल में विश्व बैंक, परियोजना की 75 प्रतिशत लागत तक ऋण सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। किसी परियोजना के लिए बैंक से भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई 70 प्रतिशत ऋण सहायता राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता के रूप में दे दी जाती है।

अलीपुर ब्लाक दिल्ली डी० डी० ए० द्वारा मकान गिराए जाना

6917. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**

श्री तारिक अनवर : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के अलीपुर ब्लाक में समाईपुर, लिवासपुर और सिरासपुर गाँवों में लाल डोरा के अन्दर स्थित होने पर भी मकान गिराये हैं जिससे लगभग 1000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस मनमानी, अन्यायपूर्ण कार्यवाही के क्या कारण हैं फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों को मुआवजा देने तथा उन्हें उनके बदले में उपयुक्त जगह प्रादन करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली नगर निगम की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने अनधिकृत निर्माण हुए हैं;

(घ) उनमें से कितने मकान गिराये गए; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं कि पुनः ऐसे मकान न बने और उनके निर्माण के लिए इतनी अधिक मात्रा में सीमेंट कहां से आया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसने 25-12-81 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के सहयोग से कुछ अनधिकृत संरचनाओं को गिराया था जो कि समेपुर, लिवास पुर और नारी-लसोन में सिरासपुर में बनाई गई थी और गिराने के समय उन पर कब्जा नहीं था। दिल्ली नगर निगम ने यह भी एताया है कि किसी भी श्रमिक का रोजगार नहीं छुड़ाया गया। दिल्ली प्रशासन के उद्योग निदेशक ने भी सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस ग्राम में, उद्योग निदेशालय में पंजीकृत किसी भी लघु उद्योग एकक को नहीं गिराया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने 1-9-1981 से 28-2-82 तक नगर पालिका सीमाओं में अपने अपने अधिकार के क्षेत्रों के भीतर 4889 और 1687 अनधिकृत निर्माणों के मामलों का पता लगाया।

(घ) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपर्युक्त अवधि के दौरान क्रमशः 1611 तथा 45 अनधिकृत निर्माण गिराये।

(ङ) दिल्ली में अनधिकृत निर्माण पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सम्बन्धित अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि जो नई अनधिकृत संरचनायें 1-1.1981 के बाद बनाई गई हैं उन्हें बिजली तथा पानी के कोई कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे। दिल्ली में इन अपराधों से अधिक प्रभावी रूप से निपटने के लिए तदविषयक कानून के उपबन्धों को कठोर बनाने के लिए सम्बन्धित विधानों के संशोधन का भी प्रस्ताव है। इसकी कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है कि अनधिकृत निर्माण कर्ताओं ने किस स्रोत से सीमेंट प्राप्त किया। तथापि, दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा सम्भरण विभाग ने सूचित किया है कि 27-2-82 से सीमेंट की आंशिक छूट से पूर्व स्वीकृत नक्शों से निर्माण के लिए और मांग की वास्तविकता का पता करके, लाल डोरे के निर्माण के लिए भूमि राजस्व प्राधिकरणों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर और आवश्यक मरम्मतों के लिए सीमेंट जारी किया जाता था। अनधिकृत निर्माण के लिए कोई सीमेंट जारी नहीं किया गया था।

लेखन सामग्री की स्थानीय खरीद

6918. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालयों (विभागों) कार्यालयों ने लेखन सामग्री की पिछले एक वर्ष में निर्धारित न्यूनतम सीमा से मद-वार कितनी अधिक स्थानीय खरीद की है और मद वार कितनी खरीद

की है तथा ऐसा करने के क्या कारण है और मांग का वर्तमान पुन करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सामान कहां से खरीदा गया और उस खरीद के लिए क्या तरीका अपनाया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) और (ख) मेरा मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयों (विभागों) कार्यालयों द्वारा की गई स्थानीय खरीदों का विस्तृत रिकार्ड नहीं रखता है । सरकार के सभी मन्त्रालयों, विभागों और कार्यालयों से इस सूचना को एकत्र करने में बहुत समय लगेगा । तथापि, माननीय सदस्य के दिमाग में कोई विशेष मन्त्रालय, विभाग या कार्यालय हो तो उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा सकती है और प्रस्तुत की जा सकती है ।

यह भी बताया जाता है कि यह खरीद सामान्य वित्तीय नियमों (सा० वि० नि०) और विशेष रूप से सा० वि० नि० 102 द्वारा नियन्त्रित की जाती है ।

राजस्थान में वन विकास पर किया गया व्यय

6919. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 1951-52 से 1981-82 के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए कुल कितना क्षेत्रफल बनों के अन्तर्गत लाया गया; और

(ख) इस क्षेत्र में बन विकास पर कुल कितना व्यय किया गया और उक्त क्षेत्र में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) राजस्थान सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम

6920. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को कृषि उत्पादकों के बेहतर मूल्य दिलवाने की दृष्टि से उनके कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डार गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गोदामों के निर्माण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वैयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा अब तक कितने गोदाम बनाए जा चुके हैं और कितने निर्माणाधीन हैं तथा छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने गोदाम बनाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ। ग्रामीण गोदामों के एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने की योजना के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं तथा उन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित कर दिया गया है।

(ख) व (ग) विद्यमान तथा प्रत्याशित विपणन योग्य फालतू खाद्यान्नों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण अन्तराल को क्षेत्रीय आधार पर आंकने के पश्चात राज्य सरकारों को योजना के अधीन ग्रामीण गोदामों को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव तयार करने हैं। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए 100 गोदामों के निर्माण जिनमें गुजरात राज्य भण्डारागार निगम द्वारा पांच गोदामों का निर्माण भी शामिल है, के लिए प्रस्तावों को अनुमानित किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य भण्डारागार निगम ने छठी योजना अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अनन्तिम रूप से 200 गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। गुजरात राज्य भण्डारागार निगम ने इस योजना के अन्तर्गत अभी तक किसी गोदाम का निर्माण नहीं किया है।

उर्वरकों की खपत

6921. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा 1981-82 के लिए उर्वरकों की खपत हेतु कुल लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है; और

(ख) क्या उपरोक्त वर्ष में उर्वरकों की खपत के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है,

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है, और

(घ) विभिन्न राज्यों के लिए 1982-83 में उर्वरकों की खपत के लक्ष्य में वृद्धि करने हेतु उनके मन्त्रालय ने क्या प्रयास किये हैं ?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) 1981-82 में पोषक तत्वों के रूप में 66 लाख मीटरी टन उर्वरक की खपत के लक्ष्य की तुलना में 61.30 लाख मीटरी टन की अनुमानित उपलब्धि हुई। प्रमुख खपत वाले कुछ राज्यों में मुख्यत: असाधारण मौसम के कारण लक्ष्य की उपलब्धि न हो सकी।

1982-83 के लिए उर्वरक की खपत का लक्ष्य बढ़ाकर पहले ही 72.04 लाख मीटरी टन पोषक तत्व कर दिया गया है

अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ को "पी० ए० डी० आई० द्वारा भुगतान की गई" राशि

6922. **श्री वी० आर० नहाटा** :

श्री बाबू लाल सौलंकी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ को ग्रामीण कल्याण को

इसकी परियोजनाओं हेतु "पी० ए० डी० आई०" द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं द्वारा कोई रिपोर्ट पेश की गई थी; और

(ग) क्या इनमें कोई लेखा परीक्षा आपत्ति थी और उसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) द्वारा अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ को कोई धनराशि नहीं दी गई है।

केन्द्रीय मत्स्य निगम लि० हावड़ा का बन्द किया जाना

6923. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मत्स्य निगम को बन्द किये जाने से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और उनमें से कितने कर्मचारियो को अभी तक अन्यत्र खपाया नहीं जा सका है, और

(ख) इन कर्मचारियों को कब और किस प्रकार खपाया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय मात्स्यिकी निगम को बंद करने से 193 नियमित तथा 31 नैमित्तिक कर्मचारी प्रभावित होंगे।

इस निगम के नियमित कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार मुहय्या करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों से उन्हें रोजगार देने के लिए अनुरोध किया गया है। जिन व्यक्तियों को 31.5.1982 तक रोजगार नहीं दिया जा सकेगा जबकि निगम बंद होगा, उनको देय सेवान्त लाभों के भुगतान पर उनकी सेवाए समाप्त की जायेंगी।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण विभागों के अन्तर्गत राज्यों को सहायता

6924. **श्री पी० नामग्याल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उन योजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है तथा ऐसी सहायता किस सीमा तक दी जाती है और विभिन्न कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण विभागों के अन्तर्गत राज्यों का क्या शेयर है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो ऐसी सहायता ले रहे हैं और गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष का अलग अलग, वर्षवार राज्यों, जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष सन्दर्भ देकर, द्वारा ऐसी कितनी सहायता प्राप्त की गई है; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जिनके अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। सामान्यता व्यय को केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर बांट लिया जाता है सिवाय निम्नलिखित के (क) नदी घाटी परियोजनाओं

के श्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (ख) मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रसार (ग) इण्डो-गेंगटिक बेसिन की बाढ़-प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रोंमें समेकित जललग्न व्यवस्था (घ) हिमालय में मृदा, जल तथा वृक्ष सरक्षण और (ङ) वायोगैस विकास विषयक राष्ट्रीय परियोजना जिसके अन्तर्गत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और तैयार होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम. सं.	विकास का शीर्ष/योजना का नाम
	कृषि मन्त्रालय
	(कृषि और सहकारिता विकास)
	कृषि सांख्यिकी
1.	कृषि सांख्यिकी का सुधार
	फसल उन्मुखी कार्यक्रम
2.	सघन कपास विकास कार्यक्रम।
3.	सघन तिलहन विकास कार्यक्रम।
4.	सघन पटसन विकास कार्यक्रम।
5.	दलहन विकास
	मृदा और जल संरक्षण
6.	नदी घाटी परियोजनाओं के श्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
7.	मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रसार।
8.	इण्डो गेंगटिक बेसिन की बाढ़-प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में समेकित जललग्न व्यवस्था।
	पशुपालन
9.	खुरपका मुँहपका रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
	डेरी विकास
10.	समेकित पशु एवं डेरी विकास परियोजनायें—अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त-
	मात्स्यकी
11.	जल कृषि विकास-एफ०एफ०डी०ए०
12.	लघु पत्तनों पर मत्स्यन जलयानों हेतु उतारने चढ़ाने की सुविधाएं।
	वानिकी
13.	हिमालय क्षेत्र में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण।

14. ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्षों सहित सामाजिक वानिकी ।

कृषि वित्त

15. कृषि वित्त स्थिरीकरण कोष ।

सहकारिता

16. अविकसित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सहकारी विपणन, परिसंस्करण, भण्डारण का विकास ।

जैव गैस

17. जैव गैस विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ।
3. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ।
4. मरुस्थल विकास कार्यक्रम ।

शारदा नहर में रिसन के कारण उत्तर प्रदेश में अपक्षरित हो रही भूमि

6925. **श्री राम लाल राही :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास लखीमपुर और सीता पुर जिलों में विभिन्न स्थानों पर शारदा की शाखा नहर में रिसन के कारण बाढ़ से अपक्षरित हो रही भूमि के संरक्षण का प्रश्न उठाया हैं;

(ख) क्या इस कार्य के लिए कोई सहायता उपलब्ध की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो कृषि योग्य भूमि को अपक्षरण से बचाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गये हैं और इस संबंध में पूर्ण ब्योरा क्या है

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण के परिणामस्वरुप लखम पुर, सीतापुर, बाराबंकी तथा लखनऊ जिलों में रिसन के कारण आप्लावन की समस्या देखने में आई है और लगभग 5620 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 1980-81 वर्ष के दौरान नई नालियों का निर्माण किया गया है और पुरानी नालियों का पुनर्स्थापन किया गया है, जिसके फलस्वरुप आप्लावन की समस्या काफी हद तक कम हो गई है। राज्य सरकार, शारदा सहायक नहर से रिसन की समस्या पर काबू पाने के प्रश्न को उच्चतम प्राथिमिकता दे रहे है और सम्बन्धित अधिकारियों को निर्माण-कार्य शीघ्रतापूर्वक करने के निर्देश दिए गए है ।

एक ब्रिटिश राष्ट्रिक को कृषि विशेषज्ञ के रुप में रोके रखना

6926. **श्री लहना सिंह तुर :**

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक ब्रिटिश राष्ट्रिक के संबंध में, जो नेशनल डेरी डेवेलेपमेंट बोर्ड, आनन्द (गुजरात) में वर्ष 1969 से विशेषज्ञ के रुप में काम कर रहा है और जो देश में 1923 से रहरही है, के सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्टों कर और दिलाया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि विशेषज्ञ एवं साधारण स्नातक के रुप में आया था और उसने अब पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त कर ली है,

(ग) क्या यह सच है कि दो डेरी परियोजनाओं की विफलता के लिए यही विशेषज्ञ जिम्मेदार है, और इसी ने कुलूसा आयल सीड तथा अन्य विदेशी सहायता से परियोजनाएँ शुरु की थी, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रायलों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां।

(ख) विशेषज्ञ ने 1956 में हावर्ड विश्वविद्यालय से व्यापारिक प्रशासन में मास्टर की उपाधि प्राप्त की थी। तदनन्तर इसी विश्वविद्यालय ने उसे रुपान्तरण कार्यक्षमता की अवधारण जो कि भारतीय दुग्ध और खाद्य अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त होती है में उसके बहु प्रशंसित कार्य के आधार पर उसे डाक्टरेट की उपाधि प्रदान की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति की ओर ते अपील

6927. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें देश के सभी मछुओं के निमित्त महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति की ओर से मछुओं को रियायती दरों पर डीजल और मोटर आईल सप्लाई करने सम्बन्ध में कोई अपील प्राप्त हुई है;

(ख) क्या मार्च के प्रथम सप्ताह में मछुओं का एक प्रतिनिधि मंडल इस सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन उन्हें निजी रूप से देने के लिए उनसे मिला था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क)से(ग) महाराष्ट्र मच्छी मार कृति समिति ने अपने दिनाँक 15.9.81, 30.10.81, 15.2.82 और 24.3.82 के पत्रों द्वारा डीजल के मूल्य में कमी करने के बारे में अभ्यावेदन दिए हैं। समिति को सूचित कर दिया गया है कि सरकार इस विषय पर अन्त: मन्त्रालय स्तर पर विचार कर रही है।

राज्यों में सहकारिता आन्दोलन को लोकतांत्रिक स्वरूप देना

6928. **श्री सुभाष यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने सहकारिता आन्दोलन का राज्यों में जहाँ बहुत समय पूर्व से मनोनीत मण्डल काम कर रहे हैं; लोकतांत्रिक स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है और राज्य सरकारें राज्यों में सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण तथा उनके मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी हैं। इन समितियों का विनियमन सम्बन्धित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। अधिनियम में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अधिकार दिया गया है कि वह सुधारात्मक उपाय के रूप में तथा कुछ परिस्थितियों में सामान्य प्रशासनिक कार्यवाही के रूप में सहकारी समिति के प्रबन्ध समिति को भंग कर सकता है। कुछ राज्यों में सहकारी समितियों के सम्बन्धित कानूनों में भी यह व्यवस्था है कि जहाँ कार्यमुक्त समिति प्रबन्ध समिति का समय पर चुनाव नहीं करवाती, वहाँ उक्त समिति का कार्यकाल समाप्त समझा जायेगा और रजिस्ट्रार ऐसी समितियों में प्रशासक नियुक्त कर सकता है। समिति को भंग रखने की कुल अवधि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न होती है और यह आमतौर पर चार वर्षों से अधिक नहीं होती।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया है कि वे सहकारी समितियों की भंग प्रबंध समिति का शीघ्र चुनाव करायें तथा उन्हें चुने गए पदाधिकारियों और समिति के सदस्यों को पुन: सौंप दें।

गरीबी की रेखा से नीचे छोटे किसान

6929 : **बी० वी० देसाई :**

श्री कुम्भा राम आर्य :

श्री बालासाहिब बिखे पाटिल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रांति को चलते हुए 15 वर्ष हो जाने के बावजूद लगभग एक तिहाई सीमांत किसान और एक-चौथाई छोटे किसान गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लैक्चरारों ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि छोटे और सीमांत किसानों को उनके पास कम भूमि होने के कारण फसल उत्पादन से उनकी लगाई गई पूंजी तक नहीं वसूल हो पाती;

(घ) क्या यह भी सच है कि भरसक प्रयास करने के बावजूद सीमांत और छोटे किसानों को अपना गुजारा चलाने लायक भी कमाई नहीं हो पाती;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने यह सर्वेक्षण किस राज्य में कराया था;

(च) क्या लगभग सभी राज्यों में यही स्थिति है; और

(छ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले छोटे तथा सीमान्त किसानों के बारे में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने आय विवरण में रचनात्मक परिवर्तनों तथा पंजाब में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में एक अध्ययन किया है.

(ग) व (घ) राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार नई प्रौद्यगिकी पर आधारित फसल उत्पादन तथा मिली-जुली खेती के माध्यम से हुई सम्भावनाओं से यह पता चलता है कि एक हेक्टेयर या कुछ क्षेत्रों में इससे कम क्षेत्र की फार्म भी सक्षम सिद्ध हो सकती है बशर्ते कि इसकी व्यवस्था सही ढंग से की जाए.

(ङ.) व (च) : भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार ने छठी योजना की अवधि के अन्त तक 15 मिलियन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया है · 2 अक्टूबर 1980 से इस कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी खण्डों में कर दिया गया था।

"आपोजीशन टू प्रोपोज्ड इण्डियन फारेस्ट बिल" शीर्षक समाचार

6930. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में आपोजीशन टू प्रोपोल्ड इण्डियन फारेस्ट बिल" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 16 पर्यवरण विशेषज्ञों ने प्रस्तावित भारतीय वन विधेयक, 1980 का विरोध किया है क्योंकि इससे आदिवासी तथा अन्य पर्वतीय लोगों पर जो अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित हैं, गंभीर चोट पहुंचेगी ;

(ग) क्या पर्यवरण विशेषज्ञों की राय में "वन अधिकारियों की प्रशासनिक तथा अपराधिक विधि सम्बन्धी शक्तियां काफी विस्तृत हैं और अधिकांश मामलों इनसे निर्धन निरक्षर तथा दलित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस अपील पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) से (ग) : जी हां। भारतीय वन अधिनियम, 1980 जिस पर चर्चा की गई, कोई अंतिम मसौदा नहीं था।

(घ) हस्ताक्षर कर्त्ताओं की सूची संलग्न विवरण में दे दी गई है। मामला विचाराधीन है।

हस्ताक्षर कर्त्ताओं की सूची

1. श्री एलफ्रेड डी सौजा,
   निदेशक,
   भारतीय सामाजिक संस्थान,
   नई दिल्ली।

2. श्री० बी० जी० वर्गीज,
सम्पादक.
वोलेन्टरी एक्शन,
नई दिल्ली ।

3. रजनी कोठारी,
निदेशक,
लोकायन, दिल्ली ।

4. श्री एस० दास गुप्ता,
निदेशक
जन विकास और प्रशिक्षण लोक संस्थान,
नई दिल्ली ।

5. श्री अनुपम मिश्र,
गांधी स्मारक निधि, नई दिल्ली ।

6. श्री देश बन्धु,
भारतीय पर्यावरण संघ, नई दिल्ली ।

7. श्री शकीक रवी,
सम्पादक,
सामाजिक वानिकी बुलेटिन, नई दिल्ली ।

8. श्री वाल्टर फर्नान्डेज,
अनुसंधान निदेशक,
भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली ।

9. श्री उपेन्द्र बख्शी,
प्रोफेसर (विधि)
दिल्ली विश्वविद्यालय,

10. गोपा जोशी,
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

11. श्री के० एन० गुप्त,
हिमालय सेवा संघ, नई दिल्ली ।

12. श्री राजेश टण्डन,
एशियन समन्वयक,
पार्टीसिपेटरी अनुसंधान, नई दिल्ली ।

13. स्टेनले कुजूर विद्या ज्योति,
दिल्ली ।

14. श्री एल० सी० जैन,
फैलो,
गांधी पीस सेन्टर, नई दिल्ली ।

15. श्री एस० एन० घोष,
पर्यावरण,
उन्मुखी विकास कार्यक्रम,
नई दिल्ली ।

16. श्री जोस वर्गीज (एडवोकेट)
नई दिल्ली।

खिरोई नदी का जल विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण

6931. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई मन्त्री** दिनांक 10-8-1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7395 और 27-2-1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खिरोई नदी का जल विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण कितने सालों से किया गया है और उन सर्वेक्षणों का वर्षवार परिणाम क्या है;

(ख) क्या हरिहरपुर-कालीगाँव और मासा गाँव के समीप के बीच मुरैथा के पास खिरोई नदी पर जलफाटक-एवं-पुल के निर्माण के लिए योजनाओं पर विचार करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम हैं और निर्माण का शैयडूल क्या है; यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बिहार सरकार से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिनके साथ उसी विषय पर दिनाँक 18-11-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 293 के लिए आश्वासन को पूरा करने के वास्ते इस मामले को उठाया गया है ।

सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण के लिए पशुओं पर अत्याचार

6932. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बालों में सभी नए शैम्पुओं की जलन उत्तेजना जानने के लिए उनका प्रयोग खरगोश की आँखों में किया जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि चेहरे और शरीर पर लगाई जाने वाली क्रीम की जलन उत्तेजना की गहनता जानने के लिए इसका उपयोग पशुओं की खरोंची गई त्वचा पर किया जाता है और क्या आफटर शेव लोशन, ब्लेड, से खरगोश और चूहे के बाल साफ करने के बाद उनकी त्वचा पर टेप लगाकर और फिर उसे बलपूर्वक खींचने के बाद, बनाया जाता है, और

(ग) यदि हाँ, तो सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण के लिए पशुओं पर इस तरह के अत्याचार ढाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब और हरियाणा को खरपतवार नाशक दवाईयों की अनियमित सप्लाई

6933. **मूलचन्द डागा :**

श्री ईरा अनबरास : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा में खरपतवार नाशक दवाओं अर्थात् ट्रिबुनियल, डोसानेक्स और आइसोप्रोटुरन की पिछली तीन रबी फसल मौसमों के दौरान अनिश्चित तथा अनियमित सप्लाई के कारण गेहूं की फसल को हानि उठानी पड़ी है,

(ख) क्या सरकार को इन तकनीकी ग्रेड की मदों के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के जरिए सरणीकरण करने, आयात करने हेतु जिससे कि फार्मुलेटरों को इन महत्वपूर्ण खरपतवार नाशक दवाओं की सप्लाई सुनिश्चित करने तथा गेहूँ की फसल को फौलारीज माइनर रोग से बचाने हेतु किसानों को यह दवा नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके, क्या कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कदम उठाये हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) तथा (घ) अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

स्थानीय प्रशासन में महिलाओं और हरिजनों के लिए सीटों का आरक्षण

6934. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को आगे लाने के लिए स्थानीय प्रशासन में महिलाओं और हरिजनों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) स्थानीय शासन राज्य का विषय होने के कारण स्थानीय निकायों में हरिजनों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रश्न राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता

है । तथापि, उपलब्ध सूचनानुसार कई पालिका अधिनियमों में महिलाओं तथा हरिजनों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान है ।

बंगलौर में पेय जल की कमी

6935. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आई है कि बंगलौर सिटी में पीने के पानी की विशेषकर बंगलौर सिटी में केन्द्रीय सरकार के बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण उद्योगों, सैनिक प्रतिस्थापनाओं की तेजी से बढ़ती हुई स्थापनाओं के कारण कठिनाई विद्यमान है;

(ख) क्या योजना आयोग ने दूसरे चरण में कावेरी से जल लेने के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) क्या बंगलौर जल सप्लाई तथा मल व्ययन बोर्ड के पास इस कार्य को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) इस योजना को पहले ही राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया है । शहरी जलपूर्ति राज्य का विषय है तथा इस मन्त्रालय में ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है जिसके अंतर्गत शहरी जलपूर्ति, परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है ।

योजना आयोग की कृषि नीति

6936. **श्री बी० वी देसाई** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने ऐसी कृषि नीति बनाई है जिसका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पालन किया जाएगा,

(ख) यदि हां, तो क्या इस कृषि नीति का उद्देश्य खाद्य उत्पादन बढ़ाना एवं उसे स्थिर करना तथा लाभप्रद रोजगार के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना होगा,

(ग) यदि हाँ, तो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई कृषि नीति के मुद्दे क्या है; और

(घ) सरकार को उसे किस सीमा तक कार्यान्वित किये जाने का विश्वास है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कृषि मन्त्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए बनाई गई फार्म नीति योजना आयोग के छठे योजना दस्तावेज के अनुरूप है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) सम्पूर्ण छठी योजना के लिए फसल उत्पादन की मुख्य नीति में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :—

1. बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में लगातार वृद्धि तथा लोगों के आहार की पोषण क्वालिटी में सुधार करने के लिए दालों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना,

2. तिलहनों के उत्पादन में आत्म निर्भरता का लक्ष्य रखना ताकि खाद्य तेलों का आयात समाप्त किया जा सके,

3. चाय, काफी, तम्बाकू, काजू, मसाले, पटसन, कपास, गन्ना, फल तथा सब्जी जैसी निर्यातोन्मुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना,

4. अधिक किसानों को नई प्रौद्योगिकी का लाभ पहुँचाना, फसल पद्धति तथा क्षेत्रों में विस्तार तथा नकदी व गैर-नकदी आदानों पर निरन्तर ध्यान देकर फार्म प्रबन्ध की कुशलता में सुधार करना, और

5. कृषि सम्बन्धी विकास करना, जो केवल प्रभावी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पद्धति बनाये रखने का ही साधन नहीं है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा आय बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक भी है।

(घ) फार्म नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्व बैंक ऋण

6937. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विश्व बैंक से 350 मिलियन डालर का ऋण मिला है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को ऋण देने वाली उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जो इस ऋण से लाभान्वित होंगी;

(ग) विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण का संस्थान वार ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय और विदेशी स्रोतों से इन संस्थानों ने कितना ऋण लिया है; और

(ङ) इन संस्थानों ने पिछले पांच सालों के दौरान किसानों को कितनी धनराशि के ऋण दिए हैं ;

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोशिएशन से क्रमशः 1900 लाख डालर के ऋण समझौते और 1600 लाख डालर के साख समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) उल्लिखित ऋण की रकम से वर्ष 1982 और 1983 के दौरान कृषि पुनर्वित और विकास निगम को सहायता मिलेगी, जो सहयोगी बैंकों, जिसमें राज्य भूमि विकास बैंक राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, के माध्यम से ऋण लेने वालों को कर्ज देंगी। ये संस्थाएं कृषि पुनर्वित और विकास निगम से पुनर्वित सुविधायें प्राप्त करके किसानों को कर्ज देने के लिए पात्र होंगी।

(ग) ये ऋण राशि किसी विशेष संस्था के लिए नियत नहीं की गई है। बैंक सक्षम निवेश के लिए योजनाएं बनायेंगे और बैंकों की इस में भागीदारी उनके लिए मंजूर की गई योजनाओं के अधीन वचनबद्धता पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) उपयुक्त विश्व बैंक ऋण के अतिरिक्त, कृषि पुनर्वित विकास निगम भारत सरकार, रिजर्व बैंक और खुले बाजार से ऋण लेकर अपने संसाधन बढ़ाती हैं।

कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम ने अपने संसाधनों से पिछले 5 वर्षों में (जुलाई से जून) तीन ऋण देने वाले माध्यमों से जो धनराशि वितरित की, वह नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये में)

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक	127	112	131	164	212
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	93	120	150	239	278
राज्य सहकारी बैंक	1	2	3	9	9
जोड़	221	234	285	412	499

जल विकास क्षमता का आधुनिकीकरण

6938. **श्री भोकूराम जैन** : क्या सिचाई यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधन प्रणाली सम्बन्धी विशेषज्ञ पेनल ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत में जल संसाधन विकास प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अक्षमताओं से भरा है;

(ख) क्या पेनल ने जल विकास क्षमता को आधुनिक बनाने की आवश्यकता भी जाहिर की थी; और

(ग) क्या सरकार ने जल संसाधन विकास की दीर्घावधि एकीकृत योजना हेतु कदम उठाये थे, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और **(ख)** माननीय सदस्य सम्भवत: जल ससाधन प्रणाली के अनुसंधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल का उल्लेख कर रहे हैं। उक्त दल ने टिप्पणी की थी कि "निस्सन्देह प्रभावशाली प्रगति प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक हम उन स्तरों तक नहीं पहुँचे हैं जिनसे उपयुक्त और कार्यकुशल विकास सुनिश्चित किए जा सकें।"

(ग) चूंकि सिंचाई एक राज्य-विषय है, इसलिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में जल संसाधनों के विकास की व्यापक (मास्टर) योजना तैयार करने की सलाह दी है। उन्हें भूतल और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग की योजनना बनाने की सलाह दी गई है।

———

पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस के बारे में घोषणा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि 1 अप्रैल 1912 को·····मैं नहीं जानता कि यह। अप्रैल को ही क्यों भेजा गया हैं, एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) यह मूर्खों का दिन है।

अध्यक्ष महोदय : बिहार नूनिया महासंघ द्वारा दायर की गई रिट याचिका, 1982 की सी. डब्ल्यू जे. सी. संख्या221 के बदले में, जिसमें बिहार राज्य में नूनिया जाति से अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता देने के लिए परमादेश जारी करने की प्रार्थना की गई है। अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति के सभापति को 30 अप्रैल 1982 को इस बात के कारण बताने के लिए कि वे उन कारणों को बताये जिनके अंतगर्त उक्त लिखीत याचिका को स्वीकार न किया जाए अथवा माननीय न्यायालय द्वारा क्यों न रोका आदेश जारी कर दिया जाए, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पटना उच्च न्यायालय (सिरील रिट अधीकारिता) के उप पंजीकार का दिनांक। अप्रैल, 1982 का पत्र प्राप्त हुआ है।

इस नोटिस के साथ बिहार नूनिया महासंघ बनाम संघ सरकार तथा अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका की एक प्रति संलग्न की गई है. जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिहार राज्य में नूनिया समुदाय को अनुमूचित जाति के रूप में मान्यता देने के प्रतिबादियों को परमादेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

सदन की प्रथा के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सभापति से कहा गया है कि वह उस नोटिस पर ध्यान न दें। विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री से अनुरोध किया जाता है कि वह पटना उच्च न्यायालय को इस सम्बन्ध में कहीं कही संकेत स्थिति में संवैधानिक करा दें। **(व्यवधान)**

———

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

प्रो मधुदण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं और मैं उस मामले पर जोर देना चाहूंगा। 1 अप्रैल को सदन में जब श्री नारायण दत्त तिवारी सीमेन्ट के वितरण में कदाचार के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे

उन्होंने एक वक्तव्य दिया था—(व्यवधान) मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। उन्होंने कहा था की केन्द्रीय नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, केन्द्रीय मार्गदर्शी निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा था कि कर्नाटक लोक लेखा समिति ने कोई आरोप लगाया है, —(व्यवधान)। यह बात एक दम मिथ्या है और मैंने विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बता दिया है। आप मेरी—का अनावश्यक लाभ उठा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया था कि यह मेरे विचाराधीन है। मैंने आपको कल बताऊंगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा यह कहना है कि जब कोई प्रथम दर्शतः मामला सामने हो तो अपना अकेले ही उस पर निर्णय कर सकते है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले को देखना होगा। प्रत्येक मामले पर पहले विचार किया जाएगा और उसके बाद उस पर बातचीत होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : आप रिकार्ड से इसकी जांच कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते ने विभिन्न राज्यों में सीमेन्ट के वितरण में कदाचार से बारे में समाचारों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा सदन को गुमराह करने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया था। आज ऐसा ही एक नोटिस श्री मनी राम बागड़ी से प्राप्त हुआ है।

मुझे आज मन्त्री महोदय से दिनांक 3 अप्रैल, 1982 की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिन पर मैं विचार कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप एक एक करके बोल सकते हैं।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : अध्यक्ष महोदय इस सदन में यदि कोई विशेषाधिकार की सूचना अथवा स्थगन प्रस्ताव दिए जाते हैं तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उसकी विषय सामग्री पढ़कर नही सुनाई जाती।

अध्यक्ष महोदय : जी नही।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : ऐसे उनके उदाहरण मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात मुझ पर निर्भर करती। व्यावहार्यंत मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्या ऐसी बात नहीं है ? किसी भी बात पर चर्चा नही होगी। यह मेरा बिशेषाधिकार है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : कृपया सुनिए (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वे पीठासीन अधिकारी को निर्देश कैसे कर सकते हैं ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं बिल्कुल निर्देश नहीं दे रहा हूँ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यदि वे चाहते हैं तो जो स्थगन प्रस्ताव हम लोग देते हैं, मत लिया कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ! नहीं ! मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं ऐसा नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो मुझे करना चाहिए था वह मैंने कर दिया है। मुझे निर्देश दिए जाने की आवश्यकता ही नही है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उनके द्वारा अथवा न हो अन्य किन्हीं लोगों द्वारा आप निर्देशित होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देश नही दिया जाना चाहिए। मेरे लिए इस माननीय सदन के सभी लोग उनकी हैसियत जो भी हो, मात्र माननीय सदस्य हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप सभी के राजा हैं। आप सर्वेक्षण कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो विनीत सेवक हूं, मैंने उस दिन भी कहा था। वह कह रहे थे कि मैं अन्नय सेवक हूं, तो मैंने कहा—मैं विशेष सेवक हूं।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का बड़ा खेद है, शहीदे-आजम भगत सिंह की प्रतिमा का जो अपमान हुआ था, मैंने उसकी चर्चा यहां पर तारीख 30 को उठाई थी, अब फिर अखबार में खबर छपी है कि गंगानगर के अन्दर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का सिर काट दिया गया और पुलिस वालों ने उस प्रतिमा को ले जा कर थाने में जैसे कोई गन्दगी होती है वैसे जाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात को···

श्री मनी राम बागड़ी : आप एक दफा मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे तो···

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मेरी बात सुन लें इसे 377 में दिया जा सकता है। वैसे मैंने उस दिन भी कहा था भगत सिंह जी के विषय में जब बात उठी थी तो मैंने कहा था कि उनके आगे सबका सिर झुकता है। मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी विचारधारा का आदमी हो, इससे सब सहमत है कि उनके प्रति यदि कोई अनादर करे तो उससे ज्यादा भर्तस्ना की बात नहीं हो सकती और यही बात बापू के प्रति भी लागू होती है। मंत्रीजी शायद यहां नहीं बैठे हैं, वैसे उस दिन उन्होंने हिस्सा लिया था वेंकट सुब्बया जी बैठे हैं, श्री वेंकट सुब्बया, कृपया आप इस बात को ध्यान रखिए।

महात्मा जी के प्रति अनादर जैसा कोइ जघन्य कार्य करता है तो आप स्टेट गवर्मेन्ट को लिखिए आप खुद भी देखिए कि क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए, इसको बरदास्त नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मनी राम बागड़ी : उस दिन भीष्म नारायण जी के कहने पर भी कोई कदम आज तक पिलानी में नहीं उठाया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : थोड़ी देर पर तोहमें विभिन्न किस्म के जानवरों के बारे में बताया गया था, विभिन्न अनुसूचियों के अन्तर्गत जिनका वध से बचाव किया जा रहा है :

अध्यक्ष महोदय : जरा मेरी बात सुनिए···।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं नहीं । यह आदिवासी लोगों का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है । मैं···की नियुक्ति नहीं कर सकता ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : कल लोगों की हत्या कर दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो मानदण्ड नहीं अपना सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नही, कोई प्रश्न नहीं । मैं अनुमति नही दे सकता । मैं राज्य राज्य के बीच अन्तर नहीं कर सकता । कानून और व्यवस्था का मामला राज्य का विषय है । मैं इसकी अनुमति नही दे रहा हूं । अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : इस सदन में अनेक बार हरिजनों के विषय पर चर्चा हुई है । अनेक स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं । **(व्यवधान)****

श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजॉर्नमेन्ट मोशन दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप मेरी बात सुनिए – दारुन उलूम (मुस्लिम यूनीवर्सिटी) पर ता० 23 और 24 मार्च को मौलाना असद मदनी ने कांग्रेस के लोगों तथा गुण्डों और बदमाशो के साथ कब्जा कर लिया, गोलियां चलाई गईं, कई लोग जख्मी हुए···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है । **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई ।

श्री हरिकेश बहादुर : हरिजनों और आदिवासी लोग को मारा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है । मैं अनुमति नही दे रहा हूं । मैं दो मानदण्ड नहीं अपना सकता ।

प्रो० मधुदण्डवते : यह एक आदिवासी समस्या । पहले भी इस सदन में हरिजनों और आदिवासियों अत्याचारों पर चर्चा हुई है ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मुझे रिकार्ड की अच्छी जानकारी है।

(व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्त : आपका निर्णय क्या है? क्या आप इसे रद्द कर रहे हैं ?...

अध्यक्ष महोदय: कृपा आप फिर आकर मुझ से मिलें (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नही दी जाती

श्रीराम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की बात सुनिए।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले इनको एलाऊ किया है लेकिन कोई इनको बोलने नही देता।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा प्रश्न तो यह है कि बिहार में छः खेतीहर श्रमिकों की हत्या कर दी गई हैं। यदि जांच की जाए तो वे भी हरिजन लोग ही होंगे।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मैं किसी भी मामले में दोहरा मानदण्ड नहीं अपना सकता अतः मैं इसे अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने एजोनमैंट मोशन दिया हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट सेन्ट्रल गवनमेंट के अन्दर आता है।

अध्यक्ष महोदय : लेबर मिनिस्ट्री की डिमांड्स आ रही हैं, उस वक्त आप कहिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती

(श्री राम विलास पासवान तथा कुछ अन्य माननीय सरस्य सदन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० वेंकट रामन

(श्री जगपाल सिंह सदन से बाहर चले गए)

———

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं श्री आर. वेंकट रामन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।

(एक) नौसेना (विहित अधिकारी) (संशोधन) विनिमय, 1982 जो 13 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 53 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौसेना औपचारिकतायें, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनिमय, 1982, जो 20 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 61 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3811/82]

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): मैं सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) विवरण संख्या 11—दूसरा सत्र, 1980.

(दो) विवरण संख्या 17—तीसरा सत्र, 1980.

(तीन) विवरण संख्या 10—चौथा सत्र, 1980.

(चार) विवरण संख्या 10—पांचवां सत्र, 1980.

(पांच) विवरण संख्या 4—छठा सत्र. 1981.

(छः) विवरण संख्या 2—सातवां सत्र, 1981.

(सात) विवरण सख्या 1—आठवां सत्र, 1982.

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 812/82]

1982-83 के लिए आयात-निर्यात नीति, खण्ड 1 और 2 का एक विवरण

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) वर्ष 1982-83 की आयात और निर्यात नीति—खण्ड 1 और 2 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वर्ष 1982-83 की आयात और निर्यात नीति का मुख्य बातों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3813/82]

असम भूमि तथा राजस्व विनियमन (संशोधन) अधिनियम

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत असम भूमि तथा राजस्व विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981

का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 2) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 30 दिसम्बर, 1981 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. संख्या 3814/82]

1980-81 के लिए राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन आदि और 1982-83 से लिए कृषि मन्त्रालय की ब्यौरेवार मांगें

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ, नई दिल्ली के, वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. संख्या 3815-82]

(चार) कृषि मन्त्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3816/82]

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और पुनरीक्षा तथा कृषक भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली का 30 जून 1981 को समाप्त हुई अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(एक) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 3817/82]

(2) (एक) कृषक भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून 1981 को

समाप्त हुई अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली, के 30 जून 1981 को समाप्त हुई अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 3818/82]

(3) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड विनिमय, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 85 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 3819/82]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 1980-81

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 के अन्तर्गत पैराफीन मोम पर सीमा-शुल्क से वर्तमान छूट को 31 मार्च, 1983 तक जारी रखने के बारे में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 274 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण), जो 30 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3820/82)

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1980-81 का अग्रिम प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए एल. टी. 3821/82)

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3822/82)

(3) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1980-81 के विनियोग लेखाओं तथा तत्सम्बन्धी वाणिज्यक परिशिष्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3823/82]

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोशियसन कलकत्ता वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा पुनरीक्षा और निर्यात निरीक्षण परिषद तथा एजेंसियों की वर्ष 1980-81 की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोशियशन कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोशियशन कलकत्ता, के वर्ष 1980 81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 3824/82]

(2) (एक) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 16 के उपनियम (3) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद तथा एजेंसियों के वर्ष 1980-81 के (एक) वार्षिक प्रतिवेदन तथा (दो) लेखापरीक्षित लेखे की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद तथा एजेंसियों के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 3825/82]

———

लोक लेखा समिति

80 वां और 81 वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मैं लोक सेवा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) मैसर्स इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड, यू० के० बारे में लोक लेखा समिति के 28 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 80 वां प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीत शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के बारे में लोक लेखा समिति के 48 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 81 वाँ प्रतिवेदन।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

37 वां प्रतिवेदन

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं दामोदर घाटी निगम (ऊर्जा मन्त्रालय-विद्युत विभाग) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 16 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 37 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत पेट्रोलियम निगम के बम्बई स्थित तेल शोधक कारखाने में उसकी एक फरनेस ट्यूब से तेल बहने के कारण उस कारखाने के बन्द किए जाने का समाचार

श्री बी. वी. देसाई (रायचूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

भारत पैट्रोलियम निगम के बम्बई स्थित तेल शोधक कारखाने में एक फरनेस ट्यूब से तेल बहने के कारण उस कारखाने को बन्द कर दिए जाने के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर): महोदय, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की बम्बई स्थित शोधनशाला को, दिनांक 31 मार्च, 1982 को अशोधित तेल आसवन एकक की भट्टी की ट्यूबों के फट जाने को देखकर बन्द करना पड़ा था। अपेक्षित विशेषज्ञों तथा उपकरणों को उस स्थान पर पहुचाने के लिए तत्काल कार्यवाही की गयी थी ताकि भट्टी के ठंडा होते ही क्षतिग्रस्त ट्यूबों की मरम्मत करने का कार्य आरम्भ किया जा सके। यह मरम्मत कार्य 3 अप्रैल, 1982 को आरम्भ किया गया था। कम से कम समय में इस मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए, ताकि शोधनशाला शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ की जा सके, हर सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि यह कार्य लगभग दो सप्ताह की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए।

भारत पेट्रोलियम की शोधनशाला को हर सम्भव सावधानी के साथ चलाया गया है और आगे भी चलाया जायेगा।

2. अत्यावश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री वी० बी० देसाई : उपाध्यक्ष महोदय, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की शोधनशाला 31 मार्च को बद कर दी गई थी और मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार इसकी मरम्मत करके इसे चलाने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगेगा।

जब कभी भी यह सम्माननीय सभा अथवा भारत की जनता ऐसे समाचारों को पढ़ती है और उसे ऐसे तथ्यों का पता चलता है जो पेट्रोलियम पदार्थों और अशोधित तेल से सम्बन्धित

है तो इसमें कुछ खलबली पैदा होती है क्योंकि अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस मामले में तोड़ फोड़ या अन्य कोई ऐसी बात नहीं हुई है, परन्तु इस सम्बन्ध में इनकी रखरखाव के लिए खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा इनको बन्द करने की कोई आवश्यकता, कारण नहीं होना चाहिए। वास्तव में इसकी मरम्मत का काम लगभग दो सप्ताह के अन्दर जैसा कि प्रस्ताव है, पूरा नहीं होगा और इसमें कुछ और समय लगेगा।

भारत पेट्रोलियम का शोधनशाला हाई स्पीड डीजल और मिट्टी का तेल तैयार करके देता है यह आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है और समाज के निम्न वर्ग द्वारा इनकी खपत होती है। इन उत्पादों की कमी बहुत महसूस की जाएगी। मन्त्री महोदय ने कहा है कि आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। यह नहीं बताया गया है कि क्या कार्यवाही की जाएगी। समाचार पत्रों से पता चलता है कि इस प्रयोजन हेतु बम्बई हाई का कच्चा तेल जो लगभग 2.5 लाख टन है भेजा जा रहा है और इस सम्बन्ध मे टेंडर आमन्त्रित किए जा रहे हैं। दूसरा, कुछ आयात करने की भी योजना है। मैं नहीं जानता कि क्या यही वैकल्पिक उपाय हैं अथवा सरकार कुछ अन्य वैकल्पिक उपायों के बारे में विचार कर रही है।

इसके अलावा, जब कभी भी इस तरह से कोई तेल शोधक कारखाना बन्द होता है तो हमारे देश में कच्चे तेल की खपत और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन की पृष्ठ भूमि में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इस सम्बन्ध में, इस कमी को पूरा करने के लिए की जा रही कार्यवाही के अलावा, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गत वर्ष हमारे देश में कच्चे तेल की कुल खपत कितनी हुई और 10 प्रतिशत और खपत जोड़कर 1982-83 में कितनी खपत होगी। यह यदि इस घटना से सम्बन्धित नहीं है फिर भी मन्त्री महोदय इस सभा को बताएंगे कि हम कच्चे तेल के मामले में कब तक आत्मनिर्भर बन जायेंगे। यह हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मद है और हम इस मद आयात और निर्यात पर 5,000 करोड़ रुपये से 6,000 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और भारत सरकार ने योजना में धन के आवटन की राशि बढ़ाकर बुद्धिमता का काम किया है और वे सभी संभव सावधानियां बरत रहे हैं।

हमने हाल में कुछ ऐसे समाचार पढ़े हैं कि बम्बई हाई स्थित तेल के कुओं में तेल का उत्पादन रुक गया था और ऐसा उनके चालू होने के 1 या डेढ़ वर्ष में ही हो गया था। जब लोगों ने ऐसा समाचार पढा तो वे चिन्तित हो गए थे। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह सभा को बताएं कि सरकार कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और अन्य से सम्बन्धित यह कुछ प्रश्न हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे इस बात का दुख है कि भारत पेट्रोलियम के शोधनशाला को मरम्मत हेतु कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा है। यह इस शोधनशाला के सम्बन्ध में ही

नहीं है अपितु यह अन्य शोधनशालाओं के सम्बन्ध में भी लागू होता है।

यह सच है कि इस शोधनशाला को बन्द करने से कच्चे तेल की कुछ कमी होगी और इस कमी को न केवल सरकार द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले आयात के द्वारा पूरा किया जायेगा अपितु मथुरा तेल शोधनशाला, जिसमें उसकी क्षमता का 60 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है, से भी मदद मिलेगी।

इसलिए सरकार ने अपनी ओर से पहले ही कार्यवाही की है और इस तरह की आकस्मिकता में होने वाली कमी दूर करने के लिए कार्यवाही कर रही है।

तेल खरीदने के प्रश्न पर मुझे यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस शोधनशाला के बंद होने से बाहर से तेल खरीदना आवश्यक हो गया है। प्रश्न कच्चे तेल से मध्यवर्ती आसव प्राप्त करने से है।

जहाँ तक बम्बई हाई से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल का सम्बन्ध है, हमें उसमें से स्नेहक तेल, बिटूमन और कुछ अन्य मध्यवर्ती आसव नहीं मिल सकता है।

इस तथ्य के बावजूद कि हमें बम्बई हाई से कच्चा तेल मिलेगा और यह कि बम्बई तेल शोधनशाला काम करने लगेगा फिर भी बाहर से तेल खरीदा जाना आवश्यक हो गया है।

बाहर से तेल खरीदे जाने की आवश्यकता विभिन्न परिस्थितियों से हुई है। भारत पेट्रोलियम शोधनशाला के बन्द होने का असर तेल खरीदे जाने पर भी पड़ा है। मैं इस तथ्य का खंडन नहीं करता हूं, परन्तु यही एक मात्र कारण नहीं है जिसकी वजह से तेल खरीदा जाना आवश्यक हो गया है।

कच्चे तेल की कुल खपत के प्रश्न पर, जो मेरे माननीय मित्र से उठाया है और जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय से सीधे संबंधित नहीं है, 1981 में इसकी माँग लगभग 31 मिलियन टन थी जिसमें से हमें लगभग 15 5 मिलियन टन आयात करना पड़ा था।

एक माननीय सदस्य : मोटे तौर पर 15.5 मिलियन टन।

श्री पी० शिव शंकर : इससे कुछ अधिक। 1982 में कच्चे तेल की मांग 35 मिलियन टन होने की सम्भावना है और देश में इसका उत्पादन 20 1/2 मिलियन टन होने की सम्भावना है। जहाँ तक देश में इसके उत्पादन का सम्बन्ध है यह इसका लगभग 60 प्रतिशत होगा और आयात में मोटे तौर पर 10 प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है। इसलिए आयात केवल लगभग 40 प्रतिशत होगा। यह एक विस्तृत खाका है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर।

(इस समय पर दर्शक दीर्घा से किसी व्यक्ति ने नारे लगाते हुए सभा में कुछ पर्चे फेंके।)

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : यह रोज मजाक हो रहा है। क्या आप इस पर कड़ी कार्यवाई नहीं कर सकते हैं ? राजनीतिक दल कहते हैं.....

श्री सत्यदेव सिंह (छपरा) : रोज ऐसा हंगामा किया जा रहा है जैसे आग लगी हुई हो। कब तक इसको हम बरदाश्त करते रह सकते हैं ?

श्री राजेश पायलट : पिछली बार राजनीतिक दलों ने कहा था कि उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। परन्तु तीन दिन के बाद उनके समर्थन में अमुक दल से वक्तव्य आया है। कृपया इस पर कार्यवाही कीजिए। कम से कम सभा की गरिमा बनाए रखने के लिए, यदि किसी अन्य उद्देश्य से नहीं, कृपया कार्यवाही कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर।

श्री कमल मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मुझे वह जमाना याद है जब भारत सरकार पाडत जवाहर लाल नेहरू के जमाने में यह प्रयत्न किया था कि हिन्दुस्तान में तेल है या नहीं इसका पता लगाया जाए। तब अमरीकी विशेषज्ञों ने कहा था कि हिन्दुस्तान में एक दम तेल नहीं है। सोवियत संघ के लोगों की सहायता से और सहयोग से हमें तेल की सम्भावनाओं के बारे में पता चला था। आज आपके कहने के अनुसार हिन्दुस्तान की आवश्यकताओं का साठ प्रतिशत तेल यहाँ देश में ही उपलब्ध है। बाहर से आप जो क्रूडआयल मँगाते हैं उसमें आपका हजारों हजार करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा का खर्च हो जाता है। इस वास्ते तेल उद्योग में कहीं गड़बड़ी पैदा न हो यह देखना सब का कर्तव्य है और यह सभी का कनसर्न है। जितना यह आपका कनसर्न है उतना ही हमारा भी है। यह एक राष्ट्रीय क्षति है। आपने जो वक्तव्य दिया है उसमें कुछ बातें आपने बताई नहीं हैं। आपने यह नहीं बताया है कि ट्यूब के फट जाने से फरनेस को कितनी बड़ी क्षति हुई है और इसको ठीक ठाक करने में कितना समय लगेगा और कितने दिन में इस सब के बारे में रिपोर्ट जा जाएगी ? आपने कौन सी ऐसी व्यवस्था की है कि इस तरह की घटनायें—भविष्य में न घटें या उनके घटने की सम्भावनायें कम हो जायें ताकि ट्यूब वगैरह फटन की गुंजाइश ही न रहे ?

बी० पी० सी० एल० में मजदूरों में असन्तोष है। जनवरी महीने में दस पंद्रह दिन तक वह बन्द भी रहा। आपने अधिकारियों से उसको खुलवाया। मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच सम्बन्ध मधुर रहे .. और मजदूरों की समस्यायें हल हों इसके लिए आप क्या कर रहे हैं।

पांच लाख टन क्रूड बम्बई हाई का ट्यूब के फट जाने से सप्लाई नहीं हो रहा है। यह अखबारों में छपा है, टाइम्ज आफ इंडिया में आया है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं।

कैरोसीन और एच० एस० डी० की जो कमी आई है, उस कमी को पूरा करने की आप कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : उपाध्यक्ष जी, जहाँ तक क्षति का सवाल है उसका अनुमान लगाना इस वक्त मुश्किल दिखता है जब तब कि पूरे तरीके से इसकी रिपेयर न हो जाय यह कहना मुश्किल है कि कितनी क्षति हुई है। मेरे मित्र ने यह पूछा कि यह कितने दिन में रिपेयर हो सकता है ? अनुमान है कि 15 दिन के अन्दर यह रिपेयर्स पूरी तरह से किए जायेंगे। तीसरे उन्होंने पूछा कि समय समय पर जाँच की जाती है कि नहीं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां

तक रिफाइनरी का सम्बन्ध है आम तौर से 18 से 24 महीने के अन्दर एक मर्तबा पूरी रिफाइनरी बन्द करके ठीक ढंग से जाँच की जाती है और जांच करने के बाद फिर रिफाइनरी का काम शुरू किया जाता है। अगर कोई कमी इस जाँच में मालूम पड़ें तो उसकी पूर्ति या तरमीम की जाती है। लेकिन इसके बावजूद वाज दफा ऐसे सर्काम्सटांसेज आ जाते हैं जिसकी वजह से बीच में भी रिफानरी को बन्द करने की जरूरत पड़ती है। और जहाँ तक इस रिफाइनरी का सम्बन्ध है इसकी टर्बाइन ट्यूब में जो खराबी आ गई है इस किस्म की खराबियों न सिर्फ इस रिफाइनरी में बल्कि दूसरी रिफाइनरी में भी समय समय पर होती आ रही हैं। उनकी रितेयर्स के लिए रिफाइनरी को बन्द किया जाता रहा है।

मजदूरों की समस्या का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया। मुझ से कुछ दिन पहले मजदूरों के रिप्रजेन्टेटिव्ज मिले थे मैंने उनसे कहा कि मजदूर मैनेजमेंट के साथ बैठे और मैंने मैनेजमेंट को भी डायरेक्शन दिया है कि वह बैठकर इस मामले का ठीक ढंग से कोई हल निकालें। जहाँ तक स्वापिंग का सवाल है मैंने पहले ही कह दिया वह इस वास्ते नहीं कि यह रिफाइनरी बन्द है, बल्कि मुख्तलिफ हालात में भी स्वापिंग की जरूरत पड़ती है। जहाँ मिडिल डिस्टिलेट्स की कमी पड़ी उसकी वजह भी स्वापिंग की जरूरत पड़ती है।

मैं समझता हूँ सारे प्रश्नों का मैंने जबाव दे दिया।

श्री रेणुपद दास (कृष्ण नगर) : जहाँ तक मैं समझा हूँ, यह समस्या औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण बम्बई में भारत पेट्रोलियत तेल शोधक कारखाने के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। यह कोई पहला अवसर नहीं है कि इसे बन्द करना पड़ा है। इसे इस वर्ष 15 जनवरी को बन्द किया गया था और 28 जनवरी को पुनः चालू किया गया था और उसके बाद प्रचालन क्षमता घटकर रह गई। मेरे विचार से ऐसा इसलिए हुआ कि अन्य तेल शोधक कारखानों के समान इस तेल शोधक कारखाने में भी प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध तनावपूर्ण है। तेल शोधक कारखाने में श्रम समस्या एक लम्बे अर्से से चली आ रही थी और प्रबन्धकों तथा श्रमिक संघ के बीच किसी प्रकार का विचार-विमर्श भी हुआ था किन्तु किसी भी समय प्रबन्धक कार्मिक संघ के साथ समझौता करने में असमर्थ रहे। मेरा विचार है कि प्रबन्धकों के जिद्दी रवैये के कारण ऐसा हुआ। प्रबन्धकों का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि वे प्रबन्धक मण्डल तथा कार्मिक सघ के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के साधन करते। इसके असफल रहने से यह सिद्ध होता है कि प्रबन्धक वर्ग कार्मिक संघ के साथ अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित करने में शिथिल और अक्षम थे। जहाँ तक औद्योगिक संबंध का प्रश्न है, प्रबन्धक स्थिति के अनुरूप कर्मचारियों के साथ समझौता करने में नितांत असफल रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं दो विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या सरकार का विचार परियोजना प्रबन्ध की सरचना पुनः करने का है जो मन्त्रालय के अधीन अनेक तेल शोधक कारखानों में बहुत समय पूर्व किया जाना चाहिये था।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई-हाई के कितने कच्चे तेल का विनिमय किया गया। यदि किया गया है तो किस देश के साथ तथा किन वस्तुओं के साथ ? क्या बम्बई-हाई

के उत्पादन को बेहतर बनाने का कोई अन्य उपाय भी है ? क्या ऐसा करना इस देश के हित के विरुद्ध तो नहीं है ? यही मेरे दो प्रश्न है। जिनका मन्त्री जी उत्तर देने की कृपा करें।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, कार्य 15 जनवरी 1982 को बन्द हुआ था। तेल शोधक कारखाना 27 जनवरी तक पूर्णत: बन्द रहा। उस दिन के बाद से अन्य लोगों की सहायता से इन इकाईयों पर काम करने वालों के कारण ये इकाइयों की अपनी क्षमता के 70 प्रतिशत तक कार्य हो रही है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कर्मचारियों द्वारा रखी गई माँगों के सम्बन्ध में मतभेद होने का ब्यौरा देना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। किन्तु इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के बाद मैं अपने माननीय मित्र की इस बात सहमत नहीं हूं कि प्रबन्धकों का रवैया जिद् वाला है। इन समस्याओं की ओर ध्यान देने पर मुझे ज्ञात हुआ कि प्रबन्धकों का रवैया बहुत ही उदार रहा है। कर्मचारियों की माँगें इतनी ऊँची हैं कि उन्हें मानना बहुत ही कठिन है क्योंकि इनसे और अनेक समस्यायें उत्पन्न होगी। उन्होंने प्रबन्धक वर्ग की पुन: संरचना किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है। मुझे तत्काल प्रबन्ध समिति की पुन: संरचना किये जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। वास्तविकता यह है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया हूं कि प्रबन्ध समिति की पुन: संरचना किये जाने से मेरे मित्र का वास्तविक अभिप्राय क्या है ? मेरी समझ में तो यह आया है। यदि उनका अभिप्राय समग्र रूपेण परिवर्तन करने से है तो मैं इस स्थिति में ऐसा करना आवश्यक नहीं समझता हूँ। मेरे माननीय मित्र ने कच्चे तेल के विनिमय के बारे में पूछा है। उन्होंने 'बारटरिंग' शब्द का प्रयोग किया है। धनराशि के सम्बन्ध में मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि कच्चे तेल के विनिमय में कितना धन लगा हुआ है और बदले में उत्पादित वस्तुओं के खरीदने के प्रयोजन के लिए कितना धन व्यय हुआ है। मैंने उनके ही शब्दों का प्रयोग किया है। मूल्य के विचार से निष्कर्ष देना मेरे लिए कठिन है। अब तक चार बार विनिमय किया है। एक विनिमय 15 जनवरी, 1982 से पहले किया गया दूसरा उस समय जबकि 15 जनवरी से पूर्व निविदा सूचना जारी की गयी थी, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि सदन इस भुलावे में न रहे कि भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी, बम्बई में उलझनें उत्पन्न होने के बाद ही विनिमय की कार्यवाही आरम्भ की गई है। इसी विचार से मैं यह कह रहा हूं। विनिमय की दूसरी कार्यवाही, इस मामले में 15 जनवरी 1982 से पूर्व आरम्भ की गई थी कि निविदा सूचना पहले ही जारी हो चुकी थी, तथापि सम्पूर्ण कार्यवाही उस तारीख के बाद ही सम्पन्न हुई थी। 1-1-1982 से 31-12-82 तक के लिए 1 मी० टन बम्बई हाई के कच्चे तेल को 65 : 35 के अनुपात के बराबर की मात्रा में अरब लाइट और अरब हैवी क्रूड तेलों के साथ विनिमय करने की प्रथम कार्यवाही की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि बम्बई हाई के कच्चे तेल में से इतनी मात्रा में कुछ इस प्रकार की मध्यम सामग्री नहीं निकल पाती है जिसकी हमें आवश्यकता है। इसलिए इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये विनिमय किया गया।

दूसरा मामला बम्बई हाई के 0.25 मी० टन० कच्चे तेल को 65 : 35 के अनुपात से मिश्रित अरब लाइट और अरब हैवी क्रूड के बराबर की मात्रा के साथ विनिमय किया गया। तीसरा विनिमय 0.20 से 0.25 मी० टन बम्बई हाई के कच्चे तेल को 40 से 50 हजार मी० टन

मिट्टी का तेल तथा 80,000 से 1 लाख टन एच० एस० डी० के साथ किया गया। चौथा विनिमय 0.20 से 0.25 मी० टन बम्बई हाई के कच्चे तेल को 50,000 से 60,000 टन मिट्टी का तेल तथा 80,000 से 1 लाख टन एस० एस० डी० के साथ किया गया। विनिमय के यही चार मामले हैं जो हमने किये हैं और जिनके कारण भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं। हमने विनिमय केवल मध्यम सामग्री के ही कारण नहीं किया इसलिए भी किया कि यह भी सच है कि कभी-कभी बम्बई तेल शोधक कारखाने के बन्द हो जाने के कारण भी मिट्टी का तेल और एच० एस० डी० प्राप्त करने के लिए भी हमें विनिमय करना पड़ा है।

श्री रेणु पद दास : प्रबन्ध समिति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों में यह आशंका व्याप्त है कि ये अधिकारीगण बात-चीत द्वारा समझौता करने की अपेक्षा श्रमिक-विरोधी विधि सम्मत कार्यवाही करने में अधिक विश्वास रखते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि कर्मचारियों को भी अपने उत्तरदायित्व का अहसास होना चाहिये। इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्षेत्र के श्रमिकों को देश की दाव पर नहीं लगा देना चाहिए। मैंने इस प्रकार की कड़ी भाषा का प्रयोग इससे पहले नहीं किया है। किन्तु देश भक्ति के लिए सभी ओर से त्याग अपेक्षित होता है चाहे प्रबन्ध समिति हो अथवा कर्मचारीगण।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तकनीशियनों को बधाई देता हूं जिन्होंने तेल के लीक होने के बारे में पता लगाया। यदि वे समय पर न पता लगाते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तकनीशियन ने पहली बार इसका पता लगाया, क्या उसे और भी इनाम दिया जा रहा है ?

महोदय, विरोधी दल ने व्यर्थ ही श्रमिक कठिनाई का मामला उठाया है। ये दोनों बातें अलग-अलग हैं। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें हमें देश के कल्याण के लिए उत्पादन करना है और जब सरकार श्रमिक समर्थन है तो अधिकारी श्रमिक-विरोधी कैसे हो सकते हैं। यह तो साधारण सी बात है। मन्त्री जी ने अभी-अभी कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने तथा सभी माँगों पर विचार करने को कहा है। और, महोदय, यह बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि समय बर्बाद किये बिना ही उन्होंने मरम्मत चालू कर दी है। उन्होंने मशीनें ठीक कर दी हैं। उन्होंने सेना कार्मिकों की सहायता भी ली है। महोदय, हमें अपने सेना कार्मिकों को भी बधाई देनी है। वे सभी युद्ध-स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जब कभी भी बाढ़ इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदायें आती हैं हमारे सैनिक कार्मिकों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। अब जब कभी कारखानों में टूट-फूट होती है तो मरम्मत के लिए हम उनकी सेवा का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें निश्चित ही बधाई दी जानी चाहिये। गत तीन वर्ष अथवा ढाई वर्षों से सेना में जो प्रगति हुई है और जिसके कारण देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा है, उस के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में हम लोग कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा

होने में 2 या 3 वर्ष लगेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं वर्तमान लोक सभा के सत्र का अवसान होने से पूर्व देश तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाये।

श्री बी० बी० देसाई : माननीय मन्त्री अपनी अवधि के दौरान देश में कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने का गौरव प्राप्त करें।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जी हां, इसे मेरी ही उक्ति का अंश समझा जाये।

श्री पी० शिव शंकर : यह मामला आत्मनिर्भरता से सम्बन्धित है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब 1982-83 में हम अपनी आवश्यकता का 60 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर पाने की स्थिति में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि चीनी का मामला हो तो श्री राम गोपाल रेड्डी सहायता कर सकेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : ठीक करने का एक मामला और है। क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्री अन्य भाग की परम्मत और जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं जिससे बन्द होने की नौबत फिर न आये। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कारखानों में आये दिन ऐसा होता रहता है।

श्री पी० शिव शंकर : इस प्रश्न का उत्तर मैं ही सीधा दूंगा। हम लोग टरबाइन ट्यूबों की मरम्मत कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे अन्य भागों की भी जांच करते हैं। यदि कोई भी कठिनाई होगी, वे अवश्य ही इसकी ओर ध्यान देंगे। जहां तक उस भाग का प्रश्न है अब तक ऐसी कोई कठिनाई नही है। महोदय मेरे लिए यह बहुत कठिन है कि हम लोग कब तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे मैं तो कहूंगा कि उस क्षेत्र में 'भाग्य' और 'ज्योतिष' प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। प्रश्न है तेल पाने का और तेल पाने के तत्काल बाद दोहन प्रक्रिया अपनाई जाये। दुर्भाग्य वश मैं ज्योतिष नहीं जानता हूं और इसके बारे में भविष्यवाणी करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। अपनी ओर से, मैं कह सकता हूं, कि हमारे मन्त्री कच्चे तेल के उत्पादन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं आपसे उस अधिकारी के बारे में पूछा था जिन्होंने सर्व प्रथम चूने का पता लगाया और क्या आप उनकी प्रशंसा करेंगे. . . .

श्री पी० शिव शंकर : इसकी ओर अवश्य ध्यान दिया जायगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हू कि :— जिन लोगों ने इसका पता लगाया, और जिन्होंने राष्ट्र की यथा शक्ति सहायता की है उनकी सेवाओं को निश्चित ही सराहा जायेगा।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल की समस्याओं तथा ऐसे स्कूलों को केन्द्रीय विद्यालयों की तरह चलाने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौडगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में 18 सैनिक

स्कूल हैं। उनमें से एक मेरे निर्वाचन-क्षेत्र चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में है। यह स्कूल रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। पर वित्तीय भार राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारें उन्हें केन्द्रीय विद्यायल मानकर अपने विद्यालयों के नियम लागू नहीं करतीं। इन स्कूलों की उपेक्षा करती हैं तथा रक्षा मन्त्रालय अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों को देखते हुए इन्हें राज्य सरकारों पर छोड़कर निश्चिन्त है। वह केन्द्र जो देश के भावी रक्षा प्रहरियों को तैयार कर रहे हैं यह काफी उपेक्षित तथा अभाव और दिक्कतों से घिरे हुए हैं। यहां का विद्यार्थी, क्या अध्यापक और अन्य स्टाफ सभी इस समय उपेक्षित हैं।

चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के बच्चों पर खाने का व्यय बहुत ही कम किया जाता है। इसलिए बच्चों को पूर्ण पौष्टिक तथा स्वास्थ्यप्रद भोजन नहीं मिल पाता। अतः खाने के खर्च को बढ़ाया जाए।

चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के रख-रखाव तथा मरम्मत कई वर्षों से नहीं हुई है। वहां पढ़ाने वाले अध्यापकों को न तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है और न राज्य के सहकारी स्कूलों के अध्यापकों के समान। पुराने वेतनमान में कोई संशोधन नहीं हुआ, अतः उनका वेतन बहुत ही कम है। उनके वेतनमान को संशोधित किया जावे। उन अध्यापकों के सेवा निवृत्त होने पर पेंशन की व्यवस्था भी नहीं है। आज सभी जगह वेतनमान अच्छे हैं। अतः इस तरह की अनुशासित तथा अच्छी संस्थाओं में योग्य अध्यापक धीरे-धीरे कम हो जायेंगे। अतः वेतनमान में संशोधन तथा पेंशन की व्यवस्था की जाए।

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पुराने वेतनमान से 75/- रु० माहवार मिलता है अर्थात् 2/50 प्रति दिन। जबकि एक साधारण मजदूर को 7/-प्रतिदिन मिलता है। राजस्थान के अन्य सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी 275/- रुपए और 300/- रु० मासिक मिलता है।

सैनिक स्कूलों में दोहरी व्यवस्था केन्द्र तथा राज्य की समाप्त करके इन्हें केवल केन्द्रीय विद्यालयों के समान ही केन्द्रीय सरकार देखे। वित्तीय व्यवस्था भी केन्द्र ही करे।

(दो) पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक पृथक रेल डिवीजन बनाना

श्री रास बिहारी बहेरा (कालाहांडी) : श्रीमान, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं। पश्चिमी उड़ीसा में एक पृथक डिवीजन की स्थापना के अभाव में उड़ीसा के पश्चिमी जिलों के रेल विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की एक तिहाई रेलवे लाइनें उड़ीसा में हैं तथा प्रमुख रेलमार्ग तथा सड़कें राज्य के पश्चिमी जिलों से गुजरती हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के सात डिवीजन हैं तथा उनमें से केवल एक ही उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट खुर्द रोड पर है। चार अन्य डिवीजनों का राज्य पर क्षेत्राधिकार है। जिनमें से दो डिवीजन अर्थात् चक्रधरपुर और वालटेयर के क्षेत्राधिकार में पश्चिमी उड़ीसा का बहुत बड़ा भाग है। इस सबके बावजूद बड़ी वर्कशापें तथा डिवीजन मुख्यालय राज्य के बाहर स्थित है।

इस क्षेत्र में भारी संख्या में सीमेंट कारखानों के स्थापित होने के कारण राज्य के इस भाग के लगभग सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का कार्य बढ़ गया है। कोल इण्डिया की पश्चिमी उड़ीसा तथा ब्रजराजनगर सैक्शनो में कोल फील्डज का व्यापक विकास करने तथा बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा बहुत से मध्यम तथा लघु उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं। इन सबको मिला कर यातायात काफी बढ़ेगा तथा विशेषत: इस समय दक्षिण पूर्व रेलवे के वाल्टेयर बिलासपुर तथा चक्रधरपुर डिवीजनों में यातायात में वृद्धि होगी तथा कार्य के और अधिक बढ़ने से प्रचालन तथा प्रबन्ध की समस्याएं पैदा हो जायेंगी।

चक्रधरपुर तथा वालटेयर डिवीजनों के कुछ क्षत्रों को लेकर नये डिवीजन का निर्माण किया जा सकता है। कुछ प्रमुख रेल मार्गों जैसे रूरकेला और रायगढ़, झारसुगुदा और टिटलागढ़ रायगडा और रायपुर और बारसौन और वीरमित्रपुर रेल मार्गों को नये डिवीजन में रखा जा सकता है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक पृथक डिवीजन बनाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये।

(तीन) भारतीय कृषि अनुसधान परिषद में कथित कुप्रबन्ध और अपव्यय

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को समन्वित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक प्रमुख निकाय है अत: इसे उच्चतम मानदंड स्थापित करने चाहिए। इसके अधीन विशेष क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाएं भी हैं। इसका वार्षिक बजट 300 करोड़ रुपए है। इसलिए यह अनिवार्य है कि आइ० सी० ए० आर० के कार्य का व्यापक पुनरीक्षण किया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन उन्हीं उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाये जिसके लिए उसका आवंटन हुआ है तथा किसानों को इससे सेवाएं प्राप्त हो सकें जिनके नाम पर भारी राशियां दी जातीं हैं। विशेषरूप से मैं दो पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

(एक) लेख परीक्षा प्रतिवेदनों की न केवल अनियमितताओं और अपव्यय के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए अपितु यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय भी किये जायें।

(दो) जहाँ कहीं भी अनुसन्धान संस्थाओं जैसे भेड अनुसंधान संस्था, के कार्य की विशेषज्ञ समितियों द्वारा जांच की गई है तथा जो कमियां तथा अनियमितताएं आदि प्रकाश में आयीं है। उनकी जाँच की जानी चाहिए और उनको दूर करने के लिए उचित उपाय किये जायें।

इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह अपने स्तर पर सुनिश्चित करें कि प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसद व माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से केन्द्रीय गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय एवं नियोजन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि

वे प्रान्तीय सरकारों से परामर्श कर देश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं विकास सम्बन्धी इकाइयों तथा विधान सभाई क्षेत्रों का निर्धारण भौगोलिक परिस्थितियों व क्षेत्रफल के आधार पर किए जाने का निर्णय लेवें। जनसंख्या इनके निर्धारण का आधार नहीं होना चाहिए।

यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए प्रशासनिक एवं विकास सम्बन्धी इकाइयों को छोटा बनाया जाए। वर्तमान समय में देश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जनपदों, उपमंडलों व विकास खण्डों का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि एक किनारे से जनपद के मुख्यालय तक पहुँचने में चार-पांच दिन तक का समय व बस के किराये में 150/- रु० तक एक व्यक्ति को खर्च करना होता है। यदि क्षेत्र विकास अधिकारी अपने विकास खण्ड के प्रत्येक गाँव का भ्रमण करना चाहे तो उन्हें दो माह से भी अधिक का समय लगेगा। इन पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश भागों में सड़क यातायात व सचार सुविधाओं का अभाव है। प्रशासनिक एवं विकास कार्यों के संचालन हेतु नियुक्त अधिकारी बिधिवत् तरीके से विकास कार्यों का निरीक्षण कर नहीं पाते हैं।

पर्वतीय भागों में ससदीय एवं विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र भी बहुत बड़े बड़े हैं। मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र भी दो जनपदों से मिलकर बना हुआ है। मैं तीन साल तक लगातार भी भ्रमण करूं तो शायद ही अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में पहुँच पाऊँगा। विधान सभा क्षेत्र भी बहुत बड़े-बड़े हैं। दूर-दूर छिटके हुए गाँव प्राकृतिक बाधायें, नदी, नाले, जंगल व पहाड़ आदि चुनौती तो अवश्य हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं हैं।

अतः गृह मंत्रालय को चाहिए कि वे चुनाव आयोग से परामर्श कर पहले तो सँसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को पर्वतीय भागों मे छोटा बनावें, यदि यह कार्य संभव न भी होवे तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भागों के विधान सभाई क्षेत्रों का गठन मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड या हिमाचल के के पैटर्न पर होना चाहिए।

(पांच) भाखड़ा बांध के कारण वहां से हटाये गये लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें आवंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में मालिकाना अधिकार तथा अन्य सुविधाएं देने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा बाँध के कारण वहां से हटाये गये लोगों ने मातृभूमि के लिए महत्वपूर्ण त्याग का कार्य किया है। उन लोगों को अपने घरबार छोड़ कर तत्कालीन पजाब अब हरियाणा के हिसार जिले में बसने को विवश होना पड़ा। भाखड़ा बांध के पूरा होने पर तत्कालीन काँगड़ा जिले के बिलासपुर जिले तथा ऊना तथा हमीरपुर तहसीलों में कई स्थलों पर दूरियाँ कई गुणा बढ़ गई क्योंकि बहुत से पुल तथा पीने के पानी के स्रोत गोविन्द सागर झील के बनने से उसके अन्तर्गत आ गये।

विस्थापित हुए लोग जो हरियाणा में बसे थे उनकी स्थिति तो और भी खराब है क्योंकि आवंटन के बीस वर्ष बाद भी उन्हें मालिकाना अधिकार नहीं दिये गये हैं। भाखड़ा बाँध के कारण निर्वासित हुए लोगों की भूमि का मालिकाना अधिकार हरियाणा सरकार को दिये गये हैं इसलिए उन्हें विकास की अन्य सुविधाएं ऋण भी नहीं मिल पाता जो कि सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है। क्योंकि भाखड़ा से निर्वासित लोगों के 70% को 5 एकड़ से कम भूमि

दी गई है, उनके किसी प्रकार आत्मनिर्भर होने के अवसर अच्छे नहीं हैं, बैंकों तथा अन्य सहायक बैंकों से ऋण सुविधाओं के अभाव में तो उनके उद्धार के अवसर और भी कम हैं।

छठी लोक सभा की याचिका समिति ने अपने दसवें प्रतिवेदन में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि भाखड़ा बाँध से निर्वासित होने वाले व्यक्तियों को मालिकाना अधिकार देने का मामला हरियाणा सरकार से उठाया जाये। उस प्रतिवेदन के सभा को प्रस्तुत करने के 3 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर भी अभी तक कुछ नहीं किया गया।

अतः केन्द्रीय सरकार को हरियाणा सरकार से इन निर्वासित व्यक्तियों को मालिकाना अधिकार देने के लिए आग्रह कर उनकी सहायता करनी चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मालिकाना अधिकार दिये जाने की प्रक्रिया हाथ में लिये जाने के साथ-साथ अन्य सुविधाएं, जैसे बैंक ऋण आदि भी उन्हें दिये जाये।

मैं केन्द्रीय सरकार से विशेष रूप से ऊर्जा मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि इन निर्वासित लोगों को अधिकार दिलाने के लिए उन्हें इस वर्तमान दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में हरियाणा सरकार से कार्यवाही करे।

(छ) सलकिया एण्ड पोर्ट यूनिट आफ दि हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री अजित बाग (सीरमपुर) : श्रीमान, मैं सलकिया एण्ड पोर्ट यूनिट आफ दि हुगली डाँकिग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के मामले पर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहले ही यूनियन पश्चिम बंगाल सरकार तथा संबद्ध सदस्यों द्वारा संसद मंत्रालय को बहुत से अभ्यावेदन दिये जा चुके हैं परन्तु उसके कोई परिणाम नहीं निकले हैं।

पता चला है कि यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। परन्तु मैं पास अन्तिम निर्णय लेने के लिए उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत सरकार के औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने इस कम्पनी को वित्तीय सहायता देनी प्रायः बन्द कर दी है तथा कम्पनी का कार्य बुरी तरह रुक गया है। कर्मचारियों तथा इससे अधिकारियों को वेतनों की अदायगी बन्द हो जायेगी।

इन हालात में मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि आई० आर० सी० आई० को तुरन्त तब तक कम्पनी को वित्तीय सहायता देने को कहें जब तक कि सरकार उसके राष्ट्रीयकरण के मामले पर अन्तिम निर्णय नहीं लेती है।

मैं वित्त मंत्री से माँग करता हूं कि सभा में इस बारे में एक वक्तव्य दें तथा उक्त कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करें।

(सात) कटी मुजफ्फर पुर (बिहार) में ताप बिजली घर को शीघ्र पूरा करने के लिए उपाय

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : सामान्य रूप से समस्त बिहार तथा विशेष रूप से उत्तर बिहार बिजली का कमी के कारण पीड़ित है। इस समय पटना में भी बिजली बन्द की जाती है। बिजली की कमी के कारण फार्मों तथा उद्योगों को हानि हो रही है।

उत्तर बिहार की बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कंटी, मुजफ्फरपुर में 220 मैगावाट का एक ताप बिजली घर का निर्माण करना चाहिए ।

यह घोषणा की गई थी कि यह पावर स्टेशन 1983 तक बन जायेगा । परन्तु जिस मंद गति तथा उदासीनता से निर्माण कार्य चल रहा है उससे यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि पावर स्टेशन निर्धारित अवधि में तैयार नहीं हो पायेगा । इस कार्य के 1984 के बाद तक भी चलने की संभावना है ।

ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उन्हें राज्य बिजली बोर्ड को परामर्श दिया है कि स्थानीय लोगों विशेषत: अकुशल श्रमिकों को वरीयता के आधार पर रोजगार दिये जाये । मुझे शिकायतें मिली हैं कि इस नीति का क्रियान्वयन नहीं हो रहा जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों में भारी असंतोष है । मुझे भय है कि यदि स्थानीय लोगों को अकुशल श्रमिकों के रूप में रोजगार में वरीयता न दी गई तो स्थिति तनावपूर्ण बन जायेगी ।

इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि निर्माण कार्य में प्रगति लाने के लिए एक निकाय की नियुक्ति की जाये ताकि परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो सके ।

दूसरे, में सरकार से अपील करता हूँ वे यह सुनिश्चित करें कि कम से कम अकुशल कार्यों के लिए रोजगार में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाये ।

(आठ) तमिलनाडु के ग्रामीण लोगों को आभूषणों पर ऋण देने की सुविधा पुन: शुरू करने की आवश्यकता

श्री कुमबुम एन० नटराजन (**परियाकुलम**) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान निम्न तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूँ कि तमिलनाडु के ग्रामीण जनता के हित में तुरन्त कार्यवाही की जाये ।

अभी हाल ही में तमिलनाडु में अनहोनी घटनाएं घटी । सरकारी बैंकों तथा कृषि ऋण सोसाइटियों ने सहसा जेवरों पर ऋण देना बन्द कर दिया । तमिल सरकार के इस निर्णय से सबसे बुरा प्रभाव ग्रामीण लोगों विशेषत: किसानों, बाग लगाने वालों तथा अन्य व्यवसाय करने वालों पर पड़ा जिनके पास कठिन हालात में वित्त व्यवस्था करने का और कोई साधन नहीं हैं । राज्य सरकार जानती है कि जेवरों पर ऋण लोगों को बहुत लाभ पहुंचता है तब भी उन्होंने सहकारी संस्थाओं तथा कृषि सोसाइटियों द्वारा उस समय किसानों को ऋण बन्द कर दिये हैं जबकि उन्हें भूमि से पर्याप्त लाभ नहीं मिलते । तमिलनाडु के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जेवरों पर ऋण न देने की सहकारी बैंकों की नीति को अपना कर उनके कष्टों को और भी बढ़ा दिया है । तमिलनाडु में 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के बड़े बड़े दावे केवल कागजों तक सीमित हैं । यह दुःखद बात है कि जरूरतमंदों की अतिरिक्त सहायता देने के स्थान पर सहायता के इस महत्वपूर्ण स्रोत को समाप्त किया गया है ।

स्थिति की गम्भीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि 1976 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गरीबों के ऋणों को माफ करने के कारण उनके गैरसरकारी ऋण लेने के स्रोत समाप्त हो चुके हैं अब फरवरी, 1981 के अन्तिम सप्ताह से मद्रास सेंट्रल कोपरेटिव बैंक तथा

उसकी 18 संबद्ध शहरी शाखाओं द्वारा जेवरात पर ऋण दिये जाने बन्द कर दिये हैं। ऋणों का वार्षिक भुगतान लगभग 20 करोड़ रुपए होता था। रिजर्व बैंक ने इस बारे में आदेश जारी किये हैं कि जेवरात पर ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण नहीं समझे जाने चाहिए तथा किसी भी समय ऐसे ऋण जमा पूंजी के 5% से अधिक नहीं होने चाहिए। इससे जेवरों पर ऋणों को तुरन्त समाप्त किया गया।

क्या मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर सकता हूं कि इस मामले को सबद्ध अधिकारियों को साथ उठाया जाये तथा जेवरों पर ऋण की सुविधाए विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र पुन: दे दी जायें।

(नौ) राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में पुराने दैनिक कार्य के घटे बहाल करने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हाल ही में, राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी ग्रामीण शाखाओं जनता के लिए लेनदेन की कार्यविधि को 4 घटे से घटाकर 2 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सप्ताह के 6 कार्य दिवसों में से ये ग्रामीण शाखाएं 1 दिन जनता के लिए बन्द रहेंगे। ऐसा लगता है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा गठित अध्ययन दल की सिफारिशों को ध्यान में रख कर ऐसा किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में कार्य समय को कम करने से इन बैंकों से सम्बन्धित ग्रामीण जनता को न केवल अत्याधिक कठिनाई होगी अपितु बैंकों के माध्यम से संसाधन जुटाने में भी बाधा पडेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचार साधनों की सुविधाओं की अपर्याप्तता तथा गाँवों से बैंकों के अधिक दूरी पर होने के कारण, ग्रामीण जनता के लिए कार्य समय के अनुसार उस स्थान तक पहुँचना कठिन होता है। काय समय कम कर देने से, उन्हें और अधिक कठिनाई होगी।

अत: मैं ग्रामीण जनता तथा देश के लिए संसाधन जुटाने की बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री का ध्यान इस असगत तथा अहितकारी निर्णय की ओर दिलाना चाहती हूं तथा उनसे निवेदन करती हूं कि वे इसके लिए कुछ कदम उठाएं ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में पूर्व कार्यविधि को बहाल करें।

अनुदानों की मांगें 1982-83

शिक्षा तथा सस्कृति मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय—अब हम शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे तथा मतदान करेंगे। इसे आवंटित समय में से 3 घंटे 50 मिनट पहले ही समाप्त हो चुके हैं। 4 घटे का समय शेष है। अब श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा बोलेंगे।

इससे पहले कि वह अपना भाषण आरम्भ करें, मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि

उपमंत्री आज मध्याह्न पश्चात 2 बजे हस्तक्षेप करेंगे तथा उसके बाद 4 बज कर 30 मिनट पर मंत्री महोदय उत्तर देंगे । अब श्री सिन्हा बोलेंगे ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जो रिपोर्टें मैंने पढ़ी हैं, तथा प्रेस में प्रतिदिन जो ग्राम स्थिति प्रतिवेदित की जाती है उसके अनुसार विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों की स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है ।

मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा संस्थाएं ठीक प्रकार से काम नहीं रही हैं । मैं इसके लिए वर्तमान मंत्री को दोष देना नहीं चाहता । चौथे शिक्षण सर्वेक्षण ने इस देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की है तथा यह कहा है कि बहुत से स्कूलों की उपेक्षा की जा रही है । वहां पर संसाधन अपर्याप्त है, पाठ्यक्रम एवं वातावरण में तालमेल नहीं है तथा स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है ।

भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, श्री चौहान ने भी शिक्षा मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन करते हुए यह स्वीकार किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से स्कूलों में अध्यापक नहीं है । कई स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही अध्यापक है । केवल 76 लाख के करीब प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन मिलता है । प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बहुत अधिक संख्या में छात्रों द्वारा बीच में ही शिक्षा छोड़ देने के ये ही कारण हैं । सरकार द्वारा सतत् प्रयास किए जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं लगता कि हम 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क आरम्भिक शिक्षा देने के लक्ष्य को 1990 तक प्राप्त कर सकेंगे जो कि एक संवैधानिक दायित्व है ।

उनके वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि 1 से 5 वीं कक्षा तक के दाखलों को 1½ गुना तथा छठी से आठवीं कक्षा के स्तर तक दुगुना करने पर भी 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सम्बन्ध में हमारी उपलब्धि 95 प्रतिशत तथा 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सम्बन्ध में केवल 50 प्रतिशत तक होगी । इससे पता चलता है कि लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम इसे प्राप्त करने में समर्थ नहीं है । इसके लिए जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का तर्क दिया जा रहा है । यह सच है कि पिछले दो दशकों में जनसंख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है । बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक है । इसका राष्ट्रीय औसत 64 प्रतिशत है । अतः सरकार ने राज्य सभा में यह उत्तर दिया कि उनके लिए निकट भविष्य में इस उद्देश्य अथवा लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय बहुत निराश हो गए थे तथा हमारे संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में सरकार की असफलता के लिए जनसंख्या में वृद्धि का सहारा ले रही हैं ।

निर्धन वर्ग के लोगों की सहायता के लिए बहुत सी योजनाएं हैं । उदाहरण के लिए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसे जनता सरकार के शासन काल में उच्च प्राथमिकता दी गई थी । इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था; तथा भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने इस सदन में घोषणा की थी कि सरकार प्रति वर्ष 200 लाख लोगों के हिसाब से 5 साल में 1000 लाख अशिक्षितों को शिक्षा देने के लिए कृतसंकल्प है । लेकिन छठी योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए केवल 124 करोड़ रुपयों का ही प्रावधान किया गया है तथा इस बारे में रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है कि सभी अशिक्षितों को शिक्षित करने का जो लक्ष्य निर्धारित

किया गया है, उसमें कितना समय लगेगा। विभिन्न रिपोर्टों से जहां तक मैं जान पाया हूं इस बात का पता चलता है कि विश्व के 80.00 लाख अशिक्षित लोगों में से, एक तिहाई अशिक्षित लोग भारत में ही है। अतः इसे उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है लेकिन जिस तरह से आवंटन किया गया है, उससे मुझे लगता है कि इस कार्य का महत्व बहुत कम कर दिया गया है, यह बहुत आश्चर्य की बात है क्योंकि प्रधान मंत्री तथा अधिकतर सभी मंत्रियों ने इसे बार-बार दोहराया है कि शिक्षा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब तक हम देश के वंचित लोगों वंचित निर्धन वर्गों को समान अवसर नहीं देते तब तक समानतावाद का कोई अर्थ नहीं है, उसके बावजूद जब शिक्षा के लिए धन का आवंटन किया जाता है, तो उसमें आमतौर पर कटौती कर दी जाती है।

पाँचवी योजना के दौरान, कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत आवंटन किया गया था। चालू योजना में केवल 36 प्रतिशत आवंटन किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार इसे आवश्यक प्राथमिकता नहीं दे रही है। शिक्षा मंत्री ने कल लखनऊ में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में, सरकार ने प्रति वर्ष 100 लाख लोगों को शिक्षित करने का कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया है। अब हमें यह देखना चाहिए कि बढ़ते हुए अशिक्षितों को शिक्षित करने के लक्ष्य को पूरा करने में वह कितना समय लेंगे क्योंकि यह एक विरोधात्मक स्थिति है। एक तरफ, मैं यह मानता हू कि शिक्षा कार्यक्रम में काफी विस्तार हुआ है तथा हमने करीब 2380 लाख बच्चों को शिक्षा दे पाने में सफल हुए है। दूसरी तरफ अशिक्षितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब हमें इस स्थिति का सामना करना है।

मेरे मतानुसार यह दाखले तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को जिसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत् तथा दृढ़ निश्चयी प्रयास करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गयी कि प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं। अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर जाने वाली बहुउद्देशीय शिक्षा कार्यक्रम आदि ऐसी कई योजनाएं हैं और यदि हम इस सम्बन्ध में ठोस कदम नहीं उठाते, तो इसका जिम्मदार कौन है। यह प्रशासनिक का दोष माना जाएगा। हम स्थानीय स्तर के लोगों का इकट्ठा करने में सफल नहीं हुए हैं, लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ रही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं। आप यह जानते होंगे कि जब श्री कामराज मद्रास के मुख्यमत्री थे तो उन्होंने इस कार्यक्रम को सामुदायिक कार्यक्रम, लोगों का अपना कार्यक्रम बना दिया था तथा पूरा समाज इसमें शामिल था। मैं अपने अनुभव से ऐसा जानता हूं कि श्री भक्तवत्सलम, जब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री थे, तो वह लोगों की बैठक बुलाते थे तथा वहाँ एकत्र होने वाले लोग दोपहर का भोजन देने की योजना, तथा निर्धन वर्गों के बच्चों की यूनिफार्म के लिए कुछ योगदान देते थे, इस प्रकार यह कार्यक्रम सामुदायिक जीवन का एक अंग बन गया था। जब तक सरकार इसे सफल बनाने के लिए एक जन-आंदोलन नहीं बनाती, तथा इसमें राजनीति वचनबद्धताओं वाले लोगों को शामिल नहीं करती तब तक में नहीं समझता कि उसे सफलता मिलेगी तथा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा

समान शिक्षा देने का लक्ष्य मात्र स्वपन ही रह जायेगा हमें इसके लिए 2000 ई० तक प्रतीक्षा करनी होगी।

जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आरम्भिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा के बीच की एक कड़ी है। यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य से यह सबसे कमजोर कड़ी हैं क्योंकि इसमें सुधार करने के लिए अभी तक बात चल रही है तथा कई वर्षों से 10+2 +3 शिक्षा प्रणाली तथा 10+2+2 शिक्षा प्रणाली देश में लागू करने की बात चल रही है। लगभग इस प्रश्न पर विचार कहने के लिए सभी आयोगों तथा समितियों ने इसकी सिफारिशें की हैं। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि राज्य सरकारों ने इस सुधार को समान रूप से स्वीकार नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 15 राज्य सरकारों ने इस 10+2 शिक्षा प्रणाली को स्वीकार किया है। यह जमा 2 की शिक्षा काल बड़ी कठिन समय है। इस स्थिति में आपको व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना होगा क्योंकि उच्चशिक्षा माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक उपलब्ध कराती है छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार करती है तथा उन्हें विश्व में कार्य करने के योग्य बनाती है। इसीलिए, इस बात पर बल दिया गया है +2 कार्यक्रम में व्यावसायिक कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए। पाँचवी योजना में संघ सरकार ने जमा 2 शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना चाहा था लेकिन राष्ट्रीय विकास समिति के कहने पर यह कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया। आपको यह जानकर दु:ख होगा कि अब तक केवल 6 राज्यों ने जमा 2 शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किया है तथा अन्य राज्य अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं। मुझे अपने निजी अनुभव से ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री बैठकें करते रहे हैं और इस प्रकार सी० ए० बी० आई० की बैठकें होती रही हैं। ये लोग निर्णय लेते हैं और वापस चले जाते हैं और अगले वर्ष पुन: इनकी बैठक होती है और वे इसी विषय पर लगातार चर्चा करते हैं लेकिन कोई प्रगति नहीं होती। यही कारण है कि उच्च शिक्षा अभी तक कमजोर कड़ी बनी हुई है। साथ ही माध्यमिक विद्यालय अव्यस्थित ढंग से खोले जा रहे हैं। हमें यह देखना है कि ऐसे विद्यालय खोले जायें जो सक्षम शिक्षण दृष्टि से अच्छे तथा आर्थिक रूप से मजबूत हों।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यह आम विद्यालय प्रणाली के बारे में है। आप यह जानते होंगे कि यहाँ ऐसे पब्लिक स्कूल है जहाँ बहुत अधिक फीस ली जाती हैं और केवल धनवानों के बच्चे ही उन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज शिक्षा प्रणालों में भी समाज की भाँति कुछ इस तरह ही द्वैत प्रणाली प्रचलित है।

आप जानते ही हैं कि हर जगह लोगों का एक ऐसा छोटा वर्ग है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में हो इस वर्ग का सत्ता तथा धन पर एकाधिकार हो रहा है। इसी तरह, शिक्षा के सम्बन्ध में भी धनवान वर्ग पब्लिक स्कूलों में दी जा रही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाने में समर्थ है। इसी सदन में निरन्तर यह बात कही जाती है कि पब्लिक स्कूलों की इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं उन लोगों में से नही हूं जो ऐसी मांग करते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को बिहार में नेतारहाट स्कूल की भांति कुछ पब्लिक स्कूल आरम्भ करने चाहिए। यह पब्लिक स्कूल जैसा है जहाँ बच्चों को योग्यता के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। तथा निर्धन वर्ग के योग्य बच्चों को

पूरी छात्रवृत्ति दी जाती है। पूरे देश में और अधिक ऐसे स्कूल आरम्भ किए जाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि हम निजी संस्थान चलाने वाले व्यक्तियों पर यह दबाव डाल सकते हैं कि वे अपने विद्यालयों की 50 प्रतिशत स्थान योग्य विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखें तथा सरकार को उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए। इस तरह से हम उनमें समानता लाकर दोहरी प्रणाली को समाप्त कर सकते हैं।

निर्धनता तथा असमानता को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ करना होगा। केवल तभी इस दोहरी प्रणाली को समाप्त किया जा सकता है तथा हम तभी सच्चे अर्थों में समाज में समारता लाने की बात सोच सकते हैं।

मैं ऐसी विभिन्न संस्थाओं अथवा कालेजों का भी जिक्र करूंगा जो कि निजी व्यक्तियों द्वारा कैपटीशन फीस के आधार पर चलाये जा रहे हैं। प्रधान मन्त्री ने उनके द्वारा कैपिटेशन फीस वसूल करने का कड़ा विरोध किया है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों ने भी ऐसा ही कहा है। लेकिन इस पर अभी तक प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। ये संस्थान वैसे ही चल रहे हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय को सुझाव दूँगा कि वह कैपिटेशन फीस के आधार पर चलाए जाने वाले संस्थानों अथवा स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाएं। इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए।

आप जानते हैं कि उच्च शिक्षा की स्थिति क्या हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जैसे कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है ? वहाँ उप कुलपति की हत्या की गई है। काफी समय से वहाँ तनाव बना रहा। और अन्तः इसके फलस्वरूप उपकुलपति की हत्या कर दी गई। सरकार उस पर कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर पाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई महीनों से काम नहीं हो रहा है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी घाटे में चल रही है। हम सैंकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह मात्र एक प्रदर्शन की वस्तु बनी हुई है। कुछ छात्रों को शोध कार्य के लिए जिसे क्षेत्रीय अनुसंधान कार्य कहा जाता है बाहर भेजा गया था। वे बिना कोई शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किए ही वापिस आ गए। इस यूनिवर्सिटी में ऐसी स्थिति है। इसीलिए यू० जी० सी० ने इन विश्वविद्यालयों के कार्यों की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

यू० जी० सी० का गठन विभिन्न विश्वविद्यालयों की निरीक्षण करने के लिए, उनकी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए किया गया था ताकि उनका स्तर गिरने न पाए। दुर्भाग्यवश, इसे हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों का विस्तार हो रहा है। अपने निजी अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि मैं बिहार में मगध यूनिवर्सिटी आरम्भ करना चाहता था। उसके लिए मुझे कई बार यू० जी० सी० आना पडा। डा० जाकिर हुसैन उसके कुलपति थे। अतः उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास किए। जब काफी देर बाद यूनिवर्सिटी आरम्भ करने के हमारे सुझाव के अनुमोदन में यहाँ से एक पत्र भेजा गया तो डा० जाकिर हुसैन ने कहा। यह

सौभाग्य की बात है कि यू० जी० सी० इससे सहमत हुआ। लेकिन आज स्थिति क्या है ? यू० जी० सी० भी राजनैतिक दबावों से बचा नहीं है। बहुत से विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है ? उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम उद्योगों के रुग्ण होने के बारे में सुनते रहे हैं लेकिन अब हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय भी रुग्ण होते जा रहे हैं। उनमें लड़ाई झगडे घुटाले और परीक्षा अंकों में गड़बड़ी हो रही है। नियुक्ति के बारे में हर प्रकार की बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। क्या यू० जी० सी० का यह कर्त्तव्य नहीं कि वह इसकी जाँच करे तथा जगह-जगह समाचार पत्रों में प्रकाशित सभी आरोपों की जाँच करने के लिए समिति नियुक्त करे क्या इसे नए विश्वविद्यालय खोलने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए ? पिछले दिन, मैंने एक राज्य के मुख्य मन्त्री को कहते सुना कि वह अपने राज्य में चार और विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस ओर देखते हुए भी चुपचाप और निःसहाय क्यों बैठा है और इसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा। क्या आप समझते हैं कि इससे हमारा भला होगा ? यही कारण है कि मैंने आरम्भ में ही कहा था कि हमारे विश्वविद्यालयों में ठीक कार्य नहीं हो रहा तथा इसकी जाँच किये जाने की आवश्यकता है। मैंने शिक्षा मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि वह यह सुनिश्चित करें कि यू० जी० सी० राजनैतिक प्रभाव से मुक्त रहे, जैसा कि प्रारम्भ में यह डा० कोठारी तथा डा० सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में था। इसी तरह, यू० जी० सी० को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका स्तर न गिरे। आज विश्वविद्यालयों का स्तर इस हद तक गिर गया है कि अन्यत्र उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही है। आई० आई० टी०, स्नातकोत्तर, तथा मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र यह महसूस करते हैं उनके पास उचित औद्योगिकी नहीं है। उन्होंने प्रशिक्षण तो लिया है लेकिन वे गाँवों में जाकर काम नहीं करते। उनमें से कुछ छात्र करीब एक तिहाई छात्र, सयुक्त राष्ट्र अमेरिका अथवा खाड़ी के देशों में चले जाते हैं। हम उनकी शिक्षा पर इतना अधिक धन खर्च कर रहे हैं। हमें उनकी शिक्षा को इस तरह बनाना चाहिए कि वे भारत में रहें तथा भारत के लोगों की सेवा करें। उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आज हर रोज क्या यह हो रहा है ? हम प्रतिभा पलायन की बात कर रहे हैं। लेकिन हम उसे रोकने में समर्थ नहीं है। इसलिए हमने जो कुछ किया है, हमें उसे दृढ़ करना चाहिए।

प्राथमिक स्तर पर अधिक बच्चों का नामांकन करने के साथ-साथ हमें प्रौढ़ शिक्षा को भी उच्च प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए केवल 128 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए कुल 36 प्रतिशत का ही प्रावधान किया गया है। इसे संशोधित किया जाना चाहिए। मुझे आशंका है कि आगे जाकर इसे और भी कम कर दिया जाएगा जैसा कि प्रो० नुरुल हसन के कार्यकाल में हुआ था। योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय शिक्षा मन्त्रालय के लिए निर्धारित राशि में ही पुनः कटौती की गई। इसीलिए, मैं निवेदन करता हूँ कि शिक्षा के लिए अधिक आवंटन किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया जा सके तथा हम सब को शिक्षा प्रदान कर सकें। जिन राज्यों में आवंटन में कटौती नहीं की गई जैसाकि केरल में हुआ, वहां शत-प्रतिशत लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने सफलता

मिली है। अन्य राज्य ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? संघ सरकार इसके लिए अधिक धन राशि आवंटित क्यों नहीं कर सकती ?

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा आज एक समवर्ती विषय बन चुका है। शिक्षा मन्त्री इसके लिए तर्क नहीं दे सकते कि यह राज्य का विषय है और वह कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको पता चलता है कि विश्वविद्यालयों में ठीक तरह काम नहीं हो रहा है, उनका स्तर गिर रहा है तथा राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रही है, तो यह आप का यह कर्त्तव्य है कि आप कानून बनाएं तथा उनका प्रशासन अपने हाथ में ले लें। उन विश्वविद्यालयों के कार्यों की देखरेख के लिए यू० जी० सी० है। आपको इस तरह के हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यू० जी० सी० का हस्तक्षेप उनकी स्वायत्तता में बाधक नहीं होगा। लेकिन मैं यह नही चाहता कि स्वायत्तता का इस तरह दुरुपयोग किया जाए, जैसा कि किया जा रहा है। आप बिहार विश्वविद्यालय का उदाहरण लीजिए। वहां नियुक्तियां की गई। एक दिन कुलपति को इस बारे में पता चला। वह मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें मुजफ्फरपुर जाने से रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किए गए। अन्त में किसी तरह, वह वहां पहुँचे। उन्होंने वहां जाकर सारे मामले की जांच की तथा नियुक्तियां रोक दीं। उन्होंने पूरी फाइल मँगवाई। इस तरह से उन्होंने नियुक्तियों के घोटाले को रोका। क्या यह कहना हमारे लिए गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालयों में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं ? वहां कई कांड हो रहे हैं ? यहाँ तक कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी इससे बचे नहीं हैं। इसीलिए जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा मन्त्री को इसके लिए बहुत कुछ करना है। मैं समझता हूँ कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर अधिकाधिक बच्चों को दाखिल के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तथा लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। माध्यमिक स्तर पर उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राज्य 10+2 शिक्षा प्रणाली को तत्काल लागू करें। उन्हें इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। उन्हें शीघ्र ही 10+2 प्रणाली को अपनाना चाहिए। उसके बाद उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। उनके निर्देश के लिए एन० सी० ई० आर० टी० भी है। शिक्षा मन्त्री राज्य सरकारों को कह सकते हैं कि उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि यह राज्य का विषय है।

इसी भांति, विश्वविद्यालयों के संबन्ध में, आपको और अधिक विश्वविद्यालय खोलने पर रोक लगानी चाहिए तथा अब तक हमने जो कुछ किया आपको उसे मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकें। हमें उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनका इस देश के सच्चे और जागरूक नागरिक के रूप में विकास हो सके। नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा भी आरम्भ की जानी चाहिए ताकि वे अपने पूरे व्यक्तित्व का विकास कर सकें। मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय एजूकेशन के सम्बन्ध में पालिसीज बनाते हैं, लेकिन इस बारे में आम जनता की जो प्राबलम्ज है, पहले मैं उन्हें आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम लड़कों को प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन फ्री देते

हैं और लड़कियों को इंटरमीडिएट तक फ्री एजूकेशन देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस समय जो डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट एजूकेशन दी जाती है, उससे हमारे बच्चों को क्या फायदा होता है। जो बच्चे आई० आई० टी० और पालिटेकनिक्स में पढ़ते हैं, उन्हें तो कुछ न कुछ काम मिल जाता है, लेकिन जो बच्चे बी०ए०, बी०काम, एम०ए० एम. काम आदि की डिग्री लेते हैं, उन्हें तो क्लर्क की पोस्ट ही मिलनी है, उन्हें लैक्चरार नहीं बनना है, क्योंकि हमारे देश में लैक्चरार की इतनी पोस्ट्स है ही नहीं।

अगर इस एजूकेशन को कान्टीन्यू करना है तो मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। हम सैकंडरी एजूकेशन में आठवीं से दसवीं क्लास तक, तीन सालों में, कुछ आपशन्ज दे सकते हैं : टाइप-राइटिंग, बुककीपिंग, इलेक्ट्रानिक्स, रेडियो और टी वी की रिपेयर्स, प्रेस-कम्पोजिंग, ड्रेस-मेकिंग, टेलरिंग, पेंटिंग, कामर्शल आर्ट, फूड प्रिजर्वेशन, बुक-बाइंडिंग, कारपेन्ट्री आदि। अगर बच्चे तीन साल तक इनमें से एक या दो सबजेक्ट्स की ट्रेनिंग ले लें, तो वे काम करने के लिए तैयार हो जायेंगे। इस तरह 16 साल की उम्र तक उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और उन्हें कुछ काम-धंधा मिल सकेगा।

इस प्रकार से ही हम जिनको डिग्रियां देते हैं, जो आर्ट्स पढ़ते हैं, उनको भी कोई धंधा नहीं मिलता है। जो लड़के बी० ए० में हिन्दी सिविक्स इत्यादि पढ़ते हैं, उनके केवल क्लर्की ही मिल सकती है। उनके लिए और कुछ भी करने के लिए नहीं होता है। इसीलिए देश में अनएम्पलायमेंट बढ़ता जा रहा है। बी० काम की जो डिग्री दी जाती है, उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैंकिंग के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं मिलता है। उनको डिग्री लेने के बाद यह पता नहीं होता कि बिजनेस कैसे करना है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बी० काम में जो सबजेक्ट्स हैं उसमें बैंकिंग के सम्बन्ध में प्रैक्टिकली कुछ न कुछ सिखाया जाना चाहिए। साथ ही बी काम और एम काम में टाइपराइटिंग को कंपलसरी किया जाना चाहिए। आज न तो उनको टाइप करना ही आता है और न लिख ही सकते हैं। बैंकिंग के सम्बन्ध में भी उनको कोई ज्ञान नहीं रहता है। अतः मेरा सुझाव है कि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अवश्य दी जानी चाहिए। बी० काम मे टाइपराइटिंग, बैंकिंग मैनेजमेंट को इंट्रोड्क्स करना चाहिए और एम काम में लड़के उसमें स्पेशलाईजेशन कर सकते हैं।

आज बी० ए० और एम ए में पढ़ने वाले लड़कों को पुस्तक पढ़ने की आदत पड़ गई है, उनको किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती है। अमरीका में बी० ए० एम ए के लड़कों को टीचिंग सिखाने के लिए स्कूलों में भेजा जाता है। ऐसी ही व्यवस्था हम अपने देश में भी इन्ट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी लड़के टीचिंग लाइन में जाने के इच्छुक हों उनको टीचिंग की ट्रेनिंग देने के लिए दो घटे के लिए स्कूलों में भेज सकते है इस प्रकार से उनको पढ़ाने का क्या तरीका होता है—यह मालूम हो जायेगा। इसी प्रकार से यदि आज आप किसी एम ए पास लड़के को, बिना किसी ट्रेनिंग के, किसी आफिस में भेज देंगे तो वह वहां पर कुछ नहीं कर सकेगा। ग्रेजुएट्स को वहां पर जाकर क्लर्कों से पूछना पड़ता है कि किस तरह से क्या काम करना है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उनको पढ़ाने के लिए, हिस्ट्री सिविक्स के अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को इक्लूड कर दीजिए ताकि वहां से निकल कर लड़कों को काम-धंधा मिल सके और इस प्रकार से देश में अनएम्पलायमेंट कुछ कम हो सके।

इसी प्रकार जहां तक बी.एस.सी. और एम.एम.सी. का सम्बन्ध है, उसमें आपने केमिस्ट्री साइंसेज, बायोलोजी साइंसेज, फिजियोलाजिकल साइंसेज रखी हैं, इसमें आप एक फार्मेसी का सब्जेक्ट और रख दीजिए। यदि आप फार्मेसी सब्जेक्ट रख देंगे तो उनको कुछ मेडिसन बनाने का तरीका मालूम हो जायेगा। इसी प्रकार आप बायलोजिकल साइंसेज के अन्तर्गत हेल्थ केयर का सब्जेक्ट रख दीजिए। इस प्रकार से वे हेल्थ केयर के सम्बन्ध में कुछ न कुछ पढ़-पढ़ा सकेंगे और गांवों में जाकर हेल्थ विजिटर्स की ट्रेनिंग जल्दी और आसान हो सकेगी।

आज तो आप लड़कों को केवल बुकिश नालेज ही दे रहे हैं। इसके अलावा आप उनको कोई दूसरी नालेज नहीं देते है। मेरा सुझाव है कि सेकेन्डरी एजूकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप इस प्रकार के सब्जेक्ट को इन्ट्रोड्यूस कर दीजिए और एक-दो सब्जेक्ट को कम्पलसरी कर दीजिए।

जहां तक डिसिप्लिन का सम्बन्ध है, आजकल उसका अभाव बढ़ता जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपको हाई स्कूल, कालेज तथा पोस्ट-ग्रेजुएशन तक एन सी सी को कम्पलसरी करना होगा। आज डिसिप्लिन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। हमने अखबारों में पढ़ा है कि जापान, वैस्ट-जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स में एन० सी० सी० कम्पलसरी है। जैसे ही हमारे देश में हम इन्ट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों को लाभ भी होगा और देश का भी लाभ होगा।

जहां हम इन्डस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वहां हमें ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर्स की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले उनको ट्रेनिंग-प्रोडक्शन सैन्टर में एडमीशन दे दिया जाए, फिर उसके बाद काम उनको आसानी से मिल जाएगा।

हम जो देश में बच्चों को पढ़ाते हैं, वह केवल किताबों तक ही सीमित होता है। उनको प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं होता है, किताबों का ज्ञान होता है। हमारा देश सैक्यूलर है। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनसे जब फार्म भरवाया जाता है, तो उसमें कास्ट और रिलीजन का एक कालम होता है। मैं कहती हूँ कि जो भी बच्चों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, वह देना चाहिए। रिजर्वेशन का आपका उसमें एक कालम है ही। कुछ बच्चे कास्ट और रिलीजन की वजह से कालेज में सीट नहीं पाते हैं। लिए मैं कहती हूं कि इस कालम को आपको निकाल देना चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारत देश के रहने वाले हैं. लेकिन फिर भी हमको लिखने के लिए फोर्स किया जाता है। हमारा देश सैक्यूलर है। कास्ट और रिलीजन अपनी खुद की है और बाहर को कहने की जरूरत नहीं है। सैक्यूलर स्टेट में जो लास्ट और रिलीजन का कालम आप रखते हैं, उसको निकाल देना चाहिए। मुझे उम्मीद है, माननीया मंत्राणी महोदया, इस ओर अवश्य ध्यान देंगी।

अब कुछ बातें मैं कल्चर के बारे में कहना चाहती हूँ। जो बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ पर होस्टल के नाम कास्ट के नाम पर, हरिजन वैलफेयर होस्टल्स, आदि ऐसे नामों पर रखते हैं। जब मेरे विचार में यदि हम उनके कल्चर को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमें इस प्रकार के होस्टल्स उन कास्टों के नाम पर नहीं रखने चाहिए। यदि हम उनके कल्चर को उठाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो होस्टल्स के अन्दर सीट्स भी एकार्डिंग-टू-देयर-परसेंट दे दीजिए। जब हम भारतवासी हैं, तो एक ही होस्टल्स में सब को मिलाकर रखना चाहिए। इसलिए मैं कहती

हूं कि उनके कल्चर में सुधार होना चाहिए, उनके कल्चर को बदलना चाहिए, तभी हम जाकर उनके कल्चर को बदल सकते हैं और उन के लिए कुछ कर सकते हैं।

अब मैं आपको एक सुझाव कैपिटेशन फीस के बारे में कहना चाहती हूं। हम जितनी एजुकेशन बच्चों को कालेज और स्कूल्स में देना चाहते हैं, वह हम सरकार के जरिए उतनी इन्स्टीचूशन्स में शुरू नहीं कर सकते हैं। मैं यह कहूंगी कि आप उनके लिए 4 साल, 5 साल या 6 साल का समय रख दीजिए। इस बीच में यदि किसी लड़का या लड़की उस कालेज में पढ़ेगा तो वह कैपिटेशन-फीस देगा, क्योंकि डोनेशन के जरिए लोग पैसा नहीं देते हैं, अपने बच्चों को भरती कराने के लिए पैसा दे देते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है उन के बच्चे हमारी एजूकेशन इंस्टीचूशन्ज में पढ़ सकेंगे। इस तरह से उन के पास जो पैसा आयेगा, उससे उस कालिज या इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से इक्विप किया जा सकता है। हम ने आन्ध्र प्रदेश में ऐसा किया था और बाद में 10 साल के बाद गवर्नमेंट ने उस इंस्टीचूशन को टेक-ओवर कर लिया, वहां का अस्पताल, कालिज पूरे इक्विपमेंट के साथ सरकार ने ले लिया। यह समझ लीजिये कि हम डोनेशन माँगेगे तो कोई पैसा नहीं देगा, लड़की या लड़के को पढ़ाने के लिए पैसा दे देंगे, आप उस को कैपिटेशन-फीस न कह कर, डोनेशन कहिए, लेकिन पैसा जरुर लेना चाहिए।

अन्त मे. मैंने जो सुझाव दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इनके बारे में आप कुछ-न-कुछ डिसीजन्ज जरूर लेंगे। आप ने, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि केवल शिक्षा का ही एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, यद्यपि पहले भी ब्रिट्रिश साम्राज्य के दौरान भी सभी दृष्टि कोण से यानी संसाधन आवंटित करने, देश में इसके महत्व की दृष्टि से सरकार द्वारा इसमें सुधार करने दृढ़ निश्चय को देखते हुए मुद्रा स्फाति को रोकने के उपाय स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

पिछले वक्ताओं ने पहले ही काफी मुद्दे रखे है। इन एकसबमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगी। दोनों पक्षों के सदस्यों में से जिन्होंने भी शिक्षा पर बोला है उन्होंने एक जैसी बातें ही बताई हैं। कुछेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभिन्न बातें बताई गई हैं परन्तु ऐसा लगता है कि विभिन्न दलों के विभिन्न सदस्यों के बीच काफी मुद्दा पर सर्वसम्मति है। वह कौन सी मुख्य बातें हैं जिस पर सबने सर्वसम्मति जाहिर की है ? जो भी भाषा प्रयोग की गई हो इससे सब सहमत हैं कि सरकार द्वारा शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगी। सब सदस्यों की इस बात से में भी सहमत हूं कि चाहे जनसंख्या स्थिर हो जाए तब भी 1990 के भीतर शिक्षा को सर्वसामान्य नहीं बताया जा सकता। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगी कि 1980 में 1990 के मुकाबले 6-11 उम्र के बीच के बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे है यह हमारी कैसी उन्नति है, हम छात्रों को स्कूल भेजने के स्थान पर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र से बाहर भेज सके है। भर्ती के यह सब आँकड़े और दावे फर्जी हैं। सभी जानते हैं कि वे कैस होते हैं। मैं इन सबकी चर्चा नहीं कर रही हूं

परन्तु मैं एक बात फिर भी कहना चाहूंगी कि इन बढ़े हुए आंकड़ों के बावजूद यह दावा किया जा रहा है कि

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

वर्ष 1979-80 में कुल भर्ती 67 प्रतिशत हुई थी । प्रत्येक सदस्य ने यह कहा है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते है । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह भी स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 63 प्रतिशत हैं, परन्तु कक्षा दो के बाद ही बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं ।

तब इन सब आंकड़ों का क्या आशय है ? वह पहली कक्षा के बाद दूसरी के बाद स्कूल छोड़ देते हैं । यह हमारी शिक्षा की उन्नति है । इसलिए मेरे विचार से इस पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

एक और बात भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगी यह भी देखा गया है कि अभावग्रस्त राज्यों में 81 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं । मनीपुर में यही प्रतिशत है । इतने वर्षों के बाद भी ऐसा क्यों है । इस सम्बन्ध में एक और बात कहकर मैं अपनी मुख्य बात कहूंगी ।

इस समय ऐसे नौ राज्य हैं जिनमें नाम दर्ज न हुए छात्रों का प्रतिशत 80·3 है । यह नौ राज्य भारत में सबसे अधिक जनसख्या वाले राज्य हैं । परन्तु मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकती हूं कि स्कूल में नाम दर्ज न हुए बच्चों में से दो तिहाई लड़कियां होती हैं और इनमें से अधिकतर बच्चे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होते हैं। इसलिए जितना जीवन स्तर निम्न होगा उतने ही अधिक बच्चे स्कूल, नहीं जाते । कुछ सहयोगियों ने शिक्षा की एक अखिल भारती नीति का प्रस्ताव रखा था । मैं सहमत हूं । परन्तु यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समस्या वाले क्षेत्रों को पहचानने का कोई अभाव नहीं है । बहुत से प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा अनेकों सुझाव दिए जा चुके है । यह प्रश्न उन्हें क्रियान्वित किए जाने का है न कि आधारभूत परिवर्तन का यहां मैं यह कहना चाहूंगी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से प्रत्येक सरकार का जो जो रवैया रहा है यदि उसे ही अपनाया जाता रहा तो सुधार की संभावनाएं बहुत कम है ।

इस वर्ष शिक्षा का बजट 1.2 प्रतिशत है । मेरे विचार से तो यह वास्तव में कटौती है । यह पिछले वर्ष के प्रतिशत से काफी कम है । इस पृष्टभूमि के आधार पर शिक्षा के बजट में कमी होती जा रही है । इससे शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया पता चलता है । यह कहा जाता है कि हमारे देश के सामने बाकी कठिनाईयां हैं । रक्षा सम्बन्धी व्यय बढ़ना चाहिए शिक्षा के लिए और अधिक राशि कैसे दी जा सकती है । मैं यह बताना चाहती हूं कि बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी प्रतीरक्षा की आवश्यकताएं हमसे कहीं अधिक हैं । उदाहरण के तौर पर क्यूबा को ले लीजिए । उन्हें जब अमरीकी साम्राजवादी वे आफ पिग वार के समय परमाणु युद्ध से धमका रहे थे और आज भी जब हर समय उन पर साम्राज्यवादी शक्तियों से हमले का खतरा रहता है तो क्या किया जा रहा है । उनका यही रवैया है कि 'इन लोगों को शिक्षा देनी है जिससे कि वह देश की रक्षा कर सकें ।' इसलिए उस छोटे से देश ने अपने बजट का काफी अंश शिक्षा में व्यय किया है । मुझे विश्वास है उन्होंने पिछली निरक्षरता को भी दूर कर दिया होगा । महोदय मेरे विचार में इन सबके लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है । यदि यह इच्छा शक्ति नहीं

है तो शिक्षा पर बहस करना बेकार है, क्योंकि इन सुझावों का कोई फायदा नहीं होगा और जो सुझाव पहले से दिए जा चुके हैं उन्हें भी क्रियान्वित नहीं किया जाता।

यहां मैं आपके जरिए माननीय शिक्षा मन्त्री से भी कुछ कहना चाहती हूं। शीला जी बहुत सौम्य महिला है। परन्तु सौम्यता से यहां काम नहीं चल सकता है यदि वह कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें एक बीरांगना एमेजन की भांति लड़ना होगा। यदि उन्हें यह विदेशी नाम पसन्द नहीं है तो उन्हें लक्ष्मी बाई और चांद बीबी सुल्ताना की तरह लड़ना होगा। मुझे उम्मीद है वह ऐसा ही करेंगी। इस सदन में सभी राजनीतिक दलों से उन्हें इस क्षेत्र में काफी सहायता प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि वह शिक्षा का बजट कम से कम दस प्रतिशत बढ़ा दें। यदि ऐसा हो गया तो आप अपनी पूर्वजा लक्ष्मी बाई की तरह लड़ सकेंगी, जो कि उत्तर प्रदेश की थीं और विजयी रहेंगी (व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : क्या आप चांद बीबी होना पसन्द करेंगी ? हम दोनों मिल कर लड़े।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां, मैं तैयार हूं। केवल चाँद बीबी और लक्ष्मीबाई ही नहीं बरन बहुत से अन्य सज्जन भी चाहेंगे। देश की शिक्षा की उन्नति के लिए यह बहुत आवश्यक है। मुझे समय कम मिला है और मैं कुछ और भी कहना चाहूँगी। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि शिक्षा पर अधिक बल दिया जाए। इसलिए अगला वर्ष हमें शिक्षा वर्ष घोषित करना चाहिए। हमें शिक्षा बजट 10 प्रतिशत और बढ़ा देना चाहिए। यह ऐसी चुनौती है जिसका इस सदन में सभी समर्थन करेंगे। मुझे और बहुत सी बातें कहनी हैं। दो तीन मुद्दे मैं जल्दी से उठाना चाहूंगी। सबसे पहले तो निस्संदेह शिक्षा एक समवर्ती विषय है परन्तु विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। उदाहरणतः के तौर पर उड़ीसा के अध्यापकों को ही ले। आपको यह जान कर हैरानी होगी कि उड़ीसा में 1979 में सरकार ने एक नया आदेश निकालकर उड़ीसा के मैट्रिक' इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों का मासिक वेतन 285 रुपए प्रतिमाह निर्धारित कर दिया है। क्या आप यह सम्भावना कर सकते हैं कि इस राज्य में अध्यापकों का मूल वेतन 285 रुपए प्रतिमाह है। आप इस तरह कितने दिन चल सकते हैं। मुझे आशा है इस सम्बन्ध में कुछ किया जाएगा। गैर शिक्षक कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित नहीं है। यह मामला आपको राज्य के साथ उठाना होगा और देखना होगा कि कुछ किया जाए।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसे जे० एन० यू० को लें तो यह सफेद हाथी कहा जाता है। मैं इस बात पर नहीं लड़ रही हूँ मेरा यही आग्रह है कि आपको हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय को नहीं भूलना चाहिए। पर बहुत पुरानी संस्था है। उसके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बारे में भी काफी शिकायतें हैं। मेरा शिक्षा मन्त्री से निवेदन है कि वह निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करें जिससे कि स्थिति सुधर जाए। वहाँ अध्यापकों की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

अंततः कई सदस्यों ने विश्वविद्यालय परिसर कैम्पस में हिंसा का भी जिक्र किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कैम्पस में हिंसा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कैम्पस में ही हिंसा नहीं

है वरन अन्य स्थानों पर भी है । इसका यह इलाज बताया जाता है कि छात्रों के प्रजातांत्रिक अधिकार छीन लिए जाने चाहिए जिससे कि कैम्पस में शांति स्थापित हो सके । मैं कहना चाहती हूं कि यह रवैया बदला जाना चाहिए । जब तक एक सही प्रजातांत्रिक रवैया नहीं अपनाया जाता और विश्वविद्यालयों के कैम्पस में सही वातावरण नहीं बनाया जाता तब तक मेरे विचार में हिंसा नहीं रुक सकती । विश्वविद्यालयों में एक सही प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए । मुझे आशा है सरकार ऐसा ही करेगी क्योंकि आज की परिस्थितियों में इसके बिना देश में अनुशासन नहीं लाया जा सकता ।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं ।

शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : महोदय, इस बाद विवाद से कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं । कई मामूली समस्याओं से युवकों के अनुशासन की आवश्यकता नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों एन. सी. ई. आर. टी. और केन्द्रीय विद्यालयों आदि का भी जिक्र किया गया है ।

आरम्भ में यह कहना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा का मूल आधार बच्चों और युवकों को समूचे राष्ट्रीय विचारणा का केन्द्र बिन्दु बनना है । हमारा मुख्य उद्देश्य सही प्रकार की जनशक्ति का विकास करना है । हमें केवल स्कूलों और कालिजों में दर्ज बच्चों और युवकों की ही चिन्ता नहीं है वरन जो बच्चे और युवक स्कूल या कालिज में नहीं हैं उनकी भी चिन्ता है । श्रीमती कृष्णाशाही, श्री महावीर प्रसाद, श्री केयूर भूषण, प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत और श्रीमती विद्या द्वारा यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे हमारे छात्रों को वे भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह परिचित कराया जा सके । जैसा कि आप जानते हैं सरकार का हमेशा से यही विचार रहा है कि छात्रों का चरित्र निर्माण करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । इसे प्राप्त करने के लिए सरकार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके, अच्छी पाठ्य पुस्तकों, टीचिंग सहायता और अच्छी दक्षता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बराबर प्रयत्न और अनुसंधान किए जा रहे हैं । महोदय आपको यह जानकर हर्ष होगा कि कुछ महीने पहले एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था जिसका कार्य मूल्य निर्धारित करने की दृष्टि से पाठ्यक्रमों की जांच और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करना था। इस कार्यकारी दल का विचारणा क्षेत्र काफी व्यापक बनाया गया है । अन्य बातों के अलावा उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के अध्ययन का कार्यक्रम भी उसमें शामिल है जिसमें विद्यार्थियों में धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता, संयुक्त संस्कृति तथा अपनी राष्ट्रीय विकास पर गर्व की भावनाएं पैदा करने की दृष्टि से एक कार्यक्रम तैयार करने पर विचार करना भी शामिल है ।

आजकल ज्ञान का अभूतपूर्व विस्फोट सा हो रहा है । इसलिए हमें ऐसे विशिष्ट तरीके खोजने हैं जिसमें हम नवयुवक छात्रों को कम से कम समय के भीतर अधिक से अधिक ज्ञान दे सकें । हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम बच्चों पर अधिक भार न डालें ।

हमारे एन० सी० ई० आर० टी० जैसे संस्थान विभिन्न अनुसंधानों और नई विधियों के द्वारा इन दिशा में काफी सहायता कर रहे हैं ।

श्री बी० डी० सिंह, श्री शिवप्रकाशम, श्री डी० पी० यादव, श्री गहलोत, श्री अनबरासू ने एन० सी० आर० टी० के कार्यकलापों का जिक्र किया है। इसके बारे में उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। महोदय यह शिकायत की गई थी कि एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा प्रकाशित पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं होती और देश के कई भागों में इनका कोई उपयोग नहीं है। छपाई में देर लगती है, यह तथ्य सभी को मालूम है, इसके बावजूद मैं सभी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यथा सम्भव समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किये जाएंगे। एन० सी० ई० आर० टी० श्री उच्च स्तर के शोध कार्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। एन० सी० ई० आर० टी० की पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुदेश सम्बन्धी सामग्री की तैयारी, शिक्षक सम्बन्धी सहायक उपकरणों के विकास और परीक्षा प्रणाली में सुधार सम्बन्धी जो कार्य किए है, उससे हमारे देश में विद्यालय शिक्षा के विकास में काफी योगदान हुआ है। मेरा मंशा संस्थान की कमजोरियों की सफाई देना नहीं है। हम वार्षिक लेखा परीक्षा शुरू करने पर और वार्षिक योजना पर चर्चा करते हुए सभी पहलुओं का अध्ययन करेंगे और सुधार के समुचित उपाय को कार्य रूप देंगे।

श्री पाराशर, श्री महावीर प्रसाद, श्री शिवप्रकाशम और श्री अनबरासू केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में बोले थे। हमारे केन्द्रीय विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के स्वरूप की प्रशंसा में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

महोदय, अभी तक हम 366 केन्द्रीय विद्यालय स्थापित कर सके हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष के दौरान हम 40 नए विद्यालय स्थापित करेंगे और 1984 तक हम प्रति 40 केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करेंगे। इसके अतिरिक्त उच्च स्तर शिक्षण केन्द्रों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास स्थापित किए जाएंगे।

माननीय सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि अनेक केन्द्रीय विद्यालयों के लिए उचित भवन नहीं हैं, क्योंकि वे टेंटों में चलाए जाते हैं।

प्रो० नारायण चंद पाराशर (हमीरपुर) : मकान की समस्या के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राज्य में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया था। क्या माननीय मंत्री आश्वासन देंगे कि ऐसा किया जाएगा।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, माननीय सदस्य हमीरपुर में किस स्कूल के स्थापित किए जाने की बात कही थी उस पर अनुचित विचार कर रहे हैं। हमने राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है और हमने उनसे पूछा है कि क्या वे अस्थायी भवन और जमीन की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि उनकी व्यवस्था हो गयी तो हम ऐसा अवश्य करेंगे।

किन्तु हमें अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा। यथा भूमि, सुलभ धन की सीमा आदि। फिर भी मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि हम हमेशा भौतिक सुविधाओं की अपर्याप्तता को यथासम्भव कम से कम करने का प्रयास करते रहेंगे।

माननीय सदस्य ने एक अन्य मुद्दा यह पेश किया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएं। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सुलभ धन की

सीमाओं, मकानों की कमी, और समुचित योग्यता प्राप्त अध्यापकों की भरती की समस्या के कारण बहुत ज्यादा विस्तार देना सम्भव नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त संगठन के चार्टर के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय मुख्यत: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ही है।

अध्यापकों के हितों की रक्षा के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। मैं इस अवसर पर श्री अनबरासु और श्रीमती गीता मुखर्जी जिन्होंने इसका उल्लेख किया था—को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने कभी यह नहीं चाहा कि शिक्षक अपनी समुचित शिकायतों को दूर करने के लिए आंदोलन का आश्रय लेने को मजबूर हो जाएं। संगठन के अधिकारी शिक्षकों के कल्याण के लिए और समुचित शिकायतों को दूर करने के लिए उनके प्रतिनिधियों से निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं।

मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी सुना है। कुछ भी हो हम शिक्षकों के हितों और शिक्षक संस्थानों के बीच न्यायसंगत साम्य बनाये रखने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने भाषा-नीति और देश में विभिन्न भाषाओं के विकास के लिए संचालित कार्यक्रमों से असंतुष्ट होकर चिंता व्यक्त की है। क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त करने और अखिल भारतीय संपर्क भाषाओं को प्रोत्साहित करने की नीति के माध्यम से हम विचारों की गतिशीलता बनाए रखने में समर्थ हुए हैं। संस्कृत पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने अपने 6 विद्यापीठों के जरिए विशेषज्ञता के क्षेत्र में काफी काम किया है।

अखिल भारतीय संस्कृत बोर्ड ने संस्कृत के अनुसंधान का साधन बनाने में काफी महत्व-पूर्ण योगदान किया है। इसी प्रकार के कार्यक्रम अरबी और फारसी के लिये भी शुरू किये गये हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली सम्बन्धी आयोग ने वैज्ञानिक और तकनीकी परिभाषिक शब्दावलियों का हिन्दी में अनुवाद करने से सम्बन्धित अपना काम लगभग समाप्त ही कर लिया है. और अब वह विभिन्न शाखाओं में अखिल भारतीय परिभाषिक शब्दावली के बिकास में व्यस्त है।

आधुनिक भारतीय भाषाओं और आदिवासियों की भाषाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैसूर स्थित आधुनिक भारतीय भाषा का केन्द्रीय संस्थान आदिवासियों की बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं में सम्पर्क-सूत्र बनाने की कोशिश कर रहा है। तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड और विभिन्न विषयों पर एक्सपर्ट सब्जैक्ट पैनलों के मार्ग निर्देश में ब्यूरो फोर प्रमोशन आफ उर्दू ने अभी तक 363 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें 71 तो एन० सी० ई० आर० टी० की स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें हैं, और 27 पुनर्मुद्रित हैं। ये पुस्तकें विश्वविद्यालय के स्तर की पुस्तकें, सामान्य विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें, बाल-साहित्य और संदर्भ पुस्तकें हैं। लगभग और 600 पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त वह प्रकाशन सम्बन्धी काम भी करता है। ब्यूरो ने उर्दू में भौतिक विज्ञान, समाज-शास्त्रों और मानविकी से सम्बन्धित लगभग 1,20 000 तकनीकी पारि-भाषिक शब्द तयार किए हैं। कुल 12 खंडों में उर्दू इन्साइक्लोपीडिया सम्बन्धित तैयारी का काम पूरा हो गया है। छात्रों के लिए एक उर्दू-उर्दू डिक्शनरी तथा पांच खंडों में इंग्लिश-उर्दू डिक्शनरी प्रेस के लिए तैयार हैं। पाँच खंडों में उर्दू-उर्दू डिक्शनरी लगभग पूरी हो गई है। अभी तक सुलेखन के सात केन्द्र—दिल्ली, हैदराबाद, बम्बई, भोपाल, बंगलौर, श्रीनगर और

पटना में स्थापित किए गए हैं। पटियाला और सोलन के कई शिक्षक प्रशिक्षक केन्द्र ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए 539 अध्यापकों प्रशिक्षण दिया है।

हैदराबाद स्थित सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंग्लिश ने देश में अंग्रेजी शिक्षण में सुधार लाने के लिए पथ-प्रदर्शक का काम किया है।

कुछ माननीय संदस्यों ने त्रिभाषायी सूत्र और उनकी अनिवार्यत: लागू करने की आवश्यकता का मामला उठाया है, मेरे ख्याल से श्री बैरो ने इसका जिक्र किया था।

श्री ए० ई० टी० बैरो : जी नहीं।

श्री पी० के० थुंगन : मेरा ख्याल है कि आपने राष्ट्रीय नीति के बारे में कुछ कहा था। मैं नीति के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं।

वर्ष 1968 में संसद की दोनों सभाओं में जो त्रिभाषायी सूत्र अपनाया गया था, वह इस प्रकार है :

"माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकार इस त्रिभाषायी सूत्र को पूरे जोर-शोर से लागू करे जिसमें किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल हो, हिन्दी भाषी राज्यों में हिंदी अंग्रेजी के साथ कोई दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाई जाए अथवा हिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिन्दी पढ़ाई जाए तो बेहतर होगा। विश्वविद्यालय के निर्धारित स्तर तक इन भाषाओं में खात्र दक्षता प्राप्त कर सकें इसके लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों में हिन्दी और/या अंग्रेजी में समुचित पाठ्यक्रम होने चाहिए।"

मूल पाठ से यही यकीन होता है कि इस सूत्र में विद्यालय-शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं का ज्ञान कराने की संकल्पना है। इसमें दो भाषाओं की कामचलाऊ जानकारी और एक भाषा में दक्षता पर भी ध्यान दिया गया है। त्रिभाषायी सूत्र एक ऐसी नीति है जिसे लागू करने से ज्ञान का क्षितिज विस्तृत होगा और देश की भावात्मक एकता मजबूत होगी। मुझे विश्वास है कि बिना किसी दुराग्रह के लोग इसे स्वीकार करेंगे। किन्तु किसी भाषा को सीखने के लिए मजबूर करने पर उसके प्रति दुराग्रह बढ़ेगा और उसका विरोध किया जाएगा।

श्रीमती विद्या, श्री हरिनाथ मिश्र और श्री एन० सी० पाराशर रोजगार की गम्भीर अवस्था पर बोले जिसका कि शिक्षित युवा वर्ग को सामना करना पड़ रहा है। प्रो० निर्मला कुमारी और कुछ अन्य ने भी इसका हवाला दिया है। जैसा कि सभी को मालूम है देश में उत्पादकता के स्तर का सीधा सम्बन्ध रोजगार से है। जब उत्पादकता स्तर काफी ऊंचा होता है, तभी रोजगार सुअवसर बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। संदर्भ में यह वर्ष 1982 की उत्पादकता वर्ष मान कर चलना उचित ही है। वर्तमान वर्ष और आगामी वर्षों में कार्यकलाप के क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और फिर तृतीय स्तर तक उन्नति करने के प्रयास किए जाएंगे।

साथ ही युवा वर्ग का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी होगी, जिसके माध्यम से वे ऐसी दक्षताएं हासिल कर सकते हैं, जिससे कि वे रोजगार कर सकें।

यही कारण है कि युवावर्ग सम्बन्धी हमारे कार्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये कार्यक्रम अधिकांशत नेहरू युवक केन्द्रों की योजनाओं में शामिल हैं। किन्तु अन्य मंत्रालयों में अन्य कार्यक्रम भी हैं यथा ग्रामीण वर्ग के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण (ड्राईसेम) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के व्यावसायिकीकरण से भी शिक्षित युवा वर्ग की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो कुछ नये कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा है उससे सम्वर्गी सैद्धांतिक विषयों सहित कुछ व्यावहारिक पाठ्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

महोदय मैंने अभी नेहरू युवक केन्द्रों की योजना का हवाला दिया था। देश में 1972 में यह योजना केवल 82 केन्द्रों से शुरू की गई थी। आज ऐसे 192 में केन्द्र हैं। और हमने अपना यह लक्ष्य निश्चित किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अगले तीन वर्षों में हम अधिकाधिक केन्द्र खोलेंगे जबकि इस योजना अवधि के अन्त तक देश के प्रत्येक जिले में एक नेहरू युवक केन्द्र अवश्य हो। जो युवक युवतियां छात्र नहीं हैं उन्हीं के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं और इसे प्रौढ़ शिक्षा का समर्थन करने के लिए उससे सम्गन्ध किया जा रहा है। नेहरू युवक केन्द्रों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रौढ़ परीक्षा के अनेक केन्द्र स्थापित करने के लिए नहीं एक शक्तिशाली और प्रेरक संगठन है। प्रौढ़ शिक्षा 20 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है। वर्ष 1978 में तत्कालीन सरकार ने जो भी नियतन किया श्री सिन्हा ने उसका हवाला दिया है।

यह सच है कि 1978-83 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 200 करोड़ रुपयों का नियतन किया गया था। परन्तु वह भी केवल मसौदा योजना में था और हर व्यक्ति योजना के बारे में जानता है। यह एक रोलिंग प्लान था और यह चलता रहा। महोदय, हम अपने कालेजों और विश्वविद्यालयों के युवकों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं।

वास्तव में हम अपनी नेशनल सर्विस स्कीम को सुदृढ़ बना रहे हैं कि हमारा यह प्रयास है हम अपने युवाओं मेंगहरी राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निरन्तर उत्साह भरें गत वर्ष हमने एक 'इको डेवलपमेंट प्रोग्राम' शुरू किया था जिसमें विभिन्न इलाकों से छात्र न केवल पारिस्थितिकी विज्ञान की जानकारी बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए थे बल्कि देश के चुने हुए इलाकों में अपने हाथों से बेहतर परिस्थितिकी बनाने के लिए भी इकट्ठे हुए थे।, अगले वर्ष भी हम इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने की योजना बना रहे हैं। इनके अलावा, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम के युवा श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास बहुत से कार्यक्रम हैं जिनको सरकार द्वारा धन दिया जाता है।

यह बात सच है कि इन युवा कार्यक्रमों ने नौजवानों को उत्पादन रचनात्मक कार्यकलापों में लगाने का बहुत अधिक योगदान दिया है। परन्तु हमें आत्म संतुष्टि नहीं है। हमें यह भी मालूम है कि बहुत से विश्वविद्यालय परिसर आजकल के युवावर्ग का असंतोष व्यक्त करते हैं और कभी-कभी यह असंतोष बुरी तरह से हिंसक उपद्रवों के रूप में व्यक्त होता है। युवावर्ग के असंतोष के मुख्य कारण आदर्शों और वास्तविकताओं की खाई है। मुझे विश्वास है

कि हम जितना अधिक अपने युवावर्ग को अपने कार्यक्रमों में लगायेंगे, युवावर्ग उससे भी अधिक उत्साह से चुनौतियों का मुकाबला करेंगे।

महोदय, आप देखेंगे कि हम युवाओं को आवश्यक वातावरण प्रेरणा और सुविधाएं प्रदान करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हम उपयुक्त नीति से लचीला ढाँचा बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उत्पादक और रचनात्मक अनुभव द्वारा अन्तर अनुशासनित अध्ययन पाठ्य क्रमों में विविधिकरण व्यवसायीकरण और ज्ञानार्जन में सहायता मिलेगी। हम लड़कियों युवा महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक त्रुटियों पर काबू पाने उनकी सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय मुझे अभी अभी संदेश मिला है कि हजारों लोग पुरुलिया से कलकत्ता आ गए हैं। सदन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिमी बंगाल के लोग राज्य में निःशुल्क शिक्षा की मांग कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : यह सब ठीक है। अब श्री हरीश कुमार गंगवार।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अधिष्ठाता महोदय, बिना शिक्षा के किसी भी देश में प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार अधिक से अधिक मात्रा में होना चाहिए—यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है। बहुत सी बातों की ओर प्रकाश डाला जा चुका है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आजादी के बाद से अब तक हम कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन अपनी शिक्षा प्रणाली में नहीं कर पाए है। उसी पैटर्न पर, जो मैकाले ने बनाई थी, अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ-सिद्ध के लिए जो शिक्षा अपनाई थी और हमारे देश को दी थी, लगभग उसी मार्ग पर हम अभी तक चले आ रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करते समय अब बच्चों को भी यह आभास होने लगा हैं कि हम शिक्षा प्राप्त भी कर लेंगे तो कौन सा हमें ऐसा कार्य मिलेगा जिससे हम अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे ? आज वे शिक्षा को बड़ी सन्देह की दृष्टि से देखने लगे हैं। और जब उनके माता-पिता इस बात को देखते हैं कि तमाम उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के लड़कियां बेकार घूम रहे हैं और समाज पर एक प्रकार का बोझ बने हुए हैं, वे कुछ कमा-खा नहीं सकते हैं तो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की ओर से उनकी रुचि हट जाती है। यह उसी का परिणाम है कि अभी माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने भी "श्रीमती कौल ने बताया कि 1978-79 के दौरान प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने का प्रतिशत 62.5% था; और आठवीं श्रेणी के बाद, माध्यमिक स्तर पर, 76.8% था।

कहाँ तो प्रजातन्त्र की सफलता के लिए सौ प्रतिशत शिक्षा होनी चाहिए और कहां प्राइमरी और जूनियर हाई-स्कूल लेविल तक ही इतने भारी प्रतिशत में लड़के पढ़ना छोड़कर बैठ जाते है—यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भले ही हम यूनिवर्सिटी एजूकेशन, कालेज एजूकेशन या हायर एजूकेशन की बात करें लेकिन जब तक प्राइमरी एजूकेशन का स्ट्रक्चर और उसकी

बुनियाद सही नहीं होगी तब तक हम जो भी काम शिक्षा के द्वारा चाहते हैं वह पूरा नहीं हो सकता है। आज प्राइमरी एजूकेशन में बदल लाने के लिए, बच्चों में पढ़ने के लिए और उनके माता-पिता में बच्चों को पढ़ाने में इन्ट्रेस्ट पैदा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? यही वह बुनियाद है जिस पर आपकी हायर सेकेन्ड्री एजूकेशन, यूनिवर्सिटी एजूकेशन सभी कुछ वेस करती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने प्राइमरी एजूकेशन को नेग्लेक्ट किया है। उससे कोई आशा नहीं बनती। इसी लिए आप देख रहे हैं कि अगर सारे संसार में 62 से 65 करोड़ इन्सान अशिक्षित हैं तो उनमें से अकेले 42 करोड़ हिन्दुस्तान में अशिक्षित हैं। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि 34 वर्ष बीत जाने के बाद भी 42 करोड़ लोग हिन्दुस्तान में अशिक्षित हैं और दुनिया के सबसे अशिक्षित देशों में हमारा शुमार है ?

प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं। मैं भी यह कहने के लिए मजबूर हूं—उत्तर प्रदेश में जहां से मैं आता हूं किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 150 है तो वहां कम से कम 4 या 5 टीचर्स होने चाहिए, लेकिन वहाँ एक ही होता है। बहुत से स्थानों पर तो एक भी टीचर नहीं है, एक दिन से नहीं बल्कि साल भर से नहीं है। उन्हें स्कूल क्यों कहा जाता है—समझ में नहीं आता है। जब वहाँ पढ़ाने वाला नहीं है तो वे स्कूल कैसे कहे जाते हैं ? भवनों की हालत यह है—अब्बल तो भवन बनाये ही नहीं गये हैं, अगर कहीं बनाये गये हैं तो बच्चे और अध्यापक भवन के बाहर बैठ कर पढ़ना पसन्द करते हैं क्योंकि पता नहीं कब गिर जाय या टपकने लग जाय। बीस-बीस बार कहा जाता है कि मरम्मत कराई जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे भवनों से तो भवनों का न होना अच्छा है जिनमें बच्चे तथा अध्यापक बैठ कर पढ़ना पसन्द नहीं करते। मैंने ऐसे भवनों को खुद देखा है वे बार-बार मांग करते हैं कि मरम्मत की जाय, लेकिन मरम्मत नहीं होती, 8 साल से डिमाण्ड कर रहे हैं लेकिन स्कूल के नये भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर कहीं भवन बन गये तो बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं है न कोई डेस्क है, न कलम-दावात है। पढ़ाने के लिए मास्टर साहब के बैठने की कुर्सी तक नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कूलों के खोल देने से कोई फायदा नहीं होता है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाइये। उनमें पढ़ाने वाले न हों और मील-मील पर स्कूल खोल दें तो उनसे क्या फायदा होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ—जिसको मैं खुद जानता हूँ। मैं पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) से चुन कर आया हूँ, मेरी 'कांस्टीचूएन्सी में पूरनपुर तहसील में धरहरा नदी को पार कर के मैं सम्पूर्णा नगर गया। वहां मैं बातचीत कर रहा था, मैंने पूछा कि एजूकेशन की क्या हालत है ? मुझे जवाब मिला—सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है—वह जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग है। मैंने पूछा—इसमें क्या खास बात है ? जब स्कूल की बिल्डिंग है तो बच्चे पढ़ते ही होंगे। मुझे जवाब मिला—पिछली जुलाई से जनवरी तक किसी दिन भी यह स्कूल नहीं खुला, न इस में कोई बच्चा था और न कोई मास्टर था। मैं ने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पर भी झण्डा नहीं फहराया गया होगा ? जवाब मिला—15 अगस्त को नहीं फहराया गया लेकिन 26 जनवरी को जरूर फहराया गया। सिर्फ हैडमास्टर साहब आये थे, झण्डा फहरा कर चले गये—न स्कूल खुला, न टीचर आये, न बच्चे आये। मैंने वहां के डी०

एम को लिख कर भेजा और कहा कि यह तो बहुत खराब बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इन्क्वारी की और बताया कि एक डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल तीन बार उसका मुआयना कर चुके हैं और उन्होंने उस को ठीक पाया है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और अध्यापक भी आ रहे हैं और सब चीज ठीक है। तो यह आप की प्राइमरी एजूकेशन की हालत है और मैं अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर स्वयं वहाँ के लोगों का कहा हुआ बतला रहा हूं और डी० एम० ने वहाँ की जाँच कराई है। पूरनपुर में सम्पूर्णा नगर है और वहाँ पर आचार्य विनोबा भावे का एक ट्रस्ट है। उस में सल्फर प्लांट में यादव जी मैनेजर हैं और उनके यहाँ बैठ कर यह बात पता चली। एक फरलांग की दूरी पर वहाँ वह स्कूल है।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : यह प्राइवेट स्कूल तो नहीं था ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : नहीं, वह तो आप का बेसिक एजूकेशन का स्कूल है। चैयरमन साहब, जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय एक हाईजीन का पीरियड होता था और कुछ नैतिक शिक्षा का पीरियड हुआ करता था। आज तो नैतिक शिक्षा का कोई पीरियड है ही नहीं अगर किसी स्कूल में हाईजीन का पीरियड होता भी है, तो कोई यह देखने वाला नहीं है कि बच्चों के नाखून कितने बड़े हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कहीं गन्दे कपड़े तो नहीं पहने हैं, जिससे बीमारी न हो जाय। इन सब चीजों को देखने वाला कोई नहीं है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रीय चरित्र और नैतिक चरित्र की अगर कोई शिक्षा न दी जायगी, तो इसका क्या नतीजा होगा। नकल कैसे रुकेगी, अनुशासन कैसे आएगा और शिक्षा का जो दायित्व आप ले कर बैठी हैं, उसको कैसे पूरा कर सकेंगी और कैसे देश को आगे बढ़ा सकेंगी ? तो मेरा कहना यह है कि नेशनल करेक्टर बनाने के लिए बच्चों को मोरल एजूकेशन दी जाए और हाईजीन का पीरियड फिर से लिया जाना चाहिए। यह जो कभी हाथ इधर उधर कर दिया और कभी उधर कर दिया, घिसी-पिटी बात चली आ रही है, इसकी जगह पर प्रारम्भ से ही बच्चों को अगर छोटा-छोटा योग का अभ्यास कराया जाए, तो वे अच्छे बन सकते हैं, उनका शरीर अच्छा बन सकता है।

इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वे बच्चे जो क्लास में और कालेज में मेहनत कर के, अच्छी तरह पढ़ कर ऊँचे नम्बरों से पास होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिये कम से कम यह कह दिया जाना चाहिए कि उनकी जो आगे की शिक्षा है, उसको फ्री कर दें। इससे बच्चों में उत्साह बढ़ेगा और वे अपनी पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान देंगे और अधिक से अधिक नम्बरों से इम्तिहान पास करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि यह कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको आप न मान सकें। जो बच्चे अपनी क्लास में और अपने कालेज में टाप करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिये।

प्राइमरी शिक्षा की हालत को देख कर रोना आता है। जैसा मैंने पहले कहा है कि किसी स्कूल में छः महीने टीचर नहीं, किसी में साल भर टीचर नहीं और किसी किसी स्कूल में एक ही टीचर है और किसी स्कूल में चार-चार टीचर हैं जबकि वहाँ बच्चे 40 ही हैं। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो पैसा आप देती रहती हैं, उसका कहीं कहीं कोई

उपयोग ही नही हो पा रहा है। ऐसा भी होता है कि प्राइवेट लोग जूनियर स्कूल खोल देते हैं और वहां पैसा चलता है। एक एक मील पर दो, दो स्कूल खुले हुए हैं और जिसने जा कर पैसा दे दिया, उसको रिकगनाइज कर लिया। जब एक एक मील पर दो दो, तीस-तीन स्कूल होंगे, तो वहां पर बच्चे पढ़ने के लिये कहा से आएंगे और कैसी वहाँ पढ़ाई होगी। इस तरीके से शिक्षा की दुर्गति हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में एक आर्डर पास कर दिया कि 31 मार्च तक किसी टीचर का ट्रांसफर न हो। अब चाहे उसके खिलाफ कितनी ही शिकायतें आई हों और उसने कितनी ही गड़बड़ी की हो, उस का 31 मार्च से पहले ट्रांसफर नहीं होगा। इससे हालत बहुत खराब हो रही है। इसके अलावा यह भी हो रहा है कि एक टीचर को 40, 50 मील की दूरी पर पोस्ट कर दिया जाता है। एक प्राइमरी स्कूल टीचर ऐसी हालत में कैसे काम कर सकता है। इस ब्लाक का एक टीचर रहने वाला है, उसको दो ब्लाक पार करके चौथे ब्लाक में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है और जब उसके ट्रांसफर के लिए कहा जाता है तो ट्रांसफर 31 मार्च तक बन्द हैं।

हम नहीं कर सकते। पहले क्यों नहीं किया, यह उन्होंने बताया नहीं। बाद में बताया तो बहुत सारी दरख्वास्तें निकल आयीं।

श्रीमती शीला कौल : अगर आप इसके बारे में वहां के एजूकेशन मिनिस्टर को लिखते तो बहुत फायदा होता।

श्री हरीश कुमार गंगवार : हम ने किया है। वहां के एजूकेशन सेक्रेटरी का आर्डर है। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपको नेशन बिल्डिंग का काम करना है, बच्चों की पढ़ाई का काम करना है।

मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए सोयाबीन दिया जाता है, बाहर से आया हुआ पाउडर्ड मिल्क दिया जाता है। लेकिन हमने आज तक किसी बच्चे को यह लेते हुए नहीं देखा है। आपके सब डिप्टी इंस्पेक्टर और स्कूल मास्टर मिल कर सब खा जाते हैं।

1976 में रोहिलखड यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। लेकिन उसके निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए भी एक पैसा आज तक नहीं मिला। आप कृपा कर के इस पर ध्यान दीजिए। एक पैसा नहीं मिला, न भवन निर्माण के लिए, न दूसरी चीजों के लिए। ग्रांट के रूप में कोई पैसा नही मिला है। आप इस पर ध्यान देने का कष्ट करें।

श्री काजी सलीम (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं सब से पहले आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एजूकेशन के बारे में बोलने का मौका दिया। इस पर बोलने से पहले मैं अपनी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के उन विचारों की सराहना करते हुए कहना चाहता हूं जो उन्होंने मार्टिन लूथर के इन अल्फाज को अपनी तकरीर में दोहराते हुए कहा था कि हमारी जिन्दगी के पूरे शोबों में एजूकेशन की कितनी इम्पार्टेंश है। उन्होंने कहा था कि किसी मुल्क की तरक्की, खुशहाली, प्रोस्पेरिटी को जज करने के लिए हमें यही नही देखना है कि वहाँ कितनी अच्छी बिल्डिंग हैं, कितनी अच्छी रोड्स हैं, या वहां के लोगों के पास कितना ज्यादा पैसा है बल्कि हमको यह देखना है वहाँ कितने बाहुनर और बासलाहियत वाले लोग हैं, कितने आर्टिस्ट्स हैं,

कितने साइंटिस्ट्स हैं। कोई मुल्क कितने सलाहियत वाले लोग पैदा करता है, कितने बाहुनर लोग पैदा करता है, इस बारे में हमारी नेता ने कहा था और उसकी बुनियाद रखी थी। आज हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं।

मैं दो रोज से इस सदन में डिबेट्स को सुनता रहा हूँ और मुझे लगा कि हम सब लोगों में एक धुकधुकी सी है और हम यह समझ बैठे हैं कि हमारी एजूकेशन बुरी तरह से बिगड़ गयी है। यह हमारे अपोजीशन की तरफ से भी और हमारी पार्टी के जानिब से भी इस सदन में रखा गया। यह बात सही नहीं है कि अंग्रेजों ने जो तरीका तामील बताया था आज हम 35 साल की आजादी के बाद भी उस पर चल रहे हैं। लेकिन जहां तक इस सोच का ताल्लुक है कि हमारे स्कूल और कालेज क्लर्क बनाने की मशीन हैं, यह बात और यह सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक राइटर, एक पोएट, एक शायर के नाते से सदन को बताना चाहता हूँ कि जो यह कहा जाता है कि हम क्लर्क बना रहे हैं तो हमारे यहां ये साइन्टिस्ट्स कहां से आ रहे हैं जिन्होंने हवा और फिजा में बहुत से अन्तरिक्षयान, सेटेलाइट्स छोड़े है। बहुत से लोग हमारे यहां ऐसे भी पैदा हुए हैं जो इंजीनियर्स हैं, डाक्टर्स जो हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान से बाहर जाकर, यूरोप में, पूरे अरब मुमालिक में हर तरह से हिन्दुस्तान का झण्डा बुलन्द कर रहे हैं। यह सब 35 साल की तरीकए तालीम से हुआ।

आप अगर हिस्ट्री पर नजर डालें तो यह सिलसिला आज से नहीं राजा राम मोहन राय और सर सैय्यद अहमद के जमाने से शुरू हुआ था कि बच्चों में एक पोजिटिव एटीच्यूड कैसे पैदा करें, अपने मुल्क में वैज्ञानिक विचार धारा कैसे पैदा करें। उसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा है। हमारे नेहरू जी ने अब्दुल कलाम आजाद, राधाकृष्णन् और जाकिर हुसैन साहब ने हमारी एजूकेशन की पूरी फिलासफी को डबलप किया है। इसको उन्होंने जो डवलपमेंट की, वह अंग्रेजी से लेकर नहीं, उन्होंने इसे अपनी कल्चर के साथ जोड़ा और आज एजूकेशन की उसी फिलासफी के रास्ते पर हम चल रहे हैं।

आप को याद होगा कि जब इन्दिरा गांधी पहली दफा वजीरे आजम की हैसियत तशरीफ लायी थी तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी, पहली दफा यह सोच दी थी कि हमको एजूकेशन नेशनल डवलपमेंट के लिए चाहिए, हमें क्लर्क नहीं बनाने हैं, शिक्षा को रोजगार का जरिया नहीं बनाना है। हमारी समस्या और परेशानी यह है कि इस पूरे नेशनल डवलपमेंट में हमारे जो पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य हम कैसे सुधार सकते हैं, ताकि हमारे कन्धों पर जो बोझ है, हमारे मरने के बाद वे उस बोझ को सम्भाल सके।

नेशनल डेवलपमेंट के लिए एजूकेशन दिया जाए, इसके लिए कोठारी कमीशन बनाया गया, इसके रिफरेंसेस कई बार दिए गए। मैं समझता हूं कि "इट इज डिक्लेयर्ड पालिसी आफ गवर्नमेंट।" मैं इस सिलसिले में आगे कुछ सुझाव देना नहीं चाहता। हमारे पास एक कम्पलीट फलसफा है एजूकेशन का, प्राइमरी एजूकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजूकेशन तक पूरे का पूरा सिलसिला है। मुझे जो बात कहनी है वह यह है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसलिए हम कुछ पीछे हट रहे हैं। कुछ कोताहियां हो रही हैं जिसकी वजह से हम लक्ष्य

प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और हमारा जो सपना है, नेहरू और इन्दिरा जी का जो सपना है यह पूरा नहीं हो पा रहा है ।

आज मैं उस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसकी ओर नहीं सोचा गया है । हम जिस रास्ते की ओर बढ़ रहे थे, ढाई साल का जो उसमें गैप आया और इस समय में जनता पार्टी के राज में इनके जो विद्वान थे, पढ़े-लिखे लोग थे, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह से इसको ट्विस्ट किया, किस होशियारी और चालाकी से इसमें रफड़े डाले । हम जो नेशनल धारा बना रहे थे, सन् 1962 से उस तरफ चल रहे थे, उन्होंने उनको तोड़-मरोड़ कर रख दिया और उस एक धारे को सैकड़ों रास्तों में बदल दिया । मैं पोलिटिकल पार्टी के नाते कोई इल्जाम लगाना नहीं चाहता, मैं साबित कर सकता हूं । मसलन हमने इस कोठारी कमीशन के जरिए कई इदारे यहाँ पर बनाए थे, जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन और एन. सी. ई. आर. टी., रीजनल इंजीनियरिंग कालेजेज इत्यादि । इनमें एक कम्पलीट प्रोसेस, एक कम्प्लीट रास्ता अपनाया गया था, जिससे हकारा ख्वाब पूरा हो सकता था, वह रास्ता हमने अपनाया था । आप उस वक्त के अखबार उठाकर देखें, आर्गनाइजर, स्टेट्समैन, सारे पैसे वालों के अखबार, फिरकापरस्त अखबार, इन्होंने इस पर सबसे पहले अटेक किया । हिन्दुस्तान में एक सलेबस लगाना चाहते हैं, यूनिटी पैदा करना चाहते हैं, हम तो हर प्रांत में एक जैसा स्लेबस और यूनिटी चाहते थे, अभी 340 स्कूल हैं हम तो हर जिले में ऐसा स्कूल चाहते थे जहाँ एक सलेबस हो, अपनी-अपनी जुबान में पढ़ा जाए, लेकिन बात वही हो जो छागला ने कही थी, वे अलग हो गए लेकिन हम दुबारा इस बात को लाना चाहते हैं । इस तरह इस सलेबस पर इस पर पहला हमला हुआ । हमला इसलिए हुआ कि यह तो सेक्युलरिज्म सिखाता था, फिरकापरस्ती के खिलाफ बात करता था, नेशनल स्पिरिट पैदा करता था । आपको ताज्जुब होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता छोटे-छोटे प्राइवेट पब्लिशर्स को इन्होंने एन्करेज किया और जनता पार्टी के समय में 50 प्रतिशत किताबें एन० सी० ई० आर० टी० की हटाकर प्राइवेट पब्लिशर्स को लगाई गई । इस बहाने से कि ये लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, इसलिए फिरकापरस्ती का बीज आहिस्ता-आहिता बोना शुरू किया गया ।

मैं अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी को मुबारकबाद देता हूं और शीला कौल जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इवेल्युएशन का काम शुरू किया, आज हिस्ट्री लेंग्वेजेज का इवेल्यु-एशन शुरू हुआ ।

एक बात मैं आपको राज की बताना चाहता हूं, अभी रिपोर्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन मैंने जो मालूमात इधर-अधर से हासिल की है जनता पार्टी के दौर में जो 13 किताबें लगाई गयी थी उनमें से 10 किताबें काबिले एतराज हैं. एक बात तो यह हो गई, इसको मैं नजरअन्दाज करता हूँ, लेकिन एक दूसरा सवाल है । हमने सोशलिस्ट पैटर्न को माना है, हम यह चाहते हैं कि अमीर-गरीब, हर तबके और हर जाति के लोगों के लिए एक ही एजूकेशन हो । इन्होंने दो किस्म की एजूकेशन चलाने की कोशिश की । एक फार्मल और दूसरी इनफार्मल । फर्स्ट ग्रेड और सैकिड ग्रेड 'एजूकेशन की बात यह थी । इस में यह है कि फर्स्ट ग्रेड वाले तो पैसे वालों के बच्चे हैं, टेलेंटिड बच्चे हैं और बाकी जो तालीम पाते हैं उन में टेलेंट ही पैदा नहीं हो सकता है । नेहरू जी के जमाने में यह चीज या चैज नहीं आई थी । यह चैज इनके जमाने में आई । फार्मल

और इनफार्मल एजुकेशन की बात इनके जमाने में आई वीयतनाम या क्यूबा या दूसरी जगहों पर यह एजूकेशन जो चलती है उन के और हमारे देश के हालात में बहुत फर्क है। पैसे और अमीर गरीब वाली बात यहाँ जितनी है वहाँ वह नहीं है। अगर उसकी हम यहाँ एज इट इज एडाप्ट करते हैं तो यह बहुत डैजरस बात हो जाएगी। इनफार्मल स्कूलों की हालत को आप देखें। वहां कोई पढ़ाने वाले नहीं होते हैं, टीचर नहीं होते हैं। वहां यह बात है कि में लीडर हूं और मैंने अपने दो वर्कर्ज को या दो आदमियों को टीचर बना छोड़ा और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू करवा दिया और ला कर चौथी क्लास में बिठा दिया, यह जो टेडेंसी है यह बहुत खतरनाक है और हमें कांशसली और बहुत होशियारी के साथ चलना होगा।

यूनिवर्सिटीज के बारे में जो कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा इन्डिसिप्लिन है। यह बात वाकई में ठीक है। जो यू० जी० सी० की मैडेम चैयरमैन हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सजैशन दी है। जो बच्चे पढ़ कर निकल रहे हैं वे जो हमारी कल्चर है उससे टूटे हुए हैं। यूनियनें जो चलती हैं उनकी बात भी यहाँ की गई है। अगर आप यह तय कर दें कि पचास परसैंट से ऊपर जो मार्क्स लें वही यूनिवर्सिटी के इलैक्शन के लिए खड़े होने के लिये एलीजीबल होंगे तो इसका मतलब यह होता है कि आपने उसमें मैरिट को मिला दिया है और तब पापुलर स्टूडेंट्स को भी उस में रख कर अगर आप यूनियन चलाते हैं तो डेमोक्रेसी की जो बात है वह इन्डायरेक्ट तरीके से इस में आ जाती है और गीता मुखर्जी जो चाहती हैं वह भी पूरी हो जाती है। मैं चाहता हू कि इस पर भी आप विचार करें।

जहां तक मारेल एजुकेशन का ताल्लुक है मैं चाहता हूँ कि इसको डिफाइन कर दिया जाना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या है यह भी तय हो जाना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं मारल एजुकेशन का मतलब यह लगाया जाता है कि गाड़ी जो फ्यूचर की तरफ हम ले जा रहे हैं इसको रिवर्स में ले जाएं। ऐसा इसका मतलब नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट की हैसियत से मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम अपने हैरीटेज से भी टूटते जाते हैं अब हमारा काम सिर्फ यह रह जाता है कि हम उसे जड़ों से जोड़े रखें हैं। यह काम सिर्फ आपका आर्टिस्ट कर सकता है, कलाकार कर सकता है। आर्टिस्ट, राइटर्ज, और कलाकार हैं उनको इसके लिए आपको बढ़ावा देना होगा। अकादमी कायम करने के बाद यह समझ लिया जाए कि उनको हजार दो हजार रुपया दान के रूप में दे दिया जाए तो यह काफी है, यह बात ठीक नहीं है, अलग से आपको उनको एनकरेजमेंट देना होगा। साहित्य से जोड़ना पड़ेगा। जो बैस है, जो जड़ें हैं उनको दुबारा जोड़ने के लिये आपको राइटर्ज को पकड़ना पड़ेगा, और उनकी किताबें जब आयेंगी बाजार में तो खुद व खुद हमारी मारेलटी चैंज होगी।

अब मैं थ्री लैंगुएज फार्मुले पर आता हूं . यह बहुत करेक्ट फार्मुला हमारे देश के लिये है। मैं इसकी दाद देता हूं। इससे बेहतर फार्मुला हो नहीं सकता है हिन्दुस्तान में। अंग्रेजी की बहुत जरूरत है इसलिये कि आज एटमिक ऐज है और इस दौर में हम अंग्रेजी का साथ नही छोड़ सकते हैं। हिन्दी हमारी देश भाषा है। देश भाषा के बगैर हम अपने देश की धरती से मुहब्बत नहीं कर सकते हैं। रिजनल लैंगुएज तो रहेगी ही इस तरह मैं चाहता हूं कि हर राज्य में अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा वहां की राज्य भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाये परन्तु जिन राज्यों में स्वयं हिन्दी वहाँ के क्षेत्रीय (राज्य भाषा) है। वहां पर उर्दू अनिवार्य भाषा के रूप

में पढ़ाई जाये। नेशनल पालिसी के तौर पर सारे देश में इस फार्मुले को लागू किया जाये, इस में कोई बुराई नहीं है। हिन्दी राज्यों में जहां हिन्दी मादरी जबान है मैं चाहता हूं कि वहां पर उर्दू को रखा जाये।

तब हर एक तबका वहां उर्दू को जान सकेगा। वैसे हिन्दी और उर्दू में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं जो आज बोल रहा हूं इसको अगर देवनागरी में लिखूं तो हिन्दी हो जायगी और दाहिनी तरफ से लिखूं तो उर्दू हो जायगी। बिहार और यू० पी० में उर्दू को सरकारी जबान रखा है, यह अच्छी बात है। लेकिन जहां जहां हिन्दी बोली जाती है वहां पर तीसरी लैंगुएज के रूप में उर्दू भी रखें तो म समझता हूं यह इन्साफ की बात होगी और बच्चों पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रियाअदा करता हूं और चाहता हूं कि 10 प्लस 2 प्लस 3 सिस्टम को लागू किया जाय और पूरी एजूकेशन को नेशनेलाईज किया जाय। इसके लिए एक कमीशन बैठाया जाय जो पूरे एजूकेशन सिस्टम को नेशनेलाइज करे। वरना जैसे अमरीका में होता था कि पहली नस्ल के लोग अपने को अलग अलग मुल्क का कहते थे, दूसरी नस्ल के लोग आधा आधा कहने लगे और तीसरी नस्ल के लोग अपने को पूरा अमरीकन कहने लगे। जब तक पूरे एजूकेशन सिस्टम को हम नेशनेलाइज नहीं करेंगे तब तक एक नेशनल स्प्रिट पूरे मुल्क में पैदा नहीं कर सकेंगे।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, मानवशक्ति, श्रम शक्ति और प्रतिमाणुशक्ति से भी ज्यादा ताकतवर है। इसलिए शिक्षा मंत्री पर बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व है। यदि किसी देश की मानवशक्ति ठीक रीति से तैयार नहीं की जाती है और शिक्षा नहीं दी जाती है तो राष्ट्र के हर पहलू में मुसीबत आ सकती है। इसलिए शिक्षा मन्त्री का बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व है। हम लोग कहते तो हैं कि सारे देश के बच्चे हिन्दुस्तान के बच्चे है और उनको समान अधिकार दिये गये हैं लेकिन आजादी के बाद हम देख रहे हैं कि समान अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। यहां जो वैल आफ हैं उनके बच्चों के लिए कुछ अलग ढंग से शिक्षा की व्यवस्था की गई है और जो गरीब के बच्चे हैं, और 20 मिलियन के करीब बिना मां बाप के बच्चे हैं उनको देखने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है उसको भी मन्त्री महोदय बतायेंगी। आजादी मिलने के बाद संविधान में डाइरेक्टिव सिद्धांतों में भी कहा गया था कि प्राइमरी एजूकेशन होगी। यह काम 1961 तक पूरा होना था। लेकिन 1981 तक भी वैसा नहीं हो सका। पता नहीं कितना समय लगेगा जब हम देख सकेंगे कि हर बच्चे को कम से कम प्राइमरी एजूकेशन मिल सकेगी।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

इसलिए राष्ट्र को इस उत्तरदायित्व को जरूर लेना चाहिए कि कम से कम प्राइमरी एजूकेशन हर बच्चे को देने की व्यवस्था होनी चाहिए और यह कार्यक्रम टाइम बाउन्ड होना चाहिए और जो भी रुपया इस काम के लिये खर्च हो वह किया जाय।

लिट्रेसी के बारे में कहा गया इतने साल की आजादी के बाद 36 परसेन्ट लिट्रैसी हो

गई । लेकिन लिट्रेसी का कोई माप-दण्ड नहीं है । कोई अपना नाम लिख सकता है तो उसको लिट्रेट बोलकर गिनती की गई है । असली रूप से सर्टिफिकेट या प्राइमरी पास को आधार लिया जाता तो यह परसेंटेज बहुत कम हो जाती । इसलिए यहाँ की लिट्रेसी का हिसाब-किताब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं मन्त्री जी से दोहराकर यह बात कहना चाहता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरी होनी चाहिए और इसको टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम बनाकर पूरा करना चाहिए और इसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए ।

हम लोगों ने देखा है कि एक तरफ तो यह कहते हैं कि मैनेजर बनाने में हमारे पास 20 लाख मैनेजर के लिए हैं और हम दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं । तकनीकी के लिए 60 लाख अमेरिका और जापान से बराबर आ गये हैं । भारत में पोलिटैक्निक, इंजीनियरिंग और उच्च इंजीनियरिंग बहुत सारे हैं किन्तु सरकार की तरफ की तस्वीर क्या है ? वह यह है कि हम अभी तक इतने पिछड़े हुए हैं कि हमारा देश इतना बड़ा प्रजातन्त्र होते हुए भी दुनिया के अशिक्षित देशों में दूसरे नम्बर पर आता है और हम लोग अशिक्षितों में शायद पहला नम्बर भी ले सकते हैं, जो प्रजातन्त्र के नाम से लेते हैं । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस कलंक को मिटाना जरूरी है ।

बहुत जगहों में सब काम सरकार नहीं कर सकती है । आप जानते हैं पहाड़ी अंचलों में, नागालैंड में सरकार की पहुँच वहां पर नहीं है । हमारी अभी तक जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है वह शहरों तक ही हैं जहाँ कुछ सरकारी दफ्तर वगैरह हैं । इन जगहों पर कुछ स्कूल पहले-पहले खोलने की व्यस्था की गई और वहां तक शिक्षा का लिमिटेशन रह गया । लेकिन शिक्षा को आम जनता तक पहुँचाने के लिए कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं ने काम किया है, उनको हमें उचित बधाई देनी चाहिए । जहां पर सरकार नहीं पहुँच सकती है वहाँ पर इन स्वयं सेवी संस्थाओं ने काम किया है जो शिक्षा की वृत्ति हैं, शिक्षा की व्यवसायी नहीं है । ऐसी संस्थाएं लोगों की सेवा करना चाहती हैं । उनको सहायता देना सरकार के लिए उचित होगा जिससे हम अपने लक्ष्य पर जल्द पहुंच सकें ।

पूर्वांचल में देख सकते हैं, नागालैंड, मेघालय और दूसरी जगहों में कोई भी स्कूल नहीं है, ट्राइबल एरिया में कोई भी सरकारी संस्था आजादी के बाद तक नहीं पहुँच सकी । वहाँ पर सहकारी संस्थाओं ने कुछ-कुछ आदमियों को और बच्चों को, जिनको हमने मैन स्ट्रीम आफ दी लैंड में लाने के लिए सहयोग किया है, उन को और ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिए सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए । पिछले दस वर्षों में इस ओर काम नहीं हुआ है, हमें धीरे-धीरे सब बच्चों को कम्पलसरी एजूकेशन देनी है, यह बहुत जरूरी है, तभी हम डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकेंगे ।

अभी बेकारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि किसी भी तरह से मनुष्य अपने को बचाने की तैयारी करता है । यदि किसी को कहीं कुछ न मिले तो वह सोचता है कि चलो एक स्कूल ही बना लें । लेकिन उसका उधर रहने का इरादा नहीं है, इसलिये शिक्षा आज व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गयी है । कुछ आदमी अपने को बचाने के लिए स्कूल खोलने में शैल्टर ले रहे हैं, शिक्षा में रहने का उनका इरादा नहीं है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण वह शिक्षा

के काम में शैल्टर ले रहे हैं और स्कूल में उनका आधा माइन्ड रहता है। इससे शिक्षा का काम भी नहीं होता। प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज तक के शिक्षकों को कम इज्जत दी जाती है, उनकी समाज में भी इज्जत का है। इसलिये अच्छे ब्रेन उस तरफ काम नहीं करना चाहते हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिये अच्छे लोग इस तरफ लगें, शिक्षा वृति हों, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को इसमें ज्यादा से ज्यादा उन्नति करनी होगी। आँकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने ट्राइबल इलाकों में शिक्षा के लिए क्या खर्च किया है। यदि वहाँ पर स्वयंसेवी संस्थायें काम न करतीं, तो वहां के लोग आज भी अशिक्षित होते।

चाय बागान सैंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं। उसमें अभी तक प्राइमरी स्कूलों की स्थापना नहीं की गई है। कहीं एक-आध टीचर रख दिया गया है, मगर उसकी भी कोई निगरानी नहीं है। चाय बागान में जहाँ कहीं वर्कर्ज की पांच सात हजार की पापुलेशन हो, वहां पर प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वह प्राईवेट हो या सरकारी, उसका अपना स्कूल होना चाहिए और वहां पर बच्चों को लिखाने-पढ़ाने का उत्तरदायित्व उसे अपने ऊपर लेना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि उन्हें चाय बागान की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां पर गरीब और बैकवर्ड श्रेणी के लोग बहुत कठिन काम करते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है।

इसी तरह जितने बड़े बड़े प्रोजेक्टस बन रहे हैं, वहां पर काम करने के लिए दिल्ली के के बड़े बाबुओं के बच्चों को तो नहीं लिया जाता है। उनमें गरीब लोग काम करते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए टैम्पोरेरी स्कूल खोले जाने चाहिए।

जब तक कम्पलसरी प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक चाइल्ड लेबर की कुप्रथा को बन्द नहीं किया जा सकता। आज चाइल्ड लेबर की स्थिति बहुत दर्दनाक हो चुकी है और बच्चों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। इस लिए हर एक क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल खोल कर वहाँ कम्पलसरी एजूकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए।

बहुत से सैंट्रल स्कूल और मिलिटरी स्कूल हैं, लेकिन अब वे व्यवसाय के केन्द्र बन गए हैं। उनमें रुपये-पैसे वालों के बच्चों को लिया जाता है या मन्त्री तथा एम० पी० की सिफारिश से लिया जाता है। इस स्थिति में जो गरीब आदमी किसी की सिफारिश नहीं ला सकते है, उनके बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी ? मंत्री महोदय को दिल्ली का अनुभव होगा कि किसी स्कूल में भर्ती के लिए उन्हें चिट्ठी लिखी जाती है या फोन किया जाता है। ऐसे कई स्कूल हैं, जो केवल बड़े लोगों के बच्चों के लिए रिजवर्ड हैं, ताकि उस वर्ग के लोग हमेशा गरीबों को दबाते रहें और उनके मास्टर बने रहें। इस व्यवस्था का अन्त होना चाहिए। जहां भी कोई स्कूल हो, उसका एक सर्कल या रेडियस होना चाहिए और जो कोई उसमें एडमिशन लेना चाहे, उसे एड-मिशन दिया जाना चाहिए। यदि मेरे पास पैसा हो, तो मैं बम्बई के किसी स्कूल में बच्चे को भर्ती करा सकता हूँ, लेकिन बम्बई में रहने वाले किसी गरीब आदमी के बच्चे को उसमें एड-मिशन नहीं मिलेगा। मेरा सुझाव है कि अगर कोई स्कूल अपने क्षेत्र के किसी बच्चे को एड-मिशन देने से इन्कार करता है, तो उसकी ग्रांट बन्द कर देनी चाहिये, ताकि केवल सिफारिश और मंत्री या एम० पी० की चिट्ठी के के आधार पर एडमिशन न दिया जाए।

श्रीमती शीला कौल : आप किस स्टेट का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री पीयूष तिरकी : मैं सारे हिन्दुस्तान का जिक्र कर रहा हूं ।

श्रीमती शीला कौल : मैं इसलिए पूछ रही हूं कि प्राइमरी एजूकेशन की जिम्मेदारी स्टेट्स की है ।

श्री पीयूष तिरकी : मैं पालिसी की बात कर रहा हूँ ।

श्रीमती शीला कौल : पालिसी वहां ही बनाई जाएगी । आप वहां के रिप्रजेंटेटिव हैं, वहां की नुमाइंदगी करते हैं। अगर आप स्टेट में जोर लगायेंगे, तो काम बेहतर चलेगा ।

श्री पीयूष तिरकी : स्टेट में जोर लगाने से पहले मैं यहां पर जोर लगाना चाहता हूं कि आप कानून बनाएं ।

श्रीमती शीला कौल : कानून बना हुआ है ।

श्री पीयूष तिरकी : अगर आप डायरेक्शन देंगे, तो सब स्टेट्स उसके अनुसार काम करेंगी ।

पुरुलिया में एक सैनिक स्कूल है । वहां 30-3-82 को, चूंकि दूसरे दिन छुट्टी थी, इस लिए रात के वक्त बच्चे नाच-गाना कर रहे थे, आनन्द मना रहे थे ।

उस समय कहीं से हुकुम आया, मार-पीट भी हुई और बच्चों को मारा गया । मैं मन्त्री जी से अर्ज करता हूं कि वे इसकी जांच कराने की कृपा करें ।

अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि गरीब मां-बाप के बच्चों के लिए आश्रम स्कूल बहुत ही लाभदायक साबित हुए हैं । मैं समझता हूं कि 5-6 लाख जो साधू हैं उनकी बुद्धि का यूटिलाई-जेशन किया जाना चाहिए । मुक्ति के लिए वे बड़ा कष्ट उठाते हैं, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाना चाहिए और इस अशिक्षित समाज के किसी काम वे आ सकें, इसका पूरा प्रयास होना चाहिए । हमारा देश जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है उसको ऊपर उठाने का प्रयास होना चाहिए—यही कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ ।

सभापति महोदय : क्या वे साधू पढ़े-लिखे भी है ?

श्री पीयूष तिरकी : वे देख-भाल कर सकते हैं, उनका यूटिलाईजेशन होना चाहिए ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्र के कल्याण एवं संस्कृति के प्रतीक स्वामी विवेकानन्द ने कहा है :

"शिक्षा मनुष्य में पहले से व्याप्त पूर्णता की अभिव्यक्ति है ।" वास्तव में शिक्षा मानव को संपन्नता की ओर ले जाती है, मानव को विकास और उन्नति की ओर ले जाती है । शिक्षा समाज में मानव मूल्यों का सृजन करती है । शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही शिक्षा पद्धति अपनाई जाती है । अभी अपोजीशन से बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों ने शिक्षा पद्धति की आलोचना करनी चाही है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैकाले ने जिस उद्देश्य से शिक्षा पद्धति लागू की थी, शायद मेकाले को भी उस उद्देश्य

की प्राप्ति नहीं हो सकी। राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने और आजादी हासिल करने का श्रेय जिन महानुभावों, मनीषियों एवं महापुरुषों को है उन्होंने इसी शिक्षा प्रणाली से शिक्षा ग्रहण की थी। यदि आज मेकाले स्वयं जीवित होते तो प्रायश्चित करते कि जिस उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा प्रणाली लागू की थी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकी।

शिक्षा की इस देश में जो सबसे बड़ी देन रही है वह है नेशनल इंटिग्रेशन की भावना को पैदा करना। शिक्षा का यह मुख्य उद्देश्य रहा है। मैं मानता हूं कि इसमें सुधारों की आवश्यकता है। पं० जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा अन्य विद्वानों ने इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए भी हैं। विरोध पक्ष से जो भावना व्यक्त की गई है उससे मालूम होता है कि शायद उनमें निराशा की भावना व्याप्त है। इस देश में ऐसे शिक्षाविद् और धुरंधर हुए है जिन्होंने न केवल इस देश में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति अर्जित की है। क्या इस देश में गोविन्द दास, सी. वी. रमण, जगदीश चन्द्र बोस और प्रो० नार्लिकर पैदा नहीं हुए ? इसी प्रकार से क्या इस देश में राष्ट्रीय प्रेम रखने वाले, साहित्यिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में समाज-प्रतिष्ठित मूर्धन्य व्यक्ति नहीं रहे हैं जिन्होंने इसी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ग्रहण की थी ? इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन न हो। शिक्षा समाज की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली देश की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होनी चाहिए। तभी कोई भी शिक्षा प्रणाली वायबल और सक्षम हो सकती है। इसीलिए प्रगतिशील तथा विकासशील देशों में समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में समय समय पर संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करना आवश्यक होता है।

आज हमारे शिक्षा मंत्रालय को यह कहें कि उस ने कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई संशोधन नहीं किया, कोई परिवर्धन नहीं किया, तो मेरे ख्याल में हमें ऐसा कहना, हमारी नितान्त भूल है। मैं यह मानता हूं कि जिस उद्देश्य से हमको इस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना था, जिस क्षेत्र में परिवर्तन लाना था, हम पूरी तरह से परिवर्तन नहीं ला सके। सबसे पहला परिवर्तन मैं यह मान कर चलता हूं—किसी भी राष्ट्र में जब तक आर्थिक दृष्टि से शिक्षा व्यवसाय-मुखी नहीं बनेगी तब तक वह सक्षम शिक्षा प्रणाली नहीं मानी जा सकती। इसके लिये 1968 में जो हमारी शिक्षा नीति बनी उस में कुछ बुनियादी बातें स्वीकार की गई थीं और वह यह कि एग्रीकल्चर सैक्टर और इण्डस्ट्रीयल सैक्टर में हम लिंक पैदा करेंगे। लेकिन मुझे खेद है कि हमारा शिक्षा विभाग अभी तक इस को नहीं कर सका है। हम को इस पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए था—हमारे जो पोलिटैकनिक्स है, रीजनल इन्जीनियरिंग कालिजिज हैं या जो दूसरी इण्डस्ट्रीयल टैकनालाजी की शिक्षा हम देते हैं उनका जो हमारे पब्लिक सैक्टर के या ज्वाइन्ट सैक्टर के कारखाने हैं उनके साथ लिंक होना चाहिये था। आज विश्व की जितनी सोशलिस्ट कन्ट्रीज हैं, उनमें जितनी फैक्ट्रीज होती हैं उनका सम्बन्ध इस किस्म की शिक्षण संस्थाओं से होता है। मुझे खुशी है—गत वर्ष जो आपकी मीटिंग हुई थी उसमें आपने इण्डस्ट्रीयल प्रोजैक्ट्स और एजूकेशन पालिसी के फर्मुलेशन में कोलाबोरेशन की बात कही है। मुझे इस बात को सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई, यदि आप इस को एक्सपेन्ड करते हैं तो यह जो बात कही जाती है कि शिक्षा व्यवसायमुखी नहीं है, जाब-प्रोरिएन्टेड नहीं है इस कमी को किसी हद तक

पूरा किया जा सकेगा। आज जितने देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति करना चाहते हैं उनमें शिक्षा की जो प्रणाली है वह इण्डस्ट्री, प्लानिंग, एग्रीकल्चर और टैकनालाजी महकमों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि हमारे एजूकेशन विभाग की इण्डस्ट्री, एग्रीकल्चर, प्लानिंग और लेबर इन चार महकमों के साथ समन्वय समिति हो और वे मिल कर आपकी इन्टीग्रेटेड पालिसी बनायें, यह देख कर कि कितने रोजगार दे सकते हैं, कौन-कौन से कारखानों में उत्पादन बढ़ाना चाहिये, कैसे इन विभागों से हमारी शिक्षा का सम्बन्ध बनाया जा सकता है, यदि हम ऐसा कर सकें तो हम अपने उद्देश्य को किसी सीमा तक हासिल कर सकते हैं। जितने आपके पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं, पोलिटैकनिक कालिजिज हैं, आइ० टी० आइज हैं, उनके साथ छोटे-छोटे कारखानों को जोड़िये, जैसे टैनिंग का काम है, लैदर का काम है, इन सब को जब तक हम इन इंस्टीचूट्स से नहीं जोड़ेंगे, इनमें समन्वय पैदा नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा।

हमारे यहां जब लोग बी० ई० और एम० ई० कर के बाहर जाते हैं और उनसे कहा जाय कि आप किसी बिल्डिंग की दीवार बना दीजिए, तो वे खाका तो बना कर दे सकते हैं, लेकिन दीवार बनाने के लिये मैसन या मिस्त्री को बुलायेंगे, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको उस काम का प्रेक्टीकल अनुभव होता है। यहां अगर कोई दूसरे मुल्क का इन्जीनियर होगा, तो वह स्वयं उस काम को करेगा। इतना ही नहीं यदि हमारे इन्जीनियर विदेश जायेंगे तो वहां जा कर खुद उस काम को करेंगे, फावड़ा हाथ में लेकर काम शुरू कर देंगे, लेकिन जब वह विदेश से पालम हवाई अड्डे पर वापस आते हैं तो खुद करना नहीं चाहते। मान लीजिये कहीं कोई बिजली का काम है तो वह लाइन-मैन को कहेंगे या दूसरे वर्कर को करने के लिये कहेंगे, खुद नहीं करेंगे। यही बुनियादी फर्क हमारी शिक्षा प्रणाली में है, जिस को दूर करने की आवश्यकता है।

मुझे इस बात की खुशी है—आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट में एक सबसे अच्छी बात इन्ट्रोडयूज की है—आपने "कम्युनिटी पोलिटैकनिक्स" का उल्लेख किया है। इसका उद्देश्य जहां तक मैं समझ सका हूँ—हमारे पोलिटैकनिक्स जहां-जहां काम कर रहे हैं उनको कम्यूनिटी बेस देना चाहते हैं और उनकी मदद से इण्डस्ट्री के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। आपने अभी तक 35 पोलिटैनिक कालिजिज को इसमें शामिल किया है, लेकिन यदि आप सारे देश में इसको फैला दें तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो कालेज खुलते हैं, आर्ट्स कालेज खुलते हैं, इनका खोलना आप बन्द कर दीजिए क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आर्ट्स एक ऐसा सबजेक्ट है, जिसको घर पर पढ़ा जा सकता है और कोरेसपांडैंस कौर्स से लोग इस को पढ़ सकते हैं। इस देश में इस तरह की शिक्षा प्रणाली हो, जो जोब-आरियेन्टेड हो, जिससे यहां के आदमी अपना काम कर सकें। मेरा कहना यह है कि आप एक नियम बना लीलिए कि हर ब्लाक लेविल पर, जिसको कहीं पर पंचायत सीमिति लेविल कहते हैं आप एक पालीटेक्नीक खोलिये और हर ग्राम पंचायत लेविल पर आप एक आई० टी० आई स्कूल खोलिये, जिसमें आठवीं पास कर, दसवीं कक्षा पास कर छात्र चला जाए और उसको वहाँ पर एक साल की, दो साल की ट्रेनिंग दीजिए और उसके बाद वह किसी छोटी इंडस्ट्री में काम करने लगे।

जोब-आरियेन्टेड उसकी ट्रेनिंग हो। जो मौजूदा स्टैन्डर्ड है, उसमें आठवीं कक्षा के बाद, छात्र आई० टी० आई में चला जाए या फिर पालीटेक्नीक में जाकर कुछ अर्से की ट्रेनिंग ले ले और यह जो इंजीनियरिंग में 5 साल लगते हैं, उसमें लड़कों को जाने की आवश्यकता नहीं है। आप दो साल का या तीन साल का कोर्स कर दीजिए, जिससे आगे चल कर वह अपना काम कर सके।

आपने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी खोली हुई हैं। हमारे यहां राजस्थान में एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और उसके साथ दूसरे कालेजेज भी एफिलियेटेड हैं।

श्रीमती शीला कौल : वह हमारी मिनिस्ट्री में नहीं आती है। उसका सम्बन्ध एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से है।

श्री राम सिंह यादव : मैं उसी पर आ रहा हूं। आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लेबर, प्लैनिंग और इंडस्ट्रीज से काआर्डीनेशन होना चाहिए क्योंकि जब तक काआर्डीनेशन नहीं होगा, आपका सिस्टम आफ एजूकेशन कभी वायएबिल नहीं हो सकता। अभी कोठारी जी ने एक रिपोर्ट दी है और वह एक सारगर्भित रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया है। आखिर में जो फोरवर्ड लिखा है, उसमें यह कहा गया है :

सभापति महोदय : समय समाप्त हो गया है। इसे समाप्त कीजिये।

श्री राम सिंह यादव : मैं इसे खत्म कर रहा हूं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने से पूर्व वक्ता की अपेक्षा अधिक सही हूं।

सभापति महोदय : मैं तुलना नहीं कर रहा हूं।

श्री राम सिंह यादव : मुझे समय का पूरा ध्यान है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।..... मैं इसे समाप्त कर रहा हूं।

"कृषि और अनुसंधान सम्बन्धी शिक्षा तथा कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों सम्बन्ध शिक्षा को शैक्षिक पुनर्गठन स्कीम में उच्च वरीयता दी जानी चाहिए। अनुसंधान और कृषि विज्ञानों जैसी उन्नत शिक्षा सम्बन्धी प्रतिभाषण व्यक्तियों की उचित संख्या में तलास करने के लिए सक्रिय और काल्पनिक कदम उठाने की आवश्वयकता है।" जीवन का आश्रय केवल कृषि है, उस कृषि के महत्वपूर्ण वोकेशनल सबजेक्ट को अगर आप शिक्षा नीति से नहीं जोड़ेंगे, तो कभी भी शिक्षा नीति जोव-ओरियेन्टेड नहीं होगी। इंडस्ट्री पर केवल 15 परसेन्ट लोग निर्भर करते हैं, खेती पर 75 परसेन्ट लोग निर्भर करते हैं और दूसरे कामों पर और नौकरी में केवल 10 परसेन्ट निर्भर करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र की तरफ खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है।

एक बात और कहना चाहूंगा कि नेशनल पालिसी आम एजूकेशन जो है, सन् 1968 में जो नेशनल पालिसी आन ऐजूकेशन घोषित हुई थी, उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनकी ओर आपके महकमे का उतना ध्यान नहीं गया, जितना जाना चाहिए था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है :

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति मद संख्या 8 कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी शिक्षा

कृषि और उद्योग सम्बन्धी शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। प्रत्येक

राज्य में कम-से-कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा में, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण ऐसी शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा अनुसंधान उद्योग से जुड़ी होना चाहिए। यही मैं चाहता हूं।"

इसके ऊपर अभी आप के डिपार्टमेंट को बहुत कुछ करना है। मुझे खुशी है मि मंत्री बनने के बाद आपने इस तरफ ध्यान दिया है और इस बात को स्वीकार किया है। मैंने पहले जैसा कहा है, आपके डिपार्टमेंट ने कम्यूनिटी पोलीटेक्नीक शुरू किया है और यू० एन० डी० पी ने जो प्रोग्राम दिया है और जिसमें इंडस्ट्री और एजूकेशन के अन्दर कोलावोरेशन की बात है, उस के लिए मैं आपको धन्यबाद देना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 11 नवम्बर, 1981 में जनेवा में जो एजूकेशन में वेल्यू सिस्टम लागू करने की बात कही है, वह आपकी एक आरीजनल बात है और वास्तव में वैल्यू सिस्टम नालिज तक ही नहीं बल्कि ह्यूमैन वेल्यूज में भी बच्चे इसको इमवाइव करें और बच्चों के अन्दर इसको इंस्टिल करें, और उस पर स्ट्रेस दें, तो जिस तरह से काम चल रहा है, उससे और भी तरक्की होगी।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि मैंने ब्लाक लेविल पर पालीटेक्नीक की बात कही है और ग्राम लेविल पर आ० टी० आई० की बात कही है।

आप राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एजूकेशन काउंसिल कायम करें जिससे कि जो बहुत सी कमियां हमारी हायर सैकेण्डरी एजूकेशन में हैं, दूर हो सकें।

आपने टैन प्लस टू का सिस्टम बनाया है। यह बहुत से राज्यों ने और मेरे राज्य राजस्थान ने स्वीकार नहीं किया है हालांकि शिक्षा एक कंकरेन्ट सब्जैक्ट है। अब अगर राजस्थान का एक एम्प्लाई दूसरे राज्य में जाता है तो वहां उसके बच्चों का कोर्स बदल जाएगा, करीकुलम बदल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस टेन प्लस टू को सारे देश में लागू करें। इंग्लिश और हिन्दी तो कामन हैं। एक ही लेंगुएज बदलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपके कार्यों की सराहना करता हूँ और आशा करता हूं कि आपके सरकार में रहते हुए देश की आकांक्षाएं और आशाएं जो कि शिक्षा विभाग पर निर्भर हैं वे पूरी होंगी और हमारी शिक्षा ऊपर उठ कर आयेगी और प्रगति करेगी।

धन्यवाद।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभापति महोदय, सातवीं लोक सभा में यह पहली बार है कि हम शिक्षा सम्बन्धी बजट पर विचार कर रहे हैं। अतःएव, मेरा निवेदन है कि यदि मुझे कुछ प्रश्न के बारे में जिनके बारे में कहना मैं अवश्यक समझता हूँ, कहने के लिए ज्यादा समय लग जाएगा.....

सभापति महोदय : पहले आप अपने अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे रखिये और इसके पश्चात कम महत्वपूर्ण मुद्दे रखिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारे देश में केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन गया है और हम अब तक इसे अपने देशवासियों का मौलिक अधिकार नहीं बना पाये हैं। यह उल्लेखनीय है

कि इसे हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में शामिल किया गया है, परन्तु वास्तव में यह किन के लिए है, हम गत 35 वर्षों से देख रहे हैं। जो कुछ जरूरी है, और इसका बहुत से सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है—वह है मूलभूत आर्थिक ढ़ाँचे में परिवर्तन करने की राजनैतिक इच्छा, यही इच्छा बहुत जरूरी है।

हमने यहाँ यह सुना कि यह हमारी शिक्षा की कमी है कि यह लोगों को नौकरियाँ दिलाने में समर्थ नहीं हुई। परन्तु यह हमारी शिक्षा की गलती नहीं है। यदि हमारे पास नौकरियां अधिक होती और अर्थव्यवस्था में विकास हुआ होता तो हमारी शिक्षा का रुख भी उसी दिशा में हो गया होता। हमने दूसरी पंच वर्षीय योजना में शिक्षा पर बल दिया और तीसरी पच वर्षीय योजना में भी इसी बात पर बल दिया गया और उद्योगों के विकास पर भी बल दिया गया। यदि मैं इसे (पूंजीवादी विकास) कहूं तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। परन्तु निश्चित रूप से यह उसी प्रकार का विकास है जो हमारे देश में हो रहा है। हमें उस प्रकार के विकास सम्बन्धी शिक्षा की भी जरूरत थी और सरकार ने तदनुसार उस पर बल दिया। परन्तु केवल थोड़ा सा ही बल नहीं चाहते। हम राष्ट्र का समग्र विकास चाहते हैं। और शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते हैं।

इसलिए, मेरा पहला मुद्दा यह है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिये। हमारे देशवासी यह महसूस करें कि उन्हें इसे अपना अधिकार बनाने के लिए आगे आना चाहिये। न केवल इसलिए कि यह इस सरकार या दूसरी सरकार के लिए लाभप्रद होना चाहिये और लोगों को सरकार की कृपा से ही शिक्षा लेनी चाहिए।

दूसरा मुद्दा पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के बारे में है। इससे कोई नाराज हो सकता है, परन्तु मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि ऐसे समाज में जहाँ हम सामाजिक न्याय और बहुत अन्य अच्छे गुणों की बात करते हैं, हम इस दोहरी शिक्षा पद्धति को नहीं रख सकते। मैं इस बात को नहीं मानता कि पब्लिक स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है। हमारे देश की जरूरतों से भिन्न है, यह हमारे राष्ट्रीय जीवन का अंग नहीं है यह हमारे नागरिकों को विमुख कर देती है। समतावादी समाज के लिए हमें स्कूलों और सामान्य शिक्षा का विस्तार करना होगा। हम देखते हैं जो महान लोगों द्वारा जो परिष्कृत और उन्नति ज्ञान अर्जित किया गया है वह अधिकतर सामान्य शिक्षा पद्धति से अर्जित किया गया हैं जिसकी इस देश में अब बहुत उपेक्षा की जा रही है। जन-शिक्षा की पूर्व-शर्त ही हमारे देश में शिक्षा की एक ही पद्धति लाने की होगी। यह एक चुनौती है। यदि इस बात को हम गम्भीरता लेते हैं तो हमें लोगों का वास्तविक और सार्थक आंदोलन चलाने के लिए ठोस कदम उठाने हैं।

हमारे समक्ष क्या आँकड़े हैं ? मैं यूनेस्को के दस्तावेज से उद्धृत कर सकता हूँ, मैं इन्हें नेशनल आड्डिट एजूकेशन प्रोग्राम न्यूजलैटर, नवम्बर दिसम्बर, 1979 और जनवरी-फरवरी, 1980, से उद्धृत करता हूं, इसमें उन्होंने लिखा है !

विश्व के कुल 21.7 प्रतिशत की तुलना में अफ्रीका और अमेरिका, दोनों में 15-19 वर्ष की आयु के अनपढ़ों की संख्या में 26 8 प्रतिशत की भारी कमी हुई है···और क्रमश: 1970 और 2000 के बीच 7.7% से 1.9% तक की कमी होगी। दुर्भाग्य से एशिया में इस प्रकार के

आंकड़ों से, 55% से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि का पता चलेगा जिसका मुख्य कारण भारत में अनपढ़ों की संख्या में वृद्धि होना है।

इसने इस स्थिति को बढ़ा दिया है जबकि यूनेस्को इस पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही का आहवान जरूरी समझता है। विश्व में निरक्षरता कम करने सम्बन्धी किसी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही को भारत पर विशेष ध्यान देना चाहिये।"

हमें इसके सम्बन्ध में क्या सोचना चाहिये ? हमें क्या आहवान करना चाहिए ? इसकी क्या जरूरत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बजट में, अब तक इस बात का पता चल गया है, जन शिक्षा, सामान्य शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर कम बल दिया जा रहा है और उसकी अवहेलना की जा रही है। यह कभी भी इस दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता कि हम निरक्षरता का उन्मूलन करना चाहते। कि हम निरक्षरता को समाप्त करना चाहते हैं, वह भी उचित रूप से नहीं दर्शाया गया है। हमारे यहाँ 16 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी कानून हैं परन्तु इसे कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा है। अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने में हमारे समक्ष क्या रुकावट है ? इन रुकावटों का सावधानी से अध्ययन किया जाना है। हमें मालूम है कि इस सरकार ने और पूर्ववर्ती सरकार ने भी दोपहर का भोजन, मुफ्त कपड़े, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और माता पिता की सहायता के रूप में वजीफा देना शुरू किया था। परन्तु इन सुविधाओं की भाभा पर्याप्त नहीं है। किसानों के 70% अनपढ़ बच्चों को इन सुविधाओं की आवश्यकता है। परन्तु हम ये सुविधायें देने में सक्षम नहीं हुए हैं। अब साधनों को जुटाने का प्रश्न आता है। हम इतना धन कहाँ से लायें ? यह सबसे बड़ी रुकावट होगी। परन्तु जैसा कि पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा कहा गया है, हम कह सकते हैं कि कुछ एकीकृत दृष्टिकोण जरूरी है। अकेला यह मंत्रालय अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। सरकार को आर्थिक अधिकार और लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रभावपूर्ण आर्थिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसके बाद जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का प्रश्न आता है। परन्तु फिर मुद्दा यह है कि इस देश में जहाँ 70% लोग अनपढ़ हैं और आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन की कोई गारंटी नहीं है तो हम परिवार नियोजन में भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। गरीबी के कारण ही हमारी जनसंख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो रही है। यदि हम जनसंख्या को कम करना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में नियोजित परिवार चाहते हैं, तो हमें जहां भी जरूरी होगा वहीं परिवर्तन करना होगा। यह सब किया जाना है और सभी लोगों को शिक्षा दी जानी है।

अन्यथा, हम अधिक प्रयास तो कर सकते हैं परन्तु हमें इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी।

दूसरे मुद्दे के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि हम देश में शिक्षा केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार रही है। यह हमारे देश की शिक्षा की व्यवस्था से देखा जा सकता है। निहित स्वार्थी लोग शैक्षिक संस्थानों और धार्मिक लोगों का भी नियंत्रण करते हैं। हमें यह देखकर हैरानी हुई कि जाति या धर्म के नाम पर वे स्कूल खोल सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप दिया गया। अल्प संख्यकों की सुरक्षा और बात है और सांम्प्रदायिक भावनायें बढ़ाना कुछ और इस अल्प संख्यक स्वरूप का क्या अर्थ है ? इसका क्या मतलब है ? हम नहीं समझ सकते। और फिर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

भी है। ये सब संस्थाएं देश के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के प्रतिकूल हैं। हमें ये सब संस्थायें समाप्त करनी हैं और कुछ परिवर्तन करने हैं।

अब मैं शिक्षा के विषय पर आता हूँ, पिछले दिन हमने नकली दवाइयों, भयप्रद नैतिक पतन पर बहस की थी। परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं? मुझे बताया गया कि किसी समाजवादी देश में कोई प्रतिनिधि मंडल गया, वे वहां छात्रों से मिले व उत्सुकतावश वहां पर छात्रों से पूछा, "यदि आप 1 किलो सेव 5 रु० में खरीदें व फिर इसे 10 रु० के हिसाब से बेच दें तो आप कितना मुनाफा कमायेंगे। छात्रों ने इस पर उत्तर में कहा कि यह कैसा प्रश्न है और कहा कि हम इस पर बैठक में विचार करेंगे, उन्होंने अपनी बैठक की और बाद में उत्तर दिया कि 'ऐसा करने को 5 वर्ष की जेल हो जाएगी,' हमारे देश में क्या स्थिति है? यदि हमारे बच्चे ऐसा कहने लगें, तो उन्हें शून्य अंक मिलें? हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे ह यह हमारी शिक्षा प्रणाली से ही प्रदर्शित होता है।

यह कहा गया कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाया जा सकता है, हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार को यह सुझाव देना चाहिए कि पाठ्यक्रम वैज्ञानिक पद्धति पर बनाया जाए, इसका यह अर्थ कभी नहीं लगाया जा सकता कि वह राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। शिक्षा राज्य सूची में ही रहनी चाहिए और केन्द्र को चाहिए कि वह उन्हें उचित मार्ग निर्देश दे, यह आवश्यक है।

अब मैं मातृभाषा के प्रश्न पर आता हूं।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : अब आप अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें, दो-चार मिनट के बाद अपनी बात समाप्त करें।

हमने त्रि-भाषा फार्मूले की बात सुनी है। मैं सिद्धान्ततः त्रिभाषा फार्मूले के विरुद्ध हूँ। हमें एक भाषा फार्मूला तैयार करने का सुझाव देना चाहिए, जोकि मातृभाषा है, जिसे प्रत्येक को सीखना चाहिए और वही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, मेरा तर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति जितनी भाषायें सीख सके, सीखे और इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। हमें सभी संस्थानों में इस सम्बन्ध में यथा संभव सुविधायें प्रदान करनी चाहिए, प्रत्येक अपने बच्चों को यथा संभव अधिक से अधिक भाषायें सिखाना चाहेगा, उन्हें भाषा चुनने का अधिकार होना चाहिए। (**व्यवधान**) जैसा कि पूछा गया है राष्ट्रीय-भाषा के बारे में मेरा कहना है कि अगर हम अन्य-भाषाओं को पर्याप्त सम्मान दें तभी हम राष्ट्र भाषा के बारे में कुछ कर सकते हैं। हिन्दी में देश की राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता है। जिस तरीके से यह किया जा रहा है वह उचित नहीं है। मैं भी हिन्दी सीखता हूं, लेकिन बात यह है कि सब भाषाओं को सम्मान देना होगा. माडर्न इंडियन लेंग्वेजिज में हिन्दी भी आती है। इसको हमने अभी से नहीं देखा तो कठिनाई पैदा हो जाएगी, लोकतंत्र में हमें किसी भाषा-विरोध को विशेष तरजीह नहीं देनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं मातृभाषा की बात करता हूं, मुझे यह बताया जाता है कि हमने इसे स्वीकार किया है। पर मैं कहता हूँ कि यह सिर्फ कागजों पर ही होता है।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें। क्षमा करें, जहां तक आपके

दल का सम्बन्ध है, निर्धारित समय से बहुत अधिक समय हो गया है, आप शिक्षा और विज्ञान व अनुसंधान के सभी पहलुओं की बात नहीं कर सकते हैं, आप एक मिनट और लगाकर अपनी बात खत्म करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तकनीकी शिक्षा के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इसे बहुत ही कम वरीयता दी जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना का ही उदाहरण लें, इसका प्रावधान 13.9 प्रतिशत था और दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में यह क्रमशः 19.8% और 24% था। छठी पंचवर्षीय योजना में यह केवल 11% था। हमें सभी क्षेत्रों में धन लगाना चाहिए। नये ज्ञान के प्रसार के लिए पर विज्ञान और अनुसधान के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हम पाते हैं कि हमारे शिक्षित लोग नौकरियां पाने में असमर्थ हैं। समय सीमा देखते हुए मैं केवल अपने सुझाव दे रहा हूँ। मैं परिसर में हो रही अराजकता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आप उन बातों मात्र उल्लेख करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं यही कह सकता हूँ कि यदि हम छात्र संगठनों के अधिकारों का समाप्त किए बिना लोकतंत्र ढंग से कार्य करें तो परिसर में इस तरह की अराजकता व हिंसा की इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

महोदय निष्कर्ष रूप में मैं सरकार से निम्नलिखित कुछ मांगे करता हूँ—

1. शिक्षा-मौलिक अधिकार
2. पब्लिक स्कूलों को बन्द किया जाना
3. शिक्षा के लिए केन्द्र से कम से कम 10 प्रतिशत व राज्य के बजट से 30 प्रतिशत
4. शिक्षा राज्य सूची में
5. मातृभाषा में शिक्षा
6. वैज्ञानिक, सृजनात्मक और धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम
7. प्रबन्ध का लोकतंत्रीकरण
8. उच्च आय वर्ग में उत्तरोत्तर शिक्षा पर उपकर लगाना
9. कृषि मजदूरों, श्रमिक वर्ग और गरीबी की रेखा से नीचे अन्य लोगों के आश्रितों को सरकार की पूरी देखभाल में रखा जाना चाहिए।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, राष्ट्र का भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है। यह हमें खुशी है कि भारत सरकार ने शिक्षा को समवर्ती सूची में ले लिया है। लेकिन इससे जितना पर्याप्त लाभ होना चाहिए अभी प्रयोग रूप में वैसा नहीं पाते हैं। जहां तक प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है प्रादेशिक सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा यह काम ठीक से नहीं होता है। शिक्षकों की बदली और नियुक्ति में बिहार में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी खुले आम शिक्षकों से घूस लेते हैं। अगर यह स्थिति रही तो शिक्षकों से यह आशा करना कि वह विद्यार्थियों का

नैतिक स्तर उठा सकेंगे असम्भव है। इसलिए सरकार को चाहिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक अपने हाथ में ले तभी शिक्षा विभाग में पर्याप्त सुधार हो सकता है। जिस प्रकार अन्य सेवाएं अखिल भारतीय स्तर पर हैं उसी प्रकार अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का भी प्रावधान होना चाहिए। और विश्वविद्यालय में जो नये कुलपति होते हैं उनका उस प्रदेश का न होना अच्छा है क्योंकि स्थानीय राजनीति से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय के ऊंचे आदर्श में गिरावट आती है। जैसे बिहार विश्वविद्यालय को देखें, अभी माननीय श्री सत्येंद्र नारायण सिंह ने कहा कि राज्यपाल महोदय ने उसमें हस्तक्षेप किया बिहार विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति में हस्तक्षेप किया है और वहां के उप-कुलपति के आचरण को उन्होंने दोषपूर्ण माना है। ऐसे उपकुलपति को शीघ्र हटाने की माँग करता हूं। इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा सेवा हो जाय और प्रदेश से बाहर का उप-कुलपति आये तो प्रादेशिक वातावरण से प्रभावित न होने के कारण, शिक्षण संस्थाओं का वातावरण स्वस्थ और सुन्दर होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नये वेतनमान की सिफारिश नहीं की। मंहगाई बढ़ने से शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है। इसलिए जहाँ भारत सरकार के अन्य विभागों में वेतन में सुधार किया गया है उसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी शिक्षकों के वेतन में सुधार करे।

जैसे ग्रामीण विकास से सम्बद्ध संस्थानों में दान दाताओं को आय कर में छूट दी गई है वैसे ही प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में इस प्रकार की छूट दान दाताओं को दी जाय जिससे वह खुलकर दान दे सकें और टेक्नीकल इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी, मेसरा में है, सरकार ने केवल 1.2 प्रतिशत ही अपने बजट का शिक्षा के लिए प्रावधान किया है, जो पर्याप्त नहीं है तो जब तक बाहर से लोग संस्थाओं को पैसा नहीं देते तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकेगा। बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है वहाँ टेक्नीकल ऐजूकेशन की आवश्यकता है ताकि टेक्नीकल इंस्टीट्यूट अधिक खुल सकें और जो अभी है वह स्वस्थ रहे इसके लिए लोगों को आयकर में छूट दी जाय। दान दाताओं को ऐसा करने से वहां के लोगों को लाभ मिल सकेगा। वहाँ के डायरेक्टर डा० एच० सी० पाण्डेय जी से मुझे बात करने का मौका मिला, वह एक बड़े ही विद्वान उद्यमी कर्मठ और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। टैक्निकल एजूकेशन को बिहार में अधिक विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा माना कि इस प्रकार की अगर सुविधा मिल सके तो हमारे बिहार प्रदेश में टेक्नीकल एजूकेशन का काम बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा।

एक बात और है कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी परमावश्यक है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हम देखते हैं कि किसी न किसी बहाने योग्य शिक्षकों की उपेक्षा होती है और उन पदों पर उचित माप-दंड के लोग नहीं आते हैं। यह समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा संस्थाओं में अगर योग्य शिक्षक नहीं आते तो वैसी हालत में लड़कों का जीवन-निर्माण भली भांति नहीं हो सकेगा। इसलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

एक निवेदन यह भी है कि जैसे नारी शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा का प्रसार, विकास और सुविधा जितनी शहरों में है उतनी देहातों में नहीं मिल पाती है। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी हैं और आज हमारी शिक्षा मंत्री भी

श्रीमती शीला कौल हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बच्चियों की शिक्षा का आप इंतजाम करें देहात में भी। केवल शहर की बच्चियों को पढ़ाकर ही हम देश का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकेंगे।

हमारे बिहार सरकार ने प्रदेश में ऐसा निर्णय किया है कि प्रत्येक ब्लाक में प्रखंड में एक गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना करें, लेकिन हमारे बिहार में एक ब्लाक की आबादी कम-से-कम 3 लाख की है। 3 लाख पर एक गर्ल्स हाई स्कूल खोला जाए, एक कन्या विद्यालय की स्थापना की जाए, इससे काम नहीं चलेगा। इस तरह से हम कितने प्रतिशत बच्चों को पढ़ा सकेंगे। मेरा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में सुधार लायें और इस स्वतंत्र भारत की बच्चियों को और अधिक मूर्ख और अशिक्षित न रहने दें। गाँव की बच्चियों को भी पढ़ने का मौका दें। स्वतंत्र भारत का लाभ उन्हें भी मिले, इस प्रकार से देश का सम्यक और सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

अन्य विभाग के लोगों को रेलवे में यात्रा करते समय रियायत दी जाती है, लेकिन कालेजों के शिक्षक अगर दूर यात्रा पर जाते हैं तो उनको यह सुविधा नहीं दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि कालेज के शिक्षकों को भी यह सुविधा दी जाए और इस प्रकार से कालेज के शिक्षकों के जीवन में उपयुक्त सुधार लाया जाये।

नेहरू युवा केन्द्र की चर्चा की गब है। लेकिन हमारे बिहार के छपरा इलाके में नेहरू युवा केन्द्र ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए उसमें सुधार लाना आवश्यक है।

माननीय श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने कहा कि अधिक विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वह वहाँ शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने खुद ही अपने भाषण में अभी कहा है कि गया में मगध विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। जब हमारे मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि यहां पर 4 विश्वविद्यालय खोखे जायें तो उन्होंने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार पिछड़ा हुआ प्रदेश है जहां पर विश्व-विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है, वहां सहसरा बिहार का कालापानी कहा जाता है। वहाँ के लोग भागलपुर या दरभंगा में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए, पोस्ट ग्रैजुएट शिक्षा के लिए जाते हैं, उनको बहुत दूर नदियाँ पार करके जाना पड़ता है, आवागमन के साधन नहीं हैं।

सभापति महोदय : आपका कहना है कि जहाँ-जहाँ कालापानी जैसी जगह हो वहीं चुनकर विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें ?

प्रो० सत्यदेव सिंह : सभापति जी, आप बिहार के रहने वाले हैं, सहरसा को अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना पिछड़ा इलाका है, घनी आबादी का इलाका है, इसलिए आग्रह करता हूँ कि मुख्यमंत्री और बिहार सरकार का प्रस्ताव है कि सहरसा में··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कोसी को बाँधा जाये, मैं इस प्रयास में घूमता रहा हूँ, अब सहरसा शहर जैसा बन गया है। अब आप बोलें।

प्रो० सत्यदेव सिंह : सहरसा का अपना महत्व है। आज भी वहाँ से कोई विश्वविद्यालय मुख्यालय 100 मील से कम दूरी पर नहीं है।

हजारी बाग जो आज हमारा आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ दक्षिण बिहार में केवल राँची में विश्वविद्यालय है। हजारी बाग का बिहार सरकार व मुख्य मंत्री का प्रस्ताव हमारे लिए स्तुत्य है और श्रेयस्कर है। मैं चाहता हूँ कि हजारी बाग में दूसरा विश्वविद्यालय खोला जाये।

तीसरा विश्वविद्यालय छपरा में खोलने का प्रस्ताव है। छपरा राजेन्द्र बाबू की जन्म-भूमि है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है। सर्व-साधारण की मांग है कि छपरा में जो बिहार का ही नहीं भारत का, विश्व का सबसे घनी आबादी का इलाका है, जहां के लोग बड़े गरीब हैं, जमीन कम है, संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर लोगों को पढ़ने के साधन नहीं हैं, अगर एक विश्वविद्यालय छपरा में हो जाये जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू का जन्म-स्थान है, अगर वहाँ राजेन्द्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इससे लोगों का बड़ा भला होगा।

छपरा में वह विश्वविद्यालय राजेन्द्र बाबू के जीवन, चरित्र और आदर्श के अनुसार काम करेगा और वहाँ के विद्यार्थी उनके जीवन से प्रेरणा ले कर जीवन के कर्म-क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के मुख्य मंत्री का विश्वविद्यालय सम्बन्धी जो प्रस्ताव है, उनकी जो मांग है, वह सर्वथा उचित है और मैं उसका प्रबल समर्थन करता हूं। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, उसके अनुसार शिक्षा का प्रसार और विकास भी अनिवार्य है। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह बिहार की इस सार्वजनिक माँग पर कृपा पूर्वक ध्यान दे और नारी शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की सर्वाधिक व्यवस्था करें। हम उनके बड़े आभारी होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का प्रबल समर्थन करता हूं।

श्री गुफरान आजम (बेतुल) : सभापति महोदय, पिछले कई दिनों से आनरबल मेम्बर साहबान शिक्षा मंत्रालय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पिछले पच्चीस तीस सालों से इस सदन में शिक्षा मन्त्रालय पर चर्चा होती रही है, हमें कई आश्वासन मिलते रहे हैं, कशीशन बनते रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स पर काफी धूल चढ़ गई होगी।

प्राइमरी स्कूल, हायर सैकंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में जो बातें अब तक कहीं जा चुकी हैं और जो आँकड़े दिये जा चुके हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद घंटी बजा देंगे।

सभापति महोदय : मैं कंजूस सभापति नहीं हूं। आप अपनी बात कहिए।

श्री गुफरान आजम : यह बहुत लम्बा विषय है।

सभापति महोदय : यह तो ठीक है। आप इस पर कुछ नई रोशनी डालिए।

श्री गुफरान आजम : मैं मारल एजूकेशन के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। हमारे कई आनरेबल मेम्बर साहबान ने बताया है कि मारल एजूकेशन की क्या रूप-रेखा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : इसके सम्बन्ध में शायद डागा साहब भी कुछ कहेंगे।

श्री गुफरान आजम : हमारी सिक्षा का मारल एजूकेशन से काफी सम्बन्ध है। जब हम बात करते हैं कम्युनल हारमनी की और इस देश से फिरकापरस्ती को दूर करने की, तो फिर मैं नहीं समझता कि शिक्षा मंत्रालय ने सब धर्मों की मारल एजूकेशन को एक कम्पलसरी सबजेक्ट के तौर पर सिलेबस में शामिल क्यों नहीं किया। मेरी राय है कि मारल एजूकेशन एक कम्पलसरी सबजेक्ट होना चाहिए और उसमें देश के सब धर्मों की अच्छी-अच्छी बातें होनी चाहिए।

उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि कुरान कहता है कि हमने हर हर जगह, हर हर जमाने में अपना अवतार भेजा, तुम किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को बुरा न कहो, इस लिए तुम्हें नहीं मालूम कि उनमें कौन हमारा भेजा हुआ है। इसी तरह गीता में भी यह बात कही गई है कि जब जब दुनिया में पाप ज्यादा हुए, तब तब हमने नए अवतार का जन्म लिया।

आज-कल के जमाने में चाहे विजिनेस क्लास के लोग हों, चाहे सर्विस क्लास के लोग हों और चाहे पालिटीशन्ज हों, किसी को इतना समय नहीं है कि वह बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सके, हालांकि सब के मन में और आत्मा में यह चुभन है कि बच्चों को धर्म की बात सिखानी है। वे क्या करते हैं ? जिसको देखा कि तिलक लगाए हुए है, तो समझ लिया कि बहुत बड़ा पण्डित है, जिसको देखा कि दाढ़ी है, तो मान लिया कि बड़ा मौलवी है, जरूर धर्म सिखाएगा। ऐसे पण्डित और मौलवी के माध्यम से लोगों को धर्म की शिक्षा दी जाती है। वह शिक्षा कैसी दी जाती है, उसके बारे में मैं अपने घर का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक रोज अपने बड़े भाई के घर गया। हमारी फैमिली कोई कम्युनल फैमिली नहीं है। लेकिन छोटी बच्ची मुश्किल से-8 साल की थी, वह किसी बच्चे से बात करती थी कि फलाने से बात मत करो, वह गन्दा है, हिन्दू है। मैंने उसको बुलाकर पूछा तुम्हें यह किसने बताया तो उसने कहा वह जो मौलवी साहब पढ़ाने आते हैं उन्होंने कहा है। इसलिए इस देश में जो अनपढ़ मुल्ला, अनपढ़ मौलवी और अनपढ़ पण्डित है वे सबसे ज्यादा कम्युनल और फिरकापरस्ती की बातें बच्चों को सिखा रहे हैं।

इसलिए मैं कहता हूं कि एक बात हर व्यक्ति के मन में है चाहे वे बिजनेस क्लास के लोग हों या पोलिटीशियन्श हों। यहां पर सारे ही पोलिटीशियन्स बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि किस के पास समय है लेकिन पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं स्कूल में ही बच्चा ऐसी बातें जो हैं उनको बचपन में ही पढ़ ले। फिर बाद में चाहे कोई मुल्ला हो, मोलवी हो या पण्डित हो या फिर चाहे आर० एस० एस० के शिशु मन्दिर ही हों—वे कितनी भी कोशिश कम्युनल बनाने की करलें, हमारे बच्चे कभी भी कम्युनल नहीं बन सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कंपलसरी बनाकर इसकी एजूकेशन देने की व्यवस्था करें।

शिक्षा विभाग में ही स्पोर्टस की बात भी आ जाती है। आप इसी साल एशियन गेम्स कराने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हाकी का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो चुका है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 70-80 करोड़ के देश को ओलम्पिक गेम्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिलता

है। शर्म के साथ हमारी गर्दन झुक जाती है। यह इतना बड़ा देश है। शिक्षा मन्त्रालय की ओर से बताया जाता है कि हम इतने डाक्टर बना रहे हैं, इतने इन्जीनियर बना रहे हैं लेकिन इतना बड़ा देश होने के बावजूद हम ओलम्पिक्स से एक भी गोल्ड मेडल नहीं ला सकते। हाकी में एक गोल्ड मेडल आया करता था, वह भी अब बन्द हो गया है। हाकी में भी हम पांचवें-छटे स्थान पर आ गए है। इसका दोषी मैं शिक्षा विभाग को मानता हूं। मैं इसके लिए उदाहरण भी देना चाहूंगा। आज हमारा स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स में लगातार डाउन होता जा रहा है। जब कभी यहां पर कोई बात होती है तो कह दिया जाता है वह स्टेट सब्जेक्ट है। मैं कहना चाहूंगा कि चाहे प्राविंशियल सरकारें हों या सेन्टर की सरकार हो, स्पोर्ट्स के नाम पर एक नया पैसा भी किसी स्कूल में शिक्षा बिभाग के द्वारा खर्च नहीं किया जाता है।

आज स्पोर्ट्स के मामले में हमारा स्टैण्डर्ड क्यों डाउन हो रहा है, इस सिलसिले में मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेकर बताना चाहूंगा। इसकी डेप्थ में जाकर हमें देखना चाहिए कि हमारा स्टैण्डर्ड डाउन होने का रीजन क्या है। जहां तक हाकी का सवाल है, आज एक स्टिक 70-80 रुपए में आती है और एक हाकी की बाल 30-40 रुपए में आती है और वह भी मीडियम क्लास की। हाकी प्लेक्स ज्यादातर लोवर मिडिल क्लास के होते हैं। वे खुद अपने पास से स्टिक या बाल खरीद नही सकते हैं। किसी स्कूल में मान लीजिए 500 बच्चे हैं, वहां पर स्पोर्ट्स फीस के नाम पर 50 पैसे महीने हर लड़के से वसूल किये जाते हैं। इस तरह से एक स्कूल में साल भर का स्पोर्ट्स का बजट 2,500 रुपए का होता है। इसमें हाकी, फुटबाल, कबड्डी, वाली-बाल, सभी खेल खेलने होते हैं। हमारे शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि ओलंपिक्स में जाने के लिये हमारी हाकी की टीम कैसे बनती है। जो स्टैण्डर्ड डाउन हो रहा है उसका कारण यह है कि स्कूल्स में सिर्फ एक दिन ही हाकी होती है जिस दिन इन्टर-स्कूल्स होते हैं। आपने स्कूल में पी० टी० आई० से 2,500 रु० का बजट साल भर के लिए होता है 500 लड़कों के लिए। इंटर-स्कूल्स के मौके पर जरूर पी० टी० आई० कहता है कि हाकी खेलनी है वरना पूछा जा सकता है कि तुम्हारे स्कूल की टीम क्यों नहीं आई।

इसके बावजूद कुछ स्कूलों की टीमें नहीं हिस्सा लेती हैं। फिर इन्टर कालिजिएट होते हैं जहाँ पर मुश्किल से दो दिन ही हाकी खेली जाती है। इन्टर-कालिजिएट के बाद कम्बाइन्ड यूनिवर्सिटी टीम बनती है। कम्बाइन्ड यूनिवर्सिटी टीम से हिन्दुस्तान की टीम बताती है जो कि ओलम्पिक्स में खेलने के लिए जाती है। स्पोर्ट्स पर जहां आप इतना खर्च कर रहे हैं कि एशियन गेम्ज कराने जा रहे हैं, हाल में वर्ल्ड-कप मैचेज कराये हैं, वहाँ आप इतना जरूर कीजिये कि स्कूलों में बच्चे जो स्पोर्ट्स के लिए पैसा देते हैं उतनी ही ग्रांट शासन की तरफ से दी जानी चाहिए।

मैंने दो निवेदन आप से किये हैं—एक मोरल एजूकेशन के बारे में और दूसरा स्पोर्ट्स के बारे में—मुझे उम्मीद है आप इन पर जरूर विचार करेंगी। आप देश की शिक्षा मन्त्री हैं, खुद बहुत समझदार हैं—मैं आशा करता हूं आप इन बातों को नोट कर के जरूर कुछ न कुछ करवायेंगी।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, संविधान के आर्टीकल 45 में

निर्दिष्ट डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स की बहुत से सदस्यों ने चर्चा की है और कहा है कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की जाय। पहले 1961 तक की योजना थी, फिर 1971 हुआ, उस के बाद 1981 रखा गया और अब 1991 तक करने का विचार है, मैं ऐसा समझता हूं यदि 1991 तक भी ऐसा हो जाय तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे इस में आशंका है। आज देश में 4 लाख 74 हजार 636 प्राथमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में जो कमियां हैं उन कमियों के साथ क्या यह सम्भव होगा कि 1991 तक हमारा जो घोषित लक्ष्य है वह पूरा हो जायगा ? शायद कोई चमत्कार आप ला रहे हैं—अनौपचारिक शिक्षा के रूप में। सभापति जी, पैसे की कमी बतला कर पुनर्वास बस्तियों और दूर देहात की बस्तियों में नये प्राथमिक स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। एक तरफ तो पैसे की कमी बतला कर स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो धनिक वर्ग है, उन के बच्चों के लिए, उन के लाड़लों के लिए, पब्लिक स्कूल, जिनमें पैसे की कभी कमी नहीं होती है, लगातार खुलते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में थके-हारे लोग, अभाव का जीवन जीने वाले लोग, पढ़ाते हैं उन में बहुत से अप्रशिक्षित लोग भी हैं। मेरा अनुमान है—23 प्रतिशत लोग अप्रशिक्षित हैं लेकिन पब्लिक स्कूलों में चूंकि पैसे की कमी नहीं है योग्य शिक्षक अच्छे ढंग से, सारी सुविधाओं के साथ पढ़ाते हैं। आज तक ऐसा होता रहा है—जिनके बच्चों को भविष्य में शासक बनना होता है, यानि धनी वर्ग के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिलती रही है, पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाते रहे हैं, लेकिन जिनको शासित बनना है, गरीब वर्ग के बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूलों में होती रही हैं।

अब तीसरा आप यह चला रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा के रूप में। अभी तक अच्छी शिक्षा केवल धनी वर्गों के बच्चों को देने का आप का प्रोग्राम था और निम्न कोटि की शिक्षा शोषित वर्गों के बच्चों को दी जाती थी। इस कार्यक्रम में आप ने इस लक्ष्य को रखा था। आप सीधे सीधे कह दीजिए कि अनौपचारिक शिक्षा से हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपना कार्यक्रम बदलने जा रहे हैं सब सोच रहे हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़े ही क्यों इसलिए उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा है, जिसमें कभी कभी आप दलील देते हैं, फिलिप्स कूंवस, इवान इलिच की जोकि अनावश्यक है और गलत प्रयोग है इस सन्दर्भ में। मैं कहना चाहता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, तो यह तभी सफल हो सकेगा जब यह स्कूली शिक्षा संस्थागत शिक्षा के साथ साथ विकसित हो और दोनों एक दूसरे के पूरक हों। यह नहीं होना चाहिए कि सस्थागत शिक्षा के बजाए आप अनौपचारिक शिक्षा दे दें और यह सोचें कि हम ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

सभापति महोदय : मेरा निवेदन यह होगा कि केवल जो मुख्य बिन्दू हैं, उन्हीं पर आप चर्चा करें क्योंकि समय कम है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मुख्य प्वाइंट्स पर ही बोलूंगा। स्कूल वर्ग शिक्षा के विकास के लिये एन० सी० ई० आर० टी० नाम की संस्था आप ने बना रखी है। मैं इस संस्था के बारे में कुछ तथ्य यहां सामने लाना चाहता हूं हालांकि इस की चर्चा पहले भी हो चुकी है लेकिन मुझे पता नहीं कि इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है या नहीं। मैं कुछ मुद्दे आप के सामने रखना चाहता हूं।

एन० सी० ई० आर० टी० में 800 शिक्षा-विदों ने एक साल के परिश्रम के बाद जो 24 शोध ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, उनके नाम सुन लीजिए। एक ग्रन्थ है, एन० आई० गैस्ट हाउस-महमानों के लिए सूचना 800 शिक्षा-विदों ने साल भर परिश्रम कर के यह ग्रन्थ प्रकाशित किया है।

दूसरा है : "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विनियम"

और तीसरा है : "संगठन के ज्ञापन व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के विनियम" इसी का एक उदाहरण और है : "फिल्मों की सूची" यह साल भर का परिश्रम है इन लोगों का।

सभापति महोदय : यह बहुत बड़ी डिसकवरी है ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : 800 शिक्षा-विदों ने एन० सी० ई० आर० टी० में एक साल परिश्रम कर के यह शोध ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं। एक बात और है, शिक्षा मन्त्रालय की मांगों पर बहस अप्रैल में शुरू हो रही हैं और एन० सी० ई० आर० टी० शिक्षा मन्त्रालय के साथ और इस संसद के साथ अप्रैल फूल खेले हैं और वह यह है कि एन० सी० ई० आर० टी० ने नवम्बर 1981 में जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कराई है, उस में यह कहा गया है कि प्रकाशित होने वाले जर्नल अधिक परिष्कृत हो कर प्रकाशित हो रहे हैं। अब प्रकाशित होने वाले जर्नल का उदाहरण आप देखिये, जो अधिक परिष्कृत हो कर प्रकाशित हो रहें हैं नवम्बर 1981 के बाद। 'एजूकेशनल रिव्यू" नामक जर्नल जनवरी 1980 के बाद से अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 'स्कूल साइसेज' दिसम्बर, 1980 के बाद से अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 'जर्नल आफ इण्डियन ऐजूकेशन' जनवरी, 1871 के बाद से प्रकाशित नहीं हुआ है 'प्राइरी टीचर्स' जो है जुलाई 1980 के बाद से उस का कोई अंक नहीं निकला हैं और 'प्राइमरी शिक्षक', का अप्रैल, 1980 के बाद से कोई अंक नहीं निकला है जबकि 4 नवम्बर, 1981 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि जितने भी जर्नल हैं, वे अधिक परिष्कृत कर के प्रकाशित किये जा रहे हैं। तो यह आपके प्रकाशनों का हाल है।

एन० सी० आर० टी० की पाठ्य पुस्तक का क्या हाल है, उसे भी सुन लीजिए। एन० सी० आर० टी० में एक गणित का शिक्षक नियुक्त कर के गणित की पाठ्य पुस्तक तैयार करायी गयी। सौ पृष्ठ की पुस्तक तैयार हुई जिसने 60 पृष्ठ शुद्धिपत्र हैं और शुद्धिपत्र के भी शुद्धिपत्र हैं।

सभापति महोदय : मैं भी इसके बारे में सुनना चाहता हूं और भी माननीय सदस्य शायद सुनना चाहते हैं लेकिन समय कम है। इसलिए मैं आप से भी कहूंगा कि जो बातें अपूर्ण रह गयी हैं वे आप मिनिस्टर को लिख कर भेज दें।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपके साइन्स टेलेंट एग्जामिनेशन का हाल जो है उसके बारे में मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके साइंस टेलेंट एग्जा-मिनेशन में ऐसी क्या बात है कि उसमें अधिकतर बच्चे या तो दिल्ली के कम्पीट कर पाते हैं या फिर दिल्ली के बच्चों में भी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चे ही अधिकतर कम्पीट करते हैं। ऐसी क्या खराबी है की अन्य बच्चे उसमें कम्पीट नहीं कर पाते।

मैं आई० आई० टी० की चर्चा करना चाहता हूं। आई० आई० टी० के जिन बड़े बड़े और ऊँचे ऊँचे लक्ष्यों की घोषणा की गई थी, उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कितने लक्ष्य पूरे हुए हैं। एक यहां आई० आई० टी० की रिपोर्ट है जिनमें आई० आई० टी० में शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए आरक्षण का उल्लेख है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आई० आई० टी० में आरक्षण कोटे में एडमीशन लिया है और उनमें से कितने बच्चे सफल हो कर निकले हैं ? मैं समझता हूं कि शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के सफल बच्चों की संख्या बहुत थोड़ी होगी क्योंकि अधिकतर बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं और जो कुछ दिन रह जाते हैं उन्हें आत्म हत्या करनी पड़ती है। मैं आप आरक्षण के तहत बहुत मजबूरी में बच्चों का एडमीशन करते हैं और जब वे वहां आते हैं तो उनको हमेशा यह अहसास कराया जाता है कि तुम में और लोगों से कम योग्यता है, तुम्हारा विशेष परिस्थिति में एडमीशन हुआ है। इसका परिणाम यह होता है कि जिस तरह से उनका विकास होना चाहिये वह नहीं हो पाता और वे बच्चे बीच में ही अपनी शिक्षा समाप्त कर बैठते हैं।

आप आई० आई० टी० में एक-एक विद्यार्थी पर 16-16 हजार रुपए प्रतिवर्ष खर्च करते हैं। आप राज्यों के इंजीनियरिंग कालेजों के विद्यार्थियों का प्रतिशत देखिए कि क्या आता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। हमारे बिहार के इन्जीनियरिंग कालेजों के लिए बिहार सरकार ने 191 लाख रुपए की मांग की लेकिन इस साल में आपने केवल 110 लाख रुपये मंजूर किए। अब 110 लाख रुपये में छह इंजीनियरिंग कालेजों में निकालिए कि प्रति विद्यार्थी कितना खर्च आता है। इस मामले में माननीय सत्य देव सिंह ने जो सुझाव प्रस्तुत किया है कि कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि इण्डस्ट्रियल हाउसिज जो हैं वे इन्जीनियरिंग शिक्षा के लिए कांट्रीब्यूट करें। अगर इसके लिए भी ग्रामीण विकास पर वर्ग खर्च की गई की भांति टेक्स रिबेट दे दी जाए तो यह काम पूरा हो सकता है।

हमारे पहले वक्ता ने एशियाड की चर्चा की है। एशियाड पर आप कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, यदि दिल्ली को सजाने-सवारने आदि का पूरा खर्च देखा जाए तो यह 600 करोड़ रुपए होता है। यदि इस राशि का छोटा सा अंश उचित राष्ट्रीय खेल नीति बनाने में खर्च किया जाता तो यह अधिक सार्थक होता। सिर्फ अधिक रुपया खर्च कर देने से उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। उसके परिणामस्वरूप पान सिंह जैसे लोग पैदा होंगे जो एशियाड में नाम तो कमा लेंगे, लेकिन उचित नीति के अभाव में डाकू बनने के लिए ही अंत में रह जाएंगे।

इन शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए और अपने तथा सत्य देव सिंह के सुझावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुर) : सभापति महोदय, यह बहुत संतोषजनक बात है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर चालू योजनावधि में सार्थक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। वस्तुतः 1981-82 के मुकाबले 1982-83 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में व्यय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनिवार्य

अंग के रूप में प्राथमिक शिक्षा सबको सुलभ कराने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई जिनकी हम सबको अपेक्षा है व हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तद्नुसार शिक्षा पर समग्र रूप से कुल योजना परिव्यय का 36 प्रतिशत (905 करोड़ रुपये) रखा गया। अतः इसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। मैं मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ क्योंकि जबसे उन्होंने यह पद संभाला है। तब से ही वह शिक्षा के विविध क्षेत्रों को कारगर बनाने के सभी कदम उठा रही है।

एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार को उच्च वरीयता देने की जरूरत है, और वह शिक्षा की व्यावसायिक पद्धति है। तथापि हमने छात्रों को शिक्षा के परम्परागत पाठ्यक्रम से व्यावसायिक धारा में मोड़ने के लिए 10+2+3 पद्धति लागू की पर हम इसमें उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं कर पाये। क्योंकि इस पद्धति को अपनाने वाले छात्रों की प्रतिशत मात्र एक प्रतिशत है जबकि जापान में यह 60 प्रतिशत है और पश्चिम जर्मनी में 50 प्रतिशत से अधिक है। व्यवसायों के ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए जो विश्वविद्यालयों व संस्थानों के बाहर वर्तमान समाज में वास्तविक रूप से मौजूद हों, क्योंकि जिन पाठ्यक्रमों को हम संस्थानों में पढ़ाते हैं वे असल में संस्थानों से बाहर प्रचलित नहीं है, समाज में प्रचलित व्यवसायों और संस्थानों में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षणों में तालमेल होना चाहिए।

इसके अलावा, हमें अपनी शिक्षण-पद्धतियों को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य-श्रव्य साधनों का बहुत उपयोग करना होगा।

इस सम्पूर्ण प्रणाली के व्यावहारिक पहलू को देखते हुए मैं एक साधारण प्रश्न करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण काम किसको सौंपा गया है? यह कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को सौंपा गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को प्राथमिक, माध्यमिक, व्यावसायिक व अध्यापन शिक्षा के क्षेत्रों व इन क्षेत्रों में अनुसंधान व नव-परिवर्तन लाने के उपयोगी परिणामों की प्राप्ति के राष्ट्रीय उद्देश्य सौंपे गए थे। इसके कर्मचारियों में हजारों की संख्या में सहायता के लिए लिपिक वर्ग के अतिरिक्त चालिस से अधिक प्राध्यापक, सैंकड़ों रीडर और लेक्चरार, सैंकड़ों वरिष्ठ व कनिष्ठ अनुसंधान सहायक हैं। इसे 13 करोड़ रुपये के व्यय के साथ सरकार से 7 करोड़ रुपये के अनुदान प्राप्त है। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध मामलों को इस सदन में पहली बार नहीं उठा रहा हूं। मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण की अनियमितताओं और गलत ढंग से संचालन के बारे में इस सदन के समक्ष जुलाई, 1980 में कई मामले उठाए थे और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि रा० शै० अ० प्र० प० में मौजूद उन अनियमितताओं व गलत ढंग से संचालन की जाँच करेंगे और दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए और सम्पूर्ण रा. शै. अ. प्र. प. के उचित संचालन के लिए जांच कराएंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अब मैं कुछ खास मुद्दे मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। शिक्षा मंत्रालय की 1981-82 की वार्षिक रिपोर्ट में रा. शै. अ. प्र. प. के प्रकाशनों, विशेषकर रा. शै. अ. प्र. प. के बारे में कहा गया है कि वे निरंतर बेहतर क्वालिटी में प्रकाशित किए जा रहे हैं। 1981-82 की रिपोर्ट में उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि रा. शै. अ. प्र. प. कुछ पत्र बेहतर क्वलिटी में ला रहा है। परन्तु हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन पत्रों के कोई भी नवीनतम जानकारी उपलब्ध

नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में रा. शै. अ. प्र. प. की रिपोर्ट में मौजूद तथ्यों के अनुरूप न होने वाली निराधार जानकारी कैसे दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा उनका यह कहना है कि उन्होंने बहुत से अनुसंधान कार्य प्रकाशित किए हैं यह सब हास्यस्पद हैं। उन्हें अनुसंधान कार्य कैसे कहा जा सकता है जबकि वे गाइड लाइन्स टू गेस्ट्स या फिल्मों की सूची (केटालाग टू फिल्म्स) आदि से संबंधित हैं। सम्पूर्ण प्रणाली का उपहास करना है। उन्होंने यह घोषणा भी की है कि उन्होंने 10 अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने मानव का मैन्स इटेलिजेंस विद हिज यूरिन से सम्बन्धित एक परियोजना कार्य किया है। शायद उन्होंने इस महान अनुसंधान परियोजना की प्रेरणा पिछली जनता सरकार से ली हो और वे इसके लिए नोबल पुरस्कार की उम्मीद लगाए बैठे हों।

इसके अलावा लोक लेखा समिति ने 1981 के उत्तरार्ध में स्पष्ट शब्दों में यह निष्कर्ष दिया कि असली अपराधियों का पूरे रा. शै. अ. प्र. प. संस्थान का मजाक बना रहे है, पता लगाने और रा. शै. अ. प्र. प. की सम्पूर्ण व्यवस्था शीघ्र सही ढंग से संचालन के लिए जाँच करना जरूरी है।

यह हमारे देश की प्रमुख संस्था है जिसे राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से प्रशंसनीय कार्य सौंपे गए हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह इस कार्य में नितान्त असफल रही है।

मैंने यह भी देखा है कि उन्होंने जो भी पुस्तकें प्रकाशित की हैं उनमें कोई विशेषता नहीं होती है तथा वे उन पुस्तकों को समय पर प्रकाशित नहीं करते हैं। वे उन्हें निरन्तर प्रत्येक पाठ्यक्रम के अन्त में प्रकाशित करते हैं जिससे छात्रों को परेशानी होती है।

मैं एन. सी. ई. आर. टी. के गलत तरीके से कार्य करने के सम्बन्ध में ठोस उदाहरण देता हूं। विकास के माप के प्रतिष्ठित विभाग की आलमारी से विज्ञान प्रतिभा खोज के वर्ष 1980-81 के प्रश्न पत्र परीक्षा होने से पहले गायब हो गये। अब तक निदेशक ने किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के वर्तमान निदेशक के कुछ मित्रों ने पुलिस विभाग, भारतीय इस्पात प्राधिकरण आदि जैसे कुछ विभागों से सीधे सरकारी धन को अपनी जेबों में भरने का एक उत्तम तरीका ढूँढ लिया है। इसके लिए वे उनसे प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए एक निजी संस्था के बतौर पैसा लेते हैं।

सभापति महोदय : आप अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री कुसुम कृष्णमूर्ति : यद्यपि सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कुछ कार्यवाही की है। इसके लिए सरकार ने एक तद्-उद्देश्यीय दल का गठन किया है। दुर्भाग्यवश वर्तमान निदेशक जो बहुत पहले 58 और 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं उन्हें इस परिषद् में रख लिया गया है। ये पाँच वर्ष का अनुचित ठेका उन्हें जनता सरकार द्वारा दिया गया था। चूँकि ज्यादातर लोग जो परिषद् में सही कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं परिषद् में निदेशक के सहयोगी है और इस लिए तदउद्देश्यीय दल वास्त-

विक उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ नहीं होगें। जबकि निदेशक को भी उस तथउद्देश्यीय दल में रखा गया है। उन्हें आगे किसी भी तरह परिषद का सहयोगी होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

मैं एक दूसरा दूसरा उदाहरण दूंगा। कर्नाटक डेरी को मैसूर के क्षेत्रीय कालेज को दूध की सप्लाई करने से सम्बन्धित लगभग 40,000 रुपये प्राप्त नहीं हो रहे हैं। डेरी ने इस सम्बन्ध में एक नोटिस भेजा है। यह धनराशि छात्रों से वसूल कर ली गई थी लेकिन इसे क्षेत्रीय कालेज प्राधिकारियों ने डेरी के पास जमा नहीं कराया था। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्राधिकारियों ने दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने की बजाय सरकारी रुपये में से चुपचाप भुगतान कर दिया। ये कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं जिन्हें सरकार को गम्भीरता से तत्काल देखना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की इन गम्भीर अनियमिताओं तथा गलत तरीके से कार्य करने के सम्बन्ध में बहुत बार प्रकाशित किया है और इसके लिए शर्मनाक शीर्षक भी दिए हैं। लेकिन अब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ है। सभा में भी बहुत से माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को ठीक करने के लिए आप जांच नहीं करते और असली दोषी व्यक्तियों को दंड नहीं देते तब तक हम अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे जिनके लिए इस संस्थान का गठन किया गया है। इस लिए मैं सरकार को जोरदार शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस मामले की तत्काल जांच करे और इस संस्थान को ठीक करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को सौंपे गये प्रशंसनीय उद्देश्यों को प्राप्त करें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं एक दो बातें ही आपके माध्यय से कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कम से कम भारत में जितने विश्वविद्यालय है उनके साथ जो मजहब के नाम हैं उनको हटा दिया जाय। जैसे हिन्दू विश्वविद्यालय, क्रिश्चियन विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय, यह जो मजहब की बात उनके साथ जुड़ी हुई है इसको मिटा दिया जाए क्योंकि शिक्षा धर्म और मजहब के नाम से नहीं बल्कि राष्ट्र से जुड़ी होनी चाहिए।

मैं यह भी चाहता हूं कि भारत में जो आने वाली पीढ़ी है उसको ऐसी शिक्षा दी जाए कि इस देश में लड़ाई हिन्दू मुस्लिम और जात बिरादरी की नहीं बल्कि स्वदेशी और विदेशी की है। वे लोग जिन्होंने भारत पर हमला किया वे विदेशी थे, मजहब से कोई मतलब नहीं और जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं या जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया चाहे वे किसी धर्म के थे, वे देशी थे। जैसे नादिरशाह, बाबर, जिन लोगों ने हमले किए वह विदेशी हैं और रजिया, अकबर, बहादुरशाह जफर यह स्वदेशी थे। ऐसा इतिहास के माध्यम से हर भारतीय को पढ़ाया जाय।

शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि माध्यम अंग्रेजी, विदेशी भाषा अंग्रेजी माध्यम खर्चीली शिक्षा है। यानी ज्यादा खर्चे की शिक्षा, बंधी शिक्षा कि इतना ही दाखिला होगा ज्यादा नहीं। और यह शिक्षा नौकरी का पासपोर्ट बन जाय यह नहीं हो। अगर यह कुछ मिटे तो बहुत फर्क आ जाएगा। द्वापर का आपको किस्सा बताऊं। द्वारिकाधीश और सुदामा एक स्कूल में, एक गुरुकुल में एक गुरु के पास एक साथ पढ़ सकते थे। जो आज के भारत में अगर राष्ट्रपति

और सफाई कर्मचारी का बच्चा अगर एक स्कूल में शिक्षा जिस दिन पायेगा उस दिन भारत की किस्मत बदल जाएगी।

मैं इतनी ही बात आपसे कहना चाहता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, समय की कमी के कारण सारी बात अपने मन में ही रखता हूं, लेकिन आपके शिक्षा परामर्शदाता, श्री जे० पी० नायक ने उदयपुर में अपने भाषण में क्या कहा था वह बताना चाहता हूँ :

आधुनिक शिक्षा समाज की वर्तमान असमानता, शोषण और गरीबी की परिपोषक है। और डा० मोहन सिंह ने यह कहा कि समाज में जो उद्देश्य लेकर, शिक्षा उद्देश्य लेकर खड़े हुए थे वह उद्देश्य चकनाचूर हो गया है और उसे प्राप्त नहीं कर सके हैं।

अनिवार्य शिक्षा के बारे में रिपोर्ट में क्या कहा गया ? उस पर आप खर्चा बराबर कम कर रहे हैं। पहली प्लान से लेकर आज तक जितने प्लान बने है उनमें बराबर खर्चा कम होता जा रहा है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की 48वीं रिपोर्ट 1980-81 में यह लिखा है। यह लोक लेखा समिति (1980-81) के अड़तालिसवें प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 28 से है।

समिति से पता चला कि धन व्यवस्था करने के मामले में भी प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित भविष्य में उत्तरोत्तर घटता रहा है। पहली योजना में शिक्षा के लिए कुल परिव्यय 58 प्रतिशत था यह घट कर दूसरी योजना में 35 प्रतिशत तीसरी योजना में 24 प्रतिशत, 1968-69 को समाप्त होने वाले आंतरिक योजना वर्षों में 23 प्रतिशत, चौथी योजना में 30 प्रतिशत तथा पांचवीं योजना में 32 प्रतिशत हो गया। और उन्होंने अभी एक हजार रु० कम कर दिया। 2001 में करीब 50 करोड़ आदमी अंगूठा लगाने वाले देश में होंगे। आप एजूकेशन को जैसा चाहो बनाओ, शिक्षा में क्या हालत होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपके आंकड़े बताते हैं, उसमें उन्होंने बताया है :

शिक्षा की हालत क्या हो गई है। आपकी जो किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है—

एक माननीय सदस्य : वह आपकी भी किताब है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे दिमाग में यह है कि अगर शिक्षा के प्रति, जिससे देश बनता है, यहां के 68 करोड़ लोग बनते हैं, उसकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं दिया गया, हमारा व्यक्तित्व नहीं बढ़ा, हमारा विकास नहीं हुआ, चरित्र उज्ज्वल नहीं हुआ, हमने अपने आपको नहीं पहचाना तो देश में निरीह थोथी शिक्षा किस काम की है ?

सभापति महोदय : डागा साहब, अभी तक किसी ने क्या अपने आपको नहीं पहचाना।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिये मैं समझता हूँ कि शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानो। यही शिक्षा है।

यह आपकी किताब में लिखा है, यह वी० वी० जोन का आर्टिकल है—

"फिलहाल यह एक सामान्य जानकारी है कि विश्वविद्यालयों की डिग्रियां मूल्य देकर खरीदी जा सकती हैं, नियोक्ता प्रायः डिग्रीधारकों को लेते हैं और रोजगार देने से पहले उनकी

और परीक्षा लेते हैं। परिसर में गुंडागर्दी करने तथा हड़तालों द्वारा घेराव करने के कारण आजकल कुछ विश्वविद्यालय एक शैक्षिक वर्ष में 100 दिन कार्य नहीं कर पाते हैं। कठिन प्रश्न पत्रों के सम्बन्ध में छात्रों के बाहर घूमने तथा अन्य छात्रों को उन प्रश्नपत्रों का उत्तर देने से जबरन रोकने की घटनायें समाचार पत्रों में समाचार देने पर भी बार-बार होती हैं।"

आजकल शिक्षा जिस धरातल पर आ गई है, उस पर भी आप कहते हैं कि जौब-ओरिएन्टेड। आपका जो पेपर है, उसमें जो बेकारों की संख्या दी गई हैं वह 1 करोड़ 24 लाख है। अगर इस प्रकार से यह संख्या बढ़ती गई, अगर शिक्षा को जौब ओरिएन्टेड नहीं किया गया तो क्या हालत होगी ? मैं समझता हूं कि देश में जितना जीवन के मूल्यों की शून्यता बढ़ रही है, सबसे बड़ा संकट पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि आचरण का जो संकट है, जो जीवन का पतन हो गया है, पैसे की राजनीति ने अपना खेल खेल लिया है, इससे सारा जीवन और सारा राष्ट्र अन्दर से खाली हो जायेगा, खोखला हो जायेगा। शिक्षा मंत्री पर बहुत भार है, शिक्षा कांकरेट सब्जेक्ट है। पब्लिक एकाउन्टस कमेटी कहती है—

चूंकि अब शिक्षा एक समवर्ती विषय है, समिति का विचार है कि केन्द्र में शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को सार्थकपूर्ण तथा स्थायी शिक्षात्मक पद्धति के बनाने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका अदा करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को मुख्य शैक्षिक संसाधन आधार तथा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतिभा के खजाने के रूप में समाज को जागृत करने की दिशा में देश के मार्ग में, जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं उनका खुद मुकाबला करना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान तथा प्रशिक्षण परिषद् दोनों की देश भर से निरक्षरता दूर करने के कार्यक्रम को बढ़ाने, तीन स्तरों नामत: प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के स्तरों को सुधारने, निर्धन परिवारों के बच्चों की आवश्यक प्रोत्साहन देने तथा पिछड़े क्षेत्रों की ओर अच्छी प्रकार ध्यान देने जैसे पेचीदे मामलों की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए। उस दिशा में पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में सुधार, शिक्षा का व्यावसायीकरण, अनुसंधान के संवर्धन तथा शैक्षिक तकनीकों और कुशलताओं में परिवर्तन की समस्याओं पर अधिक जोर देने की आवश्यकता होगी।

ये सारी बातें बताई गई हैं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। आपने यह कह दिया कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट नहीं, आपकी कांकरेंट लिस्ट में आने के बाद हम लोग इससे टल नहीं सकते।

अब यह केन्द्रीय सरकार का भी भारी कर्तव्य है।

अगर आप यह कह देंगे कि स्टेट में यह हो रहा है। मैं तो यह कहता हूं कि आप स्टेट में एक तरह निःशुल्क शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इस बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है।

हमारी आदरणीय, प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 2 जून, 1981 को यह कहा कि आज हमारी शिक्षा खोखली है और उन्होंने यह सलाह दी है कि हमें अपने बच्चों को सभी धर्मों की सामान्य

नीति विषयक शिक्षा देनी चाहिए जिससे देश में राष्ट्रीय एकता तथा विश्व में शान्ति लायी जा सके ।

तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री एस. वी. चावन ने शिमला में आचार शिक्षा सम्बन्धी उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का 27 मई, 1981 को उद्घाटन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सभी स्तरों पर छात्रों को आचार शिक्षा देने के लिए तत्काल ध्यान दिया जाय । उन्होंने कहा :—

"शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनों का संवर्धन करना लाभ-दायक होगा जबकि इस प्रयास का प्रभाव आगे हो सकता है । विभिन्न धर्मों के मूलभूत विचारों के अध्ययन के लिये स्कूली बच्चों के लिए साधारण पुस्तकें तैयार की जा सकती हैं तथा सभी धर्मों के मूलभूत विचारों को समझने के लिए छात्रों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कुछ पाठ शामिल किये जा सकते हैं ।"

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि किताबें महगी हो गयी हैं । मंत्री महोदय किताबों की महंगाई के बारे में सोचें । सरकार ने किताबों पर डाक शुल्क 2 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसे कर दिया है । आज अच्छी और सस्ती किताबें नहीं मिलती हैं ।

हमें शिक्षा में काफी परिवर्तन करना होगा । समाज की व्यवस्था शिक्षा पर आधारित है और शिक्षा पर निर्भर करती है । समाज में विकास न होने और एकता न होने का एक कारण शिक्षा की कमी है । इसलिए शिक्षा पर ध्यान दिया जाये और ज्यादा खर्च किया जाए ।

श्रीमती शीला कौल : श्रीमान मैंने यहां उपस्थित बहुत से माननीय सदस्यों के द्वारा की गयी सराहना तथा टिप्पणियों को बड़ी रुचि के साथ सुना है । मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं । कुछ सदस्यों ने यह नोट किया है कि कुछ समय बाद शिक्षा मंत्रालय को चर्चा के लिए सभा में लिया गया है । हम यह देखते हैं कि इसमें कितनी रुचि दिखाई गई है । विशिष्ट वक्ताओं की ओर से बहुत सी टिप्पणियां की गयी है । कुछ ने बहुत रुचि ली है और हमारी शिक्षा को सुधारने के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं ।

लेकिन श्रीमन, मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं । शिक्षा राष्ट्र से सम्बन्धित मामला है । इसलिए यह केवल सरकार की चिन्ता नहीं हो सकती है । जो सदस्य इस विषय पर बोले हैं और अन्य सदस्यगण जो चर्चा में भाग नहीं ले सके हैं वे भी शिक्षा की प्रगति के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं ।

चूंकि देश के भविष्य का कल्याण उस पर निरर्थक है । हम सरकार में होते हुए निष्ठा-पूर्वक यह विश्वास करते हैं और मुझे भरोसा है प्रत्येक सदस्य इस विश्वास का भागीदार है कि शिक्षा पर व्यय भविष्य के लिए निवेश है ।

आज प्रत्येक सदस्य तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के सम्बन्ध में पूरे जोर से बोलता है । इस सभा को यह भलीभांति पता है कि सरकार इस समस्या पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कार्यवाही कर रही है । दूसरी साथ ही साथ हमारे अतुल मानव संसाधना को हानि अथवा दायित्व

के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। उचित शिक्षा तथा कुशल बनाकर हम इस संसाधन को अपने विकास के लिए एक अमूल्य परिसम्पत्ति में बदल सकते हैं।

अभी अभी हमारी प्रधान मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सम्बोधित करते हुए इस प्रश्न नामत: मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा प्रमुख स्थान रखती है। पर जोर डाला था। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा था—

"शिक्षा किसी भी सार्थक तथा त्वरित आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है यदि हम इतिहास के पाठ्यक्रम को देखें। तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि पश्चिम की ज्यादातर औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र शिक्षा कुशलता के विकास से ही अधिक समृद्धशाली हुए हैं। उनके समृद्धशाली होने का कारण उनके प्राकृतिक संसाधनों को सम्पत्ति नहीं है। इन देशों ने विशेषरूप से गत 3-4 दशकों में ही जीवन स्तर को बढ़ाया गया है। जो दूसरे राष्ट्रों के लिए ईर्ष्या का विषय है यदि हम अपने देशवासियों को ज्ञान तथा कुशलता से धनवान बनाने में समर्थ हैं तो हम उस खाई को पाट सकते हैं जो हमें विकसित देशों से अलग करती है।"

कुछ माननीय सदस्यों ने शिक्षा पद्धति के बारे में उल्लेख किया है। मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूं। उन्होंने शिक्षा पद्धति पर यह टिप्पणी की है कि हमने इसे अपने भूतपूर्व उपनिवेशीय मालिकों से प्राप्त किया है।

हम सभी जानते हैं कि इस प्रणाली का विकास उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बाबू तैयार करने हेतु किया था। हम सभी इस बारे में जागरूक हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही इस प्रणाली को सुधार कर उसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। हमें इस क्षेत्र में विशेष अनुभव न था। हमें शिक्षा का प्रसार भी शीघ्रता से करना था। इस हेतु कई योजनाएं और प्रयोग किए गए और प्रयोग करते समय क्या होता है, सभी को पता है। उनमें से कुछ के अच्छे परिणाम निकले और अनुभव के आधार पर कुछ संशोधन भी करने पड़े। इसका प्रमुख लाभ यह है कि अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया है। देश में शिक्षा के विकास के लिए हम में आत्मविश्वास बढ़ा है।

अत: जब इस सभा के एक जागरूक सदस्य श्री बैरो ने कहा कि हमारी कोई शिक्षा नीति नहीं है तो मुझे आश्चर्य हुआ। यदि मैंने उन्हें ठीक सुना है तो उन्होंने कहा कि 1968 की नीति अब मान्य नहीं और उन्होंने दोष निकाला कि नई सुधरी हुई नीति तैयार नहीं की गई है। मैं सभा को उस पृष्ठ भूमि के बारे में बताना चाहती हूं जिसमें 1968 में नीति तैयार की गई थी। सदस्य महोदय भी उसके सदस्य थे। मैं उन्हें स्मरण करा रही हूं कि वर्ष 1965 के आसपास अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग दो दशक बाद देश की पूर्ण शिक्षा प्रणाली पर व्यापक रूप से विचार किया गया। इसी समीक्षा के आधार पर देश भर में चर्चा हुई और राष्ट्रीय नीति तैयार की गई।

1968 के दस्तावेज में इसके बारे में बताया गया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस दस्तावेज में दिये गए विस्तृत विवरण की ओर दिलाती हूँ। इस नीति में सरकार के इस संकल्प को बताया गया है कि कुछ सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा का विस्तार किया जायेगा। इन सिद्धान्तों

में 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की बात है।

एक माननीय सदस्य : कौन से वर्ष तक।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसमें कितनी शताब्दियाँ लग जायेंगी।

श्रीमती शीला कौल : यदि आप सुनेंगे तो मैं विस्तार में बता सकती हूं। आप अधीर हो रहे हैं यह युवा होने का लक्षण है।

14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत हैं।

भाषा के विकास, शिक्षा के समान अवसर, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी किस्म की उच्च शिक्षा में वृद्धि निरक्षरता दूर करना और शिक्षा में सुधार सम्बन्धी बातें निर्धारित हैं।

एक माननीय सदस्य : मैंने तो सुझाव दिया है।

श्री शीला कौल : कार्य सम्बन्धी योजना और शिक्षा विचार के कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल हैं। जब भी पंचवर्षीय योजना बनती है तो स्थिति का जायजा लिया जाता है।

नीति दस्तावेज पंचवर्षीय योजनाओं का आधार है। शिक्षा विकास के लक्ष्य 1968 की नीति में बताये गए हैं जो आज भी लागू हैं और माननीय सदस्य उनसे इन्कार नहीं कर सकते।

आवश्यकता समय-समय पर स्थिति का अनुमान लगाकर नये मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा नीति तैयार करने की है, जो हम कर भी रहे हैं ताकि नीति में उल्लिखित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

मुझे इस बात की खुशी है कि आप प्रसन्न हैं।

एक माननीय सदस्य : मैंने इसकी समीक्षा के बारे में आपसे पूछा था।

श्रीमती शीला कौल : हम वहीं कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों को भी पता होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आयोग ने शिक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञ कार्यकारी दल स्थापित किया है। इस ग्रुप ने पांचवीं योजना के अन्त तक हुई प्रगति का अनुमान लगाया है और छठी पंचवर्षीय योजना में किन-किन बातों पर जोर देना है इसका सुझाव दिया है। इस प्रतिवेदन को तैयार करते समय कार्यकारी दल ने शिक्षाविदों, साहित्यिकों, शिक्षा और योजना के प्रभारी प्रशासकों आदि की विशेष सलाह पर भी ध्यान दिया है। पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करते समय जिन बातों पर उन्होंने यह भी देखा है कि कौन सी जानकारी संगत है विस्तृत चर्चा की गई, मैं उनका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगी।

इस प्रकार हो रही प्रगति को देख कर मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही इस आलोचना से सहमत नहीं हूं कि हमारी कोई शिक्षा नीति नहीं है या कि हमने नियोजित शिक्षा के कार्यक्रम की समीक्षा नहीं की है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आपने अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया है ?

समापति महोदय : आप यहां उपस्थित हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यापकों के संगठन की नई नीति बनाने के लिए नीति की समीक्षा कर रहे हैं। अपनी नीति तैयार करते समय क्या आपने अध्यापकों को आमंत्रित किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : आप हमेशा मुझे अपने सुझाव भेज सकते हैं। यह मेरा अहोभाग्य होगा।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्यों ने प्रारम्भिक शिक्षा की बात कही है। मैं श्री हरीश रावत को स्मरण करा दूं कि शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन किये गये हैं।

श्री पीयुष तिरकी भी इस बारे में बोले है।

मैं बताना चाहती हूँ कि छठी योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वमान्यीकरण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम में शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं यह न्यूनतम आवश्यकता सम्बन्धी कार्यक्रम का ही भाग है। इससे हम यह सुनिश्चित करते हैं कि इन शिक्षा कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि अन्य कार्यक्रमों में न लगा दी जाए। इस कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए हमने उसे प्रधान मंत्री द्वारा घोषित नये 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया है। हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाषण करते हुए प्रधान मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा का तेज गति से विकास करने की आवश्यकता का विशेषरूप से उल्लेख किया था। उन्होंने इसे अनिवार्य प्रथम कदम कहा था। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को स्मरण कराया कि हम 1990 तक 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए वचनवद्ध हैं और उनसे अनुरोध किया कि इस मद के लिए आवंटित राशि को दूसरे मद पर खर्च न किया जाए। अनेक सदस्यों ने इस बात के लिए अपनी चिन्ता तथा नाराजगी व्यक्त की है कि संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत सवैधानिक निर्देश के बावजूद हमने तीन दशकों के बाद भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। कतिपय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि क्या हम वर्ष 2000 तक भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं स्वीकार करती हूं कि हमने जो लक्ष्य तय किया है वह बहुत महत्वाकांक्षी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कोई कसर बाकी न छोड़ेंगे। नौ माह पूर्व हमने सभी शिक्षा मंत्रियों का कान्फ्रेंस आयोजित किया था। प्रधान मंत्री ने उन्हें सम्बोधित किया था। उस कान्फ्रेंस में प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने सम्बन्धी विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय था। समस्याओं पर काबू पाने, कदम उठाए जाने, तरीके ढूंढने, संसाधनों का पता लगाने, सुविधाएं देने, इत्यादि विषयों पर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन सभी इस बात पर एकमत थे तथा इस कार्यक्रम के प्रति पूरी प्रतिबद्धता थी। शिक्षा मंत्रालय में हम सभी राज्य सरकारों, व्यक्तियों तथा समूहों से राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के लिए सहायता देने के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।

जैसाकि सदस्यों को मालूम है, औपचारिक स्कूल प्रणाली से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, विशेष रूप से जहां तक समाज के दुर्बल वर्गों का सम्बन्ध है। यह सर्व विदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्गों के बच्चों को अपने मां-बाप की मदद करनी होती है, इसलिए वे औपचारिक स्कूल का फायदा उठाने में असमर्थ होते हैं। यह बात लड़कियों के मामले में भी

सच है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को भी अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। हम सभी इस दुःखदायी स्थिति से अवगत हैं। औपचारिक स्कूल में नामांकन की संख्या में वृद्धि हुई है और इसमें अभी भी वृद्धि हो रही है। लेकिन एक सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यह प्रभावी गति से रहा है। सुलभ रूप से विद्यालयों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। चौथा शैक्षिक सर्वेक्षण से यह पता चलता है। लेकिन अभी भी लक्ष्य दूर है, हमें सुदुर क्षेत्रों में इसे उपलब्ध करना है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या स्कूल छोड़ने की है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी इसकी चर्चा की है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रास्ता निकालना होगा। हमने इस कारण गैर-औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है। गैर-औपचारिक शिक्षा के प्रारम्भ में हमने ऐसे बच्चों की सुविधा के लिए प्रणाली की दृढ़ता को समाप्त कर दिया है। दूसरे चरण में, हम पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन करने को सोच रहे हैं तथा शिक्षण पद्धति में भी परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि वास्तविक रूप से गैर-अनौपचारिक शिक्षा दी जा सके। केन्द्र सरकार के पास शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े 9 राज्यों को सहायता देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम है ताकि गैर-औपचारिक प्रणाली द्वारा इस खाई को पाटा जा सके। इस क्षेत्र में काफी आधारभूत काम किया जा चुका है। प्रारम्भिक कठिनाईयों के बाद, राज्यों ने इस कार्यक्रम के प्रति रुचि दिखलाई है।

जैसा कि मैं पहले कह चुकी हैं, निरक्षरता को दूर करना भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और नया 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित है। हम इस कार्यक्रम को बहुत महत्व देते हैं। आर्थिक और सामाजिक लाभ के अलावा, इससे अनपढ़ व्यस्कों को अवसर प्राप्त होगा, माँ-बाप के रूप में बच्चों के प्रति उसके रवैये में अन्तर आएगा। इस कार्यक्रम में सरकारी एजेंसियों के अलावा हम छात्र समुदायों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं से सहायता की आशा रखते हैं। पहले प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों की उपलब्धियों को समेकित करने के लिए हम साक्षरोत्तर कार्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की पूरी व्यवस्था की गई है।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा, जिसके बारे में माननीय सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है, और शिक्षा को व्यवसायिकीकरण के बारे में बोलना चाहूँगी। अनेक सदस्यों ने पूरे देश में शिक्षा में एक एकरूपता के बारे में चर्चा की है। सरकार भी शैक्षणिक अवसरों की समानता के बारे में चिन्तित है। राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक समानता प्राप्त करने के क्रम में बुनियादी आवश्यकता के रूप में मोटे तौर पर एक समान शैक्षिक ढ़ाचा अपनाने की सिफारिश की गई है और यह प्रणाली जिसे आमतौर पर 10—2 प्रणाली कहते हैं, इसी तर्क पर आधारित है। वस्तुतः यह खेद की बात है कि कतिपय माननीय सदस्य, जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी, इस समय सभा में उपस्थित नहीं है। अपने क्रियाकलापों के बारे में बताने के लिए मैं ने कतिपय आंकड़े इकट्ठे किए हैं।

अब, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा 10—2 प्रणाली के बारे में बोले है। नई प्रणाली के अन्तर्गत दसवीं तक सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को विकासमान अवस्था में सन्तुलित तथा सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्राप्त हो सके। जमा 2 स्तर पर, विभिन्न पाठ्यक्रमों, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक दोनों, की व्यवस्था की गई है ताकि इस स्तर पर शिक्षा का व्यापक रूप से प्रसार हो सके।

15 राज्यों तथा 8 संघ शासित क्षेत्रों ने अभी तक इस प्रणाली को अपना लिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा मिजोरम ने 1982-84 के दौरान इस नई प्रणाली को अपनाने का निर्णय किया है। केवल पंजाब और राजस्थान ही ऐसे दो राज्य बच गए हैं जिन्हें नई प्रणाली अपनाने के लिए कहा जा रहा है। मेरे मित्र श्री डागा कहां हैं ?

मैं व्यावसायिकी करण के बारे में चर्चा करने के लिए श्री पाराशर, श्री बी० डी० सिंह और प्रोफेसर श्रीमती निर्मला कुमारी की कृतज्ञ हूं। जमा 2 स्तर पर व्यावसायिकीकरण को 10—2 प्रणाली के एक आवश्यक भाग के रूप में अपनाया गया है। तथापि, दुर्भाग्यवश, व्यावसायिकीकरण की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। 23 राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में जिन्होंने स्कूली शिक्षा की नई प्रणाली अपना ली है, केवल 9 ने ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये हैं।

छठी योजना और विशेष रूप से सरकार की नई 20 सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में, इस कार्यक्रम को अपनाने के प्रति राज्य सरकारों का ध्यान बार-बार दिलाया जा रहा है। सर्वेक्षण शुरू करने, पाठ्यक्रम का विकास करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, इत्यादि के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान परिषद् द्वारा तफनीकी सहायता दी जा रही है।

इसके साथ प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि उसके अन्तर्गत जमा 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी लाया जा सके, जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक संख्या में उसमें छात्रों का नामांकन कराने के लिए उसे और आकर्षक बनाया जा सके। हम आशा करते हैं कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे निकट भविष्य में व्यावसायिकी करण लाने में सफलता मिलेगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि 'कार्य अनुभव' और 'सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य' को स्कूली पाठ्यक्रम के एकीकृत भाग के रूप में पहले ही शुरू कर दिया गया है।

कुछ राज्यों ने 'पठन-पाठन के साथ कमाई' कार्यक्रम के लिए उल्लेखनीय कार्यवाही की है। श्री बी० डी० सिंह ने इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के अनुभव का विशेष उल्लेख किया है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्कूलों के लिए अपेक्षित टाटपट्टियाँ तथा चाक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा चुने हुए स्कूलों में तैयार किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में केरल में किए गए अच्छे कार्य का भी उल्लेख करना चाहूंगी, जहां स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कापियां तैयार करने में लगाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि ऐसी परियोजनाओं में उत्पादक कार्य अनुभव प्राप्त करने के अलावा छात्र थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं जिससे उन्हें नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सार्थक शिक्षा का प्रोत्साहन हम तभी कर सकते हैं जब हम ऐसी गतिविधियों तथा कक्षाओं में शिक्षा के स्तर के बीच उचित संबंध स्थापित कर सकेंगे। जाहिर है कि हमारी कोशिश उस दिशा की ओर है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अन्य व्यक्तियों द्वारा भी इसका पालन किया जाना चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : ये सारी बातें राज्यों के प्रयासों पर निर्भर करती हैं। सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1981 'विकलांग वर्ष' था। उस वर्ष में शिक्षा मन्त्रालय ने सामान्य शिक्षा प्रणाली में विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु और उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। इसके लिए स्कूलों में कतिपय विशेष सुविधाएं तथा प्रशिक्षण की जरूरत है। हमने इस पर काम शुरू कर दिया है।

अब मैं शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। अनेक सदस्यों ने शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इससे पूर्व मैंने शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में दिए गए शैक्षणिक अवसर की समानता के बारे में उल्लेख किया था। उसी नीति दस्तावेज में गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के बार में उल्लेख किया गया है। हमारी प्रधान मन्त्री के शब्दों में 'शिक्षा की समानता तथा गुणवत्ता' दोनों पर ध्यान देना है, हमने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मैं उनमें से कुछ के बारे में संक्षेप में उल्लेख करूंगी।

सर्वप्रथम, मैं आपको यह बतलाऊंगी कि एन० सी० ई. आर० टी० क्या कर रही है एन० सी० आर० टी० ने आदर्श 10—वर्षीय पाठ्यक्रम का विकास किया है ताकि सीखने की प्रक्रिया को वातावरण के अनुरूप किया जा सके। स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण सफाई, जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा, इत्यादि पर भी बल दिया जाता है।

जैसा कि एक प्रश्न के उत्तर में मैं इस सभा में पहले उल्लेख कर चुकी हूं, राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों की सहायता से इतिहास तथा भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा की गई है। उचित मूल्यों पर अच्छी पाठ्य-पुस्तकों का विकास करने में एन. सी. ई. आर० टी० ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि इस सभा में उल्लेख किया था कि पाठ्य-पुस्तकों की कीमतें बढ़ रही हैं। शिक्षकों की योग्यता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें एन. सी. ई. आर. टी. मुख्य भूमिका निभा रही है। सरकार परीक्षा सुधारो में प्रायोगिक अनुसंधान को भी प्रोत्साहन देकर कही है और मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा कर रही है।

प्रो० मेहता ने प्रकाशनों में त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा है कि चार प्रकाशन-स्कूल साइंस, प्राइमरी शिक्षक, जर्नल आफ इण्डियन एजूकेशन, इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू—पिछले दो वर्षों से प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

मैं कहना चाहूँगी कि एम० सी०ई. आर० टी० प्रत्येक वर्ष लगभग 200 प्रकाशन प्रकाशित करती है, जिनकी 1 करोड़ प्रतियां छपती हैं। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखिक चार प्रकाशन पत्रिकाएं हैं जिनमें विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित अनुसंधान पत्र तथा लेख दिए जाते हैं। इस बात का निर्णय करने में समय लगता है कि किस लेख को राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशन के लिए चुना जाए।

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू त्रैमासिक का जनवरी, 1982 का अंक 29 मार्च, 1982 तथा जर्नल आफ इण्डियन एजुकेशन (पाक्षिक) का

जनवरी, 1982 का अंक 31 मार्च, 1982 को प्रकाशित हुआ है। जुलाई, 1981 के लिए प्राइमरी शिक्षक (तिमाही) का अन्तिम अंक 31 मार्च, 1982 को प्रकाशित हुआ है और स्कूल साइन्स (तिमाही) का जून, 1981 का अंक भी प्रकाशित हो चुका है इन पत्रिकाओं के अनुवर्ती अंक अप्रैल तथा मई, 1982 में प्रकाशित होने की आशा है। पिछली दो पत्रिकाओं दो पत्रिकाओं के प्रकाशन में विलम्ब का मुख्य कारण सम्बन्धित मुद्रणालयों में कठिनाइयां तथा समस्याएं हैं। परिषद् ऐसे विलम्बों से वाकिफ है और पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसी मूल्यवान पत्रिकाएं समय पर प्रकाशित हों मैं समझती हूँ कि इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विलम्ब क्यों हुआ।

अब, मैं शिक्षा में मूल्यों पर बल देने के लिए की जा रही थी कोशिश के बारे में उल्लेख करना चाहुँगी। श्री गुफरान आजम और श्री सलीम ने इसका उल्लेख किया है और जिस तरह से उन्होंने यह बात कही है, उससे मुझे प्रसन्नता हुई है सरकार का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करने का होना चाहिए। मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने के लिए पठन/पाठन सामग्री तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। धर्म निरपेक्षता राष्ट्रीयता, हमारी मिली-जुली संस्कृति तथा विरासतों के प्रति स्वाभिमान पर जोर दिया जा रहा है।

कुछ ही महीनों में राष्ट्रीय उपग्रह सुविधा हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। यह जन संचार का एक शक्तिशाली माध्यम होगा और हम शिक्षा के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। इंसैट सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारण सुविधा का विस्तार होगा। शिक्षा का एक बड़ा साधन होने के अलावा, उपग्रह सुविधा को शिक्षार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक महत्वपूर्ण दूरी निवारक साधन तथा वैकल्पिक शिक्षण पद्धति के रूप में विकसित किया जा सकता है। हम इस विकास तथा नई सुविधा का सर्वोत्तम उपयोग के लिए समर्थक-सामग्री की व्यवस्था करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

गुणवत्ता में सुधार करने, विषय-वस्तु को समृद्ध करने तथा उसे अधिक प्रासंगिक बनान के लिए शैक्षणिक सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रक्रिया में हमने विशेषज्ञ व्यावसायिक तथा विद्वत सलाहकारों के परामर्श तथा राय का लाभ उठाते हैं। हम एन० सी० ई०आर०टी,०यू०जी० सी०, एन० आई० ई० पी० ए०, जैसे अपने संगठनों तथा राज्य स्तर पर ऐसे ही संगठनों से भी तकनीकी सहायता लेते हैं।

मैं माननीय सदस्यों का इस बात के लिए कृतज्ञ हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में मूल्यवान सुझाव दिए हैं और अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मुझे केवल एक अनुरोध करना है। हमारे विश्वविद्यालय की गुणवत्ता अथवा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन इस प्रणाली की जटिलता को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। इस समय 118 विश्वविद्यालय हैं, 13 विश्व-विद्यालय समझे जाने वाले संस्थान और लगभग 5000 कालेज हैं। कुल मिलाकर, 27 लाख छात्र उसमें पढ़ते हैं।उनमें लगभग 2 लाख शिक्षक हैं। इस विशाल प्रणाली के अधीन हमारे पास ऐसे शिक्षक हैं जिनकी संख्या तथा गुणवत्ता दोनों में के आधार पर तुलना विश्व में सर्वोत्तम शिक्षकों से की जा सकती है। जनशक्ति के द्वारा भी देश में बहुत सी विकास योजनाओं को लागू किया जा

सकता हैं । हमें उपने वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों और तकनीशियनों की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। परन्तु यदि उच्च शिक्षा और अनुसंधान को स्वतन्त्रता के बाद प्रोत्साहन न दिया जाता तो यह उपलब्धियां असम्भव थीं ।

मैं यह दावा नहीं करतीं कि सभी विश्वविद्यालय सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं । कुछ तो अभी प्रयत्नशील हैं और कुछ को अभी अपने ढांचे को विकसित करना है । विश्व-विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप हमारे संसाधनों पर बड़ा भार आ पड़ा है । हमारा यह प्रयत्न रहता है कि उन विश्वविद्यालयों के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाई जाएं जिनमें शीघ्र विकास करने की क्षमता है । हम आशा करते हैं कि छठी योजना के अन्त तक 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय विकसित हो जायेंगे । साथ ही साथ हम चाहते है कि सभी सम्बन्धित व्यक्ति इस बात का प्रयत्न करें कि विश्वविद्यालयों की संख्या और अधिक न बढ़ती जाये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि केन्द्र सरकार सभी विश्वविद्यालयों को अपने हाथ में ले ले । हमारा यह मत नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ही विश्वविद्यालयों को चला सकती है । हम राज्य सरकार के काम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते । हम यह चाहते हैं कि राज्य सरकारों को नए विश्वविद्यालय स्थापित करने से पहले कुछ दिशा निर्देश दिये जायें । इस बात पर हम विचार कर रहे है और में आशा करती हूँ कि इस सभा के समक्ष इस सम्बन्ध में कुछ ठोस प्रस्तावों को लेकर हम आयेंगे ।

सदस्यों की चिन्ता का एक विषय यह भी है कि विश्वविद्यालयों में अत्यधिक असंतोष व्यापक है और वहां आन्दोलन होते रहते हैं । उन सदस्यों के कथन को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अधिकतम विश्वविद्यालय सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उनका ऐसा विश्वास न्यायोचित नहीं है । निःसन्देह 1981 में स्थिति पिछले 4 सालों की तुलना में बेहतर रही । इतने बड़े क्षेत्र में कुछ न कुछ समस्याएं होना अनिवार्य है । परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए । उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति की हत्या जैसे मामले की सब को निन्दा करनी चाहिए ।

कुछ सदस्यों नें विश्वविद्यालयों के कार्य में राजनीति के आने का उल्लेख किया । कुछ का कहना है कि यह वांछनीय है, जबकि अन्य कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए । इस विषय पर उन सभी व्यक्तियों को विचार करना चाहिए जो युवकों की शिक्षा में रुचि रखते हैं और इस विचार विमर्श द्वारा एक दिशा निर्देश तैयार किया जाना चाहिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की जांच के लिए गठित की गई समिति का उल्लेख किया गया है । इस जांच के तीन उद्देश्य हैं अर्थात् (एक) यह जांच करना कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं जो सम्बन्धित अधिनियमों में दिए गए हैं, (दो) छात्रों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में इन विश्वविद्यालयों के सामान्य अनुशासन की जांच करना और (तीन) राजनीतिक दलों के लिए आचरण संहिता तैयार करने की वांछनीयता की जाँच करना । मैं आशा करती हूं

कि इससे हम राजनीति में भाग लेने, विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन आदि के सम्बन्ध में किसी मतैक्य पर पहुंच सकेंगे, क्योंकि यह सभी विद्यालयों के लिए सामान्य रूप से लागू होता है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि शिमला स्थित इंस्टीट्यूट आफ एण्डवांस्ड स्टडीज पांच सितारा होटल में बदलता जा रहा है। मैं सदस्यों को स्मरण करना चाहती हूं कि 1979 में जनता सरकार ने इस संस्था को बन्द करने का निर्णय लिया था। हमने इस निर्णय को रद्द कर दिया है। हम चाहते है कि यह संस्था चलती रहे। हम यह भी चाहते हैं कि इस संस्था के कार्यक्रम और कार्यकलापों को पुनर्गठित किया जाये। एक विशेषज्ञ समिति ने इस सम्बन्ध में विचार किया है और उसने कुछ सिफारिशें की हैं। सरकार ने इन सिफारिशों की जाँच की है और पुनर्गठन योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मुझे संस्था को पांच सितारा होटल में बदले जाने के प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

सरकार ने 1949 में नोबल पुरस्कार प्राप्त डा० सी० वी० रमन को राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करके राष्ट्रीय प्रोफेसर योजना लागू की थी। इसके पश्चात् भी कुछ नियुक्तियां की गई, परन्तु 1965 से कोई नियुक्ति नहीं की गई। अब हमने इस योजना को पुनः चालू करने का निर्णय किया है और मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रो० टी० एम० पी० महादेवन, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं और डा० सलीम अली, जो एक पक्षी विशेषज्ञ हैं, को इस पद नियुक्त किया जा रहा है।

कुछ सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालम के कार्यकरण का उल्लेख किया। जैसा कि सभा को पता है एक नये कुलपति, जो एक माने हुए वैज्ञानिक और प्रशासक हैं, ने जून, 1981 से कार्यभार सम्भाल लिया है। वे विश्वविद्यालय के प्रशासन और शैक्षणिक कार्य को सुचारू बनाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं पिछले आठ नौ महीने से विश्वविद्यालय सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। बिश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन और विभिन्न वर्गों की शिकायतों पर विचार करने सम्बन्धी तन्त्र की पर्याप्तता पर विचार करेगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : विश्वविद्यालयों को लोकतान्त्रिक बनाने के बारे में क्या हुआ ? छात्रों और अध्यापकों का कालेजों और विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों में भाग लेना बहुत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती लोकतन्त्र के प्रोफेसर हैं।

श्रीमती शीला कौल : मुझे यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि चर्चा के दौरान उच्च तकनीकी शिक्षा के बारे में पर्याप्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया। मुझे आशा थी कि अधिक सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ बोलेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि श्रीरामसिंह यादव, श्री चौधरी और अजित कुमार मेहता ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने अनेकों संस्थाओं की स्थापना की है जिन्होंने बड़ी प्रसिद्धि पाई। इन संस्थाओं में योग्य तकनीशियन, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता तैयार हुए तथा देश को उन पर गर्व है। परमाणु ऊर्जा और अन्त-

रिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियां बड़ी प्रभावशाली हैं। हम इस बात को जानते हैं कि विश्व में तकनीकी विज्ञान में बड़ी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है और हमारी तकनीकी शिक्षा उसके अनुकूल अपनी गति बनाये हुए है। अन्य बातों के साथ साथ छठी योजना में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हम इन सुविधाओं का उपयोग भारतीय स्थिति के अनुसार करने पर विशेष बल दे रहे हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए हम संस्थाओं और समाज के बीच सम्पर्क बनाए हुए हैं।

श्री अजित कुमार मेहता ने आई० आई० टी० के कार्यकरण के बारे में भी उल्लेख किया। जहां कहीं भी मैं गई और जिस किसी से भी मैं मिली उसने आई० आई० टी० से शिक्षा पाकर निकलने वाले छात्रों की बड़ी प्रशंसा की। इसलिए मैं समझती हूं कि आई० आई० टी० के स्तरों के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

संस्कृति विभाग के कार्यकरण का भी सभा में उल्लेख किया गया। कुछ सदस्यों ने अकादमियों, संग्रहालयों, ग्रन्थालयों और अन्य निकायों पर टिप्पणियां कीं।

जैसाकि सभा को ज्ञात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में सांस्कृतिक परम्पराओं का अध्ययन करना सरकार का कार्य नहीं था। यह स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का ही स्वप्न था जिसके द्वारा इन तीन अकादमियों, संग्रहालयों और ग्रंथालयों के जाल तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। इन संगठनों के कार्यकरण के बारे में कुछ मतभेद हो सकते हैं, परन्तु हमारी सांस्कृतिक परम्परा जैसे स्मारकों, पांडुलिपियों दुर्लभ पुस्तकों आदि को बनाये रखने में इन संस्थाओं का बड़ा योगदान है। हम इस दिशा में अनुसंधान करने और प्रशिक्षण देने की सुविधायें दे रहे हैं। हमारे देश के कुछ दुर्लभ संगीत, नृत्य और नाटक आदि समाप्त हो रहे थे।

ये संस्थायें इन समाप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। तथापि भूतकाल में हमारी ये सांस्कृतिक परम्परायें प्रबुद्ध तथा उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रही हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश के अधिकतर बच्चे अपनी सांस्कृतिक परम्परा की कोई जानकारी पाये बिना ही बढ़ते रहे। वर्तमान योजना में हम इस कमी को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अपनी शिक्षा पद्धति में संस्कृति को भी शामिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि इससे शिक्षा युक्तियुक्त और कारगर बनेगी। हमें आशा है इसके द्वारा भविष्य में भारत के बच्चे अपनी ही संस्कृति के वातावरण में पल सकेंगे।

इसके अतिरिक्त प्रो० अजित कुमार मेहता ने एशियाई खेलों का उल्लेख किया था। मेरे मित्र श्री गुफरान आजम ने भी विभिन्न खेलों में हमारे खिलाड़ियों द्वारा किये गए बुरे प्रदर्शन का उल्लेख किया। श्री सूरज भान ने भी तीन दिन पहले शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय इसका उल्लेख किया था।

श्री सूरज भान ने कहा था कि 1982 के एशियाई खेलों पर हम करोड़ों रुपए व्यय कर रहे हैं परन्तु खिलाड़ियों का निर्माण करने पर बहुत कम राशि खर्च हो रही है पता नहीं उन्होंने ये आंकड़े कहां से लिये। मैं सभा को वस्तुस्थिति बताना चाहती हूं। इस सम्बन्ध में मैंने सभा

में प्रश्नों के उत्तर दिये हैं और जानकारी दी है । मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहती हूं कि 1982 के एशियाई खेलों के लिए स्वीकृति अनुमान 55 करोड़ रुपए का है । यह राशि स्थायी सुविधाओं का निर्माण करने पर ही मुख्य रूप से व्यय की जा रही है । जिससे खेल के प्रति रुचि पैदा करने और खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी । एशियाई खेलों से हमें राजधानी में महानगरीय सुविधाओं को देने का भी अवसर मिला है, जिससे दिल्ली वासियों के जीवन में सुधार आयेगा । ऊपरी पुलों, सड़कों को चौड़ा करने आदि विकास कार्यक्रमों से दिल्ली में सुधार होगा जिसकी बड़ी आवश्यकता थी । दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य एजेंसियां इस कार्य में लगी हैं ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : पाँच-स्टार होटल में भी यह कार्य चल रहा है ।

श्रीमती शीला कौल : जी, हाँ । वहाँ भी ऐसा ही है । मुझे खुशी है कि आपने यह प्रश्न पूछा है । बहुत से नए होटल बन रहे हैं तथा गैर सरकारी क्षेत्र के लोग ही इनका निर्माण कर रहे हैं । केवल दो होटल ही ऐसे हैं, जिनका निर्माण सरकार कर रही है और इनका निर्माण कार्य साधारण रूप से हो रहा है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटुर) : आप इससे अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेंगे ।

श्रीमती शीला कौल : मैं इनका उल्लेख इस लिए कर रही हूं ताकि आपको ठीक स्थिति की जानकारी हो सके ।

हम एशियाड में भाग लेने वाले अपने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष उपाय कर रहे हैं । मैं यह भी बताना चाहती हूं कि पिछले सप्ताह रविवार को, मैं स्वयं पटियाला में यह देखने के लिए गई थी कि हमारी टीमों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है । मुझे यह देखकर बडी खुशी हुई कि स्वस्थ और तंदुरुस्त लड़के लड़कियों को एशियाड 1982 के लिए सिखाया तथा प्रशिक्षण दिया जा रहा था ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : हाकी टीम के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्रीमती शीला कौल : मैं टीमों के प्रशिक्षण की बात कर रही हूं । हमें पूरी आशा है कि हमारी टीमों का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहेगा । सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि एशियाड 1982 वर्ष में, सरकार ने निर्धन पुरुष खिलाड़ियों तथा महिला खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना करने का निश्चय किया है । मुझे बहुत खुशी है कि श्री रामगोपाल रेड्डी ने सदन में 1000 रुपये दान देने की घोषणा की थी और हमें वह चैक प्राप्त भी हो गया है । मुझे आशा है कि इस सभा से और भी चैक प्राप्त होंगें ।

इस तथ्य की चर्चा करते हुए इस बात का उल्लेख किया गया था कि कि शिक्षा अब समवर्ती सूची में है । कुछ सदस्यों ने इस ओर इशारा किया कि हमने इस व्यवस्था से कोई लाभ नहीं उठाया है ।

कुछ माह पूर्व, प्रधान मंत्री ने शिक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आम सहमति से जो आशायें रखी गई थी उन्हें धीरे-धीरे पूरा करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु

व्यापक रूप से कार्य करना आवश्यक है। मंत्रालय में हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तथा इस पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने प्राथमिक शिक्षा, अध्यापकों आदि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। मैं इसे पुन: दोहराना चाहूंगी कि इन मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों से पूरी तरह से विचार विमर्श करने की आवश्यकता होगी तथा शिक्षा के विकास में राज्य सरकारों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को कम नहीं किया जा सकता। श्री बैरों ने मेरा ध्यान केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड की ओर आकर्षित किया है। इसमें दो मत नहीं है कि यह माध्यम राज्य तथा केन्द्र के लिए सलाह लेने का एक महत्वपूर्ण तन्त्र है तथा हम इसका पुनर्गठन तथा उसे पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

श्री सत्यपाल चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इसमें संसद के सभी अध्यापक सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : यहाँ आपसे सहयोग की आशा की जाती है।

श्रीमती शीला कौल : निष्कर्ष के रूप में मैं यह कहना चाहती हूं कि श्री अजीत बाग ने शिक्षा हेतु अपर्याप्त संसाधनों के प्रश्न पर काफी विस्तार से भाषण दिया। अन्य कई सदस्यों ने भी इस विषय का उल्लेख किया। जब हम भावी कार्यों को देखते हैं तो ये चिन्ताएं उचित प्रतीत होती हैं। लेकिन सदस्य मुझसे सहमत होंगें कि शिक्षा के विकास का एकमात्र साधन केवल धन नहीं है। इसके अन्य कई घटक जैसे—आर्थिक, राजनैतिक, समाजिक, सांस्कृतिक आदि भी हैं जिनका शिक्षा के विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेशनल पालिशी डाक्यूमेंट 1968 में कहा गया है कि शिक्षा में अधिक पूँजी लगाकर इसे धीरे-धीरे राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचाया जाए। 1968 में जब शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी तथा अब यह 2.5 प्रतिशत था। इसमें निरन्तर वृद्धि हुई है तथा अब यह करीब 3.9 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों में शिक्षा पर कुल सरकारी खर्च लगभग 15.1 प्रतिशत है। यह हमारा निरन्तर प्रयास है कि शिक्षा के लिए और संसाधन का पता लगाया जाए। साथ ही संसाधनों का उचित प्रयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मैंने सदस्यों द्वारा चर्चा में उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। आगे बढ़ते हुए हम पिछले तीन दशकों के विकास को भी ध्यान रखना होगा। हमारी शिक्षण प्रणाली विश्व की बड़ी-बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिनमें आरंभिक विद्यालय स्तर पर लें, 10 करोड़ बच्चों की शिक्षा के लिए 6 लाख स्कूल तथा 30 लाख अध्यापक हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, बिना अध्यापकों के विद्यालय भी हैं। 3,000 प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक नहीं है विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं और अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता।

एक माननीय सदस्य : जब अध्यापक संसद में आ जाते हैं तो हमें अध्यापक कहाँ से मिल सकते हैं। अत: आपको हमारी कठिनाईयाँ समझनी चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : जहां एक अध्यापक है, वहाँ हम दो अध्यापक रखने का प्रयत्न कर

रहे हैं तथा हम यह भी पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां अध्यापक क्यों नहीं हैं। वहां अध्यापक होने चाहिए। चूंकि आप सब भारत के विभिन्न भागों से आए हैं आप हमें बताते हैं कि कहां ठीक चल रहा है और कहां नहीं। हमें इससे बहुत लाभ होता है। जब आप हमें बताते हैं कि वहां ऐसा हो रहा है, तब हम और भी सावधान हो जाते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप सावधान होने के साथ-साथ सक्रिय भी हो जाते हैं।

श्रीमती शीला कौल : तीन दशक पूर्व केवल 6 करोड़ लोग शिक्षित थे जबकि आज 24 करोड़ शिक्षित हैं। जैसाकि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है। इन सुविधाएं को प्रदान करने में हमें जो अनुभव हुआ उससे हमें कठिन से कठिन कार्यों तथा समस्याओं का सामना करने के लिए और अधिक आत्मविश्वास पैदा होता है।

इस देश में अध्यापकों के सम्बन्ध में कई सदस्यों द्वारा जो चिन्ता प्रकट की गई हैं, मैं यहां उसका भी उल्लेख करना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके योगदान के बिना, हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। अत: यह आवश्यक है कि उनके कल्याण तथा भलाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारा सदैव यह प्रयास रहेगा कि उनकी उचित शिकायतों को दूर किया जाए तथा उनके हितों की रक्षा की जाए। इस अवसर पर क्या मैं अध्यापकों से भी यह अपील कर सकती हूं कि वे अपने पेशे के आदर्शों पर चलें तथा शिक्षा का स्तर सुधारने में हमारी सहायता करें ?

अंत में मैं माननीय सदस्यों को पंडित नेहरू के शब्दों का स्मरण दिलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि लोगों को रचनात्मक सुझाव देने के लिए आगे आना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्रों ने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, अक्सर उन्हें पूरा करने में समय लगता है। शीघ्र परिणाम मिलने सम्भव नहीं होते। पिछले तीन दशकों में हमें काफी अनुभव हुआ है तथा हम महसूस करते हैं कि हमारे सामने जो उद्देश्य थे और उनके लिए हमने जो नीतियां निर्धारित की थीं, उनसे हमें उपयुक्त परिणाम मिलेंगे।

ऐसे बहुत से प्रश्न शेष रह गये हैं जिनका उत्तर मैं नहीं दे पाई। मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम इन प्रश्नों की ओर उचित ध्यान दिया जाएगा। मैं सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वे कटौती प्रस्ताव के लिए दबाव न डालें तथा मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों को पारित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी कटौती प्रस्तावों को एकमात्र सदन के मतदान के लिए रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ—

प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा तथा संस्कृत मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 25 से 28 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक लेखा अनुदान राशियाँ संचित नीधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगे, 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	16 मार्च 1982 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
1	2			3	
शिक्षा और संस्कृत मंत्रालय					
25.	शिक्षा विभाग	38,79,000	—	1,93,97,000	. .
26.	शिक्षा	52,59,36,000	1,07,92,000	262,96,79,000	5,39,58 000
27.	संस्कृति विभाग	2,61,13,000	—	13,05,66,000	. .
28.	पुरातत्व	1,33,25,000	—	6,69,23,000	. .

———

सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को जानकारी है कि अपना नाम देव दत्त शर्मा बताने वाले एक दर्शक ने बैठक के पूर्वाध में लगभग 12.25 म० पू० पर दर्शक दीर्घा से कुछ पर्चे सभा में फेंके और नारे लगाये। वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने उसे हिरासत में ले लिया तथा उससे पूछताछ की। दर्शक ने अपना बयान दिया तथा अपने कार्य के लिए खेद व्यक्त किया।

मैंने इस मामले की सूचना सभा को ऐसी कार्यवाही के लिए, जो वह उचित समझे, दे दी है।

गृहमंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सभा संकल्प करती है कि अपना देवदत्त पुत्र श्री बिशम्बर दयाल शर्मा बताने वाले व्यक्ति ने, जिसने आज लगभग 12.25 बजे दर्शक दीर्घा से सभा में कुछ पर्चे फेंके और नारे लगायें और जिसे वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गम्भीर अपराध किया है और वह इस सभा का अवमान करने का दोषी है।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उसे आज सभा के उठने तक वाच एण्ड वार्ड अधिकारी की हिरासत में रखा जाए तथा उसके बाद कठोर चेतावनी देकर रिहा कर दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपना नाम देव दत्त शर्मा पुत्र श्री बिशम्बर दयाल शर्मा बताने वाले व्यक्ति ने जिसने आज लगभग 12.25 बजे दर्शक दीर्घा से सभा में कुछ पर्चे फेंके और नारे लगाए और जिसे बाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गम्भीर अपराध किया है और वह इस सभा का अवमान करने का दोषी है।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उसे आज सभा के उठने तक वाच एण्ड वार्ड अधिकारी की हिरासत में रखा जाए तथा उसके बाद कठोर चेतावनी देकर रिहा कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें 1982-83

श्रम मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब श्रम मंत्रालय सम्बन्धी माँग संख्या 65 और 66 पर चर्चा और मतदान होगा जिसके लिए चार घंटे का समय आवंटित किया गया है।

जो माननीय सदस्य सभा में उपस्थित है तथा जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, वे यदि उन्हें पेश करना चाहें तो अपने यहां किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या बताते हुए 15 मिनट के भीतर अध्यक्षपीठ को पर्चियाँ भेज सकते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जायेगा।

थोड़ी देर बाद पुन:स्थापित किए गए कटौती प्रस्तावों की श्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को उसमें कोई विसंगति दिखाई दे तो वह इसकी सूचना टेबल अधिकारी को तुरन्त दे दें।

श्री एन० ई० होरो।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : मैं इसके लिए तैयार होकर नहीं आया हूं। मैं इनके बारे में नहीं जानता। मैं अगली बार बोलना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पीयूष तिरकी।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : मैं अभी अभी बोल चुका हूं। मैं अगली बार बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बिन्देश्वरी दुबे।

श्री बिन्देश्वरी दुबे (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करता हूँ।

सदन को मालूम है कि पिछले दो वर्षों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष औद्योगिक प्रतिष्ठानों में और खासकर बुनियादी उद्योगों में जो काफी उत्साह-वर्द्धक वृद्धि हुई है, उससे जाहिर है कि औद्योगिक सम्बन्धी सम्बन्ध काफी सुधरे हैं और बिना औद्योगिक सम्बन्धों के सुधार के ऐसा हो पाना संभव नहीं था वैसे एक निरन्तर कोशिश औद्योगिक सम्बन्धों को बिगाड़ने की कुछ खास ट्रेड यूनियन सेन्टर्स और विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा जारी है। उसके बावजूद हाल में कुछ ऐसी बातें उजागर हो कर सामने आई हैं, जिनसे स्पष्ट हो गया है कि अपने देश का श्रमिक वर्ग देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता है और वह सामान्यता कामबन्दी करना नहीं चाहता या किसी दल विशेष के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए वह हड़ताल में जाना नहीं चाहता और अगर उसकी ग्रीवांसेज को दूर करने के लिए, उसकी वाजिब शिकायतों को दूर करने के लिए उचित प्रयास जारी रहे, तो औद्योगिक शान्ति बनाए रखने में वह विश्वास करता है यद्यपि पिछली 19 जनवरी को प्रतिपक्ष के राजनीतिक दलों और उनसे सम्बन्धित ट्रेड यूनियन सेन्टर्स ने जो भारत बन्द का आह्वान किया था और उन्होंने इस बात की पुरजोर कोशिश की थी कि जितने भी सरकारी सेवा में काम करने वाले कर्मचारी हैं, यातायात से सम्बन्धित कर्मचारी हैं, विद्युत केन्द्रों से सम्बन्धित कर्मचारी हैं, कोयला, स्टील और विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित कर्मचारी हैं, वे देश के सारे कामकाज को ठप्प कर दें लेकिन उनके इस आह्वान को नरजअन्दाज करके देश के श्रमिकों ने, देश के कामकाज को, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कामकाज को यथावत् कायम रखा उससे कुछ बातें उभर कर ऊपर आई हैं। एक तो यह है कि देश के श्रमिकों ने देशभक्ति का परिचय दिया, अपनी समझदारी का परिचय दिया और देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों, कार्यक्रमों और उनके नेतृत्व में अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया।

दूसरी बात जो उजागर हुई वह यह है कि लोग जो अवसर श्रमिकों में अपनी लोकप्रियता, अपने संगठन, अपनी शक्ति का बड़ा ढोल पीटते रहे, उनकी क्या स्थिति है यह बात स्पष्ट हो गयी। साथ ही भी यह स्पष्ट हो गया कि मजदूरों के प्रति उनकी नीयत क्या थी। उन्होंने श्रमिकों की कुछ माँगे उठायी थीं कि अशेंशल कमोडिटीज का पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम के जरिये से वितरण होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी माँगें उठायी थीं। श्रम मत्री ने उनसे आग्रह किया कि वे उनकी सारी मांगों पर बात करना चाहते हैं। मंत्री महोदय के बार बार आग्रह ने उनको बेनकाब कर दिया क्योंकि उन्होंने यह प्रीकंडीशन रखी कि जब तक एस्मा वापिस नहीं लिया जाएगा तब तक वे बात नहीं करेंगे। अगर मजदूरों के प्रति उनमें वफादारी होती, उनकी माँगों की पूर्ति के लिए इच्छा होती तो वे श्रम मंत्री के आग्रह को स्वीकार करते और उनसे बातचीत करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया।

देश में इसके बारे में प्रतिक्रिया है। उन लोगों ने भी इसके सम्बन्ध में बड़ा जोर शोर से कहा है कि मजदूरों के अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। किन्तु जब मजदूरों ने उन लोगों की प्रीकण्डीशन की बात को देखा तो उन्होंने ठीक किया। जितने भी हमारे विभिन्न जरूरी उद्योग हैं, स्टील, सीमेंट, कोयला, फर्टिलाइजर और दूसरे उद्योग उनमें 80 से 85 प्रतिशत तक

लोग काम पर आए। उनमें उस रोज न केवल उत्पादन शतप्रतिशत हुआ बल्कि उससे भी अधिक हुआ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एस्मा के प्रति मजदूरों का एक तरह से जनमत संग्रह था। उन्होंने इन्दिरा जी और उनकी सरकार में विश्वास किया कि यह एस्मा मजदूरों के अधिकारों को कुचलने के लिए नहीं बल्कि यह उन लोगों के लिए है जो देश में चाओटिक कंडीशंस पैदा करना चाहते हैं जो विघटनकारी तत्व हैं। एक तरह से मजदूरों का यह एक राजनीतिक फैसला था।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो कहने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने जबरी मजदूरों को काम पर घुसाया। मजदूरों को पुलिस वाले उनके घरों से, क्वार्टरों से पकड़ कर लाए, वे अपने मन से काम पर नहीं आए। यह भी कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ है यह सरकार का पिट्ठू है। मजदूरों का विश्वासपात्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मजदूर संघ ही मजदूरों का एकमात्र विश्वासपात्र संघ है। कभी-कभी बातें होती हैं तो सुन कर ऐसा लगता है कि स्थिति खराब होती जा रही है। एक हमारे मित्र ने बड़े जोरों से शेर कहा है। वह शेर बहुत अच्छा नहीं है पर वह मजदूरों के प्रति उनकी आस्था और विश्वास को अवश्य दर्शाता है—

बहुत शोर सुनते थे कि हाथी की दुम है।
अगर नजदीक से देखा तो रस्सी बंधी थी।।

इन्होंने श्रमिकों के लिए अब तक जो किया वह 19 तारीख को सिद्ध हो गया। 19 तारीख का फैसला मजदूरों का फैसला था, देश की श्रमिक जमात का फैसला था। सरकार अब तक ऐसे ही उन मैताओं के दबाव में आती रही।

वैसे लोगों से जो इस देश में काम-काज को चालू रखना चाहते हैं जो देश के प्रति वफादार हैं, श्रमिकों के प्रति वफादार हैं, औद्योगिक-प्रतिष्ठानों को जिन्दा रखना चाहते हैं और वैसे लोगों को जो औद्योगिक सम्बन्धों को केआटिक बनाना चाहते हैं, देश में केआटिक कंडीशन पैदा करना चाहते हैं, देश को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनको सरकार इक्वेट ही नहीं करती है, बल्कि उनको कई मामलों में प्रिफरेंसेस मिलता रहा है, विभिन्न ज्वाइंट फोरम्स में, विभिन्न ट्रिपार्टाइट बाडीज में उन्हें बराबरी का हक मिला है। बराबरी का हक पाने का वे दावा करते हैं और पूर्ववर्ती सरकार ने बराबरी का हक दिया भी, इतना ही नहीं जनता पार्टी के शासन काल में एक अजीब बात हुई। पहले 4 ट्रेड यूनियन्स को केन्द्र सरकार मान्यता देती थी, जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने 11 ट्रेड यूनियन्स को मान्यता दे दी। एक तरफ तो मजदूरों की एकता की बात कही, उन्होंने कहा कि मल्टीप्लीसिटी आफ ट्रेड यूनियन्स ही सारी बीमारी की जड़ है, इनको समाप्त करना चाहिए और इंटेग्रेशन की बात कही और सारा प्रोसेस डिस इंटेग्रेशन का किया, मजदूरों की एकता को तोड़ने की कोशिश की। सेन्टर ने तो 11 ट्रेड यूनियन्स को रिकगनाइज किया गया स्टेट्स में तो और भी बहुत कुछ हुआ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी के शासन काल में औद्योगिक सम्बन्ध सुधरे हैं। यह बात कोई मैं नहीं कहता। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहता। आँकड़े बोलते हैं कि पिछले दो सालों में मैन डेज का लासेस जनता पार्टी के शासन काल की की तुलना में कितना कम हुआ है। 10 जनवरी के नतीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना

चाहता हूं कि जब श्रमिक वर्ग सामान्यत: हड़ताल नहीं करना चाहता, कामबन्दी करना नहीं चाहता, देश के प्रति वफादारी निभाना चाहता है और वह चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीकों से उनकी समस्याएं सुलझाई जाएं तो ऐसी हालत में सरकार की जवाबदेही श्रमिकों के प्रति बढ़ जाती है खासतौर पर श्रम विभाग की जवाबदेही और बढ़ जाती है और इस बात की आवश्यकता है कि श्रम-विभाग कंस्टीट्यूशनल ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मजबूत करे। श्रम-विभाग उन उपायों को ढूंढे, जिनके माध्यम से मजदूरों के ग्रिवांसेस को तेज गति से सुलझाया जा सके और उसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि एक ऐसी नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी डेवलप करें जो इस काम को कारगर ढंग से कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मामले में सब सरकारों में समानता रही है। क्षमा करेंगे मेरे वर्तमान श्रम मंत्री महोदय। एक बात सब बोल रहे हैं कि हम एक कंप्रिहेंसिव लेवर लाज ला रहे हैं। और अब तक जितनी भी सरकारें आईं, सब ने यह कहा, पर क्रिया किसी ने भी नहीं दूसरी बात यह कि जितनी भी कमेटियाँ बनाई गईं, ट्रिपार्टाइट बाडीज बनाई, कमीशन बनाए गये या जितनी भी कान्फ्रेंसेस हुई, उन सब की सिफारिशें समानरूप से हर बार श्रम विभाग की अलमारियों में संजोकर रख दी गयीं। नेशनल कमीशन आफ लेबर ने 1969 में अपनी सिफारिशें दी थीं और उसने काफी कारगर सुझाव दिए थे। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन की बात की थी, और कन्सिलियेसन बोर्ड को क्वासी ज्युडिशियल बाडीज बनाने की बात कही थी—जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि मजदूरों के ग्रिवांसेस को स्पीडली अटेंड किया जा सकता है और न्यायपूर्वक समाधान निकाला जा सकता है।

आज क्या स्थिति है ? आर्बिट्रेशन एक सर्वमान्य सिद्धांत है, मजदूरों के ग्रिवांसेस को सेटल करने का। हम चाहते हैं कि श्रम-विभाग मिडीएशन को अधिकाधिक स्ट्रेंगदेन और उसको और कारगर बनायें साथ ही वालेंटरी आर्बिट्रेशन को प्रोत्साहन दें, लेकिन आज सबसे ज्यादा परेशानी कहां है ? प्राइवेट सेक्टर की तो बात छोड़ ही दीजिए, लिटिग्रेशन में जाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो जाए तब भी मजदूरों के ग्रिवांसेस को, उनकी मांगों को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स और अंडरटेकिंग्स में क्या हो रहा है ?

नेशनल लेवल पर एक फैसला हुआ था कि पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स लिटिगेशन नहीं बढ़ायेंगी और ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार कर लेंगी, आर्बिट्रेशन के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी। पर आज स्थिति यह है कि श्रम विभाग की जो कसीलिएशन मशीनरी है, डिस्प्यूट में अगर मतभेद हो जाता है, कंसीलिएशन फेल्युअर की स्थिति में आ जाती है तो वे दोनों पक्षों को आफर करते हैं कि वे आर्बिट्रेशन स्वीकार करें। मजदूर संगठन आर्बिट्रेशन स्वीकार करता है इनवेरिएबली इन एग्री केस, 95 परसेंट केसिस में लेकिन पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एक भी केस में आर्बिट्रेशन नहीं मानता है। अगर कभी मान भी लेता है तो उसके फैसले को इम्पलीमेंट नहीं करता। आप इन्कार नहीं कर सकते हैं कि ट्रिब्यूनल एक डायलेटरी प्रोसेस है। एडजुडिकेशन का प्रासेस कितना लम्बा है, कितना उसमें डिले होता है इसको भी सभा जानते हैं। एक मजदूर अगर डिसमिस हो जाता है या मजदूरों की कुछ शिकायतें उठती हैं और वे साल्व नहीं होती हैं तो मामला ट्रिब्यूनल में जाता है। सालों साल वहाँ लग जाते हैं। अब आप डिसमिस्ड कर्मचारी की प्लाइट को देखें। उसके केस का ट्रिब्यूनल में फैसला होते होते चार पाँच साल लग जाते हैं।

उसके बाद भी पब्लिक सेक्टर एम्प्लायर है वह हाई कोर्ट में चला जाता है। दर्जनों केस मेरे सामने हैं। हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। आप देखें कि क्या मजदूर के पास इतने साधन हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक अपने केस को डिकेड करता जा सकता है ? श्रम विभाग को इसके लिए कुछ कारगर उपाय ढूँढने होंगे। मैं मानता हूं कि आर्बिट्रेशन के मामले में कम्पलशन होनी चाहिए। मजबूर किया जाना चाहिए कि आर्बिट्रेशन को माना जाए, पंचायत का फैसला हो जाए तो उसको मान लिया जाए ताकि मजदूर को राहत मिल सके।

वेज फिक्सेशन के बारे में भी गवर्नमेंट की एक पालिसी होनी चाहिए। यह कहा जाता है कि आर्गेनोइज्ड सेक्टर के श्रमिकों ने अपनी बारगेनिंग पावर की शक्ति से अपने लिए बहुत प्राप्त कर लिया है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि देश में ऐसे भी कोटि कोटि लोग हैं जो उनके नीचे के स्तर के हैं और उनको कुछ नहीं मिला है। एक बात की जानकारी श्रम विभाग को होगी कि आज आर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी एक प्रकार का हैप हाप हैजर्ड ग्रोथ हो रहा है, इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। माइनिंग इंडस्ट्री में, मैगनेसाइट में, लाइम में, मेंगनीजम में, माइका में डोलोमाइट आदि उद्योगों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी स्थिति को आप देखें। क्या शोषण उनका हो रहा है इसको आप गहराई से देखें और इसकी छानबीन करें। उनको जो वेज मिलती है वह सबसिस्टेंस लेवल के भी नीचे है। जो कुछ न्यूनतम मजदूरी के नाम पर मिलता है वह सबसिस्टेंस लेवेल के नीचे होता है। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक फेयर वेज कमेटी बनी थी जिसमें डिस्टिंग्युइश्ड परसनैलिटीज थीं। उन्होंने युनैनिमस रिपोर्ट दी थी कि लेबेस्ट पेड वर्कर जो है उसकी वेज का सेंट परसैंट प्रोटेक्शन होना चाहिए और प्राइस इंक्रीज का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। उसने कहा था कि सेंट पर सेंट प्रोटेक्शन देने के लिए न्यूट्रलाइजेशन की कोई प्रणाली निकाली जाए। लेकिन यह चीज हुई नहीं। जिस गति से कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वेज इरोड होती जाती है। 1951 में जो मजदूरी न्यूनतम उसको मिलती थी—बहुत सी ट्रेड्ज का मैं हवाला दे सकता हूं—वह न्यूनतम मजदूरी भी आज उनकी प्रोटैक्टिड नहीं है, वह इरोड हो गई है। उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप कन्ट्रैक्ट लेवर को लें, रोड बिल्डिंग को लें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लें, उनमें काम करने वाले मजदूरों की क्या स्थिति है उनकी क्या हालत है इसको आप देखें। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन सब चीजों को गहराई से देखना चाहिए।

फ्रिन्ज बैनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी के मामले में यूनीफार्मिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इनका इंटेग्रेशन भी होना चाहिए, इंटेग्रेटिड पालिसी होनी चाहिए। कोल माइंज प्राविडेंट फंड को आप देखें। जबसे कोयला खदान उद्योग का नैशनलाइजेशन हो गया है तब से ही हम कहते रहे हैं कि कोल माइंज प्राविडेंट फंड को आप एम्प्लायर को दे दें, उनसे मजदूर लड़ कर अपना जमा पैसा ठीक समय पर ले लिया करेंगे। आज छः छः महीने तक रिटायर होने के बाद उनका जमा उनको नहीं मिलता है, साल साल भर नहीं मिलता है। सारे डिपार्टमेंट में भयानक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और मजदूरों को अपना जमा पैसा पाने के लिए अपने जमा पैसे की भारी रकम विभागीय कर्मचारियों को देनी पड़ती है। उस पैसे का प्रोपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है। कम्पसलरी डिपोजिट के लिए पैसा काटने को सरकार तैयार रहती है। प्रोविडेंट फंड के पैसे को ऐसी जगह क्यों नहीं इन्वेस्ट की जाती जहां ज्यादा से ज्यादा फायदा

मिल सके। यह भी सोचना चाहिए कि लेवर लाज को कैसे इफेक्टिव बनाया जाय, उनका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो। लेबर लाज इतने पुराने पड़ गए हैं चाहे इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट हो या अन्य ऐक्ट हो, उनमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। आप देखें माइन्स ऐक्ट अमेंडमेंट बिल 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ और वह एक जौइंट सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द हो गया। सरकारें बदलती गयीं, रवीन्द्र वर्मा जी श्रम मंत्री के रूप में जनता सरकार में जब थे तो उन्होंने उसको रिवाइव भी किया। लेकिन फिर खत्म हो गया। उसमें अच्छे और कारगर प्रोवीजन्स थे, जैसे छुट्टी का वर्कर्स इंस्पेक्टर्स रखने का। सेफ्टी के प्रोवीजन्स में भी सुधार की बातें थी। पिछले वर्षों में माईनिंग इंडस्ट्रीज में ऐक्सीडेंट्स में वृद्धि हुई है और कारण यह है कि नेशनलाइजेशन के बाद से इंस्पेक्टोरेट की ग्रिप कमजोर पड़ती जा रही है। एक छोटी सी मिसाल दूं एक नेशनल काउन्सिल आफ सेफ्टी इन माइन्स आर्गेनाइजेशन है, ट्राइपटाइट बोडी है। ऐसा समझा गया कि जो इंस्पेक्टोरेट है वह माइन्स में सेफ्टी कांसेशनैस लाने का काम ठीक से नहीं कर पाती। इसके लिए ट्राइपटाईट बौडी बनी। उसके लिए फंड्स देती रही है कोलमाइन्स वैलफेयर आर्गेनाइजेशन। अब यह एनर्जी में चली गई तो कहते हैं कि ऐनर्जी मिनिस्ट्री का यह काम थोड़े ही है। लेबर मिनिस्ट्री इसके लिए अलग से फंड दे। अब यह झगड़ा कि श्रम विभाग फड दे या ऐनर्जी विभाग दे, इस चक्कर में काम ठप्प पड़ा है। कोल विभाग को उत्पादन चाहिए, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई चिन्ता नहीं है। फंड कौन दे इसको लेकर झगड़ा है। मैंने श्रम मंत्री से शिकायत की उन्होंने तुरंत कार्यवाही भी की। श्रमिक सम्बन्धों का विषय बड़ा ही सेंसटिव विषय है। आज श्रम विभाग की स्थिति एक फायर ब्रिगेड जैसी हो गई है। आग लगी तो दमकल दौड़ा। कोई कंटिनुअस थिंकिंग का प्रोसेस नहीं है कि किन-किन कारणों से इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स बिगड़ते हैं उनकी जांच करे और करने का प्रयास निरन्तर जारी रहे। इस बात के लिए कोई सतर्कता नहीं है। श्रम विभाग का जो महत्व स्वतंत्रता के बाद अपने देश में था वह क्रमशः कम होता जा रहा है। यह श्रमिक जमात के लिए दुःख की बात है। सबसे ज्यादा उस महत्व को कम करने में सरकार की ऐमप्लाइंग मिनिस्ट्रीज का हाथ है। सबसे ज्यादा अगर कोई वायलेशन करते हैं तो सरकारी प्रतिष्ठान करते हैं। इनडिफरेंट ऐटीट्यूड उनका है। श्रम विभाग के बारे में सबसे ज्यादा श्रम विभाग को अगर नजरंदाज करते हैं तो वही करते हैं। श्रमिक जमात के लोग पूछते हैं कि विभाग में राज्य मंत्री ही क्यों ? क्या कम महत्व का है यह मंत्रालय ? क्या यहाँ कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं होना चाहिए ?

प्रो० एन० जी० रंगा : वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है वह मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री से भी शक्तिशाली है। मंत्रीमंडलीय स्तर का कोई महत्व नहीं है।

श्री विन्देश्वरी दूबे : हमारे वर्तमान राज्य मंत्री योग्य हैं, उनसे मुझे कोई गिला नहीं है। लेकिन श्रम विभाग का महत्व होना चाहिए।

कितनी ट्राइपटाईट बाडीज हैं ?...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अब समाप्त करना चाहते हैं अथवा कुछ और समय चाहते हैं ?

श्री बिन्देश्वरी दूबे : यदि आप कृपया अनुमति दें, तो मैं कुछ समय और लूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप बुधवार को जारी रख सकते हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं

[अभ्रक मजदूरी बोर्ड गठित करने में असफलता। (6)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं

[रोजगार के मामले में छोटा नागपुर के मूल निवासियों की उपेक्षा करने के लिए जिम्मेदार सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता। (7)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं

[गुप्त मतदान द्वारा श्रमिक संघों को मान्यता दिये जाने की आवश्यकता। (93)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये

[कार्मिक संघों के स्वस्थ विकास के लिए सभी कार्मिक संघों की सदस्य संख्या की जांच करने की आवश्यकता। (94)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[विभिन्न गैर-सरकारी उद्योगों में नैमित्तिक श्रमिकों को शोषण से बचाने की आवश्यकता। (95)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[श्रम कानूनों तथा नियमों के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों और अन्य मामलों में मध्यस्थता की लम्बी प्रक्रिया को छोटा करने की आवश्यकता। (96)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[सरकारी सहायता प्राप्त श्रमिक सरकारी सोसाइटियों के माध्यम से श्रमिकों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (97)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।

[बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को नियमित करने की आवश्यकता। (98)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[श्रमिकों और आकस्मिक बहालियों की छटनी को रोकने की आवश्यकता। (99)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[सरकारी उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों में से कम से कम 80 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (100)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाये।

[कोयला, लोहा और अभ्रक खानों में काम करने वाले श्रमिकों के वेतनमानों की पुनरीक्षण करने की आवश्यकता। (101)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।

[श्रमिकों में राष्ट्रहित की भावना भरकर उत्पादन बढ़ाने के लिए देशभक्ति एवं राष्ट्रीय उत्थान मूलक चलचित्रों के निःशुल्क प्रदर्शन की प्रचुर व्यवस्था करने की आवश्यकता। (102)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किए जाएं।

["राष्ट्रहित में करेंगे काम, काम के लेगें पूरे दाम" इस नारे का प्रचार करने की आवश्यकता। (103)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माग में 100 रुपये कम किए जायें।

[सरकारी उपक्रमों में राजनीतिक आधार पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।(104)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायं।

[श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराके उनके परम्परागत स्तर में उन्नति लाने की आवश्यकता। (105)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग में रुपये 100 कम किए जायें।

[राष्ट्रभक्त मजदूरों को प्रोत्साहन देने तथा विदेशी सिद्धान्तों पर चलने वाले श्रमिक संगठनों की गतिविधियों पर गुप्त रूप से निगरानी रखने की आवश्यकता। (106)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

["इसको" श्रमिक संघ (भारतीय मजदूर संघ) कुल्टी एवं बर्नपुर को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता। (107)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।

[मजदूरों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने वाली फिल्मों की खरीद के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान करने की आवश्यकता। (108)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[भविष्य निधि में अंशदान तथा श्रमिक जमा सम्बन्धी बीमा स्कीम से सम्बद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान समय पर कराने की आवश्यकता। (109)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।

[छोटानागपुर के बधुआ श्रमिकों का पुनर्वास करने एवं उनको रोजगार दिलाने की आवश्यकता। (110)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।

[आदिवासी एवं हरिजन श्रमिक बस्तियों में आधुनिक जीवनोपयोगी साधनों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (111)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[ग्रामीण कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के कार्य को व्यापक ढंग से लागू करने की आवश्यकता। (112)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनका सही मार्गदर्शन करने की आवश्यकता।(113)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।

[खेतिहर मजदूरों, ठेका मजदूरों एवं असंगठित ग्रामीण मजदूरों के लिए कल्याण संगठन तथा शोषण-विरोधी दस्ते गठित करने की आवश्यकता। (114)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।

[न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कठोरता से लागू करने के लिए एक विशेष अध्ययन दल गठित करने की आवश्यकता। (115)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

अभ्रक एवं कोयला खानों में बचाव सेवाओं का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता। (116)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

असम के स्थाई चाय मजदूरों को भूमि के छोटे टुकड़े आवंटित करने की आवश्यकता। (117)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को अस्थाई रख कर तीन माह के भीतर हटाकर पुन: कुछ अन्तराल के बाद नियोजन कर श्रमिकों का जो शोषण किया जाता है उसे रोकने की आवश्यकता। (118)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

सभी श्रमिकों को परिचय पत्र या नियोजन पत्र नियोजक द्वारा तत्क्षण जारी करने पर बल देने की आवश्यता। (119)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

जनशक्ति निर्यात व्यापार में लगी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा शोषण एवं धोखे से भोले भाले श्रमिकों को बचाने के लिए उन एजेंसियों को बन्द करने की आवश्यकता। (120)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

केरल, बिहार एवं उ० प्र० के हजारों श्रमिकों को खाड़ी के देशों में नियोजित करने तथा वायु-यान से भेजने के नाम पर करोड़ों रुपये अवैध तरीके से बोगस लेबर एजेंसियों के द्वारा जमा किए जाने की उच्च स्तरीय जाँच कराने की आवश्यकता। (121)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

श्रम नियोजनालयों में व्यापक भ्रष्टाचार की रोकथाम करने की आवश्यकता। (122)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपयें कम किए जायें।

नियोजनालयों के अधिकारियों द्वारा पँजीकृत नामों के क्रमानुसार नियोजन न कराकर पक्षपात-पूर्ण तरीके से नाम भेजने को रोकने की आवश्यकता। (123)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

सरकारी क्षेत्रों में श्रमिक संघों की उचित मांगों को, विशेषकर मजदूरी की समानता के बारे में मांग को स्वीकार करने की आवश्यकता। (32)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

बेरोजगारी बीमा योजना तैयार करके कार्यान्वित करने की आवश्यकता। (33)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

श्रमिकों को श्रम न्यायालयों में अपने मुकदमें लड़ने के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता देने की आवश्यकता। (34)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

नियोजिकों की सहायता से श्रमिकों को क्वार्टर देने की आवश्यकता। (35)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[कर्मशालाओं और बागानों के श्रमिकों को उपयुक्त चिकित्सा सुविधायें देने की आवश्यकता।(36)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[युवकों को नौकरियाँ प्राप्त करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए शिशु प्रशिक्षण की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (37)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[जीवन बीमा निगम या किजी अन्य विश्वसनीय संगठन की मार्फत सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए पेंशन (कुटुम्ब पेंशन सहित) योजनाएं बनाने की आवश्यकता । (38)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[आवश्यकतानुसार काम देने की आवश्यकता । (39)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[कम्प्यूटर लगाने के सम्बन्ध में श्रमिकों के साथ बेहतर तालमेल की आवश्यकता । (40)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[श्रमिकों को मंहगाई भत्ता देने के स्थान पर आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर देने की आवश्यकता । (41)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपरे कम किए जायें ।

[मजदूरों विशेषकर बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों के रच्चों को शिक्षा सम्बन्धी अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता । (42)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[समान कार्य के लिए समान वेतन देने की आवश्यकता । (43)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[श्रमिकों की भर्ती में कदाचार रोकने की आवश्यकता । (44)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[महिला श्रमिकों को अधिक प्रसूति लाभ देने की आवश्यकता । (45)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[सभी श्रमिकों को यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता (46)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता । (47)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[विभिन्न रोजगार इर्मेसियों के बीच तालमेल रखने की आवश्यकता । (48)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[करीगरों विशेषकर बंशानुगत और पारम्परिक शिल्पकार्यों में लगे कारीगरों के बच्चों को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता । (49)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[श्रम विवादों को अविलम्ब सुलझाने की आवश्यकता। (50)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[मजदूरी को उत्पादन से जोड़ने की आवश्यकता। (51)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।

[कार्मिक संघों का प्रबन्ध बिना बाह्य हस्तक्षेप के केवल श्रमिकों द्वारा किए जाने हेतु कानून बनाने की आवश्यकता। (52)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[खनन उद्योगों में बेहतर सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (53)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सहयोग और आपसी समझ-बूझ बढ़ाने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपक्षीय श्रमिक सम्मेलन अधिक संख्या में आयोजित करने की आवश्यकता। (54)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

[विपक्षी दलों द्वारा चलाये जा रहे कार्मिक संघों को मान्या देने में भेदभाव को रोकने में असफलता। (55)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[कार्मिक संघों को मतदान द्वारा मान्यता देने में असफलता। (56)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[पूरे देश में सभी श्रमिकों के लिए समान श्रम नीति लागू करने में असफलता। (57)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू करने में असफलता। (58)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करकें 1 रुपया किया जाए।

[सभी सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों के लिए समान वेतनमान लागू करने में असफलता। (59)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[श्रम विधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में असफलता। (60)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[कार्मिक संघों सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करने में असफलता। (61)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने में असफलता। (62)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[देश में तीव्र गति से बढ़ रही बेरोजगारी को रोकने में असफलता। (63)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए उचित विधान अधिनियमित करने में असफलता। (64)

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता । (65)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[एक वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे नैमित्तक श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने की आवश्यकता । (66)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[देश में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने की आवश्यकता । (67)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये

[बन्धुआ श्रम प्रणाली समाप्त करने और बन्धुआ श्रमिकों के लिए पुनर्वास योजना लागू करने की आवश्यकता । (68)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं

[भर्ती करने वाले एजेंटों के कदाचारों को रोकने के लिए जनशक्ति निर्यात निगम का शीघ्र गठन करने की आवश्यकता । (69)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[श्रम नियोजनालयों में व्यापक भ्रष्टाचार की रोकथाम करने की आवश्यकता । (132)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं

[नियोजनालयों के अधिकारियों द्वारा पंजीकृत नामों के क्रमानुसार नियोजन न कराकर पक्षपात-पूर्ण तरीके से नाम भेजने को रोकने की आवश्यकता । (133)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[केरल, बिहार एवं उ० प्र० के हजारों श्रमिकों को खाड़ी के देशों में नियोजित करने तथा वायुयान से भेजने के नाम पर करोड़ों रुपये अवैध तरीके से बोगस लेबर एजेंसियों के द्वारा जमा किए जाने की उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता । (134)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को सहभागी बनाने की आवश्यकता । (135)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम रुपये किये जायें ।

[खेतिहर मजदूरों को मजदूरी के रूप में केसरी दाल दिए जाने पर रोक लगाने की आवश्यकता । (136)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम रुपये किये जायें ।

[ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता । (137)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम रुपए किए जायें ।

[खेतिहर मजदूरों, ठेका मजदूरों एवं असंगठित ग्रामीण मजदूरों के लिए कल्याण संगठन तथा शोषण-विरोधी दस्ते गठित करने की आवश्यकता । (138)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कठोरता से लागू करने के लिए एक विशेष तंत्र गठित करने की आवश्यकता । (139)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण रोकने की आवश्यकता । (140)

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[सभी श्रमिकों को परिचय-पत्र या नियोजन-पत्र जारी करने की आवश्यकता । (141)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[जनशक्ति निर्यात व्यापार में लगी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा शोषण एवं धोखे से भोले-भाले श्रमिकों को बचाने के लिए उन एजेन्सियों को बन्द करने की आवश्यकता । (142)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[श्रमिकों के निःशुल्क मनोरंजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (143)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[मजदूरों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने वाली फिल्मों की खरीद के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान करने की आवश्यकता । (144)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[भविष्य निधि में अंशदान तथा श्रमिक जमा सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत [illegible] भुगतान समय पर कराने की आवश्यकता । (145)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।

[छोटानागपुर के बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास करने एवं उनको रोजगार दिलाने की आवश्यकता । (146)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[आदिवासी एवं हरिजन श्रमिक बस्तियों में आधुनिक जीवनोपयोगी साधनों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता । (147)]

कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[ग्रामीण कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यापक ढंग से लागू करने की आवश्यकता । (148)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए एक व्यक्ति-एक काम फार्मूले को लागू करने की आवश्यकता । (149)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[खेतिहर मजदूरों को केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण-क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता ।(150)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[ठेकाप्रणाली को समाप्त करके मजदूरों को विभागी कर्मचारी बनाने की आवश्यकता । (151)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[श्रमिकों की यूनियनों को मतदान द्वारा मान्यता देने की आवश्यकता । (152)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[एक उद्योग में एक ही यूनियन हो, के नियम को लागू करने की आवश्यकता । (153)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[सरकारी उपक्रमों में राजनैतिक आधार पर नियुक्तियों को रोकने आवश्यकता । (154)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[दस्तकारों, विशेषकर उन दस्तकारों के बच्चों को, जो वंशानुगत और परंपरागत दस्तकारी में लगे हैं, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता । (155)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[मजदूरी को उत्पादन से सम्बद्ध करने की आवश्यकता । (156)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[कार्मिक संघों के प्रबन्धों में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने की आवश्यकता । (157)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[श्रमिक और नियोजकों के बीच बेहतर सहयोग पर आपसी समझ-बूझ के लिए विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों का आयोजन की आवश्यकता । (158)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[श्रमिक सहकारी समितियों में बाहरी लोगों के सचिव बनने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता । (159)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[सभी प्रकार के बाल श्रम को रोकने की आवश्यकता । (160)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[जीवन बीमा निगम तथा अन्य संगठनों के द्वारा सभी प्रकार के मजदूरों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने की आवश्यकता । (161)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपयें कम किए जायें ।

[महंगाई भत्ते के आँशिक भुगतान के रूप में कर्मचारियों को रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने की आवश्यकता । (162)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को लागू करने की आवश्यकता । (163)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[कर्मचारियों की भर्ती में कदाचार को रोकने की आवश्यकता । (164]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।

[मजदूर महिलाओं को बेहतर प्रसूति सुविधाएं देने की आवश्यकता । (165)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[कर्मचारियों को रहने के स्थान से काम के स्थान तक यातायात सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (166)

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[श्रमिकों के वेतन में समानता लाने की आवश्यकता। (167)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[बेरोजगारी बीमा योजना तैयार करने और उसे लागू करने की आवश्यकता। (168)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[श्रम न्यायालयों में चल रहे मामलों के लिए कर्मचारियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता। (169)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[कर्मचारियों को समुचित आवास प्रदान की आवश्यकता। (170)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[कारखानों और बागानों में मजदूरों को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता। (171)]

कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[उत्साही युवकों को शिक्षु प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (172)]

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 अप्रैल, 1982, 17 चैत्र, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

1982 लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिन्टर्स, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।